माध्यम

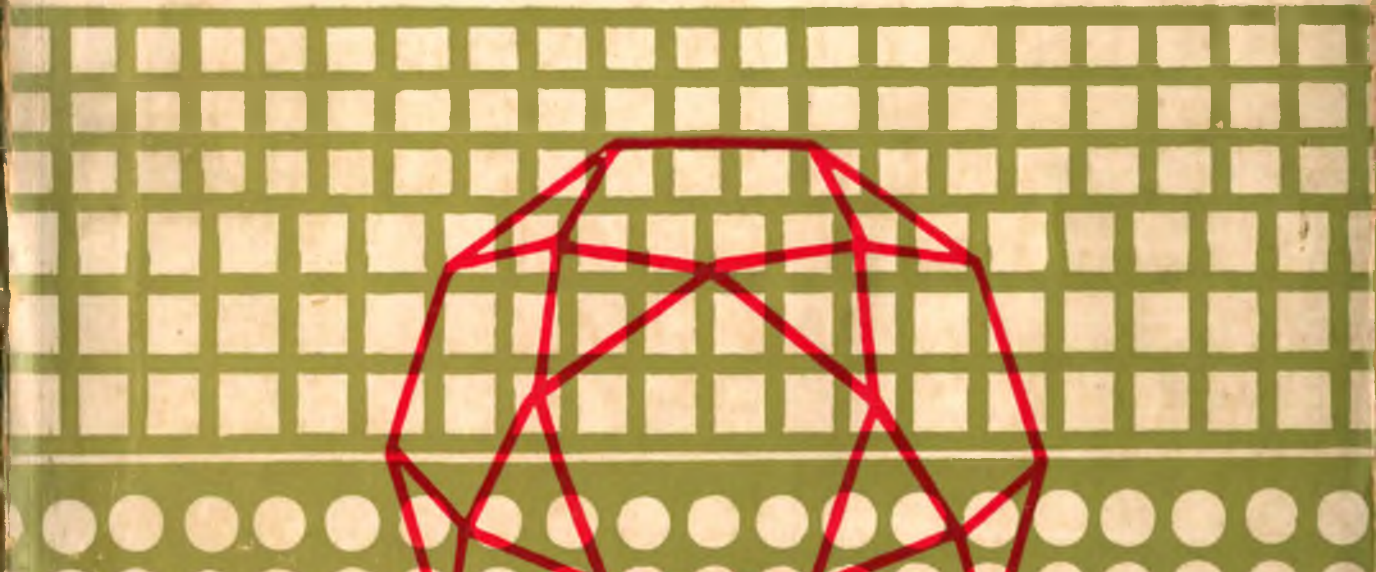

-542
371.2
UTT-M

शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

माध्यम

[8]

NIEPA DC
D05124

शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश

८

अष्टम् अंक

Sub. National Systems Unit.
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-110016
DOC. No....D-5724
Date......19-3-90

[सीमित प्रयोगार्थ निःशुल्क वितरण हेतु]

मुद्रक : हिन्दुस्तानी आर्ट कॉटेज, अमीनाबाद रोड, लखनऊ तथा प्रेम प्रिंटिंग प्रेस, गोलागंज, लखनऊ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

नारायण दत्त तिवारी

सचिवालय-एनेक्सी,
लखनऊ
दिनांक: 13 अक्टूबर, 1988

सन्देश

मुझे यह जानकर हर्ष है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालयों तथा विभाग के शिक्षा प्रसार से सम्बन्धित अधिकारियों के उपयोग के लिये "माध्यम" पत्रिका के नये अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय चरित्र एवं व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अब नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सन्दर्भ में शिक्षा विभाग का दायित्व और अधिक बढ़ गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा वैचारिक संवहन और प्रबन्धकीय ज्ञान के प्रसार हेतु "माध्यम" का प्रकाशन एक रचनात्मक प्रयास है। आशा है पत्रिका की सहायता से शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारियों को अपने बहु-आयामी दायित्वों के निर्वहन में सहायता मिलेगी।

"माध्यम" अपने उद्देश्य में सफल हो, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(नारायण दत्त तिवारी)

शुभकामना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीन संकल्पनाओं के परिप्रेक्ष्य में विगत दो वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र, स्वरूप एवं दायित्वों में बहुआयामी विस्तार हुआ है। प्रदेश का शिक्षा विभाग अपने इस चुनौतीपूर्ण गुरुतर दायित्व के प्रति सजग है। विभाग द्वारा जनपद, मण्डल एवं प्रदेशीय स्तर पर प्रशिक्षण, वैचारिक आदान-प्रदान एवं संप्रेषणीयता के लिए निरन्तर आयोजन किये जाते रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा व्यवस्था को अधिकाधिक वस्तुपरक बनाने का उपाय भी किया जाता रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग की जनशक्ति समस्त राष्ट्रीय लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जागरूक और प्रयत्नशील है।

शिक्षा विभाग द्वारा 'माध्यम' का प्रकाशन इस दिशा में किया जा रहा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसकी सहायता से विभागीय अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के ज्ञानवर्द्धन, दक्षता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि तो संभव हुई ही है, वांछित शैक्षिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों पर स्थायी संदर्भ के लिए सामयिक प्रलेखन भी संभव हुआ है।

मेरी अभिलाषा है कि शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न स्तर पर विविध कार्यों का त्वरित गति से सम्पादन करें और राष्ट्रीय विकास के लिए पूर्णतया समर्पित हों।

'माध्यम' के प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामना है।

लखनऊ
26-8-1988

स्वरूप कुमारी बख्शी
शिक्षा मंत्री, उ०प्र०

संदेश

शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति को पुनर्बोधित करते हुए अधिक सक्षम एवं कुशल बनाने हेतु विगत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों में "माध्यम" का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण पग सिद्ध हुआ है। इसके विविध अंकों में आवश्यक सूचनाओं, राजाज्ञाओं एवं आधारिक सामग्री का सराहनीय प्रलेखन किया गया है जिससे शैक्षिक प्रशासकों, अधिकारियों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के बीच परस्पर विचार-विमर्श, चिन्तन एवं सम्प्रेषणीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राज्य कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक लाभ, पेंशन तथा सुविधाओं का विभागीय अधिकारियों द्वारा शीघ्रतम निस्तारण किया जा सके, इस उद्देश्य से माध्यम का सातवां अंक बड़ा उपादेय है और सराहा गया है। प्रस्तुत अंक 'माध्यम - 8' में अशासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उक्त विषयों के साथ-साथ विद्यालयों में आगामी शैक्षिक सत्र के लिए आवश्यक कुछ अन्य विषयों का भी समावेश किया गया है।

मुझे आशा है कि माध्यम का प्रस्तुत अंक विशेष उपयोगी होगा, विभागीय कार्यों में इसकी सहायता से गति आयेगी और एक संग्रहणीय संदर्भ पुस्तिका के रूप में इसका सर्वत्र स्वागत किया जायेगा।

शैक्षिक सत्र 1988-89 के प्रारम्भ में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत समस्त अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मैं हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

लखनऊ
14-6-1988

जगदीश चन्द्र पन्त
प्रमुख सचिव शिक्षा,
संस्कृति और खेलकूद।

संदेश

राष्ट्रीय संकल्पनाओं के अनुरूप समकालीन शैक्षिक व्यवस्था के लिए गम्भीर चिन्तन एवं दूरदृष्टि की अपरिहार्यता सर्वमान्य है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में शिक्षा का नवीन कलेवर विकसित करने, दूरगामी नियोजन के साथ-साथ व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान एवं समन्वित प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों की सम्प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण शैक्षिक जनशक्ति की प्रबुद्धता एवं कटिबद्धता भी अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

विगत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा इस उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम प्रबन्धकीय विकास हेतु परिचर्चा एवं संगोष्ठियाँ, सेवारत एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, सामुदायिक गायन एवं शिविर तथा शैक्षिक विचारों का प्रलेखन एवं प्रसारण किया जाता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पनाओं, नवीन शैक्षिक विचारधाराओं, अद्यतन विधि, नियमों एवं विनियमों के व्यापक संवहन में "माध्यम" की एक प्रभावी भूमिका रही है और प्रदेश की समस्त शैक्षिक जनशक्ति इससे लाभान्वित होती रही है।

आशा है कि माध्यम का प्रस्तुत अंक शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं शिक्षाधिकारियों के लिए विशेष लाभप्रद होगा।

मेरी हार्दिक शुभकामना है कि शिक्षा के व्यापक प्रसार एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु आपके प्रयास सफल हों और हम प्रदेश में राष्ट्र की बहुआयामी अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा का नया स्वरूप विकसित कर सकें।

लखनऊ
सितम्बर 20, 1988

प्रवीण चन्द्र शर्मा
शिक्षा सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विविध संकल्पनाओं को साकार करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अपनी सम्पूर्ण जनशक्ति की नवीनतम आयामों से सुपरिचित कराने, नयी विधाओं में दक्षता वृद्धि और वांछित उपनब्धियों के लिए समयबद्ध कार्यप्रणाली विकसित करने हेतु विगत दो वर्षों में अनेक प्रयास किये गये हैं। एतदर्थ शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये और नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, स्काउटिंग, खेलकूद, सामुदायिक गायन आदि को विद्यालयी शैक्षिक कार्यक्रमों में विशेष स्थान दिया गया। अध्यापन और परीक्षण प्रणाली पर अनेक प्रयोग किये गये और विद्यालय स्तर से प्रदेश स्तर तक परस्पर संवाद एवं सम्प्रेषणीयता की विकसित किया गया।

शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्यों द्वारा समयवद्ध कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाय, स्वमूल्यांकन किया जाय और भावी कार्यक्रमों का सुविचारित नियोजन किया जाय। शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों की सुविधा एवं मार्गदर्शन हेतु माध्यम के सात अंकों में अब तक पर्याप्त विषय सामग्री प्रलेखित की जा चुकी है। माध्यम का आठवां अंक विशेष रूप से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए प्रस्तुत है। नवीन वेतनमानों पर भी उल्लेख सम्मिलित कर दिया गया है। विभिन्न गोष्ठियों एवं प्रशिक्षणों के अवसर पर आधार सामग्री के रूप में अनेक प्रालेख भी उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

अब यह आपको देखना है कि विभाग द्वारा नियोजित कार्यक्रमों का किस सीमा तक कार्यान्वयन हुआ, अनुश्रवण किया गया, क्या उपलब्धियाँ हुई और भविष्य के लिए नियोजन की क्या रूप रेखा व्यावहारिक होगी।

आशा है कि विभाग द्वारा किये जा रहे वृहद् प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अनवरत प्रयासों में समस्त शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षाधिकारियों की सकिय सहभागिता होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन तथा एक समुन्नत गुणात्मक शैक्षिक वातावरण के लिए संकल्पवद्ध होगी।

स्वाधीनता की इकतालीसवीं वर्षगाँठ के अवसर पर, आइये ! हम आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए कर्तव्यनिष्ठ एवं समर्पित हों।

4 अक्टूबर, 1988

बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश

प्रस्तावना

शिक्षा विभाग एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यो के बीच परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान एवं नवीन शैक्षिक आयामों से सम्बन्धित विचारों की सम्प्रेषणीयता के लिए "माध्यम" का समय-समय पर प्रकाशन किया जाता रहा है। इसके विभिन्न अंकों का सर्वत्र स्वागत किय गया है और प्राप्त प्रतिक्रियाओं से इसकी उपादेयता प्रमाणित होती रही है।

प्रस्तुत अंक माध्यम-8 में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवा नैवृत्तिक लाभ, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि एवं सामूहिक जीवन बीमा आदि वित्तीय प्रकरण विशेष रूप मे सम्मिलित किये गये हैं। इसके साथ ही वर्तमान शैक्षिक सत्र की आवश्यकतानुसार कतिपय शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों का भी समावेश किया गया है। हमें विश्वास है कि, यह अंक शिक्षा विभागीय अधिकारियों एव अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यो/प्रधानाचार्याओं के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

इस महत्वपूर्ण विषय सामग्री के विभाग के मुख्य लेखाधिकारी, श्री आर०एल० शुक्ल एवं उनके सहयोगियों ने विशेष प्रयास किया है। सम्पादन एवं प्रकाशन में श्री भास्कर नाथ तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद तथा लेखा संगठन के वरिष्ठ सम्प्रेक्षक श्री बाल मुकुन्द मिश्र ने सराहनीय परिश्रम किया है।

आशा है कि यह अंक भी "माध्यम" के पूर्व प्रकाशित अंकों की भाँति उपयोगी और संग्रहणीय होगा।

हरि प्रसाद पाण्डेय
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

दो शब्द

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों, शिक्षकों, एवं प्रधानाचार्यों के पेंशन, सामूहिक जीवन बीमा, ग्रेच्युटी तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन मण्डल स्तर पर किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा लेखाकारों, सहायक लेखाकारों एवं वरिष्ठ लिपिकों का प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। इससे इनकी दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और कार्य का द्रुतगति से सम्पादन सम्भव हो सकेगा।

माध्यम के प्रस्तुत अंक 'माध्यम - 8' में तद्विषयक महत्वपूर्ण सामग्री एवं दिशा निर्देश प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ में कतिपय अन्य वित्तीय, शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों का भी आवश्यकतानुसार समावेश किया गया है। एतदर्थ लेखा संगठन के मेरे सहयोगियों एवं शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारियों ने स्तुत्य प्रयास किया है। इस अंक के सम्पादन एवं प्रकाशन में श्री भास्कर नाथ तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, इलाहाबाद एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्री बाल मुकुन्द मिश्र ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

मुझे आशा है कि प्रस्तुत अंक मण्डलीय/जनपदीय स्तर पर उक्त कार्यों के निस्तारण में संलग्न सहायकों, शिक्षाधिकारियों एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए मार्गदर्शक एवं उपादेय सिद्ध होगा।

इलाहाबाद
4 अक्टूबर, 1988

आर० एल० शुक्ल
मुख्य लेखाधिकारी
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

अनुक्रम

शुभकामना संदेश—माननीय मुख्यमंत्री जी

शुभकामना—माननीय शिक्षामंत्री जी

संदेश—प्रमुख सचिव, शिक्षा

संदेश—शिक्षा सचिव

आमुख—शिक्षा निदेशक

प्रस्तावना—अपर शिक्षा निदेशक (मा०)

दो शब्द—मुख्य लेखाधिकारी

शैक्षिक पृष्ठ

1. शिक्षा और मानव मूल्य 1
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद—
हाई स्कूल एवं इण्टर मीडिएट परीक्षा 1988
उल्लेखनीय बिन्दु 5
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद—
पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन 11
4. स्वास्थ्य और पर्यावरणीय शिक्षा 16
5. योगाभ्यास 28
6. माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय 32
7. विद्यालयों के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम 36

प्रशासनिक

1. उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में 1
2. सातवीं पंचवर्षीय और शैक्षिक योजनाएं 15
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 22
4. राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार 24
5. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 37
6. राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान—नई संकल्पना 43
7. युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर 45

वित्तीय (अशासकीय)

1. सेवा नैवृत्तिक लाभ 1
2. सामान्य भविष्य निर्वाह निधि 89
3. सामूहिक जीवन बीमा 118

परिशिष्ट

1. राजकीय भवनों का निर्माण और मरम्मत 1
2. कार्यपूर्ति बजट 20
3. नवीनतम शासनादेश एवं विभागीय आदेश 25
4 जनपदीय लेखाधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व 36
5. आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आधारभूत आँकड़ों का संकलन 40
6. माध्यम का शुद्धि-पत्र 51
7. महत्त्वपूर्ण दिवस, सप्ताह एवं मास 60

वेतन समिति—1987

1. शासकीय संकल्प 1
2. वेतन निर्धारण राजाज्ञा 8
3. विविध राजाज्ञाएं 24
4. संस्तुत वेतनमान 40

माध्यम

आप परिस्थितियों के दास नहीं, उनके निर्माता, नियंत्रणकर्ता व स्वामी हैं।

माध्यम

जीवन का अर्थ है 'समय'—जो जीवन से प्यार करते हों, वे आलस्य में समय न गंवायें।

माध्यम

काम की अधिकता से नहीं, आदमी उसे भार समझ कर अनियमित रूप से करने पर थकता है।

माध्यम

दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसन्द नहीं।

● गुरु-शिष्य

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

—हे परमात्मन् ! आप हम गुरु-शिष्य दोनों की साथ-साथ सब प्रकार से रक्षा करें, हम दोनों का आप साथ-साथ समुचित रूप से पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो—कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हों और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहें, हमारे अन्दर परस्पर कभी द्वेष न हो ।

शैक्षिक

अध्याय 1

शिक्षा और मानव मूल्य

गांधी जी ने कहा था,

"शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य चरित्रनिर्माण है।"

स्किनर और हैरीमैन ने कहा है, "चरित्र, व्यक्तित्व के पक्षों में एक बहुत सार्थक पक्ष हैं और उसका विकास समाज का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।" वस्तुतः चरित्र एक ऐसा पक्ष है जिसमें व्यक्तित्व, नैतिकता तथा स्वभाव पूर्णरूपेण मिलकर उचित सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं। कारमाइकेल के अनुसार हम कह सकते हैं "चरित्र एक गतिशील धारणा है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोणों तथा व्यवहार की विधियों का पूर्ण योग है।"

इस संदर्भ में संस्कृत का एक श्लोक उल्लेखनीय है—

सुगन्धि दर्शनीयं च लोकरंजन तत्परम्।
दृष्ट्वा कुसुममारामे सर्वैरप्यभिनन्दितम्॥
प्रसाद सुमुखःशील चारित्र्याभ्यां सुवासितः।
उद्युक्तो लोकसेवायां भवेयमिति भावये॥

'उपवन में सुगन्धित, दर्शनीय और सबके द्वारा अभिनन्दित पुष्प को देखकर मेरे मन में आता है कि मुझे भी प्रसन्न मुखशील, चारित्रिक सुगन्ध से सुवासित तथा लोकसेवा में तत्पर होना चहिए।'

हमारा आपका यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यालयरूपी उपवन में इसी प्रकार के पुष्प खिलें जो विद्यालय, परिवार और पूरे समाज को सुवासित करें और सतत लोकसेवा में तत्पर हों। मानव मूल्यों की शिक्षा के रूप में यही हमारी नैतिक शिक्षा की संकल्पना का मूल आधार है।

हमारे जीवन के दो प्रमुख पक्ष हैं—वैयक्तिक और सामाजिक। व्यक्ति समाज का अंग है, अतः उससे अपेक्षा है कि उसका प्रत्येक व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल हो। इनको ही मानव मूल्य कहा जा सकता है और इन्हें ही चारित्रिक गुणों की संज्ञा दी जा सकती है। सामान्यरूप से कतिपय प्रमुख गुण निम्न हैं :—

1—अपने से बड़ों के प्रति आदर और सम्मान।
2—सहानुभूति—मैत्री, करुणा, दया।
3—सच्चाई, न्यायप्रियता और निष्कपटता
4—आत्मनियंत्रण
5—अनुशासनप्रियता।
6—साहस और निर्भीकता
7—नेतृत्वक्षमता
8—समभाव
9—स्वस्थ नागरिकता और राष्ट्रीयता की भावना।
10—अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना।

11—व्यापक दृष्टिकोण के लिए स्वाध्यायप्रियता ।

12—कर्म के प्रति निष्ठा ।

असुबेल के अनुसार 'हमारी नैतिक मान्यताएँ हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों से सम्बन्धित हैं ।' उनका कहना है कि बालक-बालिकाओं के समाजीकरण में वांछनीय मूल्यों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसके अन्तःकरण का विकास भी नैतिक विकास का आवश्यक अंग है । जीवन मूल्यों में, नैतिक मूल्यों का स्थान इसलिए ऊँचा है कि व्यक्ति का चरित्र इन्हीं के द्वारा निर्मित और विकसित होता है । इस प्रकार बालक के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास पर विचार करते समय उसके नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है । चारित्रिक गुणों को भारतीय दर्शन में धर्म का अनिवार्य अंग माना गया है और मनुस्मृति में कहा गया है :—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ।।

अर्थात् धैर्य, क्षमा, मन की एकाग्रता, चोरी न करना, बाहरी और भीतरी शुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि और विवेक, विद्या, सत्य और अक्रोध, इन दस चारित्रिक गुणों को आधुनिक शिक्षा और मनोविज्ञान में नैतिक और सामाजिक मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है । बच्चों में वांछनीय नैतिक और सामाजिक मूल्य विकसित हों तथा उनका वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र भली प्रकार विकसित हो तभी वे राष्ट्र के उत्तम नागरिक बन सकेंगे ।

ये मूल्य शाश्वत और सार्वभौम हैं । प्रायः सभी धर्मों में इन्हें मूल तत्त्व के रूप में स्वीकारा गया हैं ।

1—सच बोलना

2—दया और क्षमा

3—त्याग और बलिदान

4—परिश्रम और कर्मनिष्ठा

5—प्रेम

6—शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक स्वस्थता

7—ईश्वर सर्वत्र है

8—नियमपालन

9—सहनशीलता

10—स्वाध्यायप्रियता

माध्यमिक विद्यालय का सम्पूर्ण परिवेश उक्त मूल्यों की प्रतिस्थापना की आधारभूमि बन सके और छात्र छात्राओं का समुचित सर्वांगीण विकास हो, इस आशय की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी की गयी है शिक्षा विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में इसी दृष्टि से निम्नांकित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है :—

1—नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण

2—माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्यों का मूल्यपरक प्रशिक्षण

3—स्काउट-गाइड प्रशिक्षण

4—योग प्रशिक्षण

5—सामुदायिक गायन

6—वृहद् अभिनवीकरण शिक्षक प्रशिक्षण

7—शरद्कालीन एवं ग्रीष्मकालीन विद्यार्थी शिविरों का आयोजन

8—समाजोपयोगी उत्पादक कार्य-सम्बन्धी आयोजन

इन आयोजनों का उद्देश्य समग्र रूप से अति व्यापक है । विभाग की संकल्पना है कि इन आयोजनों के माध्यम से छात्र-छात्राओं में विभिन्न नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की परोक्षरूप से प्रतिस्थापना होगी और वे सत्यानुयायी, परिश्रमी, कर्मनिष्ठ, अनुशासनप्रिय, राष्ट्रप्रेमी, सद्भावी, स्वाध्यायप्रिय एवं सहनशील सच्चरित्र नागरिक के रूप में विकसित होंगे। समस्त प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों से विभाग की अपेक्षा है कि :—

1. छात्र-छात्राओं को कथाओं, घटनाओं या सामाजिक प्रसंगों को लेकर परोक्षरूप से नियमित नैतिक शिक्षा दी जाय । शान्तिकुंज में आयोजित नैतिक शिक्षा एवं मूल्यपरक प्रशिक्षण शिविरों में इस विधा पर प्रकाश डाला जा चुका है।

2. छात्रा-छात्राओं में अच्छे विचारों, अच्छी इच्छाओं व प्रवृत्तियों को विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से प्रोत्साहित किया जाय ।

2. उन्हें विद्यालयों में ऐसा वातावरण सुलभ कराया जाय कि उनमें भय, घृणा, क्रोध जैसे स्थायीभाव न उत्पन्न होने पावें ।

4. उनके प्रति सहजस्नेह, आत्मीयता, प्रेम, दया और सहानुभूति का व्यवहार करते हुए अवांछित स्थायी-भावों में परिष्कार का प्रयास किया जाय।

5. बालक-बालिकाओं की मूलप्रवृत्तियों का दमन न करके उनके उदात्तीकरण का प्रयास किया जाय ।

6. महान व्यक्तियों के विचारों एवं आदर्शों से परिचित कराने के लिए नियमित सूक्तिलेखन, प्रार्थना सभा में विचारविन्दुओं का वाचन, पुस्तकालय एवं वाचनालय में उपयुक्त साहित्य सुलभ कराने आदि जैसे कार्यक्रम अपनाये जायें ।

7. जहाँ तक सम्भव हो, कक्षा-कक्षों को विषय के अनुरूप बनाया जाय—यथा विज्ञान कक्ष में महान वैज्ञानिकों के चित्रों के साथ उनके जीवन के प्रेरणाप्रद कृत्य, जिनके कारण वे समाज में प्रतिष्ठित हुए, संक्षिप्त टिप्पणी के साथ दिये जाय । यही विधि विभिन्न विषयों, भाषा आदि के सम्बन्ध में अपनायी जाय जिससे छात्र अवकाश के समय में भी उसके माध्यम से अपने विषय का पुनर्बोध कर सकें एवं व्यर्थ के वार्तालाप एवं कृत्य से विरत भी होते रहें ।

8. उ० प्र० भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से सुभाषित संकलन की सूक्तियां भी सभी कार्यालयों एवं विद्यालयों को प्रेषित की जा चुकी हैं । इनको विद्यालयों एवं कार्यालयों में उपयुक्त स्थानों पर फ्रेम कराकर प्रदर्शित कराया जाये जिससे उसको बार-बार पढ़ने एवं मनन के द्वारा कर्मचारियों / छात्र-छात्राओं में नैतिक मूल्यों को जाग्रत करने में मदद मिलेगी ।

9. प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं को अनुकरण के अधिकाधिक अवसर सुलभ कराये जायें ।

10. साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक सेवा-कार्यक्रमों में उनकी अधिकाधिक सहभागिता एवं सक्रियता सुनिश्चित की जाय जिससे उन्हें आत्मप्रदर्शन और स्वमूल्यांकन का अवसर प्राप्त हो और उनमें कार्य के प्रति निष्ठा, समाजसेवा, अनुशासन, कृतित्व में आनन्दानुभूति, निर्देश ग्राह्यता, आत्मविश्वास, आदि अनेक गुणों का स्वतः ही विकास हो ।

।। याद रखें ।।

'विकास के लिए परिस्थितियाँ विपन्न होते हुए भी व्यक्तियों का नैतिक आधार सुदृढ़ हो और हर व्यक्ति देश और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझकर उनके निर्वाह के लिए जुट पड़े तो कोई कारण नहीं कि प्रगति अग्रगामी न हो सके। किसी भी विकसित राष्ट्र का इतिहास खोजा जाय तो यही देखा जायगा कि वहाँ के नागरिकों ने नैतिक उत्थान का प्रयास किया और समृद्धि सहचरी बनकर साथ चली आयी।'

मनुष्य अज्ञान से ऐसा मान लेता है कि ऊँचा अधिकार या बहुत-सी सम्पत्ति मिलने से मैं सुखी हो जाऊँगा, परन्तु जैसे-जैसे वैभव बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके जीवन में पराधीनता, भय रोग, भोगाशक्ति और कठोरता आदि बढ़ते जाते हैं, जो प्रत्यक्ष ही दुःख के कारण हैं।

— कल्याण से साभार

अध्याय 2

माध्यमिक शिक्षा परिषद
हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1988
उल्लेखनीय बिन्दु

(1) टास्क फोर्स की संस्तुतियों के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद जैसी वृहद् परीक्षा संस्था के कार्य को चार केन्द्रीय कार्यालयों में विकेन्द्रित कर परीक्षा संचालन एवं परीक्षा परिणामों के सफल प्रकाशन की चुनौती की श्रृंखला में वर्ष 1988 का परीक्षा परिणाम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(2) इस वर्ष हाईस्कूल तथा इण्टर के संस्थागत एवं व्यक्तिगत सभी परीक्षार्थियों की परीक्षायें एक साथ अत्यधिक अल्प अवधि में सम्पादित करायी गयीं। हाईस्कूल की परीक्षा 18 दिनों में तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा 20 दिनों में सम्पादित हुई। जबकि वर्ष 1987 की अपेक्षा इस वर्ष हाईस्कूल में 9·09 प्रतिशत एवं इण्टरमीडिएट में 18·39 प्रतिशत परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई।

(3) गत वर्ष इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल तैयार करने में 55 दिन का समय लगा। इस वर्ष छात्र संख्या में 18·39 प्रतिशत की वृद्धि होने के उपरान्त भी परीक्षा की अन्तिम तिथि से कुल 60 दिन में परीक्षाफल तैयार कर घोषित किया गया। हाईस्कूल का परीक्षाफल गत वर्ष की तुलना में तीन दिन पहले घोषित किया गया।

(4) इस वर्ष घोषित परीक्षाफल में हाईस्कूल के लगभग शत-प्रतिशत एवं इण्टरमीडिएट में 99·03 प्रतिशत से भी अधिक पूर्ण परीक्षाफल घोषित किये गये, जो कि अब तक के घोषित परीक्षाफल में एक उपलब्धि है तथा एक नया कीर्तिमान है।

(5) वर्ष 1987 की भाँति इस वर्ष भी परीक्षाफल में संख्यात्मक एवं गुणात्मक व्यापक सुधार हुआ है। इसका मूल कारण अध्यापकों को पठन-पाठन के लिए अधिक समय उपलब्ध होना, संवाद गोष्ठियाँ, शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों, अभिभावक-अध्यापक एशोसियेशन का सहयोग तथा नैतिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का लागू करना तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण में उचित नीति का अपनाया जाना है।

(6) वर्ष 1988 में परिषदीय परीक्षाओं की प्रत्येक गतिविधि को पूर्वनिर्धारित समयसारणी एवं योजनाबद्ध कर अनुश्रवण करने से लगभग सभी परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षायें परीक्षाफल घोषणा तक पूर्ण करा ली गईं।

(7) परीक्षाफल की प्रमाणिकता एवं वैधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समस्त उत्तर-पुस्तकों की तुलनात्मक सन्निरीक्षा का कार्य इस वर्ष परीक्षाफल घोषणा से पूर्व मूल्यांकन केन्द्र पर ही करा दिया गया तथा परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त सशुल्क सन्निरीक्षा के परिणाम को भी शीघ्र घोषित करने की व्यवस्था कर दी गई है।

(8) गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र परीक्षाफल घोषणा के साथ उपलब्ध कराये गये।

हाईस्कूल परीक्षा, 1988
(परीक्षाफल एक दृष्टि में)

संस्थागत

परीक्षार्थी	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
बालक	810128	788018	343110	43.54
बालिका	179842	177356	135373	76.32
योग	989970	965374	478483	49.56
व्यक्तिगत				
बालक	431947	382980	138606	36.19
बालिका	99166	90237	53407	59.18
योग	531113	473217	192013	40.59
सम्पूर्ण योग	1521083	1438591	670496	46.60

श्रेणीवार उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का विवरण

कुल उत्तीर्ण संख्या	प्रथम ससम्मान	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	पास
670496	1547	70525	409024	176752	12648
प्रतिशत	0.23	10 51	61·00	26·36	1·88

प्रथम पन्द्रह बालक तथा बालिकाओं की सम्मिलित श्रेष्ठता सूची

(हाई स्कूल परीक्षा, 1988)

क्र० सं०	श्रेष्ठता क्रम	अनुक्रमांक	नाम	विद्यालय का नाम
1	एक	197658	दीपक कुमार गर्ग	एस० डी० इ० का०, मुजफ्फरनगर
2	दो	425163	कु० रुचि अस्थाना	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कू०, आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ
3	दो	505760	सन्तोष कुमार मल्ल	पं० दीनदयाल इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
4	तीन	505679	अभिषेक	—उक्तवत—
5	चार	309217	मनीष रस्तोगी	एम०ए०इ० का०, मुरादाबाद

6	पाँच	234000	शशिकान्त सैनी	एच०आर०इ०का०, गंगोह, सहारनपुर
7	छः	416022	अमित त्यागी	सिटी मान्टेसरी हा०से० स्कूल राजेन्द्रनगर, लखनऊ
8	छः	505761	सौम्य त्रिपाठी	पं० दीनदयाल इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
9	सात	314572	पंकज खण्डेलवाल	एस०एम० इ०का०, चन्दौसी, मुरादाबाद
10	आठ	424097	कु० दीपा रुवाली	रा० बालिका इ० का०, ए० नगर, लखनऊ
11	आठ	505223	संजय बरौनिया	सुभाष एस० इ० का०, सहयोगीनगर, कानपुर
12	नौ	416032	महेन्द्र सिंह	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कूल, राजेन्द्रनगर, लखनऊ
13	नौ	326437	संजीव कुमार जैन	एस० डी० एस० इ० का०, नजीबाबाद, बिजनौर
14	नौ	935267	जयशंकर सिंह	पब्लिक इ०का०, केराकत, जौनपुर
15	दस	410436	अनिल अग्रवाल	एम०ए०इ०का०, लखनऊ
16	दस	416019	अखिलेश कुमार वर्मा	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कूल, राजेन्द्रनगर, लखनऊ
17	दस	421014	कु० अनुपमा तिवारी	मान्टेसरी हा० से० स्कूल, महानगर, लखनऊ
18	दस	505724	नारायण स्वरूप निगम	पं० दीनदयाल हा० से० स्कूल, नवाबगंज, कानपुर
19	ग्यारह	367053	सुबोध कुमार गुप्ता	रा०इ०का०, शाहजहाँपुर
20	बारह	425162	कु० अर्चना श्रीवास्तव	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कूल, आर० डी० एस०ओ०, लखनऊ
21	बारह	439003	अजीत कुमार	रा०इ०का०, रायबरेली
22	बारह	447827	अजीत प्रताप सिंह	एम०बी०एन०इ०का०, ऊँचाहार, रायबरेली
23	बारह	505695	आशीष कुमार सिंह	पं० दीनदयाल हा० से० स्कूल, नवाबगंज कानपुर
24	तेरह	416026	दीपक श्रीवास्तव	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कूल, राजेन्द्र नगर, लखनऊ
25	तेरह	419858	संजय कुमार	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कूल, आर० डी० एस० ओ०, लखनऊ
26	तेरह	510732	अरुण मिश्र	सेन्ट एफ० जेवियर हा० से० स्कूल, अशोक नगर, कानपुर
27	चौदह	248238	गौरव सिंह	ए०वी० प्लान्ट इ०का०, वीरभद्र, देहरादून
28	चौदह	421929	कु० स्वाती गुप्ता	नवयुग कन्या इ०का०, लखनऊ
29	चौदह	505768	स्वदेश कुमार सक्सेना	पं० दीनदयाल हा० से० स्कूल, नवाबगंज, कानपुर
30	पन्द्रह	100520	दिनेश कुमार सोलंकी	जी० एस० एस० इ० का०, कासिमपुर, अलीगढ़
31	पन्द्रह	416020	आलोक त्रिपाठी	सिटी मान्टेसरी हा० से० स्कूल, राजेन्द्रनगर लखनऊ
32	पन्द्रह	416024	आशिष राय	— तदैव —
33	पन्द्रह	416046	प्रवेश चन्द्र	— तदैव —
34	पन्द्रह	416051	राणा धीरेन्द्र	— तदैव —
35	पन्द्रह	505738	राघवेन्द्र सिंह चौहान	पं० दीनदयाल हा० से० स्कूल, नवाबगंज, कानपुर

इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1988

(परीक्षाफल एक झलक में)

पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या

	संस्थागत			व्यक्तिगत			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	सम्पूर्ण योग
मेरठ	88883	30369	119252	37997	10808	48805	168057
बरेली	30298	10582	40880	16667	5384	22051	62931
इलाहाबाद	107364	28237	135601	45081	17343	62424	198025
वाराणसी	135750	27223	162973	38597	11153	49750	212723
योग	362295	96411	458706	138342	44688	183030	641736

सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या

	संस्थागत			व्यक्तिगत			
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	सम्पूर्ण योग
मेरठ	58703	29967	115670	30274	9137	39411	155081
बरेली	29411	10493	39904	13189	4614	17803	57707
इलाहाबाद	104107	27732	131839	37955	15354	53309	185148
वाराणसी	131715	26512	158227	32744	10030	42774	201001
योग	350936	94704	445640	114162	39135	153297	598937

उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या

	संस्थागत				व्यक्तिगत					
	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	बालक	प्रतिशत	बालिका	प्रतिशत	संपूर्ण योग	प्रतिशत
मेरठ	60119	70.1	26291	87.7	15050	49.7	5871	64.2	107331	69.2
बरेली	18812	63.96	8938	85.18	5494	41.65	2619	56.76	35863	62.14
इलाहाबाद	73596	70.6	24681	88.9	20362	53.6	10611	69.1	129250	69.8
वाराणसी	92298	70.07	23249	87.69	18573	56.72	7245	72.23	141365	70.33
योग	244825	69.76	83159	87.80	59479	52.10	26346	67.32	413809	69.09

इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1988
(परीक्षाफल एक दृष्टि में)

संस्थागत

परीक्षार्थी	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
बालक	362295	350936	244825	69.76
बालिका	96411	94704	83159	87.80
योग	458706	445640	327984	73.59

व्यक्तिगत

परीक्षार्थी	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
बालक	138342	114162	59479	52.10
बालिका	44688	39135	26346	67.32
योग	183030	153297	85825	55.98
सम्पूर्ण योग	641736	598937	413809	69.09

प्रथम पन्द्रह बालक एवं बालिकाओं की सम्मिलित श्रेष्ठता सूची (व्यावसायिक वर्ग को छोड़कर)
(इण्टरमीडिएट परीक्षा, 1988)

क्रम सं०	श्रेष्ठता क्रम	अनुक्रमांक	नाम	विद्यालय का नाम
1	एक	101697	कु० दीपाली	भायला इ० का० भायला, सहारनपुर
2	दो	237756	रंजन खन्ना	पं० दीनदयाल उपाध्याय इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
3	तीन	180715	रंजन बोस	महानगर ब्वायज इ० का०, लखनऊ
4	चार	237721	दिवास संडवाल	पं० दीनदयाल उपाध्याय इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
5	चार	134003	रितेश अग्रवाल	पारकर इ० का०, मुरादाबाद
6	चार	143919	हृदेश कुमार	के० एम० इ० का०, धामपुर, बिजनौर
7	पाँच	180638	आलोक पाण्डेय	महानगर ब्वायज इ० का०, लखनऊ
8	पाँच	133993	पुनीत कंसल	पारकर इ० का०, मुरादाबाद
9	छः	136770	कु० चारु अग्रवाल	एस०एम० इ० का०, चन्दौसी, मुरादाबाद
10	सात	237752	प्रवीण पाण्डेय	पं० दीनदयाल उपाध्याय इ० का०, नवाबगंज, कानपुर

11	आठ	360928	राकेश प्रताप सिंह	के० ई० राजकीय इ० का०, देवरिया
12	नौ	237880	मंजुल कृष्ण गुप्ता	बी० एन० एस० डी० इ० का०, कानपुर
13	नौ	270529	विकास	हिन्दू बी० इ० का० जसवन्तनगर, इटावा
14	दस	052727	ग्रीश कुमार शर्मा	डी० ए० वी० इ० का०, शिकारपुर, बुलन्दशहर
15	दस	095601	अमल गर्ग	एस० ए० एम० इ० का०, सहारनपुर
16	दस	095608	आशुतोष जैन	—तदैव—
17	दस	098143	कु० नीलम नेगी	गुरु नानक गर्ल्स इ० का०, सहारनपुर
18	दस	301253	आशीष कुमार पाण्डेय	रा० इ० का०, प्रतापगढ़
19	ग्यारह	154635	नवीन अग्रवाल	एम० जी० एन० पी० इ० कालेज, उझानी, बदायूं
20	ग्यारह	237750	प्रवीन मेहरोत्रा	पं० दीनदयाल उपाध्याय इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
21	बारह	087679	कु० इन्दु गुप्ता	एस० डी० इ० का०, मुजफ्फरनगर
22	बारह	237069	संजीव कुमार गुप्ता	बी० एन० एस० डी० इ० का०, कानपुर
23	बारह	237776	विजय कुमार सर्राफ	पं० दीनदयाल उपाध्याय इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
24	तेरह	180686	मनोज कुमार	महानगर ब्वायज इ० का०, लखनऊ
25	चौदह	059720	कु० वनीता गोखरू	सुशीला गर्ल्स इ० का०, गाजियाबाद
26	चौदह	180698	पियूष शुक्ला	महानगर ब्वायज इ० का०, लखनऊ
27	चौदह	183249	आकाश चौहान	काल्विन ताल्लुकेदार इ० का०, लखनऊ
28	चौदह	237761	संदीप मेहरोत्रा	पं० दीनदयाल उपाध्याय इ० का०, नवाबगंज, कानपुर
29	पन्द्रह	166159	अशीष श्रीवास्तव	सेक्रेड हार्ट इ० का०, सीतापुर

अध्ययन से पूर्ण मनुष्य, सम्मेलन से तैयार मनुष्य और लेखन से यथार्थ मनुष्य का निर्माण होता है।

— बेकन

अध्याय 3

माध्यमिक शिक्षा परिषद पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन—एक परिचय

पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एतदर्थ इन दोनों की महत्ता को देखते हुए मुदालियर आयोग (1952-53) ने अपनी संस्तुति में कहा है कि **"परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा प्रश्नपत्र में सुधार उतना ही आवश्यक है जितना परीक्षाओं का संचालन।"** इसी प्रकार कोठारी आयोग (1964-66) की संस्तुतियों के अध्याय—8 के अनुच्छेद 8·04 (1) में निम्नांकित आशय की संस्तुति की गयी थी :—

"पहली आवश्यकता क्रमिक पाठ्यचर्या शोध की है जिससे पाठ्यचर्या संशोधन का कार्य अव्यवस्थित तथा टुकड़ों में न होकर, जैसा कि आज अधिकतर राज्यों में हो रहा है, विशेषज्ञों की खोज के आधार पर समन्वित योजनाबद्ध रूप में किया जा सके। विश्वविद्यालयों, माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, राज्य शिक्षा संस्थानों तथा राज्य स्कूल शिक्षा परिषदों में इस प्रकार के शोध की सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। कतिपय पाठ्यचर्या विशेषज्ञों का राज्य स्कूल शिक्षा परिषदों में रखा जाना लाभकारी होगा जो राज्य मूल्यांकन संस्थान तथा राज्य शिक्षा संस्थान के सानिध्य सहयोग में कार्य करेंगे।"

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग तथा निरीक्षकों पर आक्रमण रोकने के उपाय हेतु गठित विधान परिषद समिति के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण सिंह ने शासन को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में कहा है कि **"प्रश्नपत्रों की प्रणाली और प्रकार में परिवर्तन होना चाहिए"** तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद के विषय में प्राप्त सुझाव में कहा है कि "इसके अन्तर्गत एक परीक्षा शोध समिति अथवा इकाई का होना आवश्यक है।"

परीक्षा संस्थाओं के साथ इस प्रकार की इकाई की स्थापना की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रोग्राम आफ ऐक्शन के पैरा 3 (ए) (IV) में भी निम्नवत् की गयी है :—

मूल्यांकन विधा का विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसे व्यावसायिक (Professional) आधार दिये जाने के लिए शिक्षा परिषदें शोध प्रारम्भ करने तथा मूल्यांकन विधा की प्रक्रिया का विकास करने तथा परीक्षा संचालन हेतु एक कंसोर्टियम बनाने पर विचार करेंगी।"

विभिन्न आयोगों एवं समितियों पर विचार करते हुए तथा इंग्लैण्ड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में शोध इकाइयों की स्थापना को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में मार्च, 1975 में इसी प्रकार की "पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग" की स्थापना राजाज्ञा सं० 950/152–14 (5) 73, दिनांक 25-2-75 द्वारा की गयी। इस अनुभाग की स्थापना के उद्देश्यों की परिकल्पना निम्नवत् की गयी थी :—

(1) परीक्षाफल उन्नयन हेतु ठोस सुझाव प्रेषित करना।

(2) पाठ्यक्रम शोध-सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।

(3) मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता हेतु प्रश्नपत्र-निर्माताओं तथा परिसीमन-कर्ताओं को गोष्ठी एवं कार्यशालाओं द्वारा प्रशिक्षित करना।

(4) परिषदीय समस्याओं का प्रायोजना के रूप में सर्वेक्षण कर समाधान प्रस्तुत करना।

उपर्युक्त परिकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग सतत प्रयत्नशील रहा है। प्रगति की दिशा में पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली से निरन्तर सहयोग प्राप्त कर तथा प्रदेश के बाहर तथा भीतर के शिक्षाविदों एवं विषय-विशेषज्ञों को कार्यशालाओं में आमंत्रित कर, कार्यशालाओं की संस्तुतियों के आधार पर नवीन योजनाओं की संकल्पनाओं को मूर्त स्वरूप प्रदान करता रहा है। इसके द्वारा स्थापना के विभिन्न उद्देश्यों पर आधारित किये गये कार्यों में से कुछ उल्लेखनीय कार्य निम्नवत् हैं :—

(1) परीक्षाफल उन्नयन तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हेतु किये गये प्रयास

(1.1) सैद्धान्तिक परीक्षा :

परीक्षाफल उन्नयन हेतु उद्देश्यमूलक प्रश्नपत्रों का विकास करना, परीक्षोपरान्त उनका विश्लेषण कर उसके आधार पर सुधार हेतु प्रश्नपत्र-निर्माताओं को निर्देश तैयार करना, परीक्षार्थियों के प्रश्नोत्तरों के आधार पर उन प्रकरणों की खोज करना जिनकी कक्षा-शिक्षण में विषयाध्यापक उपेक्षा करते हैं, छात्रों के प्रश्नोत्तरों का विश्लेषण कर उनमें अपेक्षित सुधार हेतु विषयाध्यापकों को विश्लेषण पुस्तिकाओं के माध्यम से बोध कराना आदि निम्नवत् कार्य किये जाते रहे हैं :—

(क) नये प्रकार के उद्देश्यमूलक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों का विकास :

1—छात्रों का सही मूल्यांकन करने हेतु प्रो० ब्लूम की तकनीक पर आधारित एन० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से प्रथम चरण में गणित एवं विज्ञान के उद्देश्यमूलक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों का विकास कर उन्हें वर्ष 1976 की परीक्षा से लागू किया गया, परीक्षा के पूर्व प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण कराकर प्रदेश के सभी विद्यालयों को भेजा गया।

2—द्वितीय चरण में भाषा, भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों में भी नये प्रकार के प्रश्न-पत्रों का विकास कर उन्हें वर्ष 1983-84 की परिषदीय परीक्षा में लागू किया गया, परीक्षा के पूर्व प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण कराकर अभ्यासार्थ प्रदेश के सभी विद्यालयों को भेजा गया।

3—तृतीय चरण में विज्ञान—1, सामाजिक विज्ञान एवं कतिपय लोकप्रिय वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्रों को भी इसी प्रकार की नयी विधा के आधार पर विकसित कर उन्हें वर्ष 1984 की परिषदीय परीक्षाओं से लागू किया गया। परीक्षा के पूर्व प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण कराकर अभ्यासार्थ प्रदेश के सभी विद्यालयों को भेजा गया।

(ख) नये प्रकार के प्रश्नपत्रों को संतुलित बनाने हेतु किये गये प्रयास :

परीक्षोपरान्त 3 वर्ष तक लगातार नये प्रकार के प्रश्नपत्रों की समीक्षा कर उनमें वांछित स्तर के अनुसार सुधार करने हेतु प्रश्नपत्र-निर्माताओं को निर्देश दिये गये।

(ग) परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं में प्रश्नोत्तरों का सर्वेक्षण कर कक्षा में विषयाध्यापकों द्वारा उपेक्षित प्रकरणों का पता लगाकर कक्षा-शिक्षण में सुधार हेतु किये गये प्रयास :

नये पाठ्यक्रमों को लागू करने पर छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं में उत्तरों का सर्वेक्षण कर उत्तरों में कमी तथा अध्यापकों द्वारा उपेक्षित प्रकरणों का पता लगाकर अध्यापकों को निर्देशित करने हेतु विश्लेषण-पुस्तिकाओं का निर्माण कराया गया तथा उन्हें प्रकाशित कर प्रदेश के सभी मान्यताप्राप्त विद्यालयों को भेजा गया।

(घ) व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा में सुधार हेतु किये गये प्रयास :

प्रदेश में व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा की 7 धाराओं (ट्रेड्स) के पाठ्यक्रम वर्ष 1985 से लागू किये गये तथा व्यावसायिक गृह विज्ञान शिक्षा की 4 धाराओं (ट्रेड्स) के पाठ्यक्रम वर्ष 1986 से लागू किये गये जिनकी परीक्षाओं के लिए उनके सभी प्रश्नपत्रों के उद्देश्यमूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों का विकास निम्नवत् कराया गया :—

1—व्यावसायिक वाणिज्य की शिक्षा के उद्देश्यमूलक नये प्रकार के प्रश्नपत्रों का विकास :

1. हिन्दी + अंग्रेजी	2 प्रश्नपत्र
2. सामान्य आधारिक विषय	1 प्रश्नपत्र
3. एकाउन्टेंसी	5 प्रश्नपत्र
4. बैंकिंग	5 प्रश्नपत्र
5. विपणन एवं विक्रय कला	5 प्रश्नपत्र
6. सहकारिता	5 प्रश्नपत्र
7. सचिवीय पद्धति	5 प्रश्नपत्र
8. आशुलिपि एवं टंकण	5 प्रश्नपत्र
9. टंकण	5 प्रश्नपत्र
	38 प्रश्नपत्र

2—व्यावसायिक गृह विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यमूलक नये प्रकार के प्रश्नपत्रों का विकास :

1. खाद्य संरक्षण	2 प्रश्नपत्र
2. परिधान रचना	2 प्रश्नपत्र
3. पाकशास्त्र	2 प्रश्नपत्र
4. धुलाई एवं रँगाई	2 प्रश्नपत्र
	8 प्रश्नपत्र

3—व्यावसायिक कृषि शिक्षा

उपर्युक्त की भाँति व्यावसायिक कृषि शिक्षा की 8 धाराओं के 8 प्रश्नपत्रों का विकास किया जा रहा है।

(1.2) प्रयोगात्मक परीक्षा :

(क) विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास :

वर्ष 1980-81 में एन० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से एक कार्यशाला आयोजित कर विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को और भी अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने की दिशा में प्रारूप तैयार किये गये जिन्हें विषय समितियों के अनुमोदनोपरान्त आंशिक रूप से लागू किया गया।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का विकास :

1—विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर एन० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से आयोजित कार्यशालाओं में व्यावसायिक वाणिज्य वर्ग की 7 धाराओं की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के स्वरूप का विकास किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर तथा प्रयोगशाला में किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण कर बाह्य एवं आंतरिक परीक्षा हेतु अंकों का भार निश्चित किया गया।

2—उपर्युक्त क्रम 2 के अनुसार व्यावसायिक गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का स्वरूप निर्धारित किया गया।

(1.3) छात्रों को अच्छे उत्तर लिखने की प्रेरणा हेतु किये गये प्रयास :

प्रदेश के छात्र-छात्राओं को प्रेरणा प्रदान करने के लिए शोध अनुभाग सन् 1980 से हाई स्कूल परीक्षाओं में योग्यता सूची में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषयों के चयनित उत्कृष्ट उत्तरों का "प्रतिभा-प्रसून" शीर्षक पुस्तिका में प्रकाशन करता है तथा प्रदेश के सभी मान्यता-प्राप्त विद्यालयों को प्रेषित करता है।

(2) पाठ्यक्रमों में शोध की दिशा में किये गये प्रयास

(2.1) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर गृह विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की तुलना अन्य प्रदेशों एवं देशों से कर, उत्तर प्रदेश के गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण किया गया।

(2.2) गणित एवं विज्ञान के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण कर विस्तृत पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी।

(2.3) गणित एवं विज्ञान के कठिन सम्बोधों पर कतिपय मोनोग्राफों की रचना की गयी।

(2.4) वर्ष 1982 से पूरे प्रदेश में लागू करने के पूर्व 10–वर्षीय सामान्य शिक्षा की नयी पाठ्यचर्या के स्वरूप की संकल्पना कर उसके अन्तर्गत निम्नवत् कार्य किये गये :—

1—गणित–1, विज्ञान–1 तथा सामाजिक विज्ञान नाम के संकल्पित नये तीन विषयों के पाठ्यक्रमों का विकास किया गया।

2—नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा विषय के पाठ्यक्रमों का विकास किया गया।

3—**शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण :** दस–वर्षीय सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत विज्ञान–1, सामाजिक विज्ञान तथा नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज-सेवा विषयों की शिक्षक निर्देशिकाओं को निर्मित कराकर प्रदेश के सभी विद्यालयों को प्रेषित किया गया।

4—इण्टरमीडिएट भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण किया गया।

5—10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के आठ ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं शिक्षा सत्र 1985-86 से उन्हें लागू किया गया।

6—10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक गृह विज्ञान विषय के चार ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं शिक्षा सत्र 1986-87 से उन्हें लागू किया गया।

7—10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत +2 स्तर पर व्यावसायिक कृषि के 8 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं शिक्षा सत्र 1987-88 से उन्हें लागू किया गया।

8—सम्प्रति हाईस्कूल स्तर पर विषयों में कार्यानुभव का अंश जोड़ने, खेलकूद-सहित इनके आन्तरिक मूल्यांकन की विधा प्रस्तुत करने तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर अन्य विषयों में व्यावसायिक शिक्षा के अंश जोड़ने तथा अलग से इसके कुछ ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों के विकास का कार्य चल रहा है।

9—व्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य आधारिक विषय तथा व्यावसायिक हिन्दी एवं व्यावसायिक अंग्रेजी विषयों की शिक्षक निर्देशिकाओं को निर्मित कराकर प्रदेश के सभी विद्यालयों को प्रेषित किया गया।

(3) शिक्षकों के बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु किये गये प्रयास

(3.1) 10–वर्षीय सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत विज्ञान–1 तथा सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों का प्रादेशिक स्तर पर प्रश्नपत्रवार बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गयीं।

(3.2) +2 स्तर पर व्यावसायिक वाणिज्य तथा व्यावसायिक गृह विज्ञान शिक्षा के अन्तर्गत 11 व्यवसायों (ट्रेड्स) के शिक्षक/शिक्षिकाओं की पाठ्यक्रम में बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गयीं।

(3.3) +2 स्तर पर व्यावसायिक वाणिज्य तथा व्यावसायिक गृह विज्ञान शिक्षा के 11 व्यवसायों के प्रतिदर्श प्रश्नपत्रों के निर्माण हेतु कार्यशालाएँ आयोजित की गयीं तथा उनमें शिक्षक/शिक्षिकाओं के बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा प्रकाशित सामग्री की वर्षवार संख्या

वर्ष		इण्टर	हाईस्कूल	योग
1976	शोधश्रृंखला (विज्ञान-गणित)	2	5	7
1977	,,	8	8	16
1978	,,	10	10	20
1979	अन्य विषय	—	—	11
1980	,,	—	—	11
1981	पुष्प	—	—	8
1982	,,	—	—	12
1983	,,	—	—	14
1984	,,	—	—	11
1985	,,	—	—	14
1986	,,	—	—	5
1987	,,	—	—	47
				कुल योग = 176

अध्याय 4

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय शिक्षा

संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति है, "शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्" अर्थात किसी भी धर्म (कर्तव्य) का पालन स्वस्थ शरीर से ही सम्भव है। महाभारत में कहा गया है कि **"प्रतिभा विलसति सबलशरीरे"**। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा के विषय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है—

> "खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं और इन्हें विद्यार्थियों की कार्य-सिद्धि के मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की राष्ट्रव्यापी अधोरचना को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपर्युक्त कथन के अनुसार विद्यालयों के छात्र/छात्राओं में समाजोपयोगी उत्पादक कार्यकलापों के अन्तर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामुदायिक कार्य और समाजसेवा सम्बन्धी वांछनीय प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों तथा आदतों के विकास हेतु स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया है।

सामान्यत: बालकों के सम्यक् शारीरिक और बौद्धिक सम्वर्द्धन के लिए, पोषण, स्वास्थ्य-रक्षा, एवं व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी अनुकूल परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। विद्यालयों के विद्यार्थियों के सन्तुलित विकास पर भावी पीढ़ी के स्वस्थ नागरिकों का विकास सम्भव है। अत: स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता शिक्षा का एक आवश्यक अंग है।

स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाकलापों का समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा समाजसेवा के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों में घर की स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ पर्यावरणीय स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसी प्रकार भोजन को प्रदूषण से बचाना तथा शरीर, वस्त्र, आवास-स्थल और परिवेश की स्वच्छता के सम्बन्ध में चेतना विकसित करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का आवश्यक अंग है।

सामूहिक तथा सामुदायिक स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाकलापों में श्रमदान का विशेष महत्त्व है। श्रमदान के आयोजन से विद्यालय के छात्रों में नई चेतना का विकास होगा। इसके साथ ही विद्यालय में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जिनमें कविता, एकांकी, गीत, लोकगीत आदि के माध्यम से छात्र-छात्राओं में मानसिक स्वास्थ्य की स्थापना की जा सके।

स्वास्थ्य शिक्षा के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आवश्यक हैं। हम दोनों बिन्दुओं पर विचार करेंगे।

हमारा शरीर

हमारा शरीर बड़ा अनोखा है। शरीर के अंग-अंग के क्रियाकलाप सब अनोखे हैं। आँख, नाक, कान, मुँह, जिह्वा, हाथ, पैर सबका अपना-अपना महत्त्व है। भोजन को खाने और पचाने में मुँह, आमाशय (पेट), छोटी आँत तथा बड़ी आँत सहायक होते हैं। मुँह से निकला पाचक रस (लार) भोजन को पचाने और मुलायम बनाने में सहायक होता है। इसलिए भोजन को निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना चाहिए। चबाया हुआ भोजन जब आमाशय (पेट) में पहुँचता है तब कई और पाचक रस इसमें मिल जाते हैं। ये रस तेजी से भोजन का पाचन करते

हैं। जब भोजन लेई जैसा हो जाता है, तो छोटी आँत से गुजरता हैं। तब भोजन का पचा हुआ अंश आँत की दीवाल द्वारा सोख लिया जाता है और वह रक्त में मिल जाता है। भोजन का शेष बिना पचा हुआ भाग बड़ी आँत से होता हुआ मलद्वार से मल के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है। अधिक मात्रा में भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके बजाय कम खाना और अधिक पचाना उपयोगी होता है। शारीरिक परिश्रम करने से पाचक रस अधिक बनते है, पाचन क्रिया आसान होती है।

हृदय शरीर का एक प्रमुख अंग हैं। हृदय शरीर के सभी अंगों में एक प्रकार की नलियों से खून भेजता है। इस खून में आक्सीजन तथा भोजन के पोषक तत्त्व पाये जाते हैं। यह अंगों में पहुँचकर उनके उपयोग के लिए रासायनिक ऊर्जा (शक्ति) का निर्माण करते हैं। इस खून को पहुँचाने के लिए पूरे शरीर में रक्त नलियों का जाल बिछा रहता है, इन्हें धमनी कहते हैं। अंगों से खून वापस हृदय में लाने के लिए दूसरी प्रकार की नलियों का जाल बिछा होता है, इन्हें शिरा कहा जाता है। शिराओं के रक्त में कार्बन डाइ-आक्साइड गैस घुली रहती है। रक्त को अंगों तक भेजने के लिए हृदय पम्प की तरह कार्य करता हैं। इसी से हृदय सदा धड़कता रहता है। सीने पर हाथ रखकर इसे अनुभव किया जा सकता हैं। हृदय हमारे लिए बिना आराम किये हमेशा काम करता रहता है। कलाई पर हाथ रखकर नाड़ी की धड़कन हम गिन सकते हैं। दिल की धड़कन ही नाड़ी की धड़कन है।

स्वस्थ आदमी की नाड़ी एक मिनट में लगभग 70-72 बार धड़कती हैं। बुखार की अवस्था में धड़कनों की संख्या बढ़ जाती है। दौड़ने, कसरत करने अथवा शारीरिक काम करने से धड़कनों की संख्या बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंगों को इस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग पाँच लीटर रक्त होता है। बीमार मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी होने पर स्वस्थ मनुष्य के रक्त को बीमार मनुष्य के शरीर में डाल दिया जाता है। स्वस्थ मनुष्य द्वारा दिये गये रक्त को रक्तदान कहते हैं। रक्तदान में केवल चौथाई लीटर रक्त निकालते हैं। इसके निकालने से स्वस्थ मनुष्य के शरीर को कोई नुक्सान नहीं होता। यह रक्त शरीर में फिर जल्दी ही बन जाता है। रक्त शरीर में हर समय बना करता हैं।

नाक से हम साँस लेते हैं। जब साँस भीतर खींचते हैं, तो सीना फूलता है। जब साँस निकालते हैं, तो सीना सिकुड़ता है। साँस लेने में हवा नाक में होकर अन्दर फेफड़े में चली जाती है। फेफड़ों की दीवालों पर बहुत-सी पतली-पतली रक्त-वाहनियाँ होती हैं जो हवा में से आक्सीजन गैस सोख लेती है। बदले में हवा कार्बन डाइ-आक्साइड गैस छोड़ देती है। कार्बन डाइ-आक्साइड गैस शरीर के लिए हानिकारक होती है। जब साँस बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइ-आक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। सांस हमेशा नाक से ही लेनी चाहिए। गहरी सांस स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

दौड़ने, व्यायाम करने तथा काम करने से साँस की गति बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा बनाने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए उस समय हमें जल्दी-जल्दी साँस लेनी पड़ती है। नियमित व्यायाम से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।

बुरा स्वास्थ्य अनेक शारीरिक एवं मानसिक कष्टों का कारण बनता हैं। अच्छा स्वास्थ्य ही प्रत्येक मनुष्य को स्फूर्ति, धैर्य एवं कठिन कार्य करने की प्रेरणा तथा शक्ति प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। प्राय: स्वास्थ्य का अर्थ "रोगों" से छुटकारा पाना समझा जाता है, किन्तु स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ है मनुष्य का सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से ठीक होना। शरीर के विभिन्न अंग पुष्ट और विकसित हों तथा उनमें कार्य करने की क्षमता हो, यही अच्छे स्वास्थ्य को पहचान हैं।

शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्त्व

शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्त्व निम्नवत् हैं :—

1. सन्तुलित आहार

हमें वह भोजन खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखने में सहायक हो। ऐसा भोजन हमारे शरीर एवं बुद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। शरीर के अंगों की मरम्मत करता है, रोगों से मुक्त रखता है तथा शक्ति (ऊर्जा) देता है।

2. रोगमुक्ति

बीमार व्यक्ति को सन्तुलित भोजन भी स्वस्थ नहीं बना सकता। इसके लिए स्वच्छता तथा छूत की बीमारियों से बचाव पर भी ध्यान देना होगा।

3. रहन-सहन तथा दिनचर्या

व्यक्ति की नियमित दिनचर्या, जैसे समय पर सोना और उठना, समय से भोजन करना, बुरी आदतों में न पड़ना, नशीली वस्तुओं, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन न करना आदि उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त घर की सफाई, आस-पास के वातावरण, जलवायु और शरीर की सफाई तथा व्यक्ति का रहन-सहन उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।

4. व्यायाम

व्यायाम करने से मांसपेशियाँ पुष्ट होती हैं। फेफड़े स्वस्थ्य रहते हैं जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त-संचार सही ढंग से होता रहता है।

5. विश्राम

शरीर को काम करने के पश्चात् आराम देना जरूरी है। अधिक थकान के समय भी काम करते रहने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः रात्रि में गहरी नींद सोना तथा दिन में कुछ देर शरीर को आराम देना जरूरी है।

मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्त्व

मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं :—

1. माता-पिता के मधुर सम्बन्ध।
2. सभी के लिए स्नेह का भाव होना।
3. बच्चों की आवश्यकता और रुचियों पर ध्यान देना।
4. उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना।
5. मनोरंजन के साधन का होना।
6. मधुर सामाजिक सम्बन्ध होना।
7. खेलकूद में भाग लेना।

स्वास्थ्य और स्वच्छता का सम्बन्ध

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भली प्रकार स्नान करना, मुँह, हाथ, पैर, नाखून एवं बालों की सफाई करना, नियम से शौच जाना, मनुष्य को स्वस्थ रखता है और उसके शरीर में हमेशा स्फूर्ति रखता है तथा मन भी प्रसन्न रहता है। भूख भी लगती है। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए :—

अच्छी आदतें

कार्य को नियमित करने से ही आदत बनती है। इसलिए नियम से प्रातः उठना, शौच जाना, कुल्ला एवं मंजन करना, स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, समय से और सन्तुलित भोजन करना, जल्दी सोना आदि की आदत डालनी चाहिए। इसी प्रकार मुँह ढँक कर न सोना, किसी का तौलिया, साबुन, कंघा आदि का प्रयोग न करना, नशीले पदार्थों का सेवन न करने की भी आदत डालनी चाहिए।

शारीरिक स्वच्छता

शरीर के प्रत्येक अंग को भली प्रकार साफ रखना, साफ कपड़े पहनना, समय से उन्हें साफ करना, अपने नाखून, बाल, आँख-दाँत को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए।

संतुलित आहार

आहार शरीर की प्रथम आवश्यकता है। बिना भोजन के हम जीवित ही नहीं रह सकते है। किन्तु भोजन का उद्देश्य केवल क्षुधा शांत करना ही नहीं अपितु हमारे शरीर की मिम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी, होना चाहिए, जैसे :—

1—जीवन सम्बन्धी क्रियाओं के लिए आवश्यक शक्ति।

2—शरीर की विनाशकारी क्रियाओं के निरन्तर होते रहने से जो क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति।

3—शरीर की वृद्धि।

4—वसा के रूप में संचित होना जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके।

5—शरीर के तापक्रम को ठीक रखना।

उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला आहार ही सन्तुलित आहार कहलाता है। यदि उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति भोजन द्वारा नहीं ही पाती है, तो हमारा पोषण नहीं होगा और आहार सन्तुलित भी नहीं कहलायेगा। अतः सन्तुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्त्व उचित मात्रा में होते हैं तथा शरीर की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करते है।

भोजन के पोषक तत्त्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन। इनमें प्रथम तीन ऊर्जा के स्रोत हैं और इन्हीं के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। इनकी मात्रा ठीक होने पर अन्य इनके साथ पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं।

भोजन में ऊर्जा देने वाली ये चीजें कितनी मात्रा में हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर कितनी ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि प्रतिदिन को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे भोजन में इन अवयवों की कितनी मात्रा होनी चाहिए।

2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर 4 कैलोरी ऊर्जा देती है।

6 ग्राम वसा जलने पर 9 कैलोरी ऊर्जा देती है।

1 ग्राम प्रोटीन जलने पर 4 कैलोरी ऊर्जा देती है।

उपर्युक्त तथ्य का ध्यान रखकर आहार विशेषज्ञ ने बच्चों एवं किशोरावस्था के बालक और बालिकाओं के लिए निम्न आहार तालिका संस्तुत की है :—

बच्चों के लिए संतुलित आहार

	पूर्व-विद्यालयी शिशु				विद्यालयी शिशु			
	1–3 वर्ष		4–5 वर्ष		7–9 वर्ष		10–12 वर्ष	
	निरामिष ग्राम	सामिष ग्राम	निरामिष ग्राम	सामिष ग्राम	निरामिष ग्राम	सामिष ग्राम	निरामिष ग्राम	सामिष ग्राम
अन्न	150	150	200	200	250	250	320	320
दालें	50	40	60	50	70	60	70	60
शाक-सब्जियाँ	50	50	75	75	75	75	100	100
आलू व कन्द	30	30	50	50	50	50	75	75
फल	50	50	50	50	50	50	50	50
दूध	300	200	250	200	250	200	250	250
वसा व तेल	20	20	25	25	30	30	35	35
मांस व मछली	—	30	—	30	—	30	—	30
घी	30	30	40	40	50	50	50	50

किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं के लिए सन्तुलित आहार

	बालक				बालिकाएँ	
	13–15 वर्ष		16–18 वर्ष		13–18 वर्ष	
	निरामिष	सामिष	निरामिष	सामिष	निरामिष	सामिष
अन्न	430	430	450	450	350	350
दालें	70	30	70	50	70	50
हरी शाक-सब्जियाँ	100	100	100	100	150	150
अन्य सब्जियाँ	75	75	75	75	75	75
आलू एवं कन्दफल	30	30	30	30	30	30
दूध	250	150	250	150	250	150
वसा एवं तेल	35	40	45	50	35	40
मांस-मछली	—	30	—	30	—	30
अण्डा	—	30	—	30	—	30
मूंगफली	—	—	50	50	—	—
चीनी	30	30	40	40	30	30

मूंगफली के स्थान पर 30 ग्राम वसा तथा तेल का विकल्प से प्रयोग किया जा सकता है ।

स्रोत—इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की 1968 की संस्तुति के आधार पर शिक्षकों से अपेक्षित है कि वह छात्रों को उपर्युक्त तथ्य से अवगत करायें ।

छात्रों को यह भी बताना आवश्यक है कि भोजन को पचाने के लिए शारीरिक परिश्रम के कार्य तथा व्यायाम आवश्यक हैं । अतः अपने द्वारा किये जाते वाले परिश्रम के अनुपात में भोजन की मात्रा को घटाना या बढ़ाना आवश्यक हैं ।

सही भोजन न करने से कई तरह के रोग लग जाते हैं, जैसे रतौन्धी, घेंघा, खून की कमी, सूखा रोग आदि । अब प्रश्न यह है कि अच्छा भोजन कैसे बनाया जाए । इसके लिए निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए :—

1. चोकर सहित आटे की रोटी बनायें ।
2. ताजी सब्जियाँ बनायें ।
3. सब्जियों को काटने से पहले धो लें और बड़े-बड़े टुकड़े काटें ।
4. जहाँ तक हो सके तरकारियों को छिलके सहित बनायें ।
5. पानी उतना ही डालें जितने में सब्जी गल जाए ।
6. मिले-जुले अनाज की रोटी बनायें ।
7. दाल वाले अनाज अंकुरित करके खायें ।
8. भोजन ढक कर बनायें ।
9. आलू की तरकारी बनाने से पहले उन्हें उबाल लें ।
10. मिली-जुली दाले पकायें ।
11. दूध ढक कर उबालें ।
12. जहाँ तक हो सके हाथ का कुटा चावल खायें ।
13. चावल का माँड़ न निकालें ।

मानसिक स्वास्थ्य

शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है । व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास के लिए दोनों ही आवश्यक हैं । मानसिक स्वास्थ्य के लिए सन्तुलित आहार-विहार को आवश्यक माना गया है । यहाँ इस सम्बन्ध में 24 सूत्र दिये जा रहे हैं । 8 आहार सम्बन्धी, 10 विहार सम्बन्धी और 6 मनःसन्तुलन सम्बन्धी । इसका अनुसरण निश्चय ही सुखद होगा ।

क—आहार-विहार

1. बहुमूल्य आहार एवं औषधियों के स्थान पर सामयिक ऋतु सम्बन्धी सस्ते और ताजे फल, हरी सब्जियाँ (गाजर, टमाटर आदि) और मोटे अनाजों को स्वीकार करना चाहिए ।

2. बिना कड़ी भूख लगे भोजन न करें, न ही ठूँस-ठूँस कर पेट भरें ।

3. आहार को अधिक पीसने, छानने और तलने से उसके प्राकृतिक गुण नष्ट हो जाते हैं । शाक-सब्जी उबालकर खायें ।

4. सप्ताह में एक दिन उपवास रखना चाहिए ।

5. खाद्य पदार्थों को सीलन, सड़न वाले स्थानों एवं बदबू वाले पात्रों में नहीं रखना चाहिए । सड़े-गले फल आदि को कभी नहीं खाना चाहिए ।

6. नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए ।

7. भोजन को रसीला बनाकर खाना चाहिए । कड़े भोजन को रसीला बनाकर खाना चाहिए । कड़े भोजन को इतना चबायें कि वह मुख की लार से रसीला हो जाए । याद रखें कि पानी भी आहार की तरह एक खुराक है । अत: पानी खूब पियें ।

8. यदि शारीरिक श्रम नहीं करना है, तो प्रात: भारी जलपान न करें ।

9. भोजन पचाने के लिए शारीरिक श्रम या खेलकूद आवश्यक है । कुछ नहीं तो पैदल ही चलना चाहिए ।

10. समय की कमी हो तो आसन, व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए ।

11. स्वास्थ्य-रक्षा के लिए उपयोगी, स्वादहीन आहार, हवादार मकान, सन्तुलित श्रम एवं प्रसन्न मन वाली हँसती-खेलती जिन्दगी जीना चाहिए ।

12. निवास चाहे सस्ते साधनों से बना हो या बहुमूल्य—हवादार, सीलनविहीन और खुला होना चाहिए ।

13. झुककर नहीं बैठना चाहिए । सीधे बैठने और गहरी साँस लेने की भी आदत डालनी चाहिए ।

14. वस्त्र साफ और केवल बदन ढकने के लिए होते चाहिए । बहुमूल्य, प्रदर्शनपूर्ण, कृत्रिम वस्त्र शरीर के लिए हानिकारक होते हैं ।

15. स्नान प्रतिदिन करें और प्रत्येक अंग को खूब साफ करें ।

16. जल्दी सोयें और जल्दी उठें । मुँह ढककर न सोयें ।

17. इन्द्रिय निग्रह करें । यह बल और दीर्घायु का स्रोत माना गया है ।

18. अति-यौनाचार और बहु-प्रजनन से बचें ।

ख—मानसिक सन्तुलन

1. घर में किसी के बीमार पड़ने पर घबड़ाना नहीं चाहिए । धैर्य रखें ।

2. हृदय और मस्तिष्क दोनों हीं शरीर के संचालक हैं । दोनों को विकारों से बचाना चाहिए ।

3. मिलनसार, हँसमुख, सेवा और सहयोग से पूर्ण स्वभाववाला बनना चाहिए । दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए । निन्दा मत कीजिए । अच्छा मित्र बनना चाहिए ।

4. जीवन सन्तोषपूर्ण होना चाहिए । जो उपलब्ध हो उससे प्रसन्न रहना चाहिए । असन्तुष्ट और अभावपूर्ण जीवन दुखदायी होता है ।

5. प्रतिकूल परिस्थितियाँ हर मनुष्य के जीवन में आती हैं । इससे घबड़ाना नहीं चाहिए । परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का साहस और प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवन को सुखद बनाने की आदत डालनी चाहिए ।

6. बेईमानी, चोरी, ठगी आदि अनीतियों से बचिए । अदीन रहकर नीति पूर्ण जीवन जीने की चेष्टा कीजिए ।

पर्यावरण ग्रौर स्वास्थ्य

हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव-जन्तु और पेड़-पौधे पाये जाते हैं। इनको जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए एक विशेष प्रकार के पर्यावरण की आवश्यकता होती है। पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भौतिक एवं जैविक व्यवस्था से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, बढ़ते-पनपते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं। मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहाँ की वायु, जल तथा मिट्टी का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इतना ही नहीं वरन् उसके आसपास के पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और कीट-पतंग भी उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। अनुकूल पर्यावरण हमारे जीवन के लिए उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद होता हैं और हम अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। कभी-कभी किन्हीं कारणों से हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं रह पाता। धूल, धुआँ, कूड़ा-करकट, गन्दगी, तेज ध्वनि में हम अधिक समय तक नहीं रह पाते। इसका कारण स्पष्ट है कि ये सब हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं।

मनुष्य प्राकृतिक सुव्यवस्था को, जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर रहता है, स्वयं की क्रियाओं द्वारा अव्यवस्थित या विघटित कर रहा है। इस विघटन की अभिव्यक्ति प्राकृतिक संकट के रूप में वायु-प्रदूषण, बाढ़, सूखा, बंजर, रेगिस्तान, जल-प्रदूषण, मृदा-प्रदूषण, एवं सांस्कृतिक संकट के रूप में वन-विनाश, जनसंख्या-वृद्धि, गरीबी, गंदी बस्तियाँ, ध्वनि-प्रदूषण के रूप में दिखायी पड़ती है। इनका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल पड़ता है। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है :—

वायु-प्रदूषण —

वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। शुद्ध वायु रक्त में आक्सीजन पहुँचा कर हमारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है। वायु में आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ही हमारे लिए उपयोगी है। खुले, हरेभरे वातावरण में इस प्रकार की वायु बड़ी सरलता से उपलब्ध होती है। परन्तु घनी आबादी वाले स्थानों में, घरों में लकड़ी कोयला आदि जलने से तथा कल-कारखानों, रेलगाड़ी, मोटर आदि के इंजनों से धुआँ एवं विषैली गैसों के निकलने से वातावरण की वायु में आक्सीजन की मात्रा घट जाती है और कार्बन मोनो-आक्साइड तथा कार्बन डाइ-आक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों गैसें हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। सामान्य स्थितियों में पेड़-पौधे इन्हें अपने में खींचकर आक्सीजन मुक्त करते हैं। 162 वर्गमीटर क्षेत्र वाला एक पीपल का पेड़ एक घंटे में 1792 कि०ग्रा० आक्सीजन छोड़ता है तथा 2252 कि०ग्रा० कार्बन डाइ-आक्साइड अपने में ले लेता है। किन्तु वन-विनाश के फलस्वरूप कार्बन डाइ-आक्साइड की मात्रा वायुमण्डल में बढ़ रही है। यह गैस धूप को गुजरने देती हैं किन्तु पृथ्वी के वायुमण्डल से ताप को पुनः विकलित नहीं होने देती। इस नाते ताप में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। अगले 30, 40 वर्षों में ताप में 3 से 5 डिग्री से० तक की वृद्धि हो जायेगी। फलस्वरूप शीतोष्ण क्षेत्र रेगिस्तान हो सकते हैं और ध्रुवों की बर्फ पिघल सकती है जिससे सागरतल ऊँचा हो जायेगा। प्रति वर्ष गोमुख और पिंडारी हिमनद क्रमशः 18 से 33 मीटर के हिसाब से पीछे खिसक रहे हैं। धूलयुक्त वायु भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसी प्रकार नालियों में गंदा पानी जमा रहने एवं कूड़ा-करकट पड़ा रहने से अनेक प्रकार के जीवाणु पनपते है और वायु को प्रदूषित करते हैं।

हमारे वातावरण में कुछ ऊँचाई पर 'ओजोन' (आक्सीजन के अणुओं) की एक परत हैं जो सूर्य की अल्ट्रा-वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये घातक किरणें उस परत में अवशोषित हो जाती है और दोषमुक्त धूप हमें प्राप्त होती है। सर्वेक्षण से पता चला है कि बहुत से उद्योगों से मुक्त होने वाली रसायन, खासकर फ्लोरोकार्बन, 'ओजोन' पट्टी में पहुँचकर रासायनिक प्रक्रिया से उसका क्षय करती है। यदि रसायनों के मुक्त होने की यही दर

रही, तो अगले 40 वर्षों में धरती की ओजोन पट्टी में 24% से 30% तक की क्षति हो सकती है, जो त्वचा कैंसर के रूप में मानव तथा पशुओं को क्षति पहुँचा सकती है। प्रदूषित वायु में हम अधिक समय तक आसानी से साँस नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार की वायु के दुष्परिणामस्वरूप खाँसी, दमा, टी० बी०, स्नोफीलिया, कैंसर आदि रोगों के होने का भय रहता है। इनका आँखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

जल-प्रदूषण —

जल ही जीवन हैं। जल मनुष्य तथा अन्य सभी जन्तुओं के लिए आवश्यक है। जब जल में ऐसे पदार्थ घुल जाते हैं जो पानी में नहीं पाये जाते हैं, तो ऐसा जल हानिकारक होता है एवं प्रदूषित जल कहलाता है। पानी को प्रदूषित करने वाले मुख्य तत्त्व फैक्ट्रियों और कारखानों से निकाला गया अनावश्यक द्रव्य एवं पदार्थ, शहर का कचारा, सीवेज, उपयोग के बाद घरों की रसोई एवं स्नानगृह की गन्दगी, बैक्टीरिया और अनेक विषाक्त पदार्थ हैं। इसके साथ ही पारा, सीसा, ताँबा, रोगों के जीवाणु तथा सोडा, राख आदि पानी को प्रदूषित करते हैं।

प्रदूषित जल के प्रयोग से अनेक बीमारियाँ होती हैं। कहा जाता है कि रोगों का 80% कारण प्रदूषित जल का प्रयोग हैं। दाद, खाज, खुजली, पीलिया, डायरिया, पेचिश आदि रोगों का एक प्रमुख कारण दूषित जल का प्रयोग है। सर्वेक्षण के आधार पर भारत में प्रति एक लाख व्यक्तियों पर 360 व्यक्तियों की मृत्यु का कारण अशुद्ध जल है। देश के लगभग 70 प्रतिशत जलस्रोत दूषित हैं और यही कारण है कि देश में हर दस व्यक्तियों में से 7 की मृत्यु का कारण हैजा, पेचिश, पीलिया आदि हैं जो दूषित पानी से फैलते हैं।

मृदा-प्रदूषण —

मृदा में प्राकृतिक रूप से कुछ तत्त्व पाये जाते हैं और इनका संतुलित मात्रा में होना आवश्यक होता है। परन्तु किन्ही 'कारणों' से जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, तो मृदा प्रदूषित हो जाती है।

मृदा-प्रदूषण का एक कारण रासायनिक कीट नाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना है। इस प्रकार से उगाये गये अन्न, फल अथवा साग-सब्जियों में भी इनका प्रभाव आ जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। रासायनिक खादों से उत्पन्न पर्यावरण समस्या के प्रति चिन्ता का सबसे बड़ा कारण नाइट्रेट का जमीन में रिसकर नीचे चले जाना है तथा भूमिगत जल प्रदूषित करना हैं।

वायु, जल, तथा मृदा प्रदूषण को रोकने में अथवा पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने में वृक्ष सर्वाधिक सहायक होते हैं। वनों की सुरक्षा करके हम बाढ़, सूखा, भू-क्षरण, भूस्खलन आदि समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। किसी भी स्थान के 33% भाग में वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप देश के 33% भू-भाग पर वन लगाने का संकल्प लिया गया है।

रेडियोधर्मी प्रदूषण —

परमाणु परीक्षणों से रेडियो धर्मी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण इस पीढ़ी के साथ आगे की पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है। विस्फोटों से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमण्डल की बाहरी पर्तो में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ वे बूंदों का रूप ले लेते हैं और बाद में छोटे-छोटे कणों के रूप में विकसित होते रहते हैं। ये वायु के साथ सारे संसार में फैल जाते हैं। इससे जल, वायु, मृदा का प्रदूषण हो रहा हैं। ये कैंसर जैसे भयंकर रोग उत्पन्न कर रहे हैं।

ध्वनि-प्रदूषण —

वातावरण में बढ़ रहा शोर "ध्वनि-प्रदूषण' है। वर्तमान सभ्यता में औद्योगिक क्रान्ति के साथ शोर की मात्रा में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। मोटरगाड़ियो के हार्न, रेलगाड़ी की सीटियाँ, कारखानों में मशीनों की

गड़गड़ाहट, निर्माण कार्यों में होने वाले तोड़-फोड़, बाजे-गाजे की तेज धुनें कानों को तीखी ही नहीं लगतीं वरन् स्वास्थ्य के लिए घातक भी होती है ।

वैज्ञानिकों ने अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकाला है कि 75 डी० बी० से ऊपर की ध्वनि का प्रभाव लम्बे समय तक रहने से व्यक्ति बहरा हो सकता है । ध्वनि-प्रदूषण से कार्यक्षमता में कमी आती है तथा मनुष्य में झुंझलाहट, शारीरिक एवं मानसिक तनाव तथा आमाशय पर भी कुप्रभाव पड़ता है ।

वैज्ञानिकों का विचार है कि दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों में शोर भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है । अनुसंधान से पता चला है कि पर्यावरण में शोर की तीव्रता प्रत्येक 10 वर्षों में दुगुनी होती जा रही है ।

स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये सभी घटक पर्यावरण सें सम्बन्धित हैं । तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण का जो अविवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है उससे समग्र विश्व चिन्तित है । 1948 में प्रकृति संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना के बाद से आज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण, विकास एवं पुनर्वास के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

एक ओर समुदाय में पर्यावरणीय सजगता के विकास की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर बच्चों में भी प्रारम्भ से ही पर्यावरण के प्रति सजगता और उसके संरक्षण-अनुरक्षण के लिए आवश्यक ज्ञान, अभिवृत्तियों-आदतों एवं कौशलों के विकास की आवश्यकता है । योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने अपनी संस्तुति में कहा है कि "दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्यों के लिए पर्यावरणीय चेतना का त्वरित गति से प्रसार करना आवश्यक होगा ।" इस कार्यकारी दल द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाने की भी संस्तुति की गई है ।

पर्यावरणीय शिक्षा :—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरणीय शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह विचार व्यक्त किया गया है कि—

'पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने की परम आवश्यकता है। यह बच्चों से प्रारम्भ होकर सभी वर्गों एवं सभी वय-वर्गों में होनी चाहिए । पर्यावरणीय चेतना विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षण का अंग बने । इस पक्ष को समस्त शैक्षिक प्रक्रिया में एकीकृत किया जायेगा ।'

योजना आयोग की पर्वतीय विकास परामर्शदात्री समिति द्वारा एक उपसमिति का गठन पारिस्थितिकी एवं विकास तथा अन्य संबन्धित बिन्दुओं को समाहित करते हुए पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री एवं कार्यनीति पर विचार करने के लिए किया गया था । इस उपसमिति का विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पर्यावरणीय शिक्षा को शिक्षा के निम्नतम स्तर से ही बीज पाठ्यक्रम का अंग बनाने से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, किन्तु प्रभाव की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री क्षेत्र-विशेष की पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में कितनी प्रासंगिक एवं अर्थपूर्ण है । समिति का यह भी विचार था कि यदि पर्यावरणीय अपविकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को उससे होने वाली हानियों का प्रतिकार करना है, तो यह अति आवश्यक है कि प्रस्तावित पर्यावरणीय शिक्षा सशक्त, स्थान विशेष के लिए प्रासंगिक एवं सामूहिकता की भावना को पल्लवित करने वाली हो ।

इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में पर्यावरणीय शिक्षा को विभिन्न स्तरीय पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा सम्बोधों को सामाजिक विषय में रखने की योजना है । प्राइमरी स्तर की कक्षा 3, 4, 5, के लिए जनपद विशिष्टताधारित सामग्री पूरक पाठ्य-पुस्तक के रूप में रखने का विचार है ।

इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा से सम्बन्धित प्रकरण वर्तमान पाठ्यक्रम में हैं। अतः यह सोचा गया है कि जूनियर हाईस्कूल स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा से सम्बन्धित क्षेत्रधारित सामग्री विकसित करके एक अलग पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाय।

हाईस्कूल स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा से सम्बन्धित सम्बोधों के समायोजन के सम्बन्ध में हुए प्रारम्भिक विचार-विमर्श के अनुसार इसे सामाजिक विज्ञान विषय में समाहित करने का निर्णय लिया गया था। इस स्तर पर निम्नलिखित प्रकरणों को पाठ्यक्रम में रखना प्रस्तावित हैं—

पर्यावरणीय शिक्षा-पाठ्यक्रम की रूपरेखा

कक्षा 9–10

प्रकरण	कालांश
1. पृथ्वी पर हमारा घर	
(क) भौतिक एवं जलवायु सम्बन्धी विशेषताएं	2
(ख) वृहत् जीवोम और प्रत्येक में विकसित जीवनयापन की प्रक्रिया	2
(ग) कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्योग, व्यापार एवं नगरीकरण का विकास	2
(घ) विश्व की जनसंख्या : प्राकृतिक संसाधनों की प्रवृत्ति, जनसंख्या-वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य रक्षा, औषधि, यातायात, वृद्धावस्था में सुरक्षा आदि।	2
2. भारत उपमहाद्वीप : धरातलीय बनावट, मौसम, मृदा, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग, जनसंख्या	
(क) सामान्य	3
(ख) विशिष्ट क्षेत्र	3
3. पर्यावरणीय सम्बोध	
(क) पारिस्थितिकी, मृदा, वायु, जल, पेड़-पौधे, पशु और मानव संबंध	5
(ख) भारतीय उपमहाद्वीप की मानव-निर्मित कृषि पारिस्थितिकी	2
(ग) धारण क्षमता	3
(घ) प्रदूषण का प्रभाव (औद्योगिक एवं मानवकृत)	2
4. पर्यावरणीय ह्रास	
(क) विश्व	2
(ख) भारतीय उपमहाद्वीप	4
(ग) विशिष्ट क्षेत्र	5
5. पर्यावरणीय पुनर्वास	
(क) सिद्धान्त	2
(ख) पुनः वृक्षारोपण	4
(ग) जल प्रबन्ध	2
(घ) कृषि	2
(ङ) जनसंख्या नियन्त्रण	—
(च) नगरीय एवम् औद्योगिक प्रदूषण पर नियन्त्रण	2

प्रयोगात्मक **अर्द्धकार्य दिवस**

1. प्रश्नावली की सहायता से घर एवं गाँव का सर्वेक्षण तथा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण 2
2. पौध तैयार करना (अभ्यास के लिए)
3. गाँव के निवासियों की सहायता से ग्राम जंगल के क्षेत्र में वृक्षारोपण ।
4. कृषि, भूमि एवं वन-क्षेत्र का मापन, उपज को तौलना तथा प्रति एकड़ उपज की गणना करना । घास और वृक्षों की पत्तियों को तौलना, बिछाने के लिए पत्तियाँ और offtakes की गणना । 2
5. खेतों में दी जाने वाली खाद की तौल और प्रयोग की दर ज्ञात करना । 1
6. प्रयोगशाला में चारे और खाद के सूखे तत्त्वों का निर्धारण और offtakes तथा प्रयोग की दर का पता लगाना । 1
7. गाँव के वन-क्षेत्र में पेड़ और घास से ढके क्षेत्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात करना । 1
8. गाँवों में चारा खराब न होने वाली चरही का निर्माण एवं पशुओं को दिये जाने वाले चारे की तौल ।
9. गाँवों में सुधरे चूल्हों का निर्माण और उनमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन की तौल या माप करना । 1
10. गाँव के जलस्रोतों का सर्वेक्षण और सिंचन क्षमता का अनुमान । 2
11. वर्षा का अभिलेखन, छत से बहने वाले जल की मात्रा की गणना, जलसंचय के टैंकों की माप और उनकी लागत । 2
12. बैलों के काम करने के समय का अभिलेखन, प्रयोग की वर्तमान दर और लागत ज्ञात करना । (चारा एवं दुग्ध उत्पादन के सन्दर्भ में) 2
13. वनों में आग से नियंत्रण के उपायों का अभ्यास । 1
14. एक गाँव की वास्तविक धारण-क्षमता की गणना करना ।
15. अच्छे प्राकृतिक वन, अच्छे ईंधन और चरागाह के रोपण, भूसंरक्षण कार्य, वर्षा जल संग्रहण, सड़क निर्माण के अच्छे और खराब तरीकों का प्रेक्षण आदि हेतु क्षेत्रभ्रमण ।

पर्यावरण के संरक्षण, विकास और पुनर्वास का प्रश्न आज स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, वरन् प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन गया है । शिक्षा को शांतिपूर्ण परिवर्तन का सशक्त एवं प्रभावी साधन माना जाता है । अत: इस सम्बन्ध में भी शिक्षा को पहल करनी होगी कि लोगों में और विशेषकर बच्चों में प्रारम्भ से ही पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ-साथ उनमें आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जाय ।

अध्याय 5

योगाभ्यास

शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए

शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता को दूर करने के लिए तथा सामान्य रूप से शरीर के रक्षार्थ योगाभ्यास एक आदर्श प्रक्रिया है। इससे शरीर और मन तो स्वस्थ होता ही है, आत्म निर्भरता और निश्चय की भावना भी अनिवार्य रूप से विकसित होती है। एक स्वस्थ, शांत श्वसन के लिए, चित्त शान्ति के लिए तथा दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जीवन के प्रति निष्ठा, सत्य और धैर्य—ये सभी अपरिहार्य तत्व हैं। इसी में योग के परम्परागत गुण अन्तर्निहित हैं।

व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा शरीर एवं मन के प्रभावों से ऊपर उठ जाता है। शरीर एवं मन का क्षेत्र समस्या का क्षेत्र है। चेतना का क्षेत्र समस्या रहित क्षेत्र हैं। योग साधना का तात्पर्य यह है कि वह चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील है। सर्वाधिक लोकप्रिय साधना जिसको मूल रूप से अष्टांग योग साधना के नाम से जाना जाता है। यम, नियम के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष तब स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान उत्तिष्ठान आते हैं। किसी व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए ये मूल्य अपरिहार्य रूप से आवश्यक हैं। समाज की धारणा बिना इन सद्गुणों के असम्भव है। इनके अभाव में योग में प्रवेश का प्रश्न नहीं उठता। इसके स्थान पर भटकाव ही हाथ लगेगा। बिना यम, नियम, साधना के योगाभ्यास नटों की कसरत जैसा रहेगा। इन साधनाओं के पश्चात् आसन एवं प्राणायाम की साधना आती हैं। मनुष्य स्वस्थ रह सके, मन को अनुशासित कर सके, इसके लिए आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास आता है। आजकल योगासन एवं प्राणायाम ही मुख्य साधना के अंग समझे जाते हैं। योग चिकित्सा अपने आप में आकर्षण बनती जा रही है।

योगासन के अभ्यास से एक सुडौल (Body with a good posture) शरीर प्राप्त होता है। शरीर के अवयव लगातार प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। शरीर को एक साधन के रूप में विकास करने में सुविधा होती है। शरीर की भूख कम हो जाती है। वह अब विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार हो जाता है। नियमित अभ्यास से शरीर के अन्दर छिपी शक्तियों एवं रहस्यों से व्यक्ति परिचित हो जाता है। इस कारण व्याधि एवं द्वन्द्वों से मुक्त ही जाता है।

प्राणायाम के अभ्यास से फेफड़े विकसित हो जाते हैं। हमारा नाड़ी मण्डल शुद्ध हो जाता है। अब हमारी मांग क्षुद्र और छोटी नहीं रह जाती। संवेगों की मार से मुक्तता हो जाती हैं। मस्तिष्क प्रभावी ढंग से क्रियाशील हो जाता है। प्रत्येक पोर तक शक्ति प्रवाह बहने लगता है।

प्रत्याहार साधना हमको वाह्य वस्तुओं एवं व्यक्तियों से मिलने वाले क्षणिक सुख की ओर से मोड़कर अन्तरंग सुख की ओर यात्रा के लिए प्रोत्साहित करती है। मनुष्य जब तक इन्द्रियों के द्वारा आस्वाद लेता रहेगा, उसे कमजोर होने से, अप्रभावी होने से कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए इन्द्रियां कहां से अपना सामर्थ्य ग्रहण करती हैं उस ओर मोड़ना आवश्यक है। यहीं से योग का प्रभावी क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है।

धारणा, ध्यान अष्टांग योग में अन्तरंग साधना में आते हैं। मनुष्य जब यह करने में सफल हो जाता है कि जो कुछ चला रहा है, उसके पीछे एक अव्यक्त सत्ता कार्य कर रही है। मेरा एवं इस विश्व की उत्पत्ति का वही प्रभावी केन्द्र है। इस केन्द्र की ओर बढ़ना एवं वहाँ आरूढ़ होना योगारूढ़ होना कहा जाता है। एक बार हम समाधि चेतना पा सकें फिर

हम उन चीजों में नहीं फंसेंगे जहाँ फंसने के कारण व्यक्ति कमजोर, अक्षम एवं अपमानित होता है। हमें पता है कि कुरुक्षेत्र के समरांगण में शस्त्र सज्जित सेनाओं के बीच महापराक्रमी अर्जुन अपने को निःसहाय अनुभव करता है। उसका मन एवं बुद्धि कार्य करना बन्द कर देते हैं तब उसे श्रीकृष्ण चेतना से, योग चेतना से मुक्त होने, करने के लिये उपदेश देते हैं। योगस्थ होने पर अब अर्जुन प्रभावी ढंग से न केवल युद्ध जीतता है बल्कि उसे यह भी ध्यान में रहता है कि वह तो इस विश्व में परमात्मा के हाथ कार्य मात्र है।

संक्षेप में यदि कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि अष्टांग योग साधना से मनुष्य का मन प्रशान्त हो जाता है, वह आधि-व्याधि से मुक्त हो अपनी आस-पास की परिस्थितियों को वश में कर प्रभावी बन जाता है।

योगाभ्यास के लिए आवश्यक हैं—साधक में अनुशासन, विश्वास, जीवट और निरन्तर नियमित अभ्यास। इस संबंध में प्रमुख स्मरणीय विन्दु निम्नवत् हैं :—

स्वच्छता और भोजन—आसनों के अभ्यास के पूर्व मूत्राशय रिक्त होना चाहिए और आंत खाली होना चाहिए।

स्नान—आसन के पूर्व और बाद में स्नान शरीर और चित्त को प्रफुल्लित करता है।

अन्न—खाली पेट ही आसन किया जाना चाहिए और आधा घण्टे बाद ही भोजन करना चाहिए। स्वल्प भोजन के एक घण्टे बाद व भरपेट भोजन के चार घण्टे बाद ही अभ्यास करना चाहिए।

समय—आसन के लिए सूर्योदय के पूर्व या सूर्यास्त के बाद का ही समय उचित होता है।

धूप—कई घण्टे धूप में रहने के बाद आसनों का अभ्यास न करें।

सावधानी—

(1) अभ्यास के समय श्वासोच्छ्वास में अथवा मुख की मांसपेशियों, कानों और आंखों में अनुचित श्रम का (ऐंठना, मरोड़ना, तानना, कसकर फैलाना इत्यादि) अनुभव न करना चाहिए।

(2) प्रारम्भ में आंखें खुली रखें। तब आप जान सकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं जब आपका पर्याप्त अनुभव हो जाय तब आप आँखें बन्द कर सकते हैं।

(3) आसनों का अभ्यास करते समय केवल शरीर को सक्रिय रहना चाहिए जबकि मस्तिष्क को निष्क्रिय, मगर सतर्क, सावधान और सजग रहना चाहिए।

(4) सभी आसनों में श्वास क्रिया केवल नाक से होनी चाहिए न कि मुँह से।

(5) आसनों के अभ्यास को पूर्ण करने के बाद हमेशा 10 से 15 मिनट तक शवासन में लेट जाएं—इससे थकान मिट जायेगी।

(6) रक्तचाप और चक्कर से पीड़ित व्यक्ति को शीर्षासन तथा सर्वांगासन न करना चाहिए। जो व्यक्ति कानों में मवाद अथवा स्थलातरित चक्षुपटल से पीड़ित हों, उन्हें उलट-पुलट स्थितियों के आसनों का प्रयास नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक ऋतु स्राव के समय आसन नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त बातों पर ध्यान रखते हुए आसन करने की सही रीति से शरीर और मन में हलकापन और प्रफुल्लता का अनुभव होता है और शरीर, मन तथा आत्मा की एकरूपता का अनुभव होता है। निरन्तर अभ्यास से साधक में आहार, स्वच्छता और शील के संबंध में नया दृष्टिकोण विकसित होता है, अनुशासन प्रिय होता है और उसमें सहज आत्म निरीक्षण की शक्ति जागृत होती है।

अध्यापक-अध्यापिकाओं, छात्र-छात्राओं के लिए कतिपय महत्वपूर्ण आसन निम्नवत् हैं :—

मस्तिष्क के लिए उपयोगी	—शीर्षासन, सर्वांगासन, अधोमुख श्वानासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, कूर्मासन एवं सुप्त कूर्मासन, योग निद्रासन, उर्ध्व धनुरासन, विपरीत चक्रासन, द्विपाद विपरीत दण्डासन, एकपाद विपरीत दण्डासन, वृश्चिकासन, शीर्षपादासन, गण्डमेरुण्डासन, विपरीत शलभासन, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन, भस्त्रिका, शीतली प्राणायाम, शवासन ।
स्मृतिनाश	—शीर्षासन, सर्वांगासन, उत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, उर्ध्वमुख पश्चिमोत्तानासन, त्राटक, अन्तर कुम्भक के साथ नाड़ीशोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम ।
निद्रानाश	—शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, बिना कुम्भक के भस्त्रिका, नाड़ी शोधन तथा सूर्य भेदन प्राणायाम, षण्मुखी मुद्रा शवासन ।
सिर दर्द	—सालम्ब शीर्षासन, सालम्ब सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तानासन, बिना कुम्भक के नाड़ी शोधन प्राणायाम, शवासन ।
कोष्ठ बद्धता	—शीर्षासन, सर्वांगासन, खड़े रहने की स्थिति के सब आसन, उत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन जठर परिवर्तनासन, नाड़ी शोधन प्राणायाम ।
अजीर्ण	—खड़े रहने की स्थिति के सब आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, जठर परिवर्तनासन, उर्ध्व प्रसारित पादासन, परिपूर्ण नावासन, अर्ध नावासन, महामुद्रा, शलभासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, योगनिद्रासन, मरीच्यासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, पाशासन, परिपूर्ण मत्स्येन्द्रासन, सुप्त वीरासन, उड्डीयान, नौली, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ीशोधन प्राणायाम ।
आलस्य	—सालम्ब शीर्षासन, सालम्ब सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, उर्ध्वमुख, पश्चिमोत्तानासन, अधोमुख श्वानासन, उत्तानासन, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, पाशासन, मालासन, द्विपाद विपरीत दण्डासन, बिना कुम्भक के नाड़ी शोधन प्राणायाम ।

किसी विशेष उद्देश्य से या किसी व्याधि की चिकित्सा के लिए ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से भी विद्यालयों में कुछ आसनों का अभ्यास कराया जाना चाहिए । इन समस्त आसनों की सही विधि, नियम, इनके विभिन्न चरण व रूप का ज्ञान अध्यापकों को विभिन्न आयोजित शिविरों में कराया जा चुका है । आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध किसी स्तरीय ग्रन्थ में विशेष संदर्भ प्राप्त किया जा सकता है ।

खड़े होकर किये जाने वाले आसन—

1—अर्द्धकटि चक्रासन, 2—वृक्षासन, 3—हस्तपादासन, 4—त्रिकोणासन, 5—परिवृत्त त्रिकोणासन, 6—गरुड़ासन ।

बैठकर किये जाने वाले आसन—

1—पद्मासन, 2—पर्वतासन, 3—वज्रासन, 4—सिद्धासन, 5—उष्ट्रासन, 6—पश्चिमोत्तानासन, 7—अर्द्धमत्स्येन्द्रासन, 8—योगमुद्रा, 9—बद्धपद्मासन, 10—सिंहासन, 11—गोमुखासन, 12—आकर्णधनुरासन, 13—उपविष्टकोणासन, 14—वक्रासन ।

पेट के बल लेटकर किये जाने वाले आसन—

1—सर्पासन, 2—शलभासन, 3—धनुरासन, 4—नौकासन, 5—मकरासन ।

पीठ के बल किये जाने वाले आसन—

1—शवासन, 2—पवन मुक्तासन, 3—सर्वांगासन, 4—मत्स्यासन, 5—हलासन ।

प्राणायाम—

1—नाड़ीशोधन, 2—भस्त्रिका, 3—कपालभांति, 4—शीतली, 5—भ्रामरी ।

सूर्य नमस्कार—

विद्यालयों में योगाभ्यास—

यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये कि छात्र विद्यालय प्रारम्भ के समय भोजन करके आते हैं, आसन खाली पेट करना चाहिये । हम छात्रों को आसन सिखाते हैं । उनका अभ्यास नहीं कराते । विद्यालय में अभ्यास कराना संभव भी नहीं है । अतः विद्यालय के प्रारम्भ से अन्तिम वेला तक आसन सिखाया जा सकता है । छात्रों को प्रेरित किया जाय कि आसनों का नित्य अभ्यास घर पर करें ।

प्राणायाम, ओंकार, ध्यान तो प्रार्थना स्थल पर प्रत्येक कक्षा के प्रारम्भ तथा अन्त में कराया जा सकता है । छात्र इनका भी पूर्ण अभ्यास घर पर ही कर सकते हैं । विद्यालय संकुलों का सामूहिक कार्यक्रम तथा उनका अनुश्रवण भी आवश्यक होगा । यदि सम्भव हो विद्यालय का एक कक्ष योगाभ्यास हेतु मुक्त रखा जाय चाहे उस कक्षा का शिक्षण कार्य बाहर ही क्यों न लगाना पड़े ।

छात्र-छात्राओं को हम जो अभ्यास आज करायेंगे उसका परिणाम कुछ तो एकाध माह बाद ही दृष्टिगोचर होने लगेगा । जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जायगा, छात्र को आनन्द की अनुभूति बढ़ती जायगी और वह स्वतः स्फूर्त भाव से सब अभ्यास करने लगेगा ।

योगाभ्यास के फलस्वरूप क्रमशः छात्र-छात्राओं में स्वतः अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित होगी, वे शरीर और मन से अनुशासित, नियमित और नियंत्रित रहने के अभ्यस्त बनेंगे और उनमें स्वतः आत्म निरीक्षण करने की क्षमता का विकास होगा । प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या इन कार्यक्रमों को विद्यालयों में नियमित रूप से आयोजित करायें और सत्रांत में इनके फलस्वरूप छात्र-छात्राओं के आचरण, व्यवहार शरीर सौष्ठव, मानसिक विकास आदि का मूल्यांकन करें ।

अध्यापक के जीवन में इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती कि उसके विद्यार्थी उसको मान-समान दें, श्रद्धा दें । विद्यार्थियों से प्राप्त श्रद्धा, प्रेम और सम्मान ही अध्यापक के जीवन की सबसे बड़ी निधि है ।

अध्याय 6

माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालय

—स्वाध्याय के प्रेरणास्रोत

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अन्तर्गत पुस्तक तथा पुस्तकालय के स्तर को सुधारने तथा पठन-पाठन की सुविधाओं को समुन्नत करने के लिए विशेष प्रयास किये जाने की संकल्पना व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में कहा गया है :—

8.8 "जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे। साथ ही पुस्तकों की गुणात्मकता को सुधारने, पढ़ने की आदत का विकास करने और सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे। लेखकों के हित की रक्षा की जायगी। विदेशी पुस्तकों के भारतीय भाषाओं में अच्छे अनुवादों को सहायता दी जायगी। बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इनमें पाठ्यपुस्तकें और अभ्यास पुस्तकें भी सम्मिलित होंगी।"

8.9 "पुस्तकों के विकास के साथ-साथ मौजूदा पुस्तकालयों के सुधार के लिए और नये पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जायगा। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रावधान किया जाएगा और पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर को सुधारा जायगा।"

इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय पर विचार करते समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निम्न वचन भी उल्लेखनीय हैं :—

3.7 "युवावर्ग को अपनी कल्पना और सूझबूझ के अनुसार देश की महिमा और गरिमा पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा।"

4.13 (ज) "स्वाध्याय और स्वयं-शिक्षण में सहायता की व्यवस्था।"

5.14 "जिन बच्चों में विशेष प्रतिभा या अभिरूचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराकर अधिक तेजी से आगे बढ़ने के अवसर दिये जाने चाहिये।"

8.2 "शिक्षा की पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषयवस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जायगा।"

विद्यालय पुस्तकालय मात्र शिक्षण की परिधि में प्राप्त होने वाले ज्ञान के निमित्त ही नहीं है अपितु व्यापक ज्ञान की आधारशिला है। यह छात्रों में स्वयं अपनी रुचि, आवश्यकता एवं सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप चयन की क्षमता उत्पन्न करता है। विद्यालय पुस्तकालय का सामान्य कार्य उच्चकोटि के आदर्श की ओर विद्यार्थियों को आकृष्ट कर उन्हें सुविचारित एवं विवेकपूर्ण भविष्य का मार्ग दिखाता है तथा उसके मूलभूत विचारों को उत्साहित कर उसे सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है।

नई शिक्षा नीति और भविष्य की संकल्पनाओं के संदर्भ में यह आवश्यक समझा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में एक सम्पन्न पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय का स्थान निम्न तीन कारणों से विशेष महत्त्वपूर्ण हो जाता है—

1—पुस्तकालय विद्यालय में स्वाध्याय का केन्द्र होता है। स्वाध्याय चाहे ज्ञान वृद्धि के लिए हो या मनोरंजन अथवा किसी साधारण जानकारी के लिए केवल पुस्तकालय में ही सम्भव हो सकता है। स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने, स्वाध्याय की स्थायी आदत डालने और पाठान्तर क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से पूरा करना एक पुस्तकालय द्वारा ही सम्भव हो सकता हैं।

2—शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए पुस्तकालय संदर्भ का केन्द्र है। शिक्षक को अपने विषय के प्रतिपादन और कक्षा शिक्षण के लिए अपने विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है और एक विषय के लिये अनेक संदर्भ देखने पड़ते हैं। यह उसके कक्षा शिक्षण को उत्कृष्ट बनाने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय के नवीनतम शोध और नई-नई मान्यताओं से परिचित रहें। इसी प्रकार कक्षा शिक्षण के समय वह छात्रों को उस विषय के पूरक ग्रन्थों का, अध्ययन सामग्री का विवरण देता है। छात्र यह संदर्भ पुस्तकालय से प्राप्त करते है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पुस्तकालय संदर्भ का एक मात्र साधन है।

3—विद्यालय पुस्तकालय का क्षेत्र केवल विद्यालय तक ही सीमित न रहना चाहिए। यह समाज का एक सशक्त सांस्कृतिक केन्द्र बन सके इसके लिए इसकी सेवायें पुरा छात्रों एवं अभिभावकों को भी सुलभ होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन गठित हो चुके हैं और विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था से अभिभावकों का सतत सम्पर्क स्थापित हो चुका है। विद्यालय के पुस्तकालय से उन्हें अध्ययन की सुविधा प्रदान करना एक लाभकारी कदम होगा क्योंकि इससे वे भी पुस्तकालय को समृद्ध करने, इसकी सुविधाओं और सेवा को समुन्नत करने तथा सामान्य समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेंगे और अपने पाल्यों के अध्ययन में उनकी अधिक सहायता कर सकेंगे।

वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अधिकांशत: पुस्तकालय का कार्य पुस्तकालय विज्ञान में अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, लिपिक संवर्गीय व्यक्तियों द्वारा या शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति में यथाशीघ्र सुधार करने एवं स्वाध्याय सुविधाओं को समुन्नत करने की दृष्टि से विभाग द्वारा यह निश्चित किया गया कि इस समय कार्यरत सभी पुस्तकालय कर्मियों को चार दिन का पुनर्बोध प्रशिक्षण देकर उन्हें पुस्तकालय विज्ञान की नई प्रविधियों, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नये परिवर्तनों तथा कार्यालय प्रबन्ध की विधाओं में दक्ष बनाया जाय।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि मान्य शैक्षिक संकल्पनाओं तथा पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार छात्रों को उनकी रुचि के अनुकूल पठन सामग्री सुलभ होनी चाहिए, पुस्तकालय में संग्रहीत ग्रन्थों का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति पुस्तकालय सुविधा से लाभान्वित हो सके इसके लिए आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए, अध्यापकों एवं छात्रों की वांछित अध्ययन सामग्री शीघ्रातिशीघ्र सुलभ करायी जानी चाहिए और पुस्तकालय की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि भविष्य में सम्भावित वृद्धि भी की जा सके।

शिक्षा विभाग द्वारा इन पुस्तकालयों के समुन्नयन की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए विगत 2 वर्षों से अनेक प्रयास किये गये हैं। सबसे पहली आवश्यकता अनुभव की गयी उनमें कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों व सहायकों के पुनर्बोध की। विभाग द्वारा 1987 में निम्न तिथियों पर विभिन्न जनपदों में पुनर्बोध प्रशिक्षण आयोजित किया गया :—

1. 4 जून से 7 जून, 1987
2. 10 जून से 13 जून, 1987

3. 16 जून से 19 जून, 1987
4. 22 जून से 25 जून, 1987
5. 17 अगस्त से 20 अगस्त, 1987

कुछ माध्यमिक विद्यालयों में पहले से ही पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यरत थे। इनके लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम मण्डलीय स्तर पर दिसम्बर 1987 व जनवरी 1988 में आयोजित किया गया। इस प्रकार विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 में 3084 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों का पुनर्बोध प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक निर्देशिका प्रेषित की गयी जिसमें निम्न विषयों पर विशेष दिशा-निर्देश दिया गया :—

1. पुस्तकालय-संबंधी वार्षिक पंचांग
2. पुस्तकालय की सुनिश्चित कार्ययोजना
3. प्रधानाचार्य एवं पुस्तकालयाध्यक्ष से अपेक्षायें एवं स्वमूल्यांकन प्रक्रिया।
4. पुस्तकालय समिति, पुस्तक चयन समिति एवं वाचनालय-पुस्तकालय छात्रकोष संचालन समिति।
5. पुस्तकालय-कार्यालय प्रबन्ध
6. अभिनव प्रयोग का प्रारूप
7. पुस्तकी एवं पुस्तकालय प्रयोग प्रशिक्षण।

पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण की शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में उपादेयता को देखते हुए वृहद् अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित विविध प्रशिक्षण शिविरों में भी इस विषय पर चर्चा की जाती रही है।

इस वर्ष 1988-89 में पुन: निम्न तिथियों पर इन पुस्तकालयकर्मियों का जनपद स्तरीय सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है :—

1. 26 जून से 30 जून, 1988
2. 1 जुलाई से 5 जुलाई, 1988
3. 6 जुलाई से 10 जुलाई, 1988
4. 11 जुलाई से 15 जुलाई, 1988

उक्त तिथियों में पुन: 2669 पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और शेष का प्रशिक्षण शीघ्र ही सम्पन्न किया जायगा। इस वर्ष विशेष रूप से विद्यालय पुस्तकालयों की समस्यायें, उनके निदान, कार्यानुभव की योजना, पुस्तकालय-सम्वर्द्धन की योजनायें, वार्षिक पंचांग एवं छात्र/छात्राओं की स्वाध्याय रुचियों के सर्वेक्षण आदि विषयों पर माड्यूल्स (विचारपत्रों) की सहायता से विचार किया गया और एक विस्तृत संदर्शिका प्रतिभागियों को दी गयी।

इन आयोजनों के साथ ही विभाग द्वारा पुस्तकालय-व्यवस्था के संबंध में अब तक निम्न पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं :—

1. अ०शि०नि० (मा०) का पत्र—सा०—2/13223—428/86—87 दि० 20-10-86
2. अ०शि०नि० (मा०) का पत्र—सा०—2/6188/87-88 दि० 15-9-87
3. अ०शि०नि० (मा०) का पत्र—अ०शि०नि०/235-384/88-89 दि० 31-5-88

उपर्युक्त पत्रों द्वारा प्रधानाचार्यों को पुस्तकालय-संबंधी न्यूनतम कार्यक्रम, स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया एवं अपेक्षाओं के बारे में निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रेषित किये जा चुके हैं।

विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया उक्त कार्यक्रम विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के उन्नयन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समस्त प्रधानाचार्यों द्वारा अपने विद्यालयों में विभाग द्वारा प्रेषित न्यूनतम कार्यक्रम शीघ्रातिशीघ्र लागू किये जायँ, विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय को नवीनतम वैज्ञानिक प्रणालियों से सुव्यवस्थित किया जाय और छात्र-छात्राओं, पुराछात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को इन पुस्तकालयों में संगृहीत साहित्य का उपयोग करने का अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराया जाय।

समस्त प्रधानाचार्य अपने विद्यालयों में 1988-89 के सत्र में कम से कम निम्न कार्यवाही अवश्य सुनिश्चित करावें:—

(1) निदेशालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-10-86, 15-9-87 तथा 31-5-88 के संदर्भ में पुस्तकालय सुविधाओं की समीक्षा की जाय।

(2) विद्यालय भवन में पुस्तकालय कक्ष के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाय और उसमें अति आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री की व्यवस्था की जाय।

(3) पुस्तकालय-संबंधी प्रस्तावित कार्यानुभव योजना कार्यान्वित की जाय।

(4) संदर्शिका में पृष्ठ 105 से 107 पर उल्लखित वार्षिक सत्र योजना लागू की जाय।

(5) छात्र-छात्राओं, पुराछात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों की विद्यालय पुस्तकालय से संदर्भ एवं स्वाध्याय हेतु पुस्तकालय सेवायें उपलब्ध करायी जायें।

(6) पुस्तकालय लिपिक को प्रतिदिन निश्चित रूप से कम से कम आधे कार्यकाल में पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाय।

(7) पुस्तकालयों की समृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वाचनालय/पुस्तकालय छात्रकोष का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय और यथासंभव अभिभावक-अध्यापक एसोशियेशन का सहयोग लिया जाय।

(8) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्यालय पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण हेतु योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के लिए आवेदन-पत्र समय से विभाग को प्रेषित किये जायं। (देखिए—संदर्शिका के पृष्ठ 109—115)

महत्त्व इसका नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, महत्त्व की बात हैं कैसे जीते हैं।

—बेलो

अध्याय 7

विद्यालयों के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पठन-पाठन के साथ पाठ्य-सहगामी कार्यकलापों का महत्त्व सदैव से रहा है। इन पाठ्य-सहगामी कार्यक्रमों में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित होते रहे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है और सबसे विशेष बात यह है कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को किसी न किसी साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य है, इसलिए यह कार्यक्रम अब शिक्षा के अनिवार्य अंग ही गये हैं।

साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का महत्त्व शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय है, क्योंकि पाठ्यक्रम की शिक्षा संबंधित विषय का ज्ञानार्जन तो कराती है, किन्तु छात्र-छात्राओं की आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक कौशल का विकास सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों द्वारा ही होता है। अपने विचारों की अभिव्यक्ति, सौन्दर्यबोध का परिष्कार और रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है। अभिव्यक्ति का अवसर न मिलने पर प्रतिभा कुण्ठित हो जाती है, इसलिए सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यालयीय शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद-विवाद, अन्त्याक्षरी, कविता-पाठ, निबन्ध-लेखन, एकांकी-अभिनय, समूह-गान, और लोकगीत, लोकनृत्य आदि कार्यक्रम विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

वाद-विवाद—

वाद-विवाद अभिव्यक्ति, तर्क और चिन्तन की प्रतिभा को विकसित करने का उचित माध्यम हैं। किसी विवादास्पद विषय पर छात्र-छात्रा अपने विचारों को पक्ष या विपक्ष में इस कौशल से प्रस्तुत करता है कि उसकी बात ही सत्य प्रतीत होती है। आज के युग में जब विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विधान सभा या विधान परिषद में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तब छात्रों को इसमें प्रवीण होने का अवसर देना अनिवार्य है।

वाद-विवाद प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले छात्र-छात्रा को संयत भाषा, शुद्ध उच्चारण और तर्कपूर्ण शैली में सादगी के साथ अपने पक्ष को प्रस्तुत करना होता है। अति नाटकीय या रटी हुई बनावटी भाषा को अच्छा नहीं माना जाता। इस दिशा में छात्र-छात्राओं का मार्गदर्शन इस प्रकार होना चाहिए कि वे अपनी भाषा में अपनी बात कह सकें।

यह प्रतियोगिता विद्यालय को सदनों में विभाजित करके की जानी चाहिए। प्रदेश स्तर पर भी वाद-विवाद की दो प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इण्टरमीडिएट कक्षा के लिए सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा कक्षा 8, 9 व 10 के लिए महादेवी वर्मा प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जाता है, ये प्रतियोगिताएँ पहले जिला फिर मण्डल और अन्त में राज्य स्तर पर होती हैं।

अन्त्याक्षरी—

छात्र-छात्राओं में उच्च कोटि की कविताओं के प्रति रुझान पैदा करने के लिए अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता विद्यालयों में बहुत पहले से आयोजित होती आ रही हैं। अब इस प्रतियोगिता को दो टीमों के बीच न कराकर सम्पूर्ण प्रतिभागी टीमों को एक साथ ही प्रतियोगिता में सम्मिलित कर लिया जाता है। एक टोली में चार छात्र होते है। इनको अर्धचन्द्राकार रूप में बैठाकर प्रतियोगिता की जाती है।

इस प्रतियोगिता में कविता का स्तर, प्रस्तुतीकरण की शैली और भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय की टोली तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र एक ही रस की या एक ही युग की कविताओं की तैयार न करें। विविध रसों की और प्रत्येक युग के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं की महत्त्व देना चाहिए।

कविता-पाठ--

अन्त्याक्षरी में किसी कविता का अंश प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु कविता-पाठ में प्रत्येक प्रतिभागी को पूरी कविता पढ़ने का अवसर दिया जाता हैं। कविता-पाठ की प्रतियोगिता हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि सभी भाषाओं में अलग-अलग करायी जानी चाहिए। इस प्रतियोगिता को भी सदन के माध्यम से ही कराना चाहिए।

समूह-गान—

समूह-गान में एक बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा भाग लेते हैं। पूरी कक्षा में या पूरे कालेज के छात्र भी एक साथ समूह-गान में भाग ले सकते हैं। हिन्दी के अतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषाओं के गीत भी तैयार किये जा सकते है। इससे भावात्मक एकता की कड़ी सुदृढ़ होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रादेशिक गीतों का एक संकलन भी प्रकाशित किया है।

लेखन प्रतियोगिता—

छात्रों की लेखन प्रतिभा का विकास करने के लिए निबन्ध, कहानी, आत्मकथा, डायरी, कविता आदि रचना-विधाओं की प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए। निबन्ध-लेखन की प्रतियोगिता में तो सभी छात्र भाग ले सकते हैं।

नाटक—

साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाटक का विशेष महत्त्व हैं। इससे छात्रों में अभिनय प्रतिभा के विकसित होने का अवसर मिलता है। एकांकी नाटक का अभिनय विद्यालय में सरलता से किया जा सकता है। यह दृश्य विधा मानी जाती है। विचारों व भावों के सम्प्रेषण के लिए यह सबसे प्रभावशाली माध्यम है। टेलीविजन व रेडियो द्वारा भी नाटक प्रसारित होते रहते हैं। पाठ्यक्रमों में भी एकांकी संग्रह को महत्त्व दिया गया है।

एकांकी अभिनय के लिए साहित्यिक दृष्टि से तो कथानक, चरित्रचित्रण, संवाद आदि बिन्दुओं पर विचार किया जाता है, किन्तु अभिनय के दृष्टिकोण से केवल तीन नातों पर ध्यान दिया जाता है—विषय-वस्तु, प्रस्तुतीकरण और अभिनय।

विषय-वस्तु—

विषय-वस्तु उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए जिससे छात्रों की रुचि का परिष्कार हो और उनके जीवन में शाश्वत मूल्यों के प्रति आस्था बढ़े। ऐतिहासिक, सामाजिक या राजनैतिक कोई भी विषय हो सकता है, किन्तु वह छात्रों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने और चरित्रनिर्माण में सहायक होना चाहिए।

प्रस्तुतीकरण—

प्रस्तुतीकरण में रंगमंच की व्यवस्था, वेशभूषा और मेक-अप आदि सभी विषय आ जाते हैं। इनका संयोजन कथानक के अनुरूप होना चाहिए। आजकल खुले रंगमंच का प्रयोग किया जाता है जिससे नाटकों को कम खर्च से तथा सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

अभिनय—

अभिनय में छात्रों को स्वाभाविक अभिव्यक्ति की शैली को अपनाना चाहिए। अति नाटकीयता और कृत्रिमता से बचना चाहिए।

लोकगीत और लोकनृत्य—

नाटक की तरह लोकगीत और लोकनृत्य भी विशेष लोकप्रिय हैं । लोकगीत के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर से छात्रों को परिचित कराया जाता है । उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में विभिन्न लोकगीत और लोकनृत्य प्रचलित हैं। उनके प्रदर्शन से अपने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की संस्कृति से छात्रों को सुपरिचित कराया जा सकता है।

लोकगीत और लोकनृत्य की प्रतियोगिता में उस अंचल की स्वाभाविकता को बनाये रखना चाहिए। लोकगीत की भाषा के स्वरूप को विकृत नहीं करना चाहिए। वेशभूषा और भाषा भी वही होनी चाहिए जो उस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। इससे सांस्कृतिक स्वरूप को सही रूप में समझा जा सकता है।

प्रतियोगिता का आयोजन—

उपर्युक्त सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय में सदन प्रणाली द्वारा कराना चाहिए । चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों की टीमों से अन्तर-विद्यालयीय और फिर जनपदीय प्रतियोगिताएँ होनी चाहिए। जनपदीय और मण्डलीय रैली के समय इन प्रतियोगिताओं को जिला और मण्डल स्तर पर आयोजित करना चाहिए।

कुछ विशेष पर्वों और समारोह दिवसों पर भी इन प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकता है, जैसे—15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 14 नवम्बर को समारोह के अवसर पर इन प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन किया जा सकता है।

शत्रु को उपहार देने योग्य सर्वोत्तम वस्तु है क्षमा, विरोधी को सहनशीलता, मित्र को अपना हृदय, शिशु को उत्तम दृष्टान्त, माता-पिता को आदर, अपने को प्रतिष्ठा और सभी मनुष्यों को उपकार।

—बालफोर

● नैतिकता

महर्षि दयानन्द ने कहा था "चरित्रबल अथवा नेकजीवन और धर्माचरण सर्वोत्तम सद्गुण है। सारे पढ़ने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने का निचोड़ यही है। मनुष्य को सदा ऐसे प्रयत्न करते रहना चाहिए जिससे कि अन्यायी की शक्ति का विनाश हो और न्याया-चरण करने वाला बलशाली हो। जिस प्रकार अपने को सुख प्रिय एवं दुःख अप्रिय है, वैसे ही सर्व समझना चाहिए। यही भावना नैतिकता है।"

प्रशासनिक

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश--एक दृष्टि में

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति का विवरण, जैसा कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय की डायरी 1987 एवं शिक्षा की प्रगति 1987-88 में प्रदर्शित है, निम्नवत् है :—

1. भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)		1981	2,94,411
2. जनसंख्या (लाख में)		1981	11,09
पुरुष			5,88
महिला			5,21
3. जनसंख्या का घनत्व (प्रति कि०मी०)		1981	377
4. जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि		1971-81	25·49
5. (i) जनपद (संख्या)		1987	57
(ii) तहसील (संख्या)		1987	262
(iii) नगर व नगर समूह (संख्या)		1981	659
(iv) विकास खण्ड (संख्या)		1987	895
6. (i) न्याय पंचायत (संख्या)		1985-86	8,791
(ii) ग्राम सभा (संख्या)		1985-86	74,069
(iii) आबाद ग्राम (संख्या)		1981	1,12,566
7. प्रति व्यक्ति आय		(1970-71 के भावों पर)	(प्रचलित भावों पर)
1970-71 के भावों पर (रु०)	1970-71	486	486
	1986-87	607	2146
8. शिक्षा			
(क) साक्षरता प्रतिशत			
(1) पुरुष		1981	38·76
(2) स्त्रियाँ		,,	14·04
कुल		,,	27·16
(ख) जूनियर बेसिक शिक्षा		1987-88	
(1) संस्थाएँ			74480
(2) शिक्षक			271413
(3) विद्यार्थी			12296669
बालक			8242698
बालिकाएँ			4053971

(ग) सीनियर बेसिक शिक्षा

(1) संस्थाएँ	16582	
(2) शिक्षक	89853	
(3) विद्यार्थी	2758785	
बालक	2092194	
बालिकाएँ	666591	

(घ) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

(1) संस्थाएँ	5737	
(2) शिक्षक	125159	
(3) विद्यार्थी	4412942	
बालक	3354747	
बालिकाएँ	1058195	

(ङ) उच्च शिक्षा

	डिग्री कालेज	विश्वविद्यालय
(1) संस्थाएँ	404	20
(2) शिक्षक	13434	7460
(3) विद्यार्थी	421612	135468
बालक	319410	105256
बालिकाएं	102202	30212

क्षेत्रफल और जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या (लाख में)		जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि० मी०	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1961	7,38	43,92	251	134
1971	8,83	54,82	300	173
1981	11,09	68,52	377	216

प्रदेश की कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
11,08,62,013	2,34,53,339	2,32,705

विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या

क्षेत्र	जनसंख्या (हजार में)	राज्य की जनसंख्या से प्रतिशत	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि० मी०
1. पर्वतीय	48,36	4.3	95
2. पश्चिमी	3,93,50	35.5	479
3. केन्द्रीय	1,95,95	17.7	428
4. पूर्वी	4,16,52	37.6	485
5. बुन्देलखण्ड	54,29	4.9	185

मा०शि०प० की परीक्षाओं हेतु मान्यताप्राप्त विद्यालयों की संख्या—1987-88

हाई स्कूल परीक्षा—	
लड़कों की शिक्षा संस्थाएँ	4588
लड़कियों की शिक्षा संस्थाए	729
योग	5317
इण्टरमीडिएट परीक्षा	
लड़कों की शिक्षा संस्थाएँ	2680
लड़कियों की शिक्षा संस्थाएँ	444
योग	3124

अन्य शिक्षा संस्थाएँ—1987-88

	संस्कृत पाठशालायें	अरबी मदरसा
संख्या	928	329
छात्र संख्या	40818	80950
अध्यापक	4598	4540

प्रशिक्षण संस्थाएँ तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थाएँ—1987-88

ट्रेनिंग कालेज	**संख्या**	**छात्र संख्या**
एल०टी० तथा बी०एड०		
पुरुष	9	780
महिला	6	830
विश्वविद्यालय के सम्बद्ध प्रशिक्षण विभाग		
पुरुष	} 10	1762
महिला		1057
बी०टी०सी०		
पुरुष	65	3196
महिला	56	2041
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें		
पुरुष	76	7275
महिला	22	5081

जनपद स्तर की सामान्य सूचना

जनपद	कुल जनसंख्या 1981	क्षेत्रफल वर्ग कि०मी०	घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)	तहसील (1987)	विकास खंड (1987)	आबाद ग्राम (1981)	साक्षरता प्रतिशत		
							पुरुष	स्त्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–सहारनपुर	2573561	5595	478	5	16	1700	39.11	18.04	29.54
2–मुजफ्फर नगर	2274487	4176	545	4	14	927	40.76	17.50	30.12
3–मेरठ	2767246	3911	707	4	18	920	46.75	20.30	34.69
4–गाजियाबाद	1843130	2590	712	4	10	704	48.76	21.29	36.30
5–बुलन्दशहर	2358270	4352	542	4	17	1365	42.45	13.36	28.97
6–अलीगढ	2574925	5019	513	6	17	1704	44.03	16.24	31.34
7–मथुरा	1560447	3811	409	4	12	867	46.06	12.88	30.64
8–आगरा	2852942	4805	594	7	18	1174	44.68	10.88	33.44
9–मैनपुरी	1726202	4343	397	5	15	1371	45.60	18.52	33.91
10–एटा	1858692	4446	418	5	15	1510	38.74	13.05	27.11
11–बिजनौर	1939261	4848	400	5	11	2154	36.98	14.81	26.71
12–मुरादाबाद	3149406	5967	528	6	19	2473	27.73	10.90	19.82
13–रामपुर	1178621	2367	498	5	6	1092	22.66	8.91	16.37
14–बरेली	2273030	4120	552	5	15	1901	30.11	12.32	22.04
15–बदायूं	1971946	5168	382	5	18	1785	23.03	7.48	16.08
16–शाहजहाँपुर	1647664	4575	360	4	14	2124	30.03	10.83	21.42
17–पीलीभीत	1008312	3499	288	3	7	1198	29.91	9.29	20.44

	प्रति लाख जनसंख्या पर स्कूलों की संख्या (1986-87)			प्रति अध्यापक पर छात्रों की संख्या (1986-87)			प्रोजेक्टेड जनसंख्या 1 अक्टूबर 1985 (आयुवर्ग 14 से 18 वर्ष) (000)			उ०मा०वि० तथा हाई स्कूल में छात्रों की नामांकन संख्या 1985 (000)		
	जू० बे० स्कूल	सी० बे० स्कूल	हा० से० स्कूल	जू० बे० स्कूल	सी० बे० स्कूल	हा० से० स्कूल	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1—सहारनपुर	50	10	4	43	26	37	144	122	266	81	35	116
2—मुजफ्फर नगर	50	10	4	43	35	36	121	102	223	68	24	92
3—मेरठ	49	10	7	44	23	34	147	124	271	125	49	174
4—गाजियाबाद	35	9	5	51	25	38	101	86	187	78	32	110
5—बुलन्दशहर	50	7	7	44	27	36	125	106	231	109	27	136
6—अलीगढ़	50	13	5	45	26	35	135	114	249	91	28	119
7—मथुरा	61	10	6	47	29	41	81	69	150	74	14	88
8—आगरा	51	12	5	48	33	27	150	127	277	86	42	128
9—मैनपुरी	68	18	4	61	36	42	89	76	165	61	15	76
10—एटा	58	16	4	50	26	37	96	81	177	50	14	64
11—बिजनौर	52	10	4	47	30	39	105	88	193	51	18	69
12—मुरादाबाद	50	8	3	43	32	36	170	143	313	71	24	95
13—रामपुर	52	8	3	56	27	33	64	54	118	16	6	22
14—बरेली	56	14	3	44	26	34	122	103	225	46	18	64
15—बदायूं	63	12	2	47	22	43	102	86	188	35	10	45
16—शाहजहाँपुर	71	12	2	52	30	39	88	74	162	27	11	38
17—पीलीभीत	63	12	2	52	29	45	55	47	102	17	4	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18–फर्रुखाबाद	1949137	4274	456	4	14	1577	42.70	19.07	32.02
19–इटावा	1742651	4326	403	4	14	1462	48.63	23.64	37.29
20–कानपुर	3742223	6176	806	6	20	1805	53.42	31.92	43.67
21–फतेहपुर	1572421	4152	379	3	13	1349	38.12	12.52	26.02
22–इलाहाबाद	3797033	7201	523	9	28	3514	41.51	12.81	28.00
23–झाँसी	1137031	5024	226	4	8	759	50.66	21.36	37.03
24–ललितपुर	577648	5039	115	3	6	683	31.19	9.74	21.20
25–जालौन	986228	4565	216	4	9	939	50.28	18.93	36.00
26–हमीरपुर	1194168	7165	167	6	11	917	38.88	11.32	26.30
27–बाँदा	1533990	2624	201	5	13	1207	35.97	8.58	23.27
28–वाराणसी	3701006	5091	727	5	22	3662	45.96	16.27	31.86
29–मिर्जापुर	2039149	11310	180	4	20	3024	35.09	10.64	23.59
30–जौनपुर	2532734	4038	627	5	20	3245	41.87	10.85	26.29
31–गाजीपुर	1944669	3377	576	4	16	2540	41.41	13.65	27.61
32–बलिया	1945376	3189	610	3	18	1920	41.84	14.30	28.17
33–गोरखपुर	3795701	6272	605	8	31	4110	36.66	10.38	23.92
34–देवरिया	3496564	5445	642	6	29	3538	37.12	9.09	23.19
35–बस्ती	3578069	7228	495	6	32	6929	31.63	7.96	20.23
36–आजमगढ़	3544130	5740	617	7	29	4935	38.26	12.23	25.11
37–लखनऊ	2914574	2528	797	3	8	899	49.31	29.65	40.30
38–उन्नाव	1822591	4558	400	4	16	1687	36.79	12.35	25.29

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18–फर्रुखाबाद	58	18	5	49	13	35	103	87	190	71	22	93
19–इटावा	66	21	6	48	27	35	91	77	168	70	20	90
20–कानपुर	53	17	5	57	35	37	198	167	365	164	73	237
21–फतेहपुर	59	15	4	55	27	32	83	70	153	41	8	49
22–इलाहाबाद	44	11	5	46	23	35	204	172	376	140	45	185
23–झाँसी	70	16	4	48	32	36	61	52	113	35	13	48
24–ललितपुर	87	14	3	64	32	42	31	27	58	11	2	13
25–जालौन	90	21	6	53	27	36	51	43	94	42	8	50
26–हमीरपुर	68	18	4	52	24	36	62	53	115	29	6	35
27–बाँदा	73	15	3	50	28	36	83	70	153	34	5	39
28–वाराणसी	40	11	4	50	29	38	199	168	367	122	41	163
29–मिर्जापुर	69	12	3	47	24	36	111	94	205	46	16	62
30–जौनपुर	45	12	5	55	30	35	135	114	249	94	18	112
31–गाजीपुर	48	14	5	52	27	38	104	88	192	68	17	85
32–बलिया	60	17	5	47	30	38	102	86	188	73	13	86
33–गोरखपुर	45	10	4	47	27	35	201	170	371	123	31	154
34–देवरिया	53	14	5	55	24	35	185	156	341	130	25	155
35–बस्ती	55	11	4	42	22	28	186	157	343	82	12	94
36–आजमगढ़	43	11	4	55	28	36	187	158	345	103	26	129
37–लखनऊ	49	11	5	44	27	32	107	90	197	71	52	123
38–उन्नाव	71	20	3	49	26	35	96	81	177	40	9	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39–रायबरेली	1886940	4609	409	6	19	1731	34.90	10.38	23.05
40–सीतापुर	2337284	5743	407	5	19	2330	28.75	8.40	19.43
41–हरदोई	2274929	5986	380	4	19	1881	32.69	9.51	22.20
42–खीरी	1952680	3680	254	4	15	1699	26.28	7.60	17.72
43–फैजाबाद	2382515	4511	528	4	18	2645	38.15	12.16	25.60
44–गोण्डा	2834562	7352	386	7	25	2809	26.00	5.47	16.33
45–बहराइच	2216245	6877	323	4	19	1884	24.35	5.29	15.57
46–सुल्तानपुर	2042778	4436	461	5	22	2492	35.10	9.34	22.42
47–प्रतापगढ़	1801049	3717	485	4	15	2185	38.86	8.86	23.82
48–बाराबंकी	1992074	4401	453	4	16	2043	28.92	7.17	18.88
49–नैनीताल	1136523	6794	167	6	15	1806	46.84	27.17	37.85
50–अल्मोड़ा	757373	5385	141	4	14	3019	56.59	20.36	37.78
51–पिथौरागढ़	489267	8856	55	5	12	2174	58.02	20.33	39.06
52–टिहरी गढ़वाल	497710	4421	113	3	10	1953	47.70	9.65	27.91
53–उत्तरकाशी	190948	8016	24	4	6	669	46.08	8.99	28.80
54–चमोली	364346	9125	40	4	11	1516	57.30	18.28	37.36
55–गढ़वाल	637877	5440	117	3	15	3237	56.39	27.03	41.07
56–देहरादून	761668	3088	247	2	6	743	61.05	42.23	52.62
उत्तर प्रदेश	110862013	294411	377	262	895	112566	38.76	14.04	27.16

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39–रायबरेली	54	13	3	49	30	40	100	84	184	42	10	52
40–सीतापुर	70	14	3	52	27	38	123	104	227	37	17	54
41–हरदोई	62	16	3	55	29	39	120	101	221	44	9	53
42–खीरी	64	12	2	49	26	43	106	89	195	32	9	41
43–फैजाबाद	56	13	4	44	26	34	125	106	231	66	18	81
44–गोण्डा	68	10	2	45	24	37	149	126	275	43	9	52
45–बहराइच	61	10	2	47	21	39	119	100	219	26	6	32
46–सुल्तानपुर	69	13	4	49	26	35	108	91	199	48	7	55
47–प्रतापगढ़	56	12	4	50	34	37	96	81	177	55	7	62
48–बाराबंकी	70	13	2	45	27	43	104	88	192	24	4	28
49–नैनीताल	87	20	9	43	20	31	64	54	118	41	23	64
50–अल्मोड़ा	158	26	19	37	15	26	87	73	160	38	13	51
51–पिथौरागढ़	175	30	18	45	14	23	25	21	46	24	8	32
52–टिहरी गढ़वाल	162	31	18	50	16	23	26	22	48	20	5	25
53–उत्तरकाशी	200	51	15	49	10	26	10	9	19	8	2	10
54–चमोली	182	36	21	51	16	22	19	16	35	18	6	24
55–गढ़वाल	183	33	25	44	17	24	32	27	59	32	10	42
56–देहरादून	88	21	9	40	20	34	41	35	76	33	27	60
उत्तर प्रदेश	60	13	5	48	26	35	5929	5009	10938	3262	1017	4279

1 अक्टूबर 1989 को अनुमानित जनसंख्या/वय वर्गवार बाल संख्या
(हजार में)

जनपद/मण्डल	वर्ष 1981 की जनसंख्या	वर्ष 1980-90 की अनुमानित जनसंख्या	वय वर्गवार अनुमानित जनसंख्या वर्ष 1989-90											
			वय-वर्ग 6–11			वय वर्ग 11–14			वय वर्ग 14–16			वय वर्ग 16–18		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1–आगरा	2853	3362	231	214	445	132	115	247	83	71	154	79	66	145
2–अलीगढ़	2575	3002	206	191	397	117	103	220	74	63	137	71	59	130
3–एटा	1859	2111	145	134	279	82	73	155	52	45	97	50	41	91
4–मैनपुरी	1726	1974	136	125	261	77	68	145	48	42	80	46	39	85
5–मथुरा	1560	1805	124	115	239	70	62	132	45	38	83	42	35	77
योग आगरा मण्डल	10573	12254	842	778	1620	478	421	899	302	259	561	288	240	528
6–झाँसी	1137	1405	97	89	186	55	48	103	35	29	64	33	28	61
7–ललितपुर	578	721	50	46	96	28	25	53	18	15	33	17	14	31
8–हमीरपुर	1194	1382	95	88	183	54	48	102	34	29	63	33	27	60
9–बाँदा	1534	1886	130	120	250	73	65	138	46	40	86	44	37	81
10–जालौन	986	1143	78	73	151	45	39	84	28	25	53	27	22	49
योग झाँसी मण्डल	5429	6537	449	415	864	255	225	480	161	138	299	154	128	282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11–लखनऊ	2015	2392	164	152	316	93	83	176	59	51	110	56	47	103
12–रायबरेली	1887	2242	154	142	296	88	76	164	55	48	103	53	44	97
13–हरदोई	2275	2672	183	170	353	104	92	196	66	56	122	63	52	115
14–उन्नाव	1823	2137	147	136	283	83	74	157	53	45	98	50	42	92
15–सीतापुर	2337	2762	190	175	365	108	95	203	68	58	126	65	54	119
16–खीरी	1953	2425	167	154	321	95	83	178	60	51	111	57	48	105
योग लखनऊ मण्डल	12290	14630	1005	929	1934	571	503	1074	361	309	670	344	287	631
17–बरेली	2273	2757	189	175	364	108	94	202	68	58	126	65	54	119
18–बदायूँ	1972	2263	155	144	299	88	78	166	56	48	104	53	45	98
19–पीलीभीत	1008	1278	88	81	169	50	44	94	32	26	58	30	25	55
20–शाहजहाँपुर	1648	2003	138	127	265	78	69	147	49	43	92	47	39	86
योग बरेली मण्डल	6901	8301	570	527	1097	324	285	609	205	175	380	195	163	358
21–मेरठ	2767	3303	227	210	437	129	114	243	82	69	151	78	64	142
22–गाजियाबाद	1843	2360	162	150	312	92	81	173	58	50	108	56	46	102
23–बुलन्दशहर	2358	2819	194	179	373	110	97	207	70	59	129	66	55	121
24–सहारनपुर	2674	3294	226	209	435	129	113	242	81	70	151	77	65	142
25–मुजफ्फर नगर	2274	2730	188	173	361	106	94	200	67	58	125	64	54	118
योग मेरठ मण्डल	11916	14506	997	921	1918	566	499	1065	358	306	664	341	284	625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26–मुरादाबाद	3149	3869	266	246	512	151	133	284	96	81	177	91	76	167
27–रामपुर	1179	1461	100	93	193	57	50	107	36	31	67	34	29	63
28–बिजनौर	1939	2390	164	152	316	93	83	176	59	51	110	56	47	103
योग मुरादाबाद मण्डल	6267	7720	530	491	1021	301	266	567	191	163	354	181	152	333
29–वाराणसी	3701	4549	313	288	601	177	157	334	113	95	208	107	89	196
30–गाजीपुर	1945	2346	161	149	310	92	80	172	58	50	108	55	46	101
31–बलिया	1945	2275	156	145	301	89	78	167	56	48	104	53	45	98
32–जौनपुर	2533	3042	209	193	402	119	104	223	75	64	139	72	59	131
33–मिर्जापुर	2039	2548	175	162	337	99	88	187	63	54	117	60	50	110
योग वाराणसी मण्डल	12163	14760	1014	937	1951	576	507	1083	365	311	676	347	289	636
34–गोरखपुर	3796	4514	310	287	597	176	155	331	112	95	207	106	88	194
35–बस्ती	3578	4110	282	261	543	160	142	302	101	87	188	97	80	177
36–देवरिया	3497	4144	285	263	548	162	142	304	102	88	190	98	81	179
37–आजमगढ़	3544	4191	288	266	554	163	145	308	104	88	192	98	83	181
योग गोरखपुर मण्डल	14415	16959	1165	1077	2242	661	584	1245	419	358	777	399	332	731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38–इलाहाबाद	3797	4653	320	295	615	181	161	342	115	98	213	109	91	200
39–फतेहपुर	1572	1847	127	117	244	72	64	136	46	39	85	44	36	80
40–कानपुर नगर 41–कानपुर देहात	3742	4451	306	283	589	174	153	327	110	94	204	105	87	192
42–फर्रुखाबाद	1949	2323	159	148	307	90	80	170	57	49	106	54	46	100
43–इटावा	1743	2009	138	128	266	78	69	147	50	42	92	47	40	87
योग इलाहाबाद मण्डल	12803	15283	1050	971	2021	595	527	1122	378	322	700	359	300	659
44–फैजाबाद	2382	2808	193	178	371	110	96	206	70	59	129	66	55	121
45–प्रतापगढ़	1801	2167	149	137	286	85	74	159	53	46	99	51	42	93
46–सुल्तानपुर	2043	2420	166	154	320	94	84	178	60	51	111	57	47	104
47–गोण्डा	2835	3330	229	211	440	130	115	245	82	70	152	78	66	144
48–बाराबंकी	1992	2320	159	148	307	90	80	170	57	49	106	55	45	100
49–बहराइच	2216	2699	186	171	357	105	93	198	67	57	124	63	53	116
योग फैजाबाद मण्डल	13269	15744	1082	999	2081	614	542	1156	389	332	721	370	308	678
योग सम्पूर्ण प्रदेश (मैदानी क्षेत्र)	106026	126694	8704	8045	16749	4941	4359	9300	3129	2673	5802	2978	2483	5461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50—नैनीताल	1137	1527	105	97	202	59	53	112	38	32	70	36	30	66
51—अल्मोड़ा	757	849	58	54	112	33	29	62	21	18	39	20	16	36
52—पिथौरागढ़	489	553	38	35	73	22	19	41	14	11	25	13	11	24
योग कुमायूं मण्डल	2383	2929	201	186	387	114	101	215	73	61	134	69	57	126
53—पौड़ी गढ़वाल	638	707	49	44	93	28	24	52	17	15	32	17	13	30
54—टेहरी गढ़वाल	498	594	41	38	79	23	20	43	15	12	27	14	12	26
55—उत्तरकाशी	191	234	16	15	31	9	8	17	6	5	11	5	5	10
56—चमोली	364	432	30	27	57	17	15	32	11	9	20	10	9	19
57—देहरादून	762	951	65	61	126	37	33	70	23	21	44	22	19	41
योग पौड़ी मण्डल	2453	2918	201	185	386	114	100	214	72	62	134	68	58	126
योग पर्वतीय क्षेत्र	4836	5847	402	371	773	228	201	429	145	123	268	137	115	252
योग मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र	110862	132541	9106	8416	17522	5169	4560	9729	3274	2796	6070	3115	2598	5713

अध्याय 2

सातवीं पंचवर्षीय योजना और शैक्षिक योजनाएं-(परिव्यय तथा भौतिक लक्ष्य)

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (88-89) विकास योजनाएं

सामान्य शिक्षा—

11.01 सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है तथा मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक निवेश है। प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा विद्यार्थियों को पढ़ने, लिखने विषयवस्तु को समझने तथा गणित में योग्यता प्राप्त करने के योग्य बनाती है, और विद्यार्थी इनके माध्यम से विज्ञान और सामाजिक विषयों को तथा अपने चारों ओर के वातावरण को समझने लगते हैं। उनमें समझने और प्रश्न करने की विशेष योग्यता आ जाती है तथा वे सामाजिक न्याय पर आधारित धर्मनिरपेक्ष गणतंत्रात्मक समाज के नागरिक के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों से अवगत होते हैं। शिक्षा विद्यार्थियों में कौशल उत्पन्न करने में भी सहायक होती है तथा उन्हें नये-नये कार्य करने के योग्य बनाती है।

11.01-2 सप्तम पंचवर्षीय योजना के लिए शिक्षा विभाग की प्रमुख वरीयतायें निम्नांकित हैं :—

1—सबसे अधिक प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को दी गयी है जिसका उद्देश्य मुख्यत: 6-11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाना है और इसे सतत बनाये रखना है।

2—सुविधाओं के समानीकरण के संदर्भ में, कम विकसित क्षेत्रों तथा समाज के पिछड़े वर्गों तथा बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया जायेगा।

3—विकल्प के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम जारी रहेगा।

4—साक्षरता, कार्यात्मक शिक्षा तथा सामाजिक जागृति के लिए प्रौढ़ शिक्षा पर बल दिया जाएगा। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को इस क्षेत्र में अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता है।

5—माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6—माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को कई चरणों में लिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को समाज का एक ऐसा अंग बनाना है जो कि आत्म निर्भर नागरिक तथा उत्पादक कर्मक बन सके और व्यावसायिक कौशल का ज्ञान भी प्राप्त कर सके।

7—वर्तमान परीक्षा प्रणाली, जिसकी विश्वसनीयता घटती-सी जा रही है, में यथोचित परिवर्तन किये जायेगें। यह इस प्रकार से व्यवस्थित की जायेगी कि इसके समझने व लागू करने में दक्षता के विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

8—उच्च शिक्षा के अंतर्गत संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा सुदृढ़ीकरण तथा गुणात्मक सुधार पर अधिक बल दिया जायेगा। नयी शिक्षा संस्थायें स्पष्ट रूप से आवश्यक होने पर ही खोली जायेंगी।

9—विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को समुचित सहायता दी जाएगी ताकि उन्हें उतना ही अनुदान विश्व विद्यालय आयोग (यू०जी०सी०) से प्राप्त हो सके।

भौतिक लक्ष्य

11.01-3 निम्नलिखित तालिका में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का विवरण दिया गया है :—

तालिका—1 विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध शिक्षा सुविधायें

मद	1984-85 स्तर	1985-86 उपलब्धि	1986-87 उपलब्धि	1987-88 अनुमानित उपलब्धि	1988-89 प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6
प्रारम्भिक शिक्षा					
अ—प्राथमिक					
(1) संस्थाओं की संख्या	72,962	73,313	73,535	73,742	73,927
(2) विद्यार्थियों की संख्या 1-5 (लाख में)	117.07	124.74	124.50	124.36	135.15
(3) अध्यापक (हजार में)	255	259	259	260	260
ब—जूनियर हाईस्कूल					
(1) संस्थाओं की संख्या	14,112	14,226	14,298	14,376	14,442
(2) विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	36.78	37.23	39.70	38.78	41.90
(3) अध्यापक (हजार में)	93	94	94	95	95
माध्यमिक शिक्षा					
(1) संस्थाओं की संख्या	5,654	5,712	5,741	5,762	5,782
(2) विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	25.58	26.13	26.94	27.61	28.15
(3) अध्यापक (हजार में)	92	94	94	94	95

11.01-4 शिक्षा के विभिन्न सेक्टरवार परिव्यय तथा व्यय की स्थिति निम्नांकित तालिका में अंकित है :—

सातवीं योजना तथा वार्षिक योजना 1988-89 का परिव्यय

(लाख रुपये में)

सेक्टर	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 का परिव्यय			1987-88 का व्यय			1988-89 का परिव्यय		
	मैदानी	पर्वतीय	योग	मैदानी	पर्वतीय	योग	मैदानी	पर्वतीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. प्रारम्भिक शिक्षा	13808.24	3619.69	17427.93	3263.02	792.09	4055.11	3528.26	995.95	4524.21
2. माध्यमिक शिक्षा	2236.00	2851.96	5087.96	1001.97	828.60	1830.57	2050.82	944.12	2994.94
3. उच्च शिक्षा	1039.97	760.00	1799.97	666.11	220.28	886.39	201.35	250.00	451.35
4. प्रौढ़ शिक्षा	1005.00	228.00	1233.00	273.68	36.76	310.44	428.37	59.11	487.48
5. भाषा	273.62	6.96	280.58	87.83	0.30	88.13	27.32	0.54	27.86
6. जनरल	335.07	9.20	344.27	34.03	0.34	34.37	19.34	0.34	19.68
योग (सामान्य शिक्षा)	18697.90	7475.81	26173.71	5326.64	1878.37	7205.01	6255.46	2250.06	8505.52
7. पुस्तकालय	156.00	74.54	230.54	90.59	15.94	106.53	75.57	18.00	93.57
8. खेलकूद	146.10	49.65	195.75	59.18	2.95	62.13	57.97	6.00	63.97
योग (शिक्षा)	19000.00	7600.00	26600.00	5476.41	1897.26	7373.67	6389.00	2274.06	8663.06

प्रारम्भिक शिक्षा—

11.01-5 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के तीन आवश्यक तत्व हैं। शैक्षिक सुविधाओं का प्राविधान, छात्र नामांकन तथा उनका विद्यालय में ठहराव। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि सार्वभौमीकरण की रणनीति में विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण (स्कूलों को भौतिक सुविधाओं से सुसज्जित करना) तथा उपलब्ध सुविधाओं के सघन प्रयोग पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1988-89 में प्रस्तावित कार्यक्रमों का विवरण नीचे के अनुच्छेदों में दिया जा रहा है :—

11 01-6 उक्त संदर्भ में 1988–89 की वार्षिक योजना की अवधि में 185 प्राथमिक स्कूल तथा 66 मिडिल स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं के केन्द्र संचालित करने का विशेष प्रयास किया जाएगा तथा वर्तमान स्तर को भी बनाये रखा जायेगा।

11.01-7 गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के कुछ क्षेत्रों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के भवन निर्माण, अन्य भौतिक सुविधाओं में सुधार, अध्यापकों की योग्यता में वृद्धि तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग सम्मिलित है।

11.01-8 स्कूल भवनों के निर्माण की समस्या का आकार बहुत बड़ा है और वर्तमान योजनाकाल में इस कार्य की पूर्ति होना संभव नहीं है। तथापि वर्ष 1985-86 में 1,224 प्राथमिक तथा 213 मिडिल स्कूल तथा वर्ष 86-87 में 3,036 प्राथमिक व 311 मिडिल स्कूल भवनों के निर्माण के लिए, जिसमें आर०एल०जी०पी० की धनराशि भी सम्मिलित है, अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1987-88 में 2,684 प्राथमिक तथा 374 मिडिल स्कूल भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्ष 88-89 में 1,397 प्राइमरी तथा 248 मिडिल स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 1,303.30 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

11.01-9 राज्य के ग्रामीण अंचलों में केन्द्रीय स्कूल प्रणाली चलायी जा रही है जिसके अंतर्गत कुछ प्राइमरी स्कूल या तो एक जूनियर हाई स्कूल के साथ या एक सीनियर प्राइमरी स्कूल के साथ विभिन्न प्रकार के सम्पर्क स्थापित करने हेतु सम्बद्ध कर दिये जाते हैं और एक प्रकार से स्कूल संकुल बनाते हैं। इनमें से कुछ स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थापना करके उनका सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है।

11.01-10 शिक्षण कार्य में अध्यापक का स्थान महत्वपूर्ण है, अतः उनकी कार्य-कुशलता में नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षण के कार्यक्रमों तथा समय-समय पर इन-सर्विस ट्रेनिंग प्रशिक्षण तथा दक्षता पुरस्कारों का प्राविधान करके वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार प्रारंभिक स्कूल के अध्यापकों के लिए वर्ष 88-89 में नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए रु० 43.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है। प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की दक्षता पुरस्कार के लिए भी धनराशि का प्राविधान किया गया है।

11.01-11 सीमावर्ती जनपदों के माइग्रेटिंग स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के लिए यात्रा भत्ता व्यय हेतु रुपये 0.75 लाख का प्राविधान किया गया है।

11.01-12 जिला बेसिक शिक्षा कार्यालयों में कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है—स्टाफ, साज-सज्जा, आकस्मिक व्यय आदि। अतः इन कार्यालयों के सुदृढीकरण के लिए 16.86 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।

11.01-13 मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक 3 वर्ष के लिए रु० 15/- प्रति माह की दर से प्रत्येक जनपद में छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत करने हेतु प्रयोग की जायेंगी।

माध्यमिक शिक्षा—

11.01-14 माध्यमिक स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व है। इस स्तर की शिक्षा से विद्यार्थियों को जहाँ एक ओर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता हैं वहीं दूसरी ओर उन्हें कार्य की दुनिया में प्रवेश दिलाने के योग्य भी बनाया जाता है। वर्ष 1988-89 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नवत हैं :—

11.01-15 व्यावसायिक शिक्षा, उत्पादन कार्य, रोजगार तथा शिक्षण क्रियाओं के बीच कड़ी का काम करती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में शिक्षा के माध्यमिक स्तर का व्यवसायीकरण प्रारम्भ किया गया है। इस समय प्रदेश के 126 विद्यालयों में व्यवसायिक वाणिज्य शिक्षा 138 विद्यालयों में व्यावसायिक गृह विज्ञान शिक्षा तथा 154 विद्यालयों में व्यावसायिक कृषि शिक्षा प्रारम्भ की जा चुकी है। इस हेतु 1988-89 की वार्षिक योजना में रु० 86.00 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

11.01-16 हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की कार्य-पद्धति का परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष एक टास्क फोर्स की नियुक्ति की गयी जिसमें परीक्षा से पूर्व तथा परीक्षा के बाद की कार्य-पद्धति का परीक्षण विशेष रूप से सन्निहित था। टास्क फोर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। 1986 की परीक्षाओं से वाराणसी, बरेली तथा मेरठ में परिषद के उप-कार्यालयों को हाईस्कूल की परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा के बाद का कार्य सौंपा गया, जबकि परिषद के उप-कार्यालय मेरठ को इंटरमीडिएट की परीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। इंटरमीडिएट की परीक्षा के पश्चात् के कार्य का विकेन्द्रीकरण कई चरणों में किया जायेगा।

11.01-17 बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए 1988-89 में बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसी तहसीलों अथवा नगर-क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है जिनमें कोई बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। वर्ष 1985-86 में 12, वर्ष 1986-87 में 7 तथा वर्ष 87-88 में पुनः 12 स्कूल खोले गये। वर्ष 88-89 में 12 तहसीलों में बालिका हाईस्कूलों का खोला जाना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 1988-89 में 8 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने तथा 8 हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण करने का प्राविधान भी पर्वतीय क्षेत्र के लिये किया गया है। वर्ष 1988-89 में पर्वतीय क्षेत्र की बालिकाओं के लिए असेवित विकास खण्डों में 4 नये राजकीय हाई स्कूल खोलने की एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। इस हेतु 11.64 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है।

11.01-18 हाईस्कूल स्तर पर 10 + 2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान का अध्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं में विज्ञान की प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा उपकरणों के लिए आवश्यक प्राविधान किया गया है। साथ ही अतिरिक्त विषयों एवं अनुभागों के लिए भी प्राविधान किया गया है।

11.01-19 माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर में उन्नयन एवं सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं में रु० 1.00 लाख प्रति संस्था की दर से चार सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया जायगा।

11.01-20 माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक जनपद के स्कूलों में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए रु० 16.09 लाख का परिव्यय 1988-89 के लिए प्रस्तावित है।

11.01-21 हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को पत्राचार द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 1980-81 में पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान स्थापित किया गया था। यह संस्थान इस समय साहित्यिक वर्ग के 15 विषयों के अतिरिक्त कृषि एवं रचनात्मक वर्ग के विषयों में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा है तथा कुछ चयनित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पत्राचार सम्पर्क पाठ्यक्रमों के केन्द्र बनाकर यह संस्थान अपने कार्य-क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा---

11.01-22 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा गुणात्मक सुधार पर अधिक बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश में स्नातक-स्तर पर तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। पाठ्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु वर्तमान समय में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। अतः वर्ष 88-89 में मैदानी क्षेत्र के 12 विश्वविद्यालयों के लिए 75.00 लाख रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के 2 विश्वविद्यालयों के लिए 15.00 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

11.01-23 उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु वर्ष 88-89 में मैदानी क्षेत्र में 3 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 2 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु मैदानी क्षेत्र के लिए 5.80 लाख रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 10.24 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

11.01-24 प्रदेश में 27 राजकीय महाविद्यालय मैदानी क्षेत्र तथा 22 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। इन महाविद्यालयों में छात्रों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 88-89 में पर्वतीय क्षेत्र के एक महाविद्यालय में स्नातक-स्तर पर विज्ञान संकाय, एक महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय, एक महाविद्यालय में दो नये विषय तथा एक नये महाविद्यालय में एक विषय प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। मैदानी क्षेत्र के चार महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 6 नवीन विषयों का प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

11.01-25 प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के अंशदान हेतु 88-89 में मैदानी क्षेत्र के लिए 25.00 लाख रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1.00 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

11.01-26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अतर्गत देश के सभी प्रान्तों में उच्च शिक्षा की एकरूपता को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में ही स्नातक-स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। किन्तु प्रदेश मे धनाभाव के कारण त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सप्तम् पचवर्षीय योजना के वर्ष 87-88 से प्रारम्भ किया गया है। इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने के कारण प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के अतिरिक्त पदों का सृजन आवश्यक हो गया है। साथ ही साथ महाविद्यालयों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं साजसज्जा के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। इस हेतु 88-89 में मैदानी क्षेत्र के लिए 10.00 लाख रु० तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 7.90 लाख रु० अर्थात् कुल 17.90 लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

प्रौढ़ शिक्षा—

11.01-27 वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता केवल 27.2 प्रतिशत है। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 38.0 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत है। 15-35 आयु वर्ष में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या राज्य में 203 लाख है। इन सबके कारण यह आवश्यक है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाये जिसमें साक्षरता, कार्यात्मक शिक्षा तथा सामाजिक जागृति सम्मिलित हैं।

11.01-28 राष्ट्रीय औसत से नीचे साक्षरता दर वाले जनपदों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के अन्य लक्ष्य समूहों को प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत लाने पर बल दिया जा रहा है। 1988-89 की वार्षिक योजना में राज्य के संसाधनों से "ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना" के लिए रु० 487.48 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है। स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपने कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

11.01-29 राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में महाविद्यालयों तथा विद्यालयों का सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें अधिक सघनतापूर्वक इस कार्य में सम्मिलित करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

11.01-30 प्रचार एवं प्रकाशन के प्रसार के उद्देश्य से 1988-89 में 3.95 लाख का परिव्यय प्रस्तावित है ताकि लोग इस कार्यक्रम की संकल्पना एवं उपयोगिता से अवगत हो सकें।

11.01-31 1988-89 की वार्षिक योजना में रु० 31.85 लाख का परिव्यय राज्य स्तर पर प्रशासनिक संयंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्तावित है।

भाषा विकास—

11.01-32 भाषा विकास कार्यक्रमों में संस्कृत पाठशालाओं के विकास तथा अरबी मदरसों को अनुरक्षण अनुदान देने वाली योजनाओं को चालू रखा जायेगा। इन योजनाओं के लिए रु० 27.86 लाख का परिव्यय 1988-89 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित है।

सामान्य—

11.01-33 राज्य के शिक्षण संस्थानों की पूर्ति हेतु वर्तमान सात शिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन प्रस्तावित है।

11.01-34 1988-89 की वार्षिक योजना में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की विभिन्न योजनाओं के लिए रु० 19.68 लाख का परिव्यय रखा गया है जिनमें जनपद मण्डल तथा राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन तथा एजूकेशन टेक्नोलॉजी सेल का सुदृढ़ीकरण भी सम्मिलित है।

दुपहरी के सूरज पर निशाना साधने वाले का तीर लक्ष्यभेद तो नहीं करेगा, लेकिन झाड़ी को निशाना बनाने वाले के तीर से अधिक ऊंचा जाएगा।

— सिड़नी

अध्याय 3

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय और उसके कार्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय सलाहकार के 17 कार्यालय प्रदेशों से संबंध (Liaison) स्थापित करने हेतु स्थापित किये हैं। क्षेत्रीय सलाहकार का एक कार्यालय उत्तर प्रदेश के लिए 555/ई ममफोर्डगंज, इलाहाबाद में सन् 1975 से कार्य कर रहा है। ये कार्यालय अपने प्रदेश के शिक्षाधिकारियों को देश के विभिन्न भागों में हो रही शिक्षा की प्रगति से अवगत कराते हैं और अपने प्रदेश की शिक्षा प्रगति से एन.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख कार्यालय को अवगत कराते हैं। ये कार्यालय अपने प्रदेश की आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। क्षेत्रीय सलाहकारों का सक्रिय सहयोग कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में से शिक्षकों के वृहत् पुनर्बोधात्मक कार्यक्रम और नवोदय विद्यालय से संबंधित कार्य में रहा हैं। क्षेत्रीय सलाहकार के कार्यालय एन०सी० ई०आर०टी० के अनुसंधान प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों को प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत् हैं :—

राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिता—

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पच्चीसवीं बाल साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिता की घोषणा की जा चुकी हैं। 1988-89 में दिये जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 36 है। हिन्दी में चार पुरस्कार और शेष 16 भाषाओं में से प्रत्येक में दो पुरस्कारों का प्रावधान है। ये भाषायें हैं : हिन्दी, अंग्रेजी, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगू, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत और सिन्धी। प्रत्येक भाषा के हर आयु वर्ग (5 से 9 वर्ष और 9 से 15 वर्ष) की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक/पाण्डुलिपि के लिए पुरस्कार की राशि 5,000/- रु० (पांच हजार रुपये) है। यह प्रतियोगिता दो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती हैं। मात्र दो कैलेण्डर वर्ष 1985 तथा 1986 में प्रकाशित पुस्तकें प्रविष्टि के लिए सम्मिलित की जायेंगी। इस निर्धारित अवधि से पूर्व-प्रकाशित पुस्तकों के पुनर्मुद्रित संस्करणों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हिन्दी, संस्कृत, सिन्धी, उर्दू और अंग्रेजी की प्रविष्टियाँ अन्तिम तारीख 15-7-1988 तक निम्न पते पर माँगी गई थी :—

डा० अनिल विद्यालंकार, प्रोफेसर एवम् अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110016.।

विस्तृत नियमावली के लिए डॉ० अनिल विद्यालंकार अथवा क्षेत्रीय सलाहकार (एन०सी० ई०आर०टी०) इलाहाबाद को लिखें।

खिलौना बनाना प्रतियोगिता—

प्रारम्भिक एवम् पूर्व-प्रारम्भिक शालाओं के शिक्षक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। शिशु शिक्षण में प्रयुक्त अपने हाथ से सस्ती या फेंकी हुई सामग्री से बनाये खिलौने इस प्रतियोगिता में प्रविष्ट किये जाते हैं। चुने हुए खिलौनों को राज्य स्तर पर पुरस्कार दिये जाते हैं और प्रथम पुरस्कार विजेता एन०सी०ई०आर० टी० के खर्चे पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने का अवसर पाता है।

प्रविष्टि जमा करने की अन्तिम तारीख प्राय: अक्टूबर माह में निश्चित होती है । विस्तृत जानकारी के लिए क्षेत्रीय सलाहकार, एन० सी० ई० आर० टी०, इलाहाबाद को लिखें ।

विज्ञान प्रतिभा खोज —

दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं । यह दो-स्तरीय परीक्षा है । सर्वप्रथम प्रत्येक प्रदेश एक परीक्षा का आयोजन करके निश्चित संख्या में विद्यार्थियों का चयन करता है । ये चुने हुए विद्यार्थी ही रा०शै०अ०प्र०परि० द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में बैठ सकते हैं । यह परीक्षा सदैव मई महीने में होती है ।

शिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सेमीनार रीडिंग कार्यक्रम —

शिक्षकों एवम् शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अलग-अलग इस प्रतियोगिता का राष्ट्रव्यापी आयोजन होता है जो शिक्षक या शिक्षक प्रशिक्षक (teacher educator) अपने कक्षागत शिक्षण में अभिनव प्रयोग करते हैं वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं । विस्तृत जानकारी के लिए अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवम् मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली—110016 से संपर्क करें ।

नयी शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय वित्तीय सहायता से कुछ विद्यालय-विकास और शिक्षक-प्रशिक्षण उन्नति के लिए योजनायें प्रारम्भ की हैं । इस दिशा में एन०सी०ई०आर०टी०, क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार और राज्य सरकार शिक्षा विभाग से सक्रिय सम्पर्क स्थापित करता है ।

प्रेरणा शक्ति के द्वारा बच्चों की उन शक्तियों का विकास किया जा सकता है जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता और सुख निर्भर है ।

— स्वेट मार्डेन

अध्याय 4

राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार

गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गुरु की श्रेष्ठता अभिप्रमाणित करते हुए लिखा है—

'बन्दउं गुरुपद पदुम परागा' ।

भारत की पुरातन संस्कृति में तो गुरु की तुलना ब्रह्मा, विष्णु और महेश से की जाती रही है—

'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः' ।।'

शिक्षक राष्ट्र-निर्माण में अनन्त काल से योगदान करते रहे हैं और समाज अपने आदर, सम्मान एवं श्रद्धा सहित उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता रहा है। आज भी देश में जो बौद्धिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तकनीकी अथवा औद्योगिक विकास दिख रहा है, उसके मूल में भी गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का ही आधार है।

भारतीय संस्कृति के प्रतीक, महान शिक्षक एवं दार्शनिक डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितम्बर को प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1958-59 से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का अभिनन्दन किया जाता है। राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार 1958 से 1987 तक उत्तर प्रदेश के लगभग 375 अध्यापक राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत हो चुके हैं। इनमें माध्यमिक विद्यालयों के 107 पुरुष एवं 26 महिला शिक्षक एवं 25 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक सम्मिलित हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भी 1964 से 1987 तक माध्यमिक स्तर के 90 अध्यापकों को राज्य-स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संस्कृत विद्यालयों के 15 अध्यापक भी राज्य पुरस्कार से अलंकृत किये जा चुके हैं।

1983 से 1987 तक राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के उन गरिमामय शिक्षकों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है जिसे निम्न विभिन्न उपलब्ध अभिलेखों की सहायता से संकलित किया गया है :—

1. राज्य स्तरीय पुरस्कृत अध्यापक विवरणिका—1982-1985
2. नवज्योति शिक्षक दिवस विशेषांक
3. National Teachers Awards and those who received it, 1987. New Delhi, The Defence Review.
4. विभिन्न शासनादेश

राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक (माध्यमिक स्तर)

1983

(1) सुश्री जोहरा फ्लोरेंस पाल, सहायक अध्यापिका, मदन मोहन कानोडिया बालिका इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद। — सामाजिक विषयों की कुशल शिक्षिका। भूगोल विषय में श्रव्य-दृश्य सामग्री का अति प्रशंसनीय प्रयोग। एन०सी०सी० की कम्पनी कमाण्डर के रूप में विशेष ख्याति। 1971 में बंगलादेश के विस्थापितों, एवं 1978 में बाढ़पीड़ितों की सहायता में उच्चकोटि का योगदान। अस्पृश्यता निवारण, वृक्षारोपण, श्रमदान कार्य में लोकप्रिय।

(2) श्री राधेश्याम शर्मा, प्रधानाचार्य, इंटर कालेज, बाजपुर, नैनीताल। — अंग्रेजी-हिन्दी के कुशल अध्यापक। कमजोर छात्रों के लिए दिशा निर्देशन में प्रतिभावान छात्रों का सहयोग लेकर अभिनव प्रयोग किया। विद्यालय पाठ्येतर कार्यक्रमों के लिए आस-पास के क्षेत्र में सुविख्यात। विद्यालय को परिवार कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, क्रीड़ा प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वृक्षारोपण, योगासन आदि कार्यक्रमों का केन्द्र-स्थल बनाया। स्काउट कमिश्नर के रूप में कार्यरत।

(3) श्री मुहम्मद हुसैन आब्दी, प्रधानाचार्य, राजकीय उ०मा०वि०, मूलरगोदी, टिहरी-गढ़वाल। — वाणिज्य विषय को व्यावहारिक ढंग से पढ़ाने में अभिनव प्रयोग किये। सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को सुलझाने और शिक्षा का स्तर समुन्नत करने में पैनी सूझबूझ का परिचय।

(4) श्री बृजेन्द्र मोहन कश्यप, प्रवक्ता एम० एस० इण्टर कालेज, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर — अत्यन्त अध्यवसायी भूगोल अध्यापक। भूगोल में अनेक अभिनव माडल एवं चार्ट निर्माण। समुद्रीधारा, ऋतु परिवर्तन और पाताल तोड़ कुयें सम्बन्धी उनके क्रियात्मक यंत्रों की प्रदर्शनियों में सराहना हुई। साहित्य में रूचि, इनके रचित नाटकों का सफल मंचन हो चुका है। चेतना नाटक श्री मोरार जी देसाई द्वारा अनुशंसित।

(5) श्री बैजनाथ खरे, प्रवक्ता, सी०ए०वी० इण्टर कालेज, इलाहाबाद। — हिन्दी के कुशल अध्यापक एवं शत प्रतिशत परीक्षाफल के लिए पुरस्कृत। पाठ्येतर कार्यक्रमों के संचालन के लिए विख्यात। प्रान्तीय शिक्षा दल एवं एन०सी०सी० के ज्येष्ठ प्रभारी रहे। सफल स्काउट मास्टर। विद्यालय पुस्तकालय से छात्रों को लाभान्वित कराने में विज्ञ।

1984

(1) श्री जयन्ती प्रसाद संगल, प्रधानाचार्य, जय सीताराम किसान इ० कालेज, झिझाना, मुजफ्फरनगर। — विद्यालय भवन का निर्माण तथा क्रीड़ा-क्षेत्र की उपलब्धि में उल्लेखनीय योगदान। बालचर शिविरों का आयोजन, निर्धन छात्रों की सहायता। छात्रों द्वारा श्रमदान कराकर गांव तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण में विशेष योगदान। अल्प बचत, वृक्षारोपण, संचायिका में विशेष योगदान।

(2) श्री चन्द्र मोहन, प्रधानाचार्य, के०पी० इंटर कालेज, इलाहाबाद ।	साहस, दूरदर्शिता, मौलिक चिन्तन तथा प्रशासनिक दक्षता से छात्रों द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग पर नियंत्रण । विद्यालय के स्तरोन्नयन में सफल । छात्रों को रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक एवं सक्रिय करने में मौलिक एवं सराहनीय प्रयोग किया । छात्रों में आत्मनिर्भरता, नेतृत्व-विकास की भावना जागृत करने में सक्षम । जनपद के श्रव्य-दृश्य संघ के छः वर्ष महामंत्री रहे । दहेज उन्मूलन में भी योगदान दिया हैं ।
(3) श्रीमती गुणवंती ग्रोवर, प्रधानाचार्या, आर्य कन्या इंटर कालेज, टाण्डा, फैजाबाद ।	अनुशासन, सामाजिक कार्य, सत्यनिष्ठा, एवं व्यवहार तथा विद्यालय का परीक्षाफल प्रशंसनीय रहने से दूरस्थ स्थानों के अभिभावक भी अपने बच्चों को इनके विद्यालय में शिक्षा दिलाने में गौरव समझते हैं । विद्यालय छात्रावास की स्वयं देखरेख । इनकी प्रेरणा से अभिभावकों द्वारा विद्यालय हेतु तीन कमरों का निर्माण ।
(4) श्रीमती कला बिष्ट, प्रधानाचार्या, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, नैनीताल ।	शिक्षा के प्रति समर्पित तथा अपने विद्यालय के प्रति विशेष निष्ठावान । कुशल प्रशासक, अनुशासन बनाये रखने में सक्षम, विद्यालय में प्रत्येक क्षेत्र में नियम व अनुशासित कार्यविधियां दृष्टिगत होती हैं । विद्यालय में प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के हर क्षेत्र के कार्यकलापों तथा शैक्षिक उपलब्धियों का गवेषणात्मक लेखा रखती हैं जिससे छात्रों को सदैव प्रगति करने की मनोवैज्ञानिक प्रेरणा मिलती है । प्रभावशाली लेख, कहानियाँ तथा कविताओं की रचनाकार । रचनाएं आकाशवाणी से प्रसारित ।
(5) श्री त्रिभुवन सिंह सेंगर, प्रधानाचार्य, इंटर कालेज, बेला, इटावा ।	विषय अध्यापन के प्रति समर्पित । अध्यापन शैली अनोखी एवं छात्रों के लिए रुचिकर । खेलकूद, स्काउटिंग, रेडक्रास में विद्यालय का अच्छा स्थान । प्रौढ़ शिक्षा, अल्प बचत, जनगणना, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, अकालग्रस्त लोगों की सहायता आदि कार्यों में पुरस्कृत ।
(6) श्री रामबरन सिंह, प्रधानाचार्य, जनता इंटर कालेज, वेलहरी, सुल्तानपुर ।	गुरु गम्भीर और धैर्यशील एवं महानतम क्षणों में सतत स्नेहिल मुस्कान । छात्रों को सफल संरक्षण । इनकी निष्ठा, लगन, अनवरत श्रम तथा समय शक्ति के नियोजन से विद्यालय का चतुर्दिक विकास । विद्यालय की सुरम्य बाटिका इनकी प्रकृति तथा प्रवृत्ति का दर्पण है । वृक्षारोपण, अल्प बचत, पाठ्येतर कार्यकलापों, एवं श्रमदान में अमूल्य सहयोग । विद्यालय भवन निर्माण में अथक प्रयास । नवीन शिक्षण पद्धति के कुशल शिल्पी, सुनियोजित पाठन प्रणाली के प्रणेता ।

1985

(1) डॉ० बलराम मालवीय, प्रधानाचार्य, वी०पी०एम०जी० इंटर कालेज, मन्धना, कानपुर ।	गुरुकुल परम्परा के उत्तम निदर्शन, सहजता एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति । अपने विषय के सफल अध्येता, राष्ट्रीय विचारधारा के अनन्य पोषक तथा सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत । अध्यापन एवं प्रशासन में रुचि लेने के साथ-साथ विद्यालय के चतुर्दिक विकास एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में स्तुत्य सहयोग । सुरभित विद्यालय प्रांगण, सरस्वती मन्दिर पीठाश्रयी, पुस्तकालय एवं वाचनालय इनकी श्रम व निष्ठा के द्योतक हैं । सहायक जिला स्काउट कमिश्नर, सदस्य जिला अपराध निरोधक समिति, महामंत्री भारत सेवक समाज, अध्यक्ष अखिल भारतीय सदाचार समिति, उ०प्र० प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे ।
(2) श्री ओमप्रकाश शर्मा, प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय इंटर कालेज, लावड़, मेरठ ।	गणित तथा अंग्रेजी के सफल अध्यापक, उत्तम परीक्षाफल । नौ पुस्तकों के लेखक एवं विद्यालय पत्रिका में प्रेरणादायक लेख लिख कर छात्रों को नई दिशा प्रदान करने में सफल । सेवक मण्डल में सक्रिय, सेवाभावी, प्रधानाचार्य परिषदे में कर्तव्यपरायण, शिक्षा परिषद में सदस्य के रूप में क्रियाशील । कन्या जू०हा०स्कू० लावड़ की स्थापना । वृक्षारोपण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अभिनव योजनाओं का प्रयोग, बालचर एवं योगासन के प्रसार में प्रशंसित ।
(3) श्री पन्नालाल शर्मा, प्रवक्ता, जे० पी० जनता इंटर कालेज, बुलन्दशहर ।	प्रशासन की अपूर्व क्षमता । विषय के निष्णात ज्ञान रखने वाले प्रवक्ता । माध्यमिक शिक्षा परिषदीय परीक्षाओं में पवित्रता बनाए रखने में सफल । निर्धन बच्चों की सहायता, अतिरिक्त समय में निःशुल्क शिक्षण, सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन, प्रवचनों, अल्प बचत, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, छात्रों के सामुदायिक विकास, पुस्तक-रचना, प्रौढ़ शिक्षा में निरक्षरों को साक्षर बनाना, कृषि-क्षेत्र में नये बीजों का आविष्कार, प्राथमिक स्तर की संस्थाओं की स्थापना, परिवार कल्याण का रोचक पथ-प्रदर्शन, पिछड़ी जाति, जनजाति के लोगों की सहायता, विकलांगों की सहायता में पूर्ण योगदान । अनेक स्तर से प्रशस्ति प्राप्त ।
(4) श्री ईश्वर दयाल सक्सेना, प्रधानाचार्य, मनोहर भूषण इंटर कालेज, बरेली ।	विद्यालय में कठोर अनुशासन, श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था, छात्र, अध्यापक एवं कर्मचारी से सौहार्द्र के लिए प्रसिद्ध । शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु गणित जैसे विषय में "75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कराना" नामक परियोजना का सफल संचालन । खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, एन० सी०सी०, स्काउटिंग का स्तर अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श । प्रतिभावान छात्रों की प्रतिभा के निखार एवं निर्धन छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित करने में अग्रगण्य । सम्पन्न अभिभावकों से निर्धन

छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सफल । जनपदीय एवं प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन में शीर्षस्थ स्थान । राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान । हाईस्कूल प्रारम्भिक अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान नामक राष्ट्रीय कृत पुस्तकों की रचना में अग्रगण्य लेखक ।

(5) श्रीमती ज्ञान कुमारी अजीत
प्रधानाचार्या, भारत स्काउट और गाइड
हा०से० स्कूल, इलाहाबाद ।

हिन्दी की विदुषी शिक्षिका, जागरूक लेखिका, जीवन्त कलाकार और कुशल प्रशासिका । 'प्राचीर' पत्रिका, 'हमारा साहित्य और हमारे साहित्यकार', 'अरुण ज्योति' नामक पत्रिकाओं एवं बाल-गोष्ठियों के माध्यम से छात्रों में सर्जनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन । 26 पुस्तकें, लगभग 400 कहानियां, 500 वार्ताएं प्रकाशित । एक सफल कलाकार, अनेक रंगमंचों पर उतरकर आपने उदात्त चरित्रों का सजीव अभिनय प्रस्तुत किया । उ० प्र० भारत स्काउट गाइड संस्था के प्रादेशिक कुंजरू संग्रहालय की डायरेक्टर । छात्रों में राष्ट्रीयता जगाने, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान, स्काउटों द्वारा घायलों की सहायता, कुष्ठ सेवा आश्रम, भूचाल एवं गैस दुर्घटना में प्रधान मंत्री कोष में दान, प्रौढ़ महिला शिक्षा कार्यशाला एवं जागरण सप्ताह आदि में उल्लेखनीय योगदान ।

1986

(1) श्रीमती किरन गुप्ता, प्रवक्ता
आर्य कन्या इंटर कालेज,
मुजफ्फरनगर ।

कर्त्तव्यशील, सत्यनिष्ठ, सदाचारी, अनुशासनप्रिय, अध्यापन पटु, रचनात्मक क्षमता, समाजोत्थान के प्रति सतत प्रयास एवं आदर्श शिक्षिका । नागरिकशास्त्र विषय को सुरुचिपूर्ण बनाने में सराहनीय प्रयोग । कुमारी सभा के निर्वाचन की व्यवस्था, "मॉक पार्लियामेंट" के आयोजन द्वारा छात्राओं को प्रत्यक्ष बोध कराती हैं । कमजोर छात्राओं पर विशेष ध्यान देना, उनके साथ अथक परिश्रम कर उन्हें सक्षम छात्राओं के समानान्तर लाने का प्रयास । निर्धन छात्राओं की सहायता, उनकी हीन भावनाओं को दूर करने हेतु विद्यालयीय सहायता एवं समाज से सहायता दिलाने में सहायक । सामूहिक गान, कव्वाली, कवितापाठ, महापुरुषों की जीवन झांकियों का सफल कार्यान्वियन । "भारत में प्रजातंत्र सफल है" 'युवा वर्ग व अनुशासन' "संघात्मक व अध्यक्षात्मक सरकार" आदि लेखों की लेखिका । हाईस्कूल व इंटर नागरिकशास्त्र पुस्तकों की रचना में महत्वपूर्ण परामर्श । समाजोत्थान पर शासन द्वारा पुरस्कृत ।

(2) श्री गिरिजा शंकर गौड़, प्रवक्ता,
राजकीय क्वींस इंटर कालेज,
वाराणसी ।

गणित के प्रवक्ता । छात्रों को अतिरिक्त समय देकर सामान्य से उच्च स्तर पर ले जाना उनकी स्वभावगत विशेषता । शिक्षण कौशल को अद्यतन स्वरूप देने के लिए सतत सचेष्ट । राज्य स्तर के अनेक पुन-

बोधात्मक प्रशिक्षण शिविरों में सहभागिता व जनपदीय शिविरों में विषय विशेषज्ञ के रूप में व्याख्याता । शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षा तथा समृद्ध ज्ञान शिक्षा पर अभिनव प्रयोग किया । इण्टर स्तर की गणित विषय की 7 पुस्तकें प्रकाशित । विद्यालयीय, जनपदीय, मण्डलीय प्रतियोगिताओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका । इण्डियन साइन्स पापुलराइज़ेशन सोसाइटी, इलाहाबाद के उपाध्यक्ष । गान्धियन क्लब, भारत युवक समाज, थियोसाफिकल सोसाइटी के सक्रिय सदस्य, कुम्भ मेलों में शिविरों का आयोजन आदि महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान ।

(3) श्री आनन्द स्वरूप वैश्य, प्रधानाचार्य, महाराजा अग्रसेन विद्यालय, मोतीनगर, लखनऊ ।

वाणिज्य विषय के उत्तम कोटि के शिक्षक । वाणिज्य विषय में 5 पुस्तकें प्रकाशित । 78-79 में दक्षता पुरस्कार प्राप्त । उत्कृष्ट परीक्षाफल के लिए समय-समय पर प्रशस्तिपत्र प्राप्त । पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ० प्र० के परामर्शदाता एवं पाठ्यक्रम समिति (वाणिज्य), व्यावसायिक शिक्षा (मानीटरिंग), राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद, उ०प्र० के सदस्य विद्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराया । समय-समय पर रा०शै० अनु० एवं प्रशि० परिषद, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व ।

(4) श्री चतुर्वेद उपाध्याय, प्रधानाचार्य, प्रमोद इंटर कालेज, सहसवान, बदायूं ।

अनुशासन, प्रशासन एवं शैक्षिक प्रगति में संस्था का महत्वपूर्ण स्थान । आदर्श शिक्षक एवं कुशल प्रशासक । शिक्षण में अभिनव प्रयोग एवं अध्यापन स्तर को उत्कृष्ट बनाने में प्रयत्नशील । खेलकूद, साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल आयोजनकर्ता । राज्य स्तर तक पुरस्कृत । पर्यावरणीय स्वच्छता, परिवार कल्याण, अल्प बचत, संचायिका, अनुसूचित जातियों में शैक्षिक प्रसार-प्रचार, श्रमदान कार्यक्रम कुशलतापूर्वक आयोजित करते हैं । स्वयं लेखक व अभिनेता हैं ।

(5) श्री श्याम बाबू गुप्त, प्रधानाचार्य, वीरेन्द्र भारतीय इण्टर कालेज, ज्योति– मैनपुरी ।

सुयोग्य, परिश्रमी, ईमानदार, मानवीय गुणों एवं दूरदर्शिता के कारण अल्पायु में ही प्रधानाचार्य पद पर सुशोभित । विद्यालय का चतुर्मुखी विकास कर जनपद में एक आदर्श विद्यालय का स्थान दिलाया । विषय के अच्छे ज्ञाता । शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों में स्वयं सहभागिता, सहयोगियों को प्रोत्साहन । छात्रों के सर्वांगीण विकास तथा स्थानीय समाज में चरित्र-निर्माण की अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु गीता, नेहरू, गांधी, सूर, तुलसी, रविदास, अम्बेदकर जयन्तियों का सफल आयोजन । जनपदीय, मण्डलीय रैलियों

एवं विभिन्न समितियों के संयोजक । अभिभावक अध्यापक संघ के माध्यम से विद्यालय की अनेक समस्याओं का निराकरण किया । पर्यावरणीय स्वच्छता, अस्पृश्यता-निवारण, वृक्षारोपण, दहेज प्रथा उन्मूलन, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन में उल्लेखनीय उपलब्धियां ।

(6) श्री जगदीश शरण उनियाल, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, उत्तरकाशी ।

छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित अध्यापक । संस्कृत भाषा के प्रवक्ता । अध्यापन बड़ा सहज, स्वाभाविक एवं बोधगम्य । जनपदीय साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन में सदैव अग्रणी । जनपदीय/मण्डलीय क्रीड़ा समारोहों, जनपदीय विभिन्न शिक्षा समारोहों एवं रेडक्रास रैलियों में महत्वपूर्ण भूमिका । सृजनात्मक प्रवृत्ति के अध्यापक, कविताएं, लेख, व नाटकों के लेखक । वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत, कौमी एकता, राष्ट्रीय पर्व एवं नई शिक्षा नीति कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग । हरिजन तथा कमजोर वर्ग के छात्रों के उत्थान एवं शैक्षिक उन्नयन में सराहनीय योगदान । 1982 में श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित ।

1987

(1) श्री श्रीराम सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, रायबरेली ।

विद्वान् अध्यापक, कुशल प्रशासक, सफल लेखक । विद्यालय का उत्कृष्ट परीक्षाफल, शैक्षणिक स्तरोन्नयन, प्रांगण का सौंदर्यवर्द्धन, भवन-निर्माण में कर्मठता एवं निष्ठा । अद्भुत संगठन शक्ति एवं लोकप्रियता । बाढ़ एवं सूखा, महामारी, अग्निकाण्ड में राहत कार्य, रबी-खरीफ अभियान, अल्प बचत, प्रौढ़ शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, रेडक्रास कार्यक्रमों में निष्ठा और कुशलता का परिचय । ऐतिहासिक शोधपूर्ण ग्रन्थों की रचना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में सफल भूमिका ।

(2) श्रीमती जे० मालवीया, प्रधानाचार्या, लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ ।

अंग्रेजी की सफल अध्यापिका । 1985-86 के उत्कृष्ट परीक्षाफल के लिए विद्यालय पुरस्कृत । विभिन्न प्रतियोगिताओं (एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, वालीबाल, विज्ञान प्रदर्शनी आदि) में विद्यालय का विशिष्ट स्थान । 1982 के एशियाड में आपकी छात्राओं के होली नृत्य पर मुख्य मंत्री वैजयन्ती पुरस्कार मिला । राज्य/राष्ट्रीय शैक्षिक संगोष्ठियों, पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों में सक्रिय सहयोग । साक्षरता अभियान, संचायिका एवं राष्ट्रीय एकता सप्ताह कार्यक्रमों में अग्रणी । बाढ़-पीड़ितों, भोपाल गैस पीड़ितों की सहायता में प्रमुख योगदान ।

(3) कु० सरला खन्ना, प्रधानाचार्या, कौशिल्या कन्या इण्टर कालेज, डिप्टीगंज, मुरादाबाद।	हिन्दी व संस्कृत की कुशल अध्यापिका। पी०टी०, योगाभ्यास, भाषाओं में वर्तनी और उच्चारण सुधार, पिछड़े छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण, सामान्य ज्ञान विकास, अनुपयोगी वस्तुओं का सदुपयोग एवं आर्थिक लाभ आदि विभिन्न प्रायोजनाओं की कुशल संचालिका। सांस्कृतिक एवं स्काउटिंग कार्यक्रमों में विशेष रुचि। असिस्टेन्ट गाइड कमिश्नर। जन-सहयोग से भवन-निर्माण कराया। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहयोगी।
(4) श्री शिवानन्द शर्मा, प्रधानाचार्य, देवनागरी इंटर कालेज, मेरठ।	अंग्रेजी एवं संस्कृत के सुयोग्य अध्यापक। शिक्षण शैली अत्यन्त रोचक एवं प्रभावोत्पादक। विद्यालय खेलकूद, निबन्ध लेखन, वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर पुरस्कृत। उच्च कोटि के लेखक, 'जीवन और सुख', 'जीवन और अभय', 'तनाव से मुक्ति', 'ध्यान दीप' एवं 'गीता रसामृत' प्रसिद्ध रचनाएं। पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में भी इनके लेखों एवं भाषणों को स्थान प्राप्त। विद्यालय के उच्च शैक्षणिक स्तर, उत्तम अनुशासन, स्पृहणीय व्यवस्था, प्रेरणाप्रद वातावरण तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली, अथाह ज्ञान एवं विनम्र व्यवहार के कारण लोकप्रिय।
(5) श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, अल्मोड़ा।	अंग्रेजी के आदर्श शिक्षक एवं कुशल प्रशासक। अभिनव प्रयोग द्वारा पिछड़े एवं प्रतिभावान छात्रों के विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील। एन०सी०सी० में विशेष रुचि एवं कम्पनी कमान्डर। सांस्कृतिक, खेलकूद आदि कार्यक्रमों के संयोजक। वृक्षा-रोपण, अल्प बचत, निरक्षरता उन्मूलन, राष्ट्रीय एकता कार्यक्रमों में विशेष रुचि।
(6) श्री भवान सिंह वर्मा, प्रधानाचार्य, कृष्ण सहाय राष्ट्रीय इंटर कालेज, कम्पिल, फर्रुखाबाद।	हिन्दी विषय के अध्यापक। कमजोर छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा, निर्धन छात्रों की आर्थिक सहायता। मेधावी छात्रों को विशेष शिक्षण की व्यवस्था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेलकूद में राज्य स्तर तक छात्र पुरस्कृत। अभिभावक एवं नागरिकों के सहयोग से भवन-निर्माण सम्पन्न कराया एवं 10 एकड़ भूमि अर्जित। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान।

राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक (माध्यमिक स्तर)

1983

(1) श्री विश्वनाथ सिंह, प्रधानाचार्य, द्वापर विद्यापीठ इंटर कालेज, बेरईपारा मया, फैजाबाद। — हिन्दी के सफल अध्यापक। इनकी रचित "शुद्ध शब्दोच्चारण" नामक पुस्तक उ०प्र० शासन द्वारा पुरस्कृत। परीक्षा सुधार में अभिनव प्रयोग। 'हम किधर' मासिक पत्रिका के संपादक।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता श्रोतिया, प्रवक्ता, चमेलीदेवी खण्डेलवाल महिला इंटर कालेज, मथुरा। — हिन्दी संस्कृत की प्रभावी अध्यापिका। भाषा शिक्षण को रोचक, बोधगम्य बनाने हेतु समास, संधि आदि दुरूह प्रकरणों पर चार्ट तैयार किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की निर्देशिका, रेडियो कार्यक्रमों में नाटक तथा कहानी प्रसारित।

(3) श्री मुहम्मद इजहार उद्दीन अहमद सहायक अध्यापक, इस्लामिया इंटर कालेज, शाहजहाँपुर। — अंग्रेजी शिक्षण में दक्ष, भाषा शिक्षण हेतु विद्यालय में दृश्य-श्रव्य सामग्री की प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय, प्रौढ़ शिक्षा व महिला शिक्षा के विकास कार्य में विशेष योगदान।

(4) डॉ० (श्रीमती) तारा पाठक प्रधानाचार्या, श्री हरकुमार पाठक कन्या इंटर कालेज, दलेलगंज, शाहजहाँपुर। — शिक्षण के क्षेत्र में विषय एवं प्रकरण के अनुरूप शिक्षण सामग्री के प्रयोग में सफल। मानस सूक्ति सूत्रों का संकलन "मानस मुक्ता माल" का संपादन, हरिजन एवं समाज कल्याण समिति, राष्ट्रीय एकता समिति, उपभोक्ता सतर्कता समिति, जिला यूथ एडवाइजरी कमेटी की सदस्या के रूप में विख्यात।

1984

(1) श्रीमती पुष्पा राय, प्रवक्ता, गुरुनानक कन्या इंटर कालेज, सहारनपुर। — मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी की सफल अध्यापिका। विद्यालय की प्रगति एवं रचनात्मक कार्यों में तत्पर, रेडक्रास, गाइडिंग व सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान। वार्षिक समारोह, गांधी जयन्ती, कला प्रदर्शनी, गुड़िया प्रदर्शनी, संचायिका दिवस समारोहों का उत्तरदायित्व सदैव संभाला। प्राकृतिक आपदाओं में सक्रिय सहायता।

(2) श्रीमती प्रकाशवती मिश्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कालेज, प्रतापगढ़। — परीक्षा फल गुणात्मक एवं संख्यात्मक दृष्टि से सराहनीय। खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यों में विशेष रुचि, दहेज उन्मूलन एवं अन्तर्जातीय विवाह की पक्षधर।

(3) श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता, सी०एम० एंग्लो-बंगाली इंटर कालेज, वाराणसी। — विनम्र, मेधावी, अध्ययनशील विज्ञान शिक्षक। उच्चकोटि की लेखन तथा सृजनात्मक क्षमता। विज्ञान शिक्षण में आधुनिकतम विधियों से अध्यापन पर प्रशिक्षण गोष्ठियों एवं पुनर्बोधात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना, विज्ञान प्रदर्शनी में इनके छात्र जनपद / मण्डल / राज्य पुरस्कार प्राप्त। नागरिक सुरक्षा, एन०सी०सी० में योगदान, अनुशासनप्रिय।

(4) श्री सत्य नारायण शर्मा, प्रधानाचार्य, यमुना खण्ड इंटर कालेज, टप्पल, अलीगढ़ । — नागरिकशास्त्र के सफल अध्यापक । बीस सूत्रीय कार्यक्रम, स्काउटिंग, वृक्षारोपण एवं बाढ़पीड़ितों की सहायता में योगदान, यमुना खण्ड डिबेटिंग क्लब के अध्यक्ष, विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान ।

(5) श्री सुरेश जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, खटीमा, नैनीताल । — विद्यालय परिसर, भवन, आवासगृह एवं क्रीड़ास्थल का सुधार जन-सहयोग से पूर्ण कराया । योग्य अध्यापक, जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, शैक्षिक उन्नयन हेतु परियोजनाओं एवं सत्र योजना के प्रति जागरूक । विभिन्न प्रतियोगिताओं के संयोजक । स्काउटिंग रेडक्रास में विशेष रुचि ।

(6) श्री राम स्वरूप उपाध्याय, प्रधानाचार्य, के०एल० जैन इंटर कालेज, सासनी, अलीगढ़ । — जिला युवक समारोह, जिला कुश्ती प्रतियोगिता, एवं जिला स्काउट मास्टर्स ट्रेनिंग कैम्प के संयोजक । सहायक जिला स्काउट कमिश्नर का कार्य सफलतापूर्वक किया । खेलकूद में विशेष रुचि ।

1985

(1) श्री श्रीधर शुक्ल, प्रधानाचार्य, जनता इंटर कालेज, हरचन्दपुर, रायबरेली । — व्यवहारकुशलता के कारण छात्रों, अभिभावकों, सहयोगी शिक्षकों एवं सामान्य जनता में लोकप्रिय । साहित्यिक प्रतिभा, कवि, लेखक के रूप में ख्याति । परीक्षा संचालन में दृढ़ता, दूरदर्शिता एवं कार्य-कुशलता का गुण । प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष । प्राकृतिक आपदाओं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रशंसनीय योगदान ।

(2) श्री डी०डी० तिवाड़ी प्रधानाचार्य, श्री भारत मन्दिर इंटर कालेज, ऋषिकेश, देहरादून । — अध्यापन में आधुनिक विधा के प्रयोग से छात्रों में विषय के प्रति रुचि पैदा करने में सक्षम । भूगोल विषय के अध्यापक एवं भौगोलिक अभ्यास पुस्तिका के लेखक । खेलकूद, वाद-विवाद, विज्ञान प्रदर्शनी, एन० सी०सी० के सफल आयोजक । विभिन्न समाजसेवी संगठनों से सहयोग लेकर गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता दिलाने में सफल ।

(3) श्री इन्द्र विक्रम सिंह राठौर, प्रवक्ता, हीरालाल बी० एन० इंटर कालेज, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद । — स्काउटिंग, रेडक्रास, स्वास्थ्य सप्ताह, वृक्षारोपण, अल्प बचत योजना, प्रोक्टीरियल बोर्ड एवं गृह परीक्षा के सफल संचालक । हिन्दी साहित्य परिषद में सराहनीय योगदान । अपराध निरोधक समिति, भारत सेवक समाज, परिवार नियोजन में सेवाकार्य से समाज में विशिष्ट स्थान । अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के उन्नयन में लगन एवं निष्ठा ।

(4) डॉ० कृष्णदेव मिश्र, प्रवक्ता, बी०एन०एस०डी०, इंटर कालेज, कानपुर । — हिन्दी, अंग्रेजी अध्यापन की विधि, नवीन ज्ञान और नई तकनीक के प्रयोग में प्रशंसित । शैक्षणिक, अनुशासनिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान ।

(5) श्री रामावतार अग्रवाल, प्रधानाचार्य, ड्रमण्ड राजकीय इंटर कालेज, पीलीभीत । — विज्ञान एवं गणित शिक्षण में कतिपय अभिनव प्रयोग । स्वयं सक्रिय रह कर छात्रों एवं सहयोगियों से कार्य लेने की अपूर्व क्षमता । राष्ट्रीय कार्यों में विशेष रुचि ।

1986

(1)	श्री ओम प्रकाश, प्रधानाचार्य, राणा संग्राम सिंह इंटर कालेज, बिसाहड़ा, गाजियाबाद।	शैक्षिक योग्यताओं में सतत वृद्धि करके इंटरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पद पर प्रतिस्थापित । राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में विशेष रुचि । उत्कृष्ट लेखन क्षमता ।
(2)	श्री रघुबरदत्त सगटा, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कर्णकरायत–पिथौरागढ़	एन०सी०सी० के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान । जीव विज्ञान के अध्यापक । वृक्षारोपण, मद्यनिषेध, अस्पृश्यता निवारण, राष्ट्रीय एकता व पर्यावरण पर लेख । बाढ़ आने पर क्षतिग्रस्त भवनों, परिवारों को संकट से मुक्त कराया जिससे सीमान्त क्षेत्र में लोकप्रिय ।
(3)	श्री राम प्रसाद चमोली, प्रवक्ता, राणा प्रताप इंटर कालेज, टिहरी, टिहरी गढ़वाल।	अंग्रेजी तथा हिन्दी साहित्य के अच्छे विद्वान । अंग्रेजी शिक्षण में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षणप्राप्त । एकांकी नाटक, वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता, व्याख्यान आदि का कुशलतापूर्वक आयोजन । परिवार कल्याण, वानिकीकरण, बाढ़ व सूखा सहायता, ग्राम्य विकास, नारी शिक्षा, वृक्षारोपण, अल्प बचत आदि राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति निष्ठावान ।
(4)	श्रीमती अरविन्द चौधरी, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कालेज, ललितपुर।	आदर्श शिक्षिका के साथ-साथ उच्चकोटि की सामाजिक कार्यकर्ता । भूगोल तथा अर्थशास्त्र का अध्यापन । वाद-विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षक-अभिभावक संघ, नागरिक जागरण गोष्ठी, राष्ट्रीय पर्वों एवं जयन्ती समारोहों के आयोजन में उद्घोषक का कार्य । एकांकी, रूपक, मूक अभिनय आदि लिखने में विशेष रुचि । आपके संयोजकत्व में महिला समितियों का गठन हुआ । लायन्स क्लब, रोटरी क्लब आदि संस्थाओं से विशेष सम्मान व पुरस्कार प्राप्त ।
(5)	कु० क्षमा जौहरी, प्रधानाचार्या, महिला विद्यालय इंटर कालेज, लखनऊ।	कर्मठ प्रधानाचार्या के रूप में लखनऊ नगर में विख्यात । अद्वितीय प्रशासन क्षमता । कठिन से कठिन विषय वस्तु भी बोधगम्य बना देना आपकी विशेषता । बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत अल्प बचत योजना, संचायिका, दहेज उन्मूलन, बुक बैंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण आदि कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन ।
(6)	श्री दयाल सिंह कैन्तुरा, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, अंजनीसैण, टिहरी गढ़वाल।	37 वर्षों से अधिक अध्यापन जीवन । अध्यापन विषय नागरिक शास्त्र । सामाजिक उत्थान के कार्यों जैसे अध्यापक प्रतिष्ठान, बाढ़पीड़ितों की सहायता, वनीकरण, परिवार कल्याण, ग्राम विकास, नारी शिक्षा आदि में सक्रिय सहयोग ।

1987

(1) श्री प्रकाश चन्द्र मिश्र, प्रधानाचार्य, गलुआपुर इंटर कालेज, गलुआपुर, कानपुर (देहात)।

गणित एवं इतिहास के सफल अध्यापक । परीक्षाफल उच्चकोटि का । छात्रों एवं सहयोगियों से कार्य लेने में निपुण । विद्यालय परिसर सज्जा में सफल । क्षेत्रीय क्रीड़ा, वाद-विवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग । स्काउट एवं रेडक्रास कैम्पों के आयोजन; सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय जन सहयोग प्राप्त करने में सक्षम । परिवार कल्याण, अल्प बचत, अस्पृश्यता निवारण, सर्व धर्म सद्भाव विकास के लिए सफल प्रयास ।

(2) श्री रामचन्द्र मिश्र, उप प्रधानाचार्य, राजकीय जुबिली इंटर कालेज, गोरखपुर।

गणित के कुशल शिक्षक, सक्षम प्रशासक एवं कुशल मार्गदर्शक । शिक्षण एवं मूल्यांकन की अद्यतन विधियों एवं तकनीकों के सफल प्रयोगकर्ता । गणित के राष्ट्रीयकृत पुस्तक के लेखक । अभिभावक-अध्यापक एशोसिएशन को रचनात्मक दिशा प्रदान की ।

(3) श्री रामसनेही लाल मिश्र, प्रधानाचार्य, नेशनल इंटर कालेज, भोगांव, मैनपुरी।

भूगोल के सफल अध्यापक । शैक्षिक पर्यटन, प्रदर्शनियों एवं विचार गोष्ठियों के आयोजन द्वारा छात्रों के ज्ञानवर्द्धन हेतु सचेष्ट । खेलकूद, श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, साक्षरता अभियान, परिवार नियोजन, एवं पर्वो तथा मेलों में सेवा कार्य हेतु छात्रों को लगाकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील । जन सहयोग से विद्यालय में भवन निर्माण एवं सुन्दरीकरण का सफल प्रयास ।

(4) श्री राजेश्वर प्रसाद भटनागर, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, बड़ेथ, उत्तरकाशी।

अंग्रेजी भाषा अध्यापन में विशेष रुचि । जनपदीय एवं मण्डलीय समारोहों (खेलकूद, सांस्कृतिक) के संचालन एवं मंचन में महत्त्वपूर्ण भूमिका । उच्च सृजनात्मक क्षमता । उत्तम कोटि के एकांकी व कविताओं के लेखक एवं लेखन की प्रेरणा देने वाले । वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, मद्य निषेध, अल्प बचत, कौमी-एकता कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान । हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील । 1980 में जनपद के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक घोषित ।

(5) श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, फैजाबाद।

अंग्रेजी के कुशल शिक्षक । उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की उपलब्धि बढ़ाने का सफल प्रयास । उच्च प्रशासनिक क्षमता, परीक्षाओं के सफल संचालक । पाठ्यपुस्तक लेखन में विशेष रुचि । राष्ट्रीयकृत पुस्तकों की रचना तथा प्रकाशन में विशेष योगदान । राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान । अपनी संगठन शक्ति, सौहार्दपूर्ण व्यवहार से छात्र, अभिभावक व सहयोगियों में विशेष सम्मान प्राप्त ।

(6) श्री महेश चन्द्र पाठक, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कालेज, सितारगंज, नैनीताल ।

रसायन शास्त्र के सुयोग्य अध्यापक । विज्ञान के अध्यापन में नवीन विधाओं का भलीभाँति प्रयोग कर विषय को अत्यन्त सहज, सरल एवं बोधगम्य बनाने में प्रवीण । छात्रों को अतिरिक्त समय, सहायता व प्रोत्साहन देकर सक्षम बनाने में प्रयत्नशील । एन० सी० सी० में प्रशिक्षित । विज्ञान प्रदर्शनियों में पुरस्कृत । परिवार कल्याण, अल्प बचत, वृक्षारोपण, राष्ट्रीय एकता सप्ताह, नेत्र चिकित्सा शिविरों में सक्रिय योगदान ।

कोई भी व्यक्ति अपनी प्राप्ति के लिए कभी सम्मानित नहीं किया गया । सम्मान का पुरस्कार उसकी देन के लिए मिला है ।

— कूलिन

अध्याय 5

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग

प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों से अपेक्षाएं एवं निर्देश

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982, जो कि उ०प्र० अधिनियम संख्या '05, 1982 के नाम से भी जाना जाता हैं, दिनांक 14 जुलाई, 1981 से प्रवृत्त हुआ। इसके पूर्व मान्यताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति इण्टरमीडिएट ऐक्ट, 1921 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों द्वारा संचालित होती थी। जैसा कि आयोग अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व अध्यादेश सं०-08, वर्ष 1981, जो कि इस अधिनियम के आने से पूर्व लाया गया था, में निहित भूमिका में वर्णित प्रयोजनों से स्पष्ट है कि शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि इण्टरमीडिएट ऐक्ट और इसके विनियमों में अध्यापकों के चयन की जो व्यवस्था बनायी गयी थी, वह प्राय: निष्पक्ष व स्वतंत्र नहीं होती थी। अत: शिक्षण संस्थाओं की योग्य एवं अच्छे अध्यापकों को प्रदान करने हेतु एक उच्चाधिकार सम्पन्न स्वायत्तशासी संस्था बनायी जाय जिसका कार्यक्षेत्र एक जनपद मात्र में सीमित न होकर पूरे राज्य में विस्तृत हो। इस प्रकार से चयन की परिसीमायें, जो कि इण्टरमीडिएट अधिनियम में अत्यन्त सीमित थीं, वह आयोग अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक हो गयीं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1983 के आरम्भ से ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। इसी अधिनियम के तहत क्षेत्रीय स्तर पर चयन बोर्ड के गठन की परिकल्पना भी की गयी थी परन्तु तत्संबंधी प्राविधान सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किये गये हैं।

जैसा कि अधिनियम में प्राविधानित है, आयोग का मुख्य कार्य सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से चयन तथा प्रबंधतंत्र द्वारा अध्यापकों के विरुद्ध प्रस्तावित प्रमुख दण्डों को अनुमोदित करना है। आयोग का कार्यक्षेत्र केवल तीन विषयों तक ही सीमित नहीं हैं अपितु वह सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की रीति से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धान्त भी तैयार करता है तथा वह संस्थाओं से जिला विद्यालय निरीक्षक/उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या तथा अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा-समाप्ति या पंक्तिच्युत करने के संबंध में नियतकालिक विवरण या सूचनायें प्राप्त करता है तथा उनका संवीक्षण एवं परीक्षण भी करता है। आयोग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से चयन एवं दण्ड प्रकरणों के अनुमोदन/अनानुमोदन का कार्य व्यवहृत किया जाता है। इतने बृहद् कार्यक्षेत्र को देखते हुए आयोग की कर्मचारी वर्ग की जो शक्ति उपलब्ध है वह नगण्य है। आयोग में वर्ग "ग" एवं "घ" में कुल मिलाकर 46 पद ही स्वीकृत हैं जिनके संयोजन से आयोग अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्पादन सफलतापूर्वक करता चला आ रहा है। इन परिसीमाओं के होते हुए भी आयोग द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी कुशलता के साथ किया गया है। इस प्रसंग में आयोग द्वारा अब तक जो कार्य किये गये हैं उनकी विवेचना निम्नवत है :--

(1) सीधी भर्ती के माध्यम से चयन का विवरण—

पद नाम	विज्ञापित पदों की संख्या	चयन किये गये पदों की संख्या
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	1322	1056
प्रवक्ता	570	434
स्नातक वेतनक्रम	345	—

(2) पदोन्नति के माध्यम से चयन का विवरण :—

पद नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या
प्रधानाचार्य	148	138
प्रवक्ता	773	638
स्नातक वेतनक्रम	860	619

(3) दण्ड प्रकरणों के अनुमोदन/अनानुमोदन का विवरण :—

पद नाम	प्राप्त प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरणों की संख्या	अवशेष
प्रधानाचार्य	39	20	19
प्रधानाध्यापक	32	11	21
प्रवक्ता	59	20	39
स० अध्यापक	48	20	28

यद्यपि अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार आयोग के मुख्य तीन कार्य उपर्युक्त ही हैं परन्तु आयोग का चौथा सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्य आयोग द्वारा निर्णीत प्रकरणों के विरुद्ध विपुल संख्या में दायर वादों की युद्धस्तर पर पैरवी का है। अब तक आयोग के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों की कुल संख्या—1743 है। जिनमें से अब तक 826 वाद निर्णीत कराये जा चुके हैं फिर भी लगभग 917 वाद अब भी लम्बित हैं। अब तक आयोग अधिवक्ताओं की फीस तथा वादों की पैरवी से संबंधित व्ययों के विविध मदों में लगभग रु० 4,00,000/- खर्च कर चुका है। वादों की पैरवी प्रतिवर्ष आयोग की वित्तीय स्थिति को डाँवाडोल कर देती हैं।

आयोग से की जाने वाली आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आयोग की स्वीकृत जनशक्ति अत्यधिक न्यून है तथापि स्वीकृत जनशक्ति के अनुसार समस्त पद सदैव भरे रहें तथा उपलब्ध जनशक्ति का पूरे प्रबन्धकीय कौशल के साथ उपयोग किया जाय। इसके प्रकोष्ठ में पदोन्नति व विधिक मामलों के लिए दो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों (ज्येष्ठ वेतनक्रम) एवं कार्मिकों की संख्या में वृद्धि किये जाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रधानाचार्यों व प्रबन्धकों द्वारा यथानियम आयोग के निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाय। शिक्षा विभाग की प्रशासनिक कड़ी जिला विद्यालय निरीक्षक/उप शिक्षा निदेशक द्वारा किया गया प्रयास भी तभी सार्थक होगा, जब प्राचार्यों व प्रबन्धकों का आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा। इस संबंध में वर्तमान तीन बिन्दुओं की अलग-अलग विवेचना सार्थक होगी।

(अ) प्रधान/प्रवक्ता/स्नातक पद हेतु अधियाचन प्रेषण की प्रक्रिया—

इस संबंध में विस्तृत निर्देश, तथा प्रधानाचार्यों/प्रबंधकों से की जाने वाली अपेक्षाओं से संबंधित बातों पर पर्याप्त प्रकाश "माध्यम–6" के प्रशासनिक खण्ड में पृष्ठ 47 से 52 के बीच इसी विषय पर प्रकाशित लेख में डाला जा चुका है। इन बिन्दुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् है :—

(1) अधियाचन भेजने में नियमावली में दी गयी समयसारिणी का पालन प्राय: संस्थाधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता है। इसके अनुपालन में तत्परता रखे जाने की अपेक्षा की गयी है।

(2) समय-समय पर दिये गये निर्देशों के बावजूद संस्था के प्रथम दो वरिष्ठ व अर्ह अध्यापकों के अभिलेख साक्षात्कार तिथि तक भी नहीं प्रेषित किये जाते है जिससे आयोग की चयन-प्रक्रिया अवरूद्ध हो जाती है, फलत: अनावश्यक पत्र-व्यवहार करना पड़ता है और समय का भी अपव्यय होता है। नियमानुसार रिक्ति के अधियाचन के साथ-साथ प्रथम दो वरिष्ठ व अर्ह अध्यापकों के नाम, उनके सेवाभिलेख (चरित्र-पंजी एवं सेवा-पंजिका सहित) निर्धारित प्रारूप में उनसे संबंधित सूचना तथा अन्य आवश्यक अभिलेख भेजे जाने आवश्यक हैं। आयोग का परिपत्र संख्या मा०शि०आ०/अधि/728-808/87-88, दिनांक 12 अगस्त, 1987 जो कि प्रदेश के समस्त निरीक्षकों, उप शिक्षा निदेशकों, एवं मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को भेजा गया है, में स्पष्ट रूप से संस्थाओं के प्रबंधकों को यह निर्देश देने की व्यवस्था की गयी है कि संस्था के प्रधान की रिक्ति की सूचना के साथ ही सेवाभिलेख भी अनिवार्य रूप से आयोग को भेजे जायं। पुन: आयोग के पत्रांक मा०शि०आ०/अधि/1523-1603/87-88 दिनांक: 26-2-88 द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, निरीक्षक व निरीक्षिकाओं को परिपत्र भेज कर यह अनुस्मरण कराया गया कि आयोग की संशोधित नियमावली, 1983 के नियम–4 (दो) का पूर्ण पालन करते हुए वांछित अधियाचन तत्काल आयोग को भेजे जायं, जिससे प्रधानों की रिक्तियों का विज्ञापन करके आयोग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र चयन किया जा सके। परन्तु इसके बाद अनेकों अनुस्मारक भेजने के पश्चात भी अभी तक प्रधानों के सेवाभिलेख सहित कुल 68 रिक्तियों के ही अधियाचन प्राप्त हुए हैं जिन्हें विज्ञापित करने हेतु भेजे दिया गया है।

(3) प्रबन्धकों द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों की जो चरित्र-पंजिकाएं भेजी जाती हैं, उनमें प्राय: यह देखा जाता है कि दी गयी प्रविष्टियां नियमित नहीं होती है तथा प्राय: एक साथ ही भरी गयी होती हैं। यह प्रक्रिया अनियमित है। अतएव उनसे यह अपेक्षा है कि गोपनीय प्रविष्टियाँ नियमित रूप से सही समय पर स्पष्ट रूप से अंकित की जायं।

(4) प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों से यह वांछनीय है कि वे वरिष्ठ एवं अर्ह अध्यापकों के नाम भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि यदि उनकी वरिष्ठता का कोई विवाद हो, तो उसका निराकरण समय पर कर लिया जाय जिससे कि चयन के स्तर पर विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो सके। यह देखने में आ रहा है कि वरिष्ठता विवाद का समय से निराकरण न हो पाने के कारण पीड़ित अध्यापक न्यायालय में चले जाते हैं और स्थगनादेश प्राप्त कर लेते हैं, फलत: चयन की सम्पूर्ण कार्यवाही अवरूद्ध हो जाती है। वरिष्ठता विवाद के ही कारण विज्ञापन संख्या-3/85-86 एवं 1/86-87 के बहुत से चयन परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(5) विद्यालय के हित में तथा प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करा देना चाहिए। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार न ग्रहण कराना अधिनियम के प्रविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

(6) ज्ञातव्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप शासन द्वारा निर्गत अध्यादेश संख्या–12, दिनांक : 12 जून, 1985 द्वारा आरक्षित समूह के अध्यापकों के आमेलन के उद्देश्य से प्रवक्ता/स्नातक संवर्ग के सीधी

भर्ती के अध्यापकों के प्रति रोक लगा दी गयी थी, परन्तु शासनादेश दिनांक : 5-12-87 द्वारा अध्यापकों के प्रवक्ता व स्नातक पदों के प्रति सीधी भर्ती के अधियाचन प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक/उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से आयोग को प्रेषित किये जाने हैं, शर्त यही है कि वह निर्विवाद हों, उनके प्रति किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगनादेश न दिया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लेना है कि अधियाचित किये जाने वाले इन रिक्त पदों के प्रति आरक्षित समूह के किसी अध्यापक का आमेलन तो अवशेष नहीं है अथवा अधिनियम की धारा–33–क के अन्तर्गत विनियमित किये गये किसी अध्यापक की नियुक्त तो नहीं किया जाना है।

एल०टी०/प्रवक्ता पद हेतु अभियाचन भेजने के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर प्रदेश के समस्त निरीक्षक/निरीक्षिकाओं एवं उप शिक्षा निदेशकों को परिपत्र भेज कर यह निर्देश दिये गये हैं कि अधियाचन, प्रपत्र–क–"अ" पर यथाशीघ्र आयोग को भेजे जायं। आयोग से प्रेषित इन परिपत्रों का विवरण निम्नवत् है :—

(1) अ०शा० पत्रांक : मा०शि०आ०/32-106/88, दिनांक, 18-1-88
(2) अ०शा० पत्रांक : मा०शि०आ०/172-252/88, दिनांक 25-2-88
(3) अ०शा० पत्रांक : मा०शि०आ०/अधि/1-82/1988, दि०, 11-4 88
(4) अ०शा० पत्रांक : मा०शि०आ०/95-175/1988-89, दि० 21-6-88

आयोग के इन पत्रों के माध्यम से संस्थाओं के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रवक्ता एवं स्नातक वेतनक्रम के अधोलिखित प्रकार के अधियाचन संबंधित निरीक्षक/उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से आयोग को भेजे जायं। संक्षेप में इन पत्रों में दिये गये निर्देशों का सार निम्नवत् है :—

1. धारा 18 के तहत तदर्थ रूप से अद्यावधि नियुक्त पदों के प्रति आयोग को अधियाचन भेजा जाना है।

2. विभिन्न कठिनाई निवारण आदेशों के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के प्रति 40% कोटे से अधिक अस्थायी रूप से को गयी पदोन्नति के प्रति अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जाना है।

3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-6-85 के पश्चात 40% से भिन्न सीधी भर्ती के अन्तर्गत घटित वे रिक्तियां जिनके प्रति आरक्षित समूह अध्यापकों का आमेलन अवशेष नहीं है, उन पदों का अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जाना है।

4. सीधी भर्ती के प्रति हुई वे रिक्तियां जिनके प्रति माननीय न्यायालय द्वारा किसी सामान्य/विशेष स्थगन आदेश द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी का समायोजन शेष नहीं है, उसका अधियाचन आयोग को भेजा जाना है।

उपर्युक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी तक केवल प्रवक्ता के 313 एवं स्नातक के 288 रिक्तियों के अधियाचन ही प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या प्रदेश के विद्यालयों में वर्तमान रिक्तियों की विपुल संख्या को देखते हुए अत्यन्त न्यून है। अतएव उपलब्ध सभी मौलिक रिक्तियों के अधियाचन तत्काल प्रेषित करना वांछनीय है।

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से चयन हेतु दो पृथक-पृथक प्रपत्र क–अ एवं क–ब निर्धारित किये गये हैं। पूर्वनिर्धारित इन अधियाचनों के प्रपत्रों से कतिपय स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो रही थीं, अतएव आयोग के विनिश्चय दिनांक: 15-4-1988 द्वारा इन प्रपत्रों का पुनरीक्षण किया गया है। इनके प्रारूप आयोग के पत्रांक : मा०शि०आ०/अधि/550-635/88-89, दिनांक : 18 जुलाई, 1988 द्वारा समस्त निरीक्षक/निरीक्षिकाओं/उप शिक्षा निदेशकों को भेजे जा चुके हैं। भविष्य में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के सभी अधियाचन प्रपत्र इसी प्रारूप में प्रेषित किये जायं।

(ब) पदोन्नति द्वारा चयन—

आयोग सी०टी० से स्नातक व स्नातक से प्रवक्ता वेतनक्रम में 40% कोटे के अन्तर्गत अध्यापकों का पदोन्नति के माध्यम से चयन करता है। पदोन्नति का आधार मुख्य रूप से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता है। इसी सिद्धांत

को ध्यान में रखते हुए प्रबंधतंत्र द्वारा प्रकरणों का सम्यक् परीक्षण करके तथा इस तथ्य की विवेचना करके कि यह रिक्ति, रिक्ति के दिनांक को 40 % कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति रिक्ति है, अपेक्षित अन्य पत्राजातों एवं अभिलेखों के साथ भेजा जाना चाहिए।

1. पदोन्नति का प्रस्ताव भेजते समय आवश्यक है कि प्रबंधतंत्र/प्रधान अधियाचन प्रपत्र के सभी कालम पूर्ण करके भेजें। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए अर्थात् आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों में भिन्न-भिन्न वेतनक्रम के प्रति रिक्ति अलग-अलग दर्शायी जाय, साथ ही पदोन्नति के लिए प्रस्तावित वेतनक्रम की वरिष्ठता सूची में अध्यापक के नाम के प्रति आरक्षित श्रेणी के उल्लेख के अभाव में आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही व्यवहृत ही जाती है। आरक्षित रिक्ति के श्रेणी के अध्यापक अनुपलब्ध होने की दशा में तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। स्मरण रहे कि अद्यावधिक पदोन्नति हेतु उपलब्ध कुल रिक्तियों में केवल अनुसूचित जाति का 18% व जनजाति का 2% आरक्षण ही वर्तमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। शासनादेश संख्या–5119/चालीस–1-18-15(28) 80 दिनांक 30-9-81 के अनुसार पदोन्नतियों में पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के आरक्षण को व्यवस्था नहीं है।

2. प्राय: अधियाचन प्रपत्र के समस्त पृष्ठ प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं होते है। कतिपय कालम अपूर्ण या कोटे के प्रमाण-पत्र अस्पष्ट प्रविष्टि के साथ भेज दिये जाते हैं, जिससे अग्रिम कार्यवाही अवरुद्ध हो जाती है।

3. पदोन्नति के अधियाचन में प्रबंधतंत्र/प्रधान के द्वारा सीधी व पदोन्नति से पूर्व में भरे गये पदों की संख्या सही रूप में अंकित नहीं की जाती हैं। प्राय: उच्चीकृत पद अथवा नवीन सृजित पद को संकलित करते समय भी कालम की त्रुटियां रह जाती हैं जिसमें 40% कोटे की गणना त्रुटिपूर्ण होती है और प्रकरण लौटाना पड़ता है। कतिपय पद निर्धारित समय तक न भरे जाने अथवा उच्चीकृत हो जाने की स्थिति में समाप्त हो जाते हैं, उनको कुल संख्या में से अधियाचन भेजते समय घटा देनी चाहिए और पुनर्जीवित होने के उपरान्त फिर जोड़ना अपेक्षित है। तदर्थ पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों को रिक्ति के प्रति ही दिखाया जाना नियमसंगत है।

4. प्राय: प्रथम रिक्ति का प्रकरण न भेज कर बाद वाली रिक्ति का प्रकरण भेजा जाता है जिससे 40% कोटे को स्थिति अस्पष्ट होने के साथ ही प्रस्तावित पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की वरिष्ठता अतिक्रमित होने के कारण प्रकरण पूर्ण होने पर भी स्थगित करना पड़ता है।

(स) दण्ड प्रकरणों का अनुमोदन—

प्राय: यह देखा जा रहा है कि प्रबंधतंत्र द्वारा किसी अध्यापक के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड को अनुमोदित करने हेतु आयोग में जो प्रकरण प्राप्त होते हैं वे अपूर्ण रहते है जिनसे अनावश्यक पत्र-व्यवहार करना पड़ता है तथा समय का अपव्यय भी होता है जबकि दण्ड प्रकरण इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-छ के अन्तर्गत निर्मित विनियम 31–37 में निहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का विधिवत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तथा पुष्टिस्वरूप समस्त वांछित अभिलेख संलग्न करते हुए निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किये जाने चाहिए।

आयोग के परिक्षेत्र में दण्ड की तीनों स्थितियां यथा (1) सेवा से पदच्युति (2) सेवा से पृथक्करण या सेवा प्रमुक्ति एवं (3) श्रेणी से अवनति के प्रकरण अनुमोदन/अनानुमोदन हेतु प्राप्त होने चाहिए। इस संबंध में पूर्व में प्रकाशित माध्यम–6 में प्रकरण प्रेषित करने के संबंध में निर्देश दिये जा चुके हैं जिनका सम्यक् पालन करते हुए ही प्रकरण प्रेषित करना वांछनीय है। यदि पूर्व प्रकाशित अपेक्षाओं का पालन करते हुए दण्ड प्रकरण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किये जायें, तो प्रकरण के निस्तारण में आसानी होगी एवं वे अनावश्यक रूप से आयोग में लम्बित भी नहीं रहेंगे।

इस प्रकार विवेचना से यह स्पष्ट है कि आयोग की आकांक्षायें एवं सम्भावनायें संस्था के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य दोनों पर ही निर्भर करती हैं। परन्तु तथ्य यह है कि आयोग का स्वरूप सुदृढ़ बनाने के लिए तथा जिन प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को लेकर आयोग का गठन किया गया हैं उन्हें कार्यान्वित करते में प्रधानों की भूमिका प्रबन्धकों की अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि संस्था के प्रशासनतंत्र का भार अधिकतर उसी में निहित होता है और प्रबन्धक तकनीकी बिन्दुओं पर प्रायः प्रधानाचार्य से ही परामर्श करके कार्य करते हैं। इसलिए संस्था के प्रधानों से सर्वप्रथम यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं विनियमों की भलीभांति जानकारी रखें तथा उसमें ही रहे संशोधनों अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा जो प्रशासनिक आदेश जारी किये जाते हैं उनका पालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें। आयोग के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह प्रदेश की प्रत्येक संस्था से सीधे पत्र-व्यवहार के माध्यम से सम्पर्क कर सके। ऐसी दशा में प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यो का दायित्व है कि वे जनपदीय ज़िला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से सम्पर्क करके आयोग द्वारा भेजे गये निर्देशों की जानकारी करते रहें। प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों के तत्पर रहने की स्थिति में ही जिला विद्यालय निरीक्षक से अधियाचन भेजने की समय-सारिणी, वरिष्ठ अध्यापकों के अभिलेख इत्यादि उपलब्ध कराने, पदोन्नति एवं दण्ड प्रकरण विधिवत् तैयार कर एवं समय से भेजने की अपेक्षा की जा सकती है।

जो कर्तव्यपालन किये बिना शान्ति चाहते हैं उन्हें दुखी और दीन होकर रहना पड़ता है चाहे छोटा हो या बड़ा, साधक हो या सिद्ध, कर्तव्य-पालन के बिना किसी को शान्ति नहीं मिलती।

— दीनानाथ 'दिनेश'

अध्याय 6

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की नई प्रस्तावनायें

प्रदेश के शिक्षकों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कई कल्याणकारी योजनायें बनाई हैं जिनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1988 को आयोजित सामान्य सभा की बैठक में निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षक/छात्रों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। राज्य कार्यकारिणी समिति ने भी उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहमति प्रदान कर दी है।

1–उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को, जिन्होंने सराहनीय कार्य किए है, प्रदेश भ्रमण की सुविधा —

जिन शिक्षकों ने राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कार अथवा प्रो० डी० सी० शर्मा अवार्ड पुरस्कार प्राप्त किया है, उन अध्यापकों को पाँच वर्ष में एक बार पति/पत्नी सहित प्रदेश में किसी भी स्थान पर दो सप्ताह तक भ्रमण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें पति/पत्नी को द्वितीय श्रेणी का रेल/बस का किराया तथा रु० 100/- प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जायेगा। इनका चयन पुरस्कार प्राप्त करने की वरिष्ठता के आधार पर किया जाना है।

2–स्कूल शिक्षकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता —

जिन स्कूल शिक्षकों के पुत्र व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं और प्रतिवर्ष अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होते हों, तो ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार ने अधिकतम पाँच वर्ष तक रू०-1,000/-प्रतिवर्ष तक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता अनुदान स्वयं उनके बच्चों को उपलब्ध होगी। व्यावसायिक विषयों का विवरण इस प्रकार है :—

1—व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
2—इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम।
3—मेडिकल पाठ्यक्रम।
4—प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम।

3–गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को मेडिकल क्षतिपूर्ति —

यदि कोई अध्यापक कैंसर, हृदय रोग अथवा गुर्दा के नाकाम हो जाने जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हों, तो उसे अस्पताल द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य समिति की सिफारिश पर रु० 10,000/-की धनराशि एकमुश्त प्रदान की जायेगी। ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों को जहाँ प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है, इस राशि की 50%तक की सीमा की अदायगी की जायेगी। इस प्रकार से इसमें 500 अध्यापकों को प्रतिवर्ष सहायता दी जायेगी।

4—गंभीर दुर्घटना के मामलों में उदार सहायता —

इस प्रकार के मामलों में शिक्षक की बड़ी दुर्घटना जैसे किसी अंग, आँख, कान की क्षति अथवा हड्डी टूट जाने पर उसे किसी अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद उसके द्वारा इस आशय के प्रदत्त चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी अध्यापक की रु० 5,000/—तक की एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जायेगी । इस प्रकार के 10 अध्यापक प्रतिवर्ष सहायता पाने के पात्र होंगे ।

5—शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य-कलापों के लिए आर्थिक सहायता —

ऐसे अध्यापक अथवा अध्यापकों के ऐसे समूह को वित्तीय सहायता के द्वारा प्रोत्साहित करने का निश्चय किया गया है, जिनके द्वारा प्रकाशित सामग्री राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा सिफारिश की गई परियोजना के प्रकाशनार्थ हो अथवा शिक्षकों तथा छात्रों के लिए प्रासंगिक पठन-सामग्री को विकसित कर रही हो । इस प्रकार एक परियोजना के लिए राज्य समिति की सिफारिशों पर रु० 25,000/— की एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जायेगी । इस योजना से प्रदेश के 20 शिक्षक लाभान्वित होंगे ।

शिक्षकों के लिये विभिन्न उद्देश्यों हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कृत किये जाने की योजनायें विभाग द्वारा पहिले से ही क्रियान्वित हो रही हैं । इस समय राज्य प्रतिष्ठान के पास लगभग 56 लाख से अधिक धनराशि जमा हो चुकी है जिसके व्याज से प्राप्त धनराशि का उक्त योजनाओं पर व्यय होता है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रतिष्ठान कोष में लगभग 12 करोड़ रु० की राशि जमा है, जिससे राज्य प्रतिष्ठान को प्रार्थित सहायता सुलभ होती रहेगी ।

हम अड़चनों या बाधाओं को नहीं बदल सकते पर उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण अवश्य बदल सकते हैं ।

— राधाकृष्णनन

अध्याय 7

युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर

युवा कल्याण विभाग के सहयोग से छात्र/छात्राओं के 5-दिवसीय युवा शिविर जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने के संबंध में सत्र 1986-87 में निर्णय लिया गया था। इसके अनुपालन में 20 मार्च, 1987 से 5 अप्रैल, 1987 के मध्य, प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी के सहयोग से शिविर आयोजित हुआ। इसी प्रकार शैक्षिक सत्र 1987-88 में भी जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी के सहयोग से लगभग प्रत्येक जनपद में 10 मार्च से 25 मार्च, 1988 के बीच युवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के आयोजन में बढ़ती हुई रुचि तथा इसकी उपादेयता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब शैक्षिक सत्र 1988-89 में इन युवा शिविरों का आयोजन "युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर" के रूप में किया जायेगा।

2—युवा शिविरों के आयोजन के विषय में शिक्षा निदेशालय से पत्रांक एन०एफ०सी०/220-387/87-88 दिनांक 10 अप्रैल, 1987 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये जा चुके है और यह स्पष्ट किया गया है कि युवा शिविरों के आयोजन के निम्नांकित उद्देश्य हैं :—

(1) छात्रों में श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करना।

(2) छात्रों को ग्रामीण अंचलों से परिचित कराना व ग्रामीण जनता के रहनसहन की सीधी जानकारी उपलब्ध कराना।

(3) गाँव के जीवन में निम्नांकित का बोध कराना :—

(*i*) जनसंख्या का दबाव,

(*ii*) स्वच्छता की आवश्यकता।

(*iii*) पर्यावरण की शुद्धता,

(*iv*) मिलकर कार्य करने का आनन्द,

(*v*) दूसरों की सहायता करने के गुणों का विकास,

(*vi*) वर्ग व जाति भेदभाव को भुलाकर समानता,

(*vii*) कार्य करके कौशल प्राप्त करने के आनन्द की अनुभूति,

(*viii*) सीखते हुए धनोपार्जन करने की क्षमता।

(4) राष्ट्रीय एकता से संबंधित महत्वपूर्ण सामुदायिक गीतों का गायन कराना।

3—इस शैक्षिक सत्र में युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का आयोजन दो चरणों में प्रस्तावित है। पूरे शैक्षिक सत्र में 4 युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर आयोजित किये जायेंगे। दो शिविरों का आयोजन 22 अक्टूबर से 6 नवम्बर, 1988 के मध्य होगा तथा दो शिविरों का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद 1989 की परीक्षा की अवधि में प्रस्तावित है।

विस्तृत विवरण एवं निर्देश के लिए माध्यम-6 के शैक्षिक खण्ड के पृष्ठ 113-118 का अवलोकन करें।

4—युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर शिक्षा विभाग तथा युवा कल्याण विभाग दोनों के पारस्परिक सहयोग से आयोजित किया जायेगा ।

5—युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर कक्षा–9 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये है । कक्षा–9 की 50 छात्र-छात्रायें एक युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में किसी विकास खण्ड में चयनित गाँव में भेजे जायेंगे । शिविर 5-दिवसीय होगा । शिविर का कार्यक्रम संलग्न है ।

6—दो युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों के आयोजन हेतु निम्नांकित कार्यवाही तत्काल सम्पन्न करना अपेक्षित है :—

(1) दो युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों के आयोजन हेतु जनपदीय युवा कल्याण अधिकारी से दिनांक 30 अगस्त, 1988 के पूर्व सम्पर्क स्थापित करें एवं शिविरों हेतु तिथि एवं स्थान निर्धारित कर लें ।

(2) उन विद्यालयों का चयन कर लिया जाय जहाँ से कक्षा-9 के छात्र/छात्रायें दोनों शिविरों में भाग लेंगे ।

(3) इस योजना का प्रचार समस्त विद्यालयों में तत्काल कर दें जिससे छात्र/छात्रायें इस योजना से अवगत हो सकें ।

(4) प्रत्येक शिविर में एक अध्यापक तथा एक अध्यापिका को भेजा जाना है । अतः इनके नामों का चयन कर लिया जाय ।

(5) विद्यालय तथा छात्रों का चयन 15 सितम्बर, 1988 तक पूरा कर लिया जाना चाहिये ।

(6) प्रत्येक शिविर में 50 छात्र/छात्रायें भेजें जायं जिनमें 25 बालक तथा 25 बालिकायें होंगी ।

7—युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का आयोजन युवा कल्याण विभाग के सौजन्य एवं सहयोग से आयोजित किये जायेंगे जिसका प्रत्यक्ष लाभ छात्रों तथा अध्यापकों को होगा । धन का आवंटन युवा कल्याण विभाग को किया जा रहा है । प्रत्येक विद्यालय का चयन, छात्रों का चयन, अध्यापकों का चयन, ब्लाक के चयन तथा ग्राम के चयन का कार्य समय से कर लिया जाय । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जिला युवा कल्याण अधिकारी के साथ संबंधित विकास खण्ड के ब्लाक प्रमुख एवं संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान से भी 15 सितम्बर, 1988 के पूर्व ही संपर्क स्थापित कर लें जिससे सुधा शिविरों के आयोजन में उनका निर्देश एवं सहयोग प्राप्त हो सकें ।

8—शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सफल क्रियान्वयन हेतु अनेक शैक्षिक कार्यक्रम लिये गये है । कार्यानुभव एवं खेलकूद के कार्यक्रमों को विद्यालय में लागू किया जा रहा है । पर्यावरण की स्वच्छता एवं शुद्धता पर बल दिया जा रहा है । मिलकर कार्य करने की शिक्षा दी जा रही है । कार्य करके कौशल प्राप्त करने के आनन्द की अनुभूति करायी जा रही है तथा सामुदायिक गीत कार्यक्रम विद्यालयों में लागू किया जा रहा है । अतः इन शैक्षिक कार्यक्रमों का समावेश युवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में होना चाहिए ।

युवा [redacted] एकीकरण शिविर के कार्यक्रम की रूपरेखा

	प्रात: 5.00–6.00	6.00–7.00	7.00–8.00	8.00–10.00	10.00–1.00	1.00–2.00
1	2	3	4	5	6	7
शिविर प्रारंभ होनें से पूर्व का दिन				जनपद मुख्यालय के विद्यालय में एकत्र होना व प्रस्थान (सभी छात्र अपने साथ दो वक्त का भोजन साथ लायेंगे)	गन्तव्य स्थल पर आगमन तथा चयनित परिवारों से छात्र/छात्राओं का परिचय	गंतव्य स्थल के पास स्थान पर भोजन
शिविर का पहला दिन	शौच विस्तर ठीक करना आदि	प्रार्थना सामुदायिक गायन/व्यायाम/योगासन/स्काउटिंग रेडक्रास	चाय/नाश्ता	गाँव का भ्रमण अगले दिन सफाई अभियान की तैयारी	खेत में साधारण कृषि कार्य (अगले पृष्ठ पर टिप्पणी–3)	पानी लाना व स्नान तथा भोजन
शिविर का दूसरा दिन	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	गाँव की सफाई छोटे समूहों में। अगले दिन पाठशाला/पंचायतघर के रख-रखाव की तैयारी	उपरोक्त	उपरोक्त
शिविर का तीसरा दिन	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	गाँव की पाठशाला/पंचायतघर का रख-रखाव/अगले दिन रबी अभियान एवं पशुपालन. संबंधी कार्य की तैयारी	उपरोक्त	उपरोक्त
शिविर का चौथा दिन	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	खेती एवं पशुपालन के संबंध में कार्य। अगले दिन गाँव में श्रमदान हेतु प्रारंभिक तैयारी	उपरोक्त	उपरोक्त

समय अपरान्ह	2.00–3.00	3.00–4.00	4.00–5.00	5.00–6.00	6.00–7.00	7.00–8.00
	8	9	10	11	12	13
शिविर प्रारम्भ होने के पूर्व का दिन	(1) कूड़े के अस्थायी गड्ढे बनाना (2) स्नान एवं शौच के लिए नालियाँ आदि तैयार करना	चाय	—	गाँव के निवासियों से परि-चयन तथा होने वाले दिन की तैयारी	भोजन	—
शिविर का पहला दिन	अपनी रुचि के अनुसार रचनात्मक कार्य करने हेतु विषय चयन तथा सामग्री जुटाना (विशेषकर प्रयोजन सामग्री)	वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खोदना	चाय	सामूहिक खेल/स्काउटिंग रेडक्रास प्रतियोगितायें ग्रामीण युवक/युवती मंगल दल भी भाग लें	भोजन	सांस्कृतिक कार्य-क्रम अगले दिन के कार्यक्रम की संक्षिप्त चर्चा
शिविर का दूसरा दिन	चयनित कार्य का शुभारंभ	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	भोजन	उपरोक्त
शिविर का तीसरा दिन	कलाकार्य की प्रगति	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
शिविर का चौथा दिन	कलाकार्य की प्रगति एवं यथाशक्ति उसे पूर्ण करना	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त	ग्रामवासियों के साथ सामूहिक भोजन	उपरोक्त
शिविर का पाँचवाँ दिन	कलाकार्य पूर्ण करना, टेण्ट उखाड़ना एवं प्रस्थान की तैयारी	वृक्षारोपण हेतु तैयार गड्ढे ग्रामवासियों को सौंपकर उनमें समय पर वृक्ष लगवाने हेतु आग्रह	उपरोक्त	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ग्रामवासियों के समक्ष प्रदर्शन व बनायी गयी कलाकृतियाँ उन्हें भेंट करना।	6.00 बजे प्रस्थान	—

टिप्पणी :—(1) प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक व एक अध्यापिका सम्मिलित हों।

(2) प्रत्येक संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य एक दिन अवश्य शिविर में पहुँचकर छात्रों का उत्साह बढ़ायें।

(3) साधारण कृषि कार्य का तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें श्रम तो लगे, लेकिन कोई चोट लगने का खतरा छात्र/छात्राओं को न उठाना पड़े।

वार्षिक खेलकूद पंचांग

क्रम संख्या	कार्य कलाप	विद्यालय स्तर	जनपद स्तर	मण्डल स्तर	प्रदेश स्तर	राष्ट्रीय स्तर संभावित तिथियाँ	प्रदेश
1.	भाग –1						
	(अ)–1 बास्केटबाल, हैण्डबाल	8-9-88	10-9-88	20-9-88	26-9-88	25-10-88	जम्मू
	(अ)–2 बास्केटबाल (मिनी)				लखनऊ	15-10-88	दिल्ली
	(ब)–1 तैराकी, टेबल टेनिस	8-9-88	10-9-88	20-9-88	26-9-88	25-10-88	जम्मू
	(ब)–2 तैराकी, टेबल टेनिस (मिनी)				लखनऊ	15-10-88	दिल्ली
2.	भाग–2 कबड्डी, खो-खो, फुटबाल	8-9-88	10-9-88	20-9-88	8-10-88 फैजाबाद	8-11-88	महाराष्ट्र
3.	भाग–3 बालीबाल, हाकी, बैडमिन्टन, बाल बैडमिन्टन, जूडो	8-11-88	10-11-88	15-11-88	25-11-88 इलाहाबाद	1-12-88	मध्य प्रदेश
4.	भाग–4 एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, कुश्ती	8-11-88	10-11-88	15-11-88	4-12-88 मेरठ	25-12-88	उड़ीसा
5.	क्रिकेड, बीनू मनकड क्रिकेट	30-10-88	8-11-88	15-11-88	20-11-88 झाँसी	8-1-89	गुजरात
	सी० के० नायडू क्रिकेट	6-11-88	15-11-88	10-11-88	28-11-88 गोरखपुर		

बेशकीमत संपदा

'भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमत संपदा है, अमूल्य संसाधन है। जरूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो और सावधानी से की जाये। हर इन्सान का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, जन्म से मृत्युपर्यन्त, जिन्दगी के हर मुकाम पर उसकी अपनी समस्याएं और जरूरतें होती हैं। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने और उस पर पूरी लगन के साथ अमल करने की आवश्यकता है।'

— राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1988

● सुशिक्षित की सही पहचान

"व्यक्ति सुशिक्षित है इस बात की परख करनी है तो हमें चार तथ्यों को आधार बनाना पड़ेगा। (1) क्या वह जो कुछ बोलता या लिखता है वह सुनिश्चित और लगाव लपेट रहित, स्पष्ट होता है। (2) उसने जो कुछ पढ़ा है उससे कुछ आदर्श और आस्थायें जीवन में उतरी या नहीं, यदि उतरी तो क्या उसमें इतना साहस है कि वह उनके लिए कैसे भी बुरे समाज से लड़ पड़े। (3) समाज सुधार की प्रक्रिया में क्या वह इस तरह की ईमानदारी, सद्भाव और सहिष्णुता व्यक्त कर सकता है जैसे एक मां अपने प्रिय बेटे के लिए। (4) इतने पर भी वह निराश तो नहीं होता। बुरी से बुरी परिस्थितियों में यदि वह आशावादी है तो निःसन्देह वह सुशिक्षित कहलाने का पात्र है।"

वित्तीय

बेशकीमत संपदा

'भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमत संपदा है, अमूल्य संसाधन है। जरूरत इस बात की है कि उसकी परवरिश गतिशील एवं संवेदनशील हो और सावधानी से की जाये। हर इन्सान का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, जन्म से मृत्युपर्यन्त, जिन्दगी के हर मुकाम पर उसकी अपनी समस्याएं और जरूरतें होती हैं। विकास की इस पेचीदा और गतिशील प्रक्रिया में शिक्षा अपना उत्प्रेरक योगदान दे सके, इसके लिए बहुत सावधानी से योजना बनाने और उस पर पूरी लगन के साथ अमल करने की आवश्यकता है।'

— राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1988

● सुशिक्षित की सही पहचान

"व्यक्ति सुशिक्षित है इस बात की परख करनी है तो हमें चार तथ्यों को आधार बनाना पड़ेगा। (1) क्या वह जो कुछ बोलता या लिखता है वह सुनिश्चित और लगाव लपेट रहित, स्पष्ट होता है। (2) उसने जो कुछ पढ़ा है उससे कुछ आदर्श और आस्थायें जीवन में उतरी या नहीं, यदि उतरी तो क्या उसमें इतना साहस है कि वह उनके लिए कैसे भी बुरे समाज से लड़ पड़े। (3) समाज सुधार की प्रक्रिया में क्या वह इस तरह की ईमानदारी, सद्भाव और सहिष्णुता व्यक्त कर सकता है जैसे एक मां अपने प्रिय बेटे के लिए। (4) इतने पर भी वह निराश तो नहीं होता। बुरी से बुरी परिस्थितियों में यदि वह आशावादी है तो निःसन्देह वह सुशिक्षित कहलाने का पात्र है।"

वित्तीय

अध्याय 1

सेवा नैवृत्तिक लाभ

1. सहायताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को सेवा-नैवृत्तिक लाभ

राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों में सुधार करने एवं सेवा से अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें तथा उनके परिवार को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों पर शासन द्वारा समय-समय पर ध्यान दिया जाता रहा है। वर्ष 1964 के पूर्व इन शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को केवल अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध थी।

अंशदायी भविष्य निधि योजना राजाज्ञा सं० ए-2-4852/15-353-53, दिनांक 30 जुलाई, 1953 द्वारा पूर्ण-कालिक स्थायी अध्यापकों, लिपिक एवं मेट्रन पर लागू की गयी जिसके अनुसार इस योजना में आने वाले कर्मचारी को अपने वेतन का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिमास की दर से कटौती देना होता था। इस प्रतिशत से अधिक के स्वैच्छिक अंशदान को ग्राह्य नहीं माना जाता था।

कर्मचारी द्वारा दिये जाने वाले अंशदान के आधे के बराबर अंशदान प्रबन्धकर्ता द्वारा दिया जाता रहा। इस प्रकार कर्मचारी अंशदान एवं प्रबन्धकर्ता अंशदान को मिलाकर प्रतिमाह उसके खाते में जमा किया जाता रहा। जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर या किसी अन्य वैध कारणों से जमा की गई धनराशि निकाले, तो उस समय सरकार का अंशदान भी एकमुश्त राशि के रूप में देय होता था। सरकार द्वारा देय अंशदान उस समय तक देय अवशिष्ट धनराशि के $\frac{1}{3}$ भाग के बराबर था। सरकार द्वारा दिया जाने वाला अंशदान कर्मचारी के भविष्य निधि खाते के उस धनराशि पर भी देय था जिसे वे भविष्य निधि खाते से निकालकर नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट क्रय करने में लगा देते थे बशर्ते उक्त सर्टीफिकेट जि०वि०नि०/मं०बा०वि०नि० की अभिरक्षा में रखे गये हों। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को पेन्शन देय नहीं थी, केवल कर्मचारी द्वारा पी०एफ० में दिया गया अभिदान, प्रबन्धक का अंशदान और राजकीय अंशदान का ही उसे भुगतान होता था। उक्त अवस्था 1921 से 1964 तक लागू थी। किन्तु इस योजना का लाभ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं था।

2. लाभत्रयी योजना के मुख्य बिन्दु

राजाज्ञा सं० ए-5355/15-3133-1962 दिनांक 17-12-1965 के द्वारा शासन ने मुदालियर आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1-10-64 से लाभत्रयी योजना लागू की जिसके अन्तर्गत

1—अंशदायी प्राविधायी निधि

2—अनिवार्य जीवन बीमा

3—पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन-सहित

दिये जाने का प्रावधान किया।

यह योजना निम्न श्रेणियों के राज्य से सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के स्थायी कर्मचारियों पर लागू हुई जो स्वायत्तशासी निगमों या व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों के अधीन कार्यरत थे :—

1—प्राइमरी विद्यालय

2—जूनियर हाई स्कूल

3—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

4—डिग्री कालेज

5—प्रशिक्षण विद्यालय

उक्त लाभ केवल पूर्णकालिक शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को ही देय था किन्तु चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों एवं स्थानीय निकाय द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के लिपिकों को इसका लाभ देय नहीं था ।

इस योजना के अन्तर्गत पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को (कर्मचारियों की श्रेणी के आधार पर) अधिकृत किया गया, यथा—

1—डिग्री एवं प्रशिक्षण विद्यालय	—शिक्षा निदेशक
2—उ०मा० विद्यालय	—संबंधित मं०उ० शि० निदेशक
3—जू०हा०स्कूल/प्राइमरी स्कूल	—जि०वि०नि०

परिवार की व्याख्या :—

इस योजना के लाभ हेतु कर्मचारी के परिवार में निम्न को माना गया जो उस पर पूर्ण आश्रित हों :—

1—पत्नी या पति —जैसी स्थिति हो

2—पुत्र
3—अविवाहित/विधवा पुत्री } इसमें सौतेली एवं गोद ली गई सन्तान भी सम्मिलित है ।

4—भाई (18 वर्ष से कम आयु का) तथा अविवाहित बहिन (सौतेले भाई-बहिन-सहित)

5—पिता

6—माता

7—विवाहिता पुत्री (सौतेली पुत्री-सहित)

8—पूर्व में मृत पुत्र के बच्चे

लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को निम्नांकित लाभ प्रदान किये गये :—

(प्रथम) अंशदायी प्राविधायी निधि :—

जैसा कि उपर्युक्त सन्दर्भित राजाज्ञा दि० 30-7-1953 में वर्णित है, के अनुसार ही लागू रहा ।

(द्वितीय) जीवन बीमा :—

1—ऐसे सभी शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारी जिन्होंने लाभत्रयी योजना का वरण किया हो, योजना के वरण करने के दिनांक अथवा स्थायीकरण की तिथि से जीवन बीमा अथवा पोस्टल जीवन बीमा जो उनकी अधिवर्षता आयु पर पूर्ण हो, उस सीमा के अन्तर्गत बीमा करायेंगे, जो उनकी श्रेणी के लिए परिशिष्ट-क में निर्धारित की गई है, तथा उसे चालू रखेंगे ।

2—ऐसे कर्मचारी, जो पहले से जीवन बीमा की पालिसी लिये हों या दि० 1-10-64 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, को इस योजना के अन्तर्गत पालिसी लेने से छूट दी गयी ।

3—निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ली गई पालिसी संबन्धित कर्मचारी की उच्च श्रेणी में नियुक्ति/प्रोन्नति होने पर अन्तर के बराबर की धनराशि की अन्य पालिसी लेनी पड़ेगी ।

नोट :—पालिसी के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम/पोस्टल जीवन बीमा के नियमों के पालन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कर्मचारी पर होगी ।

4—बिना समुचित कारणों के यदि कोई कर्मचारी पालिसी लेने में निर्धारित तिथि के बाद विलम्ब करता है, तो उसकी वह अवधि, जो बीमा पालिसी प्राप्त करने के पूर्व की होगी, पेन्शन के लिए गणना में नहीं ली जायगी और केवल

पालिसी प्राप्त करने की तिथि से ही उसकी सेवा अवधि पेन्शन गणना के लिए अर्ह सेवा मानी जायगी। किन्तु उक्त नियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जिसको जीवन बीमा /पोस्टल जीवन बीमा के लिए खराब स्वास्थ्य के आधार पर या ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक आधार पर बीमा पालिसी लेने के लिए प्रतिबन्धित करते हों।

5—पालिसी लेने पर उसकी किस्तों के भुगतान एवं पालिसी को जीवित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पालिसी प्राप्त-कर्ता की होती है। कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रबन्धाधिकरण को इस आशय का प्रमाण देना होगा कि उसने अपनी पालिसी की किस्तों का भुगतान समय से कर दिया है। प्रबन्धाधिकरण प्रतिवर्ष इस संबंध में नियंत्रक अधिकारी को सभी कर्मचारियों की पालिसी किस्तों की संकलित तालिका प्रस्तुत करेगा कि पालिसियाँ जीवित रखी गई हैं। यदि नियंत्रक अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि पालिसी प्राप्तकर्ता समय से किस्त देने में सक्षम नहीं हो रहा है, तो वह प्रबन्धाधिकरण को निर्देश देगा कि उसके वेतन से कटौती करके किस्त का भुगतान करें।

6—आवश्यकतानुसार पालिसी की किस्त के भुगतान हेतु भविष्य निधि से ऋण देने की भी व्यवस्था है जो उसके भविष्य निधि में वापस जमा कराया जाना आवश्यक होगा। पी०एफ० से ऐसी निकासी पूर्ण रुपये में होगी।

7—पालिसी प्राप्तकर्ता स्वयं भी पी०एफ० से धन ऋण लेकर किस्त का भुगतान कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे जमा की गई धनराशि की रसीद उसकी प्रमाणित प्रति-सहित एक माह के भीतर नियंत्रक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8—इस प्रकार प्राप्त पालिसी की पूर्णता पर उसका भुगतान स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य, जिसे उसने इसके लिए नामित किया हो, प्राप्त करने का अधिकारी होगा किन्तु परिवार से बाहर अन्य को वह दान या अन्य प्रकार से नहीं दे सकता।

(तृतीय) पेन्शन :

1—पात्रता :—

लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत पेन्शन पाने के लिए कर्मचारी निम्न स्थितियों में पात्र होता है :—

(i) अधिवर्षता वय प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने या अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा-विस्तरण की अवधि पूर्ण होने पर।

(ii) स्वेच्छया सेवानिवृत्ति जो 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा के पूर्ण होने के उपरान्त ली गयी हो।

(iii) अधिवर्षता आयु के पूर्व चिकित्सीय आधार पर आगे सेवा के योग्य घोषित न होने की स्थिति में।

(iv) पद के समाप्त होने या विद्यालय की मान्यता वापस लिये जाने के कारण विद्यालय के बन्द हो जाने की स्थिति में या अन्य विधिक कारणों से।

2—जन्म दिनांक का अवधारण :—

किसी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु वह होगी जो तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत उस पर लागू हो।

(1) अधिवर्षता का दिनांक उसकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित होगा जो उसकी सेवा-पुस्तिका या अन्य अभिलेख में अंकित हो। मान लीजिये किसी कर्मचारी का केवल जन्म का वर्ष ही ज्ञात है, माह नहीं, तो उसका जन्म दिनांक उस वर्ष की 1 जुलाई माना जायगा। यदि जन्म का माह एवं वर्ष ज्ञात है किन्तु तिथि नहीं तो उस माह की 16 तारीख को उसका जन्मदिन माना जायगा।

(2) कोई कर्मचारी 25 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के उपरान्त किसी समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है बशर्ते वह सेवानिवृत्ति चाहने के दिनांक से 3 माह पूर्व प्रबन्धाधिकरण को लिखित नोटिस दे।

3—पेन्शन की गणना :—

पेन्शन की धनराशि, जो स्वीकृत की जाय, की गणना उसके अर्हकारी सेवा-अवधि के आधार पर लाभत्रयी योजना की नियमावली के नियम 21, जैसा निम्नवत् अंकित है, के आधार पर की जायगी। वर्ष के किसी अंश को पेन्शन आगणन के लिए अर्हकारी सेवा में शामिल नहीं किया जायेगा। पेन्शन निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित किया जायेगा।

(क) इन नियमों के अन्तर्गत देय पूर्ण पेन्शन तब तक स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा की गई सेवा सन्तोषजनक मान्य न की गई हो एवं उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो।

(ख) यदि सेवा आद्योपान्त सन्तोषजनक नहीं है, तब पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी जैसा उचित समझे पेन्शन धनराशि में कमी कर सकता है।

4—सेवा जो पेंशन हेतु जोड़ी नहीं जायगी :—

(अ) कर्मचारी किसी स्थायी अधिष्ठान में जब तक स्थायी पद पर कार्यरत नहीं रहा है तो वह अवधि सेवा में नहीं जोड़ी जायगी।

(ब) अस्थायी सेवा या स्थानापन्न सेवा बिना किसी व्यवधान के उसी पद या किसी अन्य पद पर कर्मचारी के स्थायी हो जाने पर ही अर्हकारी सेवा में जोड़ी जायगी।

(स) अवैतनिक अवकाश, निलम्बन (जिसमें उसे निश्चित दण्ड दिया गया हो), कार्यभार ग्रहण करने में लिया गया अधिक समय, अथवा ऐसे अवकाश जो बाद में विनियमित न किये गये हों और सेवा में व्यवधान की अवधियां अर्हकारी सेवा की गणना में मान्य न होंगी।

(द) कर्मचारी की सेवा-समाप्ति यदि कर्मचारी की गलती के बिना हुई है तो उसकी सेवा-समाप्ति के पूर्व एवं पुनः सेवा में आने के बीच की अवधि उसकी अर्हकारी सेवा में व्यवधान नहीं माना जायगा। किन्तु अन्य प्रकार के मामले में उसकी पूर्व सेवाएं तब तक अर्हकारी सेवा में जोड़ी नहीं जायगी जब तक कि शासन द्वारा उस अवधि को अपलोपित (condone) करने का आदेश न दिया जाय।

(य) उपार्जित अवकाश उपभोग की अवधियों की अर्हकारी सेवा में गणना की जायगी किन्तु भत्ता सहित अन्य प्रकार के अवकाश पर व्यतीत किया गया समय निम्नलिखित रूप में अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायगा :—

(i) यदि कुल सेवा 15 वर्ष से अधिक एवं 30 वर्ष से कम हो, तो ऐसे अवकाश का एक वर्ष अर्हकारी सेवा के रूप में गिना जायगा।

(ii) यदि कुल सेवा 30 वर्ष से कम न हो, तो ऐसी छुट्टी के 2 वर्ष अर्हकारी सेवा में गिने जायँगे।

नोट :—(1) उपार्जित अवकाश का अर्थ है पूर्ण औसत वेतन पर अवकाश।

(2) किसी विवाहित महिला सेवक की दशा में उसके मातृत्व अवकाश को अर्हकारी सेवा में गिना जायगा बशर्ते उसके मातृत्व अवकाश एवं उपार्जित अवकाश के उपभोग की अवधि देयता से अधिक न हो।

(3) कुल सेवा का तात्पर्य वह कुल सेवा है जो पेन्शन के लिए अर्हकारी सेवा प्रारम्भ होने के दिनांक से गिनी जाती है जिसमें ऊपर उल्लिखित छुट्टी की अवधियां सम्मिलित हैं।

(4) किसी सेवक द्वारा 18 वर्ष की आयु के पूर्व की गई सेवा पेन्शन के लिए अर्हकारी सेवा नहीं मानी जायगी। इसी प्रकार अधिवर्षता आयु के उपरान्त की गई सेवा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय से एवं नियमित ढंग से सेवावृद्धि न दी गई हो, अथवा पुनर्नियुक्ति की अवधि को अर्हकारी सेवा में नहीं जोड़ा जायगा।

(5) कर्मचारी के स्थायीकरण से संबंधित प्रविष्टि उसकी सेवा-पंजिका में नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायगी।

(6) यदि कर्मचारी उक्त नियमों से आवृत्त नहीं होता है तब उसकी अर्हकारी सेवा शासन द्वारा निर्धारित की जायगी जो अन्तिम होगी।

(5) नियंत्रक अधिकारी अपने विवेकानुसार 6 माह तक की अवधि की अर्हकारी सेवा की अवधि में कमी के लिए उपमर्षित कर सकता है जबकि उसकी अर्हकारी सेवा 1 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की हो।

(6) कोई कर्मचारी अधिवर्षता/निवृत्ति/अशक्तता पेन्शन के लिए तभी अर्ह होगा जब उसने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर उसे अन्तिम 3 वर्ष की औसत परिलब्धियों के 10/120 की दर से अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति/अशक्तता पेन्शन स्वीकृत की जायगी। यह पेन्शन अधिकतम 30/120 की सीमा तक दी जा सकती है जो निम्नवत् है :—

अर्हकारी सेवा का पूर्ण वर्ष	पेन्शन की दर तीन वर्ष की औसत परिलब्धियों पर	प्रतिमाह पेन्शन की अधिकतम सीमा	
10	10/120	कर्मचारी	रु०
11	11/120	1—प्राइमरी/जू०हा० स्कूल	60-00
12	12/120	2—उ०मा०वि० के प्रधानाचार्य	75-00
13	13/120	3—अन्य कर्मचारी	60-00
14	14/120	4—डिग्री कालेज प्रधानाचार्य	150-00
15	15/120	5—विभागाध्यक्ष	100-00
16	16/120	6—प्रवक्ता	75-00
17	17/120	7—अन्य कर्मचारी	60-00
18	18/120	8—प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधानाचार्य	75-00
19	19/120	9—अन्य कर्मचारी	60-00
20	20/120		
21	21/120		
22	22/120		
23	23/120		
24	24/120		
25	25/120		
26	26/120		
27	27/120		
28	28/120		
29	29/120		
30	30/120		

(7) पेन्शनर को वर्ष में कम से कम एक बार अपने को स्वीकर्ता/नियंत्रक अधिकारी के समक्ष प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत होना पड़ेगा एवं अपने पेन्शन भुगतान आदेश को प्रतिहस्ताक्षरित कराना पड़ेगा। अथवा स्वीकर्ता/नियंत्रक अधिकारी को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट / राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य / विधायक से अपने जीवित होने का प्रमाण देना होगा।

(8) पेन्शनर की मृत्यु के सात दिन के अन्दर प्रबन्धाधिकरण के माध्यम से उस पेन्शनर के पी०पी०ओ० को नियंत्रक अधिकारी को समर्पित करना पड़ेगा।

(चतुर्थ) पारिवारिक पेन्शन

1—ऐसे शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो उनकी सेवारत मृत्यु या सेवानिवृत्ति पर मृत्यु की दशा में उनके परिवार को 10 वर्ष के लिए पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जा सकती है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पारिवारिक पेन्शन मृतक कर्मचारी की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष से आगे नहीं बढ़ायी जायगी।

नोट :—यदि अर्हकारी सेवा-अवधि उक्त वर्णित अवधि से कम हो, तो उस अवधि को उपमर्षित (condone) नहीं किया जा सकता है।

2—पारिवारिक पेन्शन की धनराशि

(क) सेवारत मृत्यु की दशा में उसकी अधिवर्षता पेन्शन, जो उसे उसकी मृत्यु के दिनांक को यदि वह सेवानिवृत्त होता तो पाता, के आधे के बराबर देय होगी।

(ख) यदि वह सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत हो जाय, तो उसकी पेन्शन के आधे के बराबर।

3—निम्नांकित प्रकरणों में पारिवारिक पेन्शन देय नहीं होगी :—

(अ) किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के परिवार को।

(ब) परिवार की अविवाहिता महिला को उसके विवाह हो जाने की दशा में।

(स) परिवार की विधवा सदस्या को उसके पुनर्विवाह की दशा में।

(द) मृतक के भाई को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद।

(य) ऐसा व्यक्ति जो मृतक के परिवार का सदस्य मान्य न हो।

4—(क) नामांकन के अभाव में निम्न को देय होगी :—

(1) ज्येष्ठतम जीवित विधवा को यदि मृत कर्मचारी पुरुष हो अथवा पति को यदि मृत कर्मचारी महिला हो।

(2) विधवा या पति, जैसी स्थिति हो, के न होने पर ज्येष्ठतम जीवित पुत्र को।

(3) उपर्युक्त (1) और (2) के न होने पर ज्येष्ठतम अविवाहित पुत्री को।

(4) इनके न होने पर ज्येष्ठतम विधवा पुत्री को।

(ख) खण्ड (क) के अधीन पेन्शन देय न होने की दशा में पेन्शन निम्नलिखित को दी जा सकती है :—

(1) पिता को।

(2) पिता के न होने पर माता को।

(3) पिता और माता दोनों के न होने पर 18 वर्ष से कम आयु के ज्येष्ठतम जीवित भाई को।

(4) इनके न होने पर ज्येष्ठतम जीवित अविवाहित बहिन को ।

(5) उपर्युक्त (1) से (4) तक के न होने पर जीवित विधवा बहिन को ।

(6) उपर्युक्त (1) से (5) तक के न होने पर पूर्व मृत पुत्र के बच्चों को उस क्रम में जिसमें यह उपर्युक्त खण्ड (क) (3) (4) के अधीन मृत कर्मचारी के बच्चों को देय है ।

5—नामांकन

(क) कोई भी कर्मचारी अपने स्थायीकरण होने अथवा इन नियमों द्वारा प्रशासित होने हेतु विकल्प का प्रयोग करने के बाद जैसी भी दशा में हो तुरन्त निदेशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एक नामांकन करेगा जिसमें वह जो क्रम बतायेगा जिसके अन्तर्गत परिवार के सदस्य को पेन्शन दी जानी चाहिए बशर्ते वह अन्यथा पेन्शन पाने के लिए पात्र हो ।

(ख) (1) कोई कर्मचारी किसी समय नियंत्रक अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देकर नामांकन रद्द कर सकता है किन्तु उसे तत्काल नया नामांकन भी देना होगा ।

(2) नामांकन/पुनर्नामांकन नियंत्रक अधिकारी को भेजा जायगा जो इसकी प्राप्ति पर तत्काल दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर करके अपने अभिरक्षण में रखेगा ।

(3) नामांकन उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को वह नियंत्रक अधिकारी को प्राप्त होगा ।

(ग) इसके अन्तर्गत दी गई पेन्शन एक मास में मृत कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय न होगी ।

6—सामान्य उपबन्ध

1—पारिवारिक पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र निदेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिया जायगा ।

2—प्रबन्धक किसी कर्मचारी के पेन्शन संबंधी कागजों को उसकी सेवा-निवृत्ति के लिए नियत दिनांक से डेढ़ वर्ष पहले अथवा परिवार पेन्शन की दशा में इस संबंध के प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर तुरन्त तैयार करना शुरू कर देगा तथा उन्हें स्वीकृति हेतु नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

3—पेन्शन/परिवार पेन्शन, जो देये हो जाय, आवश्यक सत्यापन तथा सभी प्रकार की जाँच करने के बाद नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायगी एवं संबंधित व्यक्ति के नाम पेन्शन भुगतान आदेश जारी किया जायेगा ।

4—औपचारिक पेन्शन भुगतान आदेश जारी होने में विलम्ब की स्थिति में अनन्तिम पेन्शन/अनन्तिम परिवार पेन्शन नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है ।

5—पेन्शन भुगतान पेन्शनर की स्वेच्छानुसार नकद या मनीआर्डर से किया जा सकता है किन्तु मनीआर्डर की दशा में मनीआर्डर कमीशन पेन्शन की धनराशि में काट लिया जायगा ।

6—पेन्शन की धनराशि नियमिक सहायक अनुदान के रूप में प्रबन्धक को दी जायेगी ।

7—वे मामले जिनके संबंध में कोई ऐसी रियायत देनी अपेक्षित हो जिसका नियमावली में उल्लेख नहीं है, तो सरकार के आदेशों के उपरान्त ही दी जायगी ।

8—नियमावली के अधीन पेन्शन देये की अभिप्रेत शर्त यह है कि पेन्शन पाने वाले का आचरण भविष्य में अच्छा रहे । यदि पेन्शनर किसी गम्भीर अपराध का दोषी सिद्ध हो अथवा घोर कदाचार का दोषी हो, तो सरकार उसकी पेन्शन को रोक सकती है/वापस ले सकती है । ऐसे मामलों में शासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

9—इस नियमावली के अन्तर्गत पेन्शन का राशिकरण नहीं किया जायगा ।

10—स्वीकृत पेन्शन/परिवार पेन्शन से उस धनराशि की वसूली करने का अधिकार होगा जो कर्मचारी द्वारा प्रबन्धक अथवा सरकार को देय हो ।

11—कोई भी पेन्शन/परिवार पेन्शन उस दशा में नहीं दी जायगी जब उक्त कर्मचारी कदाचार/दिवालिया/कार्य-अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो या हटाया गया हो ।

12—पेन्शन/परिवार पेन्शन संबंधी मामलों में जिनकी नियमावली में विशिष्टत: व्यवस्था नहीं की गई हो वही प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनसहित लागू होगी जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के संबंध में निर्धारित है ।

3. नवीन पेन्शन योजना

राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उ० मा० विद्यालयों के ऐसे शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों, जो लाभ-त्रयी योजना से अनुशासित हैं एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों, जिन्हें सम्प्रति भविष्य निधि योजना एवं पेन्शन की सुविधा अनुमन्य नही थी, को राजकीय कर्मचारियों के अनुरूप सेवा नैवृत्तिक लाभ दिये जाने के उद्देश्य से शासन ने राजाज्ञा संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004(2)/1974 दिनांक 31-3-78 द्वारा शिक्षण कर्मचारियों (दिनांक 1-3-77 से लागू) एवं राजाज्ञा संख्या 7716/पन्द्रह-8-3003(1)/1977 दिनांक 3-11-78 द्वारा लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों (दिनांक 1-3-78 से लागू) के संबंध में निर्णय लिया कि दिनांक 1-3-77/1-3-78 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले उक्त विद्यालयों के समस्त स्थायी, पूर्णकालिक तथा नियमित शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों को उसी दर पर पेंशन देय होगी जिस दर पर वह राजकीय विद्यालयों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनुमन्य है और उसका आगणन भी राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा ग्रेच्युटी की दरों पर ग्रेच्युटी भी अनुमन्य होगी। सामूहिक बीमा का लाभ भी उन्हें पूर्ववत् मिलता रहेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत देय लाभ निम्न प्रतिबन्धों से प्रतिबन्धित है :—

(1) इन कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी या मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी ।

(2) शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू वर्तमान अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर क्रमश: दिनांक 1-3-77 व 1-3-78 से सामान्य भविष्य निधि योजना लागू होगी और इस योजना के अधीन उनके वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू दर सें की जायगी जो सम्प्रति मूल वेतन का 10 प्रतिशत है ।

(3) इन कर्मचारियों के अंशदायी प्राविधायी निधि के खाते में वह सब धनराशि जो उसके अंशदान एवं प्रबन्ध-कीय या स्थानीय निकायों के अंशदान के रूप में 28-2-77/28-2-78 यथास्थिति जमा की गई है या जमा होने योग्य है संकलित व्याजसहित राजाज्ञा में वर्णित लेखा शीर्षकों में जमा करायी जाय एवं 1-3-77/1-3-78 से इन्हें राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान की कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

(4) पेंशन समानता का लाभ पाने के लिए पात्र केवल वे ही कर्मचारी होंगे जो अपने प्राविधायी निधि के लेखे में जमा प्रबन्धकीय या स्थानीय निकाय के अंशदान को उस पर संकलित ब्याजसहित राजकोष में निर्धारित शीर्षकों में जमा कर देंगे ।

(5) उक्त राजाज्ञाओं से आवृत्त पेंशनभोगियों को वे समस्त वृद्धियां भी अनुमन्य होंगी जो 1-3-77/1-3-78 तक सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों को पेंशन में समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं ।

(6) राजाज्ञा सं० ए-5355/पन्द्रह-3133/1962 दिनांक 17-12-65 द्वारा प्रसारित लाभत्रयी योजना तथा शिक्षा संहिता के परिशिष्ट–आठ में अंकित अंशदायी प्राविधायी निधि योजना सहायताप्राप्त उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के संबंध में उक्त सीमा तक संशोधित की गई ।

राजाज्ञा संख्या 827/15-8-83-2007(48)80 दिनांक 12-10-84 द्वारा ऐसे शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को पेंशन की अनुमन्यता प्रदान की गई जिन्हें प्रबन्धाधिकरणों की उदासीनता के कारण राजाज्ञा ए-5355/15-3133-1962 दिनांक 17-12-65 एवं 5310/15-8-3004(2)/1974 दिनांक 31-3-78 द्वारा प्रवर्तित नवीन पेन्शन योजना के अन्तर्गत भविष्य निर्वाह निधि में शामिल नहीं किया जा सका, बशर्ते वे 31-3-85 तक इसका लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देते हुए तीन माह के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित देय प्रबन्धकीय अंशदान के अंश संकलित ब्याजसहित कोषागार में जमा करके चालान प्रस्तुत कर दें ।

4. मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक

राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उ०मा० विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों, जो 58 वर्ष की आयु पर सेवा-निवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं, के लिए शासन ने राजाज्ञा सं० 2523/पन्द्रह-8-3070/77 दिनांक 10-8-78 द्वारा दिनांक 30-6-1978 या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दर पर आनुतोषिक अनुमन्य किया है ।

राजाज्ञा सं० 3218/15-8-3070/77 दिनांक 29-8-81 द्वारा राज्य सहायताप्राप्त उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों को मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की नियमावली प्रसारित की गई जो सुलभ संदर्भ हेतु दी जा रही है। यह नियमावली 30-6-78 से प्रवृत्त की गई। इसके अन्तर्गत आनुतोषिक अधिवर्षता पर या कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने या 45 वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त या स्थायी रूप से सेवा के लिए असमर्थ होने पर निम्नवत् देय होगी :—

सेवानिवृत्ति आनुतोषिक

(1) आनुतोषिक के लिए अर्ह सेवा की गणना छमाही अवधियों में, की जायगी । छ: माह से कम अवधि की गणना अर्ह सेवा में नहीं की जायगी ।

(2) आनुतोषिक राज्यकर्मचारियों को समय-समय पर देय आनुतोषिक आगणन की विधि द्वारा ही किया जायगा ।

आनुतोषिक कर्मचारी की अन्तिम परिलब्धियों के 16·5 गुना अथवा 30,000 रुपये से अधिक न होगी । आनुतोषिक आगणन के लिए मासिक परिलब्धि की 2,500 रुपये से अधिक की धनराशि छोड़ दी जायगी ।

मृत्यु आनुतोषिक

अध्यापक की अन्तिम परिलब्धि के कम से कम चार गुना तथा अधिक से अधिक साढ़े सोलह गुना या 30,000/- रुपये से अधिक न होगी ।

यदि अध्यापक ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, तो उसके किसी अन्य सम्बन्धी को आनुतोषिक देय नहीं है ।

5. पारिवारिक पेन्शन

राजकोष से सहायताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल, उ०मा० विद्यालय, डिग्री कालेजों के शिक्षकों तथा उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान पारिवारिक पेंशन की सुविधा दिनांक 1-10-81 से राजाज्ञा सं० 6246/15-8-3004(10)/77 दिनांक 31-3-82 द्वारा प्रदान की गई ।

इसके अन्तर्गत उक्त राजाज्ञानुसार पारिवारिक पेंशन के लिए वेतन का तात्पर्य फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 9 (21) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जिसमें महँगाई वेतन यदि कोई हो सम्मिलित हैं, जो शिक्षक अपनी मृत्यु के दिनांक को यदि मृत्यु सेवाकाल में हुई हो, अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा हो। यदि मृत्यु के दिनांक को जबकि वह सेवा में हुई हो या उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले शिक्षक छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित हैं) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, तो वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जो उक्त शिक्षक ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलम्बित किये जाने के ठीक पहले लिया हो।

(क) योजना का प्रशासन

इस योजना का प्रशासन निम्नवत् किया जायगा :—

(क) परिवार पेंशन सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुगन्य होगी जब सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में शिक्षक मृत्यु के समय कोई प्रतिकर, अशक्तता, सेवानिवृत्ति या अधिवर्ष पेंशन पा रहा हो या पा रहा होता और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा की हो।

उक्त अवधि की गणना में निम्नलिखित अवधि की गणना नहीं की जायगी :—

(क) भत्तारहित छुट्टी की अवधि।

(ख) निलम्बन की अवधि, भले ही वह ड्यूटी के रूप में माना गया हो।

(ग) 20 वर्ष की आयु के पहले की गई सेवाअवधि।

(ख) योजना हेतु मान्य पारिवारिक सदस्य

(1) पत्नी/पति,

(2) अवयस्क पुत्र,

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्रियां।

नोट :—(1) क्रम (2) व (3) में सेवानिवृत्ति से पहले वैध रूप से गोद ली गई सन्तान भी सम्मिलित होगी।

(2) सेवानिवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिए मान्य नहीं समझा जायगा।

(ग) पेन्शन निम्न दशाओं में दी जायगी :—

(1) विधवा/विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी पहले हो के दिनांक तक।

(2) अवयस्क पुत्र की दशा में 18 वर्ष की आयु तक।

(3) अविवाहित पुत्री की दशा में 21 वर्ष की आयु तक या विवाह होने तक जो पहले हो।

नोट :—जहाँ दो विधवाएं हों, तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। उसकी मृत्यु/पुनर्विवाह पर अगली उत्तरजीवी विधवा को (यदि हो) देय होगी। शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के निर्देश वरिष्ठता से है।

(4) इस योजना के अधीन दी गई पेंशन एक ही समय में शिक्षक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी जो उक्त क्रम (ख) के अनुसार होगी।

(5) विधवा/विधुर का पुनर्विवाह/मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन अवयस्क सन्तान को उसके प्रवृत्त अभिभावकों के माध्यम से ही दी जायगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक के माध्यम से किया जायगा।

(घ) **पेन्शन कब तक देय होगी :—**

(1) सेवारत मृत्यु की दशा में यदि मृतक ने कम से कम 7 वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है, तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक 7 वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो ।

(2) पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा इस योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगुना जो भी कम हो के बराबर होगी ।

(3) सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु होने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जब मृत पेंशनर के जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा 7 वर्ष तक, जो भी कम हो ।

(4) पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा सें सेवानिवृत्ति के उपरान्त शिक्षक को स्वीकृत की गई सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी । सेवानिवृत्ति पेंशन का तात्पर्य उस पेंशन से है जो पेंशनर को मूलतः स्वीकृत हुई हो । किन्तु यह धनराशि निम्न से कम भी नहीं होगी :—

वेतन	विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेंशन
400 रुपये से कम	वेतन का 30 प्रतिशत न्यूनतम 60 अधिकतम 100 रु०
400 से 1200 रु० से कम	वेतन का 15 प्रतिशत न्यूनतम 100 अधिकतम 160 रु०
1200 रु० और अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत न्यूनतम 160 अधिकतम 250 रु०

उपर्युक्त दर पर अनुमन्य राहत भी देय होगी ।

6. अप्रशिक्षित सेवावधि पेन्शन हेतु अर्ह सेवा मानना

शासन ने राजाज्ञा सं० क/5290/15-3004 (22)/1970 दिनांक 5-9-70 द्वारा लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत किसी भी अध्यापक को उसकी अप्रशिक्षित रूप से की गई सेवा भी पेंशन लाभ हेतु मान्य किये जाने के निर्देश दिये हैं ।

7. पूर्व विद्यालय की सेवा को जोड़ना

स्थानान्तरण एवं त्यागपत्र के पश्चात् अन्य विद्यालयों में कार्य करने की दशा में पेन्शन हेतु पूर्व की सेवा को जोड़ने के संबंध में शासन के राजाज्ञा सं० ए/3940/15-3052/1966, दिनांक 22-11-66 एवं इस पर निदेशालय के स्पष्टीकरण पत्रांक मा/9987-10240/52-10-(15)/78-79 दि० 4-2-78 के अनुसार इस संबंध में यह जाँच कर लेना आवश्यक है कि अध्यापक ने पूर्व विद्यालय से किसी कदाचार या अपराध के दोष के कारण त्यागपत्र दिया है या अपने उज्ज्वल भविष्य के उद्देश्य से । कदाचार के कारण दिये गये त्यागपत्र की स्थिति में उक्त अवधि पेन्शन हेतु अर्ह नहीं है । अन्यथा की स्थिति में पूर्व की सेवा पेन्शन हेतु मान्य होगी ।

इसी प्रकार स्थानान्तरण में यदि सेवा में व्यवधान नहीं हैं, तो पूर्व की सेवा पेन्शन हेतु मान्य होगी ।

8. विशेष ज्ञातव्य बिन्दु

(1) अशासकीय सहायताप्राप्त उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों को उनके समकक्ष राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों के समान पेन्शन देने का आदेश शासन ने विभिन्न राजाज्ञाओं द्वारा दिनांक 1-3-77 व दिनांक 1-3-78 से मान्य किया है । किन्तु इन कर्मचारियों को समय-समय पर बढ़ी हुई दरों से पेन्शन/ग्रेच्युटी/पेन्शन राहत आदि राजकीय

कर्मचारियों के समान तब तक नहीं दिये जायेंगे जब तक कि शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश निर्गत न कर दिया जाय ।

(2) अशासकीय सहायताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को पेन्शन के राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है।

(3) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी की गणना राजकीय कर्मचारियों के समान की जायगी बशर्ते इस संबंध में प्रशासनिक विभाग से आदेश निर्गत हो चुके हों।

(4) अशासकीय सहायताप्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर यात्रा-व्यय, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी अनुमन्य नहीं है ।

9. पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण हेतु वांछित अभिलेख सूची

पेन्शन आदि के प्रकरण भेजते समय समस्त वांछित प्रपत्र एवं अभिलेख निम्न तालिकानुसार उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

अ—सेवा नैवृत्तिक पेंशन/आनुतोषिक

(1) पेंशन आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर जिनकी समस्त प्रविष्टियां शुद्ध एवं संबंधित कर्मचारी/अधिकारियों से हस्ताक्षरित हों।

(2) अदेय प्रमाण-पत्र प्रबंधक से हस्ताक्षरित ।

(3) सेवानिवृत्ति आदेश की प्रमाणित प्रति।

(4) राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित संयुक्त (पति-पत्नी) फोटो।

(5) राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हस्ताक्षरों के नमूने ।

(6) राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित बायें हाथ की पाँचों उंगलियों के चिह्न (स्त्री कर्मचारियों के संबंध में दाहिने हाथ की उंगलियों के चिह्न) ।

(7) औसत वेतन गणना प्रपत्र अंतिम दस माह के आहरित वेतन एवं उसका औसत लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के 3 वर्ष का वेतन विवरण एवं इसका औसत अंकित किया जाय ।

(8) अधिक दिये गये पेंशन की वसूली हेतु घोषणा प्रपत्र कर्मचारी एवं दो साक्षियों के हस्ताक्षरसहित ।

(9) पारिवारिक पेंशन के लिए किये गये नामांकन की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति।

(10) जन्म तिथि की पुष्टि हेतु आयु प्रमाण-पत्र।

(11) सेवा पंजिका/सेवा पंजिकाएं जिसमें निम्नलिखित स्थिति पूर्ण रूप से अभिलिखित हों :—

(क) सेवाकाल के आरम्भ से सेवानिवृत्त होने की तिथि तक वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धियों का वर्षवार पूर्ण विवरण ।

(ख) सेवा सत्यापन।

(ग) प्रत्येक वर्ष की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण एवं प्रविष्टि के सामने संबंधित कर्मचारी/प्रधानाचार्य/प्रबंधक के हस्ताक्षर अभिलिखित हों।

(घ) सेवानिवृत्त होने की तिथि का अंत में स्पष्ट उल्लेख हो और उसके नीचे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर हों ।

(ङ) एक कर्मचारी की एक से अधिक विद्यालय में सेवा होने की स्थिति में प्रत्येक संस्था की पूर्ण सेवा (सेवा पंजी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित हो) जिसमें इसका स्पष्ट उल्लेख हो कि उन्होंने उक्त संस्था में किस तिथि को एवं किस कारण से त्यागपत्र/सेवा-

निवृत्ति/सेवासमाप्ति/स्थानान्तरण आदि से कार्यमुक्त हुए। स्थानान्तरण की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के आदेश का संदर्भ सेवा पंजिका में अभिलिखित हो और संबंधित आदेश की एक प्रति सेवा पंजी के साथ नत्थी हो।

(च) अवकाश लेखा जिसमें आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य सभी अवकाशों का स्पष्ट उल्लेख हो। इन सभी अवकाशों की सेवा पंजिका में भी स्वीकृत आदेश के संदर्भ के साथ प्रविष्टि की गयी हो। 22 अक्टूबर, 1959 के बाद उपर्युक्त सेवा में आने वाले शिक्षकों के अनुमोदन संबंधी संदर्भ को सेवा पंजिका में उल्लिखित किया जाय।

(12) राजाज्ञा संख्या 5310 दिनांक 31-3-78, राजाज्ञा सं० 7716 दिनांक 3-11-78 एवं राजाज्ञा सं० 2523 दिनांक 10 अगस्त, 1978 के अन्तर्गत नवीन पेंशन योजना वरण करने एवं 58/60 की आयु में सेवानिवृत्त होने संबंधी विकल्प पत्रों की प्रमाणित फोटोस्टेट प्रतियां पेंशन प्रपत्रों के साथ संलग्न हों और मूल प्रतियाँ सेवा पंजी के साथ नत्थी की गयी हों। इन दोनों विकल्पों पर विकल्प भरने की तिथि अंकित हों और जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित हों।

(13) पी०एफ० के प्रबंधकीय अंश एवं निजी अंशदान राजकीय कोष में जमा करने की राशि का चालान एवं सूची। सूची पर इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक द्वारा दिया जाय कि 18-2-77 तक जमा होने योग्य पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा कर दी गयी है।

(14) जी०पी०एफ० की 10 प्रतिशत की कटौती की पुष्टि हेतु मार्च 77 से जी०पी०एफ० फण्ड में जमा किये गये धन से संबंधित लेजर की प्रमाणित फोटो कापी।

(15) जिन कर्मचारियों को आनुतोषिक अनुमन्य है उनके आनुतोषिक आवेदन-पत्र भी पेंशन आवेदन-पत्र के साथ ही भेजे जायें।

(16) स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी द्वारा दिये गये नोटिस की प्रति और इसके निमित्त प्रबंध समिति का प्रस्ताव सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति भी अवश्य भेजी जाय।

(17) विद्यालय जू०हा० स्कूल स्तर पर तथा हाई स्कूल स्तर पर कब अनुदानित हुआ था, तिथि सहित सूचना भेजी जाय।

ब—पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु आनुतोषिक

पूर्व-उल्लिखित पेंशन प्रपत्रों के अतिरिक्त निम्नांकित सूचनाएं एवं अभिलेख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है :—

1—पारिवारिक पेंशन आवेदन-पत्र

2—संबंधित कर्मचारी के नामांकन पत्र के अभाव में 5000/- से कम धनराशि के दावे के लिए माल विभाग के सक्षम अधिकारी एवं अधिक धनराशि के दावे के लिए जिला सिविल जज का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र वांछित है।

3—मृत्यु प्रमाण-पत्र।

4—उत्तराधिकारी की प्रमाणित फोटो। (इस स्थिति में संयुक्त फोटो की आवश्यकता नहीं।)

5—उत्तराधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह स्वयं कहीं भी वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है और न किसी अन्य स्रोत से किसी प्रकार की अन्य कोई पेंशन प्राप्त करता है।

10. पेन्शन का स्थानान्तरण

सहायताप्राप्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं के पेन्शनरों को देय पेन्शन का स्थानान्तरण उनकी सुविधानुसार स्थान पर स्थानान्तरित करने के आदेश राजाज्ञा सं० 367/पन्द्रह-8-3063/82 दिनांक 1-3-83 द्वारा निम्नवत् दिया गया हैं :—

जो पेन्शनर किसी एक शिक्षण संस्था/कार्यालय के माध्यम से पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं यदि वे ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें केवल इच्छित शिक्षण संस्था/कार्यालय के माध्यम से पेन्शन भुगतान की व्यवस्था की जाय।

पेन्शन स्थानान्तरण आदेश देने के लिए निम्नांकित अधिकारी अधिकृत हैं :—

(1)	जिला विद्यालय निरीक्षक	जनपद के अन्दर ही मांग होने की दशा में।
(2)	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक	मण्डल के अन्तर्गत किसी जनपद के विद्यालय/कार्यालय की दशा में।
(3)	शिक्षा निदेशक	मण्डल के बाहर किन्तु उत्तर प्रदेश के भीतर किसी जनपद के शिक्षण संस्था/कार्यालय हेतु।

इस प्रकार की माँग होने पर उसका निस्तारण दो माह के अन्दर सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया जाना चाहिए।

11. अनुग्रह पेन्शन

शासन ने राजाज्ञा सं० 9/1747/15-2007 (8)/72 दिनांक 28-4-73 द्वारा राज्य सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों को अनुग्रह पेन्शन देने का निश्चय किया हैं जो 1 अक्टूबर, 1964 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे किन्तु अब तक जीवित हैं।

ऐसे कर्मचारियों को उनके अन्तिम आहरित वेतन के 1/5 भाग के बराबर मासिक अनुग्रह पेन्शन इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाय कि पेन्शन की धनराशि किसी भी दशा में उस अधिकतम सीमा से अधिक न हो जो उनके समकक्षीय अध्यापकों/अन्य कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी योजना के परिशिष्ट (क) में निर्धारित है।

इस योजना के अधीन पेन्शन 1-11-72 से देय की गयी एवं इसमें राज्य सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्राइमरी से डिग्री कालेज एवं ट्रेनिंग कालेज के कर्मचारियों को शामिल किया गया।

पेन्शन स्वीकृत करने के लिए लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकारी ही सक्षम है।

12. अध्यापक आनुतोषिक निधि

शासन ने राजाज्ञा सं० क/4416/15-3004 (7)-1964 दिनांक 11-11-65 द्वारा दिनांक 1-4-1964 से ऐसे अध्यापक, जो लाभत्रयी योजना से शासित हैं, सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनके आश्रितों को सहायता देने के उद्देश्य से "अध्यापक आनुतोषिक निधि" की स्थापना की।

1—इस योजना की नियमावली आगे दी जा रही है।

2—इस योजना के अन्तर्गत 1-4-64 को अथवा उसके उपरान्त मृत्यु को प्राप्त होने वाले के आश्रित सम्बद्ध अनुमोदित समादिष्ट वेतनमान (Relevant approved mandatory scale of pay) में अध्यापक द्वारा लिये गये पिछले वेतन के छ:गुने के बराबर आनुतोषिक पाने के हकदार बनाये गये किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यापक ने अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम तीन वर्ष तक की लगातार सेवा मान्यता एवं सहायता प्राप्त संस्था में की हो। यह आनुतोषिक

केवल निम्नलिखित वर्ग की मान्यता एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों के मामले में ग्राह्य होगा जो किसी स्थानीय निकाय/व्यक्तिगत प्रबन्ध द्वारा संचालित हैं, यथा :—

(1) प्राइमरी विद्यालय

(2) जूनियर हाई स्कूल

(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(4) डिग्री कालेज।

3—आनुतोषिक दावेदार निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र निम्न अधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जो इसके स्वीकृति के लिए अधिकृत हैं :—

(1) डिग्री कालेज के अध्यापक —शिक्षा निदेशक, उ०प्र०

(2) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय —मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक

(3) प्राइमरी/जू०हा० स्कूल —जिला विद्यालय निरीक्षक

4—आनुतोषिक स्वीकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करके एक प्रमाण-पत्र स्वीकृति आदेश पर अंकित करेगा कि मृत अध्यापक के जिम्मे कोई धनराशि बाकी नहीं हैं। यदि कोई धनराशि बाकी हो, तो वह धनराशि इसमें समायोजित कर ली जायगी।

13. मृत कर्मचारी के आश्रितों को सेवा में लेना

अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की सेवाकाल में असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिवार के किसी एक सदस्य को उक्त विद्यालयों में शिक्षणेतर पद पर यथाशीघ्र सेवा में नियोजित करने के आदेश राजाज्ञा संख्या मा/6646/15-7-1(76)/1981, दिनांक 23-9-81 द्वारा दिये गये हैं (जो दिनांक 1-1-81 से प्रभावी की गई हैं अर्थात् ऐसे कर्मचारी के परिवार पर जो 1-1-81 या उसके उपरान्त सेवारत मृत हों)।

उक्त सुविधा निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है :—

(1) ऐसे शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी जिसका सेवारत दशा में असामयिक रूप से निधन हुआ है उसे अपने पद में स्थायी / नियमित रूप से नियुक्त होना चाहिए।

(2) परिवार का एक ऐसा सदस्य, जो नियुक्ति हेतु इच्छुक हो और शिक्षणेतर पद पर नियुक्ति हेतु विहित अर्हता रखता हो, तो उसकी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विहित प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिये बिना नियुक्ति की जायगी।

(3) ऐसी नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम न होनी चाहिए।

(4) नियुक्ति का अवसर यथासम्भव उसी विद्यालय में दिया जायगा जहाँ निधनगत कर्मचारी कार्यरत था। यदि ऐसे विद्यालय में शिक्षणेतर पद में रिक्ति के अभाव में कठिनाई पड़ रही हो, तो दूसरे किसी भी माध्यमिक विद्यालय में जहाँ इस प्रकार की रिक्ति उपलब्ध हो नियुक्ति की जा सकती है।

(5) सेवायोजित किये जाने वाला व्यक्ति, मृत कर्मचारी की पत्नी या उसका पति, उसका पुत्र अथवा उसकी ऐसी पुत्री जो अविवाहित अथवा विधवा हो, हो सकता है।

14. सम्बन्धित राजाज्ञाएँ

संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/1974

प्रेषक

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्त,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

शिक्षा (8) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 1978

विषय—राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवानैवृत्तिक लाभों में परिवर्द्धन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यक्तिगत प्रबंधाधिकरणों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उन शिक्षकों को जो लाभत्रयी योजना से अनुशासित हैं, वर्तमान नियमों के अधीन जो सेवा नैवृत्तिक लाभ उपलब्ध हैं वे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। अतः वे गत कुछ समय से माँग कर रहे थे कि उनको सेवा नैवृत्तिक लाभ इस प्रकार स्वाकृत किये जायें कि उन्हें राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर पेन्शन प्राप्त हो सके। इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 मार्च, 1977 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले उक्त विद्यालयों के समस्त स्थायी, पूर्णकालिक तथा नियमित शिक्षकों को उसी दर पर पेन्शन देय होगी जिस दर पर वह राजकीय विद्यालयों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षकों को अनुमन्य है और उसका आगणन भी राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा-ग्रेच्युटी तथा पेन्शन की दरें संलग्नक में अंकित हैं। यह निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ है कि शिक्षकों को डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी या मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन देय नहीं होगी। सामूहिक बीमा योजना के लाभ उन्हें पूर्ववत् मिलते रहेंगे।

2—मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्णय इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि इन शिक्षकों पर लागू वर्तमान अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर 1 मार्च, 1977 से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होगी और इस योजना के अधीन उनके वेतन से भविष्य निधि की कटौती राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू दर से की जायेगी जो सम्प्रति मूल वेतन का 10 प्रतिशत हैं। इन शिक्षकों के अंशदायी प्राविधायी निधि के खाते में वह सब धनराशि जो प्रबंधकीय या स्थानीय निकायों के अंशदान के रूप में 28 फरवरी, 1977 तक जमा की गई है, या जमा होने योग्य है, संकलित ब्याजसहित शिक्षा के प्राप्ति शीर्षक "077 शिक्षा च सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ (13) प्रकीर्ण" में जमा की जायेगी

एवं अध्यापकों के अंशदान की समस्त धनराशि उस पर संकलित ब्याजसहित राजकीय कोष में निक्षेप लेखा शीर्षक "838-स्थानीय निधियों के निक्षेप—अन्य स्वायत्त निकायों के निक्षेप (ख) अन्य साहाय्यिक शिक्षण व शिक्षणेतर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेनदेन" के अन्तर्गत जमा करा ली जाय और उन्हें 1 मार्च, 1977 से राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में सम्प्रति अनुमन्य कोई भी धनराशि देय न होगी ।

3—मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्णय इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि ऊपर स्वीकृत पेन्शन समानता का लाभ पाने के पात्र केवल वे ही शिक्षक होंगे जो अपने प्राविधायी निधि के लेखे में जमा प्रबन्धकीय या स्थानीय निकाय के अंशदान को उस पर संकलित ब्याजसहित राजकोष में जमा करा देंगे। कृपया इस धनराशि को राजकोष में जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय ।

4—मुझे यह भी कहना है कि इस राजाज्ञा से आवृत्त पेन्शनभोगियों को वे समस्त वृद्धियाँ भी अनुमन्य होंगी जो 1 मार्च, 1977 तक सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों को पेन्शन में समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं। सम्प्रति राजकीय पेन्शनभोगियों को इस प्रकार की जो वृद्धियाँ अनुमन्य हैं उनके शासनादेशों के विवरण संलग्नक II में अंकित हैं।

5—मुझे यह भी कहना है कि राजाज्ञा संख्या ए-5355/पन्द्रह-3133/1962 दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 द्वारा प्रसारित लाभत्रयी योजना तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के परिशिष्ट—आठ में अंकित अंशदायी प्राविधायी निधि योजना सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

6—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षकों के भविष्य निधि लेखों का रखरखाव शिक्षा निदेशक एवं उनके द्वारा प्राधिकृत जिला व मंडलीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा ।

7—राज्यपाल महोदय ने इस राजाज्ञा में स्वीकृत दर पर पेन्शन देने के लिए आपके निस्तारण पर एतद्द्वारा रु० 6,67,000=00 (छ: लाख सरसठ हजार) की राशि रखे जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

8—इस पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1977-78) के आय-व्ययक लेखा शीर्षक "277-शिक्षा आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा iv—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायता (iii) गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पेन्शन" में विकलित होगा ।

9—यह आदेश अशासकीय यू० यो० ई०-11-3352/दस-77 दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
लक्ष्मीकान्त गुप्त
30-3-78
उप सचिव

संलग्नक I

राजाज्ञा संख्या 5310/पन्द्रह-8-5004 (2)/1977 दिनांक मार्च 31, 1978 का संलग्नक।

राजाज्ञा संख्या सा०-3/896/दस-52 (1)-74 दिनांक 2 जून, 1975 द्वारा राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत सेवा ग्रेच्युटी तथा पेन्शन की वर्तमान दरें।

अर्हकारी सेवा में पूरी की गई छमाहियों की संख्या	पेन्शन/ग्रेच्युटी की दर	अधिकतम देय वार्षिक पेन्शन (रुपये में)
1	2	3
	ए—सेवा ग्रेच्युटी	
1	½ माह का वेतन	
2	1 "	
3	1½ "	
4	2 "	
5	2½ "	
6	3 "	
7	3½ "	
8	4 "	
9	4⅗ "	
10	4¾ "	
11	5⅛ "	
12	5½ "	
13	5⅞ "	
14	6¼ "	
15	6⅝ "	
16	7 "	
17	7⅗ "	
18	7¾ "	
19	8⅛ "	
	बी—पेन्शन (औसत परिलब्धियों का)	
20	10/80	3750–00
21	10½/80	3937–50
22	11/80	4125–00
23	11½/80	4312–50
24	12/80	4500–00
25	12½/80	4687–50
26	13/80	4875–00

1	2	3
27	13½/80	5062–50
28	14/80	5250–00
29	14½/80	5437–50
30	15/80	5625–00
31	15½/80	5812–50
32	16/80	6000–00
33	16½/80	6187–50
34	17/80	6375–00
35	17½/80	6562–50
36	18/80	6750–00
37	18½/80	6937–50
38	19/80	7125–00
39	19½/80	7312–50
40	20/80	7500–00
41	20½/80	7687–50
42	21/80	7875–00
43	21½/80	8062–50
44	22/80	8250–00
45	22½/80	8437–50
46	23/80	8625–00
47	23½/80	8812–50
48	24/80	9000–00
49	24½/80	9187–50
50	25/80	9375–00
51	25½/80	9562–50
52	26/80	9750–00
53	26½/80	9937–50
54	27/80	10125–00
55	27½/80	10312–50
56	28/80	10500–00
57	28½/80	10687–50
58	29/80	10875–00
59	29½/80	11062–50
60	30/80	11250–00

1	2	3
61	$30\frac{1}{2}$/80	11437–50
62	31/80	11625–00
63	$31\frac{1}{2}$/80	11812–50
64	32/80	12000–00
65	$32\frac{1}{2}$/80	12000–00
66	33/80	12000–00

संलग्नक II

1 मार्च, 1977 तक राजकीय पेन्शनर्स को अनुमन्य राहतों के शासनादेशों का विवरण—

(1) ए० एम० 935/दस-602/43 दिनांक 8 अप्रैल, 1947।

(2) जी० 2/1160/दस-909/1959, दिनांक 4 अप्रैल, 1964।

(3) जी० 2/2007/दस-918/1959, दिनांक 29 सितम्बर, 1965।

(4) जी० 2/1911/दस-905/1959, दिनांक 4 सितम्बर, 1968।

(5) जी० 2/1524/दस-909/1958, दिनांक 10 अगस्त, 1970।

(6) जी० 4/952/दस-54-76, दिनांक 11 मई, 1976।

रा—2

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (अर्थ) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक अर्थ/1965–2215/बावन–10 (10)/78-79 दिनांक 30-5-78

विषय:—राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवानैवृत्तिक लाभों में परिवर्द्धन।

महोदय/महोदया,

आपका ध्यान शासन की उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/1974 दिनांक 31 मार्च, 1978 में अंकित विवरण की ओर आकृष्ट कर निवेदन है कि शासन ने लाभत्रयी योजना से प्रशासित व्यक्तिगत

प्रबन्धाधिकरणों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 1-3-77 को या उसके उपरान्त अवकाश प्राप्त करनेवाले शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षकों को अनुमन्य दर पर पेंशन/सेवा आनुतोषिक दिये जाने का प्रावधान किया है अतः अब माध्यमिक स्तर के समस्त स्थायी, पूर्णकालिक तथा नियमित शिक्षकों, जो उक्तवत अवकाश प्राप्त करेंगे, को पेंशन का आगणन राजकीय कर्मचारियों को देय पेंशन दर पर राजाज्ञा के संलग्नक II में अंकित शासनादेशों द्वारा देय वृद्धियों-सहित किया जाय तथा उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जाय ।

2—उक्त शिक्षकों को मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक या मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी। पेंशन/सेवा आनुतोषिक की दरें राजाज्ञा के संलग्नक में अंकित है। यह भी सूच्य है कि इन शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ पूर्ववत् मिलता रहेगा ।

3—यह उल्लेखनीय है कि इन शिक्षकों के लिए अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू कर दी गई है। अतः राजकीय कर्मचारी के समान सेवानिवृत्ति लाभ वे ही शिक्षक पाने के अधिकारी होंगे जो इन नियमों के लिए अपना विकल्प देकर अपने प्राविधायी निधि के लेखे में जमा समस्त धन को, उस पर संकलित ब्याज-सहित, राजकोष में कथित लेखा शीर्षक में जमा करा देंगे । उक्तवत विकल्प देने वाले प्रत्येक शिक्षक से उनके लेखे में अद्यावधि जमा प्रबन्धकीय या स्थानीय निकायों के अंशदान के रूप में उपलब्ध धनराशि संकलित ब्याज-सहित शिक्षा के प्राप्ति शीर्षक "077-शिक्षा-च-सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ (13) प्रकीर्ण" में अवश्य जमा करा ली जाय तथा अध्यापकों के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि संकलित ब्याज-सहित राजकोष के लेखा शीर्षक "838-स्थानीय निधियों के निक्षेप—अन्य स्वायत्त निकायों के निक्षेप (ख) अन्य साहाय्यिक शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन" के लेखे में जमा की जाय । इन कर्मचारियों को 1-3-1977 से राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में सम्प्रति अनुमन्य कोई भी धनराशि देय न होगी । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि कथित तिथि से ही इस योजना में सम्मिलित होने के लिए अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर उनके मूल वेतन से सामान्य भविष्य निधि के मद हेतु 10% की दर से पूर्ण रुपये में कटौती की जाय तथा उनका जी० पी० एफ० नम्बर विद्यालयवार एवं अध्यापकों के नाम के अनुसार खोला जाय ।

4—विकल्प देने के लिए संलग्न विकल्प प्रपत्र का ही प्रयोग किया जाय । ये विकल्प प्रत्येक दशा में 31 जुलाई, 1978 तक सभी अध्यापकों से भरा लिया जाय । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा । उपर्युक्त प्राविधानों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है । उसकी प्रगति से निदेशालय को भी अवगत रखा जाय । आप कृपया विकल्प-दाताओं की संख्या एवं उनके द्वारा आय-व्ययक प्राप्ति शीर्षक "077-शिक्षा" और "838" शीर्षकों में जमा धनराशि का विवरण एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र संख्या '2' पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रत्येक दशा में 15 अगस्त, 1978 तक संकलित करके भेज दिया जाय । कृपया उक्त बिन्दु पर अभी से कार्यवाही सुनिश्चित कर लें ।

5—जहाँ तक सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव का प्रश्न है, जिलों में कार्यरत लेखाधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा । जिन जिलों में अभी तक लेखाधिकारी नहीं है वहाँ फिलहाल सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक को यह उत्तरदायित्व लेना होगा । इन नियमों के पक्ष में विकल्प देनेवाले शिक्षकों के पूर्वगामी प्राविधायी निधि लेखों में जमा धन में से निजी/प्रबन्धकीय अंश का धन ब्याज-समेत पृथक्-पृथक् जमा होने का अध्यापकवार पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर पर प्रपत्र '3' पर रखा जाय । इसको सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य दो प्रतियों में बनाकर उसकी एक प्रति अपने पास रखकर दूसरी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका को उपलब्ध करायेंगे । उक्त अधिकारी कृपया यह कार्य निर्धारित तिथि के अन्दर अवश्य सम्पादित कराने की व्यवस्था करें ।

6—जो अध्यापक उक्त योजना में सम्मिलित होने के लिए अपना विकल्प देंगे, उन्हें सामान्य भविष्य निधि लेखे के निमित्त प्रधानाचार्य अथवा प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नया नम्बर आबंटित किया जायेगा। प्रत्येक माह संस्था द्वारा देयक प्रस्तुत करते समय सामान्य भविष्य निधि लेखे का शिड्यूल प्रपत्र–4 पर दो प्रतियों में लगाया जायेगा। देयक पारित होने के बाद एवं आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरान्त उसकी एक प्रति लेखाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रति वेतन देयक के साथ लगा दी जायेगी। संस्थाधिकारी इसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे और उसके आधार पर अध्यापकों का व्यक्तिवार लेजर प्रारूप–5 पर बनाया जायेगा। व्यक्तिगत खाते का रख-रखाव संस्था में प्रधानाचार्य द्वारा रखा जायेगा ताकि समय-समय पर अध्यापक अपने खाते में जमा धनराशि से भी अवगत होते रहें। व्यक्तिगत खाते का प्रत्येक छ: मास में एक बार लेखाधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाय। यथासम्भव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में ब्याज आदि का आगणन कर दिया जाय।

7—सामान्य भविष्य निधि लेखे के मद में संस्थावार की गई कटौतियों की धनराशि सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा कथित लेखा शीर्षक "838" के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा की जायेगी। चालान द्वारा जमा धनराशि का रख-रखाव प्रपत्र–"6" पर संस्था स्तर पर रखा जाय तथा इसकी एक प्रति जिला स्तर पर वर्ष समाप्त होने के बाद मँगा ली जाय।

8—सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम लेने या अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति प्रदान करने का कार्य प्रधानाचार्य को संस्तुति पर निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उसी प्रकार किया जायगा जिस प्रकार अब तक अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

9—पेंशन स्वीकृत करने के निमित्त धन का आबंटन पत्रांक अर्थ (मा)/851-1050/बावन-10(1)/78-79 दिनांक अप्रैल 20, 1978 द्वारा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को किया जा चुका है। कृपया धन मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से उपलब्ध कर पेंशन प्रकरणों का तीव्र गति से निस्तारण करने की व्यवस्था करें। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन की राजाज्ञा दिनांक 31-3-78 में सेवानिवृत्ति लाभों में परिवर्तन केवल अध्यापकों के लिए ही किया गया है, शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए नहीं, परन्तु तृतीय श्रेणी के कर्मचारी पूर्ववत् लाभत्रयी योजनान्तर्गत लाभ पाते रहेंगे। इसी प्रकार जो अध्यापक नये सेवानिवृत्ति लाभों को स्वीकार नहीं करते, वे भी पुरानी लाभत्रयी योजना के अन्तर्गत बने नियमों से अनुशासित रहेंगे। ऐसे अध्यापक तथा सभी लिपिकवर्गीय कर्मचारी अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के सदस्य रहेंगे। इनका भविष्य निधि का शिड्यूल आदि वर्तमान पद्धति से अलग से पूर्ववत् बनाया जाय। इनका डाकघर में खुला हुआ प्राविधायी निधि लेखा चालू रहेगा और उसमें इनके नियमित अभिदान के अलावा प्रबन्धकीय अंशदान भी पूर्ववत् जमा होता रहेगा।

10—विषय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। शासन ने योजना के तत्काल क्रियान्वयन की अपेक्षा की है। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया राजाज्ञा तथा उक्त निर्दिष्ट आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें एवं इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल से प्रारम्भ कर दें और कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय

गोविन्द नारायण मिश्र

उप शिक्षा निदेशक (अर्थ)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

रा—3

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्त, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा प्रेषित राजाज्ञा सं० 750/पन्द्रह–8–3054/1977 दिनांक जुलाई 28, 1978 की प्रतिलिपि जो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित है।

विषय :—राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के सेवानैवृत्तिक लाभों में परिवर्द्धन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा सं० 5310/पन्द्रह –8–3004 (2) / 1974, दिनांक 31 मार्च, 1978 में राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सेवा में 28 फरवरी, 1977 के पश्चात् निवृत्त अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दर पर पेंशन स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गये हैं। शासन से यह माँग की गयी है कि उक्त लाभ उपर्युक्त विद्यालयों के उन अध्यापकों को भी प्रदान किया जाय जो 30 जून, 1974 को या उसके पश्चात् 28 फरवरी, 1977 तक सेवा निवृत्त हो चुके थे। शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त इस माँग को स्वीकार कर लिया है। अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि उपरिलिखित राजाज्ञा दिनांक 31 मार्च, 1978 में स्वीकृत पेंशन-सम्बन्धी लाभ उपर्युक्त विद्यालयों की सेवा में 30 जून, 1974 तथा 28 फरवरी 1977 (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि में निवृत्त हुए अध्यापकों को भी अनुमन्य होगा।

2. मुझे यह भी कहना है कि पेंशन समानता-सम्बन्धी उपर्युक्त लाभ केवल उन्हीं अध्यापकों को अनुमन्य होगा जो उसका वरण करना चाहते हैं। इसके लिए इच्छुक अध्यापकों को शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर इस राजाज्ञा की निर्गमन तिथि से 90 दिन के अन्दर पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी के पास अपना विकल्प पत्र प्रेषित करना होगा। निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र न प्रस्तुत किये जाने पर यह मान लिया जायेगा कि सम्बन्धित अध्यापक इस राजाज्ञा में स्वीकृत लाभ का वरण नहीं करना चाहता। एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प अन्तिम समझा जायेगा।

3. यह आदेश इस प्रतिबन्ध के अधीन हैं कि पेंशन समानता-सम्बन्धी लाभ का वरण करने वाले अध्यापकों को उनके ऊपर लागू अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के अधीन प्रबन्धकीय/स्थानीय निकाय के अंशदान एवं राजकीय अंशदान अनुमन्य न होंगे। जिन अध्यापकों को इनमें से एक अथवा दोनों अंशदानों का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें भुगतान किये गये अंशदान / अंशदानों की सम्पूर्ण राशि 31 मार्च, 1978 की उपर्युक्त राजाज्ञा के अनुच्छेद दो में उल्लिखित लेखे में वापस करना होगा।

4. मुझे यह भी कहना है कि इन अध्यापकों को देय पेंशन की दर तथा उसमें स्वीकृत तदर्थ वृद्धि या राहत वही होगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक को राजकीय कर्मचारियों के लिए अनुमन्य था।

5. कृपया इन आदेशों के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय।

6. चूंकि इस कार्य हेतु वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है और राजाज्ञा सं० 5310/15-8–3004 (2)/1974 दिनांक 31 मार्च, 1978 में स्वीकृत पेंशन-सम्बन्धी लाभ उपर्युक्त विद्यालयों की सेवा से 30 जून, 1974 तथा 28 फरवरी, 1977 (दोनों दिन सम्मिलित) को अवधि में निवृत्त हुए अध्यापकों को अनुमन्य किये जाने

पर व्यय वहन करना अपरिहार्य है। अतः राज्यपाल महोदय ने उक्त व्यय हेतु रुपये एक लाख राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

7. यह व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नाम में डाला जायेगा और अन्ततः इसका विकलन लेखा शीर्षक–277–शिक्षा–आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा–IV–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायता (III) पेंशन एवं ग्रेच्युटी–के अन्तर्गत होगा।

रा—4

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्त, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित राजाज्ञा सं० 2523/पन्द्रह–8–3070/77 दिनांक अगस्त 10, 1978 की प्रतिलिपि जो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सम्बोधित एवं अन्य को पृष्ठांकित है।

विषय :— राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों को जो 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की सुविधा दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दर पर पेंशन स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। शासन से यह भी माँग की गई है कि उक्त श्रेणी के विद्यालयों के ऐसे अध्यापकों को जो 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं, मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक सुविधा दी जाय। शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त इस माँग को स्वीकार कर लिया है। अतः राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि 30 जून, 1978 या उसके पश्चात् अवकाश ग्रहण करनेवाले ऐसे अध्यापक जो 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें राजकीय विद्यालयों के समकक्षीय अध्यापकों को अनुमन्य दर पर उपर्युक्त आनुतोषिक अनुमन्य कर दिया जाय।

2. मुझे यह भी कहना है कि प्रश्नगत आनुतोषिक-संबंधी लाभ केवल उन्हीं अध्यापकों को अनुमन्य होगा जो राजाज्ञा संख्या 5310/पन्द्रह–8–3004 (2)/ 1974 दिनांक 31 मार्च, 1978 में दी गई अन्य शर्तों को पूर्ण करते हों तथा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित अवधि के अन्दर पेंशन तथा आनुतोषिक स्वीकृत करनेवाले अधिकारी के पास अपना विकल्प पत्र प्रेषित करेंगे। निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र न प्रस्तुत किये जाने पर यह स्वतः मान लिया जायगा कि संबंधित अध्यापक इस राजाज्ञा में स्वीकृत आनुतोषिक का वरण नहीं करना चाहता। एक बार प्रस्तुत किया गया विकल्प अन्तिम समझा जायेगा।

3. यह आदेश इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि आनुतोषिक-संबंधी लाभ का वरण करने वाले अध्यापकों को उनके ऊपर लागू अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के अधीन प्रबन्धकीय/स्थानीय निकाय के अंशदान एवं राजकीय अंशदान अनुमन्य न होंगे। जिन अध्यापकों की इनमें से एक अथवा दोनों अंशदानों का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें भुगतान किये गये अंशदान/अंशदानों की सम्पूर्ण राशि 31 मार्च, 1978 की उपर्युक्त राजाज्ञा के अनुच्छेद–2 में उल्लिखित लेखे में वापस करना होगा।

4. मुझे यह भी कहना है कि इन अध्यापकों को देय पेंशन की दर तथा स्वीकृत तदर्थ वृद्धि या राहत एवं आनुतोषिक दर वही होगी जो उनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक को राजकीय कर्मचारियों के लिए अनुमन्य थी। शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियमावली, विकल्प पत्र का प्रारूप तथा नामांकन पत्र आदि के प्रारूप तैयार किये जायेंगे तथा शासन के अनुमोदन से प्रसारित किये जायेंगे।

5. चूंकि इस कार्य हेतु वर्ष 1978-79 के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है और 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होनेवाले अध्यापकों को आनुतोषिक अनुमन्य किये जाने पर व्यय वहन करना अपरिहार्य है। अतः राज्यपाल महोदय ने उक्त व्यय हेतु एक लाख रुपये (रु० 1,00,000) राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

6. यह व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नाम में डाला जायगा और अन्ततः इसका विकलन लेखा शीर्षक "277 शिक्षा आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा—IV—अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (III) पेंशन एवं ग्रेच्युटी" के अन्तर्गत होगा।

7. कृपया इन आदेशों के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय तथा इस संबंध में जो नियमावली, नामांकन पत्र व विकल्प पत्र निर्धारित किये जायें उन पर शासन की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

रा—5

संख्या 7716/15–8–3003(1)/1977

प्रेषक,

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्त,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 3 नवम्बर, 1978

विषय :—सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर (लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय) कर्मचारियों को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की दर पर पेन्शन दिया जाना तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना की सुविधा दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना तथा पेन्शन योजना की सुविधा सम्प्रति अनुमन्य नहीं

है तथा उक्त श्रेणी के विद्यालयों के उन लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को जो लाभत्रयी योजना से अनुशासित हैं, वर्तमान नियमों के अधीन जो सेवानैवृत्तिक लाभ उपलब्ध है वे उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। अतः गत कुछ समय से शासन से यह माँग की जा रही है कि उक्त विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर भी भविष्य निधि, पेन्शन एवं ग्रेच्युटी योजना लागू की जाय तथा लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभ इस प्रकार स्वीकृत किये जायें कि उन्हें राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर पेन्शन प्राप्त हो सके। इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि 1 मार्च, 1978 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए या सेवानिवृत्त होने वाले उक्त विद्यालयों के समस्त स्थायी, पूर्णकालिक तथा नियमित शिक्षणेतर कर्मचारियों (लिपिक वर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी वर्ग) को उसी दर पर पेन्शन देय होगी जिस दर पर वह राजकीय विद्यालयों के समान स्तर के शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनुमन्य है और उसका आगणन भी राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा ग्रेच्युटी तथा पेन्शन की दरें संलग्नक 1 में अंकित हैं। यह निर्णय इस प्रतिबन्ध के साथ है कि इन कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेण्ट ग्रेच्युटी या मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन देय नहीं होगी। सामूहिक बीमा योजना के लाभ उन्हें पूर्ववत् मिलते रहेंगे।

2. मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्णय इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि उन कर्मचारियों पर जिन पर अंशदायी प्राविधायी निधि योजना लागू है, वर्तमान अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर 1 मार्च, 1978 से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होगी। इसी प्रकार उन कर्मचारियों पर जिन पर अंशदायी प्राविधायी निधि योजना लागू नहीं है उन पर भी 1 मार्च, 1978 से ही सामान्य भविष्य निधि योजना लागू होगी और इस योजना के अधीन उनके वेतन से भविष्य निर्वाह निधि की कटौती राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू दर से की जायेगी जो संप्रति मूल वेतन का 10 प्रतिशत है। इन कर्मचारियों के अंशदायी प्राविधायी निधि के खाते (यदि कोई हो) में वह सब धनराशि जो प्रबन्धकीय या शासन के अंशदान के रूप में 28 फरवरी, 1978 तक जमा की गई है या जमा होने योग्य है, संकलित ब्याजसहित शिक्षा के प्राप्ति शीर्षक "077–शिक्षा–च–सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ (13) प्रकीर्ण" में जमा की जायेगी एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अंशदान की समस्त धनराशि उस पर संकलित ब्याजसहित राजकीय कोष के निक्षेप लेखा शीर्षक "838–स्थानीय निधियों के निक्षेप -अन्य स्वायत्त निकायो के निक्षेप (ख) अन्य साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन" के अन्तर्गत जमा करा ली जाय और उन्हें मार्च 1, 1978 से राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में सम्प्रति अनुमन्य कोई भी धनराशि देय न होगी।

3. मुझे यह भी कहना है कि उक्त निर्णय इस प्रतिबन्ध के भी अधीन है कि ऊपर स्वीकृत पेन्शन समानता का लाभ पाने के पात्र केवल वे ही कर्मचारी होंगे जो अपने प्राविधायी निधि के लेखे में (यदि कोई हो) जमा प्रबन्धकीय अंशदान को उस पर संकलित ब्याजसहित राजकोष में उपर्युक्त शीर्षकों में जमा करा देंगे। कृपया इस धनराशि को कोष में जमा कराने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जाय।

4. मुझे यह भी कहना है कि इस राजाज्ञा से आवृत्त पेन्शन-भोगियों को वे समस्त वृद्धियाँ भी अनुमन्य होंगी जो मार्च 1, 1978 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारियों को पेन्शन में समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की गई हैं। सम्प्रति राजकीय पेन्शन-भोगियों को इस प्रकार की जो वृद्धियाँ अनुमन्य हैं उनके शासनादेशों का विवरण संलग्नक II में अंकित है।

5. मुझे यह भी कहना कि राजाज्ञा संख्या ए–5355/पन्द्रह–3133/1962, दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 द्वारा प्रसारित लाभत्रयी योजना तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के परिशिष्ट–आठ में अंकित अंशदायी प्राविधायी निधि

योजना सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उक्त शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

6. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शिक्षणेतर कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखे का रख-रखाव शिक्षा निदेशक एवं उनके द्वारा प्राधिकृत जिला व मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

7. चूंकि इस वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है और गैर-सरकारी सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को सरकारी विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की दर पर पेन्शन दिये जाने हेतु विद्यालय को अनुदान स्वीकृत करना अपरिहार्य है, अतः राज्यपाल महोदय ने रुपये 4,34,800/- (रुपये चार लाख चौंतीस हजार आठ सौ मात्र) राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

8. इस मद पर होने वाला व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नाम डाला जायगा और अन्ततः उसका विकलन लेखा शीर्षक "277–शिक्षा आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा–IV–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (III) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी" में विकलित होगा।

भवदीय
लक्ष्मीकांत गुप्त
उप सचिव

रा—6

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (अर्थ) विभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक, उ० प्र०
मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ० प्र०।

पत्रांक/अर्थ/13630–930/52-10(40)/78-79, दिनांक 31-1-1979

विषय :— सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर (लिपिक एवं चतुर्थवर्गीय) कर्मचारियों को उसी श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के समतुल्य पेंशन तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भविष्य निधि योजनान्तर्गत सामान्य भविष्यनिधि योजना की सुविधा दिया जाना।

महोदय / महोदया,

आपका ध्यान शासन की उपर्युक्त-विषयक राजाज्ञा संख्या 7716/पन्द्रह 8–3003 (1)/1977, दिनांक 3 नवम्बर, 1978 में अंकित विवरण की ओर आकृष्ट कर निवेदन है कि शासन ने लाभत्रयी योजना की राजाज्ञा संख्या ए-5355/पन्द्रह–3133/1962 दिनांक दिसम्बर, 17, 1965 से प्रशासित व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से दिनांक 1-3-1978 को या उसके बाद अवकाश ग्रहण करनेवाले समस्त स्थायी, पूर्णकालिक तथा नियमित लिपिकवर्गीय कर्मचारियों तथा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को राजकीय विद्या-

लयों के समान स्तर एवं श्रेणी के शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनुमन्य दरों के समान पेंशन का आगणन राजाज्ञा के संलग्नक II में अंकित शासनादेशों द्वारा देय वृद्धियों-सहित करके पेंशन दी जायगी किन्तु सेवा ग्रेच्युटी तथा पेंशन की दरें राजाज्ञा के संलग्नक I में अंकित दरों के ही अनुरूप होंगी ।

2. उक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आनुतोषिक या उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को परिवार पेंशन देय न होगी तथा इन्हें सामूहिक बीमा योजना का लाभ पूर्ववत् ही मिलता रहेगा ।

3. यह भी उल्लेखनीय है कि उन कर्मचारियों पर जिन पर अंशदायी प्राविधायी निधि योजना लागू है उन पर 1-3-78 से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू होगी जिसके निमित्त कर्मचारी के मूल वेतन का 10% अभिदान पूर्ण धनराशि में कटौती की जायगी । इन कर्मचारियों के अंशदायी प्राविधायी निधि के खाते में (यदि कोई हो) वह सब धनराशि जो प्रबन्धकीय या शासन के अंशदान के रूप में 28 फरवरी, 1978 तक जमा की गयी है या जमा होने योग्य है, संकलित ब्याज-सहित शिक्षा के प्राप्ति शीर्षक "077–शिक्षा–च–सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ (13) प्रकीर्ण" में जमा की जायेगी एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के निजी अंशदान की समस्त धनराशि उस पर संकलित ब्याज-सहित राजकीय कोष के निक्षेप लेखा शीर्षक "838-स्थानीय निधियों के निक्षेप–अन्य स्वायत्त निकायों के निक्षेप (ख) अन्य सहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन" के अन्तर्गत जमा की जायगी और उन्हें 1-3-78 से राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में कोई भी धनराशि देय न होगी ।

4. नवीन दरों पर पेंशन वे ही कर्मचारी पाने के अधिकारी होंगे जो परिशिष्ट–1 पर संलग्न प्रारूप प्रपत्र में अपना विकल्प पत्र राजाज्ञा के निर्गत होने की तिथि से 40 दिन के अन्दर दे देंगे । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगी एवं निर्धारित तिथि के अन्दर यदि कर्मचारियों से विकल्प प्राप्त नहीं हो जाता है, तो यह समझा जायगा कि वे राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य पेंशन दरों पर पेंशन प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं । इसके साथ यह भी प्रतिबन्ध है कि यह पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को देय होगी जो अपने प्राविधायी निधि के लेखे में (यदि कोई हो) जमा प्रबन्धकीय अंशदान को संकलित ब्याज-सहित राजकोष के उपर्युक्त लेखा शीर्षक में जमा करा देंगे । जी०पी०एफ० नम्बर विद्यालय-वार एवं कर्मचारियों के नाम के अनुसार खोला जाय । नम्बर निर्धारित करते समय सुविधा के लिए जनपद का सांकेतिक नाम एवं संस्था की संख्या शब्दों में अंकित की जाय । संस्था की संख्या आपके कार्यालय में सूचीबद्ध संस्थाओं के नामों के क्रमांक की होगी एवं कर्मचारियों को आबंटित नम्बर संस्थावार क्रमागत होगी । उदाहरणस्वरूप शाहजहाँपुर जनपद के कर्मचारियों के संबंध में "शाह०/एक-2" यहाँ 'एक' विद्यालय के नाम का क्रमांक हैं । जहाँ तक सामान्य भविष्य निधि की अवशेष धनराशि कर्मचारी से प्राप्त करने का प्रश्न है वह कर्मचारियों से सुगम किस्तों में प्राप्त की जाय । विकल्पदाताओं की संख्या एवं उनके द्वारा आय-व्ययक-प्राप्ति शीर्षक "077 शिक्षा" और "838-निक्षेप" में जमा धन आदि का विवरण एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र-2 पर प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से शीघ्रातिशीघ्र संकलित करके भिजवाने की व्यवस्था करें तथा भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में संकलित सूची भेजने की व्यवस्था करें । कृपया कथित बिन्दु पर अभी से कार्यवाही सुनिश्चित कर लें ।

5. जहाँ तक सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव का प्रश्न है, सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर परिवर्द्धित पेंशन योजना के अनुरूप ही होगा जिसे जिलों में कार्यरत लेखाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जायेगा । परन्तु जिन जिलों में अभी लेखाधिकारी नहीं हैं । फिलहाल इसका उत्तरदायित्व सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक को लेना होगा । इन कर्मचारियों की पूर्वगामी प्राविधायी निधि लेखों में जमा धन (यदि कोई हो) में से निजी/प्रबन्धकीय अंश का धन ब्याज-सहित पृथक्-पृथक् जमा होने का कर्मचारीवार पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर पर प्रपत्र '3' पर रखा जायगा । इसको संबंधित विद्यालय के प्रधाना-

चार्य दो प्रतियों में बनाकर इसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

6. जो कर्मचारी उक्त योजना में सम्मिलित होने के पक्ष में अपना विकल्प देंगे उन्हें सामान्य भविष्य निधि लेखे के निमित्त प्रधानाचार्य अथवा प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नया नम्बर आबंटित किया जायेगा। प्रत्येक माह संस्था द्वारा देयक प्रस्तुत करते समय सामान्य भविष्य निधि लेखे का शिड्यूल प्रपत्र–4 में दो प्रतियों में लगाया जायेगा। देयक पारित होने के बाद तथा आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरान्त उसकी एक प्रति लेखाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रति वेतन देयक के साथ लगा दी जायगी। संस्थाधिकारी इसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे और उसके आधार पर कर्मचारियों का व्यक्तिगत लेजर प्रारूप '5' पर बनाया जायगा। व्यतिगत खाते का रख-रखाव संस्था में प्रधानाचार्य द्वारा रखा जायेगा ताकि समय-समय पर कर्मचारी अपने खाते में जमा धनराशि से भी अवगत होते रहें। व्यक्तिगत खाते का प्रत्येक छः मास में एक बार लेखाधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाय। यथासम्भव प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में ब्याज आदि का आगणन कर दिया जाय तथा संबन्धित कर्मचारी को उसके खाते में पूरे वर्ष में जमा धनराशि ब्याज-सहित एक "जी० पी० एफ० लेखा पर्ची" निर्गत की जाय।

7. सामान्य भविष्य निधि लेखे के मद में संस्थावार की गयी कटौतियों की धनराशि सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा कथित निक्षेप लेखा शीर्षक '838' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा की जायगी। चालान द्वारा जमा धनराशि का रख-रखाव प्रपत्र '6' पर संस्था स्तर पर रखा जाय तथा इसकी एक प्रति जिला स्तर पर वर्ष समाप्त होने के बाद मँगा ली जाय।

8. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम लेने या अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति प्रदान करने का कार्य प्रधानाचार्य की संस्तुति पर निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार अब तक अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के अन्तर्गत किया जा रहा था।

9. लिपिकों की पेंशन स्वीकृत करने के निमित्त धन का आबंटन मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को निदेशालय के पत्रांक अर्थ (मा०)/851–1050/बावन–10 (1) /78–79, दिनांक अप्रैल 20, 1978 द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की पेंशन के निमित्त भी आबंटित धन से व्यय किया जाय तथा धन की कमी होने पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा अतिरिक्त धन की माँग की जायगी। कृपया धन मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से उपलब्ध कर पेंशन प्रकरणों का तीव्रगति से निस्तारण करने की व्यवस्था करें। यह भी उल्लेखनीय है कि नवीन दरों पर पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रपत्र वही प्रयोग में लाये जावेंगे जो लाभत्रयी योजनान्तर्गत (टी० बी० एस०) प्रपत्र निर्धारित है।

10. यह स्वतः स्पष्ट है कि विषय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और शासन ने भी योजना के तत्काल क्रियान्वयन की अपेक्षा की है।

अतः इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया राजाज्ञा तथा उक्त निर्दिष्ट आदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें एवं इसके कार्यान्वियन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल से प्रारम्भ करने की व्यवस्था करें। कृपया कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को वापसी डाक द्वारा अवगत कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय

रुद्र नारायण शर्मा

उप शिक्षा निदेशक (अर्थ)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

रा—7

संख्या 5608/15-8-3004 (11)/79

प्रेषक,

श्री राम लाल शर्मा

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

शिक्षा (8) अनुभाग/ लखनऊ, दिनांक 2 मई, 1980

विषय—नैवृत्तिक लाभों के प्रयोजन के लिए महँगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महँगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में मानना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों तथा व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा संचालित सहायता-प्राप्त उ०मा० विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को, जो लाभत्रयी योजना से अनुशासित हैं, क्रमशः शासनादेश संख्या 750/पन्द्रह-8-3054/1977, दिनांक 28-7-78 के साथ पठित शासनादेश संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/1974, दिनांक 31-3-78 तथा शासनादेश संख्या 7716/15-8-3003 (1)/77, दिनांक 3-11-78 के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर पेन्शन अनुमन्य की गयी है और चूँकि वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी 3-1386/दस-910/79, दिनांक 25-6-79 द्वारा राजकीय कर्मचारियों के नैवृत्तिक लाभों के लिए महँगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है, अतः राज्यपाल महोदय ने यह सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है कि सरकारी कर्मचारियों की भांति ही उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षकों एवम् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जिन्हें राज्य कर्मचारियों की दर पर नियमानुसार पेन्शन अनुमन्य है और जो 31-3-79 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त हुए हों, या होंगे उनके मामले में भी सरकारी कर्मचारियों की भांति महँगाई भत्ते तथा अतिरिक्त महँगाई भत्ते की कुछ धनराशि केवल नैवृत्तिक लाभों के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में मानी जायेगी जिसे 'महँगाई वेतन' की संज्ञा दी जायेगी। यद्यपि विभिन्न पदों में संबंध वेतन भागों में तथा महँगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महँगाई भत्ता जिस आधार पर स्वीकृत किया जाता है उस आधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा फिर भी नैवृत्तिक लाभों अर्थात पेन्शन/सर्विस ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवम् सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (जहाँ अनुमन्य हो) हेतु नीचे दी गयी तालिका के (क) तथा (ख) के अनुसार विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए उनके सम्मुख दी गयी सीमा तक महँगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महँगाई भत्ता 'महँगाई वेतन' के रूप में माना जायेगा :—

(क)	वेतन सीमा	महँगाई भत्ता (रु०)
	209 रु० तक	14
	210 रुपये से 399 रु० तक	18
	400 रुपये से 499 रुपये तक	20
	500 रुपये से 2250 रुपये तक	24 सीमान्त समायोजन के साथ
(ख)	वेतन सीमा	अतिरिक्त महँगाई भत्ता
	(1) रु० 300 तक	वेतन का 36 प्रतिशत
	(2) रु० 301 से 2157 तक	वेतन का 27% जिसकी न्यूनतम धनराशि 108 रु० तथा अधिकतम धनराशि 243 रुपये होगी।

2—ऊपर (क) तथा (ख) के इंगित धनराशियों को मंहगाई वेतन के रूप में आगणित किये जाने की प्रक्रिया वह होगी जो कि सेवानिवृत्ति पर अन्तिम 10 मास के वेतन, उन 10 मास के प्राप्त महँगाई भत्ते की धनराशि तथा वेतन पर प्राप्त होने वाले अतिरिक्त महँगाई भत्ते की धनराशि जो दिनांक 1-3-79 से स्वीकृत हुआ, का कुल योग निकाल लिया जायेगा और इस पर 10 मासीय औसत आगणित कर लिया जायेगा, जिस पर पेन्शन का आगणन होगा। मार्ग-दर्शन के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :—

(अ) वेतन रु० 185/-
महँगाई भत्ता रु० 14/-

अतिरिक्त महँगाई भत्ता रु० 66-60 (185 का 36%)

(ब) वेतन रु० 350/-
महँगाई भत्ता रु० 18/-

अतिरिक्त महँगाई भत्ता रु० 108/-, (350 रुपये का 27 प्रतिशत की दर से जिसका न्यूनतम रु० 108/-होगा।)

(स) वेतन रु० 500/-
महँगाई भत्ता रु० 24/-

अतिरिक्त महँगाई भत्ता रु० 135/-, (रु० 500 का 27 प्रतिशत)

3—मुझे यह भी सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पेन्शन निर्धारण होने के फलस्वरूप दिनांक 31-3-79 (अपराह्न) की या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को पेन्शन पर केवल उतनी ही धनराशि राहत के रूप में स्वीकृत की जायेगी जो दिनांक 1-4-79 तथा उसके उपरान्त समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी, दिनांक 1-4-79 से पूर्व में स्वीकृत की गयी राहत की धनराशि दिनांक 1-4-79 से सेवानिवृत्त होने वाले उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं होगी।

4—ऊपर बताये गये 'महंगाई वेतन' को राज्य सरकार के पेन्शन नियमों के अन्तर्गत परिभाषित शब्द "परिलब्धियों" में सम्मिलित किया जायेगा तथा इस प्रकार से आगणित की गयी परिलब्धियों के आधार पर नियमानुसार पेन्शन/सर्विस ग्रेच्युटी तथा मृत्यु एवम् सेवानिवृत्ति आनुतोषिक (जहाँ अनुमन्य हो) की गणना की जायेगी।

5—मुझे यह भी कहना है कि राजाज्ञा संख्या ए-5355/पन्द्रह-3133/1962 दिनांक 17-12-65 द्वारा प्रसारित लाभत्रयी योजना तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के परिशिष्ट-8 में अंकित अंशदायी प्राविधायी निधि योजना, जिसे

शासनादेश संख्या 750/पन्द्रह्-8-3054/77 दिनांक 28-7-78 के साथ पठित शासनादेश संख्या 5310/पन्द्रह्-8-3004 (2)/1974, दिनांक 31-3-78 तथा शासनादेश संख्या 7716/पन्द्रह्-8-3003 (1)/1977 दिनांक 3-11-78 के साथ पढ़ा जाय, उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षकों एवम् शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायँ।

6—यह् आदेश स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उ० मा० विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

7—इस मद पर होने वाला व्यय पहले नियमित प्राविधान से ही वहन किया जायेगा। उसके उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर बचतों से स्वीकृति दी जायेगी।

8—यह् आदेश अशासकीय पत्र संख्या ई-11-1356/दस-80 दिनांक 19-4-80 से प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
राम लाल शर्मा
उप सचिव

रा—8

पेन्शन उदारीकरण

संख्या 5609/15-8-3004(11)/79

प्रेषक,

श्री राम लाल शर्मा
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग। लखनऊ : दिनांक : 2 मई, 1980

विषय :— राज्य निधि से सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों के परिवर्धन/पेन्शन निर्धारण के फार्मूले का उदारीकरण—स्लैब पद्धति लागू करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उ० मा० विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को, जो लाभत्रयी योजना से अनुशासित हैं, क्रमशः शासनादेश संख्या 750/पन्द्रह्-8-3054/1977, दिनांक 28-7-78 के साथ पठित शासनादेश संख्या 5310/पन्द्रह्-8-3004-(2)/1974, दिनांक 31-3-78 तथा शासनादेश संख्या 7716/15-8-3003(1)/

1977, दिनांक 3-11-78 के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य दर पर पेन्शन अनुमन्य की गयी है और चूंकि वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या सा-3-1489/दस-916/79, दिनांक 7-9-1979 द्वारा राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन आगणन की प्रक्रिया में लगने वाले श्रम एवं समय को दूर करने के उद्देश्य से आगणन के फारमूले का उदारीकरण किया है, अतः राज्यपाल महोदय ने यह आदेश देने की कृपा की है कि राज्य निधि से सहायताप्राप्त उ० मा० विद्यालयों के उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को, जो 31-3-79 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा सेवानिवृत्त होंगे, उनकी पेन्शन की राशि का निर्धारण भी राजकीय कर्मचारियों की भाँति ही निम्नलिखित स्लैबों के अनुसार किया जायेगा :—

(1) पेन्शन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के प्रथम 1,000 रुपये पर	औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत ।
(2) पेन्शन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों के अगले 500 रुपये तक	औसत परिलब्धियों का 45 प्रतिशत
(3) पेन्शन के लिए गणना योग्य औसत परिलब्धियों की शेष धनराशि	औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत इस प्रतिबन्ध के साथ कि कुल पेन्शन पेन्शनर को प्राप्त होने वाली राहत की धनराशि को मिलाकर रु० 1500/- प्रतिमास से अधिक नहीं होगी ।

2. उपर्युक्त स्लैबों के आधार पर आगणित की गयी पेन्शन की धनराशि 33 वर्ष की अधिकतम अर्हकारी सेवा से सम्बन्धित होगी। उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे शिक्षक एवम् शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए जिन्होंने सेवानिवृत्ति के दस वर्ष या इससे अधिक की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है परन्तु 33 वर्ष से कम सेवा की हो, उनकी पेन्शन की राशि अधिकतम स्वीकृत पेन्शन के उस अनुपात में होगी जो अनुपात उनके द्वारा की गयी अर्हकारी सेवा का 33 वर्ष की अधिकतम अर्हकारी सेवा से होता है । इस सम्बन्ध में पेन्शन निर्धारण विषयक कुछ उदाहरण संलग्नक में उपलब्ध हैं जिनसे पेन्शन की धनराशि निर्धारित करने में सुगमता एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो जायेगा ।

3. उपर्युक्त स्लैबों के आधार पर निर्धारित की गयी पेन्शन तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार पेन्शन पर प्राप्त होने वाली राहत की धनराशि का योग किसी भी दशा में रु० 1500/- से अधिक नहीं होगा । यदि पेन्शन स्वयं ही 1500/- रुपये या इससे अधिक होती है, तो 33 वर्ष की पूरी अर्हकारी सेवा के लिए अधिकतम पेन्शन रुपया 1500/- पर प्रतिबन्धित होगी और इस पर कोई राहत देय नहीं होगी ।

4. सर्विस ग्रेच्युटी, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक, जो भी शासन द्वारा स्वीकार हुई है, अर्हकारी सेवा की सम्पूर्ण 6 माह की अवधि को मानने-सम्बन्धी उपबन्ध-सहित पेन्शन के लिए अर्हकारी सेवा और रुपये के अंश की अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित करने-सम्बन्धी स्वीकार्यता, के बारे में राज्य सरकार के वर्तमान नियम यथावत् रहेंगे ।

5. मुझे यह भी कहना है कि राजाज्ञा संख्या ए-5355/पन्द्रह-3133/1962, दिनांक 17-12-65 द्वारा प्रस्तावित लाभत्रयी योजना तथा उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता के परिशिष्ट–आठ में अंकित अंशदायी प्राविधायी निधि योजना, शासनादेश संख्या 750/15-8-3054/77, दिनांक 28-7-78 के साथ पठित शासनादेश संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/1974, दिनांक 31-3-78 तथा शासनादेश संख्या 7716/पन्द्रह-8-3004(1)/1977, दिनांक 3-11-78 को उपर्युक्त श्रेणी के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

6. यह आदेश स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उ० मा० विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे ।

7. इस मद पर होने वाला व्यय नियमित प्राविधान से वहन किया जायेगा, उसके उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर बचतों से स्वीकृति दी जायेगी ।

8. यह आदेश अशासकीय संख्या ई-11-1556/दस-80 दिनांक 19-4-80 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय
राम लाल शर्मा
उप सचिव

संलग्नक

राज्य निधि से सहायताप्राप्त उ० मा० विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्लैब पद्धति के अनुसार पेन्शन की संगणना ।

औसत परिलब्धियाँ	33 वर्ष की सेवा पर पेन्शन	30 वर्ष की सेवा पर पेन्शन	20 वर्ष की सेवा पर पेन्शन
1000 रु०	पेन्शन 500/- रु० 50 प्रतिशत	$\frac{500 \times 30}{33}$ = 454·50 रु० अथवा 455 रु०	$\frac{500 \times 20}{33}$ = 303·03 रु० अथवा 304 रु०
1500 रु०	प्रथम 1000 रु० पर 50 प्रतिशत = 500 रु० इसके आगे 500 रु० पर 45 प्रतिशत = 225 रु० जोड़ = 725	$\frac{725 \times 30}{33}$ = 659·09 रु० अथवा 660 रु०	$\frac{725 \times 20}{33}$ = 439·39 रु० अथवा 440 रु०
2000 रु०	प्रथम 1000 रु० पर 50% = 500/- इसके आगे 500 रु० पर 45% = 225/- शेष 500 रु० पर 40 प्रतिशत = 200/- जोड़ = 925/-	$\frac{925 \times 30}{33}$ = 840·90 रु० अथवा 841 रु०	$\frac{925 \times 20}{33}$ = 560·60 रु० अथवा 561 रु०

रामलाल शर्मा
उप सचिव

रा—9

संख्या 3218/15-8-3070/77

प्रेषक,

श्री रमेश चन्द्र दुबे,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग। लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 1981

विषय:—राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों को, जो 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं, मृत्यु तथा सेवा नैवृत्तिक आनुतोषिक सुविधा दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या 2523/पन्द्रह-8-3070/77 दिनांक 10 अगस्त, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त राजाज्ञा के प्रस्तर-4 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत आप द्वारा प्रेषित नियमावली एवं नामांकन प्रपत्र के प्रारूप पर राज्यपाल महोदय ने अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। अनुमोदित नियमावली एवं नामांकन का प्रारूप इस निर्देश के साथ संलग्न किया जा रहा है कि कृपया आप इन्हें प्रसारित करें तथा तदनुसार प्रश्नगत शासनादेश में निहित आदेशों के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,
रमेश चन्द्र दुबे
उप सचिव

(राजाज्ञा संख्या 3218/15-8-3070/77 दिनांक 29 अगस्त, 1981 का संलग्नक)

राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की नियमावली।

भाग—क **सामान्य उपबन्ध**

1. यह नियमावली "उत्तर प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली" कहलाएगी।

2. यह 30 जून, 1978 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

3. यह नियमावली वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की परिधि में 30-6-78 या उसके पश्चात् कार्यरत केवल उन राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों पर लागू होगी जो किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी अशासकीय प्रबन्धतन्त्र द्वारा संचालित हैं तथा जो 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के पक्ष में अपना विकल्प इस नियमावली की विज्ञप्ति की तिथि के छः मास के अन्दर दे देंगे। विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह अन्तिम समझा जायेगा। सेवानिवृत्ति की तिथि सत्रान्त मानी जाएगी।

4. इस नियमावली की विज्ञप्ति की तिथि के उपरान्त नियुक्त अध्यापकों द्वारा अपने स्थायीकरण की तिथि के दो वर्षों के अन्दर 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने के पक्ष में अपना विकल्प न देने पर यह नियमावली उन पर लागू नहीं होगी। विकल्प का एक बार प्रयोग कर लेने पर वह अन्तिम समझा जायेगा।

भाग—ख **परिभाषायें**

5. परिवार में अध्यापक पर पूर्णतया आश्रित निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :—

1. पुरुष कर्मचारी की दशा में, पत्नी।
2. महिला कर्मचारी की दशा में, पति।
3. पुत्र। जिसमें सौतेले तथा दत्तक दोनों प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं।
4. अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ।
5. 18 वर्ष की कम आयु के भाई तथा अविवाहित व विधवा बहनें (जिसमें ऐसे सौतेले भाई व सौतेली बहनें भी सम्मिलित हैं।)
6. पिता।
7. माता।
8. विवाहित पुत्रियाँ। (जिनमें ऐसी सौतेली पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं)
9. पूर्वमृत पुत्र के बच्चे।

6. स्थानीय निकाय का तात्पर्य यथाविधि गठित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य किसी स्थानीय प्राधिकरण से है जिसमें नगर महापालिका, जिला परिषद व नोटीफाइड एरिया सम्मिलित हैं।

7. "प्रबन्धक" का तात्पर्य गैर-सरकारी रूप से प्रबन्धित संस्था की प्रबन्ध समिति या किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी ऐसे अन्य निकाय या ऐसे किसी प्राधिकृत अधिकारी से है जिसमें किसी संस्था का प्रबन्ध करने के अधिकार निहित हों और जो इस रूप में शासन द्वारा मान्य हो।

8. "अर्हकारी" सेवा का तात्पर्य उस सेवा से है जो पेंशन आगणन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में गिनी जाय।

9. "अध्यापक" का तात्पर्य स्थायी, पूर्णकालिक व नियमित रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्तियों से है जो वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पूर्णकालिक अध्यापन अधिष्टान में हों।

10. "परिलब्धियों" का तात्पर्य अध्यापक को सेवानिवृत्ति/मृत्यु के ठीक पूर्व प्राप्त निम्न धनराशियों से है :—

1. पद के लिए स्वीकृत वेतनमान में आहरित मूल वेतन।
2. विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन और/अथवा महँगाई भत्ते का वह अंश जिसे शासन द्वारा विशेष रूप से पेन्शन आगणन हेतु वेतन का अंग माना गया हो।

सेवा नैवृत्तिक आनुतोषिक

11. कोई अध्यापक निम्नांकित अवस्थाओं में इस नियमावली के अन्तर्गत आनुतोषिक पाने का पात्र होगा :—

(1) विकल्प पत्र के अनुसार 58 वर्ष की अवधि पर सेवानिवृत्त होने पर ।

(2) 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने वाले ऐसे अध्यापक जो 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर लेने अथवा 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहें ।

(3) 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने वाले ऐसे अध्यापक जो आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ होने का प्रमाण-पत्र देकर 58 वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्त हों ।

12. आनुतोषिक के लिए अर्ह सेवा की गणना छ:माही अवधियों की, की जाएगी और छ: मास से कम की सेवा की गणना अर्ह सेवा में नहीं की जायेगी ।

13. इस नियमावली के अन्तर्गत देय आनुतोषिक का आगणन राजकीय कर्मचारियों को समय-समय पर देय आनुतोषिक के आगणन की विधि द्वारा ही किया जाएगा । वर्तमान विधि निम्नवत् है :—

आनुतोषिक :—वेतन+महँगाई भत्ता व अतिरिक्त महँगाई भत्ते का वह अंश जिसे शासन ने पेन्शन अथवा आनुतोषिक आगणन हेतु वेतन का अंग माना है+विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन × अर्ह सेवा की पूर्ण छ:माही अवधि की संख्या ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि देय आनुतोषिक की धनराशि अध्यापक की अन्तिम परिलब्धियों की $16\frac{1}{2}$ गुने (साढ़े सोलह गुने) की धनराशि अथवा रुपया 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र), उनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि आनुतोषिक आगणन के लिए मासिक परिलब्धियों की रुपया 2500/- (रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) से अधिक की धनराशि छोड़ दी जायेगी ।

टिप्पणी :—सेवानिवृत्ति या मृत्यु के ठीक पहले यदि अध्यापक किसी भत्ते सहित अवकाश पर था, तो उसके आनुतोषिक आगणन के लिये परिलब्धियाँ वह मानी जाएँगी जो वह अवकाश पर न रहता तो पाता, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवकाश-काल में जो वार्षिक वेतनवृद्धि प्रोद्भूत (एक्रू) हुई हो परन्तु आहरित न की गयी हो वह परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

14. आनुतोषिक स्वीकृत करने के लिए नियन्त्रक अधिकारी सम्बन्धित अध्यापक के पेन्शन स्वीकृति अधिकारी होंगे ।

15. आनुतोषिक स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी स्वीकृति आदेश पर एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेंगे कि सेवा-निवृत्त अध्यापक पर कोई राजकीय/प्रबन्ध तंत्र की धनराशि बाकी नहीं है । यदि सरकार अथवा विद्यालय के प्रबन्ध का कोई पावना अध्यापक के ऊपर है, तो नियंत्रक प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि इस नियमावली के अन्तर्गत अध्यापक की देय आनुतोषिक में से उक्त पावना की धनराशि काट कर समायोजित कर लें ।

16. सम्बन्धित अध्यापक निर्धारित अवधि में अपना विकल्प संलग्न प्रारूप प्रपत्र "क" में तीन प्रतियों में भरकर अपनी संस्था के माध्यम से वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम अधिकारी (जिला विद्यालय निरी-क्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका) को प्रतिहस्ताक्षर हेतु देगा । प्रति-

हस्ताक्षरोपरान्त एक प्रति संबंधित अधिकारी अपने पास रोककर एक प्रति नियंत्रक अधिकारी को तथा अन्य प्रति विद्यालय के प्रबन्धक को वापस कर देगें जो संबंधित अध्यापक की सेवा-पुस्तिका में चस्पा कर दी जाएगी।

भाग—घ **मृत्युजन्य आनुतोषिक**

17. इस नियमावली के प्रवर्तन की तिथि तथा उसके उपरान्त सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में परिवार को उपर्युक्त नियम 13 में उल्लिखित दर पर मृत्युजन्य आनुतोषिक देय होगा जो मृत अध्यापक की अन्तिम परिलब्धि के कम से कम चार गुना तथा अधिक से अधिक साढ़े सोलह गुना धनराशि जो रुपया 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी:—यदि अध्यापक ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, तो उसके किसी अन्य सम्बन्धी को इस नियमावली के अन्तर्गत कोई आनुतोषिक देय नहीं होगा।

भाग—ङ **अन्य उपबन्ध**

18. मृत्यु तथा नैवृत्तिक आनुतोषिक के प्रकरणों के निस्तारण संबंधी बिन्दुओं पर राजाज्ञा सं०ए-5355/15-3133-1962, दिनांक 17-12-65 के साथ पठित राजाज्ञा संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/74 दिनांक 31 मार्च, 1978 द्वारा निर्गत लाभत्रयी योजना यथास्थान आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगी।

19. आनुतोषिक सम्बन्धी अन्य मामलों में जिसकी इस नियमावली से विशिष्टत: व्यवस्था न को गयी हो उसके लिये शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन से स्पष्ट आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

20. इस नियमावली के नियमों के विषय में किसी कठिनाई अथवा संदेह की दशा में प्रकरण शासन को यथावश्यक स्पष्टीकरण एवं आदेश हेतु शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से संदर्भित किया जा सकेगा।

21. इस नियमावली से शासित अध्यापक संलग्न प्रपत्र "ख" पर अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों को आनुतोषिक प्राप्त करने के लिए अधिकार देने के निमित्त एक नामांकन नियम 16 में उल्लिखित अधिकारी को करेगा जिसमें नामांकित व्यक्तियों को मिलने वाली आनुतोषिक की धनराशि या अंश का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन अमान्य होगा।

22. अध्यापक इस नामांकन को नियम 16 में उल्लिखित अधिकारी को लिखित सूचना देकर दूसरे को हस्तान्तरित हो जाने की व्यवस्था, नामांकन में से न होने की दशा में किसी घटना के फलस्वरूप नामांकन अप्रभावी (इनवैलिड) कहे जाने पर अध्यापक इस नामांकन को निरस्त करने की सूचना उक्त अधिकारी को नये नामांकन के साथ देगा।

23. नामांकन निरस्त करने की सूचना तथा नया नामांकन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को वह उपर्युक्त नियम 16 में उल्लिखित अधिकारी को प्राप्त होगा तथा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

24. अध्यापक द्वारा अपनी मृत्यु के पूर्व कोई नामांकन न करने की दशा में आनुतोषिक की धनराशि विधवा पुत्रियों को छोड़कर उपर्युक्त नियम 5 के क्रम एक से चार तक उल्लिखित उसके परिवार के सदस्यों को बराबर-बराबर अंशों में भुगतान की जायेगी तथा यदि परिवार के क्रमांक एक से चार तक सदस्य न हों, तो उक्त नियम 5 के क्रम पाँच से नौ तक उल्लिखित उसके परिवार के सदस्यों तथा विधवा पुत्रियों को बराबर अंशों में भुगतान की जाएगी।

25. इस नियमावली के अधीन आनुतोषिक स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना-पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर दिया जाएगा ।

26. कोई भी आनुतोषिक उस दशा में नहीं दिया जाएगा जबकि अध्यापक ने त्यागपत्र दे दिया हो अथवा कदाचरण (मिसकण्डक्ट), दिवालिया होने या कार्य-अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो अथवा हटा दिया गया हो ।

प्रपत्र "ख"

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के लिए नामांकन पत्र

(नियमावली के नियम 2 के अन्तर्गत)

मैं एतद्द्वारा अधोलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ जो मेरे परिवार के सदस्य हैं और सेवा-काल में मेरी मृत्यु हो जाने पर जो आनुतोषिक शासन द्वारा स्वीकृत किया जाये उसको प्राप्त करने का उन्हें अधिकार प्रदान करता हूँ तथा मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त मेरी मृत्यु होने पर मुझे अनुमन्य आनुतोषिक की जो भी धनराशि भुगतान के लिए अवशेष रह जाय, उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकार देता हूँ ।

नामांकित व्यक्ति/ व्यक्तियों के नाम व पते	अध्यापक से सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय आनु-तोषिक की धनराशि अथवा अंश	घटना जिसके घटित होने पर नामांकन अप्रभावी (इनवैलिड) हो जायेगा	ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम व पते तथा संबंध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अध्यापक की मृत्यु हो जाने अथवा अध्यापक की मृत्यु हो जाने के बाद परन्तु आनुतोषिक का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित का अधिकार प्राप्त हो जायेगा ।	प्रत्येक को देय आनुतोषिक को धनराशि अथवा अंश
1	2	3	4	5	6	7

यह नामांकन पूर्व में मेरे द्वारा किये गये नामाकन दिनांक ....जो अब निरस्त हो गया है, का अतिक्रमण करता है ।

नोट :—स्तम्भ चार तथा सात में आनुतोषिक की पूर्ण धनराशि को आच्छादित करने के लिए आज दिनांक .... माह............सन्.................... को प्रस्तुत साक्षियों के हस्ताक्षर ....

अध्यापक के हस्ताक्षर........................

तिथि..............................

प्रमाणित किया जाता है कि इस नामांकन पत्र पर आज मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये गये हैं।

प्रबन्धक............................ प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर..........................

स्थान................................ संस्था ....

दिनांक.............................. दिनांक..

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका/ मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका

....

मुहर

रा—10

पारिवारिक पेन्शन राजाज्ञा

संख्या 6246/15-8-3004 (46)/77

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।
2. शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ० प्र०, इलाहाबाद,

शिक्षा (8) अनुभाग। लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 1982

विषय—राजकोष से सहायताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कालेज के शिक्षकों एवं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति।

महोदय,

पार्श्वांकित शासनादेशों द्वारा प्रदेश के सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कालेजों के शिक्षकों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों

के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान पेन्शन की सुविधा दी गई थी किन्तु पारिवारिक पेन्शन न दिये जाने का उनमें स्पष्ट निर्देश था। उपरोक्त वर्ग के अध्यापक और उनके आश्रित पारिवारिक पेन्शन दिये जाने की शासन से बराबर माँग करते आ रहे थे जिस पर शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया और उनकी मांग को शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पार्श्वांकित शासनादेशों में पारिवारिक पेन्शन न दिये जाने की शर्त को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय उक्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निर्वाह निधि एवं नवीन पेन्शन योजना से आवृत्त सहायताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा डिग्री कालेज एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के समस्त शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों की भाँति पारिवारिक पेन्शन की सुविधा दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में राजकीय कर्मचारियों को जो पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य है वह निम्नवत् है :—

1—संख्या 5693/15(6)/77-9 (1)/77
10 मार्च, 1978
2—संख्या 5310/15-8-3004 (2)/74
31 मार्च, 1978 एवं
संख्या 750/15-8-3054/1977
28 जुलाई, 1978
3—संख्या 9777/15-79(11)-3 (7)79
28-4-80
4—संख्या 5197/15(5)79/77
8 मार्च, 1978

वेतन	विधवा/विधुर/बच्चों की मासिक पेन्शन
1—400 रु० से कम	वेतन का 30% जिसकी न्यूनतम धनराशि 60 रु० प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि 100 प्रतिमाह होगी।
2—400 रु० और उससे अधिक किन्तु 1200 रु० से कम	वेतन का 15% जिसकी न्यूनतम धनराशि 100 रु० प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि 160 रु० प्रतिमाह होगी।
3—1200 रु० और उससे अधिक	वेतन का 12% जिसकी न्यूनतम धनराशि 160 रु० प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि 250 रु० प्रतिमाह होगी।

उपर्युक्त पारिवारिक पेन्शन के अतिरिक्त पारिवारिक पेन्शनरों को पारिवारिक पेन्शन की धनराशि का 22·5% किन्तु न्यूनतम रु० 22·50 तथा अधिकतम रु० 112·50 प्रतिमाह राहत भी अनुमन्य होगी।

नोट—इस प्रयोजन के लिए वेतन का तात्पर्य फन्डामेन्टल रूल्स के नियम 9 (21) में परिभाषित ऐसे वेतन से है जिसमें महंगाई वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित हो जो शिक्षक अपनी मृत्यु के दिनांक को, यदि मृत्यु सेवाकाल में हुई हो, अन्यथा अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले पा रहा हो। यदि मृत्यु के दिनांक को जबकि वह सेवा में हुई हो या उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले शिक्षक छुट्टी पर होने से (जिसमें असाधारण छुट्टी भी सम्मिलित हैं) या निलम्बित किये जाने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, तो 'वेतन' का तात्पर्य उस वेतन से है जो उक्त शिक्षक ने ऐसी छुट्टी पर जाने या निलम्बित किये जाने से ठीक पहले लिया हो।

2—यह योजना दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 से लागू मानी जाएगी।

3—उपर्युक्त योजना का प्रशासन निम्नलिखित प्रकार से होगा :—

(क) परिवार पेन्शन सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर उस दशा में अनुमन्य होगी जब सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने की दशा में शिक्षक मृत्यु के समय कोई प्रतिकर, अशक्तता सेवानिवृत्ति या अधिवर्ष पेन्शन पा रहा हो या पा रहा होता और सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में यदि उसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा, जिसमें भत्ता-रहित छुट्टी की अवधि, ड्यूटी के रूप में माना गया निलम्बन तथा 20 वर्ष की आयु से पहले की गई अवधि सम्मिलित नहीं है, पूरी कर ली हो ।

(ख) इस योजना के प्रयोजनों के लिए परिवार में शिक्षक के निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित रहेंगे :—

(1) पत्नी/पति ।

(2) अवयस्क पुत्र ।

(3) अविवाहित अवयस्क पुत्रियाँ ।

टिप्पणी—(1) उपर्युक्त (2) और (3) में सेवानिवृत्ति से पहले वैध रूप से गोद ली गयी सन्तान भी सम्मिलित होगी।

टिप्पणी—(2) सेवा निवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिए मान्य नहीं समझा जाएगा।

(ग) पेन्शन निम्नलिखित दशाओं में उपलब्ध होगी :—

(1) विधवा/विधुर की दशा में मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, के दिनांक तक ।

(2) अवयस्क पुत्र की दशा में जब तक उसकी आयु 18 वर्ष की न हो जाय ।

(3) अविवाहित पुत्री की दशा में जब तक कि उसकी 21 वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, न हो जाय ।

टिप्पणी—जहाँ दो या दो से अधिक विधवायें हों, तो पेन्शन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी । उसकी मृत्यु/पुनर्विवाह होने पर यह पेन्शन अगली उत्तरजीवी विधवा, यदि कोई हो, को देय होगी । शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक की निर्देश वरिष्ठता से है ।

(घ) इस योजना के अधीन दी गई पेन्शन एक ही समय में शिक्षक के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी । यह निम्न क्रम से अनुमन्य होगी अर्थात् पहले विधवा/विधुर को, उसके बाद ज्येष्ठतम उत्तरजीवी अवयस्क पुत्र को और तत्पश्चात् उत्तरजीवी अविवाहित अवयस्क पुत्री को ।

(ङ) विधवा/विधुर का पुनर्विवाह/मृत्यु हो जाने पर पेन्शन उनकी अवयस्क सन्तानों को उनके प्रकृत अभिभावकों के माध्यम से ही दी जाएगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक के माध्यम से किया जाएगा ।

4—(क) सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम-से-कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है, तो मृत्यु की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेन्शन मूल वेतन की आधी अथवा इस योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगुना, जो भी कम हो, के बराबर होगी ।

(ख) सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेन्शन उस तिथि तक जब मृत पेन्शनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा 7 वर्ष की अवधि तक, जो भी इन

दोनों अवधियों में से पहले हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेन्शन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृति के बाद शिक्षक को स्वीकृत की गई सेवा पेन्शन की धनराशि से अधिक नहीं होगी । अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इन मामलों में प्रस्तर-1 के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेन्शन की धनराशि सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई सेवा पेन्शन की धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी । सेवानिवृति के समय स्वीकार की गई पेन्शन से तात्पर्य उस पेन्शन से है जो पेन्शनर को मूलतः स्वीकृत हुई हो अर्थात् पेन्शन की वह धनराशि जो राशिकरण से पूर्व, यदि कोई हो, स्वीकृत की गई थी ।

5—चूंकि इस योजना पर होने वाले व्यय के लिए वर्ष 81-82 के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है और पारिवारिक पेन्शन की सुविधा की वित्तीय स्वीकृति जारी करना अपरिहार्य है, अतः राज्यपाल महोदय ने राज्य आकस्मिकता निधि से इस हेतु 50,000 रु० (रुपए पचास हजार) मात्र अग्रिम लेकर इस व्यय को वहन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

6—उक्त व्यय प्रथमतः राज्य आकस्मिकता निधि के नामे डाला जायगा और अन्ततः उसका विकलन निम्न लेखा शीर्षकों से किया जाएगा :—

277-शिक्षा-आयोजनागत—क—प्राथमिक शिक्षा (iv) अशासकीय प्राथमिक शिक्षा (iv) अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (iv) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी ।

277-शिक्षा-आयोजनागत-ख-माध्यमिक शिक्षा (iv) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (3) पेन्शन एवम् ग्रेच्युटी ।

277-शिक्षा-आयोजनागत-घ-विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा (viii)-अन्य व्यय (1) पेन्शन ।

7—शिक्षा निदेशक द्वारा यह धन राजकोष, लखनऊ से आहरित किया जाएगा और इसका भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को बैंकड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा ।

भवदीय,

गोविन्द नारायण मिश्र

उप सचिव ।

रा—11

संख्या—693/15–8–3004 (46)/84

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।

शिक्षा (8) अनुभाग। लखनऊ : दिनांक : 16 जून, 1984,

विषय :— राजकोष से सहायताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/डिग्री कालेज के शिक्षकों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 6246/15–8–3004 (16)/77, दिनांक 31 मार्च, 1982 का स्पष्टीकरण करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ने अपने पत्रांक पारि० (पेन्शन) 7472–75/83–84 दिनांक 21–1–84 द्वारा यह पृच्छा की है किसी अध्यापक की मृत्यु यदि 1–10–81 के पूर्व हो गयी है, तो उसके आश्रितों को पारिवारिक पेन्शन का लाभ मिलेगा अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्नगत राजाज्ञा के उपबन्धों के अधीन यदि मृतक अध्यापक के आश्रितों को अन्यथा पारिवारिक पेन्शन देय हो, तो चाहे अध्यापक की मृत्यु 1–10–81 के पूर्व हुई हो अथवा बाद में हुई हो उसके आश्रितों को दिनांक 1–10–81 से राजाज्ञा के प्राविधानों के अधीन पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत की जायगी। अग्रेतर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मृतक अध्यापक के आश्रितों को 1–10–81 से पूर्व की अवधि के लिये कोई अवशेष आदि के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्नगत योजना 1–10–81 से लागू की गई है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

गोविन्द नारायण मिश्र

संयुक्त सचिव

रा—12

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उ०प्र०
शिक्षा पेन्शन (2) अनुभाग
इलाहाबाद।

सेवा में,

मं०उ०शि०नि०, उ०प्र०
मं०बा०वि०नि०, उ०प्र०
जि०वि०नि०, उ०प्र०
जिला बा०वि०नि०, उ०प्र०

पत्रांक पे० (2)/4321-4525/52-10(112) दि० 27-7-82

विषय :—राज्य निधि से सहायताप्राप्त अशासकीय उ०मा०वि० के ऐसे शिक्षकों को, जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का विकल्प देकर सेवानिवृत्त होते हैं, मृत्यु तथा सेवा नैवृत्तिक आनुतोषिक की सुविधा दिया जाना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन की राजाज्ञा सं० 3218/पन्द्रह-8-3070/77 दिनांक 29-8-81 एवं निदेशालय के पत्रांक पेन्शन (2)/10082-11336/52-10(112)/81-82 दिनांक 22-12-81 के तारतम्य में निवेदन है कि आनुतोषिक नियमावली के प्रस्तर-3 में उल्लिखित विकल्प पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अवधि के अन्दर अधिकांश शिक्षकों द्वारा विकल्प पत्र न दे सकने की स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त शासन ने उक्त प्रस्तर के प्राविधानों को शिथिल करते हुए शासनादेश सं० 2082/15-8-3070/77 दिनांक 6-7-82 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा विकल्प पत्र प्राप्त करने की तिथि में 31-12-82 तक वृद्धि किये जाने की सहमति प्रदान कर दी है।

(2) चूँकि विकल्प पत्र प्राप्त करने की तिथि में यह बढ़ोत्तरी अन्तिम है और इसके पश्चात् कदाचित शासन द्वारा समय-वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अब आप कृपया आनुतोषिक नियमावली का वरण करने के लिये इच्छुक शिक्षकों से 31-12-82 तक विकल्प पत्र निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लें।

(3) इस सुविधा से कोई शिक्षक वंचित न रह जाय इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आप कृपया संलग्न राजाज्ञा का प्रसारण अपने-अपने मंडल तथा जिले के समस्त अधिकारियों एवं संस्थाओं को कर देवें और शिक्षकों की सामान्य जानकारी हेतु इसका विज्ञापन आप कृपया अपने जनपद के जनप्रिय मुख्य समाचार-पत्रों में भी जनहित में निःशुल्क द्रुतगामी गति से करा देवें और इसी समय से सुनिश्चित हो लें कि इसका प्रसारण जिले के समस्त अशासकीय उ०मा० विद्यालयों एवं उनमें कार्यरत शिक्षकों को कर दिया गया है। इसकी पुष्टि में प्रत्येक विद्यालय से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें कि उक्त राजाज्ञा से विद्यालय के सभी शिक्षकों को अवगत करा दिया गया है।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

रुद्र नारायण शर्मा

उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान)

कृते शिक्षा निदेशक, उ० प्र०

आनुतोषिक आवेदन-पत्र

सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु राजाज्ञा संख्या 3218/15-8-3070 दिनांक 29-8-81 द्वारा अनुमोदित आनुतोषिक नियमावली के अन्तर्गत आनुतोषिक हेतु आवेदन-पत्र (नियमावली के नियम 26 के अनुसार)

भाग—अ

(प्रार्थी, प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के प्रयोग हेतु)

1—विद्यालय का नाम

2—अध्यापक/अध्यापिका का नाम तथा स्थायी पता

3—पिता/पति का नाम

4—पद नाम

5—वेतनक्रम

6—विद्यालय में अविरल नियुक्ति की तिथि

7—स्थायीकरण की तिथि

8—जन्म तिथि

9—58 वर्ष की अधिवय पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने की तिथि

10—58 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा।

11—45 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेन्शन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा।

12—20 वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेन्शन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा।

13—आगे सेवा के लिये स्थायी रूप से असमर्थ होने का प्रमाण-पत्र देकर 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति के इच्छुक अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा।

नोट—स्तम्भ 10, 11, 12 अथवा 13 में से जो लागू न हो उसके सामने × का चिह्न बना दें।

14—स्तम्भ 10, 11, 12, 13 के सम्मुख अंकित अविरल सेवा-अवधि का विवरण सेवा-पंजी के अनुसार

विद्यालय का नाम	से	तक	वर्ष	महीना

15—आनुतोषिक हेतु मान्य छमाही अवधि की संख्या स्तम्भ 14 के समक्ष अंकित मान्य सेवा-अवधि के आधार पर

16—सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अध्यापक की मृत्यु की तिथि

17—सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के ठीक पूर्व अध्यापक की परिलब्धियों का विवरण—

(1) मूल वेतन

(2) महँगाई व अतिरिक्त महँगाई भत्ते का वह अंश जो पेंशन आगणन हेतु शासन द्वारा वेतन का अंश माना गया हो।

(3) विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन

योग अथवा अधिकतम 2,500/- मासिक

नोट—परिलब्धियों के निर्धारण हेतु नियमावली के नियम 13 के नीचे अंकित टिप्पणी को दृष्टिगत रखा गया।

18—आनुतोषिक नियमावली के नियम 13 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि को देय आनुतोषिक की धनराशि। अर्थात् स्तम्भ 17 के समक्ष अंकित राशि का स्तम्भ 14 के समक्ष अंकित विवरण के अनुसार पूर्ण छमाही सेवा अवधि के आधार पर रु० ················ अथवा रु० 30,000, इनमें जो भी कम हो।

19—मृत्यु हो जाने की दशा में नियमावली के नियम 17 के अन्तर्गत देय मृत्युजन्य आनुतोषिक की धनराशि अर्थात् स्तम्भ 17 में परिभाषित अन्तिम उपलब्धियों की धनराशि × 12=रु० ·········· अथवा रु० 30,000/-, इनमें जो भी कम हो।

20—अध्यापक द्वारा नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत नामांकित व्यक्तियों तथा उनमें से प्रत्येक को देय आनुतोषिक का विवरण।

21—सम्बन्धित अध्यापक के प्रति राजकीय/प्रबन्धतन्त्र के बकायों का विवरण, यदि कोई हो।

दिनांक

प्रार्थी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया है और वे सत्य हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसके सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिमों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई वसूली शेष नहीं है। निम्नांकित मदों के अन्तर्गत वसूली शेष है तथा प्रार्थी ने न तो विद्यालय से त्यागपत्र दिया है और न ही उन्हें कभी कदाचरण, दिवालियापन या कार्य-अक्षमता के कारण पदमुक्त किया गया है या हटाया गया हैं।

वसूली का विवरण (यदि हो) धनराशि

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य
विद्यालय की मुहर

मैं भी प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए श्री/श्रीमती/कु० ············ के आनुतोषिक की पूरी राशि रु० ···················· (रुपए शब्दों में) (··················) के भुगतान की संस्तुति करता हूँ क्योंकि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली शेष नहीं है/रु० ·············· ·············· की वसूली शेष है जिसे भुगतान की देय राशि में से काट लिया जाय।

हस्ताक्षर प्रबन्धक
मुहर

भाग—ब

(जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्रयोग हेतु)

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ 18 अथवा 19 में आगणित सेवा नैवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की धनराशि रु० .... की जाँच मेरे द्वारा प्रार्थी के ..... माह के वेतन बिल से कर ली गयी है और श्री/श्रीमती/कु० .... को अथवा इनके आश्रितों को रु० .... की सेवा नैवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर लेखाधिकारी

दिनांक

(मुहर)

हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक

दिनांक

(मुहर)

भाग—स

(मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय के लिए)

श्री/श्रीमती/कु० .... को रु० .... की सेवा नैवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके प्रति राजकीय/प्रबन्धतन्त्र का कोई बकाया शेष नहीं है / रु० .... का बकाया शेष है जिसका समायोजन आनुतोषिक की कुल देय राशि अंकन रुपया .... से काटकर कर लिया गया है।

आनुतोषिक स्वीकृत करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर मुहर-सहित

दिनांक

रा—13

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (पेंशन–2) अनुभाग,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

1—मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

2—मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक : पेंशन (2)/17740–18072/52–10 (17)/82–83 दिनांक 24–3–83

विषय :—सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों एवं सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पुरानी पेंशन योजना से आवृत्त पेंशनभोगियों को पेंशन में राहत स्वीकार किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन की राजाज्ञा संख्या 4764/15–8–3004(8)/82 दिनांक 18–2–1983 (प्रतिलिपि संलग्न), जो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि शासन ने 1–1–81 के बाद पेंशन पर राहत की जो किस्तें राजकीय पेंशनरों को दी हैं वे सभी किस्तें पार्श्व में अंकित राजाज्ञाओं के अनुसार नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों एवं सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पुराने पेंशन योजना से आवृत्त पेंशनभोगियों को स्वीकृत कर दिया है । इस निर्णय के साथ ही साथ शासन ने यह भी सहर्ष अनुमति प्रदान की है कि भविष्य में जो किस्तें राजकीय पेंशनरों को दी जायँ वह उपर्युक्त पेंशनरों को भी प्रदान की जायँ ।

(1) सं० 5310/15–8–3004 (2)/74 दि० 31–3–78
(2) सं० 750/15–8–3054/77 दि० 28–7–78
(3) सं० 7716/15–8–3003 (1)/77 दि० 3–11–78
(4) सं० ए 5355/15–8–3133/62 दि० 17–12–65
(5) सं० 8/1747/15–2007 (8)/77 दि० 24–4–73

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि इसके पूर्व शासन ने दिनांक 1–1–1981 से राजकीय पेंशनरों की भाँति सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों की राजाज्ञा सं० 1472/15–8–3004(4)/75 दिनांक 31–3–1982 के द्वारा पेंशन की धनराशि के 7·5% प्रतिमाह की दर से राहत स्वीकृत की थी जिसकी सूचना आपको निदेशालय के पत्र-संख्या पेंशन (2)/6178–6379/52–10(1)/82–83 दिनांक 10–8–1982 एवं पत्रांक पेंशन (2)/6380–6636/52–10(1)/82–83 दिनांक 10–8–82 द्वारा भेजी गई थी । संलग्न राजाज्ञा के अनुसार दिनांक 1–1–81 के बाद नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों तथा पुरानी पेंशन योजना से आवृत्त सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पेंशनभोगियों को राजकीय पेंशनर्स की भांति क्रमशः 1–2–81, 1–4–81, 1–6–81, 1–8–81, 1–10–81, 1–11–81, 1–1–1982, 1–4–82 तथा 1–6–82 से पेंशन की धनराशि के 2·5 प्रतिशत के बराबर राहतें इस प्रतिबन्ध के साथ

स्वीकृत की गयी हैं कि स्वीकृत राहत की न्यूनतम धनराशि 2·50 तथा अधिकतम धनराशि 12·50 रुपया होगी तथा इस मद पर होनेवाले व्यय को निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में विकलित किया जायगा :—

लेखा शीर्षक—(1) 277–शिक्षा-आयोजनेतर (क) प्राथमिक शिक्षा (IV) अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (IV) पेंशन एवं ग्रेच्युटी (I) पेंशन

(2) 277–शिक्षा-आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा (IV) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (III) पेंशन एवं ग्रेच्युटी

(3) 277–शिक्षा-आयोजनेतर (घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा (VIII) अन्य व्यय (I) पेंशन

आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न राजाज्ञा में स्वीकृत राहतों का भुगतान पेंशनभोगियों को तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक–एक

भवदीय,
रुद्र नारायण शर्मा
उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

रा—14

संख्या 4764/15–8–5004(8)/82

प्रेषक,
श्री गोबिन्द नारायण मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 1983

विषय :—सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों एवं सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पुरानी पेंशन योजना से आवृत्त पेंशनभोगियों की पेंशन में राहतें स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1–1–81 के बाद पेंशन पर राहत की जो किस्तें राजकीय पेंशनरों को दी गयी हैं वे उन पेंशनरों को भी दे दी जायँ जो पार्श्वांकित शासनादेशों के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और भविष्य में भी राहत की जो किस्तें राजकीय पेंशनरों को दी जायँ वे उपर्युक्त पेंशनरों को भी दी जायँ। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक 8 बिन्दु बढ़ने पर 2·5 प्रतिशत, जिसका न्यूनतम 2·50 रु० तथा अधिकतम 12·50 रु० हो, के आधार पर राहत दी जायेगी।

(1) संख्या 5310/15–8–3004(2)/74, दिनांक 31/3/78
(2) संख्या 750/15–8–3054/77 दिनांक 28–7–78
(3) संख्या 7716/15–8–3003(1)/77 दिनांक 3–11–78
(4) संख्या ए–5355/15–8–3153/62, दिनांक 17/12/65
(5) संख्या 9/1747/15–2007(8)/77, दिनांक 25/4/73

2—यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1–1–81 के बाद राहत को जो किस्तें राजकीय पेंशनरों को दी गयी हैं उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1–1–81 के बाद स्वीकृत राहत का विवरण

1–2–81 से	1–4–81 से	1–6–81 से	1–8–81 से
पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०	पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०	पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०	पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०
1–10–81 से	**1–11–81 से**	**1–1–82 से**	**1–4–82 से**
पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०	पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०	पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०	पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०
1–6–82 से			
पेंशन का 2·5 प्रति० किन्तु न्यूनतम 2·50 रु० और अधिकतम 12·50 रु०			

3—इस मद में होनेवाले व्यय को निम्नलिखित लेखा शीर्षकों में विकलित किया जायेगा :—

(1) 277–शिक्षा–आयोजनेतर (क) प्राथमिक शिक्षा (IV) अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (IV) पेंशन एवं ग्रेच्युटी (I) पेंशन।

(2) 277–शिक्षा–आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा (IV) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (III) पेंशन एवं ग्रेच्युटी।

(3) 277–शिक्षा–आयोजनेतर (घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा (VIII) अन्य व्यय (I) पेंशन।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के अविहित पत्र संख्या ई–11/426/दस—83, दिनांक 17–2–83 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
गोविन्द नारायण मिश्र
संयुक्त सचिव।

रा—15

अवकाशप्राप्त शिक्षकों को पेन्शन

आवश्यक/महत्त्वपूर्ण

प्रेषक,
शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
शिक्षा अर्थ (मा) अनुभाग
इलाहाबाद।

सेवा में,
मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : अर्थ (मा०)/85–105/बावन-10 (1)/78-79 दिनांक अप्रैल 20, 1978

विषय :—राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुराने अवकाशप्राप्त अथवा मृत शैक्षिक एवं लिपिकीय कर्मचारियों की पेन्शन एवं परिवार पेन्शन का नवीनीकरण एवं नये प्रकरणों तथा 1-3-74 के पूर्व मृत अध्यापकों/कर्मचारियों के आश्रितों को आनुतोषिक।

महोदय,

आपका ध्यान शासन की राजाज्ञा संख्या 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/1974 दिनांक 31 मार्च, 1978 एवं उसके तारतम्य में इस कार्यालय के पत्रांक अर्थ/1965–2215/52–10(10)/78-79 दिनांक 30–5–1978 की ओर आकृष्ट कर निवेदन है कि शासन ने गत वर्ष 1978-89 के अगले दो मास के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अत: अब शासन की राजाज्ञा में उल्लिखित विवरण तथा अधिकारान्तर्गत 1 मार्च, 1977 को अथवा उसके उपरान्त अवकाश प्राप्त करने वाले ऐसे अध्यापकों को राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य पेन्शन दरों के अनुसार माह अप्रैल व मई 1978 में पेन्शन स्वीकृत करें; जो राजाज्ञा में उल्लिखित प्रतिबन्धों को पूरा करने की सहमति दें एवं जो अपने पूर्वगामी अंशदायी भविष्य निधि के अन्तर्गत जमा प्रबन्धकीय अंश ब्याज समेत निर्धारित प्राप्ति शीर्षक में जमा कर दें। किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य दर से दी जाने वाली पेन्शन शिक्षणेतर कर्मचारियों को देय नहीं है। जो अध्यापक उक्त राजाज्ञा के प्रतिबन्धों को पूर्ण करने की सहमति न दें अर्थात् राजकीय दर पर अनुमन्य पेन्शन न

लेना चाहें उन्हें पुरानी लाभत्रयी योजनान्तर्गत ही पेन्शन स्वीकृत की जाय। मार्च 1, 1977 के पूर्व अवकाशप्राप्त अध्यापकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेन्शन का पूर्व दर के ही आधार पर नवीनीकरण करें। किन्तु यहाँ यह भी सूच्य है कि पुराने पेन्शनर्स (1-3-1977 के पूर्व अवकाशप्राप्त) को शासन की राजाज्ञा संख्या 5294/पन्द्रह-8-3004 (4)/1975 दिनांक 25 अक्टूबर, 1977 द्वारा स्वीकृत की गयी रुपया 100-00 प्रतिमास तक पेन्शन पाने वाले पेन्शनर्स को रु० 10-00 प्रतिमास की दर से तथा रुपया 100-00 प्रतिमास से अधिक पेन्शन पाने वाले पेन्शनर्स को रु० 15-00 प्रतिमास की दर से राहत भी देय होगी जिसमें शैक्षिक एवं शिक्षणेतर दोनों ही स्तर के कर्मचारी सम्मिलित हैं एवं यह राहत मात्रा 1-4-77 से ही देय है और परिवार पेन्शन प्राप्तकर्ताओं को यह अनुमन्य नहीं है।

उन अध्यापकों अथवा शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी मृत्यु 1-3-1974 के पूर्व हो चुकी हैं राजाज्ञा संख्या ए० 4410/पन्द्रह-3004 (7)/1964 दिनांक नवम्बर 11, 1965 को प्रदत्त अधिकारान्तर्गत आनुतोषिक स्वीकृत करें। आनुतोषिक की धनराशि मृत अध्यापक/कर्मचारी के अन्तिम वेतन के छ: गुने से अधिक कदापि न दी जाय। आनुतोषिक के अवशेष प्रकरणों को भी सुनिश्चित कर लें तथा उनकी संख्या उन पर व्यय होने वाली धनराशि से अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय से पूर्वनिर्धारित प्रारूप पर तत्काल अवगत कराने की व्यवस्था करें। स्थिति से शासन को अवगत कराना है तथा 1-3-74 से उक्त आनुतोषिक योजना के निरस्तीकरण के फलस्वरूप इस मद को समाप्त करने की शासन को संस्तुति की जानी है।

चूँकि शासन ने वित्तीय वर्ष 78-79 के लेखानुदान से दो माह की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, अतः उक्त मदों पर अप्रैल तथा मई 1978 में होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित आय-व्यय के लेखा शीर्षकों से उनके सम्मुख अंकित मदों के लिए किया जाय :—

1—1-3-77 के पूर्व अवकाशप्राप्त पेन्शनर्स को पेन्शन तथा 1-3-74 के पूर्व मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आनुतोषिक के लिए :—

"277 शिक्षा-आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा (10) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सीधी सहायता (iii) पेंशन एवं ग्रेच्युटी"।

2—राहत हेतु "277 शिक्षा-आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा (iv) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को हायता (iii) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी"।

3—नवीन दरों पर पेन्शन के लिए—

"277 शिक्षा-आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा (iv) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (iii) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पेन्शन"।

पर्वतीय जनपदों के निमित्त लेखा शीर्षक :

"299—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनेतर—ग-शिक्षा (ख) माध्यमिक शिक्षा (iv) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता पेन्शन एवं ग्रेच्युटी"।

आपको उक्त लेखाशीर्षकों से धन आहरित किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट "क" में धन का आबंटन किया जा रहा है। कृपया विषय की गरिमा / महत्त्व को देखते हुए प्रकरणों का निस्तारण द्रुतगति से करें तथा दो माह हेतु आबंटित धन का विकलन करने के उपरान्त हुए व्यय की सूचना तथा भविष्य में होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण संलग्न

परिशिष्ट "ख" में निर्धारित प्रारूप प्रपत्र में भरकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से अविलम्ब भेजने का कष्ट करें ताकि अग्रिम मासों के लिए आपको धन आबंटित किया जा सके ।

भवदीय
रामसागर जायसवाल
सहायक लेखाधिकारी
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

रा—16

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
शिक्षा (पेन्शन-2) अनुभाग
इलाहाबाद ।

सेवा में,

1. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
2. मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश

पत्र-संख्या : पेन्शन (2)/339–533/बावन-10 (4)/79-80 दिनांक 5-4-81

विषय—राज्य निधि से सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर (लिपिक तथा चतुर्थवर्गीय) कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों में परिवर्द्धन ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 7716/पन्द्रह-8-3003 (1)/1977 दिनांक 3-11-78 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत निदेशालय के पत्र-संख्या अर्थ/13630–930/52–10 (40)/78-79 दिनांक 31-1-79 तथा अर्थ/10710-10776/52-18 (40)/80-81 दिनांक 8-12-80 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर निवेदन करना है कि यद्यपि उक्त पत्रों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भी पेन्शन मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत किये जाने का आशय बिल्कुल स्पष्ट है, तथापि निदेशालय से बराबर यह जिज्ञासायें की जा रही हैं कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की पेन्शन किस अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी ? स्पष्ट है कि ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेन्शन प्रकरण अनिस्तारित ही पड़े हैं जिसके कारण उन्हें विषम आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा होगा ।

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी हाल ही में दिनांक 12 व 13-3-81 को आयोजित संभागीय अधिकारियों की बैठक में आपको स्पष्ट रूप से निदेशित कर दिया गया है कि चूंकि लाभत्रयी योजना की राजाज्ञा संख्या ए/5355/15-3133-1962 दिनांक 17-12-65 में सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा लिपिकों की

पेन्शन स्वीकृत करने का अधिकार मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों को पहले से ही प्राप्त है। अतः यदि वह उक्त राजाज्ञाओं के अधीन 1-3-78 से लागू नवीन पेन्शन योजनान्तर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को भी पेन्शन स्वीकृत कर देते हैं, तो उनका यह कृत्य अनियमित न होगा।

आपसे पुनः अनुरोध है कि आप उक्त संस्थाओं के शिक्षणेतर (लिपिक तथा चतुर्थवर्गीय) कर्मचारियों के सभी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय
गोविन्द नारायण मिश्र
संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

रा—17

पारिवारिक पेन्शन

रजिस्टर्ड
महत्त्वपूर्ण/तुरन्त

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान,
पीरपुर हाउस, तिलक मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(नाम से)

पत्र-संख्या :—अ०क०/1549-1738/15-5 (5) 81/81-82, दिनांक, अगस्त 9, 1981

विषय :—मान्यताप्राप्त प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों, जिनकी मृत्यु कार्य करते हुए दिनांक 1-4-80 अथवा उसके पश्चात् हुई हो, की विधवाओं की दिनांक 1-1-81 से एक वर्ष के लिए पारिवारिक पेन्शन के रूप में अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सूचित करना है कि शासन की घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति ने अपनी दिनांक 22-7-81 की हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि मान्यताप्राप्त प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशालाओं के जिन अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की मृत्यु दिनांक 1-4-80 अथवा उसके पश्चात् कार्य करते हुए हो गई हो, उन्हें दिनांक 1-1-1981 से एक वर्ष के लिए शासन

द्वारा राजकीय शिक्षकों के लिए स्वीकृत दरों से ही पारिवारिक पेन्शन के रूप में अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता दे दी जाय जिसे बाद में शासन द्वारा स्वीकृत पारिवारिक पेन्शन की धनराशि से समायोजित कर दिया जायेगा।

2—राजकीय शिक्षकों के लिए राजाज्ञा संख्या सा०–3-657/10-900-78 दिनांक 10 मई, 1978 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पारिवारिक पेन्शन की निम्नांकित दरें स्वीकृत की गयी हैं:—

राज्य कर्मचारी का वेतन	पारिवारिक पेन्शन की धनराशि
(1) 400/- रु० से कम	वेतन का 30% जिसकी न्यूनतम धनराशि रु० 60/- प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि रु० 100/- प्रतिमाह होगी।
(2) 400/- रु० और उससे अधिक, किन्तु 1200/-रु० से कम	वेतन का 15% जिसकी न्यूनतम धनराशि 100/- प्रतिमाह और अधिकतम धनराशि रु० 160/- प्रतिमाह होगी।
(3) 1200/- रु० और उससे अधिक	वेतन का 12% जिसकी न्यूनतम धनराशि रु० 160/- प्रति माह और अधिकतम धनराशि रु० 250/- प्रतिमाह होगी।

(4) सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम 7 वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है, तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेन्शन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन अथवा देय धनराशि की दुगुनी, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

3—उक्त पेंशन की दरें उन मृत अध्यापकों पर लागू होती हैं जिनकी मृत्यु के समय कम से कम 7 वर्ष की अविरल सेवा पूर्ण हो गयी हो, अतः जिन अध्यापकों का सेवाकाल 7 वर्ष से कम हो उनका विवरण पारिवारिक पेन्शन के लिये न भेजा जाय। ऐसे अध्यापकों के आश्रितों को अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता देने हेतु अलग से पूर्वनिर्धारित फार्म पर प्रार्थना-पत्र देने पर विचार किया जा सकता है। इस योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के मृतक शिक्षकों के आश्रितों के तथा प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशालाओं से अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त मृत अध्यापकों के आश्रितों के प्रार्थना-पत्र अग्रसारित न किये जायें।

4—इस योजना के अन्तर्गत मृतक अध्यापकों के परिवारों को पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रारूप आपको इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है जो स्वतः स्पष्ट है। पारिवारिक पेन्शन हेतु प्रार्थना-पत्रों को अग्रसारित करने में पूर्ण सतर्कता एवं तत्परता बरती जाय।

आपसे अनुरोध है कि मान्यताप्राप्त प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के जिन कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों की मृत्यु दिनांक 1-4-80 व उसके पश्चात् हुई हो उनकी विधवा पत्नी की अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष से पारिवारिक पेन्शन के रूप में आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु संलग्न प्रपत्र पर उनसे प्रार्थना-पत्र प्राप्त करके उन्हें इस पत्र के निर्गत होने की तिथि के एक माह के अन्दर इस कार्यालय को निश्चित रूप से भेजने का कष्ट करें। भविष्य में उक्त विद्यालयों के किसी अध्यापक की मृत्यु हो जाने पर भी यही प्रक्रिया अपनायी जाय।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति लौटती डाक से स्वीकार करें।

संलग्न—(1) एक प्रपत्र
(2) राजाज्ञा दिनांक 10-5-78

भवदीय
पृथ्वीराज चौहान
शिक्षा निदेशक, उ०प्र०

पारिवारिक पेन्शन प्रपत्र

मान्यताप्राप्त प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के दिनांक 1-4-80 अथवा उसके पश्चात् मृत अध्यापकों, प्रधानाचार्यों की विधवाओं को पारिवारिक पेन्शन के रूप में अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष से दिनांक 1-1-81 से एक वर्ष के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र का प्रारूप।

1—मृत अध्यापक की पत्नी का नाम

2—पूरा पता

3—शिक्षा संस्था का नाम
जहाँ अध्यापक मृत्यु के समय कार्यरत था

4—अध्यापक की प्रथम नियुक्ति तिथि

5—मृत्यु की तिथि

6—मृत अध्यापक के सेवाकाल की कुल अवधि — वर्ष — माह — दिन

7—वेतनक्रम जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था

8—मृत्यु के समय आहरित वेतन (अन्य भत्तों सहित)

मूल वेतन	रु०
अन्य भत्ते	रु०
योग	रु०

स्थान :

दिनांक : 　　　　　　　　　　हस्ताक्षर

15—आनुतोषिक नियमावली, 1964

सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को आनुतोषिक प्रदान करने की नियमावली, 1964

1—यह नियमावली "उत्तर प्रदेश स्कूल तथा कालेज अध्यापक आनुतोषिक निधि नियमावली" कहलायेगी।

2—यह नियमावली 1 अप्रैल, 1964 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

3—यह नियमावली राज्य के निम्नलिखित वर्गों के ऐसे सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के समस्त अध्यापक वर्ग पर लागू होगी जो किसी स्थानीय निकाय या गैर-सरकारी प्रबन्धक वर्ग द्वारा चलायी जाती हों और जिन्हें राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता तथा सहायता प्राप्त हो :—

1. प्राइमरी स्कूल,
2. जूनियर हाई स्कूल,
3. हायर सेकेण्डरी स्कूल,
4. डिग्री कालेज।

4—इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो :

(क) "बच्चों" का तात्पर्य धर्मज बच्चों से है।

(ख) "परिवार" में अध्यापक पर पूर्णतया आश्रित निम्नलिखित सम्बन्धी सम्मिलित हैं :—

(1) अध्यापक की दशा में पत्नी,

(2) अध्यापिका की दशा में पति,

(3) पुत्र, }
(4) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियाँ, } जिनमें सौतेले तथा दत्तक बच्चे भी सम्मिलित हैं।

(5) 18 वर्ष से कम आयु के भाई तथा अविवाहित और विधवा बहिनें, } जिनमें ऐसे सौतेले भाई तथा सौतेली बहिनें भी सम्मिलित हैं।

(6) पिता,

(7) माता,

(8) विवाहित पुत्रियाँ (जिनमें सौतेली पुत्रियाँ भी सम्मिलित हैं), तथा

(9) किसी पूर्वमृत (predeceased) पुत्र के बच्चे।

(ग) "सरकार" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश सरकार" से हैं।

(घ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य यथाविधि गठित प्राधिकारी से है जो सरकार द्वारा इस रूप में मान्य हो और इसमें नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद्, कैन्टूनमेन्ट बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी तथा टाउन एरिया कमेटी सम्मिलित हैं।

(ङ) "प्रबन्धक वर्ग" का तात्पर्य गैर-सरकारी प्रबंध में चलायी जाने वाली किसी संस्था की प्रबंध समिति या स्थानीय निकाय या ऐसे अन्य निकाय से है जिसमें संस्था के कार्यों का प्रबन्ध करने के अधिकार निहित हों और जिसे इस रूप में सरकार द्वारा मान्यता दी गयी हो।

(च) "वेतन" का तात्पर्य मासिक वेतन से है, जिसमें अनुरक्षण सहायक अनुदान निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए नियमों के अधीन ग्राह्य कोई विशेष वेतन भी सम्मिलित है ।

टिप्पणी—यदि कोई अध्यापक अपनी मृत्यु से ठीक पहले सवेतन या बिना वेतन के छुट्टी पर हो, तो उक्त प्रयोजन के लिए वेतन वह वेतन होगा जो उक्त अध्यापक को, यदि वह छुट्टी पर न गया होता, तो मिलता, किन्तु किसी प्रकार की प्रकल्पित वेतन-वृद्धियों या पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायगा ।

(छ) शिक्षा संस्थाओं के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में "स्वीकृति प्राधिकारी" का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा :—

(1) डिग्री कालेजों के मामले में "शिक्षा निदेशक" ।

(2) सम्बन्धित मंडल के समस्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों के मामले में "मंडलीय उपशिक्षा निदेशक" ।

(3) सम्बन्धित जिले के सभी प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के मामले में "जिला विद्यालय निरीक्षक" ।

(ज) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यापक वर्ग के ऐसे सदस्य से है जिसे पूरे समय के लिए रखा गया हो ।

5—यदि सेवाकाल में किसी अध्यापक की मृत्यु हो जाय, तो उसके परिवार को सेवाकाल में मृत्यु के समय अध्यापक द्वारा अन्तिम बार लिये गये वेतन के 6 गुने के बराबर आनुतोषिक की धनराशि देय होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अध्यापक ने अपनी मृत्यु के पूर्व कम से कम 3 वर्ष की लगातार सेवा की हो ।

टिप्पणी—(1) किन्तु किसी ऐसे अध्यापक के परिवार को, जिसकी मृत्यु उसके सेवानिवृत्त होने के बाद हो या फिर से सेवायोजित किसी पेंशनर के परिवार को कोई आनुतोषिक ग्राह्य नहीं होगा ।

(2) "लगातार सेवा" का तात्पर्य समस्त ऐसी पूर्णकालिक सेवा, चाहे वह अस्थायी, स्थानापन्न या स्थायी हो, से है जो नियम 3 में उल्लिखित किसी वर्ग की राज सहायताप्राप्त एक या अधिक शिक्षा संस्थाओं में की गयी हो और इसमें औसत वेतन या डाक्टरी प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी की सभी अवधियाँ भी सम्मिलित हैं किन्तु इसमें बिना वेतन की छुट्टी सम्मिलित नहीं है ।

6—इन नियमों के अन्तर्गत आने वाला अध्यापक 2, 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर लेने पर नामांकन करेगा जिसके द्वारा वह अपने परिवार के एक या अधिक सदस्यों को इन नियमों के अधीन ग्राह्य आनुतोषिक प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा । नामांकन संलग्न प्रपत्रों में से किसी एक में, जो मामले की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त हो, किया जायगा ।

टिप्पणी—यदि अध्यापक कोई परिवार न छोड़ गया हो, तो इन नियमों के अधीन कोई आनुतोषिक देय नहीं होगा ।

7—यदि अध्यापक उपर्युक्त नियम 6 के अधीन व्यक्तियों का नामांकन करे, तो वह नामांकन में प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को देय धनराशि या अंश का इस प्रकार उल्लेख करेगा जिससे आनुतोषिक की सम्पूर्ण धनराधि उसमें आ जाय ।

8—अध्यापक नामांकन के सम्बन्ध में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकता है :—

(क) यह कि यदि उल्लिखित नामांकित व्यक्तियों में से किसी की उससे पहले मृत्यु हो जाय, तो उस

नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति को मिल जायगा जो नामांकन में उल्लिखित किया जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति उसके परिवार का ही कोई सदस्य होगा, दूसरा कोई व्यक्ति न हो।

(ख) यह कि उसमें उल्लिखित आकस्मिक स्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन अवैध हो जायगा।

9—अध्यापक किसी भी समय निम्नांकित नियम 11 में उल्लिखित समुचित प्राधिकारी को लिखितरूप से नोटिस देकर नामांकन निरसित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस नोटिस के साथ इन नियमों के अनुसार नया नामांकन भेजेगा।

10—किसी ऐसे नामांकित व्यक्ति की, जिसके सम्बन्ध में उसके अधिकार के संक्रमण के विषय में नामांकन में नियम 6 के अधीन कोई व्यवस्था न की गयी हो, मृत्यु के पश्चात् तुरन्त ही या किसी ऐसी घटना के घटित हो जाने पर जिसके कारण नियम 8 (ख) के अनुसार नामांकन अवैध हो जाय, अध्यापक समुपयुक्त प्राधिकारी को एक लिखित नोटिस भेजेगा जिसमें वह औपचारिक रूप से नामांकन को निरसित कर देगा और साथ ही इन नियमों के अनुसार एक नया नामांकन करके भेजेगा।

11—अध्यापक द्वारा नियम 10 के अधीन किया गया प्रत्येक नामांकन तथा दी गयी प्रत्येक नोटिस अध्यापक द्वारा संस्था के प्रबन्धक वर्ग को प्रस्तुत की जायगी जो उस पर प्राप्ति दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और उसे सम्बन्धित अध्यापक की वैयक्तिक पत्रावली में रख देगा।

12—अध्यापक द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन तथा दी गयी निरसन की प्रत्येक नोटिस उस हद तक जहाँ तक कि वह वैध हो उस दिनांक को प्रभावी होगी जिसको वह नियम 11 में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जाय।

13—इस प्रयोजन के लिए अध्यापक की मृत्यु के पूर्व कोई नामांकन न किये जाने या किसी विवाद की दशा में, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश अन्तिम प्राधिकारी होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों के लिए मान्य होगा और उनके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील या प्रत्यावेदन नहीं किया जा सकेगा।

14—आनुतोषिक प्रपत्र "एच-एच" में प्रार्थना-पत्र देने पर दिया जायगा। यह प्रार्थना-पत्र दावेदार द्वारा अध्यापक की मृत्यु के बाद शीघ्र ही सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक वर्ग को प्रस्तुत किया जायगा और उसके साथ पंजीकृत चिकित्सक या राजपत्रित अधिकारी अथवा पंचायत के प्रधान द्वारा दिया गया मृत्यु प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायगा। संस्था का प्रबन्धक वर्ग प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उसे स्वीकृति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा और साथ में उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र, सेवा-पुस्तिका तथा नामांकन-पत्र और अपनी सिफारिशें भेजेगा। स्वीकृति प्राधिकारी उक्त दावे की वैधता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् उस पर इन नियमों के अधीन ग्राह्य आनुतोषिक की स्वीकृति का आदेश प्रदान करेगा। इस स्वीकृति आदेश की एक प्रतिलिपि, जिसके साथ पूर्वोक्त सभी संगत कागजात भी रहेंगे, स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रबन्धक वर्ग को प्रेषित की जायगी जो बिल तैयार करेगा और उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने के बाद खजाने सें रुपया निकालेगा और उसका भुगतान दावेदार को करेगा।

15—इन नियमों के अधीन लाभ प्राप्त करने का सम्पूर्ण हक अध्यापक द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसके सेवा से हटाये जाने अथवा विमुक्त किये जाने या उसकी सेवा समाप्त किये जाने पर समाप्त हो जायगा।

16—प्रत्येक वर्ष जुलाई का महीना समाप्त होने से पूर्व वर्ष सें किये गये समस्त भुगतानों के सम्बन्ध में एक उपभोग प्रमाण-पत्र (Utllisation Certificate) प्रबन्धक वर्ग द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत किया जायगा।

आनुतोषिक के लिए नामांकन

(जबकि अध्यापक का परिवार हो और वह उसके एक व्यक्ति का नामांकन करना चाहता हो।)

मैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ जो मेरे परिवार का सदस्य है और उसे सेवाकाल में मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में कोई भी ऐसा आनुतोषिक प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय।

नामांकित व्यक्ति का नाम	अध्यापक से सम्बन्ध	आयु	संभावित स्थितियाँ जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जायगा	ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, यदि कोई हो, नाम, पते और उससे सम्बन्ध जिन्हें नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा नामांकित व्यक्ति को अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु के बाद किन्तु आनुतोषिक का भुगतान प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त होंगे	*प्रत्येक को देय आनुतोषिक की धनराशि अथवा अंश
1	2	3	4	5	6

इस नामांकन से उस नामांकन का अतिक्रमण हो जाता है जो मैंने..............................को इसके पूर्व किया था और उसे अब निरसित समझा जाय।

स्थान.............. दिनांक.............. मास.............. 19..............

हस्ताक्षर के साक्षी :

1. ....

2. ....

अध्यापक/कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये हैं।

(संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर)

दिनांक..................

* इस स्तम्भ को इस प्रकार भरना चाहिए कि आनुतोषिक की पूरी धनराशि उसमें आ जाय।

प्रपत्र बी० बी०

आनुतोषिक के लिए नामांकन

(जबकि अध्यापक का परिवार हो और वह उसके एक से अधिक व्यक्तियों का नामांकन करना चाहता हो ।)

मैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं और उन्हें सेवाकाल में मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में नीचे दी गई सीमा तक कोई भी ऐसा आनुतोषिक प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ जो सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय ।

नामांकित व्यक्तियों के नाम और पते	अध्यापक से सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय आनुतोषिक की धनराशि अथवा उसका अंश *	संभावित स्थितियाँ जिनके घटित होने पर नामांकन अवैध हो जायगा	ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, पते और उससे सम्बन्ध (यदि कोई हो) या जिन्हें नामांकित व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में अथवा नामांकित व्यक्ति की अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु के बाद किन्तु आनुतोषिक का भुगतान प्राप्त करने के पहले मृत्यु हो जाने की दशा में प्राप्त होंगे ।	प्रत्येक को देय आनुतोषिक की धनराशि अथवा उसका अंश **
1	2	3	4	5	6	7

इस नामांकन से उस नामांकन का अतिक्रमण हो जाता है जिसे मैंने .... को इसके पूर्व किया था, और उसे अब निरसित समझा जाय ।

विशेष द्रष्टव्य : अध्यापक/कर्मचारी अन्तिम प्रविष्टि के नीचे की खाली जगह के आर-पार लाइनें खींच देगा जिससे कि उसके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम न जोड़ा जा सके ।

स्थान .... दिनांक .... मास .... 19 ....

* इस स्तम्भ को इस प्रकार भरना चाहिए कि आनुतोषिक की पूरी धनराशि उसमें आ जाय ।

** इस स्तम्भ में दिखाये गये (आनुतोषिक की धनराशि) अंश के अन्तर्गत वह सम्पूर्ण धनराशि/अंश आ जाना चाहिए जो मूल नामांकित व्यक्ति ो देय हो।

हस्ताक्षर के साक्षी :-

1. ....

2. ....

(अध्यापक/कर्मचारी के हस्ताक्षर)

प्रमाणित किया जाता है कि इस घोषणा (declaration) पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये हैं।

(संस्था के प्रधान के हस्ताक्षर)।

प्रपत्र एच० एच०

(यहाँ संस्था के नाम का उल्लेख किया जाय ।)

.... के स्वर्गीय श्री .... के परिवार को आनुतोषिक स्वीकृत किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र ।

1. प्रार्थी का नाम ....
2. मृत अध्यापक/कर्मचारी से सम्बन्ध ....
3. अध्यापक/कर्मचारी का जन्म दिनांक ....
4. अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु का दिनांक ....
5. प्रार्थी का पूरा पता ....
6. प्रार्थी का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान............................
7. (1) ....

   (2) ....

द्वारा अनुप्रमाणित किया गया ।

8. साक्षी :

	नाम	पूरा पता	हस्ताक्षर
(1)	....		
(2)	....		

अनुप्रमाणन उस नगर, ग्राम अथवा परगने के दो या दो से अधिक जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा किया जाय जहाँ प्रार्थी रहता हो । उनका पदनाम अथवा व्यवसाय भी उनके नाम के नीचे कोष्ठकों के भीतर दिया जाय ।

16–अपेक्षित प्रपत्र

प्रपत्र संख्या—1 लात्रयो

पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र

(उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए)

1. प्रार्थी का नाम

2. पिता का नाम (महिला कर्मचारी के सम्बन्ध में पति का नाम भी)

3. धर्म एवं राष्ट्रीयता

4. स्थायी निवासीय पता ग्राम / शहर / जिला सहित

5. (अ) वर्तमान या अन्तिम नियुक्ति

   (ब) वर्तमान या अन्तिम स्थायी नियुक्ति

6. (अ) सेवा प्रारम्भ करने की तिथि

   (ब) सेवा-समाप्ति की तिथि

7. सेवा की अवधि (सेवा में हुए व्यवधान अनर्हकारी सेवा के विवरणसहित) वर्ष मास दिवस

४.

वेतन-क्रम या वेतन-क्रमों का वर्णन जिसमें काम किया	प्रत्येक वेतन-क्रम में स्थायी होने की तिथि	जीवन बीमा की पालिसी या पालिसियाँ				क्या ली गई पालिसी या पालिसियों को जीवित और किसी भी प्रकार के भार से मुक्त रक्खा गया	विशेष विवरण
		निधि जब जीवन बीमा पालिसी ली गई	ली गई पालिसी या पालिसियों की संख्या	ली गई पालिसी या पालिसियों की धनराशि	जीवन बीमा पूर्ण होने की तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8

9. याचित पेंशन की श्रेणी एवं याचना का कारण

10. औसत परिलब्धि

11. प्रस्तावित पेंशन

12. पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि

13. भुगतान का स्थान

14. क्या परिवार पेंशन हेतु नामांकन किया गया है

15. आवेदक की जन्म तिथि (अंग्रेजी महीने में); यदि ठीक जानकारी न हो तो निकटतम जानकारी अथवा प्रमाण-पत्र के आधार पर लिखी जाय।

16. लम्बाई

17. (अ) व्यक्तिगत अभिज्ञान के चिह्न

(ब) बायें हाथ के अंगूठे-अंगुलियों के चिह्न

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा

18. तिथि जब आवेदक ने पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया

19. प्रार्थी के हस्ताक्षर

20. प्रबन्धक के हस्ताक्षर

21. संस्था की मुहर

टिप्पणी— यह प्रार्थना-पत्र द्विपत्री में संयोजक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न अभिलेख भी (केवल सेवा-पुस्तिका को छोड़कर) संयोजक/अधिकारी को द्विपत्री में भेजें :—

(क) सेवा-निवृत्ति आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि

(ख) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो (प्रत्येक अलग-अलग कागज पर चिपकाये जायें)

(ग) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरों के नमूने की पर्ची

(घ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित बायें हाथ की पाँचों उंगलियों के चिह्न की पर्ची

(च) औसत वेतन गणना का ज्ञाप (अन्तिम 3 वर्ष के वेतन का औसत)

(छ) अदेय प्रमाण-पत्र (संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया जाय कि कर्मचारी के जिम्मे कोई धन देय नहीं है)

(ज) अधिक दिये गये पेंशन की वापसी हेतु घोषणा-पत्र

(झ) परिवार पेंशन के लिए किये गये नामांकन की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ट) जन्म तिथि के प्रमाण की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ठ) सेवा-पुस्तिका (मूल रूप में)

प्र—2

अवशेष का प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी..

संस्था ....

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक / अध्यापिका / लिपिक / चतुर्थश्रेणी के जिम्मे इस संस्था का कुछ शेष नहीं है।

हस्ताक्षर प्रबन्धक
संस्था की मुहर

प्र—3

चित्र

श्री / श्रीमती / कु० ....

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक / अध्यापिका / लिपिक / चतुर्थश्रेणी.........................

संस्था ....

प्रमाणित करनेवाले अधिकारी का हस्ताक्षर
तथा उसकी मुहर

प्रबन्धक का हस्ताक्षर...

संस्था की मुहर...

प्र—4

हस्ताक्षर का नमूना-पत्र

1—कर्मचारी का नाम व पद

2—उस संस्था का नाम जहाँ कर्मचारी पदमुक्त होने के समय कार्य कर रहा था

3—कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना

4—(1) प्रमाणित करनेवाले अधिकारी का नाम
(2) पद
(3) स्थान
(4) दिनांक

5—प्रमाणित करनेवाले अधिकारी का हस्ताक्षर मुहर सहित

6—प्रबन्धक का हस्ताक्षर

7—संस्था की मुहर

प्र—5

प्रपत्र संख्या—2 लात्रयो

बायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों के चिह्नों की पर्ची

उत्तर प्रदेश राज्य साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए

1—कर्मचारी का पूरा नाम पद के साथ

या

परिवार पेंशन के लिए प्रार्थी का नाम

(जिसकी आवश्यकता न हो उसे काट दिया जाय)

2—संस्था का नाम जहाँ कर्मचारी अपने अवकाश-प्राप्ति/मृत्यु के समय कार्य कर रहा था ।

3—बायें हाथ के अंगूठे-अंगुलियों के निशान

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा
अनामिका	कनिष्ठा	

4—(क) सत्यापित करनेवाले अधिकारी का नाम

(ख) पद

(ग) स्थान

(घ) दिनांक

5—सत्यापित करनेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

6—प्रबन्धक का हस्ताक्षर

7—संस्था की मुहर

प्र—6

औसत वेतन विवरण पत्र

[गत तीन वर्षों का औसत]

श्री ....

संस्था ....

माह	सत्र 19 -19	सत्र 19 -19	सत्र 19 -19	योग	औसत प्रति माह
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					
मार्च					
अप्रैल					
मई					
जून					
योग					

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
संस्था की मुहर

प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर मुहर सहित

प्र—7

प्रपत्र संख्या—1/4 लात्रयो

अधिक दिये गये धन की वापसी के लिए घोषणा पत्र

(उत्तर प्रदेश राज्य साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए)

टिप्पणी : 1—अवकाश प्राप्त करनेवाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये ।

2—परिवार पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनेवाले परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिये ।

जबकि ....

(यहाँ पर पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का पद लिखा जाय ।)

ने मुझे ....रुपये (रुपये ....मात्र) प्रतिमाह मेरी पेंशन की धनराशि के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है, मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता हूँ कि उपर्युक्त धनराशि प्राप्त करने में मैं भलीभाँति समझता हूँ कि यदि इन नियमों के अन्तर्गत मैं जितनी पेंशन पाने का अधिकारी हूँ उससे अधिक होगी तो उसका संशोधन कर दिया जायेगा और मैं ऐसे संशोधन पर कोई प्रतिवाद न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस धनराशि को वापस कर दूंगा जो मुझे अन्ततोगत्वा देय धनराशि से अधिक भुगतान हो गई होगी ।

संस्था का पूरा नाम व पता
जहाँ पर कर्मचारी काम कर
रहा था ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

परिवार पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
करनेवाले परिवार के सदस्य का हस्ताक्षर

साक्षी 1 2

हस्ताक्षर ....

पता ....

पेशा ....

टिप्पणी :—इस घोषणा पत्र पर उन दो आदमियों का साक्ष्य होना चाहिये जो प्रार्थी के निवास के नगर / ग्राम / परगना एवं जिले के उत्तरदायी व्यक्ति हों ।

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
संस्था की मुहर

प्र—8

प्रपत्र संख्या—1/4 लात्रयो

(अ) संस्था के प्रबन्धक द्वारा दिया गया मन्तव्य

(1)—प्रार्थी के चरित्र (शील) एवं पिछले आचरण के सम्बन्ध में।

(2)—प्रार्थी द्वारा प्राप्त किये गये किसी पेंशन अथवा आनुतोषिक के सम्बन्ध में।

(3)—अन्य कोई टिप्पणी

(4)—संस्था के प्रबन्धक की विशिष्ट राय कि क्या अभ्यर्थित (क्लेम्ड) सेवा प्रमाणित है और या उसे माना जाय अथवा नहीं।

प्रबन्धक का हस्ताक्षर

(ब) पेंशन स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की आज्ञा

निम्न हस्ताक्षरकर्ता इससे सन्तुष्ट होकर कि श्री...पद पर कार्य कर रहे थे, की सेवा पूर्णरूपेण सन्तोषजनक पाई गई है, पूर्ण पेंशन स्वीकार..............करने की आज्ञा प्रदान करता है। पेंशन दिनांक....................से प्रारम्भ होगी।

या

निम्न हस्ताक्षरकर्ता इससे सन्तुष्ट होकर कि श्री...जो कि...में...पद पर काम कर रहे थे, की सेवायें पूर्णरूपेण सन्तोषजनक नहीं पाई गई हैं, आदेश प्रदान करता हूँ कि नियमानुसार देय पूर्ण पेंशन की..........................रुपये से कम कर दी जाय। (यहाँ स्पष्ट धनराशि या प्रतिशत दिया जाय) यह पेंशन दिनांक.................................से प्रारम्भ होगी।

यह आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि यदि स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा अधिकृत पेंशन की धनराशि बाद को (भविष्य में) उस धनराशि से अधिक पाई जायेगी जिसके लिए पेंशनभोगी इन नियमों के अंतर्गत पेंशन पाने का अधिकारी है तो इस प्रकार अधिक प्राप्त किये धन को उसे वापस करने के लिए कहा जायगा। इस प्रतिबन्ध की स्वीकृति का घोषणा पत्र कर्मचारी से प्राप्त कर लिया गया है और संलग्न है।

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं
पद की मुहर

प्र—9

प्रपत्र संख्या—4 लात्रयो

परिवार पेंशन के लिए नामांकन

(उत्तर प्रदेश राज्य साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए)

मैं एतद्द्वारा अधोलिखित व्यक्तियों को जो मेरे परिवार के सदस्य हैं नीचे अंकित क्रम से, मेरी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा हो जाने के बाद मेरे निधन होने की दशा में शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली परिवार पेंशन को प्राप्त करने के लिए नामांकित करता हूँ।

नामित का पूरा नाम एवं पता	कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	उम्र	विवाहित अथवा अविवाहित	सीमा (इक्सटेंट) जहाँ तक नामांकन मान्य है
1	2	3	4	5

इसके पूर्व मेरे द्वारा दिनांक.................................को किये गये नामांकन को यह नामांकन अतिक्रमण करते हुए निरस्त करता है।

टिप्पणी—कर्मचारी अपनी अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् रिक्त स्थान को काटते हुए एक रेखा खींच दे जिससे उसके हस्ताक्षर के बाद कोई अन्य नाम न भरा जा सके।

दिनांक.........................माह.............................वर्ष..............................

कर्मचारी का हस्ताक्षर

पद

संस्था का नाम

(संस्था के प्रबन्धक द्वारा भरे जाने के लिए)

श्री...का नामांकन

पद...

प्रबन्धक का हस्ताक्षर

प्राप्ति की तिथि

संस्था की मुहर

प्र—10

आनुतोषिक (Gratuity) आवेदन-पत्र

सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों हेतु राजाज्ञा संख्या 3218/15–8–3070 दिनांक 29–8–81 द्वारा अनुमोदित आनुतोषिक नियमावली के अन्तर्गत आनुतोषिक हेतु आवेदन-पत्र (नियमावली के नियम 26 के अनुसार)

भाग—अ

(प्रार्थी, प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के प्रयोग हेतु)

1—विद्यालय का नाम

2—अध्यापक/अध्यापिका/कर्मचारी का नाम तथा स्थायी पता

3—पिता/पति का नाम

4—पदनाम

5—वेतन-क्रम-

6—विद्यालय में अविरल नियुक्ति की तिथि

7—स्थायीकरण की तिथि

8—जन्म-तिथि

9—58 वर्ष के अधिवर्ष पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने की तिथि

10—58 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा

11—45 वर्ष की आयु पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा

12—20 वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा

13—आगे सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ होने के प्रमाण पत्र देकर 58 वर्ष की आयु के पूर्व सेवानिवृत्ति के इच्छुक अध्यापक/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक पेंशन आगणन हेतु मान्य अर्हकारी सेवा ।

नोट :—10, 11, 12 अथवा 13 जो लागू न हो उसके सामने × का चिह्न बनावें ।

14—स्तम्भ 10, 11, 12, 13 के सम्मुख अंकित अविरल सेवा अवधि का विवरण सेवा पंजिका के अनुसार—

विद्यालय का नाम	से	तक	वर्ष	महीना

15—आनुतोषिक हेतु मान्य छमाही अवधि की संख्या स्तम्भ 14 के समक्ष अंकित मान्य सेवा अवधि के आधार पर

16—सेवा काल में मृत्यु की दशा में अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु की तिथि

17—सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के ठीक पूर्व अध्यापक/कर्मचारी की परिलब्धियों का विवरण—

(1) मूल वेतन

(2) महँगाई व अतिरिक्त महँगाई भत्ते का वह अंश जो पेंशन आगणन हेतु शासन द्वारा वेतन का अंश माना गया हो ।

(3) विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन

योग

नोट :—परिलब्धियों के निर्धारण हेतु. नियमावली के नियम 13 के नीचे अंकित टिप्पणी को दृष्टिगत रक्खा जाय ।

18—आनुतोषिक नियमावली के नियम 13 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि को देय आनुतोषिक धनराशि (अवधि स्तम्भ 7 के समक्ष अंकित राशि स्तम्भ 14 के समक्ष अंकित विवरण के अनुसार पूर्ण छमाही सेवा अवधि रु०............................ अथवा रु० 30,000, इनमें जो भी कम हो) ।

19—मृत्यु हो जाने की दशा में नियमावली के नियम 17 के अन्तर्गत देय मृत्युजन्य आनुतोषिक की धनराशि अर्थात् स्तम्भ 17 में परिभाषित अन्तिम उपलब्धियों की धनराशि × 12 = रु०................ .... अथवा रु० 30,000, इनमें जो भी कम हो ।

20—अध्यापक/कर्मचारी द्वारा नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत निम्नांकित व्यक्तियों तथा उनमें प्रत्येक को देय अनुतोषिक का विवरण ।

21—सम्बन्धित अध्यापक/कर्मचारी के प्रति राजकीय/प्रबन्ध तन्त्र के बकायों का विवरण, यदि कोई हो ।

दिनांक.................   प्रार्थी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त तथ्यों का सत्यापन सम्बन्धित अभिलेखों से कर लिया गया है और वे सत्य हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उसके सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अग्रिमों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई वसूली शेष नहीं है / निम्नांकित मदों के अन्तर्गत वसूली शेष है तथा प्रार्थी ने न तो विद्यालय से त्यागपत्र दिया है और न ही उसे कभी कदाचरण, दिवालियापन या कार्य-अक्षमता के कारण पदमुक्त किया गया है या हटाया गया है ।

वसूली का विवरण (यदि कोई हो)	धनराशि

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

(विद्यालय की मुहर)

मैं भी प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के उपर्युक्त कथन का समर्थन करते हुए श्री/श्रीमती/कु०........................
..................................के आनुतोषिक की पूरी राशि रु० ....(रुपये शब्दों में)
....के भुगतान की संस्तुति करता हूँ क्योंकि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की वसूली शेष नहीं है/रु०............................की वसूली शेष है जिसे भुगतान की देय राशि में से काट लिया जाय।

हस्ताक्षर प्रबन्धक
मुहर

भाग—ब

(जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका के कार्यालय के प्रयोग हेतु)

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के उपर्युक्त कथनों की पुष्टि करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ 18 अथवा 19 के आगणित सेवानैवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की धनराशि ....
की जाँच मेरे द्वारा प्रार्थी के माह.............के वेतन बिल से कर ली गयी है और श्री/श्रीमती/कु०.....................
....की अथवा इनके आश्रितों को रु०..................................
की सेवानैवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर लेखाधिकारी

दिनांक

(मुहर)

हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक/निरीक्षिका

दिनांक

(मुहर)

भाग—स

(मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक के कार्यालय के लिए)

श्री/श्रीमती/कु०..को रु०.......................की सेवानैवृत्तिक/मृत्युजन्य आनुतोषिक की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके प्रति राजकीय/प्रबन्ध तन्त्र का कोई बकाया शेष नहीं है/रु०....................................का बकाया शेष है जिसका समायोजन आनुतोषिक की कुल देय राशि अंकन रुपया................................से काटकर कर लिया गया है।

आनुतोषिक स्वीकृत करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर मुहर-सहित

दिनांक

प्र—11

प्रपत्र 'क'

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली के वरण हेतु विकल्प पत्र
(नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत)

1—मैं……………………………………………पुत्र श्री……………………………………………
राजाज्ञा संख्या 2523/पन्द्रह-8-3070/77 दिनांक 10 अगस्त, 1978 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता हूँ तथा राजाज्ञा संख्या 3218/15–8–3070/77, दिनांक 29 अगस्त, 1981 द्वारा लागू की गयी "उत्तर प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली" का वरण करने का भी विकल्प देता हूँ।

अथवा

2—मैं……………………………………………पुत्र श्री……………………………………………
राजाज्ञा संख्या 2523/पन्द्रह-8-3070/77 दिनांक अगस्त 10, 1978 के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त न होने का विकल्प चुनता हूँ तथा राजाज्ञा संख्या 3218/15–8–3070/77 दिनांक 29 अगस्त, 1981 द्वारा लागू की गयी "उत्तर प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली" का वरण भी नहीं करता हूँ। बल्कि मैं वर्तमान लाभत्रयी योजना एवं उत्तर प्रदेश स्कूल तथा कालेज अध्यापकों की आनुतोषिक निधि नियमावली, 1968 से ही पूर्ववत् शासित रहूँगा।

साक्षी :— हस्ताक्षर……………………………
हस्ताक्षर…………………………… दिनांक……………………………
नाम…………………………… नाम (……………………………)
पदनाम…………………………… पदनाम……………………………
संस्था का नाम…………………………… संस्था का नाम……………………………
जनपद…………………………… जनपद……………………………

टिप्पणी—(1) जो विकल्प लागू न हो उसको काट दिया जाय।

3—उक्त संदर्शित मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक नियमावली की विज्ञप्ति की तिथि के अन्दर यह विकल्प चुनना है, परन्तु विज्ञप्ति की तिथि के उपरान्त नियुक्त अध्यापक अपनी स्थायीकरण की तिथि के छः माह के अन्दर यह विकल्प चुनेंगे।

संख्या विकल्प पत्र की प्राप्ति
दिनांक

श्री……………………………………………पदनाम……………………………
विद्यालय का नाम……………………………………………जनपद……………………………
से 58 वर्ष की आयु पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होंगे, अतएव मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति नियमावली चुनने अथवा न चुनने का विकल्प पत्र आज दि०……………………………को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर……………………………
प्रतिहस्ताक्षरित…………………………… पदनाम……………………………
हस्ताक्षर…………………………… संस्था की मुहर……………………………
(जि० वि० नि०/म० बा० वि० नि०/जि० बा० वि० नि०)

टिप्पणी—विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को अपना विकल्प संस्था के प्रबन्धक को प्रस्तुत करना चाहिये।

प्रपत्र 'ख'

मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के लिए नामांकन पत्र

(नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत)

मैं एतद्द्वारा अधोलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को नामांकित करता हूँ जो मेरे परिवार के सदस्य हैं और सेवाकाल में मेरी मृत्यु हो जाने पर जो आनुतोषित शासन द्वारा स्वीकृत किया जाय उसको प्राप्त करने का उन्हें अधिकार प्रदान करता हूँ तथा मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त मेरी मृत्यु होने पर मुझे अनुमन्य आनुतोषिक की जो भी धनराशि भुगतान के लिए अवशेष रह जाय उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिकार देता हूँ ।

नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम व पते	अध्यापक/कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक को देय आनु-तोषिक की धनराशि अथवा अंश	घटना जिसके घटित होने पर नामांकन (अप्रभावी) (इन-वैलिड) हो जायगा	ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम व पते तथा संबंध जिन्हें नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने अथवा अध्यापक/कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद परन्तु आनुतोषिक का भुगतान प्राप्त करने के पूर्व ही नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित अधिकार प्राप्त हो जायगा ।	प्रत्येक को आनु-तोषिक धनराशि अथवा अंश	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

यह नामांकन पूर्व में मेरे द्वारा किये गये नामांकन दिनांक .... को अब निरस्त हो गया है, का अतिक्रमण करता है।

नोट :—स्तम्भ चार में आनुतोषिक की पूर्ण धनराशि को आच्छादित करने के लिए आज दिनांक .... माह ....

सन् .... को प्रस्तुत साक्षियों के हस्ताक्षर .... अध्यापक/कर्मचारी के हस्ताक्षर ....

तिथि ....

प्रमाणित किया जाता है कि इस नामांकन पत्र पर आज मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये गये हैं।

प्रबन्धक के हस्ताक्षर.. प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर ....

स्थान .... संस्था ....

दिनांक .... दिनांक ....

हस्ताक्षर

जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका

मुहर

प्र—13

प्रारूप प्रपत्र—1

विकल्प पत्र

1—नाम तथा पद नाम

विद्यालय..

तहसील..

जनपद..

अमने ऊपर शासनादेश संख्या शिक्षा (8)/5310/पन्द्रह–8–3004(2) 1974 दिनांक 8–3–78 में प्रतिपादित पेंशन योजना में उल्लिखित प्रतिबन्धों के साथ मैं घोषित करता हूँ कि—

(क) स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। मेरा विकल्प मुझ पर 1–3–1977 से पूर्व लागू सेवानैवृत्तिक लाभों के पक्ष में है।

अथवा

(ख) स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरा विकल्प नये सेवानैवृत्तिक लाभों के लिए है और

1—मुझे मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक या मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे आश्रितों को पारिवारिक पेंशन देय न होगी।

2—मुझे सामूहिक जीवन बीमा का लाभ पूर्ववत् मिलता रहेगा।

3—1 मार्च, 1977 से मेरे ऊपर अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर सामान्य भविष्य निधि योजना लागू होगी और इस योजना के अधीन अभिदान की कटौती राजकीय कर्मचारियों के लिए लाग दर से की जायगी जो सम्प्रति मूल वेतन का 10 प्रतिशत है।

4—मैं अपने प्राविधायी निधि के लेखे में जमा सम्पूर्ण धनराशि को (प्रबन्धकीय या स्थानीय निकायों के अंशदान व अपने अंशदान तथा ब्याज) राजकोष में जमा कर देने की स्वीकृति देता हूँ।

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

नाम ....

पदनाम ....

विद्यालय का नाम ....

(तहसील, जनपद)

नोट—ऊपर 'क' और 'ख' में से एक काट दिया जाय।

प्र—14

परिवार पेंशन का आवेदन-पत्र

स्वर्गीय श्री..जो कि.. (पदनाम)

के रूप में.. (विद्यालय) में

कार्य कर रहे थे, परिवार के लिए पेंशन का आवेदन-पत्र

1—प्रार्थी का नाम

2—मृत कर्मचारी/पेंशनभोगी से सम्बन्ध

3—यदि मृत कर्मचारी पेंशनभोगी था तो उसके अवकाश प्राप्त करने की तिथि

4—कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु-तिथि

5—मृत कर्मचारी के परिवार के जीवित सदस्यों के नाम व उम्र	नाम	जन्म-तिथि (अंग्रेजी में)
(अ) विधवाओं/पति		
लड़के, अविवाहित लड़कियाँ, विधवा लड़कियाँ	सौतेले बच्चों एवं गोद लिये बच्चों-सहित	
(ब) पिता		
माता		
भाई, अविवाहित बहिनें, विधवा बहिनें	सौतेले भाई एवं बहिनों-सहित	
पूर्व में मृत पुत्र के बच्चे		

6—प्रार्थी का नाम नामांकन पत्र में किस क्रम पर है

7—कर्मचारी को स्वीकृत पेंशन की धनराशि, यदि कोई हो

8—भुगतान का स्थान

9—प्रार्थी से सम्बन्धित विवरण—

(1) जन्म-तिथि (अंग्रेजी महीनों में)

(2) लम्बाई

(3) हाथों एवं चेहरे आदि पर व्यक्तिगत अभिज्ञान के चिह्न, यदि कुछ हों।

(4) हस्ताक्षर अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों के निशान

कनिष्ठिका	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगूठा

10—प्रार्थी का पूरा पता

सत्यापनकर्ता	साक्षी
1—	1—
2—	2—

11—संस्था के प्रबन्धक का मन्तव्य

संस्था के प्रबन्धक के हस्ताक्षर
संस्था की मुहर

टिप्पणी—स्वीकृतिकर्ता (सम्मोदक) प्राधिकारी के पास आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी द्विपत्री में भेजे जायें।

(क) दो फोटो अलग-अलग कागज पर चिपकाकर राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर

(ख) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षरों के नमूने। (2 पत्री में)

(ग) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित बायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों के चिह्न। (2 पत्री में)

(घ) अधिक दिये धन की वापसी के लिए घोषणा-पत्र

(च) परिवार पेंशन के लिए भरे गये नामांकन पत्र की सत्यापित प्रति

(छ) यदि प्रार्थी मृत कर्मचारी/पेंशनभोगी पर आश्रित होने की पुष्टि में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहे।

(ज) यदि प्रार्थी मृत कर्मचारी/पेंशनभोगी का अवयस्क छोटा भाई है, तो उसे उपर्युक्त पद 9 (1) की सूचना के समर्थन में आयु का प्रमाण-पत्र देना चाहिये (2 सत्यापित प्रतियों के साथ मूल रूप में) जिसमें प्रार्थी की जन्म-तिथि प्रदर्शित हो। मूल प्रमाण-पत्र आवश्यक जाँच के बाद प्रार्थी को वापस कर दिया जायेगा।

(झ) कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें मृत्यु की तिथि प्रदर्शित हो।

(ट) पेन्शन के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र [परिपत्र स० 1 लात्रयो] पर आवश्यक मृतक का पूर्ण विवरण संलग्नकों-सहित।

प्र—15

प्रपत्र संख्या–1/4 लात्रयो

सेवा का इतिहास

व्यवधान के विवरण-सहित

श्री ....

जन्म-तिथि ....

प्रबन्ध संस्था का पूरा नाम व पता-सहित जहाँ पर सेवा की गयी	नियुक्ति	वेतन	भत्ते	सेवा प्रारम्भ की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा जो अर्ह मानी गयी	सेवा जिसे अर्ह नहीं माना गया	विशेष विवरण	कैसे सत्यापित किया गया	स्वीकृतिकर्ता (सैंक्शनिंग) अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अर्ह सेवा की कुल अवधि ....

प्रबन्धक का हस्ताक्षर

संस्था की मुहर

प्र—16

प्रपत्र संख्या–1/3 लात्रयो

अवकाश का लेखा

श्री ....

....

उपभोग किये गये अवकाश का प्रकार	कब से	कब तक	अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
1	2	3	4	5	6
योग					

प्रबन्धक के हस्ताक्षर
संस्था की मुहर

प्र—17

प्रपत्र संख्या–9 लात्रयो

अशासकीय, साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धकों के नियंत्रण में कर्मचारी द्वारा ली गयी जीवन बीमा पालिसी का संहत (कन्सालीडेटेड) विवरण

(उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए)

टिप्पणी—प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को प्रबन्धक द्वारा नियन्त्रक प्राधिकारी को भेजा जाय ।

(क) प्राथमिक पाठशाला एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित सूचना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों/बेसिक शिक्षा अधिकारी को ।

(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दशा में सम्बन्धित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को ।

(ग) डिग्री एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों की दशा में शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, इलाहाबाद के अर्थ विभाग को ।

वित्तीय वर्ष 19 -19 के लिए

क्रम संख्या	कर्मचारी का पूरा नाम एवं पद	जन्म-तिथि	वेतन-क्रम	क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा डाकघर जीवन बीमा में जीवन बीमा कराया गया	पालिसी की संख्या	ली गयी पालिसी की कुल धनराशि	पालिसी का भुगतान देय होने की तिथि	प्रीमियम की कुल धन राशि जो वर्ष भर में भुगतान के लिए देय हो	प्रीमियम की कुल धन राशि जो वर्ष में वास्तव में जमा की गयी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

प्रमाणित किया जाता है कि प्रबन्धक द्वारा इस बात की पूरी-पूरी जाँच कर ली गयी कि (कर्मचारीगण क्रमांक…… ………………………………………… को छोड़कर) अपनी पालिसी पर विगत वित्तीय वर्ष के लिए देय समस्त प्रीमियम का पूरा भुगतान कर दिये हैं एवं अपनी पालिसियों को जीवित एवं भारमुक्त रखे हैं ।

प्रबन्धक का हस्ताक्षर
संस्था का पूरा नाम
जिला

संस्था की मुहर

टिप्पणी—(1) ऐसे कर्मचारी, जो नियम के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि की पालिसी अभी लिये हैं या अपने पूरे प्रीमियम का भुगतान न किये हों अथवा अपनी पालिसी जीवित व भारमुक्त न रक्खें हों, का विवरण सम्बन्धित स्तम्भ में कारण-सहित दिया जाय ।

(2) प्रबन्धक को प्रत्येक पालिसी लेने वाले कर्मचारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेना चाहिए कि लाभत्रयी योजना के नियम 7 एवं 8 के अन्तर्गत ली गयी पालिसी परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पित (एसाइण्ड) नहीं की गयी और यह किसी को उपहारस्वरूप अथवा मूल्य प्राप्त कर नहीं दी गयी है, यह प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्राप्त किया जाय एवं कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रखा जाय ।

प्र—18

जीवन बीमा की किस्त की अदायगी के लिए भविष्य निधि के लेखे से धनराशि के प्रत्याहरण (निकासी) के लिए आवेदन पत्र

(उत्तर प्रदेश राज्य साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए)

1—कर्मचारी का नाम

2—कर्मचारी का पद

3—संस्था का नाम

4—जिले का नाम

5—वर्तमान वेतन-क्रम एवं वेतन-दर

6—प्रार्थित अग्रिम धनराशि

7—डाकघर के सेविंग बैंक लेखे का नम्बर

8—अभिदाता (सब्सक्राइबर) के लेखे में अद्यावधिक जमा धनराशि

9—प्रार्थित अग्रिम धन के उद्देश्य (प्रयोजन)

10—किस्तों की संख्या जिसमें धनराशि की अदायगी होनी है तथा प्रत्येक किस्त की धनराशि

11—क्या प्रस्ताविक जीवन बीमा पालिसी का विस्तृत विवरण नियन्त्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है एवं उसके द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है कि वह उचित है ?

12—जीवन बीमा की किस्त भुगतान करने की तिथि

13—भुगतान की जाने वाली बीमा किस्त की धनराशि

14—क्या बीमा पत्र (पालिसी) की किस्त जिसके लिए भविष्य निर्वाह निधि से अभिदान का प्रत्याहरण किया जाना है (अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक)

(पिछली बार दी गयी अन्तिम किस्त की रसीद की सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाय।)

15—कर्मचारी का हस्ताक्षर

16—कर्मचारी का पद

17—प्रबन्धक का हस्ताक्षर

18—संस्था की मुहर

अध्याय—2

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियम व व्यवस्था

(अशासकीय सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय)

सहायताप्राप्त अशासकीय उ०मा०वि० के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवानैवृत्तिक लाभों में परिवर्द्धन एवं शासकीय कर्मचारियों के समान पेंशन सुविधा देवे के उद्देश्य से शासन ने सहायताप्राप्त उ०मा०वि० में राजाज्ञा सं० 5310/पन्द्रह-8-3004 (2)/1974, दिनांक 31-3-78 द्वारा शिक्षण कर्मचारियों को दिनांक 1-3-77 से तथा राजाज्ञा संख्या 7716/पन्द्रह-8-3003 (1)/1977, दिनांक 3-11-78 द्वारा शिक्षणेतर कर्मचारियों को दिनांक 1-3-78 से नवीन सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना स्वीकार की। शासन ने सा० भ० निधि योजना के कार्यकारी सिद्धान्त प्रतिपादित करके राजाज्ञा सं० 4162/15-8-3002/84, दिनांक 14-2-86 द्वारा प्रसारित किया। उपर्युक्त राजाज्ञाओं के आधार पर भविष्य निर्वाह निधि के रख-रखाव हेतु निम्न बिन्दु विशेष उल्लेखनीय हैं :—

1. शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना का लाभ वे ही कर्मचारी पाने के अधिकारी होंगे जो इन नियमों के लिए निर्धारित प्रपत्र पर अपना विकल्प देकर अपने अंशदायी प्राविधायी निधि के लेखे में जमा समस्त धन, जिसमें संकलित ब्याज भी सम्मिलित है, राजकोष में लेखा शीर्षक "077—शिक्षा-च-सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ (13) प्रकीर्ण" एवं "838—स्थानीय निधियों के निक्षेप अन्य स्वायत्त निकायों के निक्षेप (ख) अन्य साहाय्यिक शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के भविष्य निधियों का लेन-देन" में जमा करा देंगे जो वर्तमान में "0202 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-16-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" एवं "8338-स्थानीय निधियों की जमा—104-अन्य स्वायत्तशासी निकायों की जमा-02-अन्य साहाय्यिक शिक्षण संस्थाओं के स्कूलों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के भविष्य निधियों का लेन-देन" हो गया है। इन कर्मचारियों की क्रमश: दिनांक 1-3-77 व 1-3-78 से राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में सम्प्रति अनुमन्य कोई भी धनराशि देय न होगी।

2. उक्त कथित तिथि से इस योजना में सम्मिलित होने के लिए शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों से प्राप्त विकल्प-पत्र के आधार पर उनके मूल वेतन से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के मद हेतु 10 प्रतिशत की दर से (पूर्ण रुपये में) कटौती कराना अनिवार्य है। कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से पूर्व सूचना देकर कटौती की धनराशि को बढ़ा सकता है। इन कर्मचारियों को विद्यालयवार जी०पी०एफ० नं० निर्धारित किया जायगा।

3. अंशदायी भविष्य निधि के प्रबन्धकीय एवं निजी अंशदान के आगणन के सम्बन्ध में सामान्य परिस्थितियों में यदि नियमानुसार निर्मित अनुदान प्रबन्धकीय अंशसहित अध्यापक के लेखे में जमा होते रहे हों एवं कोई अग्रिम की वसूली शेष न हो, तो अनिवार्य जमा, वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय बकाया धन एवं वर्ष 1974-75 से 77-78 तक विभिन्न राजाज्ञाओं के द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त महँगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के रूप में जो धन अध्यापकों के प्राविधायी लेखे में बिना प्रबन्धकीय अंशदान के जमा हो, तो उसे पृथक् कर लिया जाय तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (जो 1-4-74 से पोस्ट आफिस से अनुमन्य रहा हो) लगाकर कुल जमा धन में से घटा दिया जाय। इस प्रकार अवशेष धन में से प्रबन्धकीय अंश अर्थात् कुल का $\frac{1}{3}$ (तिहाई) भाग लेखा शीर्षक "077 (जो अब 0202 हो गया है) में तथा $\frac{2}{3}$ (दो तिहाई) अभिदाता अंश में उक्त अतिरिक्त महँगाई भत्ता एवं अनिवार्य जमा तथा वेतन निर्धा-

रण के आगणित अंश को जोड़कर कुल धनराशि लेखा शीर्षक 838 (ख) (जो वर्तमान में 8338-स्थानीय निधियों की जमा) में जमा किया जाना है।

4. यदि आगणन तिथि को किसी अग्रिम की वसूली शेष हो अथवा कुछ धनराशि एन०एस०सी० में विनियोजित होने, बीमा की किस्तों में जमा होने या इसी प्रकार किसी अन्य रूप में भुगतान कर दिये जाने के कारण लेखे से पृथक् कर दी गयी हो तो उक्त सम्पूर्ण धन का $\frac{1}{3}$ प्रबन्धकीय अंश में और जुड़ेगा और उसे कर्मचारी को अपने पास से जमा करना होगा। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आगणन को तिथि में कर्मचारी के पोस्ट आफिस पासबुक क्रेडिट के अवशेष को ही आधार मानकर विद्यालय में रक्खे गये पी०एफ० लेजर का भी विधिवत् परिनिरीक्षण कर लिया जाय।

5. इस प्रकार प्रबन्धकीय अंशदान तथा निजी अंशदान ($\frac{1}{3}$ भाग व $\frac{2}{3}$) के रूप में जमा मूल धनराशि पर उसी अनुपात में अर्जित ब्याज की आय का आगणन करके प्रबन्धकीय एवं निजी अंशदान सम्बन्धित लेखा शीर्षकों में जमा की जायगी। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में कोई भी धनराशि उक्त तिथि (1-3-77 व 1-3-78) के बाद देय न होगी।

6. प्राविधायी निधि के उक्तवत् प्रबन्धकीय एवं निजी अंश का पूर्ण विवरण प्रपत्र—3 पर अध्यापक/कर्मचारीवार दो प्रतियों में बनाकर एक प्रति जि०वि०नि० को प्रेषित की जाय एवं एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रक्खी जाय।

7. ऐसे शिक्षक जिन्होंने सामान्य भविष्य निधि योजना के पक्ष में अपना विकल्प न प्रस्तुत कर प्राविधायी निधि का ही सदस्य बना रहना स्वीकार किया है, उन पर पूर्व सें लागू नियम यथावत् बने रहेंगे।

8. लेखों का रख-रखाव

सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में शासन द्वारा शिक्षा निदेशक एवं उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को उत्तरदायी माना गया है। शिक्षा निदेशक के पत्रांक अर्थ/1965-2215/52-10(10)/78-79, दिनांक, 30-5-78 द्वारा राजाज्ञा के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र निकाल कर जी०पी०एफ० के लेखे के रख-रखाव हेतु निम्नांकित 6 प्रपत्र निर्धारित किये गये :—

(1) विकल्प पत्र

(2) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-सम्बन्धी सूचना

(3) पूर्वगामी अंशदायी भविष्य निधि के लेखे सें जमा धन सें सें लेखा शीर्षक 077 एवं 838 (ख) (जो अब क्रमशः 0202 एवं 8338 हो गया है) में जमा किये गये धन का विवरण

(4) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का प्रपत्र जो वेतन बिल के साथ संलग्न कर भेजा जाना है (जी०पी०एफ० शिड्यूल)

(5) संस्था द्वारा विद्यालय में सा०भ०नि०नि० के लेखों के अध्यापकवार रख-रखाव का लेजर

(6) जनपद स्तर/विद्यालय स्तर पर संकलित लेखा विवरण (माहवार) जो वर्ष में जि०वि०नि० को भेजना होता है।

इसके अतिरिक्त शासनादेश सं० 4160/पन्द्रह, दि० 14-2-86 से नामांकन प्रपत्र का प्रारूप भेजते हुए इसे जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

निदेशालय के उक्त संदर्भित पत्र में लेखों के रख-रखाव के निर्देशों के साथ ही प्रधानाचार्यों को निम्नांकित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी भी बनाया गया है :—

(अ) प्राविधायी निधि के प्रबन्धकीय एवं निजी अंश के पूर्ण विवरण प्रपत्र–3 पर अध्यापकवार बनाकर एक प्रति जि०वि०नि० को एवं एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखना।

(त) विकल्प-पत्र एवं प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिदाता को विद्यालयवार एवं नामानुसार नया नं० आबंटित करेंगे।

(स) प्रधानाचार्य प्रत्येक माह प्रपत्र–4 पर शिड्यूल बनाकर 2 प्रतियों में वेतन बिल के साथ प्रस्तुत करेंगे। देयक पारित होने के बाद इसकी एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी/लेखाधिकारी वेतन देयक की कार्यालय प्रति में लगा देंगे एवं एक प्रति संस्था को वापस की जायगी जो संस्था में रक्खी जायगी व उसी से लेजर की पोस्टिग की जायगी।

(द) व्यक्तिगत लेजर संस्था के प्रधानाचार्य के पास रहेगा ताकि समय-समय पर अध्यापक/कर्मचारी अपने खाते में जमा धनराशि से अवगत होते रहें। व्यक्तिगत लेजर का प्रत्येक छःमाही लेखाधिकारी से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।

(य) सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की कटौतियों की धनराशि कथित लेखा शीर्षक 838 (ख) (जो अब 8338 हो गया है) में जमा करने की जिम्मेदार प्रधानाचार्य की है। चालान द्वारा जमा धनराशि का रख-रखाव प्रपत्र–6 पर संस्था स्तर पर रक्खा जाना है जिसकी एक प्रति वर्ष की समाप्ति पर जि०वि० नि० को देना होगा।

(र) सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम, विशेष अग्रिम व अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति प्रधानाचार्य की संस्तुति पर निम्नांकित अधिकारियों द्वारा दी जायगी :—

अग्रिम का प्रकार	कितनी धनराशि तक	किसके द्वारा	किन कारणों पर
अस्थायी (वसूली कम से कम 12 और अधिकतम 24 किस्तों में की जायगी)	तीन माह के वेतन अथवा उसकी निधि में जमा धनराशि का आधा, इसमें जो भी कम हो।	जि० वि० नि० / स० जि० वि० नि०, बालिका विद्यालयों में जि०बा० वि० नि०/म० बा० वि०नि०	(1) अभिदाता या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के उपचार। (2) उक्त की अस्वस्थता एवं उच्च शिक्षा हेतु विदेश यात्रा के व्यय। (3) अपने अथवा उस पर पूर्णतया आश्रित सदस्य के विवाह, अन्त्येष्टि, धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज के कारण अनिवार्य उत्सव हेतु।
विशेष (अधिकतम 36 किस्तों में वसूली)	(1) तीन माह के वेतन से अधिक अथवा निधि में जमा धन के आधे से अधिक धन की स्वीकृति	मं० उ० शि० नि०/ मं० बा० वि० निरीक्षिका।	—उक्तवत्—

	(2) पूर्व स्वीकृत अग्रिम की वसूली पूर्ण न होने के पूर्व द्वितीय अग्रिम की माँग पर		
अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम)	6 माह का वेतन या जमा का आधा इनमें जो भी कम हो, किन्तु विशेष परिस्थिति में खाते में जमा धन-राशि में से अधिकतम तीन चौथाई तक, किन्तु यह निष्कासन कर्मचारी की 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने या केवल 10 वर्ष की सेवा शेष होने पर ही देय है।	मं० उ० शि० नि०/ मं० बा० वि० नि०	(1) अभिदाता के पुत्र-पुत्री की शादी। (2) अभिदाता के पुत्र-पुत्री के विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु (3) भूमि क्रय करने, भवन-निर्माण, भवन में परिवर्तन/ परिवर्द्धन (4) आश्रित की दीर्घकालिक चिकित्सा।

(i) अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का अन्तिम तथा पूर्ण भुगतान उसके सेवानिवृत्त होने/सेवा से निकाल दिये जाने/त्यागपत्र देने/मृत्यु हो जाने पर ही देय होगा।

(ii) भवन-निर्माण हेतु निष्कासन में प्रतिबन्ध होगा कि अभिदाता द्वारा इस प्रयोजन हेतु सभी स्रोतों सें ली गयी धनराशि (निम्न अथवा मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना या अन्य स्रोतों से प्राप्त) गृह-निर्माण की धनराशि सहित कुल मिलाकर 75,000 रुपये अथवा अभिदाता के पाँच वर्ष के वेतन से, जो भी कम हो, सें अधिक नहीं होगी।

(iii) एक से अधिक अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करते समय पिछले अग्रिम की वसूली की अवशिष्ट धनराशि को अनुवर्ती अग्रिम के साथ समेकित (Consolidated) करके वसूली की किस्तें निश्चित की जायेंगी।

(iv) भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अग्रिमों पर कोई ब्याज अभिदाता से नहीं लिया जायेगा।

(v) भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विषय में दिया गया विवरण किसी भी स्तर पर गलत/भ्रामक पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे तथा वे विधिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(vi) स्वीकृत अग्रिम की पूर्ण वसूली निर्धारित समय तथा किस्तों में नियमित रूप से करने हेतु सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक तथा जि०वि०नि० पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। वसूली की किसी भी किस्त का स्थगन अभिदाता की निलम्बन अवधि, वेतनरहित अवकाश अवधि या अर्द्धवेतन अवकाश अवधि को छोड़कर किसी दशा में नहीं किया जायगा।

(vii) सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा वेतन बिल पर इस आशय का प्रमाण-पत्र उल्लिखित किया जायगा कि सामान्य भ० नि० निधि से अग्रिम दिये गये धनराशि की किश्तों की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली गयी है।

(viii) अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम) स्वीकृत करने के पूर्व सक्षम अधिकारी को अपने विवेकानुसार अभिदाता से इस बात का पुष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सन्तुष्ट हो लेना अपेक्षित है कि जिस उद्देश्य के लिए निधि से अग्रिम की माँग की गयी है वह औचित्यपूर्ण है ।

9. नामांकन पत्र

(1) अभिदाता का यदि परिवार है, तो ऐसी दशा में परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया जा सकता ।

(2) यदि अभिदाता द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है, तो नामांकन-पत्र में प्रत्येक नामित व्यक्ति को मिलने वाले हिस्से का इस प्रकार उल्लेख करना होगा कि खाते में जमा पूरी धनराशि का बँटवारा हो सके ।

(3) नामांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र में नामांकन भरा जायगा ।

(4) परिवार न रहने की दशा में भरा गया नामांकन परिवार हो जाने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायगा । अतः नामांकन पुनः भरना होगा ।

(5) यदि किसी कर्मचारी ने अपना नामांकन-पत्र नहीं भरा है अथवा नामांकन-पत्र उसके खाते में उपलब्ध एक भाग के लिए दिया गया है, तो कुल धनराशि अथवा उस धनराशि के लिए जिसके लिए नामांकन नहीं भरा गया है वह धनराशि परिवार के सदस्यों में बराबर भाग में बाँट दी जायगी । प्रतिबन्ध यह है कि कोई अंश निम्न को देय न होगा जब तक कि परिवार के और सदस्य हों :—

(अ) पुत्र जो विधिक रूप से बालिग हो ।
(ब) मृतक पुत्र के पुत्र जो विधिक रूप से बालिग हों ।
(स) विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हों ।
(द) विवाहित पुत्र की पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हों ।

प्रतिबन्ध यह है कि मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवाएँ तथा बच्चों की उतनी ही धनराशि देने होगी जो उस पुत्र के जीवित रहने की दशा में उसके अंश की होती ।

10. अन्य

(1) अभिदाता की जमा धनराशि पर अन्तिम भुगतान आदेश की तिथि के पूर्व माह तक का ब्याज आगणित किया जायेगा । भविष्य निधि खाते की धनराशि अन्तिम रूप से देय होने पर 6 माह के अन्दर अन्तिम भुगतान का प्रार्थना-पत्र देने पर ही पूरी अवधि का ब्याज मिलेगा । 6 माह बाद प्रार्थना-पत्र देने पर अधिकतम 1 वर्ष का ही ब्याज देय होगा ।

(2) सेवानिवृत्ति की तिथि के चार माह पूर्व से ही भविष्य निर्वाह निधि की न तो कोई कटौती की जायगी और न ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया जायगा, परन्तु पूर्व में लिये गये अग्रिम का समायोजन कर लिया जायेगा ।

(3) भविष्य निर्वाह निधि से दिये गये ऋणों की स्वीकृति पत्र-संख्या, कटौती की निर्धारित दर एवं ऋण-भुगतान की तिथि का उल्लेख लेजर में टिप्पणी स्तम्भ में किया जाना अनिवार्य है जिसे प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।

(4) व्यक्तिगत लेजर की पूर्ण करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की है । जी०पी०एफ० की कटौती, ऋण की वापसी एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा अतिरिक्त महँगाई का अंश या वेतन निर्धारण के अवशेष आदि की प्रविष्टि लेजर में उसी माह में की जायगी जिसमें वेतन आदि का भुगतान हुआ या बिल पारित करके आहरित किया गया हो ।

(5) अग्रिम की किस्तों की वापसी अग्रिम के भुगतान के तुरन्त बाद के वेतन बिल से प्रारम्भ होनी चाहिए एवं जब तक अग्रिम का समायोजन न हो जाय, कटौती को रोकना न चाहिए ।

(6) निदेशालय स्तर पर वास्तविक जमा धनराशि अथवा वित्तीय वर्ष के अवशेष पर निर्धारित दर से ब्याज लगाया जाता है । वास्तविक जमा धनराशि की जानकारी सम्बन्धित जि०वि०नि० से की जाती है । यह अनुमान पर निर्भर नहीं करती है । जमा धनराशि पर जो धनराशि ब्याज आगणित करने पर प्राप्त होती है उसकी मांग शासन से की जाती है । शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर उनको जनपद की माँग के आधार पर धनराशि की स्वीकृति भेजी जाती है । आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक आहरण-वितरण अधिकारी/प्रधानाचार्य को प्रतिवर्ष जमा जी० पी० एफ० धनराशि का ठीक-ठीक आगणन कर ब्याज की माँग अपने जि० वि० नि० को समय के अन्दर अवश्य भेज देनी चाहिए। ब्याज की माँग शासन द्वारा ब्याज की दर निर्धारित होने की सूचना प्राप्त होते ही यथाशीघ्र करनी चाहिए ।

(7) प्रत्येक अभिदाता के भविष्य निधि में जमा धनराशि पर वार्षिक ब्याज का आगणन करके उसके लेजर में अंकित करना होता है तथा प्रपत्र–7 पर विद्यालय स्तर पर संकलित लेखा विवरण तैयार कराना भी प्रधानाचार्य का दायित्व है । इसी संकलित लेखा विवरण से जनपद स्तर की सूचना निरीक्षण अधिकारी तैयार करते हैं । अतः उसमें त्रुटि होने पर जनपद की सूचना की प्रामाणिकता पर प्रभाव पड़ता है । वर्ष के अन्त में ब्याज आगणित कर लेखे की पूर्ति हो जाने पर शि० नि० के पत्रांक अर्थ/4259-4909/52-10 (12) दिनांक 17-7-79 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक अभिदाता को लेखापर्ची निर्गत करना प्रधानाचार्य का दायित्व है ।

2–ब्याज की दरें एवं आगणन के उदाहरण

भविष्य निधि पर देय ब्याज की दरें

वर्ष	दर प्रतिवर्ष	सम्मुख अंकित रुपये से जो धनराशि अधिक होगी उस पर ब्याज की दर	
1957-58 से 61-62 तक	3·75 प्रतिशत	–	
1962-63 से 64-65 तक	4·00 ,,	–	
1965-66	4·25 ,,	–	
1966-67	4·60 ,,	–	
1967-68	4·80 ,,	–	
1968-69	5·10 ,,	रु. 10·000 से अधिक पर	4·80
1969-70	5·25 ,,	,,	4·80
1970-71	5·50 ,,	,,	4·80
1971-72	5·70 ,,	,,	5·00
1972-73 से 73-74 तक	6·00 ,,	,,	5·30
1-4-74 से 31-7-74 तक	6·50 ,,	रु. 15,000 ,,	5·80

1-8-74 से 31-3-75 तक	7·50	,,	रु. 25,000	,,	7·00
1975-76 से 76-77 तक	7·50	,,	,,	,,	7·00
1977-78 से 79-80 तक	8·00	,,	,,	,,	7·50
1980-81	8·50	,,	,,	,,	8·00
1981-82	9·00	,,	,,	,,	8·50
1982-83	9·00	,,	रु. 35,000	,,	8·50
1983-84	9·50	,,	रु. 40.000	,,	9·00
1984-85	10·00	,,	–		—
1985-86	10·50	,,	–		—
1986-87	12·00	,,			
1987-88	12·00	,,			

टिप्पणी:–1-4-86 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष में तथा बाद के वर्षों में कोई प्रोत्साहन बोनस अलग से देय नहीं होगा। जिन मामलों में वर्ष के दौरान अंतिम निष्कासन (फाइनल या नान-रिफन्डेबुल) लिया जायगा उनमें ली गयी धनराशि के एक प्रतिशत (1%) के बराबर निकटतम रुपये तक पूर्णांकित राशि अभिदाता के खाते में जमा की जाने वाली ब्याज की राशि से घटा दी जायगी।

2. ब्याज आगणन के नियम

ब्याज के आगणन के निम्नांकित फार्मूले दिये जा रहे हैं जिनके माध्यम से ब्याज आगणित किये जा सकते हैं। प्रारंभिक अवशेष की धनराशियों पर पूरे एक वर्ष के लिए निर्धारित दर पर ब्याज निकाला जायगा। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक अर्थ–2/1167-1307/52-10 (16) दि० 16-5-81 द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है:—

(1) $$\text{ब्याज} = \frac{\text{प्रारंभिक अवशेष} \times \text{ब्याज की दर}}{100}$$

(2) प्रसंगगत वर्ष में जमा एवं निकासी की धनराशियों पर ब्याज की गणना निम्न फार्मूले से होगी:—

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{मासिक अवशेषों का योग} \times \text{ब्याज की दर}}{1200}$$

(3) ब्याज आगणन की एक अन्य विधि निम्नवत् दी जाती है। इसकी सहायता से ब्याज निकालने में प्रारंभिक अवशेष एवं मासिक अवशेषों पर पृथक्-पृथक् ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है:

उदाहरण :— 1 **वर्ष 82-83**

1-4-82 को प्रा. रो. – 1000
ब्याज की दर – 9%

माह/वर्ष	कटौती	ऋण की वापसी	योग	आहरण यदि हो	प्रत्येक माह के अन्त में अवशेष	विवरण
अप्रैल 82	20	—	20		1020	
मई 82	20	—	20		1040	
जून 82	20	—	20		1060	
जुलाई 82	20	—	20	504/-दि. 20-7-82	576	
अगस्त 82	20	21	41	24 किश्तों में	617	
सितम्बर 82	20	21	41	21/-की दर से	658	
अक्टूबर 82	20	21	41		699	
नवम्बर 82	20	21	41		740	
दिसम्बर 82	20	21	41		781	
जनवरी 83	20	21	41		822	
फरवरी 83	20	21	41		863	
मार्च 83	20	21	41		904	
योग			408	504	7080	

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{प्रा० रो० सहित मासिक कटौतियों का योग (निकासी को घटाते हुए)} \times \text{ब्याज की दर}}{1200}$$

प्रा० रो०	1000-00
मासिक कटौती	408-00
ब्याज	53-00 $\left\{\frac{7080 \times 9}{1200} = \frac{531}{10} = 53{\cdot}10 \text{ या } 53 \text{ रु०}\right\}$
	1461-00
ऋण	504-00
अन्तिम शेष	957-00

ब्याज के आगणन में 50 पैसे से कम की धनराशि शून्य मान ली जाती है तथा 50 पैसे या अधिक को एक रु० में पूर्णांकित कर दिया जाता है।

3– अग्रिम निष्कासन निर्देश

प्रेषक,

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०
इलाहाबाद ।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ० प्र०
2— ,, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ० प्र०
3— ,, जिला विद्यालय निरीक्षक, उ० प्र०
4— ,, जिला विद्यालय निरीक्षिका, उ० प्र०

पत्रांक : पेन्शन (2)/2451–7451/52-10 ए (24)/86-87 दिनांक 5-5-86

विषय :—सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत, सामान्य भविष्य निधि योजना से आच्छादित शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम/अन्तिम निष्कासन हेतु निर्देश ।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा सं० 4162/15-8-30-80/84 दिनांक 14-2-1986 द्वारा सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के सम्बन्ध में कार्यकारी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। घोषित कार्यकारी सिद्धान्तों के अन्तर्गत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विन्दु इस योजना से आच्छादित कर्मचारियों को उनके खाते से नियम 26, 27 एवं 28 में अस्थायी अग्रिम तथा नियम 29, 30 एवं 31 के प्राविधानों के अन्तर्गत विशेष अग्रिम और अन्तिम निष्कासन की सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने की व्यवस्था हैं ।

2—उपरोक्त अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति हेतु एकरूपता एवं कार्यकारी सिद्धान्तों के सुचारु रूप से कार्यान्वियन की दृष्टि से निम्नांकित प्रक्रिया अपनाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं :—

(अ) अस्थायी अग्रिम

1—इन अग्रिमों की स्वीकृति हेतु बालकों के विद्यालयों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक/सह जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बालिका विद्यालयों हेतु जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका (जहाँ हों) तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका सक्षम होंगे/होंगी ।

2—नियम 27 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजनों हेतु अभिदाता संलग्न प्रपत्र–1 पर अपने आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान को प्रस्तुत करेंगे जो आवेदन-पत्र में अंकित प्रत्येक विवरण को जाँच कर तथा खाते में उपलब्ध शेष जमा धन-राशि का लेजर की प्रविष्टियों से सत्यापन करके, एतदर्थ निर्धारित प्रमाण-पत्र अभिलिखित करके, अपने तथा प्रबन्धक के हस्ताक्षर करा कर, अभिदाता द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी को अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे ।

3—आवेदन-पत्र अग्रसारित करते समय प्रधानाचार्य कृपया सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र के साथ विगत लेखापर्ची निर्गत होने की तिथि के बाद खाते में जमा किये गये अभिदान का सत्यापित विवरण तथा 'प्रयोजन' की पुष्टि में अभिदाता द्वारा दिया गया प्रमाण अथवा प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

4—सक्षम अधिकारी के कार्यालय में सम्बन्धित सहायक द्वारा इस प्रकार के प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र उनकी प्राप्ति तिथि के क्रमानुसार एक पंजिका (प्रारूप V) में अंकित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन-पत्रों में उल्लिखित जमा धनराशि के विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पदस्थित लेखाधिकारी (जो इन विद्यालयों के वेतन बिल पारित करते हैं) द्वारा सत्यापित किया जायेगा, तदुपरान्त सक्षम अधिकारी स्वीकृति आदेश प्रारूप III पर निर्गत करेंगे।

5—प्रत्येक निर्गत किये आदेश का विवरण विद्यालयवार बनायी गयी पंजिका (प्रारूप VI) में रक्खा जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्ति तिथि के 3 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा उस पर निर्णय लेकर निर्धारित प्रपत्र पर आदेश निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6—निर्गत आदेश के अनुसार संस्था के प्रबंधक द्वारा प्राप्यक प्रस्तुत किया जायेगा तथा भुगतान बिल पारित होने पर लेखाधिकारी द्वारा अभिदाता के नाम **"पेयी एकाउन्ट ओनली"** चेक निर्गत करके प्रधानाचार्य के माध्यम से, लेजर में आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरान्त, वितरित कर दिया जायेगा। इस अनुच्छेद में प्रक्रिया के सम्पादन हेतु एक सप्ताह की अवधि निर्धारित की जाती है।

7—भुगतान हेतु चेक निर्गत हो जाने के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले वेतन बिल से अभिदाता के वेतन से अग्रिम वापसी हेतु नियमित कटौती प्रारम्भ कर दी जायेगी। सम्बन्धित संस्थाधिकारी तथा लेखाधिकारी इस सम्बन्ध में स्वतः संतुष्ट हो लें कि अभिदाता के वेतन से इस प्रकार की किस्तों की कटौती नियमित रूप से की जा रही है।

8—उपरोक्त अस्थायी अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी धनराशि अभिदाता के 3 माह के वेतन अथवा उसकी निधि में जमा धनराशि का आधा, इनमें जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी और पूर्वस्वीकृत अग्रिम की वसूली पूर्ण होने के बारह मास व्यतीत होने के पूर्व द्वितीय अग्रिम की स्वीकृति उनके द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी।

9—प्रत्येक स्वीकृतिकर्ता अधिकारी प्रत्येक मास में उसके द्वारा स्वीकृत किये गये धन का विवरण संलग्न प्रपत्र VIII पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक तथा अपर शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र०, इलाहाबाद को आगामी मास के प्रथम सप्ताह में भेजेंगे।

(ब) विशेष अग्रिम

1—इस प्रकार के अग्रिमों की स्वीकृति बालक विद्यालयों के संदर्भ में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा तथा बालिका विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा दी जायेगी।

2—नियम 27 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रयोजनों हेतु 3 माह के वेतन अथवा खाते में जमा धन के आधे से अधिक अथवा पूर्व स्वीकृत अग्रिम की पूर्ण कटौती होने के बारह मास बीत जाने के पूर्व द्वितीय अग्रिम की याचना किये जाने पर विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

3—अस्थायी अग्रिम हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र संस्थाधिकारियों के सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं संस्तुति प्राप्त होने पर जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी 3 सप्ताह की अवधि के भीतर अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण

लेखाधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर स्वयं संतुष्ट होकर निर्धारित प्रमाण-पत्र एवं संस्तुति सहित लेखाधिकारी एवं अपने हस्ताक्षर से आवेदन-पत्र प्राप्ति के 3 सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

4. सक्षम अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्राप्ति तिथि के क्रमानुसार पंजिकाबद्ध करके आवश्यक समीक्षाओं पर 3 सप्ताह के अन्दर स्वीकृति आदेश निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत करेंगे। आवेदन-पत्रों की पूर्वसमीक्षा हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकगण मण्डलीय सहायक लेखाधिकारी की आवश्यकतानुसार सहायता लेंगे।

5. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र का विवरण जनपदवार बनायी गयी स्वीकृति पंजिका (प्रारूप पत्र VII) में अभिलिखित किया जायेगा।

6. स्वीकृति आदेश के आधार पर संस्था द्वारा बिल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लेखाधिकारी को प्रस्तुत किया जायगा जो पूर्ववर्णित प्रक्रियानुसार अभिदाता के पक्ष में चेक निर्गत करके भुगतान तथा लेजर में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

(ग) सेवाकाल में अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम)

1. नियम 31 के अन्तर्गत अर्ह अभिदाताओं अर्थात् जिनकी सेवा के 20 वर्ष पूर्ण हो गये अथवा अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने में 10 वर्ष या कम रह गये हों, द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों हेतु याचित किये अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम यथास्थिति मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। इस प्रकार के अन्तिम निष्कासन की अनुमति पूरे सेवाकाल में अधिकतम 3 बार तक दी जा सकती है।

2. अन्तिम निष्कासन हेतु अभिदाता द्वारा प्रपत्र II पर आवेदन-पत्र प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे आवेदन-पत्रों के साथ अन्तिम लेखापर्ची निर्गत होने के बाद की अवधि में खाते में जमा धनराशि का विवरण तथा प्रयोजनों की पुष्टि में नियमानुसार प्रमाण अथवा प्रमाण-पत्र संलग्न किये जायेंगे।

(क) पुत्र/पुत्री की शादी की पुष्टि में अभिदाता द्वारा पुत्र/पुत्री के विवाह योग्य होने का प्रमाण-पत्र।

(ख) पुत्र/पुत्री को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रयोजन की पुष्टि में विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश/अध्ययनरत होने का सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कोई प्रमाण/साक्ष्य।

(ग) भूमि क्रय करने, भवन-निर्माण/परिवर्द्धन हेतु अग्रिम के सम्बन्ध में भूमि-स्वामी द्वारा किये गये एग्रीमेन्ट की प्रति या भूमि-भवन के स्वामित्व के सम्बन्ध में माल विभाग या नगरपालिका के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।

(घ) आश्रित व्यक्ति की दीर्घकालीन चिकित्सा के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।

3. इस प्रकार के प्राप्त आवेदन-पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किये जाने के एक सप्ताह के भीतर यथास्थिति जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के विवरण सत्यापन के उपरान्त संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक/जि०बा०वि० निरीक्षिका (जहाँ हों)/लेखाधिकारी 3 सप्ताह के भीतर आवश्यक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करके संस्तुति-सहित पूर्ण आवेदन-पत्र सक्षम अधिकारी को भेजेंगे।

4. सक्षम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन-पत्रों को प्राप्ति तिथि के अनुसार पंजीबद्ध करके उसी क्रम में प्राप्ति तिथि के 3 सप्ताह के भीतर उनका निस्तारण किया जायेगा। इन आवेदन-पत्रों की पूर्वसमीक्षा में मण्डलीय सहायक लेखाधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे।

5. प्रत्येक स्वीकृत किये गये अन्तिम निष्कासन का विवरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा एतदर्थ निर्धारित पंजिका (प्रारूप VII) में अंकित किया जायेगा।

6. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृति-पत्र (प्रारूप IV) के आधार पर अभिदाता को 'पेयी एकाउन्ट' क्रास चेक द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर भुगतान की व्यवस्था संस्थाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक/लेखाधिकारी करेंगे तथा तदनुसार लेजर में प्रविष्टि कर दी जायेगी।

7. भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विषय में दिया गया विवरण गलत या भ्रामक पाये जाने पर सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य तथा स्वीकृत अग्रिम की वसूली हेतु निर्धारित किस्तों की नियमित कटौती में चूक हेतु संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. प्रत्येक माह में अस्थायी/विशेष/अप्रत्यावर्तनीय अग्रिमों की स्वीकृति उनके भुगतान का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र VIII पर आगामी मास के प्रथम सप्ताह में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा निदेशालय को अलग से भेजा जायेगा।

9. अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का अन्तिम पूर्ण भुगतान उसके सेवानिवृत्त/सेवामुक्त होने/त्यागपत्र देने/मृत्यु हो जाने पर यथास्थिति मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/उप शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों एवं शासनादेश की प्रतियाँ चक्रमुद्रित कराकर सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराकर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

भवदीय
बी०पी० खण्डेलवाल
अपर शिक्षा निदेशक (मा०)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
इलाहाबाद

संलग्नक :—उक्तवत्

पृ०सं० पेन्शन (2)/2451-7451/52-10ए(24)86-77 दिनांक..............

प्रतिलिपि संलग्नकों के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. समस्त लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, उ० प्र०
2. समस्त मण्डलीय सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
3. निदेशालय/शिविर कार्यालय के समस्त सम्बन्धित अधिकारी।

बी०पी० खण्डेलवाल
अपर शिक्षा निदेशक (मा०)
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,
इलाहाबाद

4—सामान्य भविष्य निर्वाह् निधि के कार्यकारी सिद्धान्त

स्थानीय निकायों या गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलायी जाने वाली राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निर्वाह् निधि के कार्यकारी सिद्धान्त ।

भाग—क—परिभाषायें

1—यह् कार्यकारी सिद्धान्त उत्तर प्रदेश राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निर्वाह् निधि कार्यकारी सिद्धान्त कह्लायेंगे ।

2—परिवार से तात्पर्य है :—

(क) पुरुष अभिदाता की दशा में अभिदाता की पत्नी या पत्नियाँ और अभिदाता के बच्चे तथा अभिदाता के मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे । प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से अलग हो गई है, अथवा जातीय कस्टमरी कानून जो उस पर लागू हो, के अन्तर्गत अनुरक्षण पाने की अधिकारिणी नहीं रह गयी है, तो वह इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए अभिदाता के परिवार की सदस्या तब तक नहीं रहेंगी, जब तक अभिदाता जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से सूचित नहीं करता है कि उसकी पत्नी उसके परिवार की सदस्या है ।

(ख) महिला अभिदाता के सम्बन्ध में उसका पति, अभिदाता के बच्चे तथा मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें तथा बच्चे ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता लिखित रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक से इच्छा प्रकट करती है कि उसके पति को परिवार से निकाल दिया जाय तो अभिदाता का पति परिवार का सदस्य इन कार्यकारी सिद्धान्तों के उद्देश्य के लिए तब तक नहीं रहेगा जब तक अभिदाता इसे लिखित रूप से रद्द करने के लिए सूचना न दे दे ।

टिप्पणी—(1) बच्चे का तात्पर्य वैध बच्चे से हैं ।

(2) दत्तक बच्चा भी बच्चा समझा जायेगा यदि वह् विधिक रूप से मान्य होगा ।

3—स्थानीय निकाय का तात्पर्य यथाविधि गठित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्य किसी प्राधिकृत स्थानीय संस्था से है । इसमें नगर महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी तथा कैन्टूनमेन्ट बोर्ड सम्मिलित हैं ।

4—प्रबन्धक का तात्पर्य गैर सरकारी रूप से प्रबन्धित संस्था की प्रबन्ध समिति या ऐसी स्थानीय निकाय या किसी ऐसे अन्य निकाय से है जिसमें किसी संस्था का प्रबन्ध करने के अधिकार निहित हों और जो इस रूप में शासन द्वारा मान्य हो अथवा उस व्यक्ति से है, जिसमें तत्समय प्राविधानानुसार प्रबन्ध तन्त्र के अधिकार प्रतिनिहित हों ।

5—"कर्मचारी" का तात्पर्य पूर्णकालिक नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है जो किसी राज्य सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारी हो तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से वेतन एवं भत्ते पाता हो ।

6—"निधि" का तात्पर्य एतदर्थ स्थापित सामान्य भविष्य निर्वाह् निधि से है ।

7—"संस्था" का तात्पर्य स्थानीय निकायों अथवा गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलायी जाने वाली राज्य सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से है, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त हों तथा इसके अन्तर्गत सम्मिलित हों, साथ ही जो वेतन वितरण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत भी आती हों।

8—"सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

9—"विभाग" का तात्पर्य शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से है।

10—"जमा धनराशि" का तात्पर्य सदस्यों के मूल वेतन तथा शासन द्वारा आदेशित महँगाई भत्ते की धनराशि से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि तथा उस पर शासन के आदेश से देय एवं आगणित ब्याज की धनराशि से है जो उनके फण्ड (निधि) में जमा हो।

11—"अभिदाता" का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है, जिसके लिए भविष्य निर्वाह निधि में अभिदान करना अपेक्षित हो या जिसे ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो और जो इस प्रकार उस निधि में अभिदान कर रहा हो।

12—"वेतन" का तात्पर्य कर्मचारी के मासिक मूल वेतन से है।

भाग—ख-सामान्य उपबन्ध

13—ये कार्यकारी सिद्धान्त 1 मार्च, 1977 से (शिक्षकों के लिए) तथा 1 मार्च, 1978 से (शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए) प्रवृत्त समझे जायेंगे।

14—ये कार्यकारी सिद्धान्त वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की परिधि में कार्यरत केवल उन राज्य सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो किसी स्थानीय निकाय अथवा किसी अशासकीय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा संचालित हैं तथा जिन्होंने राजाज्ञा संख्या 5310/15–8–3004 (2)/1974 दिनांक 31–3–78 एवं राजाज्ञा संख्या 750/पन्द्रह–8–3003 (1)/1977 दिनांक 28–7–78 तथा राजाज्ञा संख्या 7716/पन्द्रह–8–3003 (1)/1977 दिनांक 3-11-78 के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर नवीन पेंशन योजनान्तर्गत अपना विकल्प पत्र दिया हो।

15—इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों की अंशदायी प्राविधायी निधि खाते (यदि कोई हो) में वह सब धनराशि जो प्रबन्धकीय या राजकीय अंशदान के रूप में 28 फरवरी, 1977 (शिक्षकों के लिए) एवं 28-2-78 (शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए) तक जमा की गयी है या जमा होने योग्य है, संकलित ब्याज-सहित राजकोष में शिक्षा के प्राप्ति लेखा शीर्षक "077-शिक्षा-च- सामान्य (ई) अन्य प्राप्तियाँ (13) प्रकीर्ण" एवं कर्मचारियों के अंशदान की समस्त धनराशि उस पर संकलित ब्याजसहित "निक्षेप (ख) अन्य सहाय्यिक शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन-देन" के अन्तर्गत जमा कर दी गयी हो।

16—इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त कर्मचारियों को राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान के रूप में कोई भी धनराशि देय न होगी।

17—इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निर्वाह निधि योजनान्तर्गत सम्प्रति कम से कम मूल वेतन का 10% (दस प्रतिशत) की दर से कटौती प्रतिमाह करानी होगी। कर्मचारी पूर्व सूचना देकर अपनी इच्छानुसार इस धनराशि को बढ़ा भी सकता है।

18—इन कार्यकारी सिद्धान्तों से आवृत्त कर्मचारियों पर अंशदायी प्राविधायी निधि योजना के स्थान पर 1-3-77 (शिक्षकों के लिए) तथा 1-3-78 (शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए) से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू समझी जायेगी ।

19—अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों के समान निर्धारित दर पर वार्षिक ब्याज देय होगा ।

20—(1) निधि के अभिदाता द्वारा निधि की सदस्यता ग्रहण करते समय किसी व्यक्ति को नामित करने का प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायगा कि अभिदाता के खाते में जमा वह धनराशि, जिसके भुगतान किये जाने योग्य होने के पहले यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो, अथवा भुगतान किये जाने योग्य हो गयी थी, परन्तु भुगतान न की गयी हो, नामित व्यक्ति को प्राप्त होगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभिदाता का परिवार है, तो ऐसी दशा में परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया जा सकता ।

(2) यदि अभिदाता द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है तो नामांकन पत्र में अभिदाता द्वारा प्रत्येक नामित व्यक्ति को मिलने वाले हिस्से का इस प्रकार उल्लेख करना होगा कि खाते में जमा पूरी धनराशि का बँटवारा हो सके ।

(3) प्रत्येक नामांकन इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा ।

(4) अभिदाता द्वारा उपर्युक्त नियम 20 (1) में उल्लिखित अधिकारियों को सूचित करते हुए किसी भी समय नामांकन निरस्त किया जा सकता है, बशर्ते पत्र के साथ नया नामांकन पत्र संलग्न किया गया हो ।

(5) अभिदाता द्वारा नामांकन पत्र में नामित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में उसके स्थान पर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जायगा ।

(6) परिवार न रहने की दशा में भरा गया नामांकन पत्र परिवार हो जाने की दशा में स्वतः निरस्त हो जायगा और अभिदाता को पुनः नामांकन पत्र भरना होगा ।

(7) प्रत्येक नामांकन पत्र या निरस्तीकरण की सूचना उसी तिथि से प्रभावी मानी जायगी जिस तिथि को वह सम्बन्धित अधिकारी को प्राप्त होगी ।

21—अभिदाता की जमा धनराशि पर अन्तिम भुगतान आदेश की तिथि के पूर्व माह तक का ब्याज आगणित किया जायेगा । भविष्य निधि खाते की धनराशि अन्तिम रूप से देय होने पर 6 माह के अन्दर अन्तिम भुगतान का प्रार्थना-पत्र देने पर ही पूरी अवधि का ब्याज मिलेगा । 6 माह के बाद प्रार्थना-पत्र देने पर अधिकतम एक वर्ष का ही ब्याज देय होगा ।

22—समस्त अस्थायी कर्मचारी, पुर्नानियोजित पेंशनरों को छोड़कर, जिन्होंने एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा समस्त स्थायी कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का सदस्य होना अनिवार्य है । प्रतिबन्ध यह है कि वे कर्मचारी, जिन्होंने अंशदायी प्राविधायी निधि योजना से शासित होना वरण किया हो, पर सामान्य भविष्य निर्वाह निधि योजना लागू नहीं होगी ।

23—यदि किसी कर्मचारी ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अथवा नामांकन पत्र उसके खाते में उपलब्ध एक भाग के लिए दिया गया है, तो कुल धनराशि अथवा उस धनराशि के लिए जिसके सम्बन्ध में नामांकन पत्र नहीं

भरा गया है, वह धनराशि अभिदाता के परिवार के सदस्यों में बराबर भाग में बाँट दी जायगी । प्रतिबन्ध यह है कि कोई अंश निम्न को देय न होगा जब तक कि परिवार के और सदस्य हों :—

(1) पुत्र जो विधिक रूप से बालिग हो ।

(2) मृतक पुत्र के पुत्र जो बिधिक रूप से बालिग हों ।

(3) विवाहित पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हों ।

(4) विवाहित पुत्र की पुत्रियाँ जिनके पति जीवित हों ।

प्रतिबन्ध यह है कि मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवायें तथा बच्चों को उतनी ही धनराशि देय होगी जो उस पुत्र के जीवित रहने की दशा में उसके अंश की होती ।

24—सेवानिवृत्ति की तिथि के चार माह पूर्व से भविष्य निर्वाह निधि की न तो कोई कटौती की जायगी और न ही कोई अग्रिम स्वीकृत किया जायगा, परन्तु पूर्व में लिये गये अग्रिम का समायोजन कर लिया जायगा ।

25—अभिदाता के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि को निकालने की अनुमति सामान्यतया अभिदाता के नौकरी छोड़ देने अथवा सेवानिवृत्त होने अथवा अभिदाता की मृत्यु हो जाने की दशा में ही दी जायगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में अभिदाता की आर्थिक स्थिति और आवश्यकता को देखते हुए उसे आगे नियम 26 एवं 27 के प्राविधानों के अनुसार अस्थायी अग्रिम तथा नियम 29, 30 एवं 31 के प्राविधानों के अनुसार विशेष अग्रिम और अन्तिम निष्कासन की अनुमति सेवाकाल में सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है ।

26—सदस्यों के निधि में जमा धनराशि से अग्रिम स्वीकृत करने के सक्षम अधिकारी निम्नलिखित होंगे :—

(क) अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक/सह जिला विद्यालय निरीक्षक/बालिका विद्यालयों में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका (जहाँ हों) तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका होंगे/होंगी ।

(ख) विशेष अग्रिम/अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तित अग्रिम) के अन्तिम भुगतान की स्वीकृति के अधिकारी सम्बन्धित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका होगें/होंगी ।

27—अभिदाता की भविष्य निर्वाह निधि से साधारण अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दशाओं में उनके फण्ड में जमा धनराशि से की जा सकती है । यह धनराशि अभिदाता के तीन माह के वेतन अथवा उसके निधि में जमा धनराशि का आधा, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी—

(क) अभिदाता अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के उपचार-सम्बन्धी व्यय हेतु ।

(ख) अभिदाता अथवा उसके परिवार के उस पर पूर्णतया आश्रित किसी सदस्य की अस्वस्थता अथवा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में की गयी विदेश यात्रा के व्यय हेतु ।

(ग) अपने अथवा उस पर पूर्णतया आश्रित सदस्य के विवाह, अंत्येष्टि अथवा ऐसे उत्सव के सम्बन्ध में व्यय के वहन हेतु जो अभिदाता को धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज के कारण करना अनिवार्य हो ।

28—साधारणतया अस्थायी अग्रिम धन की वसूली स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के विवेकानुसार कम से कम बारह किस्तों में और अधिक से अधिक चौबीस किस्तों में की जायगी । कोई अभिदाता अपनी इच्छानुसार बारह से कम किस्तों में अथवा दो या अधिक किस्तों का भुगतान एक साथ कर सकता है ।

29—विशेष अग्रिम निम्नलिखित विशेष स्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायगा :—

(क) अग्रिम की धनराशि तीन माह का वेतन अथवा सदस्य के फण्ड में जमा धनराशि के आधे से अधिक होने पर।

(ख) पूर्वस्वीकृत अग्रिम की वसूली पूर्ण न होने पर अथवा वसूली पूर्ण होने के बारह माह व्यतीत होने के पूर्व ही द्वितीय अग्रिम की माँग किये जाने पर।

30—विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किये गये अग्रिम की वसूली सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अधिकतम छत्तीस किस्तों में की जा सकती है। किस्तों की धनराशि पूर्ण रुपयों में होगी।

31—अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम) की स्वीकृति अभिदाता को उसकी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अथवा आयु के अनुसार अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने में केवल 10 वर्ष रह गये हों, निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है :—

(क) अभिदाता के पुत्र/पुत्री की शादी।

(ख) अभिदाता के पुत्र/पुत्री को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु।

(ग) अभिदाता द्वारा भूमि क्रय करने, भवन के निर्माण, क्रय एवं भवन में परिवर्तन या परिवर्धन हेतु।

(घ) अभिदाता पर आश्रित व्यक्ति की दीर्घकालीन चिकित्सा हेतु।

अन्तिम निष्कासन अभिदाता के खाते में जमा धनराशि में से अधिकतम तीन चौथाई ($\frac{3}{4}$) धनराशि तक स्वीकृत किया जा सकता है।

32—अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का अन्तिम तथा पूर्ण भुगतान उसके सेवानिवृत्त होने/सेवा से निकाल दिये जाने/त्यागपत्र देने/मृत्यु हो जाने पर देय होगा।

33—सामान्यत: अन्य निर्धारित शर्तों के रहते हुए अन्तिम निष्कासन की धनराशि अभिदाता के छ: माह के वेतन अथवा उसके खाते में जमा अवशेष धनराशि के आधे, जो भी कम हो, से अधिक नहीं, किन्तु विशेष परिस्थितियों में निधि के जमा अवशेष के तीन चौथाई के बराबर तक स्वीकार किया जा सकता है।

34—भवन-निर्माण हेतु निष्कासन के सम्बन्ध में यह भी प्रतिबन्ध होगा कि अभिदाता द्वारा इस प्रयोजन हेतु सभी स्रोतों से ली गयी धनराशि (निम्न अथवा मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना या अन्य स्रोतों से प्राप्त) गृह-निर्माण की धनराशि सहित कुल मिलाकर 75,000 रुपया अथवा अभिदाता के पाँच वर्ष के वेतन से, जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

35—एक से अधिक अस्थायी अग्रिम स्वीकृत करते समय पिछले अग्रिम की वसूली की अवशिष्ट धनराशि को अनुवर्ती अग्रिम के साथ समेकित (कनसालीडेटेड) करके वसूली की किस्तें निश्चित की जायेंगी।

36—भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अग्रिमों पर कोई ब्याज अभिदाता से नहीं लिया जायेगा।

37—भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के विषय में दिया गया विवरण किसी भी स्तर पर गलत/भ्रामक पाया जाने पर सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे तथा वे विधिक कार्यवाही के भागी होंगे।

38—स्वीकृत की गयी अग्रिम की धनराशि की पूर्ण वसूली निर्धारित समय तथा किस्तों में नियमित रूप से करने हेतु संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। वसूली की किसी भी किस्त का स्थगन अभिदाता की निलम्बन अवधि, वेतन-रहित अवकाश अवधि, या अर्द्धवेतन अवकाश अवधि को छोड़कर किसी दशा में नहीं किया जायगा।

39—सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा वेतन बिल पर इस आशय का प्रमाणपत्र उल्लिखित किया जायगा कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम दी गयी धनराशि की किस्तों की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से कर ली गयी है।

40—अन्तिम निष्कासन (अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम) स्वीकृत करने के पूर्व सक्षम अधिकारी को अपने विवेकानुसार अभिदाता से इस बात का पुष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संतुष्ट हो लेना अपेक्षित है कि जिस उद्देश्य के लिए निधि से अग्रिम की माँग की गयी है वह औचित्यपूर्ण है।

41—अभिदाता के भविष्य निर्वाह निधि लेखों का रख-रखाव सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा, शिक्षा निदेशक द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अभिदाता को उसके लेखे में जमा धनराशि की लेखापर्ची निर्गत की जायगी।

42—इन कार्यकारी सिद्धान्तों में जो बिन्दु परिभाषित नहीं हैं उनके सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों पर लागू जी० पी० एफ० मैनुअल के नियम लागू होंगे।

आज्ञा से
गोविन्द बल्लभ पन्त
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

5—सम्बन्धित प्रपत्र

प्र—19

जमाकर्ता संख्या..............

अभिदाता का नामन

जब अभिदाता के परिवार न हो और वह एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करना चाहता हो

चूंकि सामान्य भविष्य निधि कार्यकारी सिद्धान्त के नियम 2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार मेरा कोई परिवार नहीं है, अतः मैं एतद्द्वारा नीचे लिखे व्यक्तियों को उस धनराशि को उस दशा में प्राप्त करने के लिए नामित करता हूँ, जो मेरी निधि में जमा हो, जिसके मुझे देय होने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या देय होने पर, जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय और यह निर्देश करता हूँ कि उक्त धनराशि उक्त व्यक्तियों में उनके नाम के सामने नीचे दी गयी रीति से वितरित की जायेगी :—

नामित का नाम और पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	*धनराशि या संचित धनराशि, जिसका प्रत्येक को भुगतान किया जाना है	× ×आकस्मिकतायें जिनके होने पर नामन अवैध हो जायगा	उन व्यक्तियों के नाम, पते और संबंध, यदि कोई हो, जिन्हें अभिदाता से पहले नामित की मृत्यु हो जाने की दशा में नामित के अधिकार मिल जायेंगे

दिनांक.......................... मास 19

स्थान .... अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी —

(1)...........................

(2)...........................

***टिप्पणी**—यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि इसमें वह संपूर्ण धनराशि आ जाय जो किसी भी समय निधि में अभिदाता के नाम जमा हो ।

× × **टिप्पणी**—जब कोई अभिदाता, जिसके परिवार न हो, नामन करे, तो वह इस स्तम्भ में इस बात का उल्लेख करेगा कि बाद में उसके परिवार हो जाने की दशा में नामन अवैध हो जायेगा ।

प्र—20

जमाकर्ता संख्या.....................

अभिदाता का नामन

(जब अभिदाता के परिवार हो और वह उसके एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता हो ।)

मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को, जो सामान्य भविष्य निधि कार्यकारी सिद्धान्त के नियम 2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य हैं, उस धनराशि को उस दशा में प्राप्त करने के लिए नामित

करता हूँ जो मेरी निधि में जमा हो, जिसके देय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाये या देय होने पर, जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाये और यह निर्देश करता हूँ कि उक्त धनराशि उक्त व्यक्तियों में उनके नाम के सामने नीचे दी गयी रीति से वितरित की जायगी :—

नामित का नाम और पता	अभिदाता से सम्बन्ध	आयु	*धनराशि या संचित धनराशि का अंश जिसका प्रत्येक को भुगतान किया जाना है	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नामन अवैध हो जायेगा	उन व्यक्तियों के पूरे नाम, पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो, जिन्हें अभिदाता से पहले नामित की मृत्यु हो जाने की दशा में नामित के अधिकार मिल जायेंगे

दिनांक........................ मास 19

स्थान ....

अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :—

(1)..............................

(2)..............................

***टिप्पणी**—यह स्तम्भ इस प्रकार भरा जाना चाहिये कि इसमें वह संपूर्ण धनराशि आ जाय जो किसी भी समय निधि में अभिदाता के नाम जमा हो।

प्र—21

प्रोफार्मा—1

सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को जी० पी० एफ० से विशेष अस्थायी अग्रिम लेने के लिए प्रार्थना-पत्र ।

1—विद्यालय का नाम .... जनपद ....

2—अभिदाता का नाम ....

3—खाता नं० ....

4—पदनाम ....

5—मूल वेतन ....

6—प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण :—

(क) वर्ष .... की लेखापर्ची (एकाउन्ट स्लिप) के अनुसार जमा धनराशि रु० .... (प्रति संलग्न)

(ख) माह .... से .... तक अभिदाता द्वारा जमा धनराशि (विवरण संलग्न)

(ग) माह .... से .... तक अग्रिम की वापसी (रिफण्ड आफ एडवांस) (विवरण-सहित)

(घ) लेखापर्ची के बाद की अवधि में खाते से निष्कासित धनराशि का विवरण ....

(य) अंतिम निष्कासन की तिथि ....
माह/वर्ष एवं तिथि ....

(र) अस्थायी अग्रिम धनराशि का विवरण :— 1—
2—
माह/वर्ष एवं तिथि .... 3—

7—पूर्ववर्ती अग्रिम यदि शेष हो, तो शेष धनराशि और उस अग्रिम का प्रयोजन ....

8—शुद्ध जमा धनराशि ....

9—अब माँगे जा रहे अग्रिम की धनराशि ....

10—(क) इस अग्रिम का प्रयोजन ....

(ख) जिस नियम के अनुसार अनुमन्य है उसका संदर्भ ....

11—समेकित अग्रिम की धनराशि (मद 7+9) तक जितनी मासिक किस्तों में समेकित अग्रिम धनराशि की अदायगी की जानी है ।

12—अभिदाता की आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण जिससे प्रार्थना-पत्र का औचित्य सिद्ध हो सके ।

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....
विभाग ....

प्रमाण-पत्र एवं संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पद .... विद्यालय के पी०एफ० लेजर की जाँच की जा चुकी है। लेजर में प्राविधायी निधि की नियमित कटौतियाँ एवं पूर्व में प्राविधायी खाते से स्वीकृत अग्रिम/अग्रिमों की प्रविष्टियाँ कर ली गयी हैं और नियमित कटौतियाँ की गयी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इनके खाते में मास/वर्ष .... में .... रु० शुद्ध जमा धनराशि और पूर्ण विवरण, जैसा कि आवेदन-पत्र के स्तम्भ 8 में अंकित है, ठीक हैं, और उसका सत्यापन किया जाता है।

3. प्रार्थी का अग्रिम आवेदन-पत्र नियमानुकूल हैं और पूर्ववर्ती वर्षों में .... बार अन्तिम निष्कासन की अनुमति दी जा चुकी है।

4. प्रयोजन औचित्यपूर्ण है तथा .... रु० स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

प्रधानाचार्य
मुहर सहित हस्ताक्षर

प्रबन्धक
हस्ताक्षर/मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन-पत्र के स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में अंकित विवरण ठीक हैं और मास .... वर्ष .... में श्री .... के खाते में शुद्ध जमा धनराशि........... रुपये का सत्यापन किया जाता है।

2. इसके पूर्व उन्हें वर्ष .... में .... बार अन्तिम निष्कासन की अनुमति दी जा चुकी है।

3. आवेदित प्रयोजन हेतु .... रु० उनके खाते में से अन्तिम निष्कासन की संस्तुति की जाती है।

लेखाधिकारी
कार्या० जि० वि० नि०

जिला विद्यालय निरीक्षक/
जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका

प्र—21

प्रोफार्मा II

(भविष्य निर्वाह निधि से अन्तिम निष्कासन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप)

विद्यालय का नाम

1—अभिदाता का नाम

2—खाता संख्या विभागीय उपसर्ग सहित (with departmental prefix)

3—पदनाम

4—वेतन

5—सेवा में आने की तिथि तथा अधिवार्षिकी (SUPERANNUATION) की तिथि

6—प्रार्थना-पत्र देने की तिथि को अभिदाता के खाते में जमा धनराशि का विवरण—

(1) वर्ष············की लेखापर्ची (एकाउन्ट स्लिप)।
विभागीय लेजर के अनुसार जमा धनराशि··············रु०

(2) माह············से·············तक अभिदान द्वारा
जमा धनराशि·············रु०

(3) अग्रिम की वसूली (रिफण्ड आफ एडवान्स) द्वारा
जमा धनराशि·········रु०

(4) निष्कासित धनराशि का विवरण—
(क) अन्तिम निष्कासन (फाईनल विदड्राल) माह
वर्ष···········से·········
माह/वर्ष तक रु०············
(ख) अस्थायी अग्रिम (टेम्पोरेरी एडवान्स) माह/
वर्ष·············से·············
माह/वर्ष तक रु०················

(5) खाते में उपलब्ध शुद्ध जमा धनराशि·················रु०

7—अन्तिम निष्कासन (फाईनल विदड्राल) की अपेक्षित धनराशि············रु०

8—(क) अन्तिम निष्कासन (फाईनल विदड्राल) का प्रयोजन·············
(ख) नियम/राजाज्ञा संख्या जिसके/जिनके अन्तर्गत प्रार्थना की गयी है···········

9—क्या इसी प्रयोजन के लिए इससे पूर्व भी कोई अन्तिम निष्कासन (फाईनल विदड्राल) लिया गया था, यदि हाँ, तो धनराशि और वर्ष बतायें।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम··················
पदनाम·················
अनुभाग/शाखा·············

दिनांक :—

प्रमाण-पत्र एवं संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... पद .... विद्यालय के पी०एफ० लेजर की जाँच की जा चुकी है। लेजर में प्राविधायी निधि की नियमित कटौतियाँ एवं पूर्व में प्राविधायी खाते से स्वीकृति अग्रिम/अग्रिमों की प्रविश्टियाँ कर ली गयी हैं और किस्तों की नियमित कटौतियाँ की गयी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उनके खाते में मास .... में .... रु० शुद्ध जमा धनराशि और पूर्ण विवरण जैसा कि आवेदन-पत्र के स्तम्भ 6, 7 एवं 8 में अंकित है, ठीक है, और उसका सत्यापन किया जाता है।

3. प्रार्थी का अग्रिम आवेदन-पत्र नियमानुकूल है और पूर्ववर्ती स्वीकृत अग्रिम पूर्णरूप से वापस कर दिये गये हैं अथवा .... रु० की कटौती (रु० .... प्रति मास की .... किस्तों) की जानी शेष है।

4. प्रयोजन औचित्यपूर्ण है तथा .... रु० स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

प्रधानाचार्य
मुहर

प्रबन्धक
मुहर

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन-पत्र के स्तम्भ 6, 7, 8 में अंकित विवरण ठीक है और मास .... वर्ष .... में श्री .... के खाते में शुद्ध जमा धनराशि .... का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदित .... प्रयोजन हेतु .... रु० उनके खाते से अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

लेखाधिकारी

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक
....

जिला विद्यालय निरीक्षक

(केवल विशेष अग्रिम की स्थिति में अपेक्षित)

प्र—23

प्रोफार्मा III

कार्यालय जि० वि० नि०/जि० बा० वि० नि०/म० बा० वि० निरीक्षिका/म० उ० शि० नि०
कार्यालय आदेश

आदेश संख्या दिनांक 198

श्री ·················· विद्यालय ··················· के उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेजर खाता संख्या ······················ से प्रयोजन ·············· हेतु व्यय की व्यवस्था करने के निमित्त रु० ·············· शब्दों में रु० ··················· की अस्थायी अग्रिम स्वीकृति राजाज्ञा संख्या शिक्षा (8)/4162/15-8-3080/84 दिनांक 14-2-1986 के अनुसार प्रदान की जाती है।

श्री ······················· को इस कार्यालय के पूर्व कार्यालय द्वारा अग्रिम धनराशि के रूप में रु० ································ स्वीकृत किया गया था जिसमें से पूर्व लिये गये ऋण का शेष रु० ················ शब्दों में ···················· मात्र की वसूली शेष है जिसको मिलाकर कुल धनराशि ·························· हो जाती है जिसकी वसूली शेष है जिसको मिलाकर कुल अग्रिम धनराशि ················· हो जाती है, जिसकी वसूली रु० ·············· की ·············· मासिक किस्तों में की जायेगी। यह वसूली माह ·············· के वेतन से जो माह ·············· में देय होगी/से प्रारम्भ की जायगी।

श्री ················· के खाते में इस धनराशि का विवरण निम्नवत् है :—

1. वर्ष ············· की लेजर के अनुसार लेखापर्ची के अनुसार रु०
2. बाद में नियमित अभिदान द्वारा जमा धनराशि रु०

   दिनांक से तक

   पूर्वस्वीकृत अग्रिम की वसूली से प्राप्त धनराशि ············ रु० ··················

   दिनांक से तक

   पूर्व आहरित धनराशि माह/वर्ष किया गया था। रु०
3. कालम 1 तथा 2 का योग पूर्व आहरित धनराशि को घटाने पर शेष धनराशि रु०
4. अब आहरण हेतु स्वीकृत धनराशि रु०
5. आहरण हेतु स्वीकृत धनराशि को घटाने पर शेष धनराशि कालम 3 में से 4 को घटाने पर रु०

मंडलीय बालिका वि० निरीक्षका/जि० बा० वि० निरीक्षिका/
जि० वि० निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक

पृ० सं० पी० दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. जिला विद्यालय निरीक्षक.................
2. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक..................
3. प्रबन्धक....................
4. लेखाधिकारी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक............
5. गार्ड फाइल...................
6. सम्बन्धित कर्मचारी।

मं० बा० वि०नि०/जि० बा० वि० नि०/
जि० वि० नि०/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक

प्र—24

प्रोफार्मा IV

कार्यालय, मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मण्डल

पत्रांक दिनांक.................

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..........................को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता.............से.............प्रयोजन के व्यय वहन करने हेतु रु०..................(शब्दों में) रुपया...................का अन्तिम निष्कासन नियम/राजाज्ञा 4162/15-8-3080/84 दिनांक 14-2-86 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

2. अन्तिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी.................के छ: महीने के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगा। मूल नियमावली (फण्डामेन्टल रूल्स) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन............हैं।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....................ने दिनांक...............को अपनी सरकारी सेवा में बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं अथवा आयु के अनुसार अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने में केवल 10 वर्ष रह गये हैं।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... द्वारा भवन निर्माण के लिए सभी सरकारी स्रोतों से निकाली गयी कुल धनराशि रुपया 75,000 अथवा उनके/उनकी छ: वर्ष के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं है ।

5. दिनांक.................को स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी .... के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) वर्ष .... की लेखापर्ची के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि रुपया ....

(2) दिनांक .... से .... तक प्रतिमाह .... रु० की दर से अभिदान जमा रुपया ....

(3) मद (1) (2) तथा (3) का योग रुपया ....

(4) बाद में स्वीकृत अन्तिम निष्कासन, यदि कोई हो, रुपया ....

(5) स्वीकृति प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद (4) में से मद (5) घटाने पर रुपया ....

उप शिक्षा निदेशक/मं० बा० वि० नि०
मण्डल

पृ० सं०/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक ....

2—प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, इण्टर कालेज/ उ०मा०वि० ....

3—सम्बन्धित प्रबंधक ....

4—लेखाधिकारी कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ....

5—गार्ड फाइल

6—सम्बन्धित कर्मचारी

उप शिक्षा निदेशक/मं० बा० वि० निरीक्षिका
मण्डल

प्र—25

पंजिका प्रारूप V

प्राविडेन्ट फण्ड से अस्थायी/विशेष/अन्तिम निष्कासन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण

कार्यालय.......................................

जनपद.......................................

क्रमांक	प्राप्ति तिथि	अभिदाता का नाम	विद्यालय	आबंटित धनराशि	निस्तारण/आदेश निर्गत होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

प्र—26

प्रारूप VI

प्राविधायी निधि से अग्रिम स्वीकृति पंजिका (अस्थायी अग्रिम)

जनपद विद्यालय

क्रम सं०	नाम अभि-दाता	खाता सं०	मासिक वेतन	खाते में उपलब्ध धनराशि	याचित धनराशि	प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि	हस्ताक्षर लिपिक	हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्र—27

प्रारूप VII

प्राविधायी निधि से अग्रिम स्वीकृति पंजिका (उपशिक्षा निदेशक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यालय के प्रयोगार्थ) विशेष अग्रिम/अन्तिम निष्कासन

जनपद..............................

क्र० सं०	नाम अभिदाता	विद्यालय	खाता सं०	खाते में उपलब्ध सत्यापित धनराशि	याचित धनराशि	प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि	हस्ताक्षर लिपिक/उ०शि०नि०/मं०बा०वि०नि०
1	2	3	4	5	6	7	8	10

प्र—28

प्रारूप VIII

अशासकीय सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से निष्कासन का संकलित मासिक विवरण।

जनपद.................................... मास......................................

1—मास के प्रारम्भ में 8338 लेखा शीर्षक में जमा धनराशि ....

2—मास में निष्कासन का विवरण

(1) अग्रिमों के रूप में मास में स्वीकृत—

अस्थायी अग्रिम................................रु०

विशेष अग्रिम..................................रु०

सेवाकाल में......................... अन्तिम निष्कासन....................................

(2) सेवानिवृत कर्मचारियों को पूर्ण अन्तिम भुगतान................................रु०

कुल निष्कासन..

अवशेष..

....

लेखाधिकारी

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक

....

जिला विद्यालय निरीक्षक

अध्याय—3

1. सामूहिक जीवन बीमा योजना

(सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए)

(1) योजना का प्रारम्भ

प्रदेश के सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके असामयिक निधन पर उनके परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के निवारणार्थ शासन ने राजाज्ञा संख्या 9/1417-15(8)-2007(13)/1973, दिनांक 15-3-74 द्वारा सामूहिक जीवन बीमा योजना दिनांक 1-3-1974 से लागू की ।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी को अपने मासिक वेतन से 5 रुपये का अंशदान देना होता था । इस प्रकार वार्षिक अंशदान प्रति सदस्य 60/- रुपया में से रु० 16·00 प्रतिवर्ष प्रीमियम हेतु एवं शेष 44.00 रुपया प्रति वर्ष जीवन बीमा निगम के विशेष निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा होता था। शासन प्रति कर्मचारी 12 रुपये वार्षिक अंशदान देता था ।

(क) सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार के नामित सदस्य को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ जीवन बीमा निगम से मृत्यु उपादान के रूप में निम्नलिखित धनराशि प्राप्त होती थी :—

(अ) अध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी के परिवार को—रु० 5000/-

(ब) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के परिवार को—रु० 7500/-

उक्त के अतिरिक्त मृत्यु समय तक निक्षेप प्रशासन लेखे के अन्तर्गत जो धनराशि जमा हो चुकी होगी 4·5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित वह भी भुगतान की जाती थी ।

(ख) सेवानिवृत्ति अथवा सेवा से पृथक् किये जाने या स्वेच्छा से पृथक् होने की दशा में निक्षेप प्रशासन लेखे में उस समय तक जमा धनराशि पर 4·5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित धनराशि वापस की जायगी । यह धनराशि स्वयं सेवा से पृथक् होने की दशा को छोड़कर शेष दशाओं में उस धनराशि से कम न होगी जो कुल अंशदान इस योजनान्तर्गत (प्रीमियम व निक्षेप लेखों) में जमा किया हो ।

(ग) इस योजना के लागू होने की तिथि से इन शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी योजनान्तर्गत कराये गये जीवन बीमा को वे चाहें तो पालिसी को उक्त तिथि से या उसके बाद से किसी तिथि से समाप्त कर सकते हैं और चाहें तो स्वयं चला सकते हैं किन्तु इस योजना के अन्तर्गत सामूहिक जीवन बीमा का अंशदान उन्हें अनिवार्य रूप से भुगतान करना पड़ेगा ।

(2) उपादान एवं अंशदान की धनराशि में वृद्धि :—

राजाज्ञा संख्या 280/15-8-3046(7)/1975, दिनांक 29-3-78 द्वारा शासन ने दिनांक 1-3-78 से कर्मचारियों को अनुमन्य मृत्यु उपादान की धनराशि बढ़ाकर राज्य कर्मचारियों के समान रुपया 12,000 कर दिया एवं प्रत्येक कर्मचारी के अंशदान को धनराशि प्रतिमाह रुपया 10/- किया । इस प्रकार कर्मचारी द्वारा वर्ष भर में जमा रुपया 120/- में से रुपया 32/- रिस्क प्रीमियम एवं रुपया 88/- जीवन बीमा निगम के विशेष निक्षेप प्रशासन लेखों में जमा

होता था । कर्मचारी द्वारा उक्त प्रकार से दिये गये अंशदान पर शासन भी रुपया 15·96 वार्षिक प्रति कर्मचारी अंशदान जमा करती है । कर्मचारी की सेवारत मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर उसे निम्नवत् धनराशियाँ प्राप्त होती थीं :—

1—सेवाकाल में मृत्यु पर परिवार के नामित सदस्य को—

(क) उपादान के रूप में रुपया 12,000/-

(ख) निक्षेप प्रशासन कोष के अन्तर्गत जमा धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित ।

2—सेवानिवृत्ति/सेवा से पृथक् किये जाने की दशा में—संबंधित व्यक्ति के निक्षेप प्रशासन कोष में उस समय तक जमा कुल धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित किन्तु यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक् होने की दशा को छोड़कर किसी भी दशा में उस धनराशि से कम नहीं होगी जो उस कर्मचारी ने कुल अंशदान के रूप में प्रीमियम व निक्षेप कोष में दिया हो ।

(3) उपादान एवं अंशदान की धनराशि में पुनः वृद्धि :—

राजाज्ञा संख्या 1270/15-8-3046(7)/75 दिनांक 18-5-82 द्वारा दिनांक 1-3-82 से इस योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षण कर्मचारियों एवं लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के उपादान एवं अंशदान की धनराशि में वृद्धि करते हुए इस योजना में कतिपय परिवर्तन भी किये गये । जो निम्नवत् हैं :—

(i) दिनांक 1-3-82 से उक्त कर्मचारी अपने वेतन से 20 रुपये प्रतिमाह अंशदान देंगे । शिक्षण/लिपिक वर्गीय कर्मचारियों द्वारा दिये गये उक्त अंशदान पर शासन कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं देगा बल्कि उसका अंशदान पूर्ववत् ही रहेगा । इस प्रकार कर्मचारियों के वेतन से काटे गये अंशदान एवं शासन के अंशदान का प्रतिमाह निम्न प्रकार से विनियोजन किया जायगा :—

(1) रु० 7·42 रिस्क प्रीमियम हेतु कर्मचारी का अभिदान ।

(2) रु० 12·58 कर्मचारी के बचत प्लान में जमा धनराशि ।

(3) रु० 1·33 प्रति सदस्य शासकीय अंशदान ।

(ii) इस योजनान्तर्गत प्रत्येक सदस्य के आश्रित को, यदि सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रुपया 25,000/- की बीमित धनराशि भुगतान हेतु अनुमन्य होगी ।

(iii) सेवानिवृत्ति/सेवा से पृथक किये जाने की दशा में शिक्षण/लिपिकवर्गीय कर्मचारी के बचत प्लान में जमा धनराशि का समस्त धन 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित भुगतान किया जायेगा । परन्तु यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक् होने की दशा को छोड़कर अन्य दशाओं में किसी भी प्रकार उस धनराशि से कम न होगी जो इस योजना के अन्तर्गत कुल अंशदान उस व्यक्ति ने प्रीमियम व निक्षेप लेखा में दिया हो ।

(4) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उपादान एवं अंशदान की धनराशि में वृद्धि :—

राजाज्ञा संख्या 5322/15-8-3066/83, दिनांक 30-11-83 द्वारा दिनांक 1-1-84 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु पर उनके द्वारा नामित परिवार सदस्यों को मिलने वाले उपादान की धनराशि रुपया 18,000/- एवं इस हेतु उनके द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की धनराशि प्रतिमाह रुपया 15·00 की गयी है । इस प्रकार कर्मचारी के अंशदान एवं शासन के अंशदान का विनियोजन निम्नवत् होगा :—

(1) 4·97 रिस्क प्रीमियम हेतु कर्मचारी का अंशदान ।

(2) 10·03 कर्मचारी के बचत प्लान में जमा धनराशि ।

(3) 1·33 प्रति सदस्य शासकीय अंशदान ।

कर्मचारी के बचत प्लान में जमा धनराशि का समस्त धन 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भुगतान किया जायगा। परन्तु यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक् होने की दशा को छोड़कर अन्य दशाओं में किसी प्रकार उस धनराशि से कम न होगी जो इस योजना के अन्तर्गत कुल अंशदान उस व्यक्ति ने प्रीमियम व निक्षेप लेखों में दिया हो।

नवीन योजनान्तर्गत चूंकि बीमित धनराशि 18,000 रुपया की जा रही है, अत: 6,000 की धनराशि हेतु रिस्क प्रीमियम की राशि पर आने वाले लाभांश की धनराशि को शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थायी प्रकृति की तथा मूलत: अनावर्तक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय करने हेतु उसे "राज्य शिक्षक कल्याण कोष" में जमा किया जायेगा। उल्लेख्य है कि इस राजाज्ञा से प्रवर्तित योजना में शासकीय अंशदान की बढ़ोतरी नहीं की गयी है।

उक्त विवेचना के उपरान्त सामूहिक जीवन बीमा की स्थिति एक दृष्टि में निम्नवत् है :—

कर्मचारी वर्ग	1-3-74 से लागू		1-3-78 से लागू		1-3-82 से लागू	
	मासिक अंशदान रुपये में	प्राप्त लाभ रु० में	मासिक अंशदान रुपये में	प्राप्त लाभ रु० में	मासिक अंशदान रुपये में	प्राप्त लाभ रु० में
1	2	3	4	5	6	7
1—प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक (अ) सेवा-निवृत्ति पर	5/-	विशेष निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा धनराशि का 4½ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित जो कुल जमा अंश-दान की धनराशि से कम न होगी	10/-	विशेष निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा धन 6% चक्रवृद्धि ब्याज-सहित जो जमा अंशदान से कम न होगा	20/-	विशेष निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा धन 6% चक्रवृद्धि ब्याज-सहित जो कुल जमा अंशदान से कम न होगा।
(ब) सेवारत मृत्यु पर		7,500+निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा धन 4½ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज-सहित		12,000+निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा धन 6% चक्रवृद्धि ब्याज-सहित		25,000 मात्र
2—अध्यापक वर्ग						
(अ) सेवा-निवृत पर	5/-	क्रम 1 (अ) के अनुसार	10/-	क्रम 1 (अ) के अनुसार	20/-	क्रम 1 (अ) के अनुसार
(ब) सेवारत मृत्यु पर		5,000+ क्रम 1 (ब) के अनुसार		क्रम 1 (ब) के अनुसार		क्रम 1 (ब) के अनुसार
3—लिपिक वर्ग (अ) सेवा-निवृत्ति पर	5/-	उक्तवत् क्रम 1 (अ) के के अनुसार	10/-	उक्तवत् क्रम 1 (अ) के अनुसार	20/-	उक्तवत् क्रम 1 (अ) के अनुसार

(ब) सेवारत मृत्यु पर	5000/- + उक्तवत् क्रम 1 (ब) के अनुसार			उक्तवत् क्रम 1 (ब) के अनुसार		उक्तवत् क्रम 1 (ब) के अनुसार
4-चतुर्थवर्गीय						(दि० 1-1-84 से लागू)
(अ) सेवा-निवृत्ति पर	5/-	उक्तवत् क्रम 1 (अ) के अनुसार	10/-	उक्तवत् क्रम 1 (अ) के अनुसार	15/-	निक्षेप प्रशासन लेखे में जमा धन 6% चक्रवृद्धि ब्याज सहित जो कुल जमा अंशदान से कम न होगा
(ब) सेवारत मृत्यु पर	5000/- + उक्तवत् क्रम 1 (ब) के अनुसार			क्रम 1 (ब) के अनुसार		रु० 18000/- मात्र।

(5) सामूहिक जीवन बीमा में अंशदान भुगतान की प्रक्रिया :—

इस योजनान्तर्गत प्रीमियम (अंशदान) की धनराशि का भुगतान शिक्षा निदेशक द्वारा सीधे जीवन बीमा निगम को त्रैमासिक किया जाता है। अतः समस्त जनपदीय लेखाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, जो विद्यालयों का वेतन बिल पारित करते हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि कर्मचारियों के वेतन बिलों में उनके अंशदान की धनराशि कम करके बिल पारित करेंगे। चूंकि जनपद/मण्डल स्तर से अंशदान के रूप में कोई धनराशि जीवन बीमा निगम को भुगतान नहीं की जानी होती है, अतः यदि जनपद के लिए साख सीमा में आबंटित धनराशि से इस मद में किसी विद्यालय को अनुदान स्वीकृत किया जाता है अथवा अंशदान के प्रति कोई चेक निर्गत किया जायगा, तो संबंधित अधिकारी दोहरे आहरण के लिए दोषी माने जायेंगे।

(6) शिक्षा निदेशालय में सूचना का प्रेषण :—

इस योजनान्तर्गत आने वाले सहायताप्राप्त उ० मा० वि० में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक त्रैमास प्रधानाचार्यों द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को देनी होती है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने जनपद के प्रत्येक विद्यालय की संकलित सूचना शिक्षा निदेशालय में सहायक निदेशक (जीवन बीमा) को प्रत्येक त्रैमास में भेजना अनिवार्य है, ताकि उसी के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को शुद्ध धनराशि का भुगतान करने में विलम्ब न हो।

(7) सेवारत/मृत कर्मचारी के दावों की जांच एवं निस्तारण हेतु प्रमाण पत्रों की मांग :—

1—जब सामूहिक जीवन बीमा के प्रति कोई दावा प्राप्त हो, तो सर्वप्रथम यह पुष्टि कर लेनी चाहिये कि जिस व्यक्ति के प्रति दावा प्रस्तुत किया गया है वह व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत है/था। यहाँ यह स्पष्ट करना प्रासंगिक है कि कोई ऐसा कर्मचारी जो पूर्ण अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए सेवा में लिया जाता है उसे सामूहिक जीवन बीमा का लाभ देय नहीं है और न ही उससे अंशदान प्राप्त किया जा सकता है।

2—बीमित व्यक्ति की सेवारत मृत्यु पर बीमित धनराशि के दावे का भुगतान तभी देय होगा जबकि मृत्यु के समय तक वह सेवा में रहा हो। सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु की दशा में उक्त लाभ देय नहीं होगा।

3—मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र (मूल रूप में दो अतिरिक्त प्रतियों सहित) जो नगरपालिका/नगरमहापालिका, स्थानीय अधिकारी से मृत्यु रजिस्टर के उद्धरण द्वारा या मृत्यु सम्बन्धी ऐसे प्रमाण, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य प्रकार के दावों (पेंशन, जी०पी०एफ०) के संबंध में मान्य किये हों, मांगना आवश्यक है।

4—दावे निर्धारित प्रपत्र पर भेजे जायेंगे। इसके साथ नामांकन पत्र (यदि मृत्यु के पूर्व भरा गया हो) दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।

5—कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आने की तिथि से उसकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति/सेवा से पृथक् किये जाने की तिथि तक योजना में नियमित अंशदान करता रहा है, इसकी पुष्टि करनी चाहिये।

(8) सेवानिवृत्त/सेवारत मृत कर्मचारियों के दावों का प्रेषण—

इस योजनान्तर्गत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, सेवा से पृथक किये गये/सेवारत मृत कर्मचारियों के दावे के प्रपत्र सम्बन्धित दावेदारों से प्राप्त करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की है। प्रधानाचार्यों के माध्यम से प्राप्त दावों को भारतीय जीवन बीमा निगम, माल रोड, कानपुर को प्रेषित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करके कर्मचारियों/आश्रितों को यथाशीघ्र उसका लाभ दिलाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है।

(9) जीवन बीमा निगम से प्राप्त दावे की धनराशियों को पी०एल०ए० में जमाकर चेक के माध्यम से भुगतान करना :—

भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर से प्राप्त दावे की धनराशियों के लिए शासन की राजाज्ञा संख्या 3099/15-8-3004(3)/75 दिनांक 18-1-80 एवं इस पर महालेखाकार, उ०प्र० द्वारा निर्गत अनुमति पत्र सं० डिपाजिट (एस०)/1458 दिनांक 2-3-84 के आधार पर प्रत्येक जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम से कोषागार में एक पी०एल०ए० का खाता खोला गया है। अतः भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त दावे के चेकों को उक्त पी०एल०ए० में जमा किया जाय और उसी से उनका भुगतान क्रास्ड चेक के माध्यम से सम्बन्धित दावेदार को समय से किया जाना चाहिये।

(10) सामूहिक जीवन बीमा (रिस्क प्रीमियम) की धनराशि पर प्राप्त लाभांश का एक अंश अध्यापक कल्याण कोष में जमा कराना :—

शासन ने राजाज्ञा संख्या 1270/15-8-3046(7)/75 दिनांक 18-5-82 द्वारा शिक्षण/शिक्षणेतर (लिपिकवर्गीय) कर्मचारियों के एवं राजाज्ञा सं० 5322/15-8-3066/83 दि० 30-11-83 द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा के अंशदान एवं उपादान की धनराशि में बढ़ोत्तरी करने के साथ ही साथ जीवन बीमा निगम को रिस्क प्रीमियम की राशि पर आने वाले लाभांश को निम्नवत् विनियमित किया है :—

(1) कुल रिस्क प्रीमियम की 3 प्रतिशत धनराशि को प्रशासनिक शुल्क हेतु समायोजित किया जायगा तथा बीमित धनराशि के रूप में भुगतान की गयी धनराशि को घटाने के पश्चात् जो धनराशि शेष बचेगी उसके 90 प्रतिशत अंश को जीवन बीमा निगम द्वारा लाभांश के रूप में शासन को भुगतान किया जायगा।

(2) इस प्रकार इस योजनान्तर्गत रुपया 12000/- तक की बीमित धनराशि की धनराशि हेतु रिस्क प्रीमियम की धनराशि पर प्राप्त होने वाली लाभांश की धनराशि पूर्व की भाँति शासन को देय होगी तथा राजकोष में जमा की जायगी।

(3) नवीन योजनान्तर्गत चूँकि बीमित धनराशि 12000/- रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 25000/- एवं 18000/- रुपये की जा रही है, अतः शेष क्रमशः 13000/- एवं 6000/- रुपये की धनराशि हेतु रिस्क प्रीमियम की राशि पर आने वाले लाभांश की धनराशि को शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थायी प्रकृति की तथा मूलतः अनावर्तक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जायेगा। अतः इस हेतु उक्त लाभांश "राज्य शिक्षक कल्याण कोष" में जमा किया जायेगा।

(4) राज्य शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान इस संबंध में मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों का निर्माण कर संबंधित कार्य/कार्यों को अनुशासित करेगा।

(5) लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के प्रति प्राप्त लाभांश की धनराशि को उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु ही विशेष रूप से अलग रक्षित किया जायेगा।

नोट:—अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान एवं कोष के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन माध्यम-6 के वित्तीय खण्ड में दिया गया है।

(11) अवैतनिक अवकाश पर किस्तों की अदायगी

जब कोई कर्मचारी अवैतनिक अवकाश पर चला जाता है या निलम्बित हो जाता है और उस अवधि में उसे कोई धन (वेतनादि के रूप में) देय नहीं होता है तब ऐसी अवधि की सामूहिक जीवन बीमा की किस्तों की धनराशि का समायोजन उसके अवकाश सें वापस आने पर उसे भुगतान होने वाले वेतन से कर ली जायगी। यदि असाधारण अवकाश आदि की ऐसी अवधि, जिसमें उसे कोई अवकाश वेतन देय नहीं होता है, उसकी सेवारत मृत्यु हो जाती है, तो उस अवधि का अभिदान सम्बन्धित लाभार्थी से ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा लिया जायेगा और तभी मृतक से सम्बन्धित दावे का प्रेषण जीवन बीमा निगम को भेजा जायगा।

(12) स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा योजना को कटौती सम्बन्धी निर्देश:—

उ० प्र० शासन ने स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी सामूहिक जीवन बीमा योजना निम्नांकित राजाज्ञाओं द्वारा लागू की है:—

1—स्वायत्त शासन अनुभाग—1 की राजाज्ञा संख्या 195/टी–9–1–77–332-सा०/76 दिनांक 31-3-77 द्वारा नगर पालिका/महापालिका के कर्मचारियों पर।

2—पंचायती राज अनुभाग—1 की राजाज्ञा संख्या 4001 (क)/33-1-76/76 दिनांक 6-7-78 द्वारा जिला परिषदीय कर्मचारियों पर।

उक्त राजाज्ञाओं द्वारा लागू योजनाएँ स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर भी यथावत् लागू हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित इन विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है एवं इनके वेतन भी शिक्षा विभागीय अधिकारियों द्वारा ही पारित किये जाते हैं। अतः स्थानीय निकायों के ऐसे उ० मा० वि० के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा के अंशदान की कटौती करने के सम्बन्ध में लेखाधिकारी/जि० वि० निरीक्षकों को सम्यक जानकारी न होने से विसंगतियाँ पाई गई हैं। जिनके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जा रही है—

(अ) स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उ० मा० वि० के कर्मचारियों पर अशासकीय सहायता प्राप्त उ०मा० विद्यालयों में लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना कदापि लागू नहीं होगी।

(ब) स्थानीय निकायों के विद्यालयों पर उक्त संदर्भित राजाज्ञाएँ इनमें समय-समय पर हुए परिवर्तनों सहित लागू होंगी और उन्हीं के आधार पर सामूहिक जीवन बीमा की कटौती की जायगी ।

(स) इन कर्मचारियों के वेतन वर्गों के लिए निर्धारित सामूहिक जीवन बीमा अंशदान की वास्तविक धनराशि सम्बधित स्थानीय निकाय से ज्ञात करने के उपरान्त —

(द) जिस प्रकार सहायता प्राप्त अशासकीय उ० मा० वि० के वेतन बिल का विस्तृत परीक्षण करके अनुदान स्वीकृत किया जाता है उसी प्रकार इन संस्थाओं को भी जिला बिद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुदान दिया जाता है किन्तु जिला परिषद या नगरपालिका आदि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों की अनुदान देते समय सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि को काटा नहीं जायगा । दूसरे शब्दों में, जो अनुदान स्वीकार किया जायगा उसे देने के बाद सम्बन्धित संस्था के संयुक्त वेतन वितरण खाते में सामूहिक जीवन बीमा का अंशदान भी जमा हो जायगा ।

(य) इन विद्यालयों के वेतन बिल पारित करने के उपलक्ष में जिस प्रकार से संयुक्त वेतन खाते से सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंशदान का एक समेकित चेक बनता है उसी प्रकार सामूहिक जीवन बीमा का भी एक समेकित चेक सम्बन्धित स्थानीय निकाय के मुख्य प्रशासक अधिकारी के नाम बनाकर संयुक्त खाते को परिचालित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जायगा । जो इसे जीवन बीमा निगम को अपने अभिदान सहित जमा करायेंगे ।

यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि इन कर्मचारियों के वेतन बिल पारित करते समय सम्बन्धित बिल पारण अधिकारी द्वारा उनके वेतन से सामूहिक जीवन बीमा के अंशदान की कटौती करना अनिवार्य है केवल उसके जमा करने एवं अनुदान की प्रक्रिया ही उक्तवत अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों से भिन्न होगी ।

2—सम्बन्धित राजाज्ञाएं व निर्देश

रा—18

संख्या 280/पन्द्रह–8-3046 (7)/1975

प्रेषक,

श्री लक्ष्मी कान्त गुप्त,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

शिक्षा (8) अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 1978

विषय—अशासकीय व्यक्तिगत साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मृत्यु उपादान में वृद्धि ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजाज्ञा संख्या 9/1417-15-2007 (13)/75 दिनांक 15 मार्च, 1974 द्वारा अशासकीय व्यक्तिगत साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए 1 मार्च, 1974 से प्रवर्तित सामूहिक जीवन बीमा योजना के अधीन सम्प्रति राजकीय अंशदान के अतिरिक्त उसके प्रत्येक सदस्य को 60/- रुपया वार्षिक निजी अंशदान देना होता है और अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को जीवन बीमा निगम से मृत्यु उपादान के रूप में निम्न-लिखित धनराशि प्राप्त होती है :—

(1) अध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी होने की दशा में रु० 5,000/-

(2) प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य होने की दशा में रु० 7,500/-

उपर्युक्त कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके आश्रितों को अनुमन्य मृत्यु उपादान की धनराशियों में समानता लाने के दृष्टिकोण से शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि 1 मार्च, 1978 से उपर्युक्त विद्यालयों के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को अनुमन्य मृत्यु उपादान की धनराशि बढ़ाकर राज्य कर्मचारियों की भाँति रु० 12,000/- कर दी जाय ।

2. संक्षेप में उपर्युक्तानुसार संशोधित योजना दिनांक 1 मार्च, 1978 से इस प्रकार रहेगी कि इस योजना के प्रत्येक सदस्य को दिनांक 1 मार्च, 1978 से रु० 10/- प्रतिमास की दर से अपना अंशदान देना होगा । प्रत्येक सदस्य का वार्षिक अंशदान रु० 120/- होगा। इसमें से रु० 32/- प्रतिवर्ष प्रीमियम हेतु होगा और शेष रु० 88/- प्रतिवर्ष जीवन बीमा निगम के विशेष निक्षेप प्रशासन लेखा में जमा होगा । प्रीमियम हेतु अध्यापक / कर्मचारी प्रतिमाह लगभग रु० 1·33 अर्थात् लगभग रु० 15·96 वार्षिक प्रति अध्यापक/कर्मचारी की दर से अंशदान शासन को भी देना होगा । इस अंशदान में प्रति दो वर्ष बाद यदि आवश्यक हुआ तो संशोधन किया जा सकता है ।

3. योजना में सम्मिलित सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को मृत्यु उपादान के रूप में जीवन बीमा निगम से रु० 12,000/- की धनराशि प्राप्त होगी ।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त मृत्यु के समय तक निक्षेप प्रशासन लेखे के अन्तर्गत जो धनराशि जमा हो चुकी होगी वह 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर सहित उसे वापस मिल जायेगी ।

5. निवृत्ति-प्राप्ति की अवस्था या सेवा से पृथक किये जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति को निक्षेप प्रशासन लेखे में उस समय तक जमा कुल धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस मिल जायेगी पर यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक होने की दशा को छोड़कर शेष दशाओं में किसी भी प्रकार उस धनराशि से कम न होगी जो कुल अंशदान इस योजनान्तर्गत उस व्यक्ति ने प्रीमियम व निक्षेप लेखे में दिया हो ।

6. इस योजनान्तर्गत वार्षिक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान शिक्षा निदेशक द्वारा जीवन बीमा निगम को त्रैमासिक किस्तों में किया जायेगा ।

7. चूँकि शासन ने इस योजना में मार्च, 1978 से उपर्युक्त अध्यापकों/कर्मचारियों के संबंध में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है, अतएव इस प्रयोजन हेतु मार्च, 78 में जीवन बीमा निगम को देय त्रैमासिक किस्त के रूप में रुपये 37,72,890-00 (रुपया 4,42,890/- राजकीय अंशदान तथा रुपये 33,30,000/- सदस्यीय अंशदान) शासन

द्वारा भुगतान करना होगा। 1977-78 के आय-व्ययक में राजकीय किश्त के भुगतान हेतु केवल रुपये 2,91,575/- का ही प्रावधान उपलब्ध था और सदस्यीय अंशदान उनके वेतन से प्रतिमास ही काटा जाता है पर बढ़े प्रीमियम अध्यापकों/कर्मचारियों के अंशदान हेतु उनके वेतन से कटौती मार्च माह में सम्भव नहीं हैं। अतः राज्य सरकार के अंशदान एवं अध्यापकों/कर्मचारियों के बढ़े प्रीमियम हेतु अनुपूरक मांग द्वारा बचतों की सम्भावना को दृष्टि में रख कर केवल प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है, अतः राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा योजनान्तर्गत आने वाले समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के अंशदान तथा राज्य सरकार के अंशदान के रूप में रु० 37,72,890/- (सैंतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ नब्बे रुपये) की धनराशि (जिसमें 2,91,575 रुपये की उपर्युक्त धनराशि सम्मिलित है) मार्च, 1978 में भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान हेतु स्वीकृत करते हैं। आप कृपया इस धनराशि को 31 मार्च, 1978 तक राजकीय कोष से निकाल लें और बैंक ड्राफ्ट द्वारा इसका अविलम्ब भुगतान जीवन बीमा निगम को कर दें।

8. श्री राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि अगले वर्ष से संबंधित शिक्षा संस्थाओं को देय त्रैमासिक अनुरक्षण अनुदान की किस्त में से अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों का संबंधित मासों का अंशदान रु० 10/- प्रति मास प्रति सदस्य की दर से शिक्षा निदेशक स्वयं काट लिया करें। शिक्षा संस्थाओं की देय त्रैमासिक अनुदान की किस्तों से इस प्रकार कटौती की गई धनराशि एवं राजकीय अंशदान की धनराशि कुल वार्षिक प्रीमियम चुकाने हेतु त्रैमासिक किस्तों में जीवन बीमा निगम को यथासमय प्रेषित कर दिया करें।

9. उपर्युक्त स्वीकृत की गई धनराशि से 33,30,000/- रुपये अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में है। यह धनराशि भी अगले वर्ष मार्च, अप्रैल व मई, 1978 के वेतन भुगतान हेतु देय अनुरक्षण अनुदान की किस्तों से अवश्य कटौती करके वापस करा ली जाय।

10. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1977-78) के आय-व्ययक के लेखा शीर्षक "277 शिक्षा-आयोजनेतर (ख) माध्यमिक शिक्षा IV अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (IV) सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अंशदान के नामे डाला जायेगा तथा व्यय आवश्यकतानुसार बचतों से वहन किया जायेगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा उनके अशासकीय संख्या यू० ओ० ई०–11/1405/दस-78 दिनांक 22 मार्च, 1978 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
लक्ष्मी कान्त गुप्त
उप सचिव

रा—19

संख्या 1270/15–8–3046 (7)/75

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद/लखनऊ ।

शिक्षा (8)अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 मई, 1982

विषय :—अशासकीय व्यक्तिगत साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत मृत्यु उपादान में वृद्धि ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजाज्ञा सं० 9/1417–15–8–2007 (13)/1973 दि० 15 मार्च, 1974 द्वारा अशासकीय व्यक्तिगत साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिये 1 मार्च, 1974 से प्रवर्तित सामूहिक जीवन बीमा योजना, जिसे शासनादेश सं० 280/पन्द्रह–8–3046 (7)/75 दि० 29 मार्च, 1978 द्वारा संशोधित किया गया था, के अन्तर्गत उपर्युक्त विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से दस रुपये प्रति मास की कटौती की जाती थी तथा मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को 12,000 रुपये का मृत्यु उपादान अनुमन्य था । वित्त (बीमा) अनुभाग के शासनादेश सं० बीमा–1 / वस–2 / 80, दि० 19 फरवरी, 1980 द्वारा राजकीय कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजनान्तर्गत मृत्यु उपादान की धनराशि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया है । अतः राज्यपाल महोदय ने सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं लिपिकवर्गीय कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से दि० 1 मार्च, 1982 से उनके आश्रितों को मिलने वाली बीमा धनराशि बढ़ाकर राज्य कर्मचारियों की भाँति 25,000/–रु० करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

2—संक्षेप में उपर्युक्तानुसार संशोधित योजना दि० 1 मार्च, 1982 से इस प्रकार लागू होगी कि प्रत्येक अध्यापक एवं लिपिकवर्गीय कर्मचारी के वेतन से 20 रु० प्रतिमाह की कटौती की जायेगी । मार्च तथा अप्रैल, 82 माह की देय अतिरिक्त धनराशि के बकाया की कटौती चार बराबर किस्तों में की जायगी । इन कर्मचारियों/अध्यापकों द्वारा दिये गये उपर्युक्त अंशदान पर शासन प्रत्येक सदस्य के लिये अंशदान देगा । सदस्यों के वेतन से काटी गयी धनराशि एवं शासन के अंशदान का विनियोजन निम्न प्रकार से किया जायगा :—

(1) रु० 7·42 रिस्क प्रीमियम हेतु कर्मचारी का अभिदान

(2) रु० 12·58 कर्मचारी के बचत प्लान में जमा धनराशि

(3) रु० 1·33 प्रति सदस्य प्रतिमाह शासकीय अंशदान ।

3—इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य के आश्रितों को, यदि सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो गयी है, तो 25,000 रु० की बीमित धनराशि अनुमन्य होगी।

4—अध्यापकों/कर्मचारियों को बचत प्लान में जमा धनराशि का समस्त धन 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भुगतान किया जायगा। परन्तु यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक होने की दशा को छोड़ कर अन्य दशाओं में किसी भी प्रकार उस धनराशि से कम न होगी जो इस योजना के अन्तर्गत कुल अंशदान उस व्यक्ति ने प्रीमियम व निक्षेप लेखों में दिया हो।

5—कुल रिस्क प्रीमियम की 3 प्रतिशत धनराशि को प्रशासनिक शुल्क हेतु समायोजित किया जायगा तथा बीमित धनराशि के रूप में भुगतान की गई धनराशि को घटाने के पश्चात् जो धनराशि शेष बचेगी उसके 90 प्रतिशत अंश को जीवन बीमा निगम द्वारा लाभांश के रूप में शासन को भुगतान किया जायगा।

6—इस योजनान्तर्गत वार्षिक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा जीवन बीमा निगम को पूर्व की भाँति त्रैमासिक किस्तों में किया जायेगा।

7—इस योजना के अन्तर्गत 12,000 रुपये तक की बीमित धनराशि की धनराशि हेतु रिस्क प्रीमियम की धनराशि पर प्राप्त होने वाली लाभांश की धनराशि पूर्व की भाँति शासन को देय होगी तथा राजकोष में जमा की जायगी। परन्तु नवीन योजना के अन्तर्गत चूंकि बीमित धनराशि 12,000 रु० से बढ़ाकर रु० 25,000 की जा रही है, अत: शेष 13 हजार रुपये की धनराशि हेतु, रिस्क प्रीमियम की राशि पर आनेवाले लाभांश की धनराशि की शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थायी प्रकृति की तथा मूलत: अनावर्तक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जायेगा और इस हेतु उसे राज्य शिक्षक कल्याण कोष में जमा किया जायेगा। राज्य शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान इस सम्बन्ध में मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तों का निर्माण कर सम्बन्धित कार्य/कार्यों को अनुशासित करेगा। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के प्रति प्राप्त लाभांश की धनराशि को उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु ही विशेष रूप से पृथक् रक्षित किया जाय।

8—यह नवीन योजना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नहीं लागू होगी। उक्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 280/पन्द्रह–8–3046 (7)/75 दि० 29 मार्च, 1978 में जारी किये गये आदेश यथावत् प्रभावी रहेंगे।

9—यह उल्लेख्य है कि इस शासनादेश द्वारा प्रवर्तित नवीन योजना के अन्तर्गत शासकीय अंशदान की धनराशि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी और वह पूर्ववत् ही रहेगा तथा पूर्व की भाँति वहन किया जायेगा।

10—यह आदेश वित्त विभाग द्वारा उनके अशासकीय सं० ई–11/810–दस–82 दि० 17–5–82 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गोविन्द नारायण मिश्र
उप सचिव।

Office of the Accountant-General, U. P., Allahabad.

No. Deposit (s)/1458 Dated : February, 1984.

To

The Treasury Officer,

1. Dehradun 2. Saharanpur 3. Muzaffarnagar 4. Meerut 5. Bulandshahar 6. Ghaziabad 7. Aligarh 8. Mathura 9. Agra 10. Mainpuri 11. Etah 12. Bareilly 13. Bijnor 14. Moradabad 15. Budaun 16. Rampur 17. Shahjahanpur 18. Kanpur 19. Pilibhit 20. Farrukhabad 21. Etawah 22. Fatehpur 23. Lalitpur 24. Jhansi 25. Allahabad 26. Jalaun 27. Hamirpur 28. Banda 29. Varanasi 30. Mirzapur 31. Jaunpur 32. Ghazipur 33. Ballia 34. Gorakhpur 35. Deoria 36. Basti 37. Azamgarh 38. Lucknow 39. Rae Bareli 40. Unnao 41. Sitapur 42. Hardoi 43. Kheri 44. Faizabad 45. Gonda 46. Nainital 47. Almora 48. Pithoragarh 49. Pauri-Garhwal 50. Narendra Nagar 51. Uttarkashi 52. Chamoli 53. Kanpur Dehat 54. Bahraich 55. Barabanki 56. Pratapgarh 57. Sultanpur.

Sir,

You are authorised to open Personal Ledger Account in favour of District Inspector of Schools at your Treasury so as to facilitate the depositing of Group Insurance money received from L. I. C. and settlement of the claims of the Teaching and Non-Teaching Staff of the Aided Higher Secondary Schools as detailed in GO. No. 3099/15–8–3004(3)/75-Edu. (8), Anubhag, dated 18–1–1980. The Head of Account in operation will be "K-Deposit and Advance (b) Deposit not bearing interest–843–Civil Deposit/Personal Deposit" and the authority competent to operate upon the Personal Ledger Account will be the District Inspector of Schools himself.

The transactions relating to the aforesaid Personal Ledger Account are to be included in the P. L. A. (State) Schedules for onward submission in separate packets to this office.

Yours Faithfully

R. B. P. Tewari

2–3–84

Accounts Officer

No. Deposit (s)/1458–A(2) of Date.

Copy forwarded for information to the District Inspector of Schools :—

(1) Dehradun (2) Saharanpur (3) Muzaffarnagar (4) Meerut (5) Bulandshahar (6) Ghaziabad (7) Aligarh (8) Mathura (9) Agra (10) Mainpuri (11) Etah (12) Bareilly (13) Bijnor (14) Moradabad (15) Budaun (16) Hamirpur (17) Shahjahanpur (18) Pilibhit (19) Farrukhabad (20) Etawah (21) Kanpur (22) Fatehpur (23) Jhansi (24) Allahabad (25) Jalaun (26) Rampur (27) Banda (28) Lalitpur (29) Varanasi (30) Mirzapur (31) Jaunpur (32) Ghazipur (33) Ballia (34) Gorakhpur (35) Deoria (36) Basti (37) Azamgarh (38) Lucknow (39) Rae Bareli (40) Unnao (41) Sitapur (42) Hardoi (43) Kheri (44) Faizabad (45) Gonda (46) Bahraich (47) Sultanpur (48) Pratapgarh (49) Barabanki (50) Nainital (51) Almora (52) Pithoragarh (53) Tehri-Garhwal (54) Pauri-Garhwal (55) Uttarkashi (56) Chamoli (57) Kanpur Dehat.

R. B. P. Tewari
2–3–84
Accounts Officer.

रा—21

संख्या—3099/15–8–3004 (3)/75

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।

शिक्षा (8) अनुभाग/ दिनांक जनवरी 18, 1980

विषय :—सामूहिक जीवन बीमा योजनान्तर्गत दावों के संबंध में बैंक से प्राप्त सुविधा ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं० डिपोजिट (एस)/480, दिनांक 30–7–79 के संदर्भ में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र सं० 7961/पन्द्रह–8–3004 (3)/7 दिनांक 29–6–79 में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए तथा सामूहिक जीवन बीमा योजनान्तर्गत जीवन बीमा निगम से प्राप्त दावों के भुगतान में अवरोध दूर करने तथा अन्य कठिनाइयों के निवारण के प्रयोजन से उक्त दावों के संबंध में राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग—1 के प्रस्तर 340 (बी) (11) (2) के अन्तर्गत प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम पी० एल० ए० खोलने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ताकि जीवन बीमा निगम से प्राप्त चेक उक्त पी० एल० ए० में जमा किये जा सकें और उसी से संबंधित दावेदारों का भुगतान किया जा सके ।

2—आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उपर्युक्तानुसार प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के नाम पी० एल० ए० खोलने तथा उसका संचालन किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करें तथा प्रदेश के समस्त कोषाधिकारियों के नाम आवश्यक अथारिटी निर्गत कराने की कृपा करें।

3—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० ए–1–11982/दस–1979 दिनांक 12–1–80 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गुरुमौज प्रकाश
संयुक्त सचिव

रा—22

सं०—1066 क/33–1–76/76

श्री ब्रजेन्द्र
विशेष सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला परिषदें,
उ० प्र०।

पत्रांक : पंचायतीराज अनुभाग—1 लखनऊ दिनांक 20 मई, 1984

विषय :—जिला परिषद कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०–4001–क/33–1-76/76 दिनांक 6 जुलाई, 1978 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की अधिकांश जिला परिषदों से शासन को इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि जिला परिषदीय कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सामूहिक बीमा हित/लाभ की राशि 12 हजार रु० से बढ़ाकर 25 हजार कर दी जाय। इस सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम से विचार-विमर्श के उपरान्त शासन ने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तदनुसार जिला परिषदें दिनांक 1-8-1984 से अपने कर्मचारियों के वेतन से लिये जा रहे रु० 10/- के स्थान पर रु० 21/-(रुपया इक्कीस मात्र) प्रतिमाह कटौती करेंगी तथा जिला परिषद द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रतिमाह देय अंशदान रु० 1–63 के स्थान पर रु० 1–76 होगा। इस प्रकार की धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देय होगी। यह "रिस्क प्लान खातों में समायोजन" तथा "बचत प्लान खातों में समायोजन" में विभाजित की जायगी।

रिस्क प्लान खातों में जिला परिषद का अंशदान रुपये 1–76 तथा, कर्मचारी का अंशदान रु० 9·08, योग रु० 10.84 होगा तथा बचत प्लान खाते में कर्मचारी का अंशदान 11–92 होगा।

2—आपसे अनुरोध है कि कृपया आप तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ब्रजेन्द्र
विशेष सचिव।

रा—23

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
शिक्षा पेंशन (2) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक पेंशन (2)/2261/52-15 (26)/85-86 दिनांक 10-4-86

विषय:—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक पेंशन (2)/12988-13143/52-14 (1)/ 82-83 दिनांक 23-11-82 (प्रति संलग्न) की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि निम्नलिखित राजाज्ञाओं में अंकित निर्देशों के अनुसार शहरी निकायों (नगरपालिका/नगर महापालिका) द्वारा संचालित एवं जिला परिषदों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिकाओं) के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर सामूहिक जीवन बीमा योजना समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित लागू होगी।

1. स्वायत्त शासन अनुभाग—1 राजाज्ञा संख्या 195 टी०/9-1-77-322 सा० 76 दिनांक 31-3-77 (प्रति संलग्न)
2. पंचायती अनुभाग—1 राजाज्ञा संख्या 4001–क/33-1-76/76 दिनांक 6-7-78

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना कदापि लागू नहीं होगी। स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर उपर्युक्त राजाज्ञायें लागू होंगी और उन्हीं के आधार पर सामूहिक जीवन बीमा की कटौती की जायगी। अत: अपने जिले के स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूचना संलग्न प्रपत्र पर लौटती डाक से भेजने की कृपा करें।

जिले का नाम	विद्यालय का नाम	किस संस्था द्वारा संचालित है (नगरपालिका/नगर महापालिका/जिला परिषद / टाउन एरिया आदि)	सामूहिक जीवन बीमा की कटौती की जा रही है अथवा नहीं । यदि नहीं, तो क्यों ?	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा अंशदान की इस प्रकार की मासिक कटौतियों की सम्पूर्ण धनराशि का बनाया गया समेकित चेक संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य प्रशासक अधिकारी के नाम बनाकर संयुक्त खाते को परिचालित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर सें भेजा जायगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन कर्मचारियों के वेतन वर्गों के लिए निर्धारित सामूहिक जीवन बीमा अंशदान की वास्तविक धनराशि संबंधित स्थानीय निकाय से ज्ञात करके तदनुसार ही कटौती होनी है । निदेशालय में उपलब्ध सूचना के आधार पर सूची संलग्न है । यदि कोई अन्य विद्यालय आपके जिले का छूट गया हो, तो उसकी भी सूचना देने की कृपा करें ।

भवदीय
अशोक कुमार उपाध्याय
सहायक निदेशक (अर्थ/बीमा)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

रा—24

सं० 130/15-8-3052/82

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद ।

शिक्षा (8) अनुभाग/ लखनऊ : दिनांक : 3 मार्च, 1983

विषय :—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू सामूहिक बीमा योजना के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 724/पन्द्रह–8-3051/82, दिनांक 6-7-1982 द्वारा यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका/ नगरमहापालिका) द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर स्वायत्त शासन अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 1195-टी/9-1-77-322-सा०-76 दिनांक 31-3-1977, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा प्रवर्तित सामूहिक बीमा योजना लागू होगी। इसी प्रकार जिला परिषदों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर पंचायतीराज अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 4001—क/33-1-76/76, दिनांक 6-7-1978, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा प्रवर्तित सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू होगी।

2. कतिपय जिला विद्यालय निरीक्षकों ने भ्रमवश इन विद्यालयों के कर्मचारियों से भी जीवन बीमा के अंशदान की कटौती उसी प्रकार की थी जिस प्रकार अन्य अशासकीय सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वे कर रहे थे। संदर्भगत शासनादेश द्वारा ऐसा न करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे और यह कहा गया था कि इन कर्मचारियों के वेतन से शिक्षा विभाग की योजना के अन्तर्गत प्रचलित सामूहिक जीवन बीमा प्रीमियम हेतु अंशदान की कटौती नहीं की जाय।

3. शासन की जानकारी में यह बात आयी है कि इन निर्देशों से पुनः कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है और इन कर्मचारियों के वेतन से सामूहिक जीवन बीमा का अंशदान कटना बन्द हो गया है। यह ठीक नहीं है। प्रत्येक सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जिस प्रकार वेतन बिल का विस्तृत परीक्षण करके अनुदान स्वीकृत किया जाता है, उसी प्रकार इन संस्थाओं को भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुदान दिया जाता है। जिला परिषद या नगर महापालिका आदि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों को यह अनुदान देते समय सामूहिक जीवन बीमा अंशदान की धनराशि को काटा न जाय। दूसरे शब्दों में, जो अनुदान स्वीकार किया जायेगा उसे देने के बाद सम्बन्धित संस्था के संयुक्त वेतन वितरण खाते में जीवन बीमा का अंशदान भी जमा हो जायेगा। इस संयुक्त वेतन खाते में जिस प्रकार सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का एक समेकित चेक बनता है उसी प्रकार सामूहिक जीवन बीमा अंशदान का भी एक समेकित चेक बनेगा।

4. कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत चेक बनेंगे, उनमें सामूहिक जीवन बीमा अथवा भविष्य निधि धनराशि सम्मिलित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्यालय के सभी कर्मचारियों के सामूहिक जीवन बीमा अंशदान की इस प्रकार की गयी मासिक कटौतियों की सम्पूर्ण धनराशि का उक्तवत बनाया गया समेकित चेक सम्बन्धित स्थानीय निकाय के मुख्य प्रशासक अधिकारी के नाम से बनाकर संयुक्त खाते को परिचालित करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर से भेजा जायेगा।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन कर्मचारियों के वेतन वर्गों के लिए निर्धारित सामूहिक जीवन बीमा अंशदान की वास्तविक धनराशि सम्बन्धित स्थानीय निकाय से ज्ञात करके तदनुसार ही कटौती होनी है।

6. कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
गोविन्द नारायण मिश्र
संयुक्त सचिव।

रा—25

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
शिक्षा पेंशन (2) अनुभाग,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
2—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3—जिला बालिका बिद्यालय निरीक्षका, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक : पेंशन (2)/12988–13143/52–14 (1)/82–83 दिनांक 23–11–82

विषय :—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 724/पन्द्रह–8–3051/82 दिनांक 6–7–82 (प्रतिलिपि संलग्न है) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर निवेदन है कि उक्त राजाज्ञा में स्पष्ट स्थिति के अनुसार शहरी निकायों (नगर पालिका/नगर महापालिका) द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर स्वायत्त शासन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 195 टी/9–1–77–322–सा०–76 दिनांक 31–3–77 द्वारा प्रवर्तित सामूहिक बीमा योजना समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित लागू होगी तथा जिला परिषदों द्वारा संचालित उ० मा० वि० के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर पंचायतीराज अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 4001-क/33/1/76 दिनांक 6–7–78 द्वारा प्रवर्तित सामूहिक बीमा योजना समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित लागू होगी । सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेश संख्या 195 टी/9–1–77–322–सा०–76 दिनांक 31–3–77 की प्रति संलग्न है । पंचायतीराज अनुभाग की कथित राजाज्ञा दिनांक 6–7–78 निदेशालय में उपलब्ध नहीं है । इसकी माँग शासन से की गयी है और प्राप्त होने पर आपको उपलब्ध करायी जायगी ।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त राजाज्ञाओं के परिप्रेक्ष्य में शहरी निकायों तथा जिला परिषदों द्वारा संचालित उ० मा० वि० के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामूहिक जीवन बीमा योजनान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें जैसा कि संलग्न राजाज्ञा दिनांक 6–7–82 के प्रस्तर–4 में अपेक्षित है ।

2. शासन की संलग्न राजाज्ञा से यह भी स्पष्ट होगा कि शासनादेश संख्या 9/1417-12-2007 (13)-73 दिनांक 15-3-74 निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ/25872-973/10-19/1973-74 दिनांक 29-3-74 द्वारा आपको भेजी जा चुकी है; इसके द्वारा स्वीकृत सामूहिक जीवन बीमा योजना व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर ही लागू होगी, किन्तु सम्भव है कि संलग्न शासनादेश के प्रस्तर–3 में वर्णित स्थिति के अनुसार इस राजाज्ञा के अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों से भी अभिदान की कटौती कर ली गयी हो । उक्त स्थिति में कटौती की धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी को समस्त देय लाभों के साथ वापस की जायगी । अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने

जनपद के स्थानीय निकायों/जिला परिषदों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त कर लें कि उक्त विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन से शासनादेश संख्या 9/1417-12-2007 (13)-73 दिनांक 15-3-74 द्वारा लागू सामूहिक जीवन बीमा योजनान्तर्गत अभिदान की कटौती तो नहीं की गयी और यदि की गयी है तो उसके वर्षवार विवरण निम्न रूप-पत्र पर निदेशालय को प्राथमिकता के आधार पर 15-12-82 तक अवश्य उपलब्ध कराने की कृपा करें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में इस शासनादेश के द्वारा लागू योजनान्तर्गत उनके वेतन से अभिदान की कटौती न की जाय ।

रूप-पत्र

जनपद का नाम	विद्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम	पद	कटौती का वर्ष अवधि सहित	किस दर से कटौती की गयी	वर्ष में कटौती की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

भवदीय

बी० पी० खण्डेलवाल

संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

सूची

नगरपालिका/नगर महापालिका द्वारा संचालित उ० मा० विद्यालय

क्रम सं० **विद्यालय का नाम**

1—म्यूनिसिपल इंटर कालेज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद
2—नगर महापालिका इंटर कालेज, कानपुर
3—नगरपालिका इंटर कालेज, औरइया, इटावा
4—नगरपालिका बालिका उ० मा० विद्यालय, मऊरानीपुर, झाँसी
5—सरदार पटेल इंटर कालेज, चिरगाँव, झाँसी
6—वी० एन० उ० मा० विद्यालय, ललितपुर
7—नगरपालिका उ० मा० विद्यालय, ककराना (बदायूँ)
8—म्यूनिसिपल इंटर कालेज, सीतापुर
9—एम० एम० इंटर कालेज, नगीना, बिजनौर
10—नगरपालिका बालिका उ० मा० वि०, रामघाट, वाराणसी
11—म्यूनिसिपल इंटर कालेज, मुगलसराय, वाराणसी
12—म्यूनिसिपल उ० मा० विद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर
13—पी० वी० म्यूनिसिपल इंटर कालेज, हरिद्वार, सहारनपुर
14—आनन्दमयी सेवासदन म्यूनिसिपल महिला इंटर कालेज, हरिद्वार, सहारनपुर
15—नगरपालिका बालिका इंटर कालेज, मुजफ्फरनगर
16—सन्त तुलसीदास म्यूनिसिपल इंटर कालेज, सोरों, एटा
17—सरदार पटेल म्यूनिसिपल इंटर कालेज, मेरठ
18—कस्तूरबा गाँधी इंटर कालेज, भोगाँव, मैनपुरी
19—नगरपालिका इंटर कालेज, कोसी कलाँ, मथुरा।

जिला परिषद द्वारा संचालित उ० मा० विद्यालय

1—जिला परिषद उ० मा० वि० औंता, इलाहाबाद
2—जिला परिषद उ० मा० विद्यालय, पश्चिम शरीरा, इलाहाबाद
3—जिला परिषद उ० मा० विद्यालय, दोहथा, इलाहाबाद
4—जिला परिषद उ० मा० विद्यालय, मानपुर, इलाहाबाद
5—जिला परिषद उ० मा० विद्यालय, उग्रसेनपुर, इलाहाबाद
6—जिला परिषद बालिका उ० मा० विद्यालय, सिरसा, इलाहाबाद
7—जिला परिषद इंटर कालेज, मुरादगंज, इटावा
8—जिला परिषद बालिका इंटर कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी
9—जिला परिषद उ० मा० विद्यालय, लखीमपुर-खीरी
10—जिला परिषद उ० मा० विद्यालय, खुदागंज, शाहजहाँपुर
11—जिला परिषद उ० मा० वि०, उल्यदन, झाँसी।

रा—26

सं० 724/15–8–305/82

प्रेषक,

श्री गोविन्द नारायण मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (8) अनुभाग/ लखनऊ : दिनांक 6 जुलाई, 1982

विषय :—स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर लागू सामूहिक बीमा योजना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 9/1417–12–2007(13)–73 दिनांक 15 मार्च, 1974 द्वारा सर्वप्रथम सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू की गयी थी, जिसे बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया है। यद्यपि यह योजना केवल व्यक्तिगत प्रबन्धाधिकरणों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिये ही थी, और स्थानीय निकायों/जिला परिषदों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की इस योजना से आवृत्त किये जाने का मन्तव्य नहीं था, तथापि शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित कतिपय विद्यालयों के कर्मचारियों से भी उपर्युल्लिखित राजाज्ञा के अन्तर्गत प्रीमियम अभिदान की कटौती कर ली गयी है तथा एक लम्बे समय से कतिपय क्षेत्रीय अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं रहा है कि इस श्रेणी के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारी शिक्षा विभाग की उपर्युल्लिखित राजाज्ञा से आवृत्त होंगे, अथवा स्वायत्त शासन/पंचायतीराज विभागों की सामूहिक बीमा योजना से।

2—इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के आशय से मुझे यह कहना है कि शहरी निकायों (नगरपालिका/ नगर महापालिका) द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर स्वायत्त शासन अनुभाग (क) के शासनादेश संख्या 195 टी/9–1–77–322–सा०–76 दिनांक 31–3–77, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा प्रवर्तित सामूहिक बीमा योजना लागू होगी। इसी प्रकार जिला परिषदों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर पंचायतीराज अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 4001–क/33–1–76/76 दिनांक 6 जुलाई, 1978, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है द्वारा प्रवर्तित सामूहिक बीमा योजना लागू होगी।

3—चूँकि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट नहीं थी, अतः सम्भव है कि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित कतिपय सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कतिपय कर्मचारियों के वेतन से शिक्षा विभाग के शासनादेशों के अन्तर्गत प्रीमियम के अभिदान को कटौती कर ली गयी हो तथा वह धनराशि जीवन बीमा निगम को भुगतान कर दी गयी हो। ऐसे मामलों में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से उक्त श्रेणी के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों द्वारा शिक्षा विभाग की योजना के अन्तर्गत दिये गये अभिदान की धनराशि का निर्धारण करके उक्त धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों को समस्त देय लाभों के साथ, यदि कोई हो, तो वापस कर दें तथा भविष्य में इन कर्मचारियों के वेतन से शिक्षा विभाग की योजना के अन्तर्गत प्रचलित सामूहिक जीवन बीमा के बीमा प्रीमियम हेतु अभिदान की कटौती न की जाय। इस प्रकार अध्यापकों को वापस की जाने वाली धनराशि का निर्धारण करके, शिक्षा निदेशक उक्त धनराशि को भारतीय जीवन बीमा निगम को त्रैमासिक किस्त के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि से काट कर सम्बन्धित अध्यापकों को भुगतान कर देंगे।

4—स्थानीय निकायों/जिला परिषदों द्वारा संचालित सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से स्वायत्त शासन अनुभाग–1 द्वारा निर्गत उपर्युल्लिखित शासनादेश दिनांक 31–3–77 तथा पंचायतीराज अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 6–7–78, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नगरपालिका/नगर महापालिका तथा जिला परिषदों के अधिकारियों द्वारा प्रीमियम हेतु अभिदान की कटौती की जायगी तथा सम्बन्धित बीमा योजना के अन्तर्गत ही, मृत्यु की दशा में, बीमित धनराशि का भुगतान किया जाय।

5—आप कृपया उपर्युक्त प्रस्तर–3 व 4 में उल्लिखित व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
गोविन्द नारायण मिश्र
उप सचिव

रा—27

सा० 195/टी–9–1–77–322

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
स्वायत्त शासन विभाग,
सचिवालय, लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रशासक, समस्त नगरपालिकायें, उ० प्र०
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ० प्र०
3. अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी, समस्त नगरपालिकायें, उ० प्र०

स्वायत्त शासन विभाग, लखनऊ, दिनांक 31 मार्च, 1977

विषय :—स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना ।

महोदय,

प्रदेश की पाँच नगरमहापालिकाओं को छोड़कर अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये इस समय पेंशन, आनुतोषिक तथा परिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है । उनके वेतनमान भी राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों की अपेक्षा कुछ निम्न स्तर के हैं । इस प्रकार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति राज्य कर्मचारियों से तुलनीय नहीं है । सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को नियमानुसार प्राप्त होने वाली प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि को स्वीकृत करने के उपरान्त भी आर्थिक कठिनाई बनी रहती है । इन कठिनाइयों को किसी सीमा तक दूर करने के उद्देश्य से शासन ने भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किये जाने का निश्चय किया है । राज्य कर्मचारियों को यह योजना दिनांक 1 मार्च, 77 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने सिद्धान्त रूप से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है । प्रारम्भ में इस योजना को प्रदेश की महापालिकाओं/विकास प्राधिकरणों/प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं के सभी पूर्णकालिक एवं नियमित कर्मचारियों तथा केन्द्रीय लियन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर दिनांक 31 मार्च, 77 से लागू करने का निर्णय लिया गया है । बाद में धीरे-धीरे इस योजना को अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर शासनादेश द्वारा लागू किया जा सकेगा । फिलहाल जिन कर्मचारियों पर यह योजना लागू की जा रही है उनकी अनुमानित संख्या 62,412 है ।

2—इस योजना की मुख्य बातें नीचे अंकित हैं :—

(1) भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक जीवन बीमा योजना के अनुसार प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को 10/- प्रतिमाह की दर से अभिदान देना होगा । इस अभिदान पर स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण प्रत्येक कर्मचारी के लिए लगभग रुपया 1-63 पैसे प्रतिमाह की दर से अपना अंशदान निगम को देंगी । इस प्रकार यह धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम को देय होगी । यह रिस्क प्लान के प्रीमियम तथा डिपाजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान में विभाजित की जावेगी । रिस्क प्लान के लिए रुपया 54-60 पैसे प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी तथा डिपाजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान के लिए रुपया 85–86 पैसे प्रति कर्मचारी के आधार पर प्रीमियम की दरें निर्धारित की जायेंगी ।

(2) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस योजना के निमित्त अपना मासिक अभिदान देय होगा चाहे वह ड्यूटी पर हो चाहे अवकाश पर हो अथवा निलम्बित हो । अवकाश की अवधि तथा निलम्बन की अवधि में निगम द्वारा उनका रिस्क यथावत् आरक्षित रहेगा । इसलिए उक्त अवधियों में भी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अभिदान दिया जाना आवश्यक है ।

3—अधिकारी/कर्मचारी का अभिदान प्रत्येक माह में उसके वेतन से उसका भुगतान करते समय सम्बधित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकारण द्वारा काट लिया जायगा । यह कटौती वेतन बिलों में उसी प्रकार प्रदर्शित की जायगी जिस प्रकार कर्मचारियों के प्रा० फण्ड के संबंध में कटौती प्रदर्शित की जाती है । इसके लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/सचिव द्वारा प्रत्येक वेतन बिल पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिया जायगा कि वेतन बिल में दिखलायी गयी अल्पकालीन रिक्तियों में नियुक्त कर्मचारियों तथा अस्थायी रोड गैंग व अस्थायी सफाई गैंग के कर्मचारियों तथा कार्य प्रसारित एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों को छोड़कर शेष समस्त कर्मचारियों के वेतन से 10 रु० प्रति माह की कटौती कर ली गयी है और कटौती की कुल

धनराशि प्रथम पृष्ठ पर सामूहिक बीमा योजना के रूप में दिखायी गयी है। जिन अधिकारियों के वेतन बिल अलग से बनाये जाते हैं उनके वेतन बिलों में भी यह कटौती बिलके पृष्ठ पर प्रदर्शित की जायगी। कटौती की गयी धनराशि स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकारण की निधि से नहीं निकाली जायगी बल्कि इसे सम्बन्धित निकाय/विकास प्राधिकारी कोष में आय-स्वरूप जमा रहने दिया जायगा। इस धनराशि को समयोपरान्त संबंधित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण को प्राप्त होने वाले राज्य सहायता के बिलों से तदनुसार कटौती करके जिलाधिकारी द्वारा जमा कर लिया जायगा।

4. स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरण कर्मचारियों के महँगाई भत्ते के लिए राज्य सहायता के मासिक बिलों के साथ सब-पैरा–3 में निहित संबंधित वेतन बिलों की तीन प्रतियाँ संलग्न करके उन्हें प्रति माह जिलाधिकारी के समक्ष प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी राज्य सहायता के मासिक बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करते समय कर्मचारियों के अभिदान तथा संबंधित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अभिदान की धनराशि राज्य सहायता के बिल से काट लेंगे और इन धनराशियों को निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ के नाम हस्तान्तरित कर देंगे तथा राज्य सहायता के बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के दिनांक से तीन दिन के अन्दर जमा कर देंगे। निदेशक, स्थानीय निकाय अगले माह के प्रारम्भ में इस प्रकार काटा गया सारा धन जीवन बीमा निगम को दे देंगे। राज्य सहायता के बिलों के साथ स्थानीय निकायों/विकास प्राधिकरणों में प्राप्त वेतन बिलों की तीन प्रतियों में जिलाधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र अंकित किया जायगा कि बिलों से कटौती की गयी धनराशि अमुक ट्रेजरी चालान संख्या द्वारा स्टेट बैंक/कोषागार में अमुक तिथि को लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दी गई है। वेतन बिल की एक प्रति संबंधित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण को वापस कर दी जायगी। दूसरी प्रति सम्बन्धित ट्रेजरी चालान-सहित शासन को जमा होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर पंजीकृत डाक से भेज दी जायगी।

5. प्रत्येक स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह की 10 तारीख तक इन कटौतियों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्र पर शासन को दो प्रतियों में प्रेषित करेंगे।

6. सब-पैरा (4) में निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में जमा की गयी धनराशियों का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर कोषाधिकारियों/स्टेट बैंक द्वारा भी शासन को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा।

7. जिलाधिकारियों/स्थानीय निकायों/बिकास प्राधिकरणों तथा कोषाधिकारियों/स्टेट बैंक से जमा की गयी धनराशि का मासिक विवरण प्राप्त हो जाने पर शासन द्वारा इस धनराशि का मिलान करके यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का अभिदान व अंशदान सही लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

8. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हों उनके बारे में संबंधित वाह्य सेवायोजन अथवा उस शासन द्वारा जिसके अधीन यह कार्य कर रहे हैं 10/- प्रति माह अभिदान की कटौती उनके वेतन से की जायगी तथा इस धनराशि को तुरन्त निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करके ट्रेजरी चालान सं० उ० प्र० शासन को भेजी जायगी। इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण अर्थात् कर्मचारी का नाम, वाह्य सेवायोजन/शासन के अधीन ग्रहण किया गया पद, विभाग का नाम, ट्रेजरी चालान सं०, विभाग तथा ट्रेजरी का नाम देते हुए यह सूचना संबंधित वाह्य सेवायोजक/संबंधित राज्य शासन द्वारा उस अधिकारी/कर्मचारी के संबंधित निकाय/विकास प्राधिकारी तथा जिलाधिकारी को भेजी जायगी। ऐसे कर्मचारियों के मामलों में स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकारी के अंशदान की

धनराशि अर्थात् रुपया 1-63 पैसे प्रति माह प्रति व्यक्ति जिलाधिकारी द्वारा राज्य सहायता के बिलों से काटकर लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी और इसकी सूचना अन्य कटौतियों की भाँति शासन को प्रेषित की जायेगी ।

9. निदेशक, स्थानीय निकाय जिस मास भुगतान देय हो उसके प्रथम दिनांक से 15 दिन के भीतर निगम को प्रति मास अग्रिम रूप से एकमुश्त भुगतान करेंगे जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों का अभिदान तथा स्थानीय निकायों के अंशदान की कुल धनराशि सम्मिलित होगी । ऐसा भुगतान समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में, जिसके अन्तर्गत निलम्बित या बिना वेतन की छुट्टीवाले कर्मचारी भी हैं, किया जायेगा ।

10. सेवारत मृत्यु होने की दशा में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की जिसने अपना अभिदान दिया है रुपया 12,000/- की दर से उसके परिवार को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा धन प्राप्त होगा । सेवानिवृत्त होने की दशा में अथवा अन्य किसी कारण से सेवा से पृथक होने की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की (डिपाजिट एडमिनिस्ट्रेशन प्लान के अन्तर्गत) उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि को 6% चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर वापस किया जायेगा । सेवानिवृत्त होने पर अधिकारी/कर्मचारी को इसी मद से कम से कम इतनी ही धनराशि अवश्य ही वापस होगी जो उससे उसकी सेवा-अवधि में उसके वेतन से काटी गयी है । सेवारत मृत्यु होने की दशा में मृतक के परिवार को 12,000/- बीमा धन के अतिरिक्त इस मद की धनराशि भी प्राप्त होगी ।

11. भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी योजना के अनुसार 10% प्रशासनिक व्यय तथा प्रासंगिक व्यय के अतिरिक्त बीमा धन की और भुगतान की गयी धनराशि मिलाकर "रिस्क प्रीमियम" की कुल धनराशि में से जो शेष धनराशि बचती हो, उसमें 90% से लाभांश प्रति वर्ष शासन को लौटायेगा । शासन को प्राप्त होने वाले लाभांश की धनराशि का एक अलग फण्ड स्थापित किया जायेगा और इसका उपयोग सम्बन्धित स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण की कल्याणकारी योजनाओं में किया जायगा ।

12. अधिकारी/कर्मचारी की सेवारत मृत्यु होने पर यह आवश्यक होगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम को कर्मचारी की मृत्यु का दिनांक, स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण का नाम जहाँ सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत था आदि का विवरण तुरन्त ही सूचित कर दिया जाय । यह कार्यवाही मृतक कर्मचारी की अन्तिम कार्यरत स्थानीय निकाय/निकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/सचिव द्वारा की जायेगी । संबंथित स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/सचिव आवश्यक प्रमाण देते हुए बीमा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्रों आदि पर जिलाधिकारी/निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के माध्यम से बीमा निगम को भेजने और बीमा निगम जिलाधिकारी/निदेशक स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के आधार पर बीमा धनराशि तथा मृतक कर्मचारी द्वारा की गयी वापस होने वाली धनराशि का भुगतान मृतक के परिवार अथवा जिलाधिकारी को दिये जाने की व्यवस्था करेगा ।

13. भारतीय जीवन बीमा निगम को समन्वयीकरण निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश करेंगे ।

14. इस योजना से सम्बन्धित नियमावली अलग से भेजी जायगी ।

15. मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों में इस योजना का प्रसार भलीभाँति करायें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी का अभिदान तथा स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण का अंशदान नियमित रूप से जमा होता रहे ।

भवदीय,
पी० आ० व्यास
आयुक्त एवं सचिव

रा—28

संख्या 4140/15(5)–82–475/75

प्रेषक,

श्री बसन्त बल्लभ पाण्डे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ ।

शिक्षा (5) अनुभाग/ दिनांक : लखनऊ 30 जून, 1982

विषय :—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों एवं अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा की धनराशि का बढ़ाया जाना ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या 1794/15(5) 78–475/76, दिनांक 28 मार्च, 1978 की ओर आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में निर्गत आदेशों तथा शर्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन समस्त नियमित रूप से कार्यरत अध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1 फरवरी, 1978 से जीवन बीमे की धनराशि रु० 12,000 कर दी गयी थी और तदनुसार सामूहिक जीवन बीमा योजना परिषदीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू थी । शासन द्वारा जब से राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत मृत्यु उपादान की धनराशि को रु० 12,000 से बढ़ाकर रु० 25,000 किया गया है तब से बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी भी जीवन बीमा की धनराशि को बढ़ाये जाने की माँग करते रहे हैं । शासन ने उनकी इस माँग को सम्यक् रूप से विचारोपरान्त और भारतीय जीवन बीमा निगम से सहमति प्राप्त करने के उपरान्त यह निर्णय किया है कि वर्तमान प्रचलित जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी (वर्ग घ) के कर्मचारियों के अतिरिक्त शेष सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में 1 फरवरी, 1982 से जीवन बीमा की धनराशि रु० 12,000 से बढ़ाकर रु० 25,000 निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कर दी जाय :—

(1) यह योजना 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के मध्य के उपर्युक्त श्रेणी के नियमित रूप से कार्यरत समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगी ।

(2) इस योजना के प्रत्येक सदस्य को 20 रु० प्रति माह की दर से अपना अंशदान देना होगा । प्रत्येक सदस्य का वार्षिक अंशदान रु० 240 होगा । प्रीमियम हेतु प्रति कर्मचारी प्रति माह 1–09 पैसे अर्थात् रु० 13–08 पैसे वार्षिक की दर से शासन द्वारा अंशदान दिया जायेगा । कर्मचारियों के रु० 20 मासिक अंशदान में से रु० 7–16 प्रतिमाह रिस्क प्रीमियम होगा और शेष रु० 12–84 प्रति मास जीवन बीमा निगम के विशेष निक्षेप प्रशासन लेखा में जमा किया जायेगा ।

(3) प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को जीवन बीमा निगम द्वारा रु० 25,000 की धनराशि प्राप्त होगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त मृत्यु के समय तक निक्षेप प्रशासन लेखे के अन्तर्गत जो धनराशि जमा हो चुकी होगी वह भी 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसे वापस मिल जायेगी।

(4) सेवानिवृत्ति-प्राप्ति की अवस्था या सेवा से पृथक् किये जाने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति को निक्षेप प्रशासन लेखा में उस समय तक जमा कुल धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस मिल जायेगी किन्तु यह धनराशि सेवा से स्वयं पृथक् होने की दशा को छोड़कर शेष दशाओं में किसी भी प्रकार उस धनराशि से कम न होगी जो कुल अंशदान इस योजनान्तर्गत उस व्यक्ति ने प्रीमियम व निक्षेप लेखों में दिया है। ब्याज की उपर्युक्त दर में भविष्य में जीवन बीमा निगम द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) उ० प्र० बेसिक स्कूल अध्यापक (बचत एवं बीमा) नियमावली, 1976 के अन्य उपबन्ध लागू रहेंगे।

(6) इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक प्रीमियम की धनराशि का भुगतान शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को मासिक किस्तों में किया जायेगा।

(7) शिक्षणेतर कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी (वर्ग) के कर्मचारियों पर उपर्युक्त शासनादेश संख्या 1794/15 (5) 78–475/76 दिनांक 28 मार्च, 1978 के अनुसार जीवन बीमा की धनराशि रु० 12,000 ही रहेगी और उन पर उक्त शासनादेश में वर्णित शर्तें व अनुबन्ध यथावत् रहेंगे।

3—इस योजना के अन्तर्गत रु० 12,000 तक की बीमित धनराशि हेतु रिस्क प्रीमियम की धनराशि पर प्राप्त होने वाली लाभांश की धनराशि पूर्व की भाँति शासन को देय होगी तथा राजकोष में जमा की जायेगी किन्तु शेष रु० 13,000 की धनराशि हेतु रिस्क प्रीमियम की राशि पर अनुमन्य लाभांश की धनराशि को शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की स्थायी प्रकृति की तथा मूलतः अनावर्तक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया जायेगा। अध्यापकों के संबंध में यह लाभांश राज्य शिक्षक कल्याण कोष में जमा किया जायेगा। राज्य शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान इस संबंध में मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तों का निर्धारण कर कल्याणकारी कार्यक्रमों को अनुशासित करेगा। शिक्षणेतर कर्मचारियों के विषय में प्राप्त लाभांश को उनके कल्याणकारी कार्यक्रमों हेतु ही विशेष रूप से पृथक् रक्षित करके व्यय किया जायेगा।

4—राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि 1 अगस्त, 1982 के उपरान्त योजना के अन्तर्गत आनेवाले समस्त अध्यापक एवं कर्मचारियों के वेतन से रु० 20/- प्रति सदस्य की दर से अध्यक्ष, बेसिक परिषद उ०प्र० के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया करे। इस प्रकार की कटौती जुलाई 1982 मास के वेतन से जो अगस्त 1982 में देय होगी आरम्भ होगी। चूँकि पूर्व स्वीकृत योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा की रु० 12,000 की धनराशि के लिए अध्यापकों और कर्मचारियों का अंशदान रु० 10 प्रतिमास प्रत्येक कर्मचारी के जनवरी से जून 1982 मास के वेतन से जिनका भुगतान फरवरी से जुलाई 1982 तक होगा लागू किया जा रहा है और अध्यापकों एवं कर्मचारियों का अंशदान रु० 20 प्रति मास जो उनके जनवरी से जून 1982 के मास के वेतन से काटा जाना संभव नहीं था अतः उक्त 6 मास का अतिरिक्त बकाया अंशदान रु० 60 प्रति कर्मचारियों की दर से भी उनके जुलाई से दिसम्बर 1982 के मास के वेतन से, जिसका भुगतान अगस्त 1982 से जनवरी, 1983 तक होगा, रु० 10 प्रति मास की दर से काट दिया जाय अर्थात् अगस्त 1982 से जनवरी 83 तक देय वेतन से 30–30 रु० कटौती होगी किन्तु उसके पश्चात् के मास से केवल 20 रु० प्रति मास कटौती होगी।

4—यह उल्लेखनीय हैं कि इस शासनादेश द्वारा परिवर्तित नवीन योजना के अन्तर्गत शासकीय अंशदान की धनराशि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी और पूर्ववत् ही रहेगा तथा पूर्व की भाँति वहन किया जायेगा ।

5—यह आदेश वित्त विभाग द्वारा उनके अशासकीय सं० ई–11/183/दस–82 दिनांक 28 जून, 1982 में प्राप्त सहमति द्वारा जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

बसन्त बल्लभ पाण्डे
संयुक्त सचिव

प्र—29

दावे का फार्म

उत्तर प्रदेश के साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं कर्मचारियों के लिए बचत एवं बीमा योजना ।

दावे का फार्म (तीन प्रतियों में प्रेषित किया जाय)

1—अध्यापक का नाम :

2—पद :

3—विद्यालय का नाम :

4—जन्म तिथि :

5—(क) क्या सदस्य 1—3—74 को सेवा में था ?

(ख) यदि नहीं, नियुक्ति की तिथि दी जाय :

6—क्या सदस्य सेवा से पृथक् होने के समय नौकरी में था :

7—सेवा से पृथक् होने का कारण :
(मृत्यु / सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / सेवासमाप्ति)

8—सेवा से पृथक् होने की तिथि :

9—मृत्यु के मामले में :

दावेदार (क) नाम :

(ख) पता :

(ग) सम्बन्ध :

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी व विश्वास है, उपर्युक्त विवरण सही है ।

उपर्युक्त वर्णित योजना के अधीन प्राप्य अपने सम्पूर्ण दावों एवं माँगों की कुल धनराशि संस्तुति के साथ शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से रुपया (शब्दों में)..........................प्राप्त किया ।

दिनांक : दावेदारों के हस्ताक्षर

स्थान :

गवाह : नाम :

पता :

प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी व विश्वास है, उपर्युक्त विवरण सही है ।

स्थान : प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

दिनांक : विद्यालय का पता

प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी व विश्वास है, उपर्युक्त विवरण सही है ।

स्थान : जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक : पद व पते की मुहर

● स्वमूल्यांकन

'मैं दिन में अनेकबार अपने को याद दिलाता हूं कि मेरा आन्तरिक एवं बाह्य जीवन अनेक जीवित और मृत भाइयों के श्रम पर निर्भर है। इसलिए मुझे स्वयं इतना श्रम करना चाहिए कि मैं दूसरों को उतना दे सकूं जितना मैंने उनसे पाया है, और पा रहा हूँ" प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का उक्त कथन हमको, आपको, सबको स्वमूल्यांकन की प्रेरणा देता है।

परिशिष्ट

राजकीय भवनों का निर्माण एवं मरम्मत

राजकीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत आदि कार्यों को वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–पांच, भाग-1 के अनुच्छेद 262 के तहत मूलतः दो भागों में बांटा गया है :—

पहला : मूल निर्माण कार्य (ओरिजिनल **वर्क्स**) जिसमें वे सभी नये निर्माण कार्य अथवा भवनों के विस्तार कार्य सम्मिलित हैं जिनके कारण भवनों **की** पूंजीगत लागत (कैपिटल वैल्यू) बढ़ जाती है। नये क्रय किये गये अथवा पहले से उपलब्ध ऐसे भवन जिन्हें उपयोगी बनाने हेतु विशेष मरम्मत कराया जाना है, को भी मूल कार्य (ओरिजिनल **वर्क्स**) की श्रेणी में रखा जाता है।

दूसरा : मरम्मत या भवनों के रख रखाव के अन्तर्गत वे सभी कार्य आते हैं जो भवनों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक होते हैं।

उक्त नियमों के अन्तर्गत छोटे कार्य वे हैं जिनकी लागत रु० 20,000/- है। लघु कार्य (माइनर **वर्क्स**) वे हैं जिनकी लागत 20 हजार रुपये से अधिक और रु० 1,00,000/- से कम होती है तथा बड़े कार्य वे हैं जिनकी लागत रु० 1,00,000/- से अधिक होती हैं।

2. इस सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या ए-2-687/दस-24 (18)/85, दिनांक 19-10-1985 द्वारा छोटे कार्य (पेटी **वर्क्स**), लघु कार्य (माइनर वर्क्स) एवं बड़े कार्य (मेजर वर्क्स) की लागत सीमा क्रमशः 20,000/- से बढ़ा कर 1,00,000/-, रु० 1,00,000/- से बढ़ाकर रु० 2,00,000/- तथा रु० 2,00,000/- से ऊपर कर दिया गया हैं। साथ ही यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि रु० 50,000/- से ऊपर के पेटी **वर्क्स** का निष्पादन विभागीय स्तर से न करा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा अन्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही कराया जायेगा।

3. यह भी उल्लेखनीय हैं कि उक्त बढ़ी हुई सीमा के पेटी वर्क्स (छोटे कार्य) को रु० 20,000/- से रु० 50,000/- की सीमा में विभागीय स्तर से कराये जाने हेतु शासन के वर्तमान नियमों में संशोधन अभी तक नहीं किया गया हैं जिसके कारण राजाज्ञा संख्या 3148/दस-35 एसी-12 सा०नि०वि०-9, दिनांक 14-12-1972 द्वारा विभागाध्यक्षों को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत प्रत्येक आवासीय भवनों के मामले में रु० 20,000/- तथा विद्युतीकरण के कार्यों के लिए प्रत्येक मामले में रु० 2,000/- की सीमा तक लघु और छोटे कार्यों का सम्पादन वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–पांच, भाग-1 के पैरा 292 से 296 तक दी गई परिसीमाओं और शर्तों के अधीन कराया जाता है अथवा सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य कराने हेतु धनाबंटन किया जाता है।

4. उक्त उल्लिखित वित्तीय नियम संग्रह के पैरा 292 से 296 के तहत विभागाध्यक्ष को निम्नांकित कार्यों के सम्पादनार्थ बजट में उपलब्ध प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत धनाबंटन/स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है :—

1. छोटे-मोटे निर्माण कार्यों/मरम्मत कार्यों के निष्पादन के लिए अनुमान स्वीकृत करना।
2. वार्षिक तथा विशेष मरम्मतों के लिए स्थानीय अधीनस्थ अधिकारियों को निधियाँ आबंटित करना और प्रत्येक भवन पर व्यय किये जाने की धनराशि नियमन करना—उक्त नियमावली के अध्याय 13 के नियमों के अधीन।
3. आवासीय भवनों का किराये का अस्थायी विवरण पत्र स्वीकृत करना—उक्त नियमों के पैरा 279 में दी गई शर्तों के अधीन।

4. भवनों में बिजली लगाने से सम्बन्धित समस्त निर्माण कार्यों के लिये अनुमान स्वीकृत करना—उक्त नियमों के पैरा 277 में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन मरम्मत/विशेष मरम्मत के कार्यों को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–पांच, भाग-1 के पैरा 270 के अन्तर्गत निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है :—

(1) **वार्षिक मरम्मत** : जो प्रति वर्ष भवनों की सफेदी, रंगाई, छत के लीकेज की मरम्मत, टोंटी की मरम्मत और कांटेदार तारों की रंगाई से सम्बन्धित होती है।

(2) **क्वाड्रेनियल रिपेयर** : इस मद में ऐसे कार्य आते हैं जो चार वर्ष में एक बार किये जाते हैं जैसे, भवनों की पेन्टिग, दरवाजों व खिड़कियों की वार्निशिंग या सड़क की रिपेयरिंग का कार्य।

(3) **विशेष मरम्मत** : वे कार्य होते हैं जो सामान्य अन्तराल से नहीं कराये जाते हैं बल्कि भवन में मुख्यतः नवीनीकरण से सम्बन्धित होते हैं।

उक्त मद 1 व 2 के लिए बजट में उपलब्ध प्राविधान, जो विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर प्रति वर्ष रखा जाता है, से अधीनस्थ राजकीय भवनों के 'प्लिथ एरिया' के अनुसार (लमसम) आधार पर वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–पाँच, भाग-1 के अनुच्छेद 272-ए और 272-सी के अन्तर्गत धनाबंटन किया जाता है जिसके आधार पर स्थानीय अधिकारी टेण्डर प्राप्त करके कार्य का सम्पादन कराते हैं। वार्षिक मरम्मत के कार्यों के लिए आंक (एस्टीमेट) बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त उल्लिखित सीमा के अन्तर्गत विशेष मरम्मत एवं लघु निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय ठेकेदार द्वारा तैयार किये गये आकलन जिसकी दरें सा०नि०वि० के सहायक अभियन्ता अथवा अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित कराई गई हों, के आधार पर सन्दर्भित नियमावली के अनुच्छेद 305-ए (एक मुश्त टेण्डर के आधार पर कार्य कराने) एवं अनुच्छेद 307-ए (अमानी पर कार्य कराने) के तहत, जो भी सुविधाजनक हो, कार्य कराने हेतु धनाबंटन विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्पादित किये गये कार्यों को संतोषजनक रूप से होने का प्रमाण पत्र देने हेतु सम्बन्धित स्थानीय अधिकारी स्वयं सक्षम होते हैं। क्योंकि सन्दर्भित नियमावली के पैरा 295 के फुट नोट के अनुसार स्थानीय अधिकारी छोटे कार्यों (पेटी वर्क्स) के निरीक्षण करने हेतु डिविजनल इन्जीनियर को नहीं बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में ही यदि विभागीय स्तर पर कराये गये कार्य के सम्पादन में अनियमितता का आभास हो, तो सा०नि०वि० के अभियन्ता से कार्य निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–पाँच, भाग-1 के अनुच्छेद 273 के अनुसार आगणन तनवाने और उनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में विशेष अनुदेश दिये गये हैं और इसी के अन्तर्गत टिप्पणी-ए के अनुसार यह बताया गया है कि आगणन तैयार करने में जो व्यय आयेगा अथवा शुल्क दिया जायेगा उसे उसके मरम्मत के लिए जो धन स्वीकृत होगा, उसी से वहन किया जायेगा।

बड़े निर्माण/मरम्मत कार्य

5. कार्यों के उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि 50,000/- रुपये से अधिक लागत के कार्य का सम्पादन विभागीय स्तर पर न करके सा०नि०वि० या अन्य अभियन्त्रण इकाइयों से ही कराया जा सकता है। अस्तु भवन निर्माण कार्यों की आवश्यकता के आधार पर योजनाबद्ध रूप में आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत एवं वर्तमान नियमों के अन्तर्गत भवन विशेष के निर्माण लागत के 40% धन की व्यवस्था प्रथम वर्ष कार्य प्रारम्भ करने के लिए तथा शेष 60% धन की व्यवस्था आगामी दो वर्षों में कराया जाना आवश्यक है अन्यथा शासन से कार्य विशेष की स्वीकृति प्राप्त करना सम्भव नहीं होता है।

इस दिशा में भवन निर्माण कराने के पूर्व निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है :—

(1) कार्य विशेष के लिए उपयुक्त भूमि की व्यवस्था और उसे जिला चयन समिति (जिसके सदस्य शिक्षा विभागीय भवनों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, सा०नि०वि० के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग के जिला चिकित्साधिकारी होते हैं) द्वारा प्रथमतः अनुमोदित कराया जाना।

(2) यदि विभागीय भूमि उपलब्ध न हो तो, जन सहयोग या जिलाधिकारी के माध्यम से निःशुल्क भूमि प्राप्त करना अथवा बाजार मूल्य पर आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किया जाना जिसकी स्वीकृति भी आयोजनागत मद से ही शासन से प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए पहले से ही धन की व्यवस्था कराया जाना अपेक्षित होता है।

(3) कार्य विशेष के लिए भूमि उपलब्ध हो जाने और उसका अनुमोदन चयन समिति से कराने के बाद आयोजनागत योजनाओं के माध्यम से बजट में परिव्यय/प्राविधान कराया जाना।

(4) निर्धारित परिव्यय/प्राविधान के प्रति प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सा०नि०वि० के सक्षम अधिकारी से आगणन बनवाना और उसे सम्बन्धित वार्षिक योजना के अन्तर्गत शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या ए-2/3148/दस-35 एसी/2-एस०एन०वी० (9) वित्त लेखा, दिनांक 14-12-1972 द्वारा सा०नि०वि० के अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता क्रमशः रु० 5.00 लाख, रु० 15.00 लाख तथा रु० 15.00 लाख से ऊपर के कार्यों के आगणन को अनुमोदित करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार राजाज्ञा संख्या 2-3148/दस-35-एसी/1972 सा०नि०वि०-9, दिनांक 14-12-1972 के अनुसार शासन द्वारा अनुमोदित मानक मानचित्रों के आधार पर बनाये गये निर्माण कार्य के आगणनों पर यदि तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु योजना विशेष में धन का प्राविधान हो तो रु० 15.00 लाख तक के लागत के कार्यों हेतु विभागाध्यक्ष प्रशासनिक स्वीकृति देने हेतु सक्षम हैं। रु० 15.00 लाख से ऊपर के कार्यों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही दी जा सकती है। कार्य विशेष के लिए आयोजनागत मद से वित्तीय स्वीकृति भी शासन द्वारा दिये जाने के बाद ही निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं।

(5) कार्य विशेष के लिए प्रशासकीय अनुमोदन एवं शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सा०नि०वि० के सम्बन्धित अभियन्ता को कार्य प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित आगणन की एक प्रति इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि वे स्वीकृत कार्य के विस्तृत आगणन और नक्शों को तैयार करके उस पर सा०नि०वि० के सक्षम अधिकारी (सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता) से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

(6) निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद निर्मित भवन को प्रयोग हेतु सा०नि०वि० से स्थानीय अधिकारी द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाता है।

6. बड़े निर्माण कार्यों के लिए दो प्रकार की योजनायें चलाई जा रही हैं। प्रथम राज्य सेक्टर की योजना तथा द्वितीय जिला स्तरीय योजना। राज्य सेक्टर की योजना हेतु विभागाध्यक्ष स्तर से सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधान कराने, निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित भूमि व्यवस्था एवं आगणन बनवाकर शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने आदि की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाती है जबकि जिला स्तरीय योजना में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्माण कार्य विशेष को कराने हेतु वरीयता के आधार पर वार्षिक योजना में धन की व्यवस्था कराना, कार्य तथा उसके लिये भूमि का चयन कराना, आगणन बनवाना और स्वीकृतार्थ विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रस्तावित कराने सम्बन्धी कार्यवाही सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा किया जाना वांछित है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण इकाई को भूमि उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य की प्रगति का ब्योरा प्राप्त करने आदि का दायित्व भी स्थानीय जनपदीय अधिकारी का ही होता है।

7. सेन्टेज चार्ज

सा०नि०वि० द्वारा निर्मित कराये जाने वाले भवनों की लागत के 16% की दर से सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) हेतु भी देय होता है। अस्तु वार्षिक जिला योजना में कार्य विशेष के लिए निर्धारित परिव्यय में से 16% धनराशि की कटौती करने के उपरान्त ही कार्य विशेष की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान करके जिला योजना को धनराशि की स्वीकृति

दी जाती है। चालू कार्यों के लिए निर्धारित परिव्यय में से 16% की धनराशि की कमी सेन्टेज चार्ज के लिए करके शेष धनराशि का प्राविधान बजट में किया जाता है।

8. नये निर्मित भवनों की मरम्मत

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार सा०नि०वि० द्वारा निर्मित किये गये नये भवनों की वार्षिक मरम्मत/विशेष मरम्मत हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा प्राविधान उपलब्ध होने पर भवनों के अधिग्रहण के 3 वर्ष बाद से उचित धन का आबंटन किया जाता है। वर्तमान में भवनों के वार्षिक मरम्मत हेतु प्लिथ एरिया (भवन का आच्छादित क्षेत्रफल) पर रु० 1.50 प्रति वर्ग फुट की दर निर्धारित है। अस्तु तीन वर्ष निर्माण एवं अधिग्रहण की अवधि पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों का दायित्व है कि भवन विशेष के प्लिथ एरिया सहित वार्षिक मरम्मत का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध करा दें। पुराने एवं नये भवनों का विवरण संलग्न प्रारूप पर विद्यालय की सम्पत्ति-पंजी पर रखा जाना अनिवार्य है।

9. किराये के भवन

अनावासीय प्रयोजन हेतु किराये पर लिये जाने वाले भवनों के किराये की स्वीकृति हेतु राजाज्ञा संख्या ए-2-2213/दस-83-14 (30)/73, दिनांक 7-7-1983 द्वारा विभागाध्यक्षों को मेरठ, बरेली तथा गोरखपुर सहित कवाल टाउन (कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा एवं लखनऊ) और देहरादून, गाजियाबाद तथा पर्वतीय जिलों के हेडक्वार्टर्स में एक रुपया प्रति वर्ग फुट कार्पेट एरिया, अन्य छोटे नगरों में 50 पैसे प्रति वर्ग फुट कार्पेट एरिया तथा देहाती क्षेत्रों में 30 पैसे प्रति वर्ग फुट कार्पेट एरिया दर की सीमा में उपरोक्त अंकित बड़े नगरों में अधिकतम रु० 2,000/- तथा अन्य मामलों में अधिकतम रु० 750/- की सीमा तक मासिक किराये की स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्ष को प्रतिनिहित किया गया है। शेष प्रकरण शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाते हैं।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वित्तीय सीमाओं को भवन किराये की दर नहीं मानना चाहिए। शासन द्वारा भवनों को किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में कोई रेट नहीं निर्धारित किया गया है। उक्त सीमायें विभागाध्यक्षों को प्रतिनिहित अधिकार मात्र ही हैं। कार्पेट एरिया का तात्पर्य भवन की फ्लोर एरिया से है जिसमें किचन, बाथरूम, बरामदों तथा मोटर गैरेज को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

10. कार्यालयों के उपयोग हेतु लिये जाने वाले भवनों की उपयुक्तता की जाँच राजाज्ञा संख्या सी-2299/दस-एच-639-61, दिनांक 8-6-1965 द्वारा निर्धारित मानक स्थान जिसका ब्योरा निम्नवत् है, का परीक्षण करने के उपरान्त ही प्रस्तावित भवनों के किराये की स्वीकृति हेतु विचार किया जाता है। अस्तु सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को यह देख लेना चाहिए कि प्रस्तावित किराये के भवनों में उनसे सम्बन्धित स्टाफ के लिये अपेक्षित स्थान है या नहीं। मानक के अनुसार वांछित स्थान से बड़े भवनों को किराये पर लेने की स्वीकृति देना सम्भव नहीं होता है। अतः किराये पर भवन लिये जाने के प्रस्ताव भेजते समय विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के लिए निर्धारित निम्नांकित मानक स्थान को भी ध्यान में रखना चाहिए :—

कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए मानक स्थान

1.	चपरासी	अलग स्थान की आवश्यकता नहीं है।
2.	दफ्तरी	20 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
3.	लिपिक (कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायक सहित)	40 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
4.	एकाउन्टेन्ट, कैशियर, ट्रेजरार, हेड असिस्टेन्ट आदि	60 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
5.	द्वितीय श्रेणी के गजटेड अधिकारी	150 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति

6.	प्रथम श्रेणी के अधिकारी	200 से 250 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
7.	विभागाध्यक्ष	300 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
8.	आशुलिपिक	जब अलग कक्ष में समायोजित करना हो तो 60 वर्ग फुट अन्यथा 40 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति।
9.	कार्यालय हेतु संलग्न बाथरूम	50 वर्ग फुट
0.	स्टाफ के लिये बाथरूम	एक—40 व्यक्तियों के लिए
1.	स्टाफ के लिए यूरिनल	एक—25 व्यक्तियों के लिए
2.	वाश हैण्ड बेसिन	एक—25 व्यक्तियों के लिए
3.	अभिलेखागार	स्थायी अभिलेखों के लिए आवश्यकतानुसार कक्ष। चालू (करेन्ट) अभिलेख हेतु उपलब्ध लिपिकीय स्टाफ के लिए वांछित स्थान के क्षेत्रफल का 10% अतिरिक्त स्थान होना चाहिए।

11. सरकारी कर्मचारियों के लिए किराये पर प्राइवेट भवनों के चयन करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। अस्तु शासनादेश संख्या ए-2-996/दस-86-14(3)/73, दिनांक 30-9-1986 द्वारा शासन ने निम्न नियम बनाये हैं :—

(क) ऐसे भवन, जो रेन्ट कन्ट्रोल परिधि के बाहर हैं, को किराये पर लेने के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य न होगा।

(ख) विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों (आफर) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा जिसके उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा।

उक्त प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र अथवा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थित भवनों पर लागू नहीं होगी।

12. शासन के उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक निर्देश सभी जनपदीय और मण्डलीय शैक्षिक अधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र दिनांकित 10-12-1986 द्वारा भेजे जा चुके हैं और तदनुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि किराये पर लिये जाने वाले भवनों का प्रस्ताव उपरोक्त नियमों एवं निर्देशों को ध्यान में रख कर ही प्रस्तावित भवनों के सम्बन्ध में किये गये विज्ञापन की प्रतिलिपि, भवन का नक्शा तथा उस पर सा० नि० वि० के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित कार्पेट एरिया, किराये के औचित्य के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

13. भवनों के वार्षिक कर का भुगतान

प्रत्येक राजकीय भवनों को वार्षिक मरम्मत के साथ ही साथ वार्षिक करों के लिए उपलब्ध सूचना के आधार पर आवश्यक धनराशि का आबंटन प्रति वर्ष मई-जून तक कर दिया जाता है ताकि देय करों का भुगतान सम्बन्धित निकायों

को समय से किया जा सके और छूट का भी लाभ प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय निकायों द्वारा भवनों के उपयोग करने अथवा खाली रखने की दशा में जो निर्धारित गृह-कर और जल-कर (भवनों के मूल्यांकन के आधार पर) लगाया जाता है, उसकी स्वीकृति शिक्षा निदेशालय के शिक्षा सा० नि० अनुभाग द्वारा दी जाती है तथा अधिक जल-कर, विद्युत-कर, सफाई-कर आदि हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति शिक्षा निदेशालय के शिक्षा (अर्थ-5) अनुभाग द्वारा दी जाती है। अस्तु वार्षिक गृह-कर और जल-कर हेतु अपेक्षित धनराशि का प्रस्ताव सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) और अतिरिक्त जल-कर, विद्युत बिल, सफाई-कर आदि के प्रस्ताव ज्येष्ठ लेखाधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय के (अर्थ-5) अनुभाग को प्रस्तुत किये जायें ताकि समय से देय करों/धनराशियों का आबंटन किया जा सके। वार्षिक करों के मद में सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा समय-समय पर वृद्धि की जाती है जिसकी सूचना तुरन्त प्राप्त न होने के कारण किन्हीं-किन्हीं मामलों में देय करों की धनराशि इतनी बड़ी हो जाती है कि बजट के अभाव में अपेक्षित स्वीकृति निर्गत करने में निदेशालय को काफी कठिनाई होती है और अनावश्यक व्ययाधिक्य की स्थिति पैदा होती है। अतएव जब कभी भी निकायों द्वारा भवनों के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक करों के मद में कोई वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल शिक्षा निदेशालय को देनी चाहिए और वार्षिक आबंटन के अतिरिक्त देय करों के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने के निमित्त स्थानीय निकायों से प्राप्त मूल बिलों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

14. नये भवन का निर्माण अथवा उपलब्ध भवन का विस्तार

वर्ष 1986-87 से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की योजना को 'जिला योजना' में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः यदि किसी विद्यालय में भवन निर्माण अथवा विस्तार कराया जाना अपेक्षित हो तो उसके लिए प्रथमतः भूमि की व्यवस्था विद्यालय के नाम से सुनिश्चित कर ली जाय और तदुपरान्त उपलब्ध भूमि का चयन 'जिला चयन समिति' जिसके सदस्य जनपद के सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता और राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं, से करा लें और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अभियन्ता की राय से प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से 'जिला योजना' में आवश्यक धनराशि का प्राविधान करायें तथा निर्माण कार्य के पूर्ण औचित्य, उपलब्ध भूमि का विवरण, भूमि चयन समिति की आख्या सहित आवश्यक प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भी प्रस्तुत करें ताकि जिला योजना में प्रावि-धानित धनराशि के अनुसार अपेक्षित निर्माण कार्य कराये जाने के निमित्त निदेशालय स्तर से सम्बन्धित अभियन्ताओं को आगणन बनाने हेतु तुरन्त लिखा जा सके और आगणन प्राप्त करके शासन से अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

15. ज्ञातव्य है कि नये भवन का निर्माण कार्य पूरा होने में काफी समय लगता है और सम्पूर्ण निर्माण लागत की धनराशि सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण शासन द्वारा एकमुश्त उपलब्ध कराया जाना भी सम्भव नहीं होता है। अतः नये प्रस्तावित कार्य हेतु अनुमानित लागत के 40% के समतुल्य का प्राविधान कराया जाना चाहिए और अगले वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से निर्माण की क्षमता के आधार पर राय लेकर धन का प्राविधान जिला योजना में कराया जाना वांछित है। जिन विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य अभी चालू है, उनके लिए भी जिला योजना में सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी की राय के अनुसार आवश्यक धनराशि का प्राविधान कराया जाना अभीष्ट है अन्यथा कार्य विशेष के लिए जिला योजना में प्राविधान न होने पर निर्माण कार्य स्थगित हो जायेंगे। अतः इस विन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

16. जिला योजना को ठोस आधार देने के लिए यह आवश्यक है कि जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद के प्रत्येक राजकीय विद्यालयों की आवश्यकताओं का पूर्व से ही आकलन कर लें। इस कार्य का आधार विद्यालय की छात्र संख्या, भविष्य में छात्र संख्या की वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए करना होगा। प्रत्येक कक्षाओं में कितने वर्ग (अनुभाग) की आवश्यकता होगी और प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा-कक्ष के आधार पर आगणन किया जाना चाहिए। इसके

अतिरिक्त विद्यालय के भवन की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी मरम्मत, विशेष मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण में कितने धन की आवश्यकता होगी, से वित्तीय अनुमान का आगणन करना होगा तभी जिला योजना हेतु धन की उपलब्धता एवं विद्यालय की आवश्यकता को वरीयता देते हुए वार्षिक योजना में आवश्यक कार्यों का समावेश कराया जा सकता है।

17. इसका एक लाभ यह भी होगा कि इस कार्य के सम्पादन करने के उपरान्त मरम्मत आदि के लिये मांगे गये धन की संस्तुति करते समय इस स्थिति से भी बचा जा सकता है कि जो विद्यालय असावधानीवश अपने प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत न करें, उनको धन आबंटित होने से रह जाय और जो इस मामले में क्रियाशील हों उनको प्रति वर्ष धन का आबंटन हो जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-5, भाग-एक के सम्बन्धित नियम का सारांश संलग्न कर दिया गया है जिसके अध्ययन से स्पष्ट है कि जनपद में स्थित राजकीय संस्थाओं के भवनों के रख-रखाव, उनके विस्तार आदि से सम्बन्धित समस्त प्रकरण का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक का ही है जिसे वे संस्थाध्यक्ष के सहयोग से पूरा करने में सर्वदा सक्षम हैं।

18. भूमि/भवन पर अवैध कब्जा

किसी शैक्षिक संस्था में उपलब्ध राजकीय भूमि/भवन पर यदि अवैध कब्जा ही रहा हो तो उसकी सूचना अविलम्ब शिक्षा निदेशालय तथा सम्बन्धित अधिकारियों को देना तथा सम्बन्धित जिला सरकारी वकील की राय लेकर अग्रेतर कार्यवाही करने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित संस्थाधिकारी का ही है। अवैध कब्जों के मामलों में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी अस्तु ऐसे मामलों में प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना अत्यन्त अनिवार्य है।

19. शैक्षिक भवनों का सुन्दरीकरण

विभागीय भवनों एवं उनके प्रांगण को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित शैक्षिक अधिकारी का ही है। अतः भवनों के नियमित अनुरक्षण (रंगाई, पुताई, मरम्मत एवं स्वच्छता) हेतु समय से आवश्यक व्यवस्था किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके निमित्त अपेक्षित वित्तीय स्वीकृतियों का प्रस्ताव समय से उचित माध्यम द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भवनों के प्रांगण को आकर्षक और सुन्दर बनाने के लिए संलग्न सूची "क" और "ख" में अंकित मौसमी फूलों को लगाये जाने की व्यवस्था सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में जो भी व्यय होगा वह कार्यालय आकस्मिक निधि से वहन किया जायेगा।

20. अचल सम्पत्ति पंजिका

प्रत्येक संस्थाधिकारी/कार्यालयाधिकारी का दायित्व है कि वे अपने अधीन अचल सम्पत्ति (भवन एवं भूमि) का पूर्ण ब्योरा 'अचल सम्पत्ति पंजिका' में अंकित करें और उक्त पंजिका की एक-एक प्रति जनपदीय एवं मण्डलीय शैक्षिक अधिकारी तथा निदेशालय को उपलब्ध करा दें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में पंजिका की जाँच करके यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अचल सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त प्रविष्टियां पंजिका में अंकित कर ली गई हैं और राजस्व अभिलेखों से मिलान करके यह देख लिया गया है कि भूमि/भवन पर किसी प्रकार का स्वामित्व सम्बन्धी फेर-बदल नहीं हुआ है। सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक नये निर्माण अथवा परिवर्तन की भी प्रविष्टि उक्त पंजिका में प्रति वर्ष अंकित करें और उसकी सूचना जनपदीय, मण्डलीय तथा शिक्षा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी को भी उपलब्ध करा दें।

21. संस्थानों/कार्यालयों में प्रयोगार्थ 'अचल सम्पत्ति पंजिका' का प्रपत्र सुविधा हेतु निम्नवत् प्रस्तुत है :—

कार्यालय/संस्थान का नाम ....

जनपद का नाम ....

राजकीय सम्पत्ति/किराये का भवन (मासिक किराये की दर सहित) निःशुल्क प्राप्त परिषदीय या अन्य संस्था के भवन का विवरण

संस्थान के स्थापना का वर्ष	वर्ष 87-88 में कक्षावार छात्रसंख्या	उपलब्ध अचल सम्पत्ति				
		कक्षा कक्ष	क्षेत्रफल वर्गफुट में	कार्यालय कक्ष	क्षेत्रफल वर्गफुट में	प्रयोगशाला
1	2	3	4	5	6	7

क्षेत्रफल वर्गफुट में	आवासों की संख्या	आवासों का क्षेत्रफल वर्ग फुट में	अन्य भवन	क्षेत्रफल वर्गफुट में	उपलब्ध कक्ष/भवन का उपयोग
8	9	10	11	12	13

उपलब्ध कक्षा कक्षों/भवनों की वर्तमान स्थिति					अन्य उपलब्ध अचल सम्पत्ति		
निर्माण का वर्ष	नया भवन	सामान्य स्थिति	खराब हालत	अनुपयोगी	वृक्षों की संख्या	ट्यूब वेल	बाउन्ड्री वाल
14	15	16	17	18	19	20	21

उपलब्ध भूमि का विवरण				अपेक्षित निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल सहित
कुआं आदि	खेल का मैदान	क्षेत्रफल वर्गफुट में	शेष उपलब्ध भूमि किस प्रयोग में है क्षेत्रफल सहित	
22	23	24	25	26

सस्थाधिकारी के हस्ताक्षर
(मोहर सहित)

22. अदेय प्रमाण पत्र

राजपत्रित अधिकारियों के सेवा निवृत्त होने पर उनके पेंशन/ग्रेच्युटी की धनराशि स्वीकृत करने के लिए विभाग द्वारा अदेय प्रमाण-पत्र जारी करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या सा-3-1998/दस-932-80, दिनांक 16-1-1981 में निहित निर्देशानुसार सेवा निवृत्त अधिकारी के पक्ष में अदेय प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए उनके सेवा के अन्तिम पांच वर्षों की अवधि में विभागीय/शासकीय आवास के उपभोग से सम्बन्धित सभी बकाया देयों (जल-कर, विद्युत-कर और भवन किराया) की जांच की जाती है। यदि किसी स्रोत से यह ज्ञात हो जाता है कि सम्बन्धित अधिकारी के ऊपर उनकी सेवा के अन्तिम पाँच वर्षों के पूर्व का बकाया देय है तो इस स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के सम्पूर्ण राजपत्रित सेवा अवधि या दिनांक 1-12-1968 जो भी बाद की हो, की अवधि में आवास सम्बन्धी बकायों की जाँच करने के उपरान्त देयों की वसूली करके ही अपेक्षित अदेय प्रमाण-पत्र निदेशालय द्वारा जारी किये जाते हैं।

अतः सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद पेन्शनादि के प्रपत्र भरकर जमा करते समय यह अवश्य सूचित कर दिया जाना चाहिए कि वे अपने सेवा के अन्तिम पाँच वर्षों में कहाँ-कहाँ कार्यरत थे तथा किस प्रकार के आवास में निवास करते रहे। यह सूचना प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर से सम्बन्धित कार्यालय से बकाया देयों की पुष्टि कराने और उनकी वसूली की कार्यवाही पूर्ण करके अदेय प्रमाण पत्र जारी करने में काफी सुविधा तथा शीघ्रता की जा सकती है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-5, भाग-एक में भवन निर्माण, वार्षिक, त्रैवार्षिक एवं विशेष मरम्मत तथा लघु निर्माण से सम्बन्धित अनुच्छेदों का सारांश

262. इस अनुच्छेद में मूल कार्य तथा मरम्मत और रख-रखाव की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार मूल कार्य वह है जिसमें नये निर्माण कराये जाते हैं जिससे भवन का पूंजीगत मूल्य बढ़ जाता है।

मरम्मत में वह कार्य आता है जिससे किसी भवन को उपयोगी बनाने के लिए कार्य कराया जाता है।

अति लघु कार्य वह है जिनका व्यय 20,000/- (बीस हजार) से अधिक का नहीं होता (शासन अब यह सीमा 50,000/- (पचास हजार) रुपया तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है जिसके सम्बन्ध में लिया गया निर्णय शीघ्र हीं अवगत कराया जायेगा)। लघु निर्माण कार्य वह है जिसकी लागत 20,000/- से अधिक परन्तु एक लाख रुपये की सीमा के भीतर आती है तथा बड़ा कार्य वह है जिसकी लागत एक लाख रुपये से अधिक होती है। यह सीमा विद्युत कार्य के लिए नहीं है।

263. इस अनुच्छेद में स्थानीय अधिकारियों की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि स्थानीय अधिकारी ही राजकीय सम्पत्ति-भवनों के रख-रखाव तथा उनसे सम्बन्धित कार्य को कराने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि वह भवन अच्छी हालत में रह सके। इस अनुच्छेद की परिभाषा के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, स्थानीय अधिकारी की श्रेणी में आते है।

272. इस अनुच्छेद में धन के आबंटन के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी गई है जिसे अब विभागीय आदेशानुसार निम्नवत् स्वरूप दिया गया है :—

वार्षिक मरम्मत के लिए मैदानी क्षेत्र में धन का आबंटन निदेशालय द्वारा मण्डल के उप शिक्षा निदेशक की उनके मण्डल में स्थित भवन के 'प्लिथ एरिया' तथा छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है जिसे वे सम्बन्धित संस्था के कार्यालयाध्यक्ष को आबंटित करते हैं।

पर्वतीय मण्डलों के जनपदों में यह कार्य मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के स्थान पर जनपद के जिला विद्यालय

निरीक्षक देख रहे हैं और निदेशालय द्वारा उनके जनपदों में स्थित संस्थाओं के लिए धन आबंटित कर दिया जाता है जिसे वे अपने जनपद में स्थित संस्थाओं के कार्यालयाध्यक्ष को आबंटित करते हैं।

वार्षिक मरम्मत, त्रैवार्षिक मरम्मत तथा विशेष मरम्मत के अधीन कार्यों की परिभाषा पहले पृष्ठों पर दी जा चुकी है।

त्रैवार्षिक एवं वार्षिक मरम्मत में केवल इतना अन्तर है कि त्रैवार्षिक मरम्मत में दरवाजे, खिड़की तथा लोहे एवं लकड़ी के जो भी अंश हों उनकी सफाई तथा पालिश कराई जानी चाहिए।

विशेष मरम्मत में एवं लघु निर्माण कार्य में स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया में परिवर्तन विगत वर्षों से आ गया है। परन्तु अनुभव में आ रहा है कि अब भी कुछ संस्थाध्यक्ष वित्तीय स्वीकृति हेतु आगणन सीधे निदेशालय को प्रेषित करते हैं जो उचित नहीं है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार विशेष मरम्मत एवं लघु निर्माण के आगणन, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता से कम स्तर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित न किया गया हो, जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को प्रेषित करने चाहिए। जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक सभी राजकीय संस्थाओं (बालक/बालिका) के भवनों की आवश्यकता का आकलन करके अपनी संस्तुति सहित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को भेजेंगे। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल के जनपदों से प्राप्त ऐसे सभी प्रस्तावों का परिनिरीक्षण करके अपनी संस्तुति अथवा असंस्तुति (दोनों प्रकार) के प्रकरण शिक्षा निदेशालय को सूचीबद्ध करके केवल सूची ही भेजेंगे और आँक अपने कार्यालय स्तर पर सुरक्षित रख लेंगे।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक सूची में प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग धन दर्शायेंगे न कि एक संस्था के समस्त कार्य के लिये धन का योग, ताकि कार्य को वित्तीय सीमा के अनुसार निदेशालय द्वारा विचार किया जा सके। निदेशालय की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संस्था को वित्तीय स्वीकृति मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा सम्बन्धित आँक को संलग्न करते हुए प्रेषित की जायेगी। अनुभव रहा है कि इस कार्य की ओर उतनी तत्परता एवं सतर्कता नहीं बरती जा रही है, जैसी कि अपेक्षित है। प्रस्ताव है कि वार्षिक मरम्मत के लिए धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही आबंटित कर दी जाय और लघु निर्माण कार्य एवं विशेष मरम्मत के लिए धनराशि का आबंटन विलम्बतम 31 अक्टूबर तक कर दिया जाय। अतः यह आवश्यक है कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों को धन आबंटन के लिए प्रस्ताव प्रत्येक हालत में 15 अगस्त तक प्राप्त हो जाय तथा समस्त माँग पत्र एक ही सूची द्वारा प्रेषित किये जायँ क्योंकि जैसा कि इस वर्ष अनुभव हुआ कभी-कभी एक ही विद्यालय को विभिन्न सूचियों में सम्मिलित करते हुए एक ही कार्य के लिए धन आबंटन की माँग की जाती है।

202. (ए) सभी लघु कार्य आमतौर से विभागाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा किन्तु कोई भी लघु कार्य जिसमें किसी भवन जैसे कालेज, स्कूल इत्यादि के भवनों में परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं बढ़ोत्तरी आदि की स्वीकृति संस्था/कार्यालय के प्रधान बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता के पूर्वानुमोदन के स्वीकृत नहीं करेगा जिसके सम्मुख ऐसे प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने के पहले अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए। लघु कार्य के लिए सभी 'एस्टीमेट्स' विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे यदि उन्होंने अनुच्छेद 293 के अनुसार अनुमति देने का अपना अधिकार किसी अन्य को सौंप न दिया हो। स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी अपने स्वीकृति पत्र की एक प्रति महालेखाकार को भेजेंगे और यदि स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष हों तो वे एक प्रति स्थानीय अधिकारी को भेजेंगे।

(बी) आवासीय भवनों से सम्बन्धित लघु कार्य के 'एस्टीमेट्स' स्वीकृति हेतु शासन के प्रशासकीय अनुभाग को भेजे जाने चाहिए (कृपया अनुच्छेद 279 देखें)।

धन का आबंटन

293. (ए) लघु निर्माण कार्य के लिए आय-व्ययक में धन विभागाध्यक्ष के नियंत्रण पर सुरक्षित रहेगा। वह अपने विवेक से उस धन में से स्थानीय अधिकारियों को धन का एकमुश्त विभाजन करेंगे। इस धन में से स्थानीय

अधिकारी उस कार्य को प्रारम्भ नहीं करेंगे जिसे उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में पूरा कर पाने की संभावना नहीं है, विशेष परिस्थितियों में स्थानीय अधिकारी कार्य को अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के लिए विशेष तौर से विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करेंगे और इन विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति में अगले वित्तीय वर्ष के लिए धन की व्यवस्था किये जाने की भी जिम्मेदारी सम्मिलित रहेगी।

(बी) उस दशा में जब विभागाध्यक्ष स्थानीय अधिकारी को धन का आबंटन उपर्युक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत नहीं करते, स्थानीय अधिकारी को लघु निर्माण कार्य के कुल लागत का 1/8 भाग की माँग प्रस्तुत करना चाहिए जो लघु मूल निर्माण कार्य से भिन्न आवश्यक प्रकृति का होना चाहिए और जो 50/- रु० से अधिक की लागत का नहीं होना चाहिए। यह अनुदान आवासीय भवनों पर देय नहीं होगा।

(सी) ऊपर अनुच्छेद (ए) के अधीन स्थानीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन रखा गया एकमुश्त धन का प्रयोग किसी भी प्रकार के मरम्मत हेतु नहीं किया जायगा और न वे लघु कार्य हेतु इसका उपभोग करेंगे जो आवासीय भवनों से सम्बन्धित होंगे। विभागाध्यक्ष/कार्याक्रियाध्यक्ष धन विभाजन के समय, अपने पास आवासीय भवनों के लघु कार्य के व्यय को वहन करने हेतु धन को सुरक्षित रखेंगे और स्थानीय अधिकारियों की माँग के अनुसार धन का विभाजन एवं आबंटन करेंगे।

294. विभागीय (सिविल) आय-व्ययक से सार्वजनिक निर्माण विभाग को किसी भी धन का, विद्युतीकरण अथवा लघु निर्माण कार्य हेतु, स्थानान्तरण करने को आवश्यकता नहीं है। इन कार्यों के कार्यान्वियन हेतु विशेष परि-स्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द किया जा सकता है। अधीक्षण अभियन्ता इस प्रकार के धनान्तरण को अपने खाते में समावेश करेंगे और इस धन के समायोजन हेतु महालेखाकार सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देंगे।

295. (ए) लघु निर्माण कार्य को कार्यान्वित करने हेतु स्थानीय अधिकारी (अनुच्छेद 305 के अन्तर्गत) स्थानीय ठेकेदारों एवं अन्य अशासकीय निर्माणकर्ताओं से 'डिजाइन एवं एस्टीमेट' प्राप्त करेंगे। यदि इसमें कोई कठिनाई अथवा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता हो तो यह विभाग की स्वेच्छा पर निर्भर होगा कि वह इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यान्वित करने के लिए दे। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी अपनी स्वेच्छा से इस कार्य को कार्यान्वित करेगा। किन्तु यदि वाणिज्य विभाग के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तो वे (अनुच्छेद 296 और 306 के अन्तर्गत) साधारण कमीशन लेंगे।

(बी) स्थानीय अधिकारी प्रत्येक प्रकरण में 'एस्टीमेट्स' अधीक्षण अभियन्ता की 'स्क्रुटनी' के लिए भेजेंगे। अधीक्षण अभियन्ता 'स्क्रुटनी' के पश्चात 'एस्टीमेट्स' को विभागाध्यक्ष को धन के आबंटन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। आवासीय भवनों से सम्बन्धित प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता 'एस्टीमेट्स' के साथ संशोधित किराये की तालिका जैसा कि अनुच्छेद 279 में दिया गया है, संलग्न करेंगे। संशोधित किराये की तालिका तैयार करने में अनुच्छेद 282-ए में दिये गये निर्देशों का ध्यान रखा जाय।

टिप्पणी

(1) स्थानीय अधिकारी लघु निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु अधीक्षण अभियन्ता को नहीं बुलायेगा।

(2) जब स्थानीय ठेकेदार अथवा अशासकीय कार्यकर्ताओं से कार्य कराना हो तो उनसे उनके 'एस्टीमेट्स' माँगे जायँ जिनमें निम्नवत् पत्रजात अवश्य हों :—

   (1) आख्या (The Report)
   (2) साधारण नाप-जोख (The General Specification)
   (3) विस्तृत नाप-जोख (The Detailed Specification)

(4) गणना तालिका (The Calculations)

(5) विस्तृत अनुमानित मात्राएं (The Detailed Estimate of Quantities)

(6) मूल्य का सारांश (The Abstract of Cost)

(7) नक्शे और विस्तृत नक्शे तीन प्रतियों में (The Plans and Detailed Plans in Triplicate)

क्रम (1) पर अंकित आख्या का प्रस्तुतीकरण ऐच्छिक है।

(3) टिप्पणी (2) में वांछित पत्रजात को तैयार करने में केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग हो।

295-ए स्थानीय अधिकारी लघु निर्माण कार्य को कार्यान्वित कराने हेतु व्यक्तिगत ध्यान देंगे, यदि ठेके का मूल्य बढ़ा नहीं है। यदि ठेके का मूल्य बढ़ जाता है तो विभागाध्यक्ष का अनुमोदन लेना पड़ेगा।

296. मुख्य अभियन्ता की अनुमति के बिना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लघु निर्माण कार्य के कार्यान्वियन की 'डिजाइन' को तैयार करने का कार्य स्वीकार नहीं किया जायेगा। यह अनुमति विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त की जायेगी जो कार्य विशेष के लिए चालू वित्तीय वर्ष अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में कार्य के कार्यान्वियन हेतु धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मुख्य अभियन्ता की अनुमति प्राप्त होने के बाद अधीक्षण अभियन्ता विभागीय नियमों का पालन करेंगे।

भवनों को किराये पर लेने की प्रक्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण राजाज्ञाओं के मुख्य-मुख्य विन्दु

राजाज्ञा सं० व दिनांक	विषय	विवरण
(1) वित्त सी-2299/दस-एच-639-61, दिनांक 8-6-1965	राजकीय कार्यालयों के लिए आवश्यक स्थान का आदेश मानक (Standard Norms of Accommodation)	शासन द्वारा राजकीय कार्यालयों के लिए भवन किराये पर लेने, स्वयं का भवन होने या नया निर्माण कराने या उसमें वृद्धि करने के सम्बन्ध में आदेश मानक दिया गया है। यह मानक तहसील, कोषागार, ब्लाक, पुलिस स्टेशन, न्यायालय के कमरे के लिए लागू न होंगे। आदेश मानक निम्नवत् हैं:—

विवरण	आदेश मानक
1—चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	
(i) चपरासी	अलग से कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है।
(ii) दफ्तरी	20 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
2—क्लर्क जिसमें कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ नोटर ड्राफ्टर और सचिवालय के सहायक सम्मिलित हैं।	40 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
3—लेखाकार, कैशियर, ट्रेजरर, प्रधान सहायक, कार्यालय अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और सचिवालय के अधीक्षक, विभागीय प्रभारी, निरीक्षक तथा प्राविधिक अधीनस्थ कर्मचारी।	60 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति

4–राजपत्रित अधिकारी	
(i) श्रेणी II के अधिकारी और शासन के अनुसचिव	150 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
(ii) श्रेणी I के अधिकारी और (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) मण्डलीय उप निदेशक, अधीक्षण अभियन्ता, उप/संयुक्त विकास कमिश्नर और उप/संयुक्त सचिव	200 से 250 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
5–विभागाध्यक्ष, अपर विभागाध्यक्ष एवं सचिवालय के सचिव तथा अपर सचिव	300 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
6–आशुलिपिक	60 वर्ग फुट यदि अलग कमरे की व्यवस्था उपलब्ध हो अन्यथा 40 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति
7–अधिकारियों के लिए संलग्न बाथरूम	50 वर्ग फुट
8–स्टाफ के लिए बाथरूम	1 डब्लू० ई० प्रति 40 व्यक्ति
9–मूत्रालय स्टाफ के लिए	1 प्रति 25 व्यक्ति
10–हाथ धोने का बेसिन	1 प्रति 25 व्यक्ति

नोट :— डब्लू० ई०, मूत्रालय और हाथ धोने के बेसिन ऐसे कार्यालयों में जहाँ आगन्तुकों की संख्या अधिक हो उक्त माप व मानक के अनुसार आवश्यकतानुसार अलग से उपलब्ध कराया जायगा।

11–अभिलेख के लिए	(अ) स्थायी अभिलेखों के लिये आवश्यकतानुसार कमरे उपलब्ध कराये जायँ। (ब) वर्तमान अभिलेखों के लिये— लिपिकीय स्टाफ के लिए उपलब्ध स्थान का दस प्रतिशत स्थान, जैसा सम्भव हो, उपलब्ध कराया जाय, चाहे आलमारी के रूप में या आलमारी बनवाकर।
12–कमेटी रूम	विभागाध्यक्ष के प्रत्येक कार्यालय में उपलब्ध किया जाय या जहाँ कई कार्यालय स्थित हों वहाँ एक भवन में, या किसी ऐसे कार्यालय में जहाँ विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यों से सम्बन्धी बैठकें आयोजित हो सकें।
13–कैन्टीन 14–भोजनालय	कम से कम 600 और अधिक से अधिक 1200 वर्ग फुट
15–पानी का कमरा	50 वर्ग फुट
16–सायकिल शेड	8 वर्ग फुट प्रति सायकिल, कुल स्टाफ के 50 प्रतिशत के बराबर। आगन्तुकों के लिए वेन्डर और सायकिल स्टैण्ड की आवश्यकतानुसार व्यवस्था।
17–कार शेड	180 वर्ग फुट प्रति कार, राजपत्रित अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के लिए।
18–कारीडौर	8 फुट चौड़ा
19–बरान्डा	10 फुट चौड़ा केवल एक तरफ

20–पुस्तकालय कक्ष	आवश्यकता के अनुरूप
21–पूछताछ कक्ष	100 वर्ग फुट
22–प्रतीक्षा कक्ष	209 से 500 वर्ग फुट, यह कार्यालय के प्रकार एवं मिलने के लिये आने वालों की संख्या पर निर्भर करेगा।
23–भविष्य में बढ़ोत्तरी हेतु	20 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था।

नोट :— (1) उक्त मानक तहसील कार्यालय, पुलिस स्टेशन एवं न्यायालय कक्ष के लिए लागू नहीं होगा।

(2) उक्त मानक अस्पतालों एवं विद्यालयों पर भी लागू नहीं होगा।

---

(2) वित्त लेखा अनुभाग-2 सं० ए-2-1442/दस-80-14(30)/73, दिनांक 31-10-80	कार्यालय भवनों के किराये की स्वीकृति का वित्तीय अधिकार	शासन ने शिक्षा निदेशालय द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निम्नवत् स्पष्टीकरण किया :— (1) शासन द्वारा कार्यालय भवनों के किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में कोई रेट का निर्धारण नहीं किया गया है। शासनादेश दिनांक 25-6-73 में विभागाध्यक्ष को केवल किराये की स्वीकृति के अधिकार प्रतिनिहित हैं। शासनादेश दि० 20-10-72 के अनुसार जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता उन्हीं मामलों में होगी जिनमें किराया रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट या म्यूनिसिपल एसेस्मेन्ट के अनुसार निर्धारित न हो। उक्त परिस्थिति में यदि जिलाधिकारी द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार किराया दिया जा रहा हो तो इसकी सूचना सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भी दी जानी होगी।

(2) जिलाधिकारी द्वारा किराये के औचित्य का निर्धारण किस माध्यम से कराया जाता है, उनके स्वयं विवेक का प्रश्न है। सामान्यतः इस सम्बन्ध में सा०नि०वि० को ही मामले संदर्भित किये जाते हैं। किराये के औचित्य को जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। एक रुपये या 50 पैसे प्रतिवर्गफुट

(3) शासनादेश दिनांक 8-6-65 में कार्यालय के लिए आवश्यक स्थान का मानक निर्धारित किया गया है। शासनादेश दिनांक 12-9-79 में विभागाध्यक्ष को स्थायी आदेशों के अधीन रु० 2000 तथा रु० 750 तक किराया स्वीकृत करने के अधिकार प्रतिनिहित हैं।

---

3. **वित्त लेखा अनुभाग-2**—स० ए-2-2213/दस-83-24(30)/73, दिनांक 7-7-1983 द्वारा किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करने सम्बन्धी वित्तीय अधिकार के संहत विवरण दिये गये हैं, साथ ही इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक विभागों को अनावासिक भवनों का किराया स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार है किन्तु शर्त यह है कि किराया रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत निर्धारित किराये या स्थानीय नगर पालिका द्वारा निर्धारित किराये से अधिक न हो और जहां इस प्रकार किराये पर भवन उपलब्ध न हो उस स्थिति में किराया जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किराये से अधिक न होगा और जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारण की सूचना स्थानीय नगर पालिका को भी दे दी जायगी। यदि रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत अथवा नगर पालिका द्वारा निर्धारित किराये के अन्तर्गत भवन उपलब्ध नहीं होते हैं तो जिलाधिकारी द्वारा किराया उचित प्रमाणित करने पर अधिक किराये पर भवन लिये जा सकते हैं।

उक्त प्रयोजन हेतु विभागाध्यक्षों को अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत् है :—

(अ) बरेली, गोरखपुर, मेरठ, देहरादून, गाजियाबाद तथा पर्वतीय जिलों के हेडक्वार्टर सहित कवाल (KAVAL) नगरों में एक रुपया प्रति वर्ग फुट तक इस शर्त के साथ कि भवन का किराया मेरठ, बरेली तथा गोरखपुर को शामिल करते हुए कवाल नगरों में रु० 2000 मासिक तथा अन्य नगरों में 750 रुपये मासिक से अधिक न हो।

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में 30 पैसे प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक।

इसी के साथ जिलाधीशों को यह निर्देश भी दिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा किराया उचित प्रमाणित करते समय सावधानी से समीप के स्थानों में किराया जांच पड़ताल करवा लेना चाहिए और उसके उपरान्त ही किराया प्रमाणित किया जाना चाहिए। कारपेट एरिया इत्यादि के आगणन के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायता ली जानी चाहिए।

---

4. शासनादेश संख्या ए-2-930/दस-84-14(30)/73, दिनांक 28-2-84 द्वारा अनावासिक प्रयोजनों के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकार को निम्नवत् संशोधित किया गया :—

किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमायें
(1) विभागाध्यक्ष	(1) बरेली, गोरखपुर, मेरठ, देहरादून, गाजियाबाद तथा पर्वतीय जिलों के हेडक्वार्टर सहित कवाल नगरों में :— एक रुपया प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 2000 रुपये प्रति मास होगी।
	(2) अन्य नगरों में—पचास पैसे प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक। इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 750 रुपये प्रति मास होगी।
	(3) ग्रामीण क्षेत्रों में—30 पैसे प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक। प्रतिबन्ध प्रत्येक दशा में यह है कि कार्यालय के लिए जगह वित्त (सी) विभाग के शासनादेश सं० सी-2299/दस-एच-639-61, दिनांक 8-6-65 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार ली जावे।

टिप्पणी :—

(1) उपरोक्त सीमा अधिकतम सीमा है और विभागाध्यक्ष द्वारा अधिक से अधिक सस्ता स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जावे चाहिए।

(2) "कारपेट एरिया" का तात्पर्य भवन के "फ्लोर एरिया" से है जिसमें किचन, बाथरूम, बरामदे तथा मोटर गैरेज के फ्लौर शामिल नहीं होंगे।

(2) प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन :—	
	(1)	रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगर पालिका द्वारा निर्धारित किराये से, जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध व हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधीश द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।
	(2)	जहां कि भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग की राजाज्ञा दिनांक 8-6-65 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य मामलों में, जगह औचित्य-पूर्ण आवश्यकताओं से अधिक नहीं होनी चाहिए।

---

5. राजाज्ञा ए-2-435/दस-86-ए०क्यू० (18)/85, दिनांक 23-4-86 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन "उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये हैं यदि उनका किराया बढ़ाये जाने की मांग मकानदार द्वारा की जाती है तो उसे इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 21 (8) के प्राविधानों का पालन करना होगा जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट मकानदार के आवेदन पत्र पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है, जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किन्तु अग्रेतर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा। अतः अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के उपरान्त ही सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया बढ़ाया जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उभय पक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्तें तय हो चुकी हों तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव नहीं होगी।

---

6. राजाज्ञा सं० ए-2-996/दस-86-14(30)/73, दिनांक 30-9-86 द्वारा सरकारी कार्यालयों के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए तात्कालिक प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने के आदेश दिये गये हैं :—

(1) ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल परिधि के बाहर हैं, को किराये पर लेने के लिए विभाग को स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराया जाना आवश्यक न होगा।

(2) विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों (आफर) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा जिसके उपरान्त ही सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

(3) किराये के औचित्य का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे। तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र इस निमित्त मान्य नहीं होगा।

अग्रेतर, यह कि सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं यदि उनका किराया बढ़ाये जाने की मांग मकानदार द्वारा की जाती है तो उसे पहले इसके लिए उक्त एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा तभी किराये में वृद्धि सम्भव होगी।

यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र अथवा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थित भवनों पर लागू नहीं होगी।

भवन सुन्दरीकरण हेतु मौसमी फूलों की सूची

(क) शीत कालीन मौसमी फूल जो अन्य मौसमों में भी उगाये जा सकते हैं

क्रम संख्या	साधारण अंग्रेजी-हिन्दी नाम	लगाने/बोने का समय		पौधे से पौधे की दूरी (से० मी० में)
		मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र	
1.	हाली हाक	मई-जून	अगस्त-सितम्बर	50–60
2.	कैलेन्डुला काक्सीनिया	अक्टूबर-नवम्बर, जून-अगस्त	फरवरी-मार्च	40–50
3.	कैलेन्डुला आफीसिनेलिस	सितम्बर-अक्टूबर, जून-जुलाई	सितम्बर-अक्टूबर फरवरी-मार्च	25–30
4.	कासमास	सितम्बर-अक्टूबर जनवरी-फरवरी, मई-जून	मार्च-अगस्त	30–45
5.	गेन्दा	सितम्बर-अक्टूबर, मई-जून	मार्च-अप्रैल	15–45
		गर्मी व बरसात के मौसमी फूल		
1.	अमरन्थस	जनवरी-फरवरी, जून-जुलाई	फरवरी-मार्च	30–40
2.	सूरजमुखी	जनवरी-फरवरी, जून-जुलाई	मार्च-अप्रैल	60–90
3.	बालसम	जनवरी-फरवरी, मई-जून	मार्च-अप्रैल	25–30
4.	जीनिया	मई-जून, अगस्त-सितम्बर फरवरी-मार्च	मार्च-अप्रैल	20–30
*5.	कोचिया	जनवरी-फरवरी	मार्च-अप्रैल	50–60
*6.	पोरचुलाका	फरवरी-अप्रैल	मार्च-अप्रैल	15–25

*ग्रीष्म कालीन मौसमी पुष्प

शीत कालीन मौसमी फूल

1.	एलाइसप	फरवरी-मार्च	सितम्बर-अक्टूबर	15–20
2.	ट्रान्सवाल डेजी	मार्च-अप्रैल	,,	30–45
3.	अंग्रेजी डेजी	फरवरी-मार्च	,,	15–30
4.	एस्टर	अगस्त-सितम्बर	,,	20–25
5.	कार्न फ्लावर	मार्च-अप्रैल	सितम्बर-नवम्बर	20–25
6.	स्वीट सुल्तान	,,	अगस्त-अक्टूबर	30

1	2	3	4	5
7.	गुलदाउदी (एक वर्षीय)	सितम्बर-नवम्बर	अगस्त-अक्टूबर	25–30
8.	क्लार्किया	सितम्बर-अक्टूबर	मार्च-अप्रैल	20
9.	लार्क सपर	सितम्बर-नवम्बर	अगस्त-अक्टूबर	20
10.	कान्वनेशन	सितम्बर-अक्टूबर	,,	30–45
11.	केन्डीटफ्ट	सितम्बर-अक्टूबर	मार्च-अप्रैल	20–25
12.	स्वीट पी०	,,	अगस्त-अक्टूबर	15–75
13.	लाइनेरिया	,,	अगस्त-सितम्बर	15–20
14.	पोपी	,,	,,	25–30
15.	पिटुनिया हाइब्रिड	सितम्बर-नवम्बर	मार्च-अप्रैल	25–30
16.	फ्लास्क	सितम्बर-अक्टूबर	,,	25–30
17.	बरबीना	,,	,,	15–30
18.	पैन्जीह	,,	अगस्त-सितम्बर	15–30

(ख) बाड़ के उपयोगी पौधे

1.	सुन्दर फूलों वाली बाड़	बोगेनबेलिया, टिकोमान्स्टेन्स, मैनिया, एरेक्टा, गुड़हल।
2.	हवा से बचाने के लिए	बांस, पार्किनसेनिया, स्कयोलिवेटा, सोलेक्स टेट्रास्पर्मा, ऐसेबेलिया एजिप्टिका
3.	रक्षा की दृष्टि से	अकेसिया मोडस्टा, इंगाडेलिसिस, फैरिसा केरेन्डिस, कैपेरिस स्पाईरिया
4.	सुगन्ध युक्त बाड़	रात-रानी, गंधराज, कामिनी, चमेली इत्यादि
5.	पत्तियाँ गिराने वाली	पाइकस सिलवेस्टिका, रोजा रुविगोनोसा, रोजा कैविना, प्रुनस स्पाइनोसा इत्यादि
6.	सदाबहार बाड़	यान्दनी, हुडोनिया विक्कोसा, गुड़हल
7.	आरोप भूमि हेतु	अगेव अमेरिकाना, अगेव तिविगेरा, इंगाडेलिसिस, मेंहदी
8.	अल्प सिंचित हेतु	अगेव अमेरिकाना, अकेसिया फारनेसिना इंगाडेलिसिस, नागफनी
9.	अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हेतु	चमेली झाड़ी, कामिनी, प्वाइसिटिया, सिल्वेनिया एजिप्टिका
10.	दलदली स्थानों हेतु	टैमेरिक्स गैलिका, ऐलिक्स ट्रैक्टरा स्फरफा
11.	एक मीटर तक के बाड़	क्लेरोडेडाप इनर्मी, जस्टीका गेन्डेरसा, अगेव विविफेरा, जेस्मिनस सन्वाक
12.	1 मी० से 1.25 मी० ऊँचाई	ड्यूरेन्टा प्लूमेराई, मेंहदी, कामिनी, जंगल जलेबी
13.	ऊँची हेज (2–3 मी०) हेतु	बोगेनबेलिया, थिवेटिया नेरिफोलिया, अशोक पुत्रानजीवी इत्यादि
14.	अस्थाई बाड़ हेतु	अरहर, सिस्बेनिया इजिप्टिका, टेमेरिस गेलिका केक्टस
15.	स्थायी बाड़ हेतु	मेंहदी, करौंदा आदि

टिप्पणी : उक्त सूची (क) व (ख) में विभिन्न ऋतुओं के लिए जिन फूलों की सूची दी गयी है, उन्हें शासकीय/अशासकीय विद्यालयों के प्रांगण को आकर्षक एवं सुन्दर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

कार्यपूर्ति बजट
(Performance Budget)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त शासन के कार्यों और दायित्वों में आमूल परिवर्तन हुआ है। शासन स्तर पर विकास के क्रिया कलापों को रेखांकित किया गया है तथा कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। शासन ने उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में न केवल प्रवेश किया है वरन् जनहित के उ० प्र० स्टेट रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन तथा राज्य विद्युत निगम जैसे बड़े-बड़े उद्योग खड़े किये है। विविध प्रकार के कार्यों, क्रिया-कलापों, अनुसंधानों, तकनीकों तथा परियोजनाओं को सीमित संसाधनों से कुशलतापूर्वक संचालन हेतु वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबन्धकीय अनुशासन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। बजेटरी व्यवस्था में एक ऐसी पद्धति की संकल्पना की गई जो शासन द्वारा संचालित क्रिया-कलापों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं पर हो रहे व्यय, प्राप्त किये परिणामों के गुणात्मक आँकड़ों को केन्द्रीभूत करके प्रदर्शित कर सके। नवीन बजेटरी व्यवस्था न केवल उत्तरदायित्व के निर्धारण के दायित्व को पूर्ण करे वरन् संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरण को तथा उच्चस्तरीय नियोजकों की त्रुटियों को सुधारने, विकास कार्यक्रमों को द्रुतगति से पूर्ण करने तथा कल्याणकारी योजनाओं के सफल संचालन में सहायता करे।

परिभाषा : परम्परागत बजट बनाने की प्रक्रिया जिस समय प्रारम्भ की गई थी उस समय शासकीय व्यय का बड़ा भाग सामान्य सेवायें जैसे पुलिस, जेल, करों की उगाही, राजस्व प्रशासन तथा लोक निर्माण जैसे विभागों पर व्यय होता था, मूल्य स्थिर थे। अतः भौतिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता न थी और न ही परम्परागत बजट प्रणाली से ज्ञात ही किया जा सकता था। कार्यपूर्ति बजट के माध्यम से इस प्रकार के दोषों को दूर किया जा सकता है। इस पद्धति से शासन द्वारा किये गये कार्यों, सम्पादनों, क्रिया कलापों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है जिससे शासन की विचारधारायें प्रदर्शित होती हैं। कार्यपूर्ति बजट स्वयं में उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति का रास्ता नहीं है।

संक्षेप में कार्यपूर्ति बजट वह पत्रक है जिसमें किये गये कार्य तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का उल्लेख किया जाता है। यह विस्तृत क्रियात्मक पत्रक है जिससे क्रिया कलापों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं तथा उनसे जुड़े सम्बन्धित वित्तीय तथा भौतिक पक्षों को प्रदर्शित किया जाता है।

उक्त से स्पष्ट है कि कार्यपूर्ति बजट निम्न बिन्दुओं का प्रस्तुतीकरण पत्रक है :—

(क) उद्देश्य, जिसके लिए धन की माँग का प्रस्ताव हो।

(ख) विभिन्न क्रिया कलापों हेतु आबंटित धनराशि तथा प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके माध्यम से उद्देश्य की पूर्ति अपेक्षित हो।

(ग) प्रत्येक क्रिया कलाप या कार्यक्रम में किये गये कार्यों में उपलब्ध कराई गई सेवाओं अथवा प्राप्त किये गये परिणामों को गुणात्मक आँकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

उद्देश्य : कार्यपूर्ति बजट के माध्यम से निम्नांकित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है :—

1. प्रत्येक क्रिया कलाप, कार्यक्रम अथवा परियोजना के वित्तीय तथा भौतिक पक्षों में सह सम्बन्ध स्थापित करना।
2. बजट निर्माण, बजट समीक्षा तथा प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
3. विधायिका तथा अन्य सम्बन्धित स्तरों पर उचित मूल्यांकन एवं समीक्षा संभव होना।

4. प्रभावी कार्यपूर्ति सम्प्रेक्षण संभव हो पाना ।

5. जैसी योजनाओं से अपेक्षा की गई हो (दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन) उद्देश्यों की प्राप्ति का आँकलन करना।

6. वार्षिक बजट तथा वार्षिक योजनाओं के माध्यम से सामान्य भाषा में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना ।

7. हर स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास संभव करना।

8. हर स्तर पर उत्तरदायित्व को बढ़ामा तथा साथ ही बजट नियंत्रण करने में प्रभावी आशय के रूप में कार्य करना ।

9. विभाग अथवा संस्था की विभिन्न इकाइयों के परिणाम ज्ञात करना तथा विभिन्न इकाइयों में एक निश्चित समय से प्राप्त परिणामों की तुलनात्मक समीक्षा करना ।

10. पूर्व वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष में प्राप्त परिणामों की समीक्षा संभव होना ।

कार्यानुसार वर्गीकरण : किसी संस्था/शासन में कार्यपूर्ति बजट के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके कार्यों, क्रियाकलापों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के आधार पर उद्देश्यपूर्ण वर्गीकरण किया जाय। इस कार्यानुसार वर्गीकरण की निम्न मदें होंगी :—

कार्य/मद	परिभाषा	उदाहरण
कार्य (Function) मुख्य शीर्षक	शासकीय प्रयास का मुख्य भाग जो कि विशेष प्रकार की लोक सेवा प्रदान करती है ।	शिक्षा
क्रिया कलाप (Programme) लघु शीर्षक	शासकीय प्रयास के मुख्य भाग का एक भाग जिसका अन्तिम उद्देश्य तथा मुख्य संस्था के साथ पहिचान हो। क्रिया कलाप का उद्देश्य शासकीय प्रयास के मुख्य भाग, जिससे वह सम्बन्धित हो, के प्राप्ति में सहायक हो।	माध्यमिक शिक्षा
कार्यक्रम (Activity) या परियोजना (Project) उप शीर्षक	कार्यक्रम या परियोजना, क्रिया कलाप का सजातीय भाग है। कार्यक्रम या परियोजना, क्रिया-कलाप जिससे वह सम्बन्धित होता है उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है। कार्यक्रम या परियोजना अधीनस्थ कार्यालय के रूप में पहचानी जा सकती है। कार्यक्रम राजस्व व्यय तथा परियोजना पूंजीगत व्यय को प्रदर्शित करती है।	शिक्षकों का प्रशिक्षण
मानक मद विस्तृत शीर्षक	वास्तविक इनपुट प्रदर्शित करता है।	वेतन

लेखांकन सुधार : कार्यपूर्ति बजट के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लेखा पद्धति तथा वित्तीय प्रशासन को बजट के वर्गीकरण के समरूप बनाया जाय। प्रारम्भिक अवस्था में नियोजन, वित्त तथा भौतिक सीधी-सीधी सूचनाओं के समावेश पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे उनका प्रयोग मूल अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना में किया

जा सके । जैसे-जैसे कार्यपूर्ति बजट का विकास होता जाय, उसका गुणात्मक विकास करना चाहिए । तदुपरान्त लेखा सम्बन्धी जटिल समस्याओं पर विचार करना चाहिए ।

लेखा वर्गीकरण : प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर बजट की समीक्षा करने के लिए मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षकों का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया । इस समिति के सुझाव पर वर्ष 1974-75 में बजट तथा लेखा शीर्षकों को पाँच श्रेणी में वर्गीकृत किया गया जो कि निम्नवत् है :—

(1) **प्रखण्ड वर्गीकरण** (Sectoral Classification) **(प्रथम श्रेणी)** : शासन के कुल क्रिया कलापों को चार खण्डों में विभाजित किया गया है :—

(अ) **सामान्य सेवायें** : ऐसी सेवायें जो राज्य के स्थायित्व के लिए अपरिहार्य हों जैसे पुलिस, जेल, करों की उगाही, लोक निर्माण आदि ।

(आ) **सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें** : व्यक्तियों तथा समाज के लिए प्राथमिक सामाजिक सेवायें जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा, आवास, श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, परिवार नियोजन, कला तथा संस्कृति आदि ।

(इ) **आर्थिक सेवायें**: आर्थिक विकास के लिए उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी सेवायें जैसे कृषि, उद्योग, शक्ति, यातायात, सहकारिता, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, डेरी आदि ।

(ई) **अनुदान** : केन्द्र से राज्यों को, राज्यों से सामाजिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों की तथा केन्द्र से विदेशी सरकारों को ।

(2) **प्रत्येक खण्ड के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्षक (द्वितीय श्रेणी)** : शासन के मुख्य कार्यों के समरूप रखे गये हैं जैसे गृह, शिक्षा, कृषि, उद्योग आदि ।

(3) **प्रत्येक मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत लघु शीर्षक (तृतीय श्रेणी)** : क्रिया कलापों के समतुल्य होते हैं जैसे उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा एस० सी० ई० आर० टी० ।

(4) **प्रत्येक शीर्षकों के अन्तर्गत उप शीर्षक (चतुर्थ श्रेणी)** : विभिन्न क्रिया कलापों से सम्बन्धित कार्यक्रम उस क्रिया कलाप को प्रतिबिंबित करते हैं जैसे माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

(5) **प्रत्येक उप शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत शीर्षक (पंचम श्रेणी)**: जो कि कार्यक्रम को प्रतिबिंबित करता है जैसे शिक्षकों का प्रशिक्षण के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सहायता ।

नाप की इकाई : कार्यपूर्ति बजट की मुख्य आवश्यकता प्रत्येक क्रिया कलाप एवं कार्यक्रम के भौतिक तथा वित्तीय पक्ष का सह सम्बन्ध स्थापित करना है जिससे एक ओर (input) तथा दूसरी ओर (output) में अर्थपूर्ण सह सम्बन्ध निकल सके । उद्देश्य यह है कि किये गये परिमाण के आधार पर साधनों का उचित सह सम्बन्ध निकाला जा सकता है। इससे प्राप्त आँकड़ों से बजट प्रस्ताव के बनाने तथा संसाधनों को प्रयोग करते समय, विवेचन करते समय सहायता मिलती है । अतः यह आवश्यक है कि कार्यपूर्ति बजट के विकास के लिए उचित नमूना, मापदण्ड, मानक तथा इकाई निर्धारित की जाय तथा जहाँ तक संभव हो क्रिया कलाप तथा कार्यक्रम में प्रति इकाई आय-व्यय निकाला जा सके । सबसे प्राथमिक सिद्धान्त किये गये कार्य तथा हुए व्यय अर्थात् कार्यभार सिद्धान्त (workload approach) से होता है। प्रत्येक कार्यक्रम में यथोचित कार्यभार निर्धारित किया जाता है । उदाहरण के लिए कार्यभार प्राप्त आख्याओं की संख्या तथा निस्तारित आख्याओं की संख्या हो सकती है । प्राप्त पेंशन के मामले तथा निर्णीत पेंशन के मामले, कुल प्रशिक्षण की सीटें तथा भर्ती किये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, निश्चित समय में निर्धारित निरीक्षणों की संख्या, एक विद्यालय में अध्यापकों की संख्या के आधार पर पढ़ाये जा सकने वाले छात्र/छात्राओं के प्रवेश किये जा सकने की संख्या तथा प्रवेश दिये गये छात्रों की संख्या, प्राविधानित छात्रवृत्तियों की संख्या तथा वितरित छात्रवृत्तियों की संख्या ।

कार्यपूर्ति बजट के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में किये गये कार्य अथवा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के नमूने, मापदण्ड, मानक या इकाइयों में समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। कार्य हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से विरोध हो सकता है, यदि वे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने में असमर्थ रहते है। अतः प्रारम्भिक अवस्था में यह आवश्यक है कि जहाँ पूर्व से लक्ष्य निर्धारित न हो वहां कम से कम लक्ष्य निर्धारित किया जाय। जैसे-जैसे कार्यपूर्ति बजट पर विकास होता जाय लक्ष्य को क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाय तथा उनके परिपालन में कड़ाई बरती जाय।

किन्तु सरकार का प्रत्येक कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से आँकड़ों के आधार पर नापा नहीं जा सकता है। विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ उत्पादन की परिभाषा ही निश्चित न की जा सकती हो, उदाहरण के तौर पर सौन्दर्यीकरण योजना आदि। किये गये कार्य अथवा इकाई के आधार पर निश्चित किये गये कार्य के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तथा इसके सम्पादन में अर्थपूर्ण सहसम्बन्ध निकालने का प्रयास करना चाहिए। इस औसत के आधार पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा किये गये उत्पादन के विश्लेषण तथा व्याख्या करने में सहायता मिलती है। इससे मानक इकाई मूल्य की समय-समय पर तुलना की जा सकती है तथा व्यय पर उचित नियंत्रण किया जा सकता है।

सूचना का सम्प्रेषण : वित्तीय नियंत्रण के लिए उद्देश्यपूर्ण संरचित तथा अर्थपूर्ण विधि से तैयार की गई सूचनाओं का समय से प्रेषण अत्यन्त उपयोगी है। उचित समय पर वांछित आँकड़ों के अभाव में उनका विश्लेषण संभव न होगा। फलतः निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होगी, साथ ही शासन के लिए कार्यपूर्ति बजट की उपादेयता प्रभावित होगी। बजट निर्माण, बजट में स्वीकृत धनराशि के वितरण, बजट नियंत्रण तथा परिणामों की समीक्षा हेतु सूचनाओं का बहुत बड़ा उपयोग है। शासन तथा विभाग स्तर पर सूचनाओं के प्रपत्र इस प्रकार संशोधित तथा संरचित करना चाहिए जिससे कार्यपूर्ति बजट बनाते समय उनका उपयोग किया जा सके। सूचनायें इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए जिससे उनके बनाने/तैयार करने में कठिनाई हो। सूचनायें इस प्रकार की होनी चाहिए कि कार्यकलापों, कार्यक्रमों तथा परियोजना स्तर पर अधिकारों तथा दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख हो। सूचनाओं के सामयिक अन्तराल पर समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कार्यपूर्ति बजट के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

परम्परागत बजट बनाम कार्यपूर्ति बजट : परम्परागत बजट व्यय को ध्येय में रखकर बनाया जाता है। बजट में मदें इस प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं जिससे व्यय का अनुमान लगे जैसे वेतन, मजदूरी, महँगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, अन्य भत्ता, किराया, कर तथा उपकरण, लघु निर्माण आदि। संक्षेप में यह इंगित करने का प्रयास किया जाता है कि किन-किन मदों पर व्यय किया जाना है।

दूसरी ओर कार्यपूर्ति बजट में वह उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है जिस पर व्यय किया जाना अपेक्षित है। अतः स्पष्ट है कि इसमें शासन के कार्यों पर जोर दिया जाता है, क्रिया कलाप जो कि पूर्ण होने हैं तथा कार्यक्रम जो कि सफलतापूर्वक सम्पादित किये जाने अपेक्षित हैं। क्रिया कलापों को पुनः कार्यक्रमों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए धन आबंटित किया जाता है। संक्षेप में परम्परागत बजट में व्यय को अधिक महत्व दिया जाता है, परिणामों पर कोई विचार नहीं किया जाता है। कार्यपूर्ति बजट, दूसरी ओर इनपुट तथा आउटपुट के सम्बन्ध की समीक्षा तथा कार्यान्वयन के तथ्यों पर विचार करता है। अन्त में कार्यपूर्ति बजट पूर्णतया विकसित सूचनाओं का प्रयोग करता है जिससे वित्तीय नियंत्रण होता है। सूचनाओं के आधार पर वास्तविक समीक्षा की जाती है संकल्पनाओं के आधार पर नहीं।

कार्यपूर्ति बजट का रूप पत्र : कार्यपूर्ति बजट के तीन मुख्य भाग होते हैं :—

1. **प्रस्तावना** : प्रस्तावना भाग से विभाग/संस्था के उद्देश्य, सगठनात्मक ढाँचा तथा संगठनात्मक ढाँचे के हर स्तर पर निर्धारित किये गये दायित्व, संक्षेप में विभाग के कार्य तथा क्रिया कलाप।

2. **वित्तीय आवश्यकता** : इस प्रस्तर के तीन उप भाग किये जाते हैं तथा अलग-अलग बनाये जाते हैं :—

(अ) **क्रियाकलाप/कार्यक्रम का वर्गीकरण** : जिसका वर्गीकरण क्रिया कलापों तथा कार्यक्रमों में किया जाता है।

(आ) **उद्देश्य का वर्गीकरण** : इस भाग में सम्पूर्ण बजट में मानक मद वार वर्गीकरण किया जाता है जैसे वेतन, टेलीफोन व्यय, यात्रा व्यय आदि ।

(इ) **वित्तीय स्रोत** : यहाँ कई अनुदान संख्याओं को तथा मुख्य लेखा शीर्षक जिनके अन्तर्गत प्रत्येक क्रिया कलाप/कार्यक्रम का प्राविधान स्पष्ट किया जाता है।

3. **वित्तीय आवश्यकता का स्पष्टीकरण** : कार्यपूर्ति का यह महत्वपूर्ण भाग होता है। इस भाग में कार्यक्रम/क्रिया कलाप का वास्तविक व्यय, पुनरीक्षित व्यय तथा आय-व्यय का अनुमान प्रदर्शित करते हुए किये गये कार्य, चालू कार्य तथा प्रस्तावित कार्यों तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की समीक्षा की जाती है। विगत वर्षों में प्राप्त की गई उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है तथा बजट माँग के साथ भौतिक आँकड़े भी स्पष्ट किये जाते हैं।

●

परिशिष्ट–3

नवीनतम शासनादेश एवं विभागीय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-जी० आई०-74/दस-87-59-81

लखनऊ, 31 दिसम्बर, 1987

विज्ञप्ति

विविध

जनरल प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम 11(1) तथा कन्ट्रीब्यूटरी प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम-11(1) और उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन-इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम 9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्रावीडेन्ड फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूटरी प्रावीडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटरी प्रावीडेन्ट पेंशन-इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्स-क्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष, 1987-88 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) प्रति वर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 1987 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी।

2—राज्यपाल महोदय यह भी घोषित करते हैं कि इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या सा-4-जी०आई०-28/दस-86-9-81, दिनांक 5 जुलाई, 1986 के प्रस्तर-2 का उपबन्ध, जिसके अनुसार अंतिम निष्कासन के रूप में निकाली गयी धनराशि के 1 प्रतिशत के बराबर की धनराशि की अभिदाता के खाते में जमा किये जाने वाले ब्याज में से कटौती की जानी अनिवार्य थी, 1 अप्रैल, 1986 से निरस्त कर दिया जायेगा।

3—ब्याज की गणना हेतु एक सद्योगणक (रेडीरेकनर) संलग्न है।

आज्ञा से,

वी० के० सक्सेना

प्रमुख सचिव, वित्त

भविष्य निर्वाह् निधि में जमा अवशेष पर ब्याज के आगणन हेतु सह्योगणक

वर्ष 1987-88 अवशेष (रु०)	ब्याज की दर 12% ब्याज (रु०)	वर्ष 1987-88 अवशेष (रु०)	ब्याज की दर 12% ब्याज (रु०)
1	2	1	2
1	0.12	800	96.00
2	0.24	900	108.00
3	0.36	1,000	120.00
4	0.48	2,000	240.00
5	0.60	3,000	360.00
6	0.72	4,000	480.00
7	0.84	5,000	600.00
8	0.96	6,000	720.00
9	1.08	7,000	840.00
10	1.20	8,000	960.00
20	2.40	9,000	1,080.00
30	3.60	10,000	1,200.00
40	4.80	20,000	2,400.00
50	6.00	30,000	3,600.00
60	7.20	40,000	4,800.00
70	8.40	50,000	6,000.00
80	9.60	60,000	7,200.00
90	10.80	70,000	8,400.00
100	12.00	80,000	9,600.00
200	24.00	90,000	10,800.00
300	36.00	1,00,000	12,000.00
400	48.00		
500	60.00		
600	72.00		
700	84.00		

परिशिष्ट–4

संख्या : वे०आ०-1-1234/दस-48 (एम)/88

प्रेषक,

श्री विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ० प्र०।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, इलाहाबाद-लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक स्थानीय निकाय, उ० प्र०, 4-प्राग नारायन रोड, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 15 जून, 1988

विषय :— राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० : वे०आ०-1-3366/दस-36 (एम)/86, दिनांक 9 मार्च, 1988 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों तथा शहरी स्थानीय निकायों के अनुमोदित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को दिनांक 1-7-87 से स्वीकृत महंगाई भत्ते की दरों को दिनांक 1-1-1988 से निम्न प्रकार से संशोधित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :—

वेतन श्रेणी	महंगाई भत्ता की मासिक दर वेतन का प्रतिशत
(1) 3500 रु० तक मूल वेतन	18 प्रतिशत
(2) 3501 रु० से 6000 तक मूल वेतन	13 प्रतिशत परन्तु कम से कम 630 रु०
(3) 6000 रु० से अधिक के मूल वेतन	11 प्रतिशत परन्तु कम से कम 780 रु०

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु वेतन का तात्पर्य कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात् महंगाई भत्ते के आगणन हेतु विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्तों आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई

भत्ते का लाभ उन समस्त कर्मचारियों को जो दिनांक 1-7-79 से लागू वेतनमानों में, उससे पूर्व प्रचलित वेतनमानों तथा यू०जी०सी० वेतनमान में कार्यरत हैं, अनुमन्य होगा।

3. इस महंगाई भत्ते के आगणन हेतु अनुमन्य मूल वेतन के साथ सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को जो धनराशि मूल वेतन पर महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 1-1-86 तथा तदर्थ महंगाई भत्ते के रूप में दिनांक 1-4-86 को मिल रही थी, जोड़ी जायेगी और दिनांक 1-1-88 से स्वीकृत महंगाई भत्ते के अतिरिक्त मिलती रहेगी। इस प्रकार जोड़ने पर जो धनराशि आयेगी, उसी को आधार मानकर महंगाई भत्ते की गणना के लिए प्रस्तर-1 में दी गयी तालिका के लिए वेतन श्रेणी निर्धारित की जायेगी। महंगाई भत्ते का आगणन कैसे किया जायेगा, के संबंध में स्पष्टीकरण भी शासनादेश सं० वे०आ०-1-348/दस-88-36(एम)/86, दिनांक 1 मार्च, 1988 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रस्तर-1 में स्वीकृत महंगाई भत्ता उनके द्वारा आहरित केवल मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होगा।

4. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते पर भी उपर्युक्त शासनादेश संख्या : वे०आ०-1-3366/दस-36 (एम)/86, दिनांक 9 मार्च, 1988 के प्रस्तर-1 से 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5. उपर्युक्त के अनुसार इन आदेशों द्वारा दिनांक 1-1-88 से 31-5-88 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की अवशेष देय धनराशि संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 1-7-88 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं हैं तो उसे उक्त बकाया अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 1-6-1988 से (जिसका भुगतान जुलाई, 1988 में देय होगा) कर्मचारियों को नकद किया जायेगा। जिन कर्मचारियों की सेवायें इन आदेशों के जारी होने की तिथि के पूर्व समाप्त हो गई हों, अथवा जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31-12-88 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

भवदीय,

विजय कृष्ण सक्सेना

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–5

संख्या : 1643/15-2-88-13 (3)/75

प्रेषक,

श्री के० डी० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०), उ० प्र०,
आडिट (1) अनुभाग,
इलाहाबाद ।

शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक : 12 अगस्त, 1988

विषय :—अशासकीय विद्यालयों के वेतन वितरण की व्यवस्था हेतु लेखा संगठन की स्थापना के अन्तर्गत सृजित पदों का स्थायीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अशासकीय विद्यालयों के वेतन वितरण की व्यवस्था तथा लेखा संगठन का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–3665/15-2-13(3)/75, दिनांक 18 अगस्त, 1975 द्वारा सृजित विभिन्न श्रेणी के कुल 575 में से 520 अस्थायी पदों, जिनका विवरण संलग्नक में उल्लिखित है, को दिनांक 1-6-1988 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2. उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हों, भी देय होंगे ।

3. उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय, आय-व्यय के अनुदान संख्या 65 के लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनेतर–02–माध्यमिक शिक्षा विभाग का लेखा संगठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

4. प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24 (12)/86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है ।

भवदीय,
के० डी० श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

संलग्नक

शासनादेश संख्या : 1643/15-2-88-13(3)/75, दिनांक 12 अगस्त, 1988 द्वारा दिनांक 1-6-88 से स्थायी किये गये पदों का विवरण

क्र० सं०	पद का नाम	स्वीकृत वेतनमान	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुये हैं	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अंतिम बार 29-2-88 तक उनका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
		मैदानी क्षेत्र के पद				
1.	मुख्य लेखाधिकारी	रु० 1840-60-1900--75-2200-100-2400.	1	संख्या-3665/15-2-13(3) 75, दिनांक 18-8-75	सं० 835/15-2-87-13(3)/75 दिनांक 5-5-87	—
2.	ज्येष्ठ लेखाधिकारी	रु० 1250-50-1300-60-1600-द० रो०-60-1900-75-2050.	2			
3.	लेखाधिकारी	रु० 850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720.	34			
4.	ज्येष्ठ संपरीक्षक	रु० 570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो०-30-1100.	56			
5.	कनिष्ठ संपरीक्षक	रु० 470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735.	112			
6.	लेखाकार	रु० 570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो०-30-1100.	47			
7.	सहायक लेखाकार	(1) रु० 515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860. (निदेशालय में) (2) रु० 470-15-575-द०रो० 15-650-17-701-द० रो०-17-735. (अधीनस्थ कार्यालय में)	94			

1	2	3	4	5	6	7
8.	ज्येष्ठ टीपालेखक	रु० 470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735.	52			
9.	कनिष्ठ टीपालेखक	रु० 430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685.	3			
10.	आशुलिपिक	रु० 470-15-575-द०रो-15-650-17-701-द०रो०-17-735.	2			
11.	आशुलेखक	रु० 515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860.	1			
12.	टंकक	रु० 354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550.	49			
		योग मैदानी क्षेत्र	453			

पर्वतीय क्षेत्र के पद

1	2	3	4	5	6	7
13.	लेखाधिकारी	रु० 850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द० रो०-60-1720.	6			
14.	सहायक लेखाधिकारी	रु० 690-40-970-द०रो०-40-1050-50-1200-द०रो०-50-1300-60-1420.	4			
15.	ज्येष्ठ संपरीक्षक	रु० 570-25-770-द०रो०-30-980-द० रो०-30-1100.	8			
16.	कनिष्ठ संपरीक्षक	रु० 470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735.	16			
17.	लेखाकार	रु० 570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो०-30-1100.	8			

1	2	3	4	5	6	7
18.	सहायक लेखाकार	(1) रु० 515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860. (निदेशालय में) (2) रु० 470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735. (अधीनस्थ कार्यालय में)	9			
19.	ज्येष्ठ टीपालेखक	रु० 470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735.	8			
20.	नैत्यिक लिपिक/टंकक	रु० 354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550.	8			
		योग पर्वतीय क्षेत्र	67			
		कुल योग	520			

के० डी० श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

परिशिष्ट-6

वित्तीय सर्वेक्षण पर कार्यवाही आदेश

अ०शा० पत्रांक/आडिट (1) वि०स० से०/1778-1927/88-89

बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक

गोपनीय

शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद दिनांक : जुलाई 11, 1988

प्रिय महोदय,

अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वित्तीय सर्वेक्षण की आख्या से कतिपय जनपदों में निम्न तथ्य प्रकाश में आये हैं :—

(1) पद उपलब्ध न होते हुए भी स्वीकृत जनशक्ति से अधिक पदों हेतु अनुमोदन/वित्तीय सहमति प्रदान की गयी है। मृत पदों को बिना पुनर्जीवित कराये अनुमोदन दिये गये हैं।

(2) छात्र संख्या कम हो जाने पर पद का औचित्य न होते हुए भी अनुमोदन/वित्तीय सहमति प्रदान की गयी है।

(3) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम/माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में दिये प्राविधानों के विपरीत अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

उपरोक्त कार्य नियमानुसार सही नहीं है और इससे शासन पर व्यय भार बढ़ा है, जिसे नियंत्रित करने हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्त प्रकरण की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु निम्नांकित आदेश तत्काल अनुपालनार्थ निर्गत किये जा रहे है :—

(1) प्रत्येक जनपद में जनशक्ति/अनुमोदन रजिस्टर अनुरक्षित किया जाय। प्रारूप संलग्न है।

(2) प्रत्येक विद्यालय की जनशक्ति (अनुमोदन रजिस्टर) में अंकित की जाय।

(3) जैसे ही कोई अनुमोदन/वित्तीय सहमति प्रदान की जाय, उसको रजिस्टर में अंकित किया जाय तथा एक प्रति गार्ड फाइल में चिपका करके सुरक्षित की जाय।

(4) पद पर नियमानुसार अनुमोदन/वित्तीय सहमति देने के पूर्व वर्तमान परिस्थितियों में उसके जारी रखने का पूर्ण औचित्य, पद स्वीकृति जनशक्ति के अन्दर है और पद मृत तो नहीं है, इसका भी परीक्षण कर लिया जाय। इस पर कार्यालय पत्रावली में स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जानी आवश्यक है।

(5) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व जनपद के लेखा संगठन के वरिष्ठतम अधिकारी/कर्मचारी से वित्तीय सहमति अपरिहार्य रूप में प्राप्त की जायेगी तथा इसका उल्लेख अनुमोदन पत्र में अवश्य किया जाय। अनुमोदन पत्र में पूर्व कर्मचारी का नाम, पद खाली होने की तिथि का कारण सहित (सेवा निवृत्त/मृत) का उल्लेख किया जाय।

(6) किसी भी दशा में अनुमोदन/वित्तीय सहमति विषयक पत्र मीमो पत्र से निर्गत न किया जाय और न ही हाथों हाथ दिया जाय, वरन पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाय। अनुमोदन/स्वीकृति आदेशों की प्रतियां अपरिहार्य रूप में अपर शिक्षा निदेशक (मा०) एवं मुख्य लेखाधिकारी को पृष्टांकित करते हुये उसी दिन भेजी जायँ तथा अलग से मासिक संकलित आख्या (M. D. O.) में यह भी स्पष्ट किया जाय कि नये

पद सृजन/नियुक्ति पर अनुमोदन से कितना मासिक वित्तीय व्यय-भार बढ़ेगा और कितनी अवधि तक इसका प्रभाव रहेगा।

(7) एम०डी०ओ० के साथ दिये गये अनुमोदन/वित्तीय सहमतियों की सूची लगायी जाय तथा प्रमाणित प्रतियां भेजी जायँ।

(8) शिक्षकों के अवकाश प्रबन्ध में उसी स्थिति में अनुमोदन प्रदान किया जाय जब कि उस विषय को पढ़ाने हेतु शिक्षक न हों तथा नियुक्ति अपरिहार्य हो। सामान्यतः यह व्यवस्था 60 दिन से अधिक के अवकाश पर की जाय।

(9) शिक्षणेतर कर्मचारियों के अवकाश प्रबन्ध में उसी स्थिति में वित्तीय सहमति प्रदान की जाय, जब कि ऐसा न करने से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संख्या इण्टरमीडिएट कालेज में तीन तथा हाईस्कूल में एक से कम रह जाती हो। इसी प्रकार चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की संख्या 8 से कम रह जाती हो।

(10) मण्डलीय अधिकारी प्रत्येक निरीक्षण में इस बिन्दु की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय तथा पत्र की प्राप्ति स्वीकार की जाय।

संलग्नक—प्रपत्र एक

भवदीय

बी० पी० खण्डेलवाल

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/
मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/
मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत जनशक्ति/अनुमोदन या वित्तीय सहमति देने की पंजिका का प्रारूप

(जिला विद्यालय निरीक्षक/मं०बा०वि० निरीक्षिका कार्यालय में अनुरक्षण हेतु)

विद्यालय का नाम.......................... (प्रत्येक विद्यालय हेतु अलग-अलग पृष्ठ होंगे)

विद्यालय हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक-मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत कुल पदों की संख्या एवं निर्धारित जनशक्ति

स्वीकृत अधिकारी का पद नाम, पत्रांक तथा दिनांक	स्वीकृत पद संख्या							स्वीकृत पत्र की तिथि को कुल निर्धारित जनशक्ति
	प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक	प्रवक्ता	एल०टी०	सी०टी०	अन्य	लिपिकीय	चतुर्थ वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या								पदनाम सहित रिक्तपदों की संख्या तथा रिक्ति की तिथि	रिक्ति का कारण
प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	एल०टी०	सी०टी०	अन्य	लिपिकीय	चतुर्थवर्ग	योग		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

जि०वि०नि०/मा०बा० वि०नि० द्वारा रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवस्था के लिये दिये गये अनुमोदन/ वित्तीय सहमति का बिवरण		जि०वि०नि०/म०बा०वि०नि० द्वारा अवकाश प्रबन्ध में दिये गये अनुमोदन का विवरण			वर्तमान में विद्यालय की आवश्यकता		लेखा-धिकारी के स्पष्ट हस्ताक्षर तिथि सहित	जि०वि० नि०/मं० बा० वि० नि० के स्पष्ट हस्ताक्षर तिथि सहित	विशेष विवरण
पत्रांक-दिनांक	पद की संख्या	पत्रांक/ दिनांक	पद	अवधि जब तक के लिये स्वीकृति दी गई	पद की आवश्यकता यदि हो विवरण	पद संख्या के आधार पर अधिक पदों की स्थिति जिसका समायोजन होना है			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

परिशिष्ट—7

जनपदीय लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

पत्रांक आडिट (1)/2279/88-89 दिनांक : जुलाई 28, 1988

कार्यालय आदेश

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय, इलाहाबाद में वित्तीय एवं लेखा कार्य, लेखा संगठन के वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य लेखाधिकारी द्वारा देखा जाता है। निदेशालय, शिविर कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा पत्राचार संस्थान में ज्येष्ठ लेखाधिकारी तथा प्रमुख कार्यालयों में लेखाधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी इस कार्य में सहयोग देते हैं। समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ०प्र० तथा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में इसी प्रकार एक लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद हैं।

2. उपर्युक्त लेखाधिकारियों के सहयोगार्थ लेखाकार, वरिष्ठ सम्प्रेक्षक, सम्प्रेक्षक, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक, टंकक तथा अधीक्षक ग्रेड-II के पद भी हैं।

3. विभाग की अपेक्षा है कि वित्त लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारी एवं उनसे सम्बद्ध कर्मचारी एक संयुक्त परिवार की तरह शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सद्भावपूर्ण वातावरण में अपेक्षित वित्तीय प्रबंध का कार्य सुचारु रूप से चलाते रहें। प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारियों द्वारा समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों का निस्तारण समयबद्ध व नियमानुसार होना आवश्यक है। शिक्षा विभाग एक है और इसी में लेखा संवर्ग एवं शिक्षा संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं और सभी का यह मिला जुला पूर्ण प्रयास होना है कि समयबद्ध कार्य निस्तारण, निरन्तर विकास, सम्बर्धन तथा प्रसार हो। विभाग की प्रतिष्ठा, गरिमा, अस्तित्व, एवं हित इसी में निहित हैं।

4. **लेखा सेल का कार्य विवरण**—यह कार्य विवरण सर्वांगपूर्ण नहीं है वरन् केवल मार्ग दर्शनार्थ हैं। आशय यह है कि इस निर्देश के साथ समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं में उल्लिखित नियमों एवं प्राविधानों तथा अन्य विभागीय आदेशों का पालन भी किया जाय। शासनादेश संख्या एस-8097/दस-300(14)-74 वित्त सेवायें अनुभाग-2, दिनांक 2, जनवरी, 1975 द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी के कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

5. लेखा संगठन के लेखाधिकारियों/सहायक लेखाधिकारियों के कार्य वितरण की रूपरेखा सर्व संबंधित की सुविधा के लिये अनुपालनार्थ संलग्न है।

बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी समस्त कार्य, यथा :—

(क) वेतन बिलों की जांच करके नियमानुसार पारित करना एवं वेतन संदाय करना।

(ख) वेतन संदाय खाते में अपेक्षित शुल्काय तथा हरिजन क्षतिपूर्ति का निर्धारित अंश जमा हो रहा है, की सामयिक जांच करना।

(ग) अनुदानों की स्वीकृतियों का लेखा रखना।

(घ) कैशबुक, लेजर एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव।

(ङ) वेतन वितरण संबंधी निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करना, प्रत्येक माह 20 से 25 के बीच वेतन बिल प्राप्त करना, 20 से 28 के बीच वेतन बिलों की जांच करना तथा 28 से 30 अथवा 31 जो भी स्थिति हो के बीच अनुदान बिलों को पारित करने हेतु कोषागार को प्रेषित करना।

(च) संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना।

नोट :—(1) वेतन के अनुदान बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी लिखित रूप में अपनी सहमति जिला विद्यालय निरीक्षक को देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं लेखाधिकारी का पूर्ण प्रयास होना चाहिये कि प्रत्येक दशा में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को महीने के प्रथम सप्ताह में नियमित वेतन का भुगतान अवश्य हो जाय।

(2) यदि निदेशालय द्वारा नियमित वेतन हेतु आबंटित धनराशि कम पड़ती है तो अतिरिक्त धनराशि शिक्षा निदेशालय से जनपदीय कैशबुक, लेजर एवं अवशेष बिलों की प्रति सहित पूर्ण औचित्य के साथ मांग पत्र भेजकर अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर लिया जाय और तत्काल अवशेष कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाय।

(छ) साख सीमा संबंधी मासिक व्यय विवरण मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालयों में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय में प्रत्येक मास को बीस तारीख को होने वाली बैठक में मुख्य लेखाधिकारी को उपलब्ध कराना तथा यदि नियमित वेतन हेतु आबंटित धनराशि में से कुछ धनराशि शेष बच गई है, तो उसे भी व्यय विवरण के साथ शिक्षा निदेशालय की साख सीमा सेल को समर्पित करना।

2. **भविष्य निधि लेखा पर्ची** : अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की भविष्य निधि लेखा पर्चियों पर जांचोपरान्त हस्ताक्षर करके 30 जून के पूर्व प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों को वितरित करवाना।

उदाहरणार्थ : वित्तीय वर्ष 1987-88 की भविष्य निधि लेखापर्ची को 30 जून 1988 तक कर्मचारियों को उपलब्ध कराना। भविष्य निधि के लेखे संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा तैयार किये जायेंगे, रखे जायेंगे एवं परीक्षण हेतु लेखाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

3. **भविष्य निधि पर ब्याज** : अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के भविष्य निधि पर देय कुल ब्याज की गणना करके जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को मांग पत्र 31 जुलाई के पूर्व प्रेषित करना।

टिप्पणी—यदि आवश्यक हो तो मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक अतिरिक्त धनराशि के आबंटन हेतु शिक्षा निदेशालय को मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे।

4. **लाभत्रयी योजनान्तर्गत सेवा निवृत्तिक लाभ**—अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए संचालित लाभत्रयी योजना अथवा लागू पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन, आनुतोषिक, जीवन बीमा, अंशदायी भविष्य निधि संबंधी कार्यों के प्रगति का अनुश्रवण करना तथा वांछित सूचनायें एवं स्थिति की जानकारी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक और शिक्षा निदेशालय को भेजना। अशासकीय सहायता प्राप्त उ० मा० वि० (बालक/बालिका) के सेवा निवृत्त शिक्षकों को नियमित पेन्शन का भुगतान सुनिश्चित करना।

5. **सेवानिवृत्तिक मामलों पर परामर्श** : जनपद के शासकीय कर्मचारियों के सेवा निवृत्तिक प्रकरणों उदाहरणार्थ पेंशन, आनुतोषिक, सामूहिक बीमा, सामान्य भविष्य निधि तथा सेवा निवृत्ति के समय अवशेष अर्जित अवकाश के नकदीकरण आदि के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक को परामर्श देना।

6. **बजट एवं प्रपत्रों का प्रेषण** : माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जनपदीय आय व्ययक अनुमान, प्रथम एवं अन्तिम बचत, व्ययाधिक्य विवरणों को तैयार करना एवं उसे शिक्षा निदेशालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना।

7. जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी कार्यालयों की, जहां नियमों में प्राविधान हों, क्रय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करना तथा कुटेशन, निविदाओं एवं संबंधित अभिलेखों की जांच करके वित्तीय परामर्श देना।

टिप्पणी—शिक्षा निदेशालय द्वारा व्यय नियंत्रण योजना के अंतर्गत निर्गत आदेश संख्या अर्थ-6/209/87-88 दिनांक 28 मार्च, 1988 में निहित निर्देशों के अनुसार मासिक व्यय विवरण एवं राजस्व प्राप्तियों के विवरण आयोजनेतर एवं आयोजनागत पक्षवार, शीर्षक, उप शीर्षक, एवं लघु शीर्षकवार प्रत्येक दशा में आगामी 10 तारीख तक मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक से सम्बद्ध सहायक लेखाधिकारी को भेजना जो आय-व्यय संबंधी आंकड़ों को संकलित करके शिक्षा निदेशालय के अर्थ (6) अनुभाग को प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

8. **राजकीय भविष्य निधि लेखों का रखरखाव एवं अराजकीय विद्यालयों में भविष्य निधि से भुगतान** : जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में समूह "घ" (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों के भविष्य निधि की पासबुकों के रख रखाव को सुनिश्चित करना। सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षणेतर कर्मचारियों के भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम तथा अन्तिम निष्कासन एवं अन्तिम भुगतान संबंधी आवेदन पत्रों की समीक्षा करके सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।

9. **वेतन निर्धारण की जांच** : जनपदीय माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों (समूह "क" के अधिकारियों को छोड़कर) के वेतन निर्धारण की जांच करना।

10. अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्ति, अवकाश प्रबंध में नियुक्ति, चयन वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान की स्वीकृति एवं अन्य सभी अवशेष देयों (तीन वर्ष की अवधि तक के) में जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति के पूर्व जांच करना।

11. **आडिट आपत्तियों का निराकरण** : महालेखाकार उत्तर प्रदेश, लोक लेखा समिति के प्रकरण, निदेशक स्थानीय निधि लेखा, वेतन समिति के निरीक्षक, शासन के पेंशन अनुभाग के निरीक्षक, शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय, इलाहाबाद के सामान्य सम्प्रेक्षण एवं विशेष सम्प्रेक्षण तथा मण्डलीय सम्प्रेक्षण दल के द्वारा उठाई गयी आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या संबंधित उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना तथा भविष्य में इस प्रकार की आपत्तियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उपाय सुझाना, प्रकरणों में समन्वयन एवं अनुश्रवण करना।

12. **विद्यालय लेखों का निरीक्षण** : प्रत्येक माह में जनपद में स्थित कम से कम दो राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लेखों का निरीक्षण करना तथा वहां पर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश देना।

13. **शासकीय धन हानि के मामलों की सूचना** : मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्य लेखाधिकारी/अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को जनपद की गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, अपव्यय, अनाधिकृत व्यय, चोरी एवं गबन आदि अप्रत्याशित घटनाओं के बारे में सूचित करना।

14. **प्रशासकीय कार्य** : लेखा संगठन में कार्यरत लेखा कर्मियों एवं अन्य सम्बद्ध कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु संस्तुति करना, लेखा संगठन में कार्यरत लेखा कर्मी एवं सम्बद्ध सभी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या अंकित करना तथा ऐसे कर्मचारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक हैं, की प्रविष्टियां जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना तथा ऐसे कर्मचारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) हैं, की प्रविष्टियां मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजना।

15. यात्रा कार्यक्रम का अपने कार्यालयाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करना, यात्रा भत्ता बिल प्रति हस्ताक्षरण के लिये समय से भेजना, राजकीय कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना, भविष्य निधि एवं अन्य भुगतानों संबंधी वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव जो निरीक्षणालय तथा अधीनस्थ कार्यालय से संबंधित है, का रख रखाव सुनिश्चित करना और उनकी जांच करना।

16. जनपद में सावधि आंकड़ों द्वारा प्रगति की स्थिति से मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक को मण्डलीय सहायक लेखाधिकारी के माध्यम से अवगत कराना और निदेशालय अथवा मण्डलीय कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

17. विभाग द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक, उ० प्र०
लखनऊ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आधारभूत आंकड़ों/सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र

सभी प्रकार की आवश्यक शैक्षिक सूचनाओं की तालिका बनाना कठिन है लेकिन प्रमुख रूप से जिन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उनके विवरण निम्नवत हैं :—

(1) **जनसंख्या सम्बन्धी विवरण**—आयु-वर्ग और लिंग भेद के अनुसार जनसंख्या, विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या, प्रक्षेपित जनसंख्या, ऐसी आबादियों की संख्या व विवरण जहाँ कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है।

(2) **आर्थिक विवरण**—विभिन्न स्तरों पर राजकीय राजस्व और व्यय के आंकड़े, राजस्व व्यय के आंकड़ों के विभिन्न स्रोत।

(3) **शिक्षा संस्थायें**—उनका स्तर और उनका प्रकार।

(4) **अध्यापक तथा अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं की संख्या**—आयु, लिंग, संस्थाओं तथा योग्यताओं के अनुसार, हर स्तर के लिए एटीशन की दर।

(5) **कक्षायें**—हर स्तर पर वैकल्पिक विषयों और वर्गों के लेने के सम्बन्ध में विवरण।

(6) **विद्यार्थी**—कक्षावार, आयुवार, लिंगवार संख्या। नये प्रवेश के विवरण, फेल होने वाले छात्रों के विवरण, विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के विवरण, ह्रास-अवरोध के विवरण, उपस्थिति के विवरण, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के विवरण।

(7) **स्कूल भवन तथा साज-सज्जा**—उक्त से सम्बन्धित विवरण, भवनहीन विद्यालयों के विवरण, अनुपयुक्त भवनों के विवरण, विज्ञान प्रयोगशालाओं आदि की उपलब्धता के विवरण।

(8) **परीक्षायें**—स्वास्थ्य और बालाहार, छात्रवृत्तियां आदि।

(9) शैक्षिक व्यय के विवरण।

आपकी सुविधा के लिये चौदह सारणियों के प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं जिन पर सूचना तैयार की जाय। ये सारणियां न तो एक्ज्हास्टिव हैं और न ही सम्पूर्ण हैं। ये केवल मार्ग दर्शक संकेतकों के रूप में तथा उदाहरण स्वरूप प्रेषित हैं। आवश्यकतानुसार आप इनके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं और स्पष्टत: अभीष्ट सूचनाओं हेतु आपको इनके अलावा भी अन्य सारणियां बनानी होंगी।

सारिणी-1

क्रमांक	जिले का नाम	जनसंख्या (1981)			प्रक्षेपित जनसंख्या (1990)			प्रक्षेपित जनसंख्या (1995)		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट :—इन सारणियों में जिलों के नाम एक ही निश्चित क्रम में रहें। पहले मैदानी जिले और अन्त में पर्वतीय जिले रखे जायं। सम्पूर्ण योग और संभागीय योग भी दिया जाय।

सारिणी-2

बाल संख्या 6-11 आयु वर्ग

क्रमांक	जिले का नाम	बाल संख्या (1981)			प्रक्षेपित बाल संख्या (1990)			प्रक्षेपित बाल संख्या (1995)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सारिणी-3

बाल संख्या 11-14 आयु वर्ग

कालम यथा सारिणी-2 में

सारिणी-4

बाल सख्या 14-18 आयु वर्ग

कालम यथा सारिणी-2 में

सारिणी-5

वर्तमान 30-9-88 की छात्र संख्या (प्राइमरी स्तर)

क्रमांक	जिले का नाम	प्रक्षेपित बाल संख्या			छात्र संख्या			प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सारिणी-6

वर्तमान 30-9-88 की छात्र संख्या (जूनियर हाईस्कूल स्तर)

कालम यथा सारिणी-5 में

सारिणी-7

वर्तमान 30-9-88 की छात्र संख्या (हाईस्कूल/इण्टर कालेज स्तर)

कालम यथा सारिणी-5 में

सारिणी-8

मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों की संख्या (30-9-88)

क्रमांक	जिले का नाम	नर्सरी	प्राइमरी स्कूल			
			राजकीय	बेसिक परिषदीय	प्राइवेट	योग
1	2	3	4	5	6	7

जूनियर हाईस्कूल (बालक)				जूनियर हाईस्कूल (बालिका)			
राजकीय	बेसिक परिषदीय	प्राइवेट	योग	राजकीय	बेसिक परिषदीय	प्राइवेट	योग
8	9	10	11	12	13	14	15

सारिणी-9

मान्यता प्राप्त हाईस्कूल (30-9-1988)

क्रमांक	जिले का नाम	बालक				बालिका				कुल योग
		राजकीय	प्राइवेट	अन्य	योग	राजकीय	प्राइवेट	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सारिणी-10

मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज (30-9-1988)

कालम यथा सारिणी-9 में

सारिणी-11

उच्च शिक्षा संस्थाएं (30-9-88)

क्रमांक	जिले का नाम	राजकीय डिग्री कालेज			प्राइवेट डिग्री कालेज			संस्थान	विश्वविद्यालय
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सारिणी-12

भवन संबंधी सूचनाएं (30-9-88 की स्थिति)

क्रमांक	जिले का नाम	प्राइमरी विद्यालय			जूनियर हाईस्कूल		
		भवन हीन	इनमें से ऐसे विद्यालय जिनके लिए धन की व्यवस्था की जा चुकी है	ऐसे विद्यालय जिनमें कम से कम एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाना अत्यन्त आवश्यक है	भवन हीन	इनमें से ऐसे विद्यालय जिनके लिए धन की व्यवस्था की जा चुकी है	ऐसे विद्यालय जिनमें कम से कम एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाना अत्यन्त आवश्यक है
1	2	3	4	5	6	7	8

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय		
ऐसे विद्यालयों की संख्या जिनमें जूनियर हाईस्कूल वाला भवन ही बना हुआ है	कुल वर्तमान अनुभाग	प्रयोगशालाओं के अलावा ऐसे उपलब्ध कक्षाकक्ष जिनका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर से कम न हो
9	10	11

सारिणी-13

विविध सूचनाएं (30-9-88) की स्थिति

क्रमांक	जिले का नाम	प्राइवेट उ०मा० विद्यालय						दीक्षा विद्यालय	
		स्थायी मान्यता प्राप्त ऐसे जूनियर हाईस्कूल जो अनुदान सूची पर नहीं हैं	जो जूनियर हाईस्कूल की अनुदान सूची पर आ चुके हैं	जो किसी प्रकार का अनुरक्षण अनुदान नहीं पा रहे हैं	जिनको विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं है	किस वर्ष का बी०टी० सी० सामान्य क्रम में नियुक्ति पा चुका है	शेष बी०टी० सी० प्रशिक्षकों की अनुमानित संख्या	जिनके अपने भवन नहीं हैं	जिनके अपने छात्रावास नहीं बने हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सारिणी-14

क्रमांक	जिले का नाम	राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	संख्या जिनके आवास नहीं बने हैं	कितनों के लिए भूमि उपलब्ध है	कार्यालय जो किराए के भवनों में चल रहे हैं	क्या इनके भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है	राजकीय बालिका उ०मा०वि०		
							जिनमें प्रधानाचार्या निवास नहीं है	जिनमें एक भी अध्यापिका की आवास व्यवस्था नहीं है	राजकीय डिग्री कालेज जिनके अपने भवन अभी नहीं बने
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट–9

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्रम सं०	विषय	स्थान	प्रतिभागी	शिविर के फेरे	विवरण
1	10 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं व्यावसायिक शिक्षा संबंधी 2200 अध्यापकों का प्रशिक्षण	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पीपुल्स कालेज, हल्द्वानी नैनीताल	200 अध्यापक (संदर्भ केन्द्र) + 2000 अन्य चयनित हो रहे हैं।	प्रथम शिविर 21-7-88 से 30-7-88	लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी मण्डलों के संदर्भ केन्द्रों से एक-एक अध्यापक
				द्वितीय शिविर 1-8-88 से 10-8-88	मुरादाबाद, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, बरेली, नैनीताल मण्डलों के संदर्भ केन्द्रों से एक-एक अध्यापक
				तृतीय, 11-8-88 से 20-8-88 तक चतुर्थ, 21-8-88 से 30-8-88 तक पंचम, 1-9-88 से 10-9-88 तक षष्ठम, 11-9-88 से 20-9-88 तक सप्तम, 21-9-88 से 30-9-88 तक अष्टम, 1-10-88 से 10-10-88 तक नवम, 11-10-88 से 20-10-88 तक दशम, 26-10-88 से 4-11-88 तक एकादश, 11-11-88 से 20-11-88 तक द्वादश, 21-11-88 से 30-11-88 तक त्रयोदश, 1-12-88 से 10-12-88 तक चतुर्दश, 11-12-88 से 20-12-88 तक	विवरण बाद में भेजा जायेगा।

				।चदश, 1-1-89 से 10-1-89 तक ।ष्ठदश, 11-1-89 से 20-1-89 तक सप्तदस, 21-1-89 से 30-1-89 तक अष्टदश, 1-2-89 से 10-2-89 तक नवोदश, 11-2-89 से 20-2-89 तक बिशती, 21-2-89 से 29-2-89 तक एकबिशती, 3-3-89 से 12-3-89 तक द्वयोबिशती, 13-3-89 से 22-3-89 तक	
2	5 दिवसीय 800 प्रधानाचार्यों का नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षण	शान्तिकुंज, हरिद्वार	200 प्रधानाचार्य + 600 अन्य चयनित हो रहे हैं	1. 1-8-88 से 5-8-88	लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी एवं मेरठ मण्डल के सन्दर्भ केन्द्रों के प्रधानाचार्य
				2. 16-8-88 से 20-8-88	मुरादाबाद, इलाहाबाद झांसी, आगरा, बरेली, नैनीताल एवं पौड़ी मण्डल के सन्दर्भ केन्द्रों के प्रधानाचार्य
				3. 31-8-88 से 4-9-88 4. 15-9-88 से 19-9-88 5. 30-9-88 से 4-10-88 6. 5-10-88 से 9-10-88 7. 23-10-88 से 27-10-88 8. 12-11-88 से 16-11-88 9. 27-11-88 से 1-12-88	शेष प्रधानाचार्य का चयन किया जा रहा है।

क्रम सं०	विषय	स्थान	प्रतिभागी	शिविर के फेरे	विवरण
3	शिक्षक/शिक्षिकाओं के दस दिवसीय स्काउट/गाइड प्रशिक्षण 3000 अध्यापक/अध्यापिकाओं का	उत्तर प्रदेश भारत स्काउट/गाइड प्रशि० केन्द्र शान्तिकुंज हरिद्वार	200 अध्यापक+ 2800 अन्य अध्यापक जिनका चयन हो रहा है।	1. 6-8-88 से 15-8-88	लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मेरठ एवं वाराणसी मण्डल के संदर्भ केन्द्रों से एक-एक अध्यापक
				2. 21-8-88 से 30-8-88	मुरादाबाद, इलाहाबाद झांसी, आगरा, बरेली, नैनीताल, पौड़ी मण्डल के संदर्भ केन्द्रों से एक-एक अध्यापक
				3. 5-9-88 से 14-9-88 4. 20-9-88 से 29-9-88 5. 28-10-88 से 6-11-88 6. 2-12-88 से 11-12-88 7. 22-12-88 से 31-12-88 8. 1-1-89 से 10-1-89 9. 11-1-89 से 20-1-89	विवरण बाद में भेजा जायगा।
		उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड प्रशिक्षण केन्द्र शीतलाखेत, अल्मोड़ा		1. 1-9-88 से 10-9-88 2. 11-9-88 से 20-9-88 3. 21-9-88 से 30-9-88 4. 1-10-88 से 10-10-88 5. 23-10-88 से 1-11-88 6. 12-11-88 से 21-11-88 7. 22-11-88 से 1-12-88 8. 2-12-88 से 11-12-88	विवरण भेजा जायगा।

		उ० प्र० भारत स्काउट, गाइड प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद		1. 1-9-88 से 10-9-88 तक 2. 11-9-88 से 20-9-88 तक 3. 21-9-88 से 30-9-88 तक 4. 1-10-88 से 10-10-88 तक 5. 23-10-88 से 1-11-88 तक 6. 12-11-88 से 21-11-88 तक 7. 22-11-88 से 1-12-88 तक 8. 2-12-88 से 11-12-88 तक 9. 12-12-88 से 21-12-88 तक 10. 22-12-88 से 31-12-88 तक 11. 1-1-89 से 10-1-89 तक 12. 11-1-89 से 20-1-89 तक	विवरण भेजा जायगा
4	10 दिवसीय 200 अध्यापक/अध्यापिकाओं का सामुदायिक गायन में प्रशिक्षण	राजकीय जुबिली इन्टर कालेज, लखनऊ	चयनित अध्यापक	22-8-88 से 31-8-88	लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मेरठ एवं वाराणसी मण्डल के सन्दर्भ केन्द्रों के चयनित अध्यापक
				2-9-88 से 11-9-88	मुरादाबाद, इलाहाबाद, झांसी, आगरा, बरेली, नैनीताल, पौड़ी मण्डलों के सन्दर्भ केन्द्रों के चयनित अध्यापक
5	10 दिवसीय सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रशिक्षण	साक्षरता निकेतन, लखनऊ	200 संदर्भ केन्द्रों से एक-एक चयनित अध्यापक	1. 1-9-88 से 10-9-88 2. 12-9-88 से 21-9-88 3. 22-9-88 से 1-10-88 4. 3-10-88 से 12-10-88 5. 13-10-88 से 22-10-88	मेरठ आगरा व बरेली बरेली व इलाहाबाद वाराणसी व नैनीताल लखनऊ व गोरखपुर

क्रम सं०	विषय	स्थान	प्रतिभागी	शिविर के फेरे	विवरण
				6. 1-12-88 से 10-12-88	गोरखपुर व झांसी
				7. 12-12-88 से 21-12-88	फैजाबाद व नैनीताल
				8. 22-12-88 से 31-12-88	पौड़ी व मुरादाबाद
6	6 दिवसीय प्रशासकीय प्रशिक्षण	प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल	प्रत्येक फेरे के लिए नामांकित 25 प्रधानाचार्य	1. 3-10-88 से 8-10-88	
				2. 10-10-88 से 15-10-88	
				3. 24-10-88 से 29-10-88	
				4. 31-10-88 से 5-11-88	

माध्यम की अशुद्धियों का शुद्धि पत्र

माध्यम अंक संख्या	पृष्ठ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि जो छपी है	शुद्धि (जो पढ़ा जाय)
1	2	3	4	5
2	20	अनु०-9 पंक्ति 8 व 9	अन्यथा यह समझा जायगा कि दक्षता रोक पार कर दी गई है।	इस अंश को हटाया हुआ समझा जाय।
2	20	अनु०-9 पंक्ति-6	किसी प्रधानाचार्य अथवा अध्यापक	किसी आचार्य अथवा प्रधानाध्यापक
		,, पंक्ति 9	लिपिक तथा चतुर्थ वर्ग	अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ वर्ग
4	60	चार्ट अंश (4)	90 60 30 20	90 90 45 30
		,, (7)	130 90 45 30	130 120 60 40
4	110	अनु०-9 पंक्ति	अन्यथा यह समझा जायगा कि दक्षता रोक पार कर दी गई है।	इस अंश को हटाया हुआ समझा जाय।
7	प्रथम खण्ड			
	6	3	परिलब्धियों	पेन्शन
	30	10	अपर	अवर
	68	फार्म (ए)-30 (प्र-8)	यह प्रपत्र परिवर्तित हो गया है	फार्म (ए)-30 के स्थान पर शासनादेश सं०जी-2/862-1/दस-927/195 दिनांक 20-7-61 द्वारा संशोधित सी०एस०आर० प्रपत्र-30 का प्रयोग किया जायगा। (प्रपत्र-30 संलग्न)

1	2	3	4	5
	86	प्र-24	पारिवारिक पेन्शन स्वीकृति का प्रपत्र-एनेक्जर-III	इस प्रपत्र को समाप्त कर दिया गया है।
	87	प्र-25	फार्म नं० 25 ए० सी० एस० आर०	इस प्रपत्र को समाप्त कर दिया गया है।
	129	अनु०-2 पंक्ति-4	अतियता	अतिवयता
7	द्वितीय खण्ड			
	4	अनु०-4 पंक्ति-5	गाढ़े	आड़े
	4	अनु०-4(1) पंक्ति-3	स्थल	स्थान
	14	1986-87 व 87-88 के सम्मुख अंकित टिप्पणी	1-4-86 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष में तथा बाद के वर्षों में कोई प्रोत्साहन बोनस अलग से देय नहीं होगा। जिन मामलों में वर्ष के दौरान अन्तिम निष्कासन (फाइनल या नानरिफन्डेबुल) लिया जायगा उनमें ली गई धनराशि के एक प्रतिशत (1%) के बराबर निकटतम रुपये तक पूर्णांकित राशि अभिदाता के खाते में जमा की जाने वाली ब्याज की राशि से घटा दी जायगी।	राजाज्ञा सं० सा-4-जी० आई०-74/दस-87-59-81, दिनांक 31-12-87 द्वारा दिनांक 1-4-86 से उपबन्ध "अन्तिम निष्कासन के रूप में निकाली गई धनराशि की अभिदाता के खाते में जमा किये जाने वाले ब्याज में से कटौती की जानी अनिवार्य थी" को निरस्त कर दिया है। अतः वर्ष 1986-87 व 87-88 में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज का आगणन किया जायगा।
4	131	1986-87	उक्त टिप्पणी	उक्तवत संशोधित

FORM No. 30 (Pension)
(Referred to in Article 907 of Civil Service Regulations.)

FORMAL APPLICATION FOR PENSION

From,

....

....

To,

....

....

Subject :—Application for Sanction of Pension.

Sir,

I beg to say that I am due to retire from service with effect from the................ my date of birth being............................ I, therefore, request that steps may kindly be taken with a view to sanctioning the pension and gratuity admissible to me by the date of my retirement. I wish to draw my pension from........................ treasury.

2. I hereby declare that I have neither applied for nor received any pension or gratuity in respect of any portion of the service qualifying for this pension and in respect of which pension and/or gratuity is claimed herein nor shall I submit an application hereafter without quoting a reference to this application and the orders which may be passed hereon.

3. If it is likely that I may retire before my pension is finally assessed and settled, the Accountant General may kindly advance to me an appropriate amount in anticipation of the completion of the enquiries necessary to enable the Government to fix the amount of my pension. I hereby acknowledge that I fully understand that my pension is subject to revision on the completion of the necessary formal enquiries, and I promise to raise no objection to such revision on the ground that the provisional pension to be paid to me exceeds the pension to which I may be eventually found entitled. I further promise to repay any amount advanced to me in excess of the pension to which I may be eventually found entitled.

4. In the contingency of my death occurring before sanction of pension as well as for payment of arrear of pension due on my death I nominate Sri/Smt.................. who will receive the pension for the period I remain alive.

5. I enclose—

(i) Two slips containing my signatures, duly attested.

(ii) Three passport size joint photographs with my wife/husband duly attested.

*(iii) Two slips each bearing my left-hand thumb and finger impressions.

6. My present address is...
and my address after retirement will be...

(Signature)

Date Designation

---

*This is required only in the case of persons who are illiterate and cannot sign their names.

NOTES— (1) Any subsequent change of address should be notified to the Head of Office.

(2) This application should be submitted in duplicate so that one is sent to the Accountant-General, U. P., Allahabad, and other retained in office. Only one set of the enclosures mentioned in paragraph 5 is required.

परिशिष्ट–12

माध्यम के छपे अंश में संशोधन आदेश

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
शिक्षा (सामान्य) (1) (द्वितीय) अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1. मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
2. मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश,
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश,
4. जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक सा० (1) द्वितीय/2588-2787/1988-89 दिनांक 24-7-1988

विषय:—अशासकीय मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में 'माध्यम' अंकों में प्रकाशित लेख के कतिपय अंश से उत्पन्न भ्रान्तियों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के दक्षता रोक के सम्बन्ध में माध्यम-2 के पृष्ठ-20 अनुच्छेद 9 एवं माध्यम 4 के पृष्ठ-110 अनु०-9 में जो उल्लेख है उन पर कतिपय क्षेत्रों में भ्रान्तियां हो रही हैं कि क्या सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिये बिना ही सम्बन्धित कर्मचारी का दक्षता रोक पार किया गया माना जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रकाशित "माध्यम" में प्रकाशित लेख एवं शिक्षा अधिनियमों/विनियमों/शासनादेशों का उद्धरण आदि का उद्देश्य केवल नियमों का यथावत उल्लेख करने के साथ ही नियमों की भावनाओं का आदर करते हुये कार्य में गतिशीलता लाने हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित करना मात्र है।

3. माध्यम 2 के पृष्ठ-20 के अनुच्छेद 9 के अंश "अन्यथा यह समझा जायगा कि दक्षता रोक पार कर दी गई है" को हटाया हुआ समझा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय-3 के विनियम 53 व 54 के अनुसार दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी प्रकार वेतन के काल मान में वार्षिक वेतन वृद्धि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होनी चाहिये। इसी प्रकार माध्यम-4 के पृष्ठ-110 अनुच्छेद 9 में भी अंश "अन्यथा यह समझा जायगा कि दक्षता रोक पार कर दी गई है" को विलुप्त समझा जाय।

अग्रेतर आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 तथा इसके अन्तर्गत निर्मित विनियमों तथा अन्य शिक्षा अधिनियमों, विनियमों/नियमों/शासनादेशों आदि के प्राविधानों के मूल पाठ को देखकर ही कार्यवाही की जाय। यदि कहीं कतिपय लेख/स्पष्टीकरण/अधिनियमों/विनियमों/नियमों आदि के मुद्रण में कोई त्रुटि हो गई हो तो अधिनियमों/विनियमों/शासनादेशों आदि के सम्बन्धित मूल पाठ ही मान्य होंगे तथा 'माध्यम' में प्रकाशित अंश इस सीमा तक संशोधित करके ही पढ़ा जाना चाहिए।

कृपया इससे सभी सम्बन्धितों को अवगत करा दें।

भवदीय,

हरि प्रसाद पाण्डेय

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट-13

आवश्यक/गोपनीय

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4—समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: आडिट (1)/वि०स०से०/2869-2969/88-89 दिनांक: सितम्बर 28, 1988

महोदय/महोदया,

कृपया मेरे अ०शा० पत्रांक: आडिट(1)/वि०स०से०/1778-1927/88-89, दिनांक 11-7-88 का संदर्भ लें, जो अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों के अनुमोदन/नियुक्ति/प्रोन्नति एवं वेतन भुगतान के सम्बन्ध में है।

2—सामान्य सम्प्रेक्षण, विशेष सम्प्रेक्षण एवं वित्तीय सर्वेक्षण आख्याओं एवं विभिन्न स्तरों से प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं, जिसके कारण पुन: निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे हैं, जिनका विशेष सावधानी के साथ कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये :—

(1) वित्तीय सर्वेक्षण के आधार पर जब तक निदेशालय/शासन स्तर से वित्तीय सर्वेक्षण आख्याओं पर निर्णय लेकर कोई निर्देश निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक केवल टोली द्वारा वित्तीय सर्वेक्षण आख्या में प्रदर्शित आवश्यकता को आधार मान कर किसी भी दशा में नियुक्ति/प्रोन्नति/अनुमोदन न किया जाय।

(2) माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय-दो, विनियम-20 के अनुसार शिक्षक वर्ग के ऐसे पूर्व स्वीकृत पद जिन पर पद सृजन के 3 माह के भीतर इनके भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ न होने के कारण अथवा ऐसे पद जो किन्हीं अन्य कारणों (यथा—मृत्यु, त्याग-पत्र, प्रोन्नति आदि) से रिक्त हुए हैं, किन्तु जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर प्रारम्भ न होने के कारण पद अभ्यर्पित हुए माने गए हैं। ऐसे पदों को उक्त विनियम-20 के अनुसार जब तक सक्षम अधिकारी से पुनः स्वीकृत (पुनर्जीवित) नहीं करा लिया जाता उन पदों पर नियुक्ति/अनुमोदन न किया जाय।

(3) कला, व्यायाम, गृह विज्ञान एवं संगीत शिक्षकों के वेतन निर्धारण संबंधी राजाज्ञा संख्या : 5583/पन्द्रह-8-3031-1973, दिनांक 3-10-74 के सम्बन्ध में समय-समय पर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया जाता रहा है एवं इस सम्बन्ध में विभागीय प्रकाशन "माध्यम" के अंक-2 व 4 में भी काफी विस्तार से चर्चा करते हुए स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है। राजाज्ञा संख्या : 5583/पन्द्रह-8-3031-1973, दिनांक 3-10-74 केवल वेतन निर्धारण की राजाज्ञा थी, जिसके अनुसार दिनांक 3-10-74 के पूर्व नियुक्ति ऐसे अर्हताधारी अध्यापक, जो उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिये नियुक्त थे, का ही वेतन निर्धारण होना था। दिनांक 3-10-74 के उपरान्त नियुक्त या अर्हता अर्जित करने वाले शिक्षकों को उक्त राजाज्ञा का लाभ अनुमन्य नहीं है। यदि उक्त राजाज्ञा के तहत अब कोई वेतन निर्धारण विषयक प्रकरण शेष हैं तो उसे शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद को तत्काल पूर्ण औचित्य सहित निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए आदेशार्थ संदर्भित करें :—

(अ) दिनांक 3-10-74 के पूर्व सम्बन्धित विषय की मान्यता रही है।

(ब) सम्बन्धित विषय के अध्यापक की नियुक्ति 1-8-72 या 6-3-73 के पूर्व हो चुकी है और उस पर राजाज्ञा सं० 345, दिनांक 18-1-74 प्रभावी थी, किन्तु वेतनमान निर्णीत न होने के कारण विकल्प नहीं दिया हो।

(स) सम्बन्धित अध्यापक शासनादेश दिनांक 3-10-74 में निर्धारित योग्यता शासनादेश निर्गमन की तिथि को रखता था।

(द) राजाज्ञा निर्गत होने के समय कोई अध्यापक विषय पढ़ाने हेतु उच्चतर वेतनमान में नियुक्त तो नहीं था। एक अध्यापक के अतिरिक्त किसी अन्य को जो वही विषय पढ़ाता है, इसका लाभ देय नहीं था।

अतः इस राजाज्ञा का लाभ देने के पूर्व माध्यम-4 के पृष्ठ 114 पर अंकित निर्देशों के अनुसार प्रकरण की जांच करना आवश्यक है। शासनादेश सं० 5583, दिनांक 3-10-74 के अन्तर्गत अब तक किये गये समस्त वेतन निर्धारण की जांच आप स्वयं अपने लेखा संगठन के सहयोग से करा लें और यदि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में त्रुटियां मिलती हैं तो विद्यालय के प्रबन्धक तथा सम्बन्धित अध्यापक को समुचित सुनवाई का अवसर देकर त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण आदेशों का संशोधन तत्काल निर्गत कर दें तथा उसकी प्रति सम्बन्धित शिक्षक, प्रबन्धक, लेखाधिकारी, निदेशालय के अर्थ (1), साख सीमा अनुभाग तथा मुख्य लेखाधिकारी को भी पृष्ठांकित करें साथ ही जिस अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है उसका नाम भी सूचित किया जाय।

(4) भाषा अध्यापकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 5-4-75 को निर्गत शासनादेश 1959/पन्द्रह-8-3031/1973 दिनांक 5-4-1975 के सम्बन्ध में भी समय-समय पर परिपत्रों द्वारा एवं माध्यम के अंक-2 व 4 में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है कि दिनांक 5-4-75 के उपरान्त नियुक्त/अर्हता अर्जित करने वाले अध्यापकों को वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य नहीं है। 5-4-75 के उपरान्त नियुक्ति/पदोन्नति हेतु उच्च वेतन क्रम में पद का होना, अभ्यर्थी में उक्त राजाज्ञा में निर्धारित योग्यता का होना, एवं नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। उपर्युक्त के विपरीत किया गया वेतन निर्धारण अनियमित है, जिनका उक्त क्रम-3 के अनुसार कार्यवाही कर संशोधन किया जाना आवश्यक है।

(5) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुसार दिनांक 8-3-82 से अशासकीय सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिका) में पद सृजन का अधिकार मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को नहीं है।

अत: 8-3-1982 के उपरान्त उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा किये गये पद सृजन अनियमित एवं अमान्य हैं। उपर्युक्त शासन के आदेशों के विपरीत यदि आपके जनपद/मण्डल में कहीं पद सृजन हुआ है, तो उसे तत्काल समाप्त कर अधोहस्ताक्षरी की सूचित करें।

आपका ध्यान उपर्युक्त विन्दुओं की ओर पुन: इस आशय से आकृष्ट कराया जा रहा है कि उपर्युक्त के आधार पर आप अपने जनपद/मण्डल के मामलों की समीक्षा करलें और किसी प्रकार की वित्तीय त्रुटि एवं अनियमितता परिज्ञान में आने पर तुरन्त उनका निदान करायें। वेतन निर्धारण एवं अनुमोदन का कार्य जिन अधिकारियों को सौंपा गया है, स्वभावत: इस प्रकार की त्रुटियों और उसके निराकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी हैं। अत: इस ओर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

भवदीय,
बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक, उ०प्र०,
लखनऊ

परिशिष्ट–14

संख्या : 3691/15-2-88-36(75)/77

प्रेषक,

श्री के० डी० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा०/बे०),
उ०प्र०, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 16 सितम्बर, 88

विषय :–राजकीय सेवा में आने से पूर्व शिक्षकों द्वारा अशासकीय विद्यालयों में कृत सेवावधि का लाभ पेंशन निर्धारण हेतु दिया जाना।

महोदय,

अशासकीय विद्यालयों की सेवा से स्वेच्छया राजकीय सेवा में आने से पूर्व शिक्षकों द्वारा अशासकीय विद्यालयों में कृत सेवा अवधि का लाभ उनके पेंशन निर्धारण हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश शासनादेश संख्या : 4006/15-2-36(75)/77, दिनांक 13-6-1979 द्वारा निर्गत किये गये थे किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त शासनादेश दिनांक 13-6-1979 को शासनादेश संख्या : म०प० 370/15-2-85-36(75)/77, दिनांक 10-1-1986 द्वारा निरस्त

कर दिया गया था। उक्त निरस्तीकरण के फलस्वरूप राजकीय सेवा में आ चुके ऐसे शिक्षकों की अशासकीय सेवाओं का लाभ पेंशन निर्धारण हेतु दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न हो गया को उक्त शासनादेश दिनांक 13-6-79 के निरस्त न किये जाने की स्थिति में उसका लाभ पाने के पात्र हो गये थे।

2. उक्त प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि शासनादेश दिनांक 13-6-79 के निरस्त होने के दिनांक अर्थात् 10 जनवरी, 1986 तक सेवानिवृत्त हो चुके उन सभी शिक्षकों को जो राजकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य/सेवा कर चुके हों, को शासनादेश संख्या : 4006/15-2-36(75)/77, दिनांक 13-6-1979 में उल्लिखित शर्तों के अधीन उनके द्वारा अशासकीय विद्यालयों में कृत सेवा अवधि का लाभ उनकी पेंशन के आगणन हेतु प्रदान कर दिया जाय। तदनुसार शासनादेश संख्या : म०प० 370/15-2-85-36(75)/77, दिनांक 10-1-1986 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 13-6-1979 तथा 10-1-1986 के मध्य सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे शिक्षकों जो शिक्षा विभाग की राजकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालयों में सेवा कर चुके हों, को उनकी अशासकीय विद्यालयों में कृत उतनी सेवावधि का लाभ उनकी पेंशन के आगणन हेतु इस शर्त के अधीन प्रदान कर दिया जाय कि जिसके सम्बन्ध में अशासकीय संस्था के अधीन सी०पी०एफ० खाते में सेवा योजक के अभिदान तथा उस पर ब्याज की समस्त धनराशि राजकीय कोषागार में जमा करा दी गई हो।

3. मुझे यह भी कहना है कि राजकीय सेवा में आने के उपरान्त अशासकीय विद्यालयों में की गई सेवा अवधि का लाभ प्राप्त करने हेतु जिन सेवा निवृत्त शिक्षकों के प्रकरणों में उक्त शर्तें अब तक पूरी न की गई हों, उनमें उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही 31-12-1988 तक अवश्य पूरी करा ली जाय।

4. मुझे यह भी कहना है कि आप कृपया शासन के उक्त निर्णय से 10-1-86 तक सेवानिवृत्त हो चुके उन समस्त शिक्षकों को, जो राजकीय सेवा में आने से पूर्व अशासकीय विद्यालयों में सेवा कर चुके हों, तत्काल अवगत कराते हुए निर्धारित तिथि तक उनसे कथित शर्तों के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न कराने की व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करें। जिससे उक्त श्रेणी में आने वाले सभी शिक्षकों को अपेक्षित लाभ निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कराया जा सके।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सेवा-भी-3-740/दस-88, दिनांक 6 सितम्बर, 1988 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

के० डी० श्रीवास्तव

संयुक्त सचिव

विद्यालयों में महत्वपूर्ण दिवस, सप्ताह एवं मास का निर्धारित तिथियों में मनाया जाना

क्र० सं०	दिवस, सप्ताह, माह	मनाने की तिथि
1.	विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून अथवा ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने के 15 दिन के भीतर
2.	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त
3.	संस्कृत दिवस	श्रावणी पूर्णिमा को
4.	शिक्षक दिवस	5 सितम्बर
5.	अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितम्बर
6.	संचायिका दिवस	15 सितम्बर
7.	गांधी जयन्ती	2 अक्टूबर
8.	वन्य जीव सप्ताह	1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर
9.	टेरीटोरियल आर्मी डे	9 अक्टूबर
10.	विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर
11.	संयुक्त राष्ट्र दिवस	24 अक्टूबर
12.	राष्ट्रीय संकल्प दिवस	31 अक्टूबर
13.	बाल दिवस	14 नवम्बर
14.	कौमी एकता सप्ताह	19 से 25 नवम्बर तक
15.	मातृ दिवस	19 नवम्बर
16.	झंडा दिवस	7 दिसम्बर
17.	मानव अधिकारों का सार्वभौमिक-घोषणा दिवस	10 दिसम्बर
18.	गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी
19.	शहीद दिवस	30 जनवरी
20.	कौमी एकता माह	फरवरी माह
21.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
22.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह	1 मार्च से 7 मार्च तक
23.	राष्ट्रमंडल दिवस (कामन वेल्थ डे)	10 मार्च
24.	विश्व विकलांग दिवस	मार्च मास के तीसरे रविवार को
25.	विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल
26.	अग्नि सुरक्षा सप्ताह	16 से 22 अप्रैल

● **कारीगर या कलाकार**

'जो आदमी अपने हाथ से काम करता है, वह मजदूर है और जो अपने हाथ और दिमाग से काम करता है, वह कारीगर है, पर जो अपने हाथ, दिमाग और दिल तीनों से काम करता है, वह कलाकार है।'

—लुई नाइजर

वेतन समिति,

वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नवीनतम आदेशों का संकलन

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

संख्या वे० आ०-1-2246/दस-59 (एम)/1988

लखनऊ दिनांक: 14 अगस्त, 1988

संकल्प

पढ़ा गया: वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) का प्रतिवेदन तथा उसकी संस्तुतियों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को।

पर्यालोचनार्थ—शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, (जिला परिषद, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों सहित), सम्बन्धित सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों के कर्मचारियों, जूनियर डाक्टरों तथा कार्य-प्रभारित कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व, वेतन समिति की विभिन्न संस्तुतियों पर विचार करने के लिए शासन ने मुख्य सचिव समिति गठित की थी जिसके द्वारा दी गई संस्तुतियों को भी ध्यान में रखा गया और इनके परिप्रेक्ष्य में शासन ने निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, वेतन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है:—

राज्य कर्मचारी तथा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक तथा शिक्षणेतर कर्मचारी

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन के वेतनमान के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जाये।

(2) राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों के समान सिद्धान्त पर महंगाई राहत दी जा रही है, अत: वेतन समिति की यह संस्तुति स्वीकार योग्य नही है कि पेंशन आदि के निर्धारण के लिए महंगाई भत्ता को वेतन के साथ जोड़ा जाय।

(3) वेतन समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य नही है कि ऐसे पद जिन पर राज्य सरकार की सेवा के अधिकारी तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी तैनात होते हैं उनके मामलों में विशेष वेतन उस धनराशि तक सीमित रहे जो उस पद पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देय हो। विशेष वेतन की दरें 1-1-87 से लागू की जायें।

(4) प्रतिनियुक्ति पर सभी कर्मचारियों को उनके वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रु० 500 प्रतिमास दिनांक 1-1-88 से दिया जाय।

(5) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियों को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया गया कि यह भत्ता एलोपैथिक डाक्टरों, जिन्हें इस समय मिल रहा है, को दिया जाय तथा वेतन और भत्ते का योग रु० 6500 प्रतिमास से अधिक न हो। इस विषय पर लिये गये निर्णय इस संकल्प के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की सुविधा का विस्तार अन्य पद्धति के चिकित्सकों (आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथिक) को नहीं किया जायेगा। आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रैक्टिस करने की छूट दे दी जाय।

(6) **मकान किराया भत्ता**

(क) ऐसे कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण नहीं होता है अथवा जो किराया नियंत्रण कानून की परिधि में आने वाले मकानों में रहते हैं उन्हें 25 प्रतिशत कम धनराशि देने से सम्बन्धित संस्तुति स्वीकार नहीं की गई है।

(ख) श्रेणी-2 में रखे गये नगरों के साथ ऐसी नगरपालिकाओं को भी रखा जाय जिनकी जनसंख्या 2.5 लाख अथवा इससे अधिक है।

(ग) रसीद प्रस्तुतीकरण की पूर्ण छूट नहीं होगी। रु० 250 प्रतिमाह तक मकान किराया भत्ता बिना रसीद के अनुमन्य होगा। इससे अधिक संस्तुत दरों पर मकान किराया भत्ता देने के लिए रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य रखा गया है।

(घ) 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के सभी पर्वतीय क्षेत्रों में मकान किराया भत्ता, जो वेतन समिति द्वारा प्रस्तावित श्रेणी-2 या श्रेणी-3 में नहीं आते हैं, श्रेणी-3 के नगरों के अनुसार दिया जायगा।

(ङ) ऐसे क्षेत्र जिनमें इस समय मकान किराया भत्ता, उनकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार दिया जा रहा है किन्तु अब निर्धारित की गई 1 से 3 की श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें भी श्रेणी-3 के लिए संस्तुत दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जायेगा।

(च) पुनरीक्षित दरों पर मकान किराया भत्ता दिनांक 1-7-88 से दिया जायेगा।

(7) नगर प्रतिकर भत्ता तथा सीमान्त विशेष भत्ते के लिए पुनरीक्षित दरें 1-7-88 से लागू होंगी।

(8) परियोजना भत्ता की पुनरीक्षित दरें इस संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू की जाय। परियोजना पर तैनात कर्मचारियों को परियोजना भत्ता अथवा मकान किराया भत्ता अथवा ग्रामीण आवास भत्ता, जो भी लाभदायक हो, दिया जाय।

(9) परिकल्प, शोध, अनुसन्धान, नियोजन तथा प्रशिक्षण शाखाओं के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों का विस्तृत परीक्षण अलग से किया जाय। फिलहाल वर्तमान में मिल रही सुविधा को वर्तमान दरों पर बनाये रखा जाय।

(10) पर्वतीय विकास भत्ता से सम्बन्धित जनपदों में कुछ स्थान बहुत दुर्गम हैं तथा रेल-हेड से बहुत दूरी पर स्थित हैं। ऐसे स्थानों पर कुछ बढ़ी हुई दर पर यह भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाय। ऐसे स्थानों को पर्वतीय विकास विभाग, वित्त विभाग के परामर्श से चिन्हित करेंगे। फिलहाल पुनरीक्षित दरें दिनांक 1-7-88 से लागू की जाएं।

(11) वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता/अनुरक्षण भत्ता, स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) सवारी भत्ता, द्विभाषी भत्ता, शैक्षिक सहायता की प्रस्तावित दरें संकल्प जारी होने के दिनांक से लागू की जायेंगी।

(12) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्थानान्तरण अनुदान एवं पैकिंग भत्ता इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दिया जाय किन्तु ऐसे मामलों में जहां स्टेशन परिवर्तन नहीं होता है और एक पद से दूसरे पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप स्थान बदलना पड़ता हो, ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की धनराशि में संशोधन नहीं होगा।

(13) प्रदेश में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुरूप योजना लागू करने के मामले पर अलग से परीक्षण कर निर्णय लिया जाय।

(14) अवकाश नकदीकरण की सुविधा वर्तमान पद्धति के अनुसार दी जाय किन्तु 30 दिन के अवकाश नकदीकरण के लिए रु० 1400 की वर्तमान वेतन सीमा के स्थान पर पुनरीक्षित वेतनमान में रु० 2900 की सीमा रखी जाय।

(15) अवकाश यात्रा सुविधा के प्रकरण पर अलग से विचार किया जाय और तब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाय।

(16) ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्हें 24 घण्टे में ड्यूटी पर किसी समय बुलाया जा सकता है और जो सार्वजनिक अवकाश का उपभोग नहीं कर पाते हैं, एक माह के वेतन के बराबर वेतन मानदेय के रूप में देने के मामले पर अलग से विचार किया जाय।

(17) स्थानान्तरण की दशा में कार्यभार ग्रहणकाल (6 दिन) को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्थानान्तरण के 6 माह के भीतर उपयोग करने की छूट, इस संकल्प के जारी होने के बाद हुए स्थानान्तरणों के मामलों में लागू की जाय।

(18) चेक पोस्ट भत्ता वेतन सीमा के आधार पर निम्नलिखित दरों पर दिया जाय :—

वेतन सीमा		भत्ते की दरें
(रु०)		(रु०)
999 तक	..	50
1000 से 1999 तक	..	75
2000 से 2999 तक	..	100
3000 और उससे अधिक	..	125

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को चेक पोस्ट पर तैनात होने के कारण विशेष वेतन मिल रहा हो उसे बन्द कर दिया जाय। यह भत्ता चेक पोस्टों पर किन शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाय इसका निर्धारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग की सहमति से करेंगे। उपरोक्त दरों पर चेक पोस्ट भत्ता आदेश निर्गत होने की तिथि से दिया जाय।

(19) पदोन्नति पर मूल नियम 22-बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में तिथि के विकल्प की सुविधा इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दी जाय।

(20) कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा आवश्यक वस्तुएं बेचने का कार्य, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को हस्तान्तरित किये जाने के सम्पूर्ण मामले पर अलग से परीक्षण कर निर्णय लिया जाय।

(21) निःशुल्क आवास की सुविधा से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियों का अलग से विस्तृत परीक्षण किया जाय और तब तक वर्तमान व्यवस्था लागू रहे। ऐसे कर्मचारी जिन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा अनुमन्य है किन्तु आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें उस स्थान के लिए अनुमन्य पुनरीक्षित दरों पर मकान किराया भत्ता दिनांक 1-7-1988 से दिया जाय।

(22) पेंशनरों को, जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु एकमुश्त राशिकरण की सुविधा अभी नहीं दी जा रही है, उन्हें संस्तुत दरों पर यह सुविधा संकल्प जारी होने की तिथि से दी जाय।

(23) पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के प्रस्तावित सिद्धान्त में मूल वेतन तथा देय एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि का 30 प्रतिशत के स्थान पर मूल वेतन तथा देय एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि का 33⅓ प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि (न्यूनतम रु० 175 तथा अधिकतम रु० 700) जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जाय। दिनांक 1-1-87 से 31-5-87 तक की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में या जिनके भविष्य निधि के खाते नहीं खुले है उन्हें राष्ट्रीय बचत-पत्र के रूप में दिया जाय और दिनांक 1-6-87 से 30-6-88 तक के बकाये का 50 प्रतिशत भाग का नकद भुगतान किया जाय और शेष 50 प्रतिशत धनराशि भविष्य निधि में या जिनके भविष्य निधि खाते नही खुले हैं उन्हें राष्ट्रीय बचत-पत्र के रूप में दी जाय। दिनांक 1-7-88 से देय बकाये का भुगतान नकद किया जाय।

(24) उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा तथा विधान परिषद सचिवालयों के अवर वर्ग सहायक तथा समकक्ष पद, प्रवर वर्ग सहायक/वैयक्तिक सहायक तथा समकक्ष पद तथा अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव ग्रेड-2 तथा समकक्ष पद के वेतनमान दिनांक 1-12-85 से उच्चीकृत किये गये थे। इन पदों के अतिरिक्त अन्य पदों पर जिनके वेतनमान का अधिकतम रु० 1420 तक था दिनांक 1-12-85 से रु० 30 प्रतिमाह का सचिवालय विशेष वेतन दिया गया था। उपरोक्त तीनों श्रेणी के पदों के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमान तथा समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जायं :—

(1) अवर वर्ग सहायक तथा समकक्ष पद

		रु०
(क) साधारण वेतनमान	..	1140-25-1315-द० रो०-25-1300-30-1690
(ख) समयमान वेतनमान	..	1265-25-1390-30-1780

(2) प्रवर वर्ग सहायक/वैयक्तिक सहायक तथा समकक्ष पद

(क) साधारण वेतनमान	..	1400-50-1750-द० रो०-50-2000-60-2600
(ख) समयमान वेतनमान	..	1650-50-2000-60-2900

(3) अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-ग्रेड-2 तथा समकक्ष पद

(क) साधारण वेतनमान	..	1850-60-2270-द० रो०-60-2690-75-3440
(ख) समयमान वेतनमान	..	2150-60-2690-75-3590

उपरोक्त रु० 30 प्रतिमाह का सचिवालय विशेष वेतन दिनांक 1-1-87 से बढ़ाकर रु० 40 प्रतिमाह कर दिया जाय।

उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान/समयमान वेतनमान तथा विशेष वेतन का लाभ माननीय उच्च न्यायालय, राजस्व परिषद्, लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश तथा राज्यपाल सचिवालय में ऐसे पदों पर कार्यरत पदधारकों को भी दिया जाय।

(25) उत्तर प्रदेश सचिवालय में अन्य सेवाओं के अधिकारियों की उप सचिव के पद पर तैनाती 13 वर्ष की सेवा अवधि, जिसमें 5 वर्ष की प्रथम श्रेणी की सेवा सम्मिलित हो तथा संयुक्त सचिव के पद पर 16 वर्ष की सेवा, जिसमें 8 वर्ष की प्रथम श्रेणी की सेवा सम्मिलित हो, निर्धारित की जाय। विशेष सचिव के पद पर ऐसे अधिकारी जो वेतनमान रु० 4900-6100 तथा रु० 5500-6500 में कार्यरत हों, की आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर तैनाती की जाय। रु० 5500-6500 के वेतनमान वाले अधिकारियों को विशेष वेतन देय नहीं होगा।

(26) प्रदेश के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिष्ठान सम्बन्धी सभी आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण तथा अधिष्ठान सम्बन्धी नीति विषयक मामलों का परीक्षण कर शासन को समय-समय पर उपयोगी सुझाव देने हेतु वित्त विभाग में एक "अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो" स्थापित किया जायगा। इसके शीर्षस्थ अधिकारी का पदनाम निदेशक तथा वेतनमान रु० 4900-6100 होगा।

(27) वेतन समिति द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन ग्रामीण भत्ता देने की संस्तुति एवं इसके स्थान पर मुख्य सचिव समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता देने की संस्तुति के स्थान पर "ग्रामीण आवास भत्ता" निम्न दरों पर दिया जायेगा :—

वेतन सीमा (रु०)		**स्वीकृत दरें** (रु०)
750- 999	..	25
1000-1999	..	40
2000-2999	..	65
3000-4499	..	90
4500-और इससे अधिक	..	125

उपरोक्त स्वीकृत दरों का लाभ टाउन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया में नियुक्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।

(28) प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विभिन्न पदों की सूचना वेतन समिति को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अत: उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण वेतन समिति द्वारा नहीं किया गया। इस सेवा के बारे में अब उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित पुनरीक्षित साधारण वेतनमान/समयमान वेतनमान दिये जायं :—

पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	
		साधारण	समयमान
1	2	3	4
	रु०	रु०	
1—निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ..	2700-3000	5500-6500	..
2—निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण ..	3000 नियत	5500-6500	..
3—निदेशक, परिवार कल्याण ..	2700-3000	5500-6500	..
4—अतिरिक्त निदेशक ..	2400-2800	4900 6100	..
5—संयुक्त निदेशक ..	2050-2500	3850-5600	..
6—स्पेशल ग्रेड ..	1840-2400	3850-5600	..
7—सीनियर ग्रेड ..	1250-2050	2500-4375	3000-4625
8—साधारण ग्रेड ..	850-1720 1250-2050 1660-2275	1950-3600	2250-3800

महानिदेशक के पद पर कार्यरत पदधारक को वेतनमान रु० 5500-6500 के साथ रु० 500 प्रतिमाह का विशेष भत्ता दिया जाय।

मेडिकल कालेजों/चिकित्सालयों के जूनियर डाक्टर

(29) जूनियर डाक्टरों की कार्य-प्रकृति तथा उनके कार्य के घण्टों को देखते हुए उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट नहीं दी जायेगी। जूनियर डाक्टरों को रु० 300 प्रतिमाह प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाय।

(30) मेडिकल कालेज के परिसर में ही जूनियर डाक्टरों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और यदि परिसर के अन्दर आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण किसी जूनियर डाक्टर को परिसर से बाहर रहना पड़े तो उन्हें उन्हीं दरों पर मकान किराया भत्ता दिया जाय जैसा अन्य राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया है।

(31) वेतन समिति की यह संस्तुति स्वीकार योग्य नहीं है कि स्नातकोत्तर भत्ता केवल ऐसे डाक्टरों को ही दिया जाय जो अवकाश लेकर अपने व्यय पर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। अत: ऐसे पद जिनके लिए स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य अर्हता हो वहां स्नातकोत्तर भत्ता न दिया जाय। शेष मामलों में स्नातकोत्तर भत्ता उन्हीं शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन दिया जाय जैसा वेतन समिति ने अपने प्रतिवेदन खण्ड-1 में संस्तुत किया है।

कार्य-प्रभारित कर्मचारी

(32) कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को फ्रीज किया जाय। यदि किसी कारण भविष्य में कोई पद रिक्त होता है तो उसे पदोन्नति या किसी अन्य प्रकार से न भरा जाय और कार्यभार के अनुसार पुनरीक्षित संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाय।

(33) परियोजना भत्ता या मकान किराया भत्ता या ग्रामीण आवास भत्ता जो भी लाभदायक हो नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर दिया जाय।

(34) कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त करने में प्राथमिकता दिये जाने से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुति स्वीकार योग्य नहीं है। नियमित पदों के चयन के मामले में कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को वरीयता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई कार्य-प्रभारित कर्मचारी सीधी भर्ती से नियमित पद के लिए चुन लिया जाता है तो उसे कार्य-प्रभारित पद पर की गयी सेवा अवधि, जिसकी अधिकतम सीमा 5 वर्ष हो, के बराबर आयु में छूट दी जाय।

(35) वेतन समिति की यह संस्तुति कि कार्य-प्रभारित कर्मचारी समिति द्वारा संस्तुत प्रथम दो संहत वेतन सीमा में रखे जाएं, उचित है। वैकल्पिक व्यवस्था यदि आवश्यक हो तो उसका प्रबन्ध सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाय।

स्थानीय निकायों के कर्मचारी

(36) स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के पेंशन आदि के निर्धारण के लिये महंगाई भत्ता को जोड़ने का औचित्य नहीं है। जैसा राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया गया है।

(37) उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जैसा कि राजकीय कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता दिनांक 1-7-88 से स्वीकार किया गया है, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी दिया जाय।

(38) निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिए अलग से विस्तृत परीक्षण किया जाय तब तक वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।

(39) नगर प्रतिकर भत्ता, अवकाश नगदीकरण, पर्वतीय विकास भत्ता, सीमान्त भत्ता, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/स्थानान्तरण अनुदान/पैकिंग भता उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिया जायगा जैसा राजकीय कर्मचारियों के लिए स्वीकार किया गया है।

(40) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अनुरूप योजना लागू करने का अलग से परीक्षण किया जाय।

(41) धुलाई भत्ता, झाड़ू भत्ता, मशक भत्ता, सवारी/वाहन भत्ता की पुनरीक्षित दरें संकल्प जारी होने के दिनांक से लागू की जायेंगी।

(42) पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण का सिद्धान्त तथा अवशेष का भुगतान उसी प्रकार होगा जैसा राज्य कर्मचारियों के लिए स्वीकार किया गया है।

2—उपर्युक्त उप-प्रस्तर (23) के अधीन रहते हुए पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के विस्तृत आदेश अलग से प्रसारित किये जायेंगे।

3—इस संकल्प के अधीन रहते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तृत आदेश सम्बन्धित विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग से जारी किये जाएं।

4—ऐसे कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किये गये हों, उन्हें वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता/तदर्थ महंगाई भता/अन्तरिम सहायता उस समय तक पूर्ववत् मिलता रहेगा जब तक उनके वेतनमान शासन द्वारा पुनरीक्षित न कर दिये जाएं।

5—उन कर्मचारियों जिनके वेतनमान पुनरीक्षित न किये गये हों, वेतन स्तर के आधार पर दिये जाने वाले भत्तों की पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर का निर्धारण, उनके द्वारा आहरित वेतन तथा उस पर अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता और दिनांक 1-1-1986 की दरों पर अनुमन्य महंगाई भत्ता को जोड़कर आगणित किया जायेगा।

6—पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के पश्चात् पुनरीक्षित वेतन के आधार पर सरकारी आवास के किराये की वसूली/सामान्य भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान की कटौती दिनांक 1-7-1988 से की जाय।

7—इस संकल्प के जारी होने के दिनांक के बाद सरकारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की सेवाओं में/पदों पर भर्ती तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतनमानों में ही किया जाय।

8—उपरोक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप उत्पन्न असंगति के मामलों के परीक्षण हेतु एक "वेतन असंगति समिति" का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाय।

9—सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों से सम्बन्धित वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम विभागों को अलग से निर्देशित किया जाय।

10—शासन, वेतन समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान से समिति ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, जो इसके विचार-क्षेत्र में थे, पर समस्त पहलुओं से विचार कर अपनी संस्तुतियां शासन को तत्परता से दीं। इस सम्बन्ध में उन्होंने जिस धैर्य तथा अथक परिश्रम से कार्य किया, उसके बिना यह प्रतिवेदन, जो आशा की जाती है कि शासन एवं कर्मचारियों द्वारा उपयोगी पाया जायगा, इतने अल्प समय में पूरा न हो पाता। शासन, मुख्य सचिव समिति की भी प्रशंसा एवं सराहना करता है जिसने वेतन समिति की संस्तुतियों का परीक्षण एवं विश्लेषण कर अपनी संस्तुतियां अल्प अवधि में प्रस्तुत कीं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन-साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाय तथा प्रतिवेदन को सम्बन्धित विभागों को भेजा जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश तथा मुख्य सचिव समिति के प्रतिवेदनों तथा संकल्प की प्रतियां सेवा संघों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और जनता के हाथ बिक्री के लिए भी उपलब्ध कर दी जाएं।

आज्ञा से,
विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव

संख्या : वे० आ 6-1-2671/दस-63(एम)/1988

प्रेषक

डा० विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 1988

विषय :——नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण।

महोदय,

मुझे वेतन समिति उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन पर शासकीय संकल्प संख्या वे० आ०-1-2246/दस-59 (एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 के प्रस्तर-1 (23), जो नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये वेतनमानों में प्रत्येक कर्मचारी का, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या 1 जनवरी, 1986 तथा 14 अगस्त, 1988 के मध्य राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में था, प्रारम्भिक वेतन उसके मूल मौलिक पद और स्थानापन्न पद पर अलग-अलग उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" (जिसकी परिभाषा नीचे दी गयी है) के आधार पर निम्नलिखित आदेशों के अनुसार उसके विकल्प के आधार पर निश्चित किया जायेगा :——

"वर्तमान परिलब्धियों" की परिभाषा

2——(क) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां", दिनांक 1-1-86 को, निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेगी :——

(1) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 1-1-1986 की आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर, जैसी भी स्थिति हो।

(2) दिनांक 1-1-1986 को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1-1-1986 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-1986 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(3) दिनांक 1-1-1986 की वर्तमान वेतनमान में आहरित वेतन के ऊपर अगली देय एक वेतन-वृद्धि की धनराशि।

(4) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार मूल वेतन तथा उप प्रस्तर (3) के अनुसार देय एक काल्पनिक वेतन-वृद्धि की धनराशि के योग के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम रु० 175 तथा अधिकतम रु० 700 होगा।

(ख) ऐसे कर्मचारी जो पुनरीक्षित वेतनमान चुनने का विकल्प दिनांक 1-1-1986 के बाद अपनी वेतन-वृद्धि के दिनांक से लेते हैं, उनकी वर्तमान परिलब्धियां निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी—

(1) पद के वर्तमान विशेष वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान, ज्येष्ठ वेतनमान अथवा साधारण वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में विकल्प की तिथि को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर, जैसी भी स्थिति हो।

(2) विकल्प की तिथि को प्राप्त उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अधीन मूल वेतन पर दिनांक 1-1-86 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-86 से अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता।

(3) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) के अनुसार मूल वेतन का 33⅓ प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि, जिसका न्यूनतम 175 रु० तथा अधिकतम 700 रु० होगा।

(ग) ऐसे मामलों में जहां पूर्व से मिल रहे विशेष वेतन को समाप्त कर उसके स्थान पर उच्च वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उपरोक्त प्रस्तर 2 (क) और 2 (ख) के अन्तर्गत वर्तमान परिलब्धियों की गणना में मिल रहे विशेष वेतन की धनराशि की उपर्युक्त उप प्रस्तर 2 (क) (1) तथा 2 (ख) (1) के अनुसार मूल वेतन के साथ सम्मिलित करते हुए, उस पर दिनांक 1-1-86 की दर पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता को जोड़कर किया जायगा।

(घ) "वर्तमान परिलब्धियों" की परिगणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नही की जायेंगी :—

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2—4 के मूल नियम 9(25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर 2 (ग) से आवृत्त विशेष वेतन से भिन्न हो।

(2) स्नातकोत्तर वेतन

(3) प्रैक्टिस बन्दी भत्ता/वेतन।

(4) ऐसा वेतन जो, उक्त प्रस्तर 2(क), (ख) तथा (ग) के अधीन नहीं आता।

(5) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात् जिन मामलों में वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(6) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता।

(7) अन्तरिम सहायता।

3—(1) उक्त प्रक्रिया के अनुसार "वर्तमान परिलब्धियां" अवधारित करने के पश्चात् नये वेतनमान में प्रत्येक कर्मचारी का प्रारम्भिक वेतन उसके विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद तथा स्थानापन्न पद पर, यदि कोई हो, उसकी "वर्तमान परिलब्धियों" के अगले उच्च स्तर पर निर्धारित किया जायेगा और यदि इस प्रकार आगणित धनराशि नये वेतनमान के अधिकतम से अधिक हो तो उन मामलों में इस प्रकार आगणित धनराशि और नये वेतनमान के अधिकतम का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जायगा, जो उस समय संविलीन किया जायगा जब सम्बन्धित कर्मचारी प्रोन्नति के पद पर या समयमान वेतनमान/प्रोन्नति के वेतनमान में नियुक्ति के फलस्वरूप वेतनवृद्धि अर्जित करें।

(2) यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 1-1-86 और 14-8-88 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य एक से अधिक पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, तो उसका नये वेतनमानों में प्रारम्भिक वेतन उसके मूल/मौलिक पद के नये वेतनमान के अतिरिक्त, किसी ऐसे स्थानापन्न पद के नये वेतनमान में भी निश्चित किया जायेगा जिस पर वह दिनांक 1-1-86 अथवा दिनांक 1-1-86 से 14-8-88 के मध्य स्थानापन्न रूप से कार्यरत था और जिसके लिए उसने नये वेतनमान का विकल्प चुना हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वह उस विशिष्ट तिथि को जिससे उसने स्थानापन्न पद के लिए विकल्प चुना हो, वास्तव में उसी स्थानापन्न पद पर कार्यरत रहा हो।

(3) स्थानापन्न पद के नये वेतनमान का विकल्प चुनने की तिथि के पश्चात् ऐसे कर्मचारी की अन्य पदों पर नियुक्ति नये वेतनमानों में मानी जायेगी और उन पदों पर उसका वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

(4) ऐसे मामलों में जहां किसी मध्यवर्ती स्थानापन्न पद का विकल्प नहीं चुना गया है, मध्यवर्ती स्थानापन्न पद पर प्रारम्भिक वेतन निश्चित करना आवश्यक न होगा और ऐसे मध्यवर्ती स्थानापन्न पद/पदों पर वेतन निर्धारण का कोई लाभ किसी कर्मचारी को नहीं दिया जायेगा। जब किसी ऐसे कर्मचारी का मध्यवर्ती स्थानापन्न पद पर प्रत्यावर्तन हो, तो उस पद पर उसका वेतन उसी प्रक्रम में निश्चित किया जायेगा जो वह उससे और उच्च पद के धारण न करने की दशा में पाता। ऐसी दशा में यह माना जायेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उच्च स्थानापन्न पद के सम्बन्ध में चुने गये विकल्प की तिथि से ही वह मध्यवर्ती स्थानापन्न पद के नये वेतनमान में आ गया।

(5) यदि किसी कर्मचारी द्वारा धारित मौलिक पद और स्थानापन्न पद दोनों के वेतनमान पुनरीक्षित होकर एक ही हो गये हैं और उक्त उप प्रस्तर 3 (1) के अनुसार स्थानापन्न पद पर निर्धारित प्रारम्भिक वेतन अपेक्षाकृत अधिक हो, तो मौलिक पद पर उसका प्रारम्भिक मौलिक वेतन, स्थानापन्न पद के वेतनमान में अनुमन्य "वर्तमान परिलब्धियों" के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) किसी कर्मचारी का यदि नये वेतनमानों में उप प्रस्तर 3(1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भिक मौलिक और स्थानापन्न वेतन, दोनों एक ही प्रक्रम पर निर्धारित होता हो अथवा उसका स्थानापन्न वेतन उसके मौलिक वेतन से कम हो तो नये वेतनमान में उसका प्रारम्भिक स्थानापन्न वेतन नये वेतनमान में निर्धारित उसके प्रारम्भिक मौलिक वेतन के अगले प्रक्रम पर पुनः निर्धारित किया जायेगा।

(7) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-86 के पूर्व सेलेक्शन ग्रेड अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उनका वेतन, वेतन समिति द्वारा संस्तुत समयमान वेतनमान में दिनांक 1-1-86 से अथवा उनके विकल्प की तिथि से निर्धारित किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा दिनांक 1-1-86 को पूरी कर ली थी और वे वेतन समिति द्वारा संस्तुत समयमान वेतनमान के लिये अर्ह थे, उनका वेतन निर्धारण वेतन समिति द्वारा संस्तुत समयमान वेतनमान में सीधे उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 1-1-86 को ही किया जायेगा। मेडिकल कालेजों के लेक्चरार तथा रीडर जिन्हें सेवा अवधि के आधार पर प्रोन्नति का वेतनमान दिया गया हो, का वेतन निर्धारण भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अब संस्तुत किये गये समयमान वेतनमान में किया जायेगा। ऐसे पदधारक जो 16 वर्ष या 19 वर्ष की सेवा के आधार पर समयमान वेतनमान के बाद प्रोन्नति का वेतनमान/उच्च वेतनमान में नियुक्त किये जा चुके थे, उनका वेतन निर्धारण उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार ही सीधे प्रोन्नति के वेतनमान में किया जायेगा।

टिप्पणी—नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के कुछ उदाहरण संलग्नक "क" में दिये गये हैं।

नये वेतनमान चुनने अथवा पुराने वेतनमान बनाये रखने का विकल्प

4—(1) ऐसे समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को, जो दिनांक 1-1-86 को या दिनांक 1-1-86 तथा 14-8-88 (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य राज्य सरकार की सेवा में थे। [सेवा का तात्पर्य उक्त अवधि में की गयी बाह्य सेवा अथवा अन्य शासन के अधीन प्रतिनियुक्ति पर की गयी सेवा, मूल नियम 9(6) (बी) के अधीन ड्यूटी घोषित ट्रेनिंग की अवधि होगी।] उनके द्वारा धारित पदों के लिए अपना वर्तमान वेतनमान ही बनाये रखने या नये वेतनमान चुनने का विकल्प दिनांक 31 मार्च, 1989 तक अथवा संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर जो भी बाद में हो, देना होगा। जो कर्मचारी उपर्युक्त निर्धारित अवधि में अपना कोई विकल्प नहीं देगा उसके बारे में यह माना जायगा कि उसने दिनांक 1 जनवरी, 1986 या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से नया वेतनमान स्वीकार कर लिया है। एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा। प्रत्येक कर्मचारी, जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 को या दिनांक 1-1-86 से 14-8-88 के मध्य किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो अपने मूल/मौलिक पद तथा जिस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कार रह हो, दोनों के संबंध में या तो वर्तमान वेतनमान ही बनाये रख सकता है या दोनों पदों के

संबंध में नये वेतनमान चुन सकता है। दूसरे शब्दों में, वह एक पद के लिए वर्तमान वेतनमान तथा दूसरे पद के लिये नया वेतनमान नहीं चुन सकता, जब तक कि उनमें से एक पद का वेतनमान पुनरीक्षित ही न किया गया हो। यदि कोई कर्मचारी, जो मूल/मौलिक पद के लिये नये वेतनमान का विकल्प चुनने के दिनांक के बाद किसी दिनांक से स्थानापन्न पद के लिये नया वेतनमान चुने, तो स्थानापन्न पद पर विकल्प चुनने की तिथि तक वह वर्तमान वेतनमान में ही वेतन पाता रहेगा। यदि कोई कर्मचारी अपने मूल/मौलिक और स्थानापन्न पद में से किसी एक के लिये सही विकल्प प्रस्तुत करता है और दूसरे के लिये अमान्य (Invalid) विकल्प अथवा दोनों के लिये अमान्य (Invalid) विकल्प प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जायेगा कि जिस पद/पदों के लिए उसने अमान्य (Invalid) विकल्प दिया है, उस पर वह नये वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 1986 अथवा उसके बाद नियुक्ति की तिथि से जैसी भी स्थिति हो आगया है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने विकल्प की सूचना सीधे महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जो भी प्राधिकारी संबंध्रित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें रखता हो, की संलग्नक "ख" के प्रपत्न में देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे। यदि यह विकल्प सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न दिया जा सकता हो तो उसे रजिस्ट्री डाक से (प्राप्ति की स्वीकृति-पत्न के साथ) भेजा जाना चाहिए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार चुना गया विकल्प महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में दिनांक 31 मार्च, 1989 तक अथवा संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी होने के 90 दिन की अवधि के अन्दर जो भी बाद में हो पहुंच जाना चाहिये। इस प्रकार चुने गये विकल्प के बारे में प्रविष्टि जिसे समुचित रूप से प्रमाणित किया जाय, उन सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में भी की जानी चाहिये, जिनके वेतन तथा भत्ते विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा आहरित किये जाते हैं।

(2) यदि कर्मचारी नये वेतनमान चुने तो वह उसे या तो नया वेतनमान प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 1 जनवरी, 1986 से या उसके बाद दिनांक 14-8-88 तक पड़ने वाली किसी भी वेतन वृद्धि के दिनांक से अथवा नियुक्ति के दिनांक से ऐसा कर सकता है। वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 23 में तदनुसार आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी उच्च पद जिस पर वह स्थानापन्नरूप से कार्य कर रहा हो और निम्न मूल/मौलिक पद, दोनों ही के सम्बन्ध में चाहे (i) एक ही दिनांक अर्थात् 1 जनवरी, 1986 या (ii) दोनों पदों (उच्च अथवा निम्न) में से किसी भी एक पद के संबंध में दिनांक 14-8-88 तक पाने वाली किसी भी वेतन-वृद्धि के दिनांक से अथवा (iii) दोनों पदों (उच्च तथा निम्न) के संबंध में दिनांक 1 जनवरी, 1986 के बाद और दिनांक 14-8-88 तक पड़ने वाली वेतन वृद्धि के भिन्न-भिन्न दिनांकों से नये वेतनमान को चुन सकता है। पश्चात्वर्ती दशाओं में उपर्युक्त प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर (5) या (6) के अधीन वेतन को पुनः निश्चित करने के सम्बन्ध में होने वाला लाभ उसे उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह उच्चतर पद के लिए वेतनमान को चुने अथवा उस दिनांक से अनुमन्य होगा, जिससे वह निम्न पद का वेतनमान चुनें जो भी बाद में पड़े।

(4) ऐसे मामलों में, जहां किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, नये वेतनमान लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी, 1986 और विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही बिना विकल्प प्रस्तुत किये हुए हो गयी हो, यह मान लिया जायगा कि संबंधित कर्मचारी ने ऐसी तिथि/तिथियों से नया वेतनमान चुना था अथवा वर्तमान वेतनमान बनाये रखा था, जो भी उसे लाभप्रद हो। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वेतन नियत कर दिया जायगा और संदेहास्पद मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सन्दर्भित होने पर अन्तिम निर्णय संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(5) निलंबित कर्मचारियों को निम्नलिखित के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा :—

(क) ऐसे मामलों में जिनमें नये वेतनमान कर्मचारी के निलम्बन के पूर्व की तिथि से लागू हुए हैं, वहां कर्मचारी को मूल नियम-23 के अन्तर्गत विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होगा, यद्यपि विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि निलम्बन की अवधि में पड़ती हो। इस प्रकार से चुने गये विकल्प के फलस्वरूप बढ़े हुए वेतन का लाभ यदि कोई हो, निलम्बन के पूर्व की ड्यूटी की अवधि तथा निलम्बन की अवधि में निर्वाह भत्ते के संबंध में संबंधित कर्मचारी को अनुमन्य होगा।

(ख) (i) ऐसे मामलों में जिनमें नये वेतनमान कर्मचारी के निलम्बन की अवधि के मध्य से ही लागू हुए हों और संबंधित कर्मचारी किसी पद पर "गहन" (lien) रखता हो, तो उसे विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायगा। ऐसे कर्मचारी को विकल्प का लाभ निलम्बन की अवधि हेतु उस समय अनुमन्य होगा जब उसके पुन: पदस्थ करने संबंधी आदेश से यह विदित हो जाय कि उसके निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना गया है अथवा नहीं।

(ii) यदि किसी निलम्बित कर्मचारी का गहन (lien) उस पद पर नहीं है जिसका वेतनमान पुनरीक्षित हुआ है, तो उसे मूल नियम-23 के अधीन विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त न होगा तथापि यदि वह उस पद पर पुन: पदस्थ हो जाता है और निलम्बन की अवधि को ड्यूटी माना जाता है तो उसे पुन: पदस्थ होने के बाद विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। ऐसे प्रत्येक मामले में आवश्यकतानुसार विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, यदि विकल्प प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि बीत चुकी हो।

(6) ऐसे मामलों में जब कोई कर्मचारी उस दिनांक को, जब से विकल्प चुना गया हो, छुट्टी पर रहा हो तो वेतन निम्नलिखित रीति से विनियमित होगा।

(i) यदि छुट्टी की अवधि मूल नियम 26 (ख) के अधीन उसमें दी गयी शर्तों के पूरा करने तथा उसमें विहित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने पर मौलिक/मूल तथा स्थानापन्न पदों पर वेतन-वृद्धि के लिये जोड़ी जाती हो, तो सरकारी कर्मचारी का वेतन, इस शासनादेश की शर्तों के अनुसार विकल्प चुनने के दिनांक से ही उसी प्रकार निर्धारित किया जायगा मानों कि वह उस दिनांक को छुट्टी पर नहीं था, तथापि वेतन में वृद्धि का लाभ उसे केवल उसी दिनांक से ग्राह्य होगा जिस दिनांक को उसने कार्यभार ग्रहण किया हो, किन्तु अगली वेतन-वृद्धि विकल्प के दिनांक के एक वर्ष के बाद देय होगी।

(ii) ऐसे मामलों में जहां छुट्टी की अवधि वेतन-वृद्धि के लिये आगणित नहीं की जाती हो, सरकारी कर्मचारी का वेतन, नये वेतनमान में, उसके छुट्टी से वापस आने के दिनांक से निर्धारित किया जायगा। ऐसी दशा में उसे अगली वेतन वृद्धि कार्य भार ग्रहण करने के दिनांक से ड्यूटी की निर्धारित अवधि के पूरे होने के बाद ही देय होगी, सिवाय उस दशा के जब वह मूल नियम 31(2) के अधीन उससे पूर्व दिनांक से वेतन के पुन: निर्धारण के लिए हकदार हो जाय। मूल नियम 31(2) में समुचित रूप से संशोधित किया जायगा।

5—सभी कर्मचारियों को दिनांक 1 जनवरी, 1986 के पश्चात् निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा विभिन्न तिथियों से उनमें उल्लिखित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है :—

(क) सं० : वे० आ०-1-30/दस-36(एम)/86, दिनांक 3 जनवरी, 1987

(ख) सं० : वे० आ०-1-1101/दस-36 (एम)/86, दिनांक 23 मई, 1987

(ग) सं० : वे० आ०-1-3366/दस-36 (एम)/86, दिनांक 9 मार्च 1988

(घ) सं० : वे० आ०-1-1234/दस-48(एम)/88, दिनांक 15 जून, 1988

वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार नये वेतनमानों में महंगाई भत्ते के उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित वेतन श्रेणी तथा महंगाई भत्ते की मासिक दरें यथावत रहेंगी किन्तु वेतन सीमा के आगणन हेतु दिनांक 1-1-86 को पुराने वेतनमान के साथ देय महंगाई भत्ता की धनराशि को जोड़ने का प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान अभी पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं उन्हें वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता उस समय तक पूर्ववत् मिलता रहेगा

जब तक उनके वेतनमान पुनरीक्षित न कर दिये जायँ। उन्हें अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तें भी पूर्ववत् उस समय तक मिलती रहेंगी जब तक उनके भुगतान के संबंध में कोई अन्य आदेश जारी न कर दिये जायँ।

6—नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के पश्चात् कर्मचारियों को दिनांक 1-11-1986, 1-6-1987 तथा 1-9-1987 से स्वीकृत अन्तरिम सहायता का भुगतान बन्द कर दिया जायगा तथा महंगाई भत्ता का आगणन उपर्युक्त प्रस्तर-5 के अनुसार किया जायेगा। जो कर्मचारी अपने वर्तमान वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दें, उन्हें अपने उसी वेतनमान में वेतन तथा वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता व अन्तरिम सहायता मिलता रहेगा।

7—विभिन्न प्रकार के भत्तों आदि के बारे में विस्तृत आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

नये वेतनमानों में वेतन वृद्धि का दिनांक एवं दक्षतारोक तथा अवशेष का भुगतान

8—किसी ऐसे कर्मचारी की अगली वेतन-वृद्धि जिसका वेतन उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार नये वेतनमान में निश्चित किया गया है, उस दिनांक से एक वर्ष के बाद उन मामलों को छोड़कर जो कि ऊपर प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर (6) से नियंत्रित हो, स्वीकृत की जायगी, जिससे वह नये वेतनमान में आने का विकल्प चुने।

9—नया वेतमान चुनने वाले कर्मचारी का वेतन ऊपर प्रस्तर-3 में बतायी गयी रीति से निश्चित किया जायगा और दक्षतारोक, संलग्नक "ग" में दिये गये अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार ही कार्यान्वित होंगे।

10—यदि किसी राज्यकर्मचारी को वर्तमान वेतनमान में दक्षतारोक पार करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो, तो उसके नये वेतनमान में पुनः दक्षतारोक पार करने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि वर्तमान वेतनमान में उसके दक्षतारोक पार करने के दिनांक से कम से कम पांच वर्ष की अवधि व्यतीत न हो चुकी हो। ऐसे मामलों में यह मान लिया जायगा कि सम्बन्धित कर्मचारी ने नये वेतमान में भी दक्षता रोक पार कर ली है और उसे नये वेतनमान में दक्षता-रोक पार करने की अनुमति देने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करना आवश्यक न होगा। यदि नये वेतनमान में दक्षतारोक प्रक्रम उक्त पांच साल की अवधि के बाद पड़ता हो तो इस प्रक्रम पर पहुंच कर दक्षतारोक पार करना आवश्यक होगा। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि वर्तमान वेतनमान से तात्पर्य उस पद के वेतनमान से है जिसमें सम्बन्धित कर्मचारी ने दक्षता रोक पार की है। यदि किसी कर्मचारी ने निचले पद के वेतनमान में पांच वर्ष के अन्दर दक्षता रोक पार की है किन्तु जिस उच्च पद पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है उसमे यदि दक्षता रोक पांच वर्ष के अन्दर भी पड़ रही हो, तो भी उसे उच्च वेतनमान में दक्षता रोक पार करना आवश्यक होगा।

11—ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वर्तमान वेतनमान में दक्षतारोक प्रक्रम पर रोक लिया गया हो उनके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल स्थिति को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिये जाने पर कोई रोक नहीं है और जब ऐसा किया जायगा तो नये वेतनमान में उनका वेतन उस आदेश के प्रभावी होने के दिनांक से पुनः निर्धारित कर दिया जायेगा।

12—समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 14-8-88 के पश्चात् सेवा में प्रविष्ट हुए हों/अथवा पदोन्नत हुए हों, स्वतः नया वेतनमान और नये आधार पर स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता पायेंगे।

13—दिनांक 1-1-87 या विकल्प की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान में दी जाने वाली धनराशि में से उस धनराशि को घटाते हुए अवशेष निकाला जायेगा जो सम्बन्धित कर्मचारी ने उस दिनांक से पुराने वेतनमान में वेतन, महंगाई-भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता के रूप में समय-समय पर आहरित किया हो। ऐसे मामले जिनमें विशेष वेतन समाप्त कर दिया गया है, उनमें पुराने वेतन के साथ उक्त विशेष वेतन की धनराशि भी सम्मिलित की जायेगी। इस प्रकार यदि किसी समय बिन्दु पर किसी कर्मचारी द्वारा आहरित पूर्व परिलब्धियां नये वेतनमान की परि-लब्धियों से अधिक हों तो उस अवधि में अन्तर के बराबर धनराशि वैयक्तिक रूप से दी जायेगी।

14—ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-86 से अथवा 1-1-86 के बाद और 31-12-86 तक का नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण का विकल्प देंगे उनका नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण काल्पनिक रूप से किया जायेगा अर्थात् उस अवधि

(दिनांक 1-1-86 से 31-12-86 तक के लिए) के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का लाभ किसी भी कर्मचारी को अनुमन्य नहीं होगा किन्तु उस अवधि की सेवा का लाभ वेतन वृद्धि के लिए जोड़ा जायेगा। नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी, 1987 से 31 मई, 1987 तक की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी। दिनांक 1 जून, 1987 से 30 जून, 1988 तक की अवशेष धनराशि के 50 प्रतिशत का भुगतान नकद और शेष 50 प्रतिशत की धनराशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं उन्हें उपर्युक्त अवशेष का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के रूप में किया जायेगा। किन्तु जिस धनराशि का बचत पत्र नहीं मिल सकता वह नकद दी जायेगी। पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 1 जुलाई. 1988 से अनुमन्य परिलब्धियों का भुगतान नकद किया जायेगा।

15—ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-87 से 14-8-88 तक सेवा-निवृत्त हुए होंगे, उन्हें नये वेतनमानों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान नगद किया जायेगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो 31-3-89 तक सेवा-निवृत्त होने वाले हों उन्हें भी देय अवशेष का नकद भुगतान किया जायेगा।

16—अन्त में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, जिला परिषद् के कर्मचारियों, विकास प्राधिकरण तथा जल संस्थानों के कर्मचारियों पर भी जिन पर वेतन समिति उत्तर प्रदेश की संस्तुतियां लागू होती हैं, लागू होंगे।

संलग्नक :—उपर्युक्त के अनुसार।

भवदीय,

विजय कृष्ण सक्सेना

प्रमुख सचिव

संलग्नक "क"

उदाहरण–1

पदनाम : चपरासी

वर्तमान वेतनमान	.. रु० 305- 5-330-द० रो०-6-360-द० रो०-6-390
पुनरीक्षित वेतनमान	.. रु० 750-12-834-द० रो०-12-930

		(रु०)
(1)	दिनांक 1-1-86 का मूल वेतन	305.00
(2)	वर्तमान वेतनमान में अगली देय एक वेतन वृद्धि	5.00
(3)	मूल वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता (दिनांक 1-1-86 को अनुमन्य) ..	256.20
(4)	तदर्थ महंगाई भत्ता (दिनांक 1-4-86 को अनुमन्य)	—
(5)	वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33⅓ प्रतिशत (क्रमांक 1+2)	175.00
(6)	दिनांक 1-1-86 की वर्तमान परिलब्धियां	741.20
(7)	पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	750.00
(8)	पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-86 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित होने वाला वेतन ..	750.00
(9)	पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-87 को देय वेतन	762.00

उदाहरण–2

पदनाम : चपरासी

वर्तमान वेतनमान	.. रु० 305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390
पुनरीक्षित वेतनमान	.. रु० 750-12-834-द०रो०-12-930

		(रु०)
(1)	दिनांक 1-1-86 के बाद विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	330.00
(2)	वर्तमान वेतनमान में अगली देय एक वेतन वृद्धि	—
(3)	उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता (दिनांक 1-1-86 की दरों पर) ..	277.20
(4)	तदर्थ महंगाई भत्ता	—
(5)	विकल्प के दिनांक को मूल वेतन का 33⅓ प्रतिशत	175.00
(6)	विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में कुल परिलब्धियां	782.20
(7)	पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	786.00
(8)	पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प के दिनांक को निर्धारित होने वाला वेतन	786.00

उदाहरण–3

पदनाम : सीनियर इनवेस्टीगेटर

वर्तमान वेतनमान .. रु० 625-30-835-द०रो०-30-925-35-1065-द०-रो०-35-1240
पुनरीक्षित समयमान वेतनमान .. रु० 1750-50-2000-60-2900
(समयमान वेतनमान के अर्ह पदधारक हेतु)

		(रु०)
(1)	दिनांक 1-1-86 का मूल वेतन	1240.00
(2)	वर्तमान वेतनमान में अगली देय एक वेतन वृद्धि	—
(3)	मूल वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	868.00
(4)	तदर्थ महंगाई भत्ता	—
(5)	वेतन+एक वेतन वृद्धि का 33⅓ प्रतिशत	413.30
(6)	दिनांक 1-1-86 की वर्तमान परिलब्धियां	2521.30
(7)	पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2540.00
(8)	पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-86 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित होने वाला वेतन ..	2540.00
(9)	पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-87 को देय वेतन	2600.00

उदाहरण–4

पदनाम : सीनियर इन्वेस्टीगेटर

वर्तमान वेतनमान .. रु० 625-30-835-द०रो०-30-925-35-1065-द०रो०-35-1240
पुनरीक्षित वेतनमान (समयमान वेतनमान के लिए अर्ह नहीं) रु० 1500-50-1850 द०रो०-50-2000-60-2600

		(रु०)
(1)	दिनांक 1-1-86 के बाद विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	1240.00
(2)	वर्तमान वेतनमान में अगली देय एक वेतन वृद्धि	—
(3)	उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता (दिनांक 1-1-86 की दरों पर) ..	868.00
(4)	तदर्थ महंगाई भत्ता	—
(5)	विकल्प के दिनांक को मूल वेतन का 33⅓ प्रतिशत	413.30
(6)	विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में कुल परिलब्धियां	2521.30
(7)	पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2540.00
(8)	पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प के दिनांक को निर्धारित होनेवाला वेतन	2540.00

उदाहरण–5

पदनाम : निदेशक, राजकीय संग्रहालय, मथुरा

वर्तमान वेतनमान	..	रु० 1000-50-1300-द०रो०-60-1600-द०रो०-60-1900 + (रु० 150 विशेष वेतन यदि देय हो)
पुनरीक्षित वेतनमान	..	रु० 2500-100-3200-द०रो०-100-3500-125-4375

		(रु०)
(1)	दिनांक 1-1-86 का मूल वेतन	1250.00
(2)	विशेष वेतन (यदि देय हो)	150.00
(3)	वर्तमान वेतनमान में अगली देय एक वेतन वृद्धि	50.00
(4)	मूल वेतन तथा विशेष वेतन पर देय महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता	980.00
(5)	तदर्थ महंगाई भत्ता	—
(6)	वेतन + एक वेतन वृद्धि का 33⅓ प्रतिशत	433.30
(7)	दिनांक 1-1-86 को वर्तमान परिलब्धियां	2863.30
(8)	पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	2900.00
(9)	पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-86 को प्रकल्पित रूप से निर्धारित होने वाला वेतन ..	2900.00
(10)	पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1-1-87 को देय वेतन	3000.00

उदाहरण–6

पदनाम : अधीक्षण अभियन्ता

वर्तमान वेतनमान	..	रु० 2050-75-2200-100-2500
पुनरीक्षित वेतनमान	..	रु० 3850-150-4900-द०रो०-150-5200-200-5600

		(रु०)
(1)	दिनांक 1-1-86 के बाद विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन	2400.00
(2)	वर्तमान वेतनमान में अगली देय एक वेतन वृद्धि	—
(3)	उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता / अतिरिक्त महंगाई भत्ता (दिनांक 1-1-86 की दरों पर) ..	1080.00
(4)	तदर्थ महंगाई भत्ता (दिनांक 1-4-86 को अनुमन्य)	258.10
(5)	मूल वेतन का 33⅓ प्रतिशत	700.00
(6)	विकल्प के दिनांक को वर्तमान वेतनमान में कुल परिलब्धियां	4438.10
(7)	पुनरीक्षित वेतनमान में अगला उच्च प्रक्रम	4450.00
(8)	पुनरीक्षित वेतनमान में विकल्प के दिनांक को निर्धारित होने वाला वेतन	4450.00

संलग्नक "ख"

विकल्प का प्रपत्र

(क) उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जो नये वेतनमान के लिए विकल्प चुनें।

मैं .... घोषणा करता हूं कि मैं* .... रु० के नये वेतनमान के लिये .... के अपने* मौलिक/मूल पद के लिये (1) 1 जनवरी, 1986/(2) *अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक .... से, जो 1 जनवरी, 1986 के बाद पड़ी थी/पड़ती है और .... रु० के नये वेतनमान के लिये .... के पद में स्थानापन्न नियुक्ति के लिये (1) 1 जनवरी, 1986/(2)* स्थानापन्न नियुक्ति में अपनी वेतन वृद्धि के दिनांक .... से, जो 1 जनवरी, 1986 के बाद पड़ी थी/पड़ती है, विकल्प चुनता हूं। मैं यह भी स्पष्ट रूप से विकल्प देता हूं कि मूल/मौलिक पद पर मेरा वेतन प्रस्तर 3(1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाय। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं कि यह विकल्प अन्तिम और अपरिहार्य होगा।

हस्ताक्षर ————————————
पूरा नाम ————————————
पदनाम ————————————
कार्यालय ————————————
दिनांक ————————————

(जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 और 14-8-1988 के मध्य नियुक्त हुए हों उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 1986 के स्थान पर अपनी नियुक्ति के दिनांक का उल्लेख करना चाहिये, यदि वे अपनी नियुक्ति के दिनांक से विकल्प चुनते हैं।)

(ख) उन सरकारी कर्मचारियों के लिये जो वर्तमान वेतनमान के लिए विकल्प चुनें।

मैं .... घोषणा करता हूं कि मैं .... के अपने मौलिक*/मूल* पद में .... रु० के वर्तमान वेतनमान में और .... के स्थानापन्न पद में .... रु० के वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प चुनता हूं।

हस्ताक्षर ————————————
पूरा नाम ————————————
पदनाम ————————————
कार्यालय ————————————
दिनांक ————————————

नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा विकल्प के प्रपत्र की प्राप्ति स्वीकार किये जाने के लिये निर्देश।

संख्या ————————————
दिनांक ————————————

सेवा में,

————————

————————

————————

महोदय,

मुझे शासनादेश संख्या——————, दिनांक——————में दी हुई शर्तों के अनुसार——————प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये आपके विकल्प दिनांक ——————की प्राप्ति स्वीकार करने का निदेश हुआ है*। मैं शासनादेश संख्या—————— दिनांक——————में दी हुई शर्तों के अनुसार——————प्रपत्र में आपके द्वारा भेजे गये विकल्प दिनांक——————की प्राप्ति स्वीकार करता हूं।*

भवदीय,

हस्ताक्षर तथा पदनाम

नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सम्परीक्षा अधिकारी

(*) जो बात लागू न हों उन्हें काट दिया जाय।

संलग्नक "ग"

(प्रस्तर-9)

1-1-86 से लागू नये वेतनमान/समयमान वेतनमान

क्रमांक	साधारण वेतनमान (रु०)	समयमान वेतनमान (रु०)
1	2	3
1	750-12-834-द०रो०-12-930	810-12-906-14-990
2	775-14-873-द०रो०-14-915-15-1020	845-15-920-16-1080
3	850-16-962-द०रो०-16-1058-18-1130	930-16-1058-18-1220
4	875-16-987-द०रो०-16-1035-18-1125-20-1265	955-16-1035-18-1125-20-1345
5	950-18-1076-द०रो०-18-1130-20-1390	1040-18-1130-20-1250-25-1500
6	1000-20-1140-द०रो०-20-1200-25-1350-30-1530	1100-20-1200-25-1350-30-1590
7	1100-25-1275-द०रो०-25-1350-30-1650	1225-25-1350-30-1740
8	1140-25-1315-द०रो०-25-1390-30-1690	1265-25-1390-30-1780
9	1200-30-1410-द०रो०-30-1800	1350-30-1650-40-1930

1	2	3
10	1350-30-1560-द०रो०-30-1650-40-2050	1500-30-1650-40-2170
11	1400-40-1680-द०रो०-40-1800-45-2025-50-2275	1600-40-2000-50-2500
12	1400-50-1750-द०रो०-50-2000-60-2600	1650-50-2000-60-2900
13	1500-50-1850-द०रो०-50-2000-60-2600	1750-50-2000-60-2900
14	1600-60-2020-द०रो०-60-2500-75-2950	1900-60-2500-75-3250
15	1800-60-2220-द०रो०-60-2520-75-3270	2100-60-2520-75-3495
16	1850-60-2270-द०रो०-60-2690-75-3440	2150-60-2690-75-3590
17	1950-60-2370-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	2250-60-2550-75-3000-100-3800
18	2100-75-2625-द०रो०-75-3000-100-3900	2475-75-3000-100-4100
19	2500-100-3200-द०रो०-100-3500-125-4375	3000-100-3500-125-4625
20	2800-100-3500-द०रो०-125-4750	
21	3250-125-4125-द०रो०-125-4250-150-5000	
22	3400-125-4150-150-4300-द०रो०-150-5200	
23	2950-100-3650-द०रो०-100-3850-150-5200-200-5600	
24	3850-150-4900-द०रो०-150-5200-200-5600	
25	4250-150-5000-200-5400-द०रो०-200-5800	
26	4900-200-6100	
27	5500-200-6500	

शैक्षिक वर्ग

1	825 (नियत)	
2	850-16-962-द०रो०-16-1042-18-1150	930-16-1042-18-1240
3	900-16-1012-द०रो०-16-1060-18-1150-20-1290	980-16-1060-18-1150-20-1350
4	950-20-1090-द०रो०-20-1190-22-1410	1050-20-1190-22-1520
5	1050-25-1225-द०रो०-25-1300-30-1600	1175-25-1300-30-1750
6	1150-30-1360-द०रो०-30-1600-35-1810	1300-30-1600-35-1950
7	1325-30-1535-द०रो०-30-1625-40-2025	1475-35-1650-45-2280
8	1550-50-1900-द०रो०-50-2150-60-2750	1800-55-2185-65-3095
9	1800-60-2220-द०रो०-60-2520-75-3270	2100-60-2520-75-3495
10	1950-60-2370-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	2250-60-2550-75-3000-100-3800

1	2	3
	एलोपैथिक मेडिकल कालेज	
1	2100-75-2625-द०रो०-75-3000-100-3900	2475-75-3000-100-4100
2	2950-100-3650-द०रो०-100-3950-125-4700 150-5000	3450-100-3950-125-4700-150-5150
3	3725-125-4100-150-4700-द०रो०-150-5300 -200-5700	
4	5500-200-6500	
	आयुर्वेदिक-यूनानी होम्योपैथिक-मेडिकल कालेज	
1	2050-60-2470-द०रो०-60-2650-75-3100-100-3700	2350-60-2650-75-3100-100-3900
2	2175-75-2700-द०रो०-75-2850-100-4050	2475-75-2850-100-4250
3	2950-100-3650-द०रो०-100-3950-125-4700 -150-5000	
4	3725-125-4100-150-4700-द०रो०-150-5300-200-5700	
	स्थानीय निकाय	
1.	750-12-834-द०रो०-12-930	830-12-906-14-990
2.	760-14-858-द०रो०-14-900-15-1020	830-15-920-16-1080
3.	810-15-915-द०रो०-15-930-16-1090	885-16-1125
4.	820-16-932-द०रो०-16-1076-18-1130	900-16-1076-18-1220
5.	845-16-957-द०रो०-16-1005-18-1185-20-1265	925-16-1005-18-1185-20-1345
6.	900-18-1026-द०रो०-18-1080-20-1400	990-20-1310-25-1510
7.	960-20-1100-द०रो०-20-1160-25-1360-30-1540	1060-20-1160-25-1360-30-1600
8.	1050-25-1225-द०रो०-25-1350-30-1650	1175-25-1350-30-1740
9.	1140-30-1350-द०रो०-30-1800	1290-30-1650-40-1930
10.	1290-30-1500-द०रो०-30-1650-40-2050	1440-30-1650-40-2170
11.	1320-40-1600-द०रो०-40-1800-45-2025-50-2275	1520-40-2000-50-2500
12.	1400-50-1750-द०रो०-50-2250-60-2550	1650-50-2200-60-2800
13.	1480-60-1900-द०रो०-70-2500-75-2950	1780-60-2500-75-3250
14.	1680-60-2100-द०रो०-60-2520-75-3270	1980-60-2520-75-3495

1	2	3
15.	1830-60-2250-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	2130-60-2550-75-3000-100-3800
16.	1950-75-2475-द०रो०-75-3000-100-3900	2325-75-3000-100-4100
17.	2300-100-3000-द०रो०-100-3500-125-4375	2800-100-3500-125-4625
18.	3500-125-4000-150-4450-द०रो०-150-5200-200-5600	

कतिपय स्मरणीय बिन्दु

उपर्युक्त वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1 की राजाज्ञा में शासन द्वारा दिये गये आदेशों के परिपालन में निम्नांकित बिन्दु विशेष स्मरणीय होंगे :—

(1) वर्तमान परिलब्धियों की गणना में $33\frac{1}{3}\%$ अतिरिक्त धनराशि का आंकलन केवल मूल वेतन एवं एक काल्पनिक वेतन वृद्धि की धनराशि के योग पर किया जायेगा। यह अतिरिक्त धनराशि कम से कम 175 रु० तथा अधिक से अधिक 700 रु० होगी।

(2) कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1-1-1986 या उसके बाद वेतन वृद्धि की तिथि से चुनने का विकल्प दिया गया है।

(3) यदि कोई कर्मचारी वेतन वृद्धि की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुनता है तो उसे एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देय नहीं है।

(4) वर्तमान परिलब्धियों की गणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं होंगी :—
- (क) विशेष वेतन
- (ख) स्नातकोत्तर वेतन
- (ग) प्रैक्टिसबन्दी भत्ता/वेतन
- (घ) ऐसा वेतन जो उक्त प्रस्तर (क), (ख) तथा (ग) के अधीन नहीं आता
- (ङ) वैयक्तिक वेतन
- (च) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन अथवा भत्ता
- (छ) अन्तरिम सहायता

(5) समस्त पूर्णकालिक कर्मचारियों को नवीन वेतनमान चुनने का विकल्प 31 मार्च 1989 तक अथवा प्रशासनिक आदेश की तिथि के 90 दिन के भीतर देना होगा।

(6) यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि में अपना विकल्प नहीं देगा तो यह मान लिया जायेगा कि उसने 1 जनवरी 1986 या नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से नया वेतनमान स्वीकार कर लिया है।

(7) एक बार विकल्प चुन लेने पर वह अन्तिम होगा।

(8) यदि कोई कर्मचारी अमान्य विकल्प प्रस्तुत करता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह नये वेतनमान में 1 जनवरी 1986 अथवा उसके बाद नियुक्ति की तिथि से आ गया है।

(9) सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने विकल्प की सूचना सीधे महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद/नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जो संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका रखता हो, को देगा और रसीद प्राप्त करेगा।

(10) विकल्प के बारे में समुचित रूप से प्रमाणित प्रविष्टि कर्मचारियों की सेवा पंजिका में भी की जानी चाहिए।

(11) यदि 1 जनवरी 1986 या नये वेतनमान लागू होने की तिथि या विकल्प प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने के पहले ही किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैं तो यह मान लिया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मचारी ने नया वेतनमान चुन लिया था।

(12) निलंबित कर्मचारियों को भी शासनादेश में दी गई शर्तों के अनुसार विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(13) 1 जनवरी, 1986 के बाद सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित शासनादेशों के द्वारा विभिन्न तिथियों से उनमें उल्लिखित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता देय होगा।

(क) सं० वे० आ०-1-30/दस-36(एम)/86 दिनांक 3 जनवरी, 1987
(ख) सं० वे० आ०-1-110/दस-36(एम)/86 दिनांक 23 मई, 1987
(ग) सं० वे० आ०-1-3366/दस-36(एम)/86 दिनांक 9 मार्च, 1988
(घ) सं० वे० आ०-1-1234/दस-48(एम)/88 दिनांक 15 जून, 1988

(14) ऐसे कर्मचारी जिनके वेतनमान अभी पुनरीक्षित नहीं किये गये हैं उन्हें वर्तमान दरों पर महंगाई भत्ता और अन्तरिम सहायता की तीनों किश्तें अन्य आदेश जारी होने तक मिलती रहेगी।

(15) यदि किसी राज्य कर्मचारी की वर्तमान वेतनमान में दक्षता रोक पार करने की अनुमति दी जा चुकी हो तो नये वेतनमान में पुन: दक्षता रोक पार करने की तब तक अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि वर्तमान वेतनमान में दक्षता रोक पार करने की तिथि से कम से कम 5 वर्ष का समय व्यतीत न हो जाये।

(16) 14 अगस्त, 1988 के बाद नियुक्त समस्त पूर्ण कालिक कर्मचारी स्वत: नया वेतनमान और तदनुसार स्वीकृत महंगाई भत्ता पायेंगे।

(17) यदि किसी समय बिन्दु पर किसी कर्मचारी द्वारा आहरित पूर्व परिलब्धियां नये वेतनमान की परिलब्धियों से अधिक हों तो उस अवधि में अन्तर के बराबर धनराशि वैयक्तिक रूप से दी जायेगी।

(18) दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 तक के लिये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का लाभ किसी भी कर्मचारी को अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु उस अवधि की सेवा का लाभ वेतन वृद्धि के लिए जोड़ा जायेगा।

(19) 1 जनवरी, 1987 से 31 मई, 1987 तक की अवशेष धनराशि संबंधित व्यक्ति के भविष्य निधि के खाते में जमा की जायेगी।

(20) 1 जून, 1987 से 30 जून, 1988 तक की अवशेष धनराशि के 50% का भुगतान नकद किया जायेगा। शेष 50% की धनराशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

(21) 1 जुलाई 1988 से अनुमन्य परिलब्धियों का भुगतान नकद किया जायेगा।

(22) ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 1-1-87 से 14-8-88 तक सेवा निवृत हुए होंगे, उन्हें नये वेतनमानों में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान नकद किया जायेगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो 31-3-89 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों उन्हें भी देय अवशेष का नकद भुगतान किया जायेगा।

उपर्युक्त स्मरणीय ज्ञातव्य आहरण-वितरण अधिकारियों की विशेष सुविधा के लिए इंगित किये गये हैं। इनका विस्तार संदर्भित शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 1988 का पूर्ण अध्ययन करते हुए समझ लिया जाय और उक्त राजाज्ञा में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही वांछित कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

1 जनवरी 1986 के बाद विभिन्न तिथियों से देय महंगाई भत्ता

क्र०	राजाज्ञा संख्या	दिनांक	देय महंगाई भत्ता	
1.	सं०वे०आ०-1-30/दस-36 (एम)/86	3.1.87 1.7.86 से प्रभावी	3500 रु० तक मूल वेतन 3501 रु० से 6000 रु० तक 6001 रु० से अधिक	4% 3% कम से कम 140 रु० 2% कम से कम 180 रु०
2.	सं०वे०आ०-1-110/दस-36(एम)/86	23.5.87 1.1.87 से प्रभावी	3500 रु० तक मूल वेतन 3501 रु० से 6000 रु० तक 6001 रु० से अधिक	8% 6% कम से कम 280 रु० 5% कम से कम 360 रु०
3.	सं०वे०आ०-1-3366/दस-36(एम)/86	9.3.88 1.7.87 से प्रभावी	3500 रु० तक मूल वेतन 3501 रु० से 6000 रु० तक 6001 रु० से अधिक	13% 9% कम से कम 455 रु० 8% कम से कम 540 रु०
4.	सं०वे०आ०-1-1324/दस-48(एम)/88	15.6.88 1.1.88 से प्रभावी	3500 रु० तक मूल वेतन 3501 रु० से 6000 रु० तक 6001 रु० से अधिक	18% 13% कम से कम 630 रु० 11% कम से कम 780 रु०

(केवल राजकीय सेवकों के लिए)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-1283/दस-200-88
लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :– सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवकों को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिये पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान की सुविधा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-4-1002/दस-200-77, दिनांक 26-4-1978, संख्या सामान्य 4-1327/दस-200-77, दिनांक 18-6-1979 एवं संख्या सामान्य 4-1687/दस-83-200-77 टी०सी०, दिनांक 25-7-1983 में संनिहित शर्तों के अन्तर्गत 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2—उपर्युक्त के संबंध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे०आ० 1-2246/दस-59(एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन के स्थान पर 240 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-7-1983 के अधीन वर्तमान में सरकारी सेवक के सेवा से त्याग-पत्र दे देने पर या सेवा छोड़ देने पर 90 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसकी सेवा समाप्ति के दिनांक को उसके अवकाश लेखे में जमा कुल अर्जित अवकाश की आधी सीमा तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा ग्राह्य है। यह भी आदेश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त परिस्थिति में अब अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 90 दिन की बजाय 120 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा।

4—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-1023/दस-85-205-84 दिनांक 13-6-1985 में सेवानिवृत्ति के दिनांक की अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है:—

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवा निवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$

उक्त प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 180 दिन के स्थान पर 240 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

5—यह आदेश दिनांक 1-1-87 से प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही अलग से की जा रही है।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव, वित्त

(केवल राजकीय सेवकों के लिए)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-1284/दस-200/88
लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—सेवावधि में उपार्जित अवकाश का नकदीकरण।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या सामान्य-4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 30-10-81 में निहित शर्तों के अधीन 1400 रु० प्रतिमाह अथवा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को 30 दिन तथा ऐसे सरकारी सेवकों जिनका वेतन 1400 रु० प्रतिमाह से अधिक है उन्हें 15 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा कैलेण्डर वर्ष में एक बार अनुमन्य है।

2—उपर्युक्त के संबंध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिये गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या-वे०आ०-1-2246/दस-59(एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 30 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमन्यता हेतु 1400 रु० प्रतिमास की निर्धारित वेतन सीमा को दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये वेतनमानों में 2900 रु० प्रतिमास निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त वेतन स्तर के ऊपर वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को पूर्व की भांति 15 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य रहेगी।

3—इससे सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही अलग से की जा रही है।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव

(केवल राजकीय सेवकों के लिए)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-1335/दस-88-203-88
लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियमावली खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम-81बी (1) एवं सहायक नियम-157-ए (1) में यह प्रतिबंध है कि जब सरकारी सेवक द्वारा अर्जित किये गये कुल उपार्जित अवकाश का योग-180 दिन हो जायेगा तो वह ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा। इसी प्रकार अर्जित अवकाश के आगणन की कार्यविधि के सरलीकरण विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सामान्य-4-1751/दस-201-76, दिनांक 24 जून, 1978 के प्रस्तर-1 (ख) में यह व्यवस्था है कि सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश अगली छमाही में लाया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जो अवकाश आगे लाया जायेगा और उसमें अगली छमाही का जो अवकाश जमा किया जायेगा वह मिलाकर कुल 180 दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

2—उपर्युक्त के संबंध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या-वे०आ०-1-2246/दस-59(एम)/1988 दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय ने सरकारी स्वकों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 180 दिन के स्थान पर 240 दिन निर्धारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

3—यह आदेश दिनांक 1-1-1987 से प्रभावी होंगे।

4—संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन अलग से किये जा रहे हैं।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(केवल राजकीय सेवकों के लिए)

संख्या : जी-1-1166/दस-262/88

प्रेषक,

डा० विजय कृष्ण सक्सेना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988

विषय : नगर प्रतिकर भत्ता।

महोदय,

मुझे वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिये गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या–वे०आ०-1-2246/दस–59 (एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर मुरादाबाद, तथा अलीगढ़ नगरों में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जो दिनांक 1-1-1986 से लागू नये वेतनमानों में रु० 2500 प्रतिमाह तक मूल वेतन प्राप्त करेंगे, को नीचे तालिका में उल्लिखित वेतन सीमा के अनुसार उनके सम्मुख इंगित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) संख्या-जी-1-422/दस-207-81, दिनांक 11 मार्च, 1982
(2) संख्या-जी-1-1187/दस-207-81, दिनांक 24 मई, 1983
(3) संख्या-जी-1-603/दस-86-209-86, दिनांक 15 अप्रैल, 1986
(4) संख्या-जी-1-871/दस-87-209-81-टी०सी०, दिनांक 9 जुलाई, 1987

वेतन सीमा (रु०)	कानपुर (रु०)	आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, तथा अलीगढ़ (रु०)
1	2	3
999 तक	30.00	25.00
1000 से 2500 तक	50.00	40.00

2—नये वेतनमानों में रु० 2500 प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को भी उतनी धनराशि नगर प्रतिकर भत्ते के रूप में अनुमन्य होगी जिसे वेतन में मिलाकर कानपुर नगर में रु० 2550 प्रतिमाह तथा उपर्युक्त अन्य नगरों में रु० 2540 प्रतिमाह से अधिक न हो। नगर प्रतिकर भत्ता की अनुमन्यता के लिये अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3—इन आदेशों के प्रयोजन हेतु "वेतन" का तात्पर्य उस मूल वेतन से होगा, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित है।

4—यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1988 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
विजय कृष्ण सक्सेना
प्रमुख सचिव

(केवल राजकीय सेवकों के लिए)

संख्या जी-1-1187/दस-263-88

प्रेषक,

श्री सोमदत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा समस्त
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 | लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 1988

विषय : मकान किराया भत्ता की वर्तमान दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1987 के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या वे०आ०-1-2246/दस-59 (एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेशों की आंशिक रूप से संशोधित करते हुए नीचे तालिका में उल्लिखित नगरों/क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी सेवकों, जो अधिष्ठान आय-व्ययक से, दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू नये वेतनमानों में वेतन प्राप्त करेंगे, को विभिन्न वेतन सीमा में उनके सम्मुख इंगित दरों पर मकान किराया भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

संख्या जी-1-1795/दस-81-209/81, दिनांक 15-12-81
संख्या जी-1-2532ए/दस-209/81, दिनांक 29-12-81
संख्या जी-1-645/दस-83-209/81, दिनांक 14-3-83
संख्या जी-1-77/दस-85-209/81, दिनांक 28-1-85
संख्या जी-1-282/दस-209/81, दिनांक 2-3-87
संख्या जी-1-870/दस-87-209/81, दिनांक 9-7-87

वेतन सीमा	कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली मेरठ, गोरखपुर तथा गाजियाबाद	स्तम्भ 2 को छोड़कर शेष सभी जिला मुख्यालय के शहर, मसूरी तथा 2.5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकायें	स्तम्भ 2 व 3 में अंकित स्थानों के अतिरिक्त अन्य सभी नगरपालिकायें तथा 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले सभी पर्वतीय क्षेत्र जो स्तम्भ 2 या 3 में नहीं आते
1	2	3	4
750-999	150	90	45
1000-1999	250	150	75
2000-2999	400	250	125
3000-4499	600	350	175
4500 और अधिक	850	500	250

2—उपरोक्त दरों पर मकान किराया भत्ता ऐसे सभी सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा, जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता ऐसे दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में रहते हैं।

3—ऐसे क्षेत्र जिनमें इस समय मकान किराया भत्ता, उनकी विशेष परिस्थितियों के अनुसार दिया जा रहा है किन्तु स्तम्भ 2 से 4 में अब निर्धारित की गई श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें भी स्तम्भ 4 में उल्लिखित श्रेणी के लिये संस्तुत दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

4—मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी सेवकों, जो किराये के मकान अथवा निजी आवास में रहते हैं, को रु० 250 प्रतिमास तक मकान किराया भत्ता बिना रसीद प्रस्तुत किये अनुमन्य होगा, किन्तु इसके लिए उन्हें संलग्नक 1/2 के प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। रु० 250 प्रतिमाह से अधिक दरों से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये सरकारी सेवकों को रसीद प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए सरकारी सेवकों को संलग्नक 3/4 के प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5—मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु नगरों की जनसंख्या का आधार वर्ष 1981 की जनगणना है।

6—मकान किराया भत्ता के आदेशों के प्रयोजन हेतु वेतन का तात्पर्य उस मूल वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग 2-4 के मूल नियम 9(21) (i) में परिभाषित है।

7—मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता के लिये अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध जिनका उल्लेख उक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित शासनादेशों में है, यथावत लागू रहेंगे।

8—यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 1988 से प्रभावी होंगे।

भवदीय
सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव।

संलग्नक-1

रु० 250 प्रतिमाह् तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिए सरकारी सेवकों से लिया जाने वाला प्रमाण-पत्र ।

1. मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी निवास गृह के लिए आवेदन-पत्र दिया है लेकिन उस अवधि के दौरान जिसके सम्बन्ध में यह भत्ता मांगा गया है, मुझे ऐसा निवास गृह नहीं दिया गया है।
2. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं मकान किराये के रूप में कुछ व्यय वहन कर रहा हूं।

हस्ताक्षर............
पदनाम............

संलग्नक-2

रु० 250 प्रतिमाह् तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये ऐसे सरकारी सेवकों, जो तैनाती के नगर में निजी या परिवार के किसी सदस्य अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के मकान में रहते हैं, से लिया जाने वाला प्रमाण-पत्र ।

1. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं एक ऐसे मकान में रह रहा हूं जिसका मालिक मैं हूं/मेरी पत्नी है/मेरे पति/मेरे पुत्र/मेरी पुत्री/मेरे पिता/मेरी माता हैं, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं, हिन्दू अविभाजित परिवार हैं जिसका/जिसकी मैं एक सहभागी हूं।
2. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं मकान कर/सम्पत्ति कर अदा कर रहा हूं/या मकान मरम्मत पर व्यय कर रहा हूं/या उसके लिये अंशदान दे रहा हूं।

हस्ताक्षर............
पदनाम............

टिप्पणी :—जो अंश लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

संलग्नक-3

रु० 250 प्रतिमाह से अधिक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये ऐसे सरकारी सेवकों से लिया जाने वाला प्रमाण-पत्र जो अपनी तैनाती के नगर में किराये के मकान में रहते हैं।

1. मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं..................में, दिनांक............से दिनांक.......तक किराये के मकान में रह रहा हूं और मकान किराये भत्ते के रूप में..........रुपये की जो धनराशि मैंने मांगी है वह मेरे द्वारा इस अवधि के लिए वास्तव में दिये गये मासिक किराये की वह धनराशि है जो मेरे........ रुपये के मासिक वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक है।
2. मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी निवास गृह के लिये आवेदन-पत्र दिया है लेकिन उस अवधि के दौरान, जिसके सम्बन्ध में यह भत्ता मांगा गया है, मुझे ऐसा निवास गृह नहीं दिया गया है।

हस्ताक्षर..........
पदनाम...........

टिप्पणी :—यदि सरकारी सेवक सरकारी निवास-गृह के लिए पात्र न हो, तो प्रमाण-पत्र संख्या (3) आवश्यक नहीं होगा।

संलग्नक-4

रु० 250 प्रतिमाह से अधिक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के लिये ऐसे सरकारी सेवकों से लिया जाने वाला प्रमाण-पत्र जो तैनाती के नगर में निजी या परिवार के किसी सदस्य के मकान में रहते हैं।

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं ··············से··············तक ऐसे मकान··········(मकान का पता) में रह रहा हूं जिसका मालिक मैं हूं/मेरी पत्नी/मेरा पति/मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा पिता/मेरी माता हैं जो मेरे ऊपर आश्रित हैं/हिन्दू अविभाजित परिवार है जिसका/जिसकी मैं एक सहभागी हूं तथा नगरपालिका के प्रयोजन के लिए अथवा/अन्यथा मकान का निर्धारित सकल मासिक किराया मूल्य (मरम्मत आदि के लिए मिलने वाली छूट घटाये बिना)·············रु० है इसमें·················अवधि के लिए निम्नलिखित शामिल है/शामिल नहीं है :—

(क) नगरपालिका कर और अन्य कर (भूमि भवन कर को छोड़कर) जो मकान मालिक द्वारा देय होते हैं रु०················।

(ख) सेवा कर जो अलग से लगाये जाते हैं तथा जिनका अलग से उल्लेख किया जाता है रु०···········

हस्ताक्षर··········
पदनाम···········

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-1307/दस-88-600/88
लखनऊ : दिनांक 23 सितम्बर, 1988

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1987) के प्रतिवेदन तथा उस पर विचार करने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर शासकीय संकल्प संख्या-वे०आ०-2246/दस-59(एम)/1988, दिनांक 14 अगस्त, 1988 में लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1906/दस-81-60/81, दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :—

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी :

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-16 में सरकारी सेवकों को उनके वेतन के आधार पर विभिन्न कोटियों में किये गये वर्गीकरण को समाप्त किया जाता है। सरकारी सेवक अब दिनांक 1-1-1986 से लागू नये वेतनमानों में वायुयान एवं रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे :—

क्र० सं०	सरकारी सेवक/वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
(1)	शासन के सचिव, विशेष सचिव तथा रु० 5000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी)
(2)	रु० 2700 से रु० 4999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी)
(3)	रु० 1400 से रु० 2699 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी
(4)	रु० 1399 तक वेतन पाने वाले।	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)

(2) अनुषंगिक व्यय :

(i) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-3 के नियम 23 (1) के अनुसार सरकारी सेवकों को वर्तमान समय में उनकी कोटि के आधार पर अनुषंगिक व्यय दिया जा रहा है। नये वेतनमानों में अनुषंगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा :—

क्र० सं०	सरकारी सेवक/वेतन सीमा	अनुषंगिक व्यय की दर
(1)	रु० 2700 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले	7.0 पैसे प्रति कि०मी०
(2)	रु० 1400 से रु० 2699 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	5.0 पैसे प्रति कि०मी०
(3)	रु० 1399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	3.0 पैसे प्रति कि०मी०

(ii) हवाई यात्रा के दौरान अनुषंगिक व्यय की दरें यथावत पूर्व की भांति रहेंगी अर्थात् उनमें कोई संशोधन नहीं होगा।

(3) दैनिक भत्ता :

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (सी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर अब निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :—

सरकारी सेवक का वर्ग	साधारण दर (स्तम्भ-3, 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दर जिनमें नगरपालिकायें तथा कैन्टोमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहां कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होगी–मुरादाबाद, अलीगढ़ झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	"क" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिनमें नगर पालिकायें तथा कैन्टोमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज, जहां कही विद्यमान हों, सम्मिलित होगी–कानपुर, लखनऊ आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद
1	2	3	4
1—रु० 5000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले	रु० 35.00	रु० 40.00	रु० 50.00

1	2	3	4
2—रु० 2700 से रु० 4999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	30.00	35.00	45.00
3—रु० 2000 से रु० 2699 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	25.00	30.00	35.00
4—रु० 1400 से रु० 1999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	20.00	25.00	30.00
5—रु० 1399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	15.00	18.00	20.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेडल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिए दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणस्वरूप–दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित दर से दैनिक भत्ता देय है :—

वेतन सीमा (रुपये)	दैनिक भत्ता	
	निजी व्यवस्था अथवा होटल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर ठहरने पर	होटल अथवा अन्य संस्थान, जहां ठहरने और/अथवा भोजन की व्यवस्था शेडल्ड टैरिफ पर हो
(1) 1100 से कम	35.00	40.00
(2) 1100 से 1399 तक	50.00	65.00
(3) 1400 से 1899 तक	55.00	80.00
(4) 1900 से 2799 तक	65.00	125.00
(5) 2800 से 5099 तक	75.00	150.00
(6) 5100 और उससे अधिक	80.00	175.00

विशेष दर पर दैनिक भत्ता के आगणन हेतु निम्नलिखित उदाहरण दिये जा रहे हैं :—

		रु०
(1)	सामान्य दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता	80
	घटायें—10 प्रतिशत	(–) 8
		72
	होटल/संस्थान में ठहरने (लाजिंग चार्जेज) हेतु किया गया वास्तविक व्यय/भुगतान की गई धनराशि	150
	योग	222
	विशेष दर पर अनुमन्य होने वाला दैनिक भत्ता	175
(2)	सामान्य दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता	80
	घटायें—10 प्रतिशत	(–) 8
		72
	होटल/संस्थान में ठहरने (लाजिंग चार्जेज) हेतु किया गया वास्तविक व्यय/भुगतान की गई धनराशि	100
	योग	172
	विशेष दर पर अनुमन्य होने वाला दैनिक भत्ता	172

(ग) पुनरीक्षित वेतनमानों में रु० 2700 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले शासकीय सेवक यदि उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित "क" वर्ग के नगरों में सरकारी कार्यवश जाते हैं और उन्हें वहां किसी अन्य संस्थान/होटल में ठहरना पड़ता है तो उन्हें अवस्थान की अवधि में निम्न प्रकार विशेष दर से दैनिक भत्ता इस शर्त के अधीन देय होगा कि शासकीय सेवकों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय जिसकी पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा अथवा विशेष दर से दैनिक भत्ता, जो भी कम हो, ग्राह्य होगा :—

	शासकीय सेवक की श्रेणी	विशेष दैनिक भत्ता की दर
		रु०
(1)	रु० 2700 से रु० 4999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले शासकीय सेवक	90.00 प्रतिदिन
(2)	रु० 5000 या उससे अधिक वेतन पाने वाले शासकीय सेवक	120.00 प्रतिदिन

विशेष दर पर दैनिक भत्ता के आगणन हेतु निम्नलिखित उदाहरण दिये जा रहे हैं :—

(1)	सामान्य दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता	50.00
	घटायें—10 प्रतिशत	(–) 5.00
		45.00

		रु०
होटल/संस्थान में ठहरने पर हुआ वास्तविक लाजिंग चार्जेज		100.00
	योग	145.00
विशेष दर पर अनुमन्य होने वाला दैनिक भत्ता		120.00
(2) सामान्य दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता		50.00
घटायें—10 प्रतिशत		(–) 5.00
		45.00
होटल/संस्थान में ठहरने पर हुआ वास्तविक लाजिंग चार्जेज		60.00
	योग	105.00
विशेष दर पर अनुमन्य होने वाला दैनिक भत्ता		105.00
(3) सामान्य दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता		45.00
घटायें—10 प्रतिशत		(–) 4.50
		40.50
होटल/संस्थान में ठहरने पर हुआ वास्तविक लाजिंग चार्जेज		55.00
	योग	95.50
विशेष दर पर अनुमन्य होने वाला दैनिक भत्ता		90.00
(4) सामान्य दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता		45.00
घटायें—10 प्रतिशत		(–) 4.50
		40.50
होटल/संस्थान में ठहरने पर हुआ वास्तविक लाजिंग चार्जेज		35.00
	योग	75.50
विशेष दर पर अनुमन्य होने वाला दैनिक भत्ता		75.50

(घ) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध हैं वह यथावत रहेंगे।

(4) सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिये सड़क मील भत्ता (Road Milage) :

सरकारी सेवकों की सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-23 (बी) (2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों की नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा :—

(1) रु० 3000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :

(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से की गई सड़क यात्राओं के लिये :—

(i) प्रथम 500 कि०मी० तक तय की गई दूरी के लिए	रु० 1.75 प्रति कि०मी०
(ii) 500 कि०मी० से अधिक परन्तु 1200 कि०मी० तक तय की गई दूरी के लिये	रु० 1.40 प्रति कि०मी०
(iii) 1200 कि०मी० से अधिक तय की गई दूरी के लिए।	शून्य
(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये	रु० 1.00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रु० 200 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ग) पेट्रोल/डीजल चलित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये	रु० 0.50 प्रति कि०मी० इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 100 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(2) रु० 2999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :

(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये	रु० 1.00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 200 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
ख) पेट्रोल/डीजल चलित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिए	रु० 0.50 प्रति कि०मी० इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 100 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(3) यात्रा पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रु० 1.50 प्रति कि०मी० के स्थान पर अब रु० 1.75 प्रति कि०मी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियों की गणना पूर्ववत वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 सपठित परिशिष्ट-V के अधार पर ही की जायेगी।

(5) स्थानान्तरण की दशा में अनुमन्य सुविधायें :

(क) **सामान ले जाने की अधिकतम सीमा**—सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(I)(iii) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को, उनके नये वेतनमानों में, व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :—

यदि यात्रा परिवार सहित की गई हो--

सरकारी सेवक/वेतन सीमा	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अधिकतम सीमा
(1) रु० 5000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन।
(2) रु० 2700 से रु० 4999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या चार पहियों का एक वैगन।
(3) रु० 2000 से रु० 2699 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	3000 किग्रा०।
(4) रु० 1400 से रु० 1999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	2500 किग्रा०।
(5) रु0 1399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	1250 किग्रा०।

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो—

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

(ख) सामान ले जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति

सरकारी सेवकों की उनके स्थानान्तरण के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42(2)(I)(iii) में अंकित सीमाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत सामान को माल गाड़ी से स्वयं के जोखिम पर ले जाने के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। इसी प्रकार सड़क द्वारा की गई यात्राओं में उक्त नियम-42(2)(II)(iii) में अंकित सीमाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत अनुमन्य सामान की ढुलाई कार्ट या ठेले से किये जाने पर निर्धारित दर पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। उल्लिखित नियम-42(2)(II)(iii) के अन्तर्गत कार्ट या ठेले द्वारा सामान की ढुलाई हेतु विद्यमान व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण के अवसर पर अब अपने व्यक्तिगत सामान के परिवहन हेतु मालगाड़ी से स्वयं के जोखिम पर अनुमन्य ढुलाई व्यय तथा उसके साथ उसका 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय अनुमन्य होगा। इस सीमा तक ट्रक द्वारा सामान ले जाने का वास्तविक व्यय भी अनुमन्य होगा।

(ग) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान

(i) सरकारी सेवकों को शासकीय कार्य के हित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने की दशा में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम 42(1) के अनुसार एक मुश्त धनराशि ग्राह्य होती है। नये वेतनमानों में अब निम्न दरों पर एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान अनुमन्य होगा :—

शासकीय सेवक/वेतन सीमा	एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान
	(रु०)
1—रु० 5000 या उससे अधिक प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	1200.00
2—रु० 2700 से रु० 4999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	900.00
3—रु० 2000 से रु० 2699 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	750.00
4—रु० 1400 से रु० 1999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	600.00
5—रु० 1399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	300.00

(ii) वर्तमान समय में सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने की स्थिति में यदि उक्त स्थान की दूरी 8 कि०मी० या इससे अधिक हो उल्लिखित नियम के अधीन एक मुश्त धनराशि का

50 प्रतिशत ग्राह्य है। सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण एक ही जिले में होने की दशा में अब उक्त 50 प्रतिशत एक मुश्त धनराशि देय न होगी।

(iii) सरकारी सेवकों का स्थानान्तरण एक ही जिले में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर किये जाने के ऐसे मामलों में जिनमें नया स्टेशन पुराने स्टेशन से आठ कि० मी० से अधिक दूरी पर स्थित हो, सरकारी सेवक को स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिये और व्यक्तिगत सामान के लिये स्थानान्तरण यात्रा भत्ता और ढुलाई व्यय (एक मुश्त अनुदान को छोड़कर) सामान्य नियमों/सीमाओं के अधीन ग्राह्य होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में रु० 1999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को रु० 75 तथा रु० 1999 प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को रु० 150 पैकिंग भत्ते के रूप में भी देय होगा।

(घ) **पैकिंग भत्ता**

इस राज्य सरकार में सरकारी सेवकों की उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान आदि की पैकिंग हेतु पृथक से कोई भत्ता देय नहीं था। इस संबंध में भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधा की पृष्ठभूमि में वेतन समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के ऐसे मामलों में जिनमें एक मुश्त अनुदान देय हो, एक मुश्त अनुदान का 25 प्रतिशत भाग पैकिंग भत्ते के रूप में अनुमन्य होगा।

2—ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान वेतनमान ही बनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित/पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिये उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु उनके वर्तमान वेतनमानों से उनके मूल वेतन के साथ उस पर दिनांक 1-1-86 की दर पर अनुमन्य महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा दिनांक 1-4-86 को अनुमन्य तदर्थ महंगाई भत्ता को जोड़ दिया जायेगा।

3—यह आदेश दिनांक 14 अगस्त, 1986 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों, परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

4—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथा समय किये जायेंगे।

सोमदत्त त्यागी
विशेष सचिव, वित्त

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(वेतनमानों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग का शासनादेश प्रतीक्षित है)

शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक/बेसिक/रा० शै० अनु० एवं प्र० परिषद)

शैक्षिक सेवा संवर्ग/अधीनस्थ शिक्षा सेवा/निरीक्षण शाखा/तकनीकी पद

क्र०	पदनाम	वर्तमान वेतन मान 1-7-79 से	वेतन समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान	वर्तमान समयमान वेतनमान	वेतन समिति द्वारा संस्तुत समय मान वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षा निदेशक/शिक्षा निदेशक (बेसिक/रा० शै०अ० एवं प्र० परिषद/उच्च शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा)	2700-100-3000	5500-200-6500	—	—
2	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक, बेसिक, पत्राचार, पर्वतीय, उर्दू, महिला)	1840-60-1900-75-2200-100-2400	3850-150-4900-द०रो०-150-5200-200-5600	—	—
3	संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ/प्रशि०/अनौ० बेसिक/महिला) निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, प्रधानाचार्य राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान उ०प्र०	1660-60-1900-द०रो०-75-2200-100-2300	3400-125-4150-150-4300-द०रो०-150-5200	—	—
4	उप शिक्षा निदेशक (मण्डल/मुख्यालय) सचिव, मा० शि० प०, निदेशक मनोविज्ञान शाला, निदेशक शैक्षिक तकनीकी कोष्ठक, वरिष्ठ परामर्शी (अनौ० शिक्षा), प्राचार्य राज्य शिक्षा संस्थान, सचिव बेसिक परिषद, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका (उ० शि० नि० स्तर की) उ० शि० नि० (प्रौढ़ शिक्षा)	1360-60-1720-द०रो०-60-1900-75-2125	2800-100-3500-द०रो०-125-4750	—	—

5 जिला विद्यालय निरीक्षक, उ० प्र०, सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक/प्रौढ़/माध्य०)	1250-50-1300-60-1660-द०रो०-60-1900-75-2050	2500-100-3200-द०रो०-100-3500-125-4375	—	3000-100-3500 125-4625
अपर सचिव, मा० शि० प०				
वरिष्ठ शोध मनोवैज्ञानिक (मनोविज्ञानशाला)				
वरिष्ट शोध अधिकारी (रा० सी०पी०आई० इलाहाबाद)				
पाठ्य पुस्तक अधिकारी, लखनऊ				
निदेशक राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी				
प्राचार्य, रा०सी०पी०आई०, इलाहाबाद				
प्राचार्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद				
प्राचार्य बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी				
प्राचार्य राज० रचना० प्रशि० महाविद्यालय लखनऊ				
सहायक निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान इलाहाबाद				
प्रोफेसर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान (भौतिक, रसायन, गणित, जीवविज्ञान)				
उप प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद				
सहयुक्त निदेशक राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद				
परामर्शी (अनौ० शि०) राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद				
सहायक निदेशक (शैक्षिक)/पत्राचार शिक्षा संस्थान				
सहायक निदेशक (बेसिक/बालाहार/एन० एफ० सी०)				
संयुक्त सचिव, बे० शि० प०				
निबन्धक, विभागीय परीक्षाएं इलाहाबाद				
मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका				

1	2	3	4	5	6
	प्रधानाचार्य, रा० महिला प्रशि० महाविद्यालय, इलाहाबाद जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी				
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-जि० बे० शि० अ० (म०) सह जिला विद्यालय निरीक्षक-सह मं० बा० वि० नि० प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज-रा० बा० इ० का० सहायक उप शिक्षा निदेशक (पुरुष-महिला) विधि अधिकारी / सांख्यकीय अधिकारी वैयक्तिक सहायक (शिक्षा निदेशक) उप पाठ्य पुस्तक अधिकारी उप सचिव, मा० शि० प० / उप सचिव बे० शि० प० उप प्रधानाचार्य रा० सी०पी०आई०/ प्रोफेसर, रा० सी०पी०आई० एवं रा० विज्ञान शि० संस्थान उप प्रधानाचार्य एवं शोध अध्यापक, रा० प्र० महा० वि० वाराणसी उप प्राचार्य एवं प्रोफेसर क्राफ्ट, रा० रचना० प्र० वि० लखनऊ शिक्षा प्रसार अधिकारी विज्ञान प्रगति अधिकारी विशेष कार्याधिकारी (अनौ० शि०) प्रधानाचार्य, रा० शिक्षा संस्थान, लखनऊ	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720	1950-60-2370-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	1300-60-1420-द०रो०-60-1900	2250-60-2550-75-3000-100-3800

	एशोसिएट प्रोफेसर आंग्ल भाषा शि० सं० इलाहाबाद निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं सहायक निदेशक, राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी वरिष्ठ शोध प्राध्यापक, रा० शि० संस्थान रियोग्राफी अधिकारी, मा० शि० प० निरीक्षक, अरबी मदरसा प्रधानाचार्य रा० शा० प्र० वि० रामपुर चलचित्र निदेशक, शि० प्रसार वि० मनोवैज्ञानिक / मण्डलीय मनोवैज्ञानिक पुस्तकालयाध्यक्ष, रा० के० पुस्तकालय इलाहाबाद जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका प्रधानाचार्या क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, लखनऊ/ झांसी / मोदीनगर उप प्रधानाचार्या, रा० महिला प्र० महाविद्यालय इलाहाबाद शोध प्रोफेसर (राजपत्रित) रा० म० प्र० महाविद्यालय, इलाहाबाद प्रधानाचार्य रा० शारी० प्रशि० वि० इलाहाबाद प्रधानाचार्य रा० गृह विज्ञान महिला प्रशि० वि० प्रधानाचार्य रा० शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय शोध अधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा) परियोजनाधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा)	तदैव	तदैव	--	तदैव
7	प्रधानाध्यापक रा० उ० मा० विद्यालय- रा० कन्या० उ० मा०वि० प्रधानाध्यापक रा० दी० विद्यालय-रा० कन्या दी० वि०	770-40-1050-द० रो०-50-1300-60- 1420-द०रो०-60- 1600	1800-60-2220-द० रो०-60-2520-75- 3270	1200-50-1300-60- 1420-द०रो०-60- 1720	2100-60-2520- 75-3495

1	2	3	4	5	6
	प्रधानाध्यापक रा० जू० ट्रे० कालेज				
	सहायक शिक्षा प्रसार अधिकारी				
	उप निबन्धक, विभागीय परीक्षाएं				
	उप प्रधानाचार्य, रा० जू०बे०ट्रे०का०				
	प्रधानाध्यापक, रा० प्रसार परीक्षा केन्द्र				
	सहायक सचिव (रा०) मा० शि० प०, एवं				
	सहायक तकनीकी (मा० शि० प०)				
	शोध अध्यापक, रा० शि० संस्थान/शोध-अध्यापिका, रा० गृ० वि० प्रशि० वि०				
	प्रकाशन, प्रशिक्षण, एवं शोध अधिकारी, रा० हिन्दी संस्थान				
	उप प्रधानाचार्य रा० इं० कालेज/रा० क० इ० का०				
	स्क्रिप्ट राइटर, शैक्षिक तकनीकी सेल				
	सहायक अधिकारी, पाठ्य-पुस्तक				
	जनसंख्या अधिकारी, मंडलीय कार्यालय				
	अधीक्षक कृषि शिक्षा				
	पत्राचार अधिकारी, पत्राचार शिक्षा संस्थान				
	प्रोफेसर, राज्य शिक्षा संस्थान/रा०सी०पी०आई०/रा० महिला प्र० वि०				
	परियोजना अधिकारी				
	उप प्रधानाचार्य, रा० शा० पु० महा वि० रामपुर/क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (महिला) लखनऊ				
	उत्पादन अधिकारी पा० पुस्तक अनुभाग				
	सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी भाषा शि० संस्थान				
	प्रवक्ता, रा० विज्ञान शि० संस्थान				
	सहयुक्त अधीक्षिका, बाल भवन लखनऊ				

	विद्यालय उप निरीक्षक/अपर उप विद्यालय निरीक्षक/विद्यालय उप निरीक्षक (उर्दू मा०) सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशाला। उप प्रधानाचार्य, रा० महिला शारी० प्रशि० वि०/रा० गृ० वि० प्रशि० वि०,				
8	उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, प्रधानाध्यापक, रा० प्र०अ०प्रशि० केन्द्र-डाभासेमर (फैजाबाद)	उक्तवत	उक्तवत	—	उक्तवत
9	स्टेटीशियन / वोकेशनल गाइड तथा समकक्ष पद सीनियर टेस्टर/गाइडेन्स काउन्सलर/मनोवैज्ञानिक/सहायक शोध अधिकारी (प्रौढ़ शिक्षा) सह परियोजना अधिकारी (प्रौ०शि०)	690-40-970-द०रो० 40-1050-द०रो०-50-1200-द०रो०-50-1300-60-1420	1600-60-2020-द० रो०-60-2500-75-2960	—	1900-60-2500-75-3250
10	प्रवक्ता (पुरुष/महिला शाखा) प्रवक्ता इन्जिनियरिंग / कोआर्डिनेटर / साहित्यिक सहायक / प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा / अधीक्षक शारीरिक शिक्षा / प्रवक्ता प्ले एण्ड रिक्रीएशन/ प्रवक्ता स्वीमिंग / प्रवक्ता क्राफ्ट एजूकेशन/ प्रवक्ता बुकक्राफ्ट/प्रवक्ता दृश्यश्रव्य / मण्डलीय कृषि पर्यवेक्षक/प्रवक्ता रा० प्र० अ० प्रशि० के० डाभासेमर प्रधानाचार्य, रा० ओरिएन्टल का० रामपुर	650-30-830-द०रो० 30-920-40-1040-द०रो०-40-1080-50-1280	1550-50-1900-द०रो०-50-2150-60-2750	960-40-1080-50-1230-द०रो०-50-1480	1800-55-2185-65-3095
11	सहायक मनोवैज्ञानिक / जर्नलिस्ट पत्रकार/ राइटर हिन्दी / फिल्म स्क्रिप्ट एण्ड कमेन्ट्री राइटर / श्रव्यदृश्य अन्वेषणाधिकारी / फिल्म लाइब्रेरियन / इन्चार्ज फिल्म सेक्सन / आर्टिस्ट टेस्ट बुक/सीनियर टेक्निकल असिस्टेन्ट/शोध सहायक सांख्यकी।	625-30-835-द० रो०-30-925-35-1065-द०रो०-35-1240	1500-50-1850-द०रो०-50-2000-60-2600	925-35-1065-द० रो०-35-1240-40-1360	1750-50-2000-60-2900

1	2	3	4	5	6
12	उप पुस्तकालयाध्यक्ष, के० रा० पुस्तकालय, इलाहाबाद	उक्तवत	उक्तवत	—	उक्तवत
13	ध्वनि अभियन्ता/फिल्म एडीटर/स्टेटीशियन	570-25-770-द० रो०-30-980-द०रो० 30-1100	1400-40-1680 द०रो-०40-1800-45-2025-50-2275	830-30-980-द० रो०-30-1190	1600-40-2000-50-2500
	सांख्यिकी सहायक (प्रौढ़ शिक्षा)	तदैव	तदैव	—	तदैव
14	कैमरामैन	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द० रो०-20-860	1200-30-1410-द०रो०-30-1800	680-20-780-द०रो० 20-920	1350-30-1650 40-1930
15	सामाजिक शिक्षा निरीक्षक/लैब इन्चार्ज	470-15-575-द० रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735	1100-25-1275-द०रो०-25-1350-30-1650	—	1225-25-1350-30-1740
16	सहायक अध्यापक (एल० टी० वेतन क्रम) (पुरुष / महिला शाखा) (सामान्य / विज्ञान/ कृषि / भाषा कला / संगीत / शारीरिक शिक्षा/ काष्ठ शिल्प प्रो० (अरबी/फारसी -) स० अ० ओरियन्टल कालेज रामपुर कैरियर मास्टर/मुख्य अनुदेशक (शिक्षा प्रसार) प्राविधिक सहायक (रा० प्रशि० महाविद्यालय) शिल्प विशेषज्ञ, शिक्षा निदेशालय	540-15-600-20-640-द०रो०-20 760-द०रो०-30-910	1325-30-1535-द०रो०-30-1625-40-2025	740-20-760-30-910-द०रो०-30 1090	1475-35-1650-45-2280

	सहायक कृषि पर्यवेक्षक / सहायक पर्यवेक्षक/ प्रसाराध्यापक एल०टी० ग्रेड / शिल्प शिक्षक/ शिक्षिका एवं शिल्प तथा कृषि अध्यापक कार्यानुभव योजना। सहायक बालिका वि० निरीक्षिका / महिला पर्यवेक्षक (अनौ० शिक्षा) प्रति उप विद्यालय निरीक्षक / पर्यवेक्षक (अनौ० शिक्षा)				
17	प्रधानाध्यापक रा० आदर्श वि०	490-15-580-द० रो०-20-700-द०रो०-20-760-25-860	1150-30-1360-द०रो०-30-1600-35-1810	700-20-760-25-810-द०रो०-25-910	1300-30-1600-35-1950
18	सहायक अध्यापक (सी०टी०)/इण्टर ट्रेन्ड सामान्य, भाषा, शिल्प, प्रसाराध्यापक, आदि पुरुष एवं महिला शाखा क्राफ्ट टीचर-रा०सी०पी०आई०	450-15-540-द० रो०-16-636-द०रो० 16-700-20-720	1050-25-1225-द०रो०-25-1300-30-1600	620-16-700-20-720-द०रो०-20-820	1175-25-1300-30-1750
19	स० अध्यापक	400-10-470-द० रो०-10-500-15-560-द०रो०-15-620	उक्तवत	—	उक्तवत
20	स०अ० (हाईस्कूल प्रशिक्षित)-रा०ओ०का० रामपुर बी०टी०सी० (हाईस्कूल उत्तीर्ण) महिला शाखा	365-10-425-द० रो०-10-495-द०रो०-12-555	900-16-1012-द० रो०-16-1060-18-1150-20-1290	—	980-16-1060-18-1150-20-1350
21	ओरियन्टल कालेज रामपुर के स० अध्यापक (जू० हा० स्कू० प्रशिक्षित) (पुरुष महिला शाखा)	350-6-380-8-396-द०रो०-8-444-द० रो०-8-460-10-500	850-16-962-द० रो०-16-1042-18-1150	—	930-16-1042-18-1240

1	2	3	4	5	6
22	कृषि अध्यापक	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685	1000-20-1140-द०रो०-20-1200-25-1350-30-1530	—	1100-20-1200-25-1350-30-1590
23	शिल्प शिक्षक (जे०टी०सी०)	354-10-424-द० रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125 20-1265	—	955-16-1035-18-1125-20-1345
24	शिल्प शिक्षक (एच०टी०सी०)	330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	—	930-16-1058-18-1220
25	प्रचार अधिकारी शिक्षा प्रसार कार्यालय	540-15-600-20-640-द०रो०-20-760-द०रो०-30-910	1325-30-1535-द०रो०-30-1625-40-2025	—	1475-35-1650-45-2280
26	टेलर मास्टर-बे०ट्रे०का० वाराणसी फार्म सहायक ग्रुप (2)-शक्तिफार्म नैनीताल वितरण अधिकारी शि० प्रसार कार्यालय सहायक ध्वनि अभियन्ता ,, समाज शिक्षा निरीक्षक ,, प्रूफरीडर-(पाठ्यपुस्तक) लैंडिग असिस्टेन्ट/रिफरेन्स असिस्टेन्ट/ (केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय) सूचीकार (मा० शि० प०) पुस्तकालयाध्यक्ष मैट्रन सीनियर ग्रेड	470-15-575-द०रो० 15-650-17-701-द०रो०-17-735	1100-25-1275-द०रो०-25-1350-30-1650	620-15-650-17-701-द०रो०-17-820	1225-25-1350-30-1740

27	शिक्षा प्रसार कार्यालय के— कस्टोडियन/प्रूफ रीडर/ग्राम सेवक/ जूनियर कैमरामैन/प्रिंटर/फिल्म चेकर रा० रचना० प्रशि० महाविद्यालय लखनऊ के—कुलालविज्ञान पार्टर टेक्नीशियन/क्राफ्टमैन रा०सी०पी०आई०/जे०बी०टी०सी०/के०रा० पुस्तकालय के—सूचीकार मैट्रन (जूनियर ग्रेड)/ग्राम सेविका (महिला शाखा)	400-10-450-12- 474-द०रो०-12- 570-द०रो०-15- 615	950-18-1076-द० रो०-18-1130-20- 1390	510-12-570-द० रो० 15-675	1040-18-1130- 20-1250-25- 1500
28	रा० सी०पी०आई०इला० के— क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर/वर्कशाप इन्स्ट्रक्टर/टर्नर/ फिटर/मोल्डर/वेल्डर/पेपर मेकिंग इन्स्ट्रक्टर/आपरेटर शि० प्र० कार्यालय के— सहायक कैमरामैन/चीफ आपरेटर/इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर इन्स्ट्रक्टर (निदेशक) शक्तिफार्म नैनीताल के— फार्म सुपरवाइजर ग्रुप-3	354-10-424-द०रो० 10-454-12-514- द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125 20-1265-	454-12-514-द०रो० 12-586-14-600	955-16-1035- 18-1125-20- 1345
29	आपरेटर (शि० प्र० कार्यालय एवं राजकीय सी०पी०आई० इलाहाबाद)	330-7-365-8-381- द०रो०-8-405-9- 450-द०रो०- 9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	405-9-450-द०रो०- 9-540	930-16-1058- 18-1220
30	रेसलर मास्टर/स्वीमिंग मास्टर/बैंड मास्टर	315-6-351-द०रो० 6-363-7-384-8- 400-द०रो०- 8-440	775-14-873-द०रो० 14-915-15-1020	360-8-400-द०रो०- 8-480	845-15-920 16-1080

1	2	3	4	5	6
31	सहायक निबंधक, रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं	670-25-770-30-800-द०रो०-30-980 द०रो०-30-1100	1400-40-1680-द०रो०-40-1800-45-2025-50-2275	830-30-980-द०रो० 30-1190	1600-40-2000-50-2500
32	सहायक सचिव (मिनिस्टीरियल) मा०शि०-प०,	(अ) 690-40-970-द०रो०-40-1050-द०रो०-50-1200-द०रो०-50-1300-60-1420 (ब) 770-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1600	1600-60-2020-द०रो०-60-2500-75-2950	—	1900-60-2500-75-3250
33	साहित्यिक सहायक/शोध सहायक-मा० शि० प०	650-30-830-द०रो० 30-920-40-1040 द०रो०-40-1080-50-1280	1550-50-1900-द०रो०-50-2150-60-2750	—	1800-55-2185-65-3095
34	ज्येष्ठ अनुसंधानकर्त्ता (मा०शि०प०)	550-18-640-20-680-द०रो०-20-740-25-865-द०रो० -25-940	1350-30-1560-द०रो०-30-1650-40-2050	740-25-865-द०रो० 25-1040	1500-30-1650-40-2170
	पर्यवेक्षक (प्रौढ़ शिक्षा)	तदैव	तदैव	—	तदैव

लिपिक वर्गीय (शिक्षा निदेशालय/मा०शि०प०/रजिस्ट्रार वि०प०/रा० शैक्षिक संस्थाएं/कार्यालय)

	शिक्षा निदेशालय के (मा०/बे०/उच्च)				
1	अधीक्षक ग्रेड-1/शिविर सहायक मा०शि० परिषद के— रियोग्राफी सहायक/अधीक्षक ग्रेड-1 वैयक्तिक सहायक/अधीक्षक ग्रेड-1 (रा० शै०अ० एवं प्र०प०) अधीक्षक ग्रेड-1 (प्रौढ़ शिक्षा)	625-30-835-द०रो० 30-925-35-1065 द०रो०-35-1240- द०रो०-40-1360	1500-50-1850- द०रो०-50-2000- 60-2600	—	1750-50-2000- 60-2900
2	शिक्षा निदेशालय (मा०बे०/उच्च/प्रौढ़) अधीक्षक ग्रेड-II/ज्येष्ठ लेखा परीक्षक/ सांख्यकी सहायक/लेखाकार/शि०सहा० (निदेशक प्रौढ़ से सम्बद्ध)	570-25-770-द०रो० 30-980-द०रो०-30- 1100	1400-40-1680- द०रो०-40-1800- 45-2025-50-2275	830-30-980-द०रो० 30-1190	1600-40-2000- 50-2500
	राजकीय शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों के— वरिष्ठ सहायक मा० शि० परिषद के—ज्ये०ले०नि०/अधीक्षक ग्रेड-II				
3	आशुलिपिक—रा०शै०अ०प०-(1-1-87 से स्वीकृत वेतनमान) शि०नि० स०शै०अ०प०/शि०नि०(बे०)/ शि०नि० (उच्च)	तदैव	तदैव	—	तदैव
4	वरिष्ठ सहायक/शिविर सहायक (आशु-लिपिक) रा०शै० संस्थाओं/कार्यालयों के वरिष्ठ सहायक	515-15-590-18- 626-द०रो०-18- 680-20-780-द०रो० 20-860	1200-30-1410- द०रो०-30-1800	680-20-780-द०रो० 20-920	1350-30-1650- 40-1930

1	2	3	4	5	6
	रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं के— प्रधानकर्णिक/गोपनीय सहायक/सामान्य प्रभारी मा० शि० परिषद के— वरिष्ठ सहायक/स्टेनोग्राफर				
5	शि०नि० कार्यालय (उ०, मा०, बे०, प्रौढ़) शिविर सहायक/लेखापरीक्षक/इन्वेस्टीगेटर कम-कम्प्यूटर / सहायक लेखाकार राजकीय शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों के— वरिष्ठ सहायक / आशुलिपिक रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं के— ज्येष्ठ टीपालेखक / आशुलिपिक मा०शि०प० के— आशुलिपिक / लाइब्रेरियन / कनिष्ठ लेखा-परीक्षक/डार्करूम सहायक रियोग्राफीरीडर/ इन्वेस्टीगेटर कम कम्प्यूटर / कनिष्ठ अनु-संधान कर्ता / कैटलागर	470-15-575-द०रो० 15-650-17-701-द०रो०-17-735	1100-25-1275-द०रो०-25-1350-30-1650	620-15-650-17-701-द०रो०-17-820	1225-25-1350-30-1740
6	शि०नि० कार्यालय (उ०/मा०/बे०) वरिष्ठ लिपिक राजकीय शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं के टीपा लेखक (वरिष्ठ लिपिक) / कनिष्ठ टीपा लेखक	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685	1000-20-1140-द०रो०-20-1200-25-1350-30-1530	450-15-540-द०रो० 16-636-द०रो०-16-700-20-720	1100-20-1200-25-1350-30-1590

	उपलेखक प्रालेखक मा०शि०प० के वरिष्ठ लिपिक				
7	शि० नि० / रा०शै० संस्थाओं / कार्यालयों/ रजिस्ट्रार वि० परीक्षाएं कनिष्ठ लिपिक/टेलीफोन आपरेटर/नैत्यिक लिपिक/टंकक मा०शि०प० के कनिष्ठ लिपिक / टेलीफोन आपरेटर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125 20-1265	454-12-514-द०रो० 12-586-14-600	955-16-1035-18-1125-20-1345
	प्रौढ़ शिक्षा (कनिष्ठ लिपिक)	तदैव	तदैव	—	तदैव
8	शिक्षा निदेशालय / मा०शि०प० में सवेतन उम्मीदवार	350-नियत	875-नियत	—	—
9	ड्राइवर (शिक्षा निदेशालय / राजकीय शैक्षिक संस्थाएं / कार्यालय मा०शि०प०—ट्रक ड्राइवर / पिकअप ड्राइवर	330-7-365-8-381 द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	405-9-450-द०रो०-9-540	930-16-1058-18-1220
	प्रौढ़ शिक्षा—ड्राइवर	तदैव	तदैव	—	तदैव
10	शिक्षा निदेशालय के केयर टेकर / दफ्तरी / हेड माली / जमादार/ मैकेनिक / मशीन चालक राजकीय शैक्षिक संस्थाओं / कार्यालयों के— दफ्तरी / ग्रास फार्मकीपर / मैकेनिक / वर्कशाप सहायक / माली / जमादार / प्रधान अर्दली/ वियरर तथा अन्य समकक्ष पद रजिस्ट्रार कार्यालय—दफ्तरी मा०शि०प०—चिन्तक / फार्मकीपर / दफ्तरी बन्डल वाहक	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440	775-14-873-द०रो० 14-915-15-1020	360-8-400-द०रो०-8-480	845-15-920-16-1080
	प्रौढ़ शिक्षा—दफ्तरी / मैकेनिक	तदैव	तदैव	—	तदैव

1	2	3	4	5	6
11	शि० निदेशालय के चपरासी / अर्दली / फर्राश / चौकीदार/ फायरमैन / माली / मिस्त्री / स्वीपर राजकीय शैक्षिक संस्थाएं / कार्यालयों में— चपरासी / माली / चौकीदार / अर्दली / लैब वियरर/स्वीपर/क्लीनर तथा अन्य समकक्ष पद रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं—चपरासी/स्वीपर मा०शि०प०—चपरासी / फर्राश / जलवाहक/ नियमित श्रमिक / जमादार (स्वीपर) माली/ चौकीदार/क्लीनर / अर्दली / कुर्सी बुनकर	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	750-12-834-द०रो० 12-930	330-6-360-द०रो०-6-390-7-425	810-12-906-14-990

लेखा संवर्ग के पद

1	2	3	4	5	6
1	मुख्य लेखाधिकारी (शिक्षा निदेशालय) मुख्य वित्त अधिकारी (बेसिक परिषद)	1840-60-1900-75-2200-100-2400	3850-150-4900-द०रो०-150-5200-200-5600	—	—
2	वरिष्ठ लेखाधिकारी (शिक्षा निदेशालय/बेसिक परिषद/मा० शि०प०/उ० शि०)	1250-50-1300-60-1660-द०रो०-60 1900-75-2050	2500-100-3200-द०रो०-100-3500-125-4375	—	3000-100-3500-125-4625
3	लेखाधिकारी (शि०नि०/बेसिक परिषद/मा०शि०प०/ उ०शि०/जनपद कार्यालय/रा० शै० अनु० एवं प्रशिक्षण परिषद)	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720	1950-60-2370-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	—	2250-60-2550-75-3000-100-3800
4	सहायक लेखाधिकारी (शि०नि०/मा० शि० प०/उ० शि०/ मण्डल एवं जनपद कार्यालय)	690-40-970-द०रो०-40-1050-द०रो०-50-1200-द०रो०-50-1300-60-1420	1600-60-2020-द०रो०-60-2500-75-2950	—	1900-60-2500-75-3250

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/संस्कृत विद्यालय/अरबी मदरसा

1	प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या–इण्टर कालेज	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द० रो०-60-1720	1950-60-2370-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	1300-60-1420-द०रो०-60-1900	2250-60-2550-75-3000-100-3800
	प्रधानाचार्य संस्कृत विद्यालय (प्रथम श्रेणी)	तदैव	तदैव	—	तदैव
2	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (हाईस्कूल)	770-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1600	1800-60-2220-द०रो०-60-2520-75-3270	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720	2100-60-2520-75-3495
3	प्रवक्ता (पुरुष- महिला) (इण्टर कालेज)	650-30-830-द०रो० 30-920-40-1040-द०रो०-40-1080-50-1280	1550-50-1900-द०रो०-50-2150-60-2750	960-40-1080-50-1230-द०रो०-50-1480	1800-55-2185-65-3095
	विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी संस्कृत विद्यालय प्रधानाचार्य द्वितीय श्रेणी संस्कृत विद्यालय	तदैव	तदैव	—	तदैव
4	प्रधानाचार्य प्रथम श्रेणी अरबी मदरसा	550-18-640-20-680-द०रो०-20-740-25-865-द०रो० 25-940	1350-30-1560-द०रो०-30-1650-40-2050	—	1500-30-1650-40-2170
5	सहायक अध्यापक/अध्यापिका–(एल०टी० वेतन क्रम)	540-15-600-20-640-द०रो०-20-760-द०रो०-30-910	1325-30-1535-द०रो०-30-1625-40-2025	740-20-760-30-910-द०रो०-30-1090	1475-35-1650-45-2280
	सहायक विभागाध्यक्ष/अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) सं० वि० प्रधानाचार्य (तृतीय श्रेणी) सं०वि०	तदैव	तदैव	—	तदैव

1	2	3	4	5	6
6	सहायक अध्यापक/अध्यापिका (सी०टी० ग्रेड)	450-15-540-द०रो० 16-636-द०रो०-16-700-20-720	1050-25-1225-द०रो०-25-1300-30-1600	620-16-700-20-720-द०रो०-20-820	1175-25-1300-30-1750
	प्रधानाध्यापक (चतुर्थ श्रेणी) संस्कृत विद्यालय अध्यापक (तृतीय श्रेणी) सस्कृत विद्यालय सहायक अध्यापक (प्रथम श्रेणी) अरबी मदरसा प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) अरबी मदरसा	तदैव	तदैव	—	तदैव
7	शिक्षक (प्रथम श्रेणी) सहायक अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) } संस्कृत विद्यालय	400-10-470-द०रो० 10-500-15-560-द०रो०-15-620	तदैव	—	तदैव
8	सहायक अध्यापक (नान इण्टर ट्रेन्ड) सहायक अध्यापक (वरिष्ठ) (तृतीय श्रेणी) अध्यापक (चतुर्थ श्रेणी) } संस्कृत विद्यालय	तदैव	950-20-1090-द०रो०-20-1190-22-1410	—	1050-20-1190-22-1520
9	प्रशिक्षित अध्यापक (प्राइमरी) (हाई स्कूल प्रशिक्षित)	365-10-425-द०रो० 10-495-द०रो०-12-555	900-16-1012-द०रो० 16-1060-18-1150-20-1290	—	980-16-1060-18-1150-20-1350
	सहायक अध्यापक (कनिष्ठ) (तृतीय श्रेणी) सहायक अध्यापक (चतुर्थ श्रेणी) } संस्कृत विद्यालय				
	प्रधानाध्यापक (तृतीय श्रेणी)—अरबी मदरसा				

10	सहायक अध्यापक (द्वितीय श्रेणी)—अरबी मदरसा	345-7-380-9-398-द०रो०-9-470-द०रो०-10-510	तदैव	—	तदैव
11	सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित जू०हा०स्कूल)	350-6-380-8-396 द०रो०-8-444-द०रो० 8-460-10-500	850-16-962-द०रो० 16-1042-18-1150	—	930-16-1042-18-1240
12	सहायक अध्यापक (तृतीय श्रेणी) अरबी मदरसा	345-7-380-9-398 द०रो०-9-470-द०रो० 10-510	तदैव	—	तदैव
13	सहायक अध्यापक (तृतीय श्रेणी) अरबी मदरसा	330-7-365-8-381 द०रो०-8-405-9-450 द०रो०-9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	—	930-16-1058 18-1220
14	अध्यापक (अप्रशिक्षित)	335—नियत वेतन	825 नियत वेतन	—	—
15	प्रधान कर्णिक (इण्टर)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685	1000-20-1140-द०रो०-20-1200-25-1350-30-1530	—	1100-20-1200-25-1350-30-1590
16	कर्णिक (इण्टर कालेज / हाईस्कूल) कर्णिक संस्कृत विद्यालय	354-10-424-द०रो० 10-454-12-514-द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125 20-1265	—	955-16-1035-18-1125-20-1345
17	लिपिक—अरबी मदरसा	330-7-365-8-381 द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	—	930-16-1058 18-1220

1	2	3	4	5	6
19	दफ्तरी	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440	775-14-873-द०रो० 14-915-15-1020	—	845-15-920-16-1080
20	चपरासी / परिचारक इण्टर / हाईस्कूल / संस्कृत पाठशाला / अरबी मदरसा	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	750-12-834-द०रो० 12-930	—	810-12-906-14-990
	बेसिक शिक्षा परिषद—मुख्यालय				
1	प्रधान सहायक	670-25-770-30-800-द०रो०-30-980-द०रो०-30-1100	1400-40-1680-द०रो०-40-1800-45-2025-50-2275 -	—	1600-40-2000-50-2500
2	प्रधान लिपिक / शिविर सहायक	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो० 20-860	1200-30-1410-द०रो०-30-1800	—	1350-30-1650-40-1930
3	ज्येष्ठ टीपा लेखक / सहायक लेखाकार	470-15-575-द०रो० 15-650-17-701-द०रो०-17-735	1100-25-1275-द०रो०-25-1350-30-1650	—	1225-25-1350-30-1740
4	कनिष्ठ टीपा लेखक	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685	1000-20-1140-द०रो०-20-1200-25-1350-30-1530	—	1100-20-1200-25-1350-30-1590

5	नैत्यिक लिपिक	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125-20-1265	—	955-16-1035-18-1125-20-1345
6	ड्राइवर	330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	—	930-16-1058-18-1220
7	दफ्तरी	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440	775-14-873-द०रो०-14-915-15-1020	—	845-15-920-16-1080
8	चपरासी / परिचारक	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	750-12-834-द०रो० 12-930	—	810-12-906-14-990

बेसिक परिषद जिला स्तर

1	शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका नगर महापालिका क्षेत्र	625-30-835-द०रो० -30-925-35-1065 द०रो०-35-1240	1600-60-2020-द०रो०-60-2500-75-2950	—	1900-60-2500-75-3250
2	नगर पालिका श्रेणी-I	550-18-640-20-680-द०रो०-20-740-25-865-द०रो०-25-940	1350-30-1560-द०रो०-30-1650-40-2050	—	1500-30-1650-40-2170
3	नगर पालिका श्रेणी-II	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860	1200-30-1410-द०रो०-30-1800	—	1350-30-1650-40-1930

1	2	3	4	5	6
4	नगर पालिका श्रेणी-III	470-15-575-द०रो० 15-650-17-701-द०रो०-17-735	तदैव		तदैव
5	प्रधान लिपिक—नगरपालिका श्रेणी-I 2-3 तथा जिला परिषद क्षेत्र के प्रधान लिपिक	तदैव	1100-25-1275-द०रो०-25-1350-30-1650	—	1225-25-1350-30-1740
6	लेखाकार / खेल अधीक्षक लखनऊ/लिपिक ग्रेड-I	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640 द०रो०-15-685	1000-20-1140-द०रो०-20-1200-25-1350-30-1530	—	1100-20-1200-25-1350-30-1590
7	सहायक शिक्षा अधीक्षक / सहायक उपस्थिति अधिकारी (नगर महापालिका)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो०-15-615	950-18-1076-द०रो०-18-1130-20-1390	—	1040-18-1130-20-1250-25-1500
8	सहायक शिक्षा अधीक्षक / सहायक उपस्थिति अधिकारी (नगर पालिका—ग्रेड 1, 2, 3) लिपिक ग्रेड—2	354-10-424-द०रो० 10-454-12-514-द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125 20-1265	—	955-16-1035-18-1125-20 1345
9	सहायक शिक्षा अधीक्षक/स० उपस्थिति अधिकारी (जिला परिषद) (195-300 पुराना वेतनमान)	—	उक्तवत	—	उक्तवत
10	खेल अधीक्षक नैनीताल (185-265 पुराना वेतनमान)	—	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	—	930-16-1058-18-1220

11	दफ्तरी	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो०-8-440	775-14-873-द०रो०-14-915-15-1020	—	845-15-920-16-1080
12	चपरासी / चौकीदार एवं जमादार	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	750-12-834-द०रो०-12-930	—	810-12-906-14-990
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	305 (नियत)	750 (नियत)	—	—

सहायता प्राप्त अशासकीय एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ/इलाहाबाद/कानपुर/मथुरा

1	प्रधानाचार्य	1250-50-1300-60-1600-द०रो०-60-1900-75-2050	2500-100-3200-द०रो०-100-3500-125-4375	—	3000-100-3500-125-4625
2	प्रोफेसर	850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720	1950-60-2370-द०रो०-60-2550-75-3000-100-3600	—	2250-60-2550-75-3000-100-3800
3	प्रवक्ता	650-30-830-द०रो० 30-920-40-1040-द०रो०-40-1080-50-1280	1550-50-1900-द०रो०-50-2150-60-2750	960-40-1080-50-1230-द०रो०-50-1480	1800-55-2185-65-3095
4	प्रधान लिपिक	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570 द०रो०-15-615	950-18-1076-द०रो०-18-1130-20-1390	—	1040-18-1130-20-1250-25-1500

1	2	3	4	5	6
5	सहायक लिपिक	354-10-424-द०रो० 10-454-12-514- द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125- 20-1265	—	995-16-1035- 18-1125-20- 1345
6	लाइब्रेरियन लिपिक	तदैव	तदैव	—	तदैव
7	चतुर्थ श्रेणी	305-5-330-द०रो०- 6-360-द०रो०-6-390	750-12-834-द०रो० 12-930	—	810-12-906-14- 990

सहायता प्राप्त अशासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ/जौनपुर

1	प्रधानाचार्य	850-40-1050- द०रो०-50-1300- 60-1420-द०रो०- 60-1720	1950-60-2370- द०रो०-60-2550- 75-3000-100- 3600	—	2250-60-2550- 75-3000-100- 3800
2	प्रवक्ता	650-30-830-द०रो० -30-920-40-1040- द०रो०-40-1080- 50-1280	1550-50-1900- द०रो०-50-2150- 60-2750	—	1800-55-2185- 65-3095
3	इन्स्ट्रक्टर	450-15-540-द०रो० 16-636-द०रो०-16- 700-20-720	1050-25-1225- द०रो०-25-1300- 30-1600	—	1175-25-1300- 30-1750
4	लिपिक	354-10-424-द०रो० 10-454-12-514- द०रो०-12-550	875-16-987-द०रो० 16-1035-18-1125 20-1265	—	995-16-1035- 18-1125-20- 1345

5	चपरासी	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	750-12-834-द०रो० 12-930	—	810-12-906-14-990

सहायता प्राप्त अशासकीय बी० टी० सी० इकाई–सेवाभारती अध्यापन मन्दिर, वाराणसी

1	सहायक अध्यापक	540-15-600-20-640-द०रो० 20-760-द०रो०-30-910	1325-30-1535-द०रो०-30-1625-40-2025	—	1475-35-1650-45-2280
2	लिपिक	330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	850-16-962-द०रो० 16-1058-18-1130	—	930-16-1058-18-1220

परिवर्तन के गुण की कसौटी न तो दक्षता है और न आराम है और न प्रचुरता ही है। परिवर्तन के प्रति केवल मानवीय हृदय की प्रतिक्रिया ही परिवर्तन के वस्तुगत मूल्य को बताती है। विकास को किसी नियम से नहीं, बल्कि अनुभव से आँका जाता है। और यह अनुभव तालिकाओं के अध्ययन से नहीं बल्कि सह-अनुभव (संवाद, विवाद, खेल, कविता, संक्षेप में रचनात्मक अवकाश में आत्मदर्शन) से उपलब्ध होता है।

—इवान इलिच

अनुक्रमणिका

[प—परिशिष्ट, प्र—प्रशासनिक, व—वित्तीय, श—शैक्षिक, वे—वेतन आयोग]

अंगुलि चिन्ह पर्ची व–70
अग्रिम निष्कासन निर्देश व–97
अग्रिम स्वीकृति आदेश व–113
अग्रिम स्वीकृति पंजिका व–116
अचल सम्पत्ति पंजिका प–7
अदेय प्रमाण पत्र प–9
अधिवर्षता पेन्शन व–3
अध्यापक आनुतोषिक निधि व–14
अनुग्रह पेन्शन व–14
अन्तिम निष्कासन आवेदनपत्र व–111
अप्रत्यावर्तनीय अग्रिम व–99
अप्रशिक्षित सेवावधि पेन्शन हेतु अर्ह व–11
अभिदाता का नामांकन व–106
अभिलेख सूची-पेन्शन व–12
अर्जित अवकाश नकद भुगतान वे–39
अवकाश नकदीकरण वे–24
अवकाश प्राप्त शिक्षकों के पेन्शन व–52
अवकाश लेखा व–85
अवशेष प्रमाण-पत्र व–69
अवैध कब्जा प–7
अशक्तता पेन्शन व–5
आठवीं पंचवर्षीय योजना प–40
आदेश मानक प–12
आनुतोषिक आवेदन पत्र व–46, 75
आनुतोषिक नामांकन पत्र व–79
आनुतोषिक नियमावली 64 व–58
आनुतोषिक नियमावली वरण पत्र व–78
आनुतोषिक हेतु नामांकन व–61
आश्रितों को सेवा व–15
औसत वेतन विवरण पत्र व–71
इण्टर मीडिएट परीक्षा श–5
उत्तर प्रदेश-एक दृष्टि प्र–1
उपार्जित अवकाश-अधिकतम सेवावृद्धि वे–27
एन सी ई आर टी प्र–22
कार्यकारी सिद्धान्त-सा० भ० नि० व–101
कार्यपूर्ति बजट प–20
कार्यालय आदेश-अग्रिम स्वीकृति व–113
किराये का भवन-वित्तीयअधिकार प–14
किराये के भवन प–4
किराये पर भवन लेना प–12
खाते से निष्कासन-मासिक विवरण व–117
खेलकूद कार्यक्रम प्र–49
जनपदीय लेखाधिकारी-कर्तव्य प–36
जल-प्रदूषण श–24
जीवन बीमा धनराशि वृद्धि व–143
जीवन बीमा पालिसी व–86
जीवन बीमा पालिसी-संहृत विवरण व–86
दावे का फार्म व–145
दावों के सम्बन्ध में बैंक सुविधा व–130
देय धन से अधिक की वापसी व–72
धन का आबंटन प–10
धनराशि निकासी आवेदन पत्र व–88
ध्वनि प्रदूषण श–25
नगर प्रतिकर भत्ता वे–28
नये भवनों की मरम्मत प–4
नवीनतम शासनादेश प–25
नवीन पेन्शन योजना व–8
नामांकन पत्र
  परिवार पेन्शन व–74
  मृत्यु आनुतोषिक व–78
  सेवा निवृति आनुतोषिक व–79
नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण प–7
परिवार की व्याख्या व–2
परिवार पेन्शन आवेदन पत्र व–82
परीक्षाफल उन्नयन श–12
पर्यावरण और स्वास्थ्य श–23
पर्यावरणीय शिक्षा श–17, 25
पर्यावरणीय शिक्षा पाठ्यक्रम श–26
पर्वतीय क्षेत्र के पद प–31
पाठ्यक्रम शोध श–11
पारिवारिक पेन्शन व–9, 40, 55
पारिवारिक पेन्शन (चतुर्थ) व–6
पारिवारिक पेन्शन नामांकन व–74
पुस्तकालय श–32

D-5124
19/3/90

पूर्व विद्यालय की सेवा जोड़ना व–11
पेंशन उदारीकरण व–32
पेंशन निस्तारण–अभिलेख सूची व–12
पेंशन प्रपत्र व–53
पेंशन प्रार्थनापत्र व–65
पेंशन राहत व–49
पेंशन स्थानान्तरण व–14
प्रशासकीय प्रशिक्षण प–50
प्रशिक्षण कार्यक्रम प–46
बड़े निर्माण प–2
बड़े मरम्मत कार्य प–2
बाड़ के पौधे प–19
बाल साहित्य पुरस्कार प्र–22
व्याज की दर प–25
भवन कर प–5
भवन का विवरण प–8
भवन विस्तार प–6
भविष्य निधि व्याज की दरें व–94
भविष्य निर्वाह निधि-कार्यकारी सिद्धान्त व–101
मंहगाई भत्ता प–27
मकान किराया भत्ता वे–29
महत्वपूर्ण दिवस प–60
माध्यमिक शिक्षा परिषद श–5
मानक स्थान प–4
मानव मूल्य और शिक्षा श–1
मानसिक स्वास्थ्य श–18, 21
मैदानी क्षेत्र के पद प–30
मौसमी फूल प–18
मृत्यु उपादान में वृद्धि व–125
मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक व–9
मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति आनुतोषिक नियमावली व–35
मृदा प्रदूषण श–24
यात्रा भत्ता-पुनरीक्षण वे–32
योगाभ्यास श–28
राजकीय भवन निर्माण प–1
राजकीय भवन मरम्मत प–1
राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्र–24
रेडियोधर्मी प्रदूषण श–24
लाभत्रयी योजना व–1
लेखा संगठन-पदों का स्थायीकरण प–29
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन श–12
वायु प्रदूषण श–23
विकल्प पत्र व–81
वित्तीय सर्वेक्षण प–33
विशेष अग्रिम व–98
विशेष अस्थायी अग्रिम आवेदन पत्र व–109
वेतनक्रम वे–40
वेतन निर्धारण वे–8
वेतन निर्धारण स्मरणीय बिन्दु वे–8
व्यावसायिक प्रशिक्षण प–46
शारीरिक स्वास्थ्य श–18
शासकीय संकल्प वे–1
शिक्षा और मानव मूल्य श–1
शोध एवं मूल्यांकन श–11
संकल्प वे–1
संहत विवरण—जीवन बीमा पॉलिसी व–86
संवेगात्मक स्वास्थ्य श–18
सांस्कृतिक कार्यक्रम श–36
सहायक लेखाधिकारी कर्तव्य प–36
सातवीं पंचवर्षीय योजना और शैक्षिक योजनायें प्र–15
सामान्य भविष्य निर्वाह निधि व–89
सामुदायिक गायन प्रशिणण प–49
सामूहिक बीमा योजना व–118
सामूहिक जी० बी० यो० स्पष्टीकरण व–138
साहित्यिक कार्यक्रम श–36
सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रशिक्षण प–49
सुन्दरीकरण प–7
सेन्टेज चार्जेज प–3
सेवा का इतिहास व–84
सेवा निवृत्ति आनुतोषिक व–9
सेवा निवृत्ति आनुतोषिक नियमावली व–35
सेवा नैवृत्तिक लाभ-सहायता प्राप्त विद्यालय कर्मचारी व–1
सेवावधि का लाभ प–58
स्काउट गाइड प्रशिक्षण प–48
स्वास्थ्य शिक्षा श–16
स्थानान्तरण-पेन्शन व–14
हस्ताक्षर नमूना पत्र व–69
हाईस्कूल परीक्षा 1988 श–5

NIEPA DC
D05124